

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

उद्भव

प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक उच्चतर शिक्षा का भारतीय इतिहास में हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध स्थल थे, जहां न केवल पूरे देश से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सिलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे दूरस्थ देशों से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करता रहा है।

उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 1823 की माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन की टिप्पणियों में दर्ज है, जिसमें अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। बाद में, लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 के अपनी टिप्पणियों में, “देश के निवासियों को बेहतर ढंग से अच्छे अंग्रेजी विद्वान” बनाने के प्रयासों की वकालत की। वर्ष 1854 के सर चार्ल्स वुड के पत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ‘मैग्ना कार्टा’ के रूप में जाना जाता है, ने प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा की एक उचित रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाने की सिफारिश की। इसके माध्यम से स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की एक सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई जानी थी। इसके पश्चात्, वर्ष 1857 में कोलकाता, बम्बई (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तत्पश्चात् वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग सांझा करके, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड (जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना जाने लगा) की स्थापना की गई।

देश में युद्ध उपरांत शिक्षा विकास पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है के साथ ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में किया गया। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख करने के लिए किया गया था। वर्ष 1947 में समिति को उस समय मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य व्यवहार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् “भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं” डॉ एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उन्होंने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संदर्भित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिनांक 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) का उद्घाटन किया।

तथापि, देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने तथा रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संपूर्ण देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी बंगलुरु और दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी) में छह क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने परिचालन को विकेंद्रीकृत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है, जिसमें तीन अतिरिक्त ब्यूरो 35 फिरोजशाह रोड तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण कैम्पस से भी चल रहे हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

(अप्रैल 2019—मार्च 2020)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 13) की धारा 18 का अनुपालन करते हुए संसद में प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गौरव का अनुभव कर रहा है।)



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – संरचना

- (1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगे:-
 - (i) एक अध्यक्ष (ii) एक उपाध्यक्ष, और (iii) दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (3) खंड (iii) की उप-धारा (1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में से :-
 - (क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगा:-
 - (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों, अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हों परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक अर्हता हो। परंतु इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।
- (4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।
- (5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1.	अध्यक्ष प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह	
2.	उपाध्यक्ष प्रो. भूषण पटवर्धन	
	सदस्यगण	
3.	श्री आर. सुब्रह्मण्यम (*)	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	श्री अमित खरे (**)	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5.	श्री प्रमोद कुमार दास (%)	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
6.	श्री राजीव रंजन (@)	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
7.	प्रो. एम. जगदीश कुमार(+)	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
8.	प्रो. रमेश चंद्र कुहाड़ (\$)	कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जंत-पाली, महेन्द्रगढ़, हरियाणा
9.	डॉ. जी. गोपाल रेड्डी (#)	पूर्व संकाय अध्यक्ष, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय, पालामुरु विश्वविद्यालय, तेलंगाना तथा पूर्व प्राचार्य ओस्मानिया विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हैदराबाद
10.	प्रो. सुषमा यादव (&)	प्रोफेसर, लोक नीति व शासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
11.	प्रो. राघवेन्द्र पी. तिवारी	कुलपति, डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
12.	डॉ. (श्रीमती) उमा चंद्रशेखर वैद्य	पूर्व कुलपति, कविकुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
13.	डॉ. किरण हजारीका	प्राचार्य, तेंगाखाट महाविद्यालय, असम
14.	डॉ. नागेश ठाकुर	प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
	सचिव	
	प्रो. रजनीश जैन	

(*) दिनांक 13 दिसंबर 2019 तक

(**) दिनांक 02 जनवरी 2020 से

(%) दिनांक 16 अगस्त 2019 तक

(@) दिनांक 11 दिसंबर 2019 से

(+) दिनांक 23 जून 2019 तक

(\$) दिनांक 27 जून 2019 तक

(#) दिनांक 19 जनवरी 2020 तक

(&) दिनांक 27 फरवरी 2020 तक

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
दिसम्बर, 2020

मुद्रक एवं प्रकाशक :

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

डिजाइन एवं मुद्रण :

चन्दू प्रेस,
डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092
फोन : +91 9810519841, 011-22526936
ई-मेल : chandupress@gmail.com

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सारांश 2019–2020	1
1	प्रस्तावना	21
1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	21
1.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	23
1.3	प्रकाशन	32
1.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	32
1.5	केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)	61
1.6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय	61
1.7	विशेष गतिविधियां / पहल	86
2	उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े	99
2.1	सकल नामांकन अनुपात	100
2.2	विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय	101
2.3	छात्र नामांकन	148
2.4	2019 में उच्चतर शिक्षा में परीक्षा परिणाम / उत्तीर्ण हुए छात्र	153
2.5	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारी	156
3	विश्वविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं और सहायता	159
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	159
3.2	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	159
3.3	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	175
3.4	सम विश्वविद्यालय संस्थान	177
3.5	राज्य निजी विश्वविद्यालय	180
4	महाविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं और सहायता	181
4.1	महाविद्यालयों का विकास	181
4.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	181
4.3	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान (सामान्य विकास सहायता)	181
4.4	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी योजनावार अनुदान	185
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान	196
5	गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता	205
5.1	उत्कृष्टता के लिए क्षमता – शिक्षण और अनुसंधान	205
5.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	213
5.3	स्वायत्त महाविद्यालय	214
5.4	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)	215
5.5	राजभाषा (हिन्दी) का संवर्धन	216
5.6	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	218
5.7	शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	221
5.8	यात्रा अनुदान	227
5.9	अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	227
5.10	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	256
5.11	विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरण का विकास	260
5.12	स्वच्छता रैंकिंग	260

6	शोध को प्रोत्साहन	261
6.1	शिक्षकों के लिए प्रमुख शोध परियोजनाएं	261
6.2	अनुसंधान अवार्ड/अनुसंधान वैज्ञानिक	262
6.3	पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	262
6.4	एम.फिल./ पीएच.डी. हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ	264
6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	268
6.6	स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां	269
6.7	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम	273
7	लिंग तथा सामाजिक समानता	277
7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास	277
7.2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	278
7.3	उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणियों, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांग छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व	289
8	प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा	291
8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र	291
8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक	292
8.3	मानवाधिकार मूल्य शिक्षा	294
9	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण	295
9.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट	295
9.2	ऑनलाइन शिक्षण द्वारा उत्पादकता	299
9.3	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)	302
10	कौशल विकास संबंधी पहल	305
10.1	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)	305
10.2	करियर उन्मुखी पाठ्यक्रम (सीओसी)	307
11	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा आनलाईन ज्ञानार्जन	308
11.1	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	308
11.2	ऑनलाइन ज्ञानार्जन	312
12	यूजीसी – गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षणिक गतिविधियों की पहल	314
12.1	छात्र प्रेरण कार्यक्रम	314
12.2	ज्ञानार्जन परिणाम पर आधारित पाठ्यक्रम ढांचा (एलओसीएफ)	314
12.3	मूल्यांकन सुधार	314
12.4	जीवन कौशल	315
12.5	भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधायी शोध योजना (स्ट्राइड)	315
12.6	अकादमिक तथा शोध नैतिकता संघ – केयर	316
12.7	संकाय प्रेरण कार्यक्रम	317
12.8	'परामर्श'—गैर प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों को 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करना	317
12.9	मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता का अंतर्निवेशन	317
12.10	पर्यावरण-हितैषी तथा स्थायी परिसर के लिए दिशा-निर्देश	318
12.11	विश्वविद्यालय और उद्योग के जुड़ाव को सक्षम बनाना और बढ़ाना	318
12.12	छात्र करियर उन्नयन तथा पूर्व छात्र नेटवर्क	318

प्राक्कथन

वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय तथा उन्हें कायम रखने हेतु शीर्ष निकाय है, द्वारा भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षण, ज्ञानार्जन तथा नवोन्मेषी कौशल, समीक्षात्मक विचार, समावेशन, रोजगारपरकता, ज्ञानार्जन परिणाम, पाठ्यक्रम संरचना, लिंग संवेदनशीलता, सामाजिक संपर्क, स्थायी विकास प्रतियोगितात्मकता तथा छात्रों के कौशल विकास को बेहतर बनाने पर समग्र जोर देने वाले गुणवत्ता अधिदेश पहल समेत किए गए प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट में उच्चतर शिक्षा का उत्कृष्टता तथा समानता आधारित विस्तार सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई नई पहल भी शामिल हैं।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़े/जानकारी उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा हितधारकों के लिए उपयोगी होंगे।

मैं इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों के मूल्यवान सहयोग का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। वार्षिक रिपोर्ट को उपयुक्त स्वरूप प्रदान करने की दिशा में डॉ. एन. गोपू कुमार, संयुक्त सचिव, यूजीसी, श्री सुभाष चन्द्र, पूर्व-समन्वयक, यूजीसी तथा डॉ. दीक्षा राजपूत, उप सचिव द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान तथा अथक प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ।

नई दिल्ली

प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांश : 2019–20

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के कार्यकारी सारांश में विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण के अनिवार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 में किए गए क्रियाकलाप समाहित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 में लागू की गई विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा इन पर हुए व्यय को विस्तार से दर्शाया गया है। सारांश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना तथा भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए बड़े निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परिव्यय तथा कौशल शिक्षा सहित गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, शोध, पहुंच तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है।

1. प्रस्तावना – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव – उच्चतर शिक्षा, सचिव – व्यय एवं 8 अन्य सदस्य) भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामांकित होते हैं। सचिव, आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 322 कार्यरत कर्मचारीवृंद हैं जिनमें समूह 'क' के 54 अधिकारी, समूह 'ख' के 168 अधिकारी, समूह 'ग' के 94 कर्मचारी तथा जलपानगृह के 6 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यरत कर्मचारियों में 32.92 प्रतिशत महिलाएं, 27.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक ब्यूरो कार्यालय खोल कर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदकों को सूचना प्रदान करता है। सीपीआईओ के अधीन एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आरआईए) आवेदन/ अपील प्राप्त करता है तथा सीपीआईओ के माध्यम से विभिन्न सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों, जिनके पास संगत जानकारी होती है, को भेजने के लिए उचित संख्या में प्रतियां तैयार करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ कार्यालयीन कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप काम करता है जिससे यहां भ्रष्टाचार न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव इसके मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं।
- विधि प्रकोष्ठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च/ निम्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों/ अदालतों/ आयोगों आदि में न्यायालय मामलों को संभालता है।
- संसदीय डेस्क को वर्ष 2019–20 के दौरान 801 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए।
- कदाचार रोधी प्रकोष्ठ मौजूद जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों तथा उनकी बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उत्तरदायी है तथा उसने कुल 24 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है। 24 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और संस्थान यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम) हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) धारा 3 के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गैर-अनुमोदित संस्थानों को चेतावनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/ छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु जागरूक करते हुए सार्वजनिक सूचना/ प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग- रोधी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैंगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक 24x7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैंगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। 18 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय रैंगिंग रोधी हेल्पलाइन पर रैंगिंग की 5574 शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें से 5491 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखाओं का बेहतर रखरखाव करने तथा पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कार्य कर रहा है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने के लिए परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा तथा लिंग संवेदनशीलता के कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त— वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बजट और अनुदान—सहायता की प्राप्ति तथा जारी किए गए अनुदानों (राजस्व व पूंजीगत) का ब्योरा निम्नवत है :

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सामान्य बजट शीर्ष के तहत कुल प्राप्त अनुदान (राजस्व व पूंजीगत) 12765.86 करोड़ रुपये था। 505.77 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि (वर्ष 2018–19) को भी वर्ष 2019–20 के दौरान उपयोग किया गया है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नवत थे: (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य) 12765.86 करोड़ रुपये। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली : 299.16 करोड़ रुपये (अनुसूचित जाति तथा ओबीसी अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए)। (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली : 100.00 करोड़ रुपये।
- प्राप्त किए गए 13271.63 करोड़ रुपये के राजस्व और पूंजीगत अनुदान (प्राप्त निधियां: 12765.86 करोड़ रुपये + वर्ष 2018–19 का अव्ययित शेष = 505.77 करोड़ रुपये) में से वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थानों को 13225.63 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। (7820.92 करोड़ रुपये) 59.13 प्रतिशत राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, (2657.87 करोड़ रुपये) 20.10 प्रतिशत राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, (486.65 करोड़ रुपये) 3.68 प्रतिशत राशि राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई, (438.03 करोड़ रुपये) 3.31 प्रतिशत राशि सम विश्वविद्यालयों को जारी की गई, (137.82 करोड़ रुपये) 1.04 प्रतिशत राशि राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, (209.23 करोड़ रुपये) 1.58 प्रतिशत राशि अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी की गई, (95.25 करोड़ रुपये) 0.72 प्रतिशत राशि क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की गई, (1260.14 करोड़ रुपये) 9.53 प्रतिशत राशि छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हेतु जारी की गई, (0.10 करोड़ रुपये) 0.001 प्रतिशत राशि रैगिंग रोधी उपायों, (0.21 करोड़ रुपये) 0.002 प्रतिशत राशि उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई), (0.75 करोड़ रुपये) 0.01 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी), (112.42 करोड़ रुपये) 0.85 प्रतिशत राशि प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) तथा (क्षेत्रीय कार्यालय), (6.23 करोड़ रुपये) 0.05 प्रतिशत राशि विविध/ विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों हेतु व्यय की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारीवृंदों के पदों (समूह क, ख और ग) के लिए एक समान सेवा शर्तों के संपूर्ण ढांचे की सिफारिश करने के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 6 बैठकें हुईं तथा मानकों के रखरखाव, सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ, विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों को अनुदान से संबंधित मामलों पर लिए गए प्रमुख निर्णयों को अध्याय-1 में पृष्ठ 61 से पृष्ठ 85 पर दिया गया है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए विशेष क्रियाकलापों/ पहलों को अध्याय-1 में पृष्ठ 86 से पृष्ठ 98 पर दिया गया है।
- 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आने के बाद से विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के अधिदेश के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष 2019–20 में अपनी स्थापना के 66 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अपनी यात्रा में 66 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने के लिए, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।

- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डाटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने, उनके संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल <http://aishe.gov.in> के माध्यम से किया जा रहा है और इस तरह हम कागजरहित क्रियाविधि की ओर बढ़ रहे हैं।
- स्वतंत्रता के समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 2.1 लाख छात्रों के साथ देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो आंकड़े थे उनकी तुलना में अब डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में यह संख्या 54 गुना हो चुकी है, महाविद्यालयों के संबंध में यह संख्या 88.75 गुना हो चुकी है और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 182.26 गुना हो चुका है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 944 विश्वविद्यालय हो गई है (51 केन्द्रीय, 411 राज्य सरकारी, 352 राज्य निजी, 127 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित तीन संस्थान) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत 12453 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं और इन महाविद्यालयों में से 9993 महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में धारा 12ख के तहत आते हैं। जहां तक, संबंधित राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या का संबंध है, 84 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में शीर्ष स्थान पर है जिसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (76), गुजरात (73) आदि हैं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 14 राज्य सरकारी, 18 राज्य निजी विश्वविद्यालयों और 1 सम विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया गया है। 14 राज्य सरकारी, 3 सम विश्वविद्यालयों तथा 1 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया था।
- वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 44,374 महाविद्यालय थे (संबद्ध – 41117, संघटक – 1789, स्नातकोत्तर/ ऑफ कैम्पस केन्द्र – 187, मान्यताप्राप्त केन्द्र – 1281)।
- वित्त वर्ष 2019–20 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 12453 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश (2958) में हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र (1508), कर्नाटक (1105), तमिलनाडु (721), मध्य प्रदेश (612) और गुजरात (565) आदि हैं।
- वर्ष 2018–19 के दौरान देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) 26.3 प्रतिशत है जिसे 18 से 23 आयु वर्ग के लिए परिकलित किया गया है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए यह 26.4 प्रतिशत है।
- शिक्षा सत्र 2019–20 के दौरान नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के समस्त पाठ्यक्रमों और स्तरों पर कुल छात्रों का नामांकन 382.75 लाख था जिसमें 186.24 लाख (अंतिम आंकड़े) छात्राएँ थीं, जो कि समस्त नामांकन का 48.64 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (58.16 लाख) रहा, जिसके बाद महाराष्ट्र (43.33 लाख), तमिलनाडु (35.19 लाख) तथा मध्य प्रदेश (22.27 लाख) इत्यादि राज्य रहे।
- प्रतिशत के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर छात्र नामांकन स्नातकपूर्व (79.39 प्रतिशत), स्नातकोत्तर (11.34 प्रतिशत), शोध (0.65 प्रतिशत), डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र (7.82 प्रतिशत) तथा समेकित पाठ्यक्रमों में (0.80 प्रतिशत) रहा।
- वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कुल 12,07,204 शिक्षक तैनात थे (आंकड़े विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त वास्तविक जानकारी पर आधारित हैं)। कुल शिक्षकों में से विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 86 प्रतिशत शिक्षक तैनात हैं।
- वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पीएचडी तथा एम.फिल. पाठ्यक्रमों में क्रमशः 224469 तथा 24031 छात्र नामांकित हुए (अंतिम आंकड़े)।
- वर्ष 2019 के दौरान क्रमशः 35080 तथा 18157 पीएचडी तथा एम.फिल. शोध उपाधियां प्रदान की गई (अंतिम आंकड़े)।

3. विश्वविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं और सहायता

- केन्द्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच को बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के रखरखाव, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिए अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ सम विश्वविद्यालयों को पूंजीगत तथा राजस्व अनुदान (वेतन तथा आवर्ती व्यय) दोनों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत पूंजीगत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों की योजनाओं के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 51 थी। इनमें से नौ विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर- 848003 और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोवरुक, मणिपुर- 795146 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आवर्ती, वेतन तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 200467.51 लाख रुपये, 524170.00 लाख रुपये तथा 37500.00 लाख रुपये का सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस, बीएचयू) को वेतन, आवर्ती तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 7500.00 लाख रुपये, 5000.00 लाख रुपये तथा 1000.00 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान एम.फिल/ पीएचडी हेतु गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना के तहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 144.84 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों/ महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना के तहत 48.13 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे शिक्षकों को 15,000/- रुपये प्रतिमाह के विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है जो चार चिह्नित विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता हों। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान योजना के तहत 23.54 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए निधियां उपलब्ध करवा रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया है—तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विश्व भारती। इस योजना के अधीन वर्ष 2019-20 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को 265.00 लाख रुपये तथा राजीव गांधी विश्वविद्यालय को 90.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- एचईएफ (उच्चतर शिक्षा वित्तीय संस्था) को केन्द्र सरकार द्वारा लाभ नहीं अर्जित करने वाली गैर- बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केन्द्र सरकार की (शिक्षा में अवसंरचना और प्रणाली को मजबूत बनाना (राइज)) योजना के अंतर्गत 2022 तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को तैयार करने के लिए बजटोत्तर संसाधनों को जुटाने के लिए दिनांक 31 मई, 2017 को स्थापित किया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/ विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व-सेवाएं तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा (1) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (2) विश्व भारती, शांतिनिकेतन (3) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (4) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (6) मणिपुर विश्वविद्यालय (7) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (8) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पूर्ण योग विभाग तथा पाठ्यक्रमों को संस्वीकृत किया है ताकि स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द और अनुशासन का संवर्धन करने के साधन के रूप में योग को बढ़ावा दिया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके तहत कोई भी इकाई, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पूर्व मूल्यांकन और प्रत्यायन करवाए बिना, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा उसके पश्चात् आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 38 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय – गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने पूर्व में प्रत्यायन प्राप्त किया है, परंतु प्रत्यायन अवधि पूर्ण हो गई है और इसने प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है। (2) आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम तथा नव-स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी प्रत्यायन प्राप्त करने योग्य नहीं हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ भारत सरकार ने भारत के संविधान में एक सौ तीन वें संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके और इसका अनुपालन किया जा सके। तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों से प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।
- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 19 जनवरी 2019 के का. ज्ञा. संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण) के माध्यम से केंद्र सरकार के पदों तथा सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है जो दिनांक 01.02.2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों पर लागू होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में यूजीसी ने दिनांक 20 मार्च, 2018 के पत्र सं. एफ 25-4/2007 (सीयू) पार्ट फाइल के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की योजना के अंतर्गत 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 152.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केवल) श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण) विनियम, 2018 दि. 12 फरवरी 2018 को अधिसूचित हो गया है। इन विनियमों का उद्देश्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को गुणवत्ता के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करना है। छह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वर्ग-I तथा वर्ग-II के अंतर्गत श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान की गई है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) का शुभारंभ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को किया गया। इस ढांचे में देश भर के संस्थानों की रैंकिंग करने की क्रियाविधि बताई गई है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों के विधानों द्वारा अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत 411 राज्य सरकारी और 352 राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए 75.00 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।
- “स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत” योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई।

- वेतन शीर्ष हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 233.49 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।
- श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिवस समारोह के आयोजन हेतु गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को 24.56 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 127 सम विश्वविद्यालय थे। 127 सम विश्वविद्यालयों में से 19 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को 48203.72 लाख रुपये की राशि जारी की है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देश भर में 352 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं।

4. महाविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं और सहायता

- महाविद्यालयों को विकास सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण-ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ करना, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, यौक्तिकरण तथा विविधीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेष रूप से उन्हें करियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया गया है।
- दिनांक 31 मार्च, 2020 तक देश में 42906 महाविद्यालय (संबद्ध और संघटक) थे। इनमें से, दिनांक 31 मार्च, 2020 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 12453 महाविद्यालयों अर्थात् 29.02 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 12453 महाविद्यालयों में से मात्र 9993 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरु स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी) के माध्यम से होता है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों और एनआरसीबी ने महाविद्यालय विकास सहायता योजना के अंतर्गत 169 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 12.90 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 तक महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 5889 पात्र महाविद्यालयों को 807.53 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2019-20 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 106 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी से 13.65 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान 2004 महाविद्यालयों को 508.45 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने 191 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 35.99 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान 338 महाविद्यालयों को 424.66 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना की योजना के तहत विज्ञान में 1.93 करोड़ रुपये तथा मानविकी में 1.73 करोड़ रुपये का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 447 तथा मानविकी के 453 शिक्षकों को जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान मानविकी और विज्ञान के 14410 शिक्षकों को 249.73 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 218 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 0.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान योजना के तहत 6640 महाविद्यालयों को 80.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 466 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 15.76 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान योजना के तहत 8464 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 246.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना के तहत 4719 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.17 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 88 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 12.02 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान 1106 महाविद्यालयों को 350.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं जिन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अथाह योगदान दिया, बल्कि देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने-बाने को बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विरासत वाले संस्थानों के योगदान को मान्यता देता तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा के उचित मान के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। वर्ष 2019-20 के दौरान योजना के तहत चार महाविद्यालयों को 0.76 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान “महाविद्यालयों को विशेष विरासत प्रदान करना योजना” के तहत 17 महाविद्यालयों को 11.37 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और शिक्षण और ज्ञानार्जन सहायता सामग्री का उपयोग करके पाठक भत्ते, ब्रेल पुस्तकों, रिकार्ड की गई सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवा कर सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। वर्ष 2019-20 के दौरान 59 लाभार्थियों को 0.29 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान 268 लाभार्थियों को कुल 3.14 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी ने 6616 लाभार्थी महाविद्यालयों को 1117.69 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। इसमें से ऐसी योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 225 महाविद्यालयों को एकमुश्त ‘कैच-अप’ अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, आमेलित योजनाओं, प्रतिबद्ध देयताओं (यूजीसी की पुरानी योजनाएं) के तहत स्वर्ण जयंती आयोजनों हेतु 8.008 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जिन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 226565.34 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को 6629.71 लाख रुपये की राशि का भी भुगतान किया गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को महिला छात्रावास, खेल-कूद अवसंरचना, भवन निर्माण तथा संगोष्ठी/ सम्मेलन/ कार्यशाला आयोजित करने तथा दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए पाठक भत्ते हेतु 2841.15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

5. गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 16 चिह्नित विश्वविद्यालयों को “उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय” (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। 15 विश्वविद्यालयों की कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अव्ययित अनुदान राशि का उपयोग करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 तक समय विस्तार दिया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और शोध क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता तथा अंतर्विधायी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए “किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की क्षमता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)” की योजना आरंभ की है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रों को 1.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालय” (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता के महाविद्यालय (सीई) का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2019-20 के दौरान 61 महाविद्यालयों को 8.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाज विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 783 रही। वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसएस स्तर पर 144 विभागों तथा डीएसएस के स्तर पर 72 विभाग तथा डीआरएस के स्तर पर 567 विभागों को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान 40.88 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ।
- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत क्षमता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 25 राज्यों के 109 विश्वविद्यालयों के 747 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एनआरसीबी द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के तहत 191 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 35.99 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी), क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी) तथा अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (एससी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे इन केन्द्रों के कार्यक्रम हेतु 24.00 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान 66 यूजीसी-एचआरडीसी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में लगभग 25000 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने कार्यशाला/ हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस का आयोजन किया तथा अपने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय/ राज्य/ सम विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नार्वे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही यह छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनकी शोध क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 9.08 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षकों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश कर रहा है ताकि उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाइटेड किंगडम, भारत में विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को शोध कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए 10 राष्ट्रमंडल चिकित्सा अध्येतावृत्ति अवार्डों की पेशकश करता है। वर्ष 2018 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 भारतीय चिकित्सकों को नामनिर्दिष्ट किया जिसमें से राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग द्वारा 03 भारतीय चिकित्सकों का चयन किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेल अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 166 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। इसके समक्ष उच्चतर शिक्षा के चयनित विश्वविद्यालयों में अध्ययन जारी रखने के लिए हंगरी के तीन विद्वानों ने भारत का दौरा किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार की गई परियोजना आधारित कार्मिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2018 के दौरान एक परियोजना का दो वर्षों के लिए चयन किया गया था।
- शिक्षा के क्षेत्र में भारत-अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत-अमेरिका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा की गई है।

- उच्चतर शिक्षा में भारतीय-जर्मन भागीदारी (आईजीपी): मंत्रालयों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा इस आशय के संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत और जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी द्वारा उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) समझौता ज्ञापन पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। पहले चरण में वर्ष 2016 में चार वर्ष के लिए 8 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गईं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूकेआईआईआरआई विषयगत भागीदारियां, ब्रिटेन और भारत में संस्थान-आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य किए जाने का लक्ष्य है। विषयगत भागीदारी के तहत वर्ष 2018 के दौरान दिनांक 15 मार्च, 2018 से 14 मार्च, 2020 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए 18 संयुक्त शोध परियोजनाएं प्रदान की गई थीं।
- भारत-इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त-शोध परियोजना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए तथा वित्तपोषण हेतु वर्ष 2018 के दौरान तीन वर्ष की अवधि के लिए 11 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया।
- वर्ष 2019 में यूजीसी ने बुल्गारिया भाषा और संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी के लिए 4 विद्वानों को बुल्गारिया का दौरा करने हेतु नामांकित किया था।
- विदेशी भाषा शिक्षक : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जो अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान इन शिक्षकों को अवधि विस्तार दिया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यापन और शोध के पेशे में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्राचार्य तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा (यूजीसी नेट) परीक्षा आयोजित करता है। भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को यूजीसी नेट का कार्य सौंपा गया है। नेट परीक्षा 80 विषयों में आयोजित की जाती है। जून, 2019 में यूजीसी नेट में सहायक आचार्य हेतु आयोजित अर्हता परीक्षा में 6.82 लाख अभ्यर्थी तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की परीक्षा में 4.80 लाख अभ्यर्थी बैठे। इन अभ्यर्थियों में से सहायक आचार्य हेतु 55701 (8.17 प्रतिशत) तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और सहायक आचार्य हेतु 4756 (0.99 प्रतिशत) अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
- दिसम्बर, 2019 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में सहायक आचार्य हेतु अर्हता के लिए 7.94 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति परीक्षा में 5.44 लाख अभ्यर्थी बैठे। इन अभ्यर्थियों में से 66362 (8.36 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने सहायक आचार्य के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की और 5297 (0.97 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने जेआरएफ और सहायक आचार्य के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से "सीएसआईआर" विज्ञान के पांच विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2019 तथा दिसम्बर, 2019 में संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई तथा दोनों परीक्षाओं में 1638 तथा 1656 यूजीसी-जेआरएफ सहित क्रमशः 7814 तथा 8036 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य हेतु अर्हक पाया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए भी प्रत्यायन प्रदान किया है। दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व, व्याख्याता हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को "नेट" परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त है। जून, 2002 अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी, केवल उसी राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, जहाँ उसने सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सफलतापूर्वक सेट परीक्षा आयोजित की। सेट परीक्षा संचालित करने पर होने वाले व्यय को संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों के 340 शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों, 01 उप कुलपति और आयोग के 01 सदस्य ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। वित्तीय सहायता

का भुगतान उनकी विदेश यात्रा, पंजीकरण शुल्क, निवास भत्ता आदि के लिए किया जाता है। स्थायी शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष तीन वर्ष में एक बार और कुलपति, आयोग सदस्य और यूजीसी के अधिकारी दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभार्थियों को 5.10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित नौ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण तथा उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2019-20 के दौरान आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूंजीगत शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत 64.20 करोड़ रुपये, 51.46 करोड़ रुपये और 49.58 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है ताकि उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन केन्द्रों को 418.80 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान जारी किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस विचार से वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों ने खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरू की है कि खेल पिरामिड के आधार को व्यापक बनाने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिजात खेलों में भागीदारी हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी तैयार होंगे जो देश को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वर्ष 2019-20 के दौरान 1.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान 69 लाभार्थी विश्वविद्यालयों को 75.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- उच्चतर शिक्षा के 259 संस्थानों को स्वच्छता रैंकिंग प्रदान करने का कार्य यूजीसी द्वारा अगस्त- सितंबर 2019 में किया गया।

6. शोध को प्रोत्साहन

- “शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाएं” योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में ऐसे क्षेत्रों में बल देकर जो अलग- अलग विधाओं तथा विषय जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी/ चिकित्सा/ भेषजी/ कृषि सहित विज्ञान तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, कला और विधि आदि में वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा क्रमशः 20.00 लाख रुपये और 15.00 लाख रुपये है। यहां तक कि 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षक भी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान शोध परियोजनाओं के 335 लाभार्थियों को 3.2746 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। शिक्षक जो डाक्टरेट हैं और 45 वर्ष की आयु से कम हैं, उन्हें अवार्ड के लिए विचार किया जाता है। सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए अवार्डों का चयन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान अवार्ड धारकों को भुगतान करने पर 2.01 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने हेतु वर्ष 1983 में ‘शोध वैज्ञानिक योजना’ आरम्भ और लागू की गई थी। वर्तमान में, विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 16 शोध वैज्ञानिक यूजीसी की सूची में हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 4.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- ‘अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति’ की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत

कर दिया है, वे इसके तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति पांच वर्षों के लिए है। वर्ष 2019-20 के दौरान 353 पोस्ट डॉक्टरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 18.99 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएचडी उपाधि धारक तथा पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट-डॉक्टरल शोध करने की इच्छुक बेरोजगार महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 100 अध्येतावृत्ति प्रदान की जा रही हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 471 महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 24.93 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधा कृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 285 अध्येताओं को 10.56 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।
- आधारभूत विज्ञान/ चिकित्सा/ अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति योजना उपलब्ध कराई जा रही है। आज तक, 2853 अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति अवार्ड की गई है तथा 1364 पी.डी.एफ कार्यरत हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 760 अध्येताओं को 41.74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अधिवर्षिता की आयु के समीप पहुंचे प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/ सह-आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 110 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 10.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 91 लाभार्थी अध्येताओं को भुगतान करने पर 1.45 करोड़ रुपये व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। जेआरएफ के साथ प्रथम दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रति माह तथा शेष अवधि के लिए वार्षिक आकस्मिकता राशियों सहित 35,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ योजनाओं के तहत 1047.50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्तमान में, लगभग 26873 विद्वान जेआरएफ के तहत एम.फिल./ पीएचडी कर रहे हैं।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 2000 राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करता है ताकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./ पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के तहत 4993 अनुसूचित जाति के लाभार्थी अध्येताओं पर 204.09 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, उस के द्वारा वित्तपोषित, अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति को लागू करने का कार्य, वर्ष 2009 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के अनुरूप है। वर्ष 2019-20 के दौरान 2582 लाभार्थियों पर 110.30 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। चयन वर्ष 2019-20 से चयन के लिए सीबीएसई/ एनटीए-यूजीसी-नेट/ सीएसआईआर- नेट परीक्षा पहले से उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के अनुरूप है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना पर 1193 लाभार्थियों पर 56.59 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया।

- महिला अभ्यर्थियों के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाते हुए तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए यूजीसी ने वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक विज्ञानों में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना की शुरुआत की। वर्ष 2019-20 के दौरान वर्ष 2018-19 के लिए चयन किया गया और अध्येतावृत्ति के लिए 269 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान 280 लाभार्थियों को 10.33 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- “विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति” योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए कार्यान्वित किया गया है जिससे मेधावी छात्रों को उन्नत अध्ययन तथा शोध कार्य आरंभ करने हेतु अवसर प्रदान किए जा सकें ताकि वे विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषयों में उत्कृष्टता की क्षमता/ उन्नत अध्ययन केन्द्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता विभागों में पीएच.डी. हेतु पंजीकृत हैं वे इस योजना के तहत पात्र हैं। वर्ष 2019-20 के अंत तक सैप/ गैर-सैप विभागों को 9355 शोध अध्येतावृत्तियां आवंटित की गई थी तथा 3550 कनिष्ठ शोध अध्येता कार्यरत हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 1442 लाभार्थियों को 43.08 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के तहत 838 लाभार्थियों को 6.05 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।
- इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता-पिता को छोटे परिवार के मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मास्टर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष के लिए है जिसमें 36,200 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2017 से दर्ज है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दो वर्षों के लिए चयन किया गया और वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए क्रमशः 2417 और 2445 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 15.34 करोड़ का व्यय हुआ और 2620 लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।
- प्रतिभावान छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में और साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में जारी रख सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और ऑनर्स पाठ्यक्रम में केवल प्रथम रैंक धारक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष के लिए है जिसमें 37,200 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2017 से दर्ज है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए क्रमशः 1519 और 899 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1556 लाभार्थियों को 5.59 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु सहायता करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्म। विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 12,400 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि के साथ स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1768 लाभार्थियों को 13.34 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। सामान्य उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 54,000 रुपये प्रतिवर्ष और तकनीकी और पेशेवर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए 78,000 रुपये प्रतिवर्ष है। योजना के

तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केनरा बैंक के बीच किए गए समझौते (एमओयू) के अनुसार भुगतान को प्रक्रिया सीधे ही केनरा बैंक द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 के लिए 8156 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 18569 लाभार्थियों को 99.36 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध पर अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था और शिक्षकों का चयन करने के लिए प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 373 संकाय सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें से 185 कार्यरत हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से चयनित 150 अभ्यर्थियों को वेतन अनुदान तथा 25 अभ्यर्थियों को स्टार्ट-अप अनुदान के रूप में 19.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान इन 2 केन्द्रों को 4.81 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट-अप अनुदान योजना के तहत, अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन करने वाले पीएचडी उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, सहायता की राशि 10 लाख रुपये है। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के 89 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 7.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- मिड करियर अवार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आकस्मिक व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में शोध कार्य करने वाले 14 शिक्षकों को 0.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

7. लिंग तथा सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही के माध्यम से महिला अध्ययनों का विस्तार और क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वस्तुस्थिति के साथ लगातार संपर्क बनाने को बढ़ावा देना है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयी प्रणाली में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके थे तथा कार्य कर रहे थे। वर्ष 2019-20 के दौरान महिला अध्ययन केन्द्रों को 7.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचनार्थ तथा अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)/ अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण प्रदान करने/ नेट-सेट परीक्षा/ सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित समय-सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है।

- उपचारी अनुशिक्षण सेवाओं में प्रवेश और नेट/सेट के लिए अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केन्द्रों हेतु क्रमशः 3.26 लाख रुपये, 3.91 लाख रुपये और 5.19 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों (ईओसी) की स्थापना की है। वर्ष 2019–20 के दौरान इन केन्द्रों को 1.35 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- सैद्धांतिक तथा नीतिगत महत्व वाले सामाजिक बहिर्वेशन तथा समावेशन के मुद्दों पर शोध के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बहिर्वेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण-सह-शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केन्द्र कार्यरत थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के तहत पांच केन्द्रों को 9.82 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की अनदेखी नहीं की जाए और विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु पाठ्यक्रम विकसित करने और निःशक्त व्यक्तियों को अलग-अलग स्वरूप में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो योजनाएं अर्थात् विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) और विशेष आवश्यकताओं वाले निःशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) को लागू कर रहा है। अब इन योजनाओं की देखरेख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है और प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केन्द्रों को अनुमोदित किया है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों हेतु सकल नामांकन अनुपात 23.0 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 17.2 प्रतिशत है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) प्रति सौ पुरुषों पर क्रमशः 102 और 92 है।

8. प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेष रूप से भारत के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालयों को चिन्हित करता रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 35 केन्द्र कार्य कर रहे थे और वर्ष 2019–20 के दौरान क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के तहत 9 केन्द्रों को 23.22 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में 406 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के 150वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गांधीवादी अध्ययन केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक कायम रखा गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 6.87 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- यूजीसी ने 1985 में विश्वविद्यालय क्षेत्रक में मानवाधिकार शिक्षा की योजना शुरू की थी। तब से उच्चतर शिक्षा क्षेत्रक को मानवाधिकार और मूल्यों तथा मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मानवाधिकार शिक्षण योजना के अंतर्गत 1.98 करोड़ रुपये अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

9. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण

- यूजीसी की वेबसाइट (<http://www.ugc.ac.in>) अंतिम प्रयोक्ताओं/हितधारकों के साथ यूजीसी की विभिन्न योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना साझा करता है। हितधारक विश्वविद्यालय रिपोर्ट, योजनाओं के लिए प्रस्ताव, छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों/

नौकरियों आदि के लिए आवेदन सहित अपनी सूचना जमा/ अपलोड कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है।

- ई- अभिशासन योजना के अंग के रूप में ई- कार्यालय योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्यान्वित किया गया है ताकि मिसिलों की प्राप्ति और उनके चालन, वेतन पर्ची, ई-अवकाश आदि के रखरखाव के संबंध में कागज रहित परिवेश तैयार किया जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संपूर्ण समेकित और स्वचालित ई- अभिशासन मॉड्यूल को परियोजना मिशन मोड में विकसित करने और आदि से अंत तक ऑनलाइन समाधान उपलब्ध कराने के लिए इस कार्य को इन्फिलिबनेट को सौंपा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा यूजीसी और इसके अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों (आईयूसी) की सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फिलिबनेट) व शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी कई पहल की गई हैं जिनका इस्तेमाल कर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक, छात्र तथा शोधार्थी अपने ज्ञानार्जन के आयाम को विस्तृत कर सकते हैं।
- ई- स्नातकोत्तर पाठशाला परियोजना की 'फोर क्वार्टेंट' पद्धति में 70 विषयों में 23500 मॉड्यूलों तथा 778 पेपर को विकसित किया है। विश्व भर में लगभग 72 लाख शिक्षार्थियों की ई- स्नातकोत्तर पाठशाला तक पहुंच है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस परियोजना (इन्फिलिबनेट ई-सामग्री) पर कुल 13,61,63,977 रुपये (तेरह करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये मात्र) का व्यय हुआ।
- शैक्षिक संस्थानों में क्रेडिट गतिशीलता के प्रावधान के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जनवरी 2019 से मई 2019 तथा जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान **स्वयं** प्लेटफार्म पर क्रमशः 58 और 43 पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। मार्च 2020 तक एक सौ चालीस (140) विश्वविद्यालयों ने **स्वयं** प्लेटफार्म के माध्यम से किए गए पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण के लिए स्वीकृति दी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान इस परियोजना (**स्वयं** के लिए एमओओसी) पर कुल 4.30 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- वर्ष 2017 में शैक्षिक संस्थानों/ बोर्डों/ पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल स्वरूप में दर्ज की गई शैक्षिक उपाधियों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका आदि) के ऑनलाइन निक्षेपागार के रूप में एनएडी को आरंभ किया गया था। यह शैक्षिक उपाधियों को 24x7 उपलब्ध कराने की ऑनलाइन पद्धति है।
- दिनांक 27 मार्च, 2020 को एनएडी की प्रगति के संबंध में आंकड़े निम्नवत हैं: कुल 1234 शिक्षा संस्थान ऑनबोर्ड हैं, 35,47,882 छात्र पंजीकृत हैं, 6,57,98,749 उपाधियां दर्ज की गई हैं और 232 सत्यापनकर्ता हैं।

10. कौशल विकास संबंधी पहल

- यूजीसी ने देश में कौशल विकास के लिए तीन योजनाएं जैसे- सामुदायिक महाविद्यालय, बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम और दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन और कुशल मानव योग्यता और जीविका उन्नयन केंद्र (कौशल) क्रियान्वित की गई हैं। इन तीनों योजनाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत आमेलित कर दिया गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान 354 संस्थानों को एनएसक्यूएफ के अंतर्गत 1241 व्यवसायों में कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
- यूजीसी द्वारा अनुमोदित सामुदायिक महाविद्यालयों की संख्या 188, बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की संख्या 289 और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों की संख्या 68 है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान सामुदायिक महाविद्यालयों को 30.25 करोड़ रुपये, बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को 47.74 करोड़ रुपये और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों को 11.78 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- यूजीसी करियर उन्मुख पाठ्यक्रमों की एक योजना चलाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें उत्तीर्ण करने वाले स्नातकों के पास ज्ञान तथा सामान्य तौर पर वेतन क्षेत्र में तथा विशेष रूप से स्वरोजगार क्षेत्र में लाभदायक रोजगार के लिए कौशल योग्यता हो। वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन ज्ञानार्जन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 को दिनांक 23 जून, 2017 को राजपत्र में अधिसूचित किया था। तत्पश्चात् प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन, तृतीय संशोधन और चतुर्थ संशोधन को क्रमशः दिनांक 11 अक्टूबर, 2017, 06 फरवरी, 2018, 06 सितम्बर, 2018 और 06 जून 2019 को अधिसूचित किया गया था।
- प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद 103 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शिक्षा वर्ष 2019-20 तथा उसके पश्चात् से मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन (ओडीएल) पद्धति से 1592 कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केवल) श्रेणीबद्ध स्वायत्ता के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण) विनियम, 2018 की श्रेणी-I के तहत 25 उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने के हकदार हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 जुलाई, 2018 को ऑनलाइन (पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया था और ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यूजीसी को 28 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन प्राप्त हुए। प्रस्तावों पर विचार करने के बाद 7 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2019-20 से ऑनलाइन पद्धति से 37 कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

12. यूजीसी – गुणवत्ता अधिदेश- शैक्षणिक गतिविधियों की पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित एक गुणवत्ता अधिदेश, छात्र प्रेरण कार्यक्रम है। यूजीसी ने दीक्षारंभ – छात्र प्रेरण कार्यक्रम दिशा- निर्देश निर्धारित किया है जिसे छात्रों में अपनेपन की भावना तथा उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता विकसित करने में उनकी मदद कर उच्च शिक्षा से महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में पारगमन को सहज रूप से आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) पर अब तक 8 क्षेत्रीय कार्यशालाएं हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयंबटूर, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और लखनऊ में आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें 1650 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 462 उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने छात्र प्रेरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है।
- छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण से लैस करने के उद्देश्य से यूजीसी के गुणवत्ता अधिदेश ने ज्ञानार्जन परिणाम आधारित पद्धति पर पाठ्यक्रम सुधार पर जोर दिया है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम संशोधन को सुगम बनाने के लिए 26 विषयों में एलओसीएफ आधारित नए पाठ्यक्रम को विकसित कर यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
- निरंतर मूल्यांकन के साथ आकलन संचालित शिक्षा को संवर्धित करते हुए वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के नवीकरण के लिए यूजीसी द्वारा मूल्यांकन सुधार प्रारंभ किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन को अधिक सार्थक बनाने और मूल्यांकन को 'ज्ञानार्जन परिणाम' तथा संस्थानिक उद्देश्यों से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार' पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शुरू की गई गुणवत्ता अधिदेश पहलों में से एक है- छात्रों को जीवन कौशल का ज्ञान प्रदान करना। जीवन कौशल पर एक पाठ्यक्रम तैयार कर 11 सितंबर 2019 को जारी किया गया जो यूजीसी की वेबसाइट (<https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html>) पर उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम के चार मॉड्यूल हैं।
- दिनांक 13 जून 2019 को आयोजित 541वीं बैठक में आयोग द्वारा भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधायी शोध योजना (स्ट्राइड) के प्रचलनात्मक दिशा- निर्देशों को अनुमोदित कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यूजीसी ब्लॉक अनुदान से स्ट्राइड के अंतर्गत चयनित संस्थानों को 11.50 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का 'गुणवत्ता अधिदेश' संकाय सदस्यों द्वारा उच्च कोटि के शोध को संवर्धित करने और नए ज्ञान का सृजन करने के महत्व को उद्धृत करता है। यूजीसी अनुमोदित जर्नलों की सूची को परिष्कृत करने और बेहतर बनाने के लिए यूजीसी ने विज्ञान, अभियांत्रिकी, तकनीकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान विधाओं में सभी अकादमिक उद्देश्यों के लिए एससीओपीयूएस और वेब ऑफ साइंस (डब्ल्यूओएस) में अनुक्रमित शोध जर्नल रिकॉर्डों पर विचार किए जाने का निर्णय लिया है।

समाज विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि विधाओं में विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त जर्नलों की सूची का सुझाव देने के लिए यूजीसी द्वारा अकादमिक और शोध नैतिकता संघ (केयर) की स्थापना की गई है।

- यूजीसी द्वारा केयर सूची के लिए जर्नल विश्लेषण का उत्तरदायित्व प्रकाशन नैतिकता केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और यूजीसी द्वारा चिह्नित चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (अब से इन्हें केयर विश्वविद्यालय कहा जाएगा) को सौंपा है। अकादमिक सत्यनिष्ठा को बढ़ाने और यूजीसी की पहलों को प्रसारित करने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2019 को आईआईएसईआर, पुणे और चार क्षेत्रीय केयर केंद्रों – हैदराबाद विश्वविद्यालय, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर में “शोध सत्यनिष्ठा जागरूकता कार्यशालाओं” का आयोजन किया गया।
- यूजीसी द्वारा सभी नए भर्ती शिक्षकों के लिए संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) विकसित किया गया है। एफआईपी का उद्देश्य शिक्षकों को संरचना, क्रियाविधि, नियमों, विनियमों आदि से अवगत कराना है। शिक्षक प्रेरण कार्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 640 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। शिक्षक प्रेरण कार्यक्रम के लिए दिशा- निर्देश, ‘गुरु दक्षता’ को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2019 को जारी किया गया।
- यूजीसी द्वारा उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को संवर्धित करने के लिए “परामर्श” – एनएएसी प्रत्यायन आकांक्षी संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नई पहल योजना क्रियान्वित की गई है। यूजीसी द्वारा 167 मार्गदर्शक संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जो 936 चिह्नित संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान मार्गदर्शक संस्थानों के लिए 22.15 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- यूजीसी द्वारा एक नीति ढांचा – “मूल्य प्रवाह – उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्निवेशन संबंधी दिशा – निर्देश” विकसित किया गया है। सतत विकास के प्रति उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की भागीदारी को संवर्धित और सुनिश्चित करने के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप भारत में पर्यावरण के अनुकूल तथा सतत विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक ढांचा विकसित किया गया है। यूजीसी का विश्वास है कि यह पहल एक अधिक सतत और पर्यावरण के प्रति सजग राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम साबित होगी।
- स्थायी विकास के प्रति उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की भागीदारी को संवर्धित और सुनिश्चित करने के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप भारत में पर्यावरण के अनुकूल तथा स्थायी विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक ढांचा विकसित किया गया है।
- यूजीसी द्वारा इसके गुणवत्ता अधिदेश के अंतर्गत कई पहल की गई हैं जिनमें से एक ‘प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और औद्योगिक संबंध’ से संबंधित है। यूजीसी ने “विश्वविद्यालय जुड़ाव कार्यक्रम को सक्षम बनाने और बढ़ाने” संबंधी रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया था।
- “छात्र करियर उन्नयन तथा पूर्व छात्र नेटवर्क” पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए यूजीसी द्वारा एक कार्य बल गठित किया गया था जिससे पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद छात्रों के करियर उन्नयन की जानकारी रखी जा सके।

वर्ष 2019-20 के प्रमुख कार्यकलापों की झलकियां

यूजीसी तथा जर्मन अकादमिक आदान-प्रदान सेवा (डीएएडी) के मध्य उच्चतर शिक्षा में भारतीय- जर्मन भागीदारी (आईजीपी) के नवीनीकरण के लिए दिनांक 01 नवंबर 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



बाएं से दाएं : (खड़े हुए) जर्मनी की माननीय शिक्षा और शोध मंत्री श्रीमती अंजा कार्लिकेजक; माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'; माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे; (बैठे हुए) जर्मन अकादमिक आदान-प्रदान सेवा (डीएएडी) के उपाध्यक्ष प्रो. जोयब्रतो मुखर्जी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो. डी.पी. सिंह।

आईयूएसी, नई दिल्ली में दिनांक 21 और 22 जनवरी 2020 को भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक दायित्व और सामुदायिक वचनबंधता के प्रोत्साहन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन



प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा उद्घाटन भाषण। बाएं से दाएं बैठे हुए : डॉ. रेणु बत्रा, अपर सचिव, यूजीसी; रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी; प्रो. अविनाश चंद्र पांडेय, निदेशक, आईयूएसी; प्रो. के.के. अग्रवाल, अध्यक्ष, एनबीए; प्रो. जगत भूषण नड्डा, निदेशक, सीईसी तथा प्रो. वीरेंद्र के. विजय, राष्ट्रीय संयोजक, यूबीए, आईआईटी- दिल्ली।

विश्वविद्यालयों में योग और योग विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के बारे में आईयूएसी- योग विज्ञान द्वारा अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली में दिनांक 23 जनवरी 2020 को एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन



बाएं से दाएं : प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'; डॉ. एच आर नागेंद्र, कुलपति, एस- व्यास; प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी तथा प्रो. अविनाश चंद्र पांडेय, निदेशक, आईयूएसी।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता अधिदेश के 5 स्तंभों को समाहित करने वाले 5 दस्तावेजों का 26 दिसंबर 2019 को लोकार्पण किया गया



केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा गुणवत्ता अधिदेश के 5 स्तंभों (मूल्यांकन सुधार, पर्यावरण के अनुकूल तथा स्थायी विश्वविद्यालय परिसर, मानव मूल्य और व्यावसायिक नैतिकता, संकाय प्रेरण तथा अकादमिक शोध सत्यनिष्ठा) को समाहित करने वाले यूजीसी द्वारा विकसित 5 दस्तावेजों का नई दिल्ली में लोकार्पण किया गया।



राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटो



बाएं से दाएं : प्रो. अविनाश चंद्र पांडेय, निदेशक, आईयूएसी; प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'; डॉ. एच आर नागेंद्र, कुलपति, एस- व्यास तथा प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी।

नई दिल्ली में दिनांक 30 जनवरी 2020 को यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू)



श्रीमती ऑड्रे अजोउले, महानिदेशक, यूनेस्को दिनांक 04 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' से मिलते हुए। श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और प्रो. डी. पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति।

यूजीसी द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 11 फरवरी 2020 को रैगिंग रोधी विषय पर राष्ट्रीय फिल्म, नारा, पोस्टर और प्रतीक चिह्न निर्माण प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन



बाएं से दाएं : प्रो. राजेंद्र काचरु; डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यूजीसी; प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, यूजीसी; श्री पी.के. ठाकुर, वित्तीय सलाहकार, यूजीसी तथा डॉ. देव स्वरूप, अपर सचिव, यूजीसी पुरस्कार विजेताओं के साथ

यूकेआईईआरआई के तत्वावधान में यूजीसी तथा ब्रिटिश काउंसिल की संयुक्त पहल – 'प्रशासकों के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम' का दिनांक 26 फरवरी 2020 को शुभारंभ



'प्रशासकों के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' तथा श्रीमती बारबारा विखैम ओबीई, निदेशक, भारतीय ब्रिटिश काउंसिल। श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग; प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी; डॉ. मंजू सिंह, संयुक्त सचिव, यूजीसी; श्रीमती नीता प्रसाद, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी और ब्रिटिश काउंसिल के अन्य अधिकारीगण साथ में हैं।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा शास्त्री भवन, नई दिल्ली में दिनांक 10 फरवरी, 2020 को अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) के संदृश्य दस्तावेज का लोकार्पण किया गया।



माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षण केंद्र (आईयूसीटीई), बीएचयू, वाराणसी का संदृश्य दस्तावेज जारी करते हुए। इस अवसर पर श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग; प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सक्षम पोर्टल का शुभारंभ



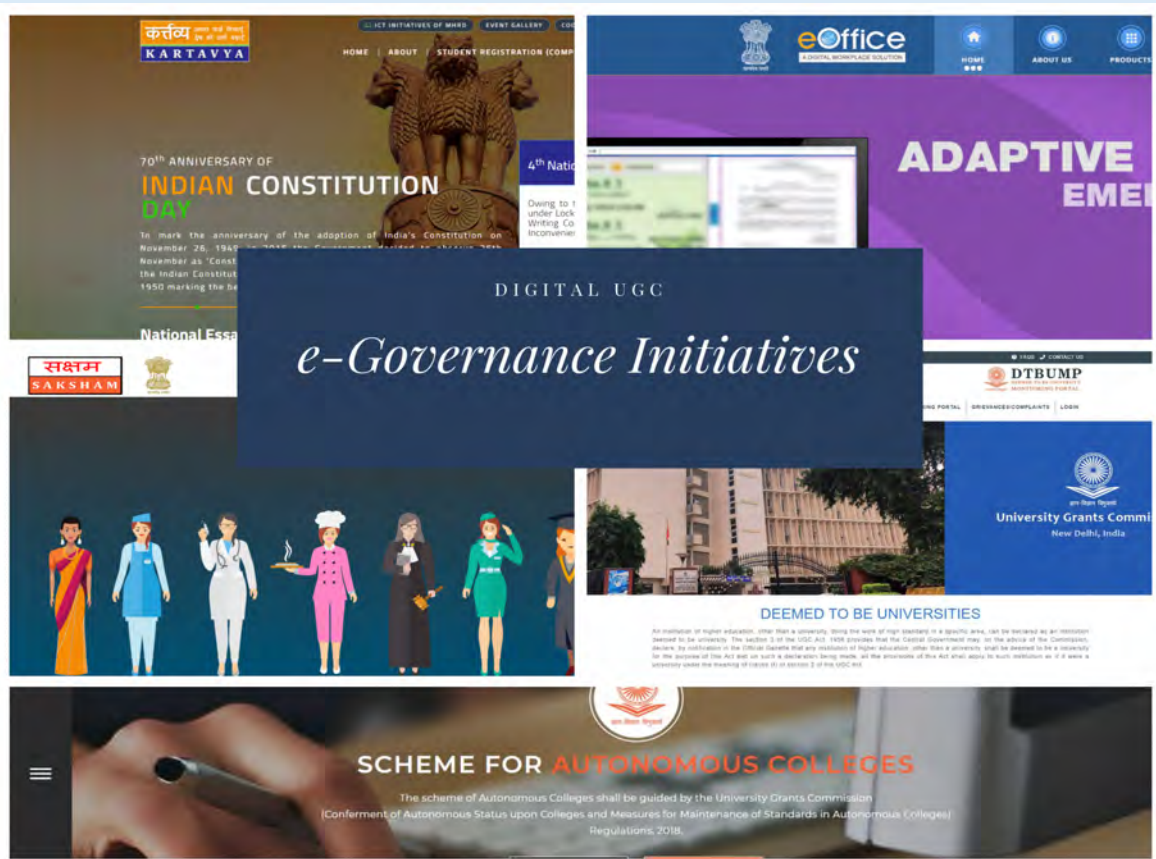
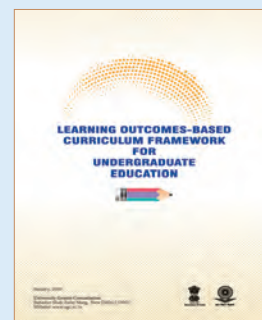
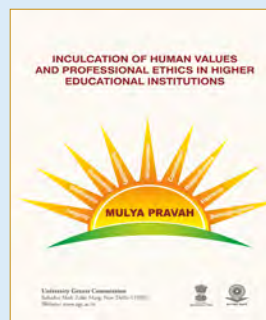
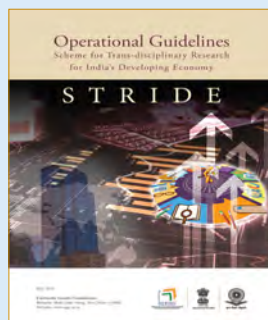
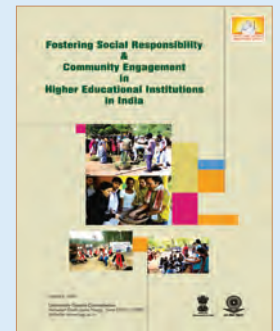
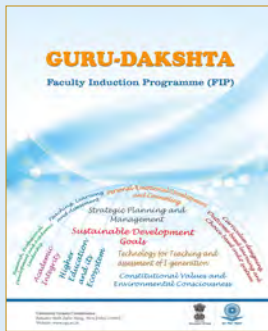
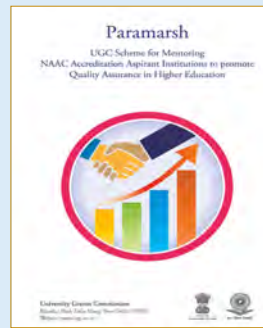
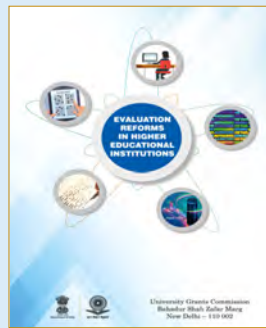
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विकसित सक्षम पोर्टल का दिनांक 06 मार्च 2020 को शुभारंभ किया गया जिसका लक्ष्य विद्यमान अवसरों और पहलों, सहायता तथा शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।

नई दिल्ली में दिनांक 06 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 का आयोजन



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 के अवसर पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा दिनांक 06 मार्च 2020 को नई दिल्ली में दिल्ली के महाविद्यालयों की महिला प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रो. डी.पी. सिंह, अध्यक्ष, यूजीसी; प्रो. रजनीश जैन, सचिव, यूजीसी और डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यूजीसी भी मौजूद थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन



► प्रस्तावना

- ❖ 1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
- ❖ 1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
- ❖ 1.3 प्रकाशन
- ❖ 1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त
- ❖ 1.5 केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)
- ❖ 1.6 आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- ❖ 1.7 विशेष कार्यकलाप/पहल

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने व मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनियम भी तैयार करता है।
- उच्चतर शिक्षा के बहु-आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किए हैं तथा कार्यान्वित किए हैं।

1.1(i) संगठनात्मक ढांचा: आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

- 1). जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हों,
- 2). जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हो, अथवा
- 3). जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

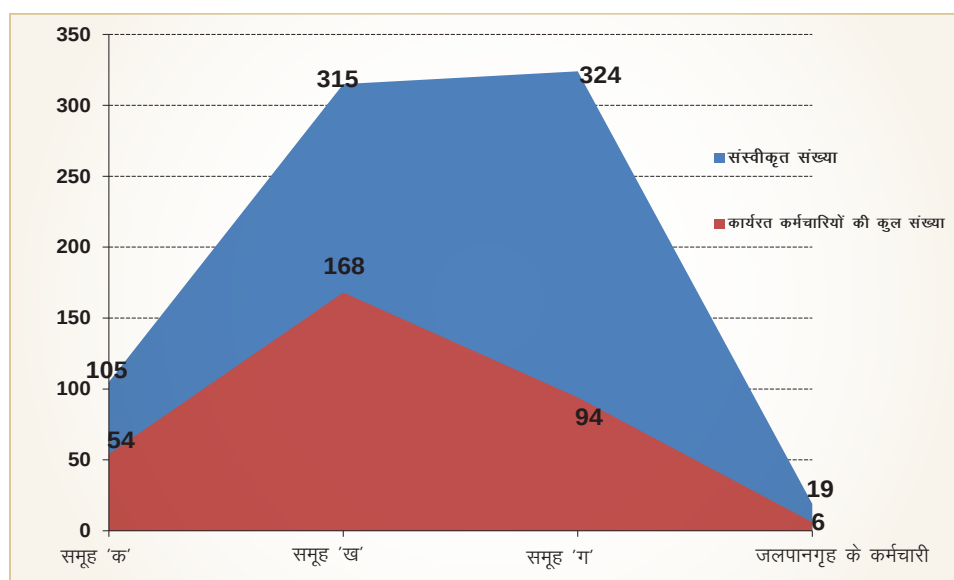
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:-

समूह	स्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से		
			महिलाओं (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
समूह 'क'	105	54	28	10	3
		51.43%	51.85%	18.52%	5.56%
समूह 'ख'	315	168	72	44	10
		53.33%	42.86%	26.19%	5.95%
समूह 'ग'	324	94	6	32	6
		29.01%	6.38%	34.04%	6.38%
जलपान गृह	19	6	शून्य	2	शून्य
		31.58%		33.33%	
कुल	763	322	106	88	19
		42.20%	32.92%	27.33%	5.90%

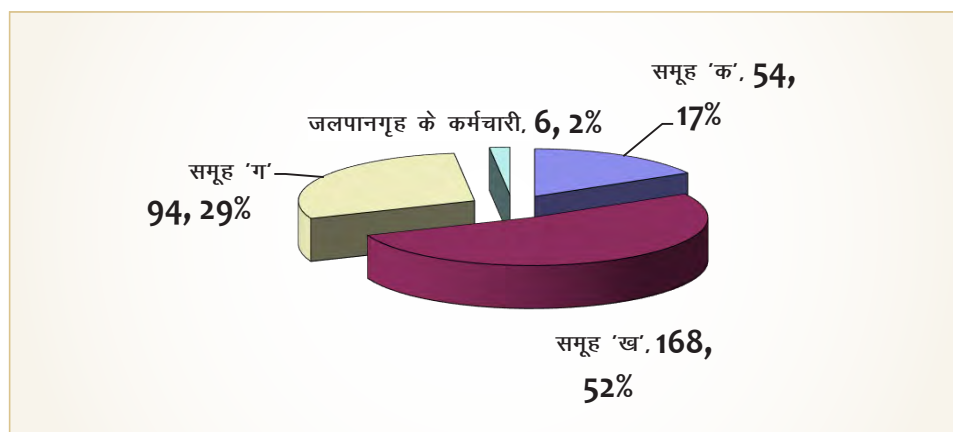
क्षेत्रीय कार्यालय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलूरु में छह क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली में शाखा कार्यालय स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य के महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
1.	दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और तेलंगाना ।
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा , दादर और नगर हवेली, दमन और दीव
3.	केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ), गुवाहाटी	असम , मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम।
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा , सिक्किम , झारखंड
6.	दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बैंगलोर	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ , हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लदाख

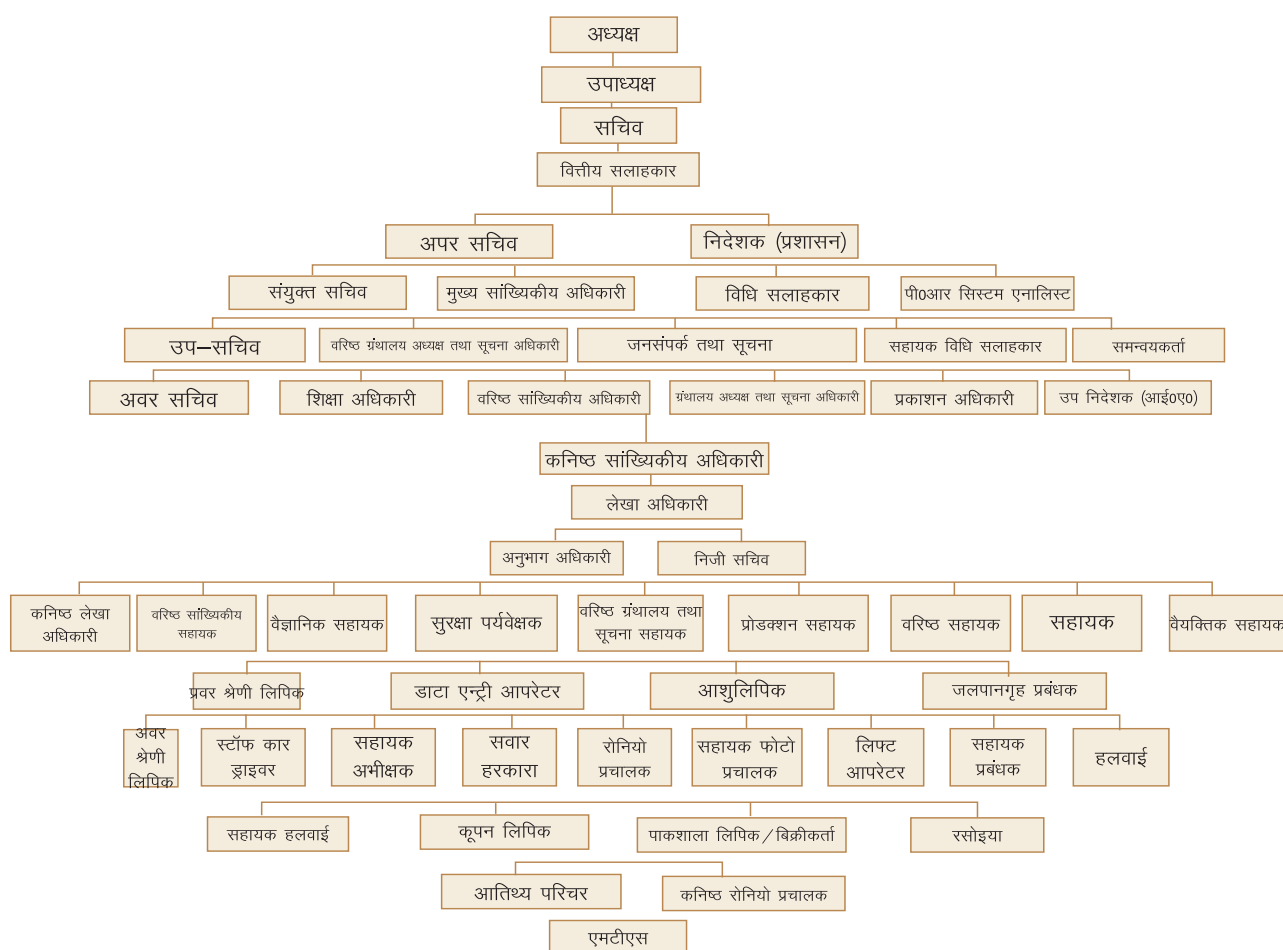
रेखाचित्र 1.1(i) वर्ष 2019-20 के दौरान आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा मौजूदा संख्या



रेखाचित्र 1.1(प) वर्ष 2019-20 के दौरान आयोग के कर्मचारियों की स्तरवार मौजूदा संख्या



1.1(घ) संगठनात्मक चित्र



1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.2(i) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0आई0ए0) के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें

केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 18 अपीलीय प्राधिकारी तथा 48 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/ अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा-जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 18,380 आवेदन प्राप्त हुए तथा 11,468 आवेदनों का निपटान किया गया तथा 2461 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1507 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 35,786/- रुपये रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 22,278/- रुपये रहा।

1.2(ii) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने के साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गों अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में विश्वविद्यालयों को जानकारी दी गई:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा हितधारकों से विभिन्न मामलों पर अनेक प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिसके लिए वेतनमान अनुभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2010 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों का रखरखाव करने के लिए उपाय) विनियमन, 2018 के अनुसार कैरियर उन्नत योजना के तहत पिछली सेवाओं की पदोन्नति और गणना के बारे में 27 फरवरी, 2020 को पत्र सं 17-7/2013 (पीएस/विविध) पार्ट फा. जारी किया गया।
2. तारा के. साइमन बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और ओआरएस द्वारा प्रस्तुत 2018 के डब्ल्यूपी संख्या 28807 के मामले में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के बारे में दिनांक 12 मार्च, 2020 को अर्ध.शा.फा.सं 18-33(केरल)/2018(एल) जारी की गई है।
3. उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) में प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविदों / अधिकारियों को नियुक्त करने के दिशानिर्देशों के बारे में 3 जून, 2019 को अर्ध. शास. फा. सं. 9-1/20(पीएस/विविध) पार्ट खंड II जारी की गई है।
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में यथा उपबंधित प्रावधानों में विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रो० आर० पी० तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने विनियम, 2018 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष के विधिवत् अनुमोदन के पश्चात्, उसे अनुमोदन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेजा गया है।

5. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.फिल./पी.एच.डी. विनियम, 2016 पर पुनर्विचार करने के लिए प्रो० बलराम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

1.2(iii) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यों पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को आगे निम्नवत सुनिश्चित करना होता है:

- संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना।
- (i) परिसंपत्तियों और अधिग्रहणों के विवरण (ii) उपहारों (iii) निजी फर्मों में नियोजित या निजी व्यवसाय करने वाले रिश्तेदारों (iv) बेनामी लेनदेन करने वाले सत्यनिष्ठा से संबंधित आचरण नियमों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करना।
- संवेदनशील पदों की अवस्थिति, ऐसे पदों का नियमित और अचानक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की उपयुक्त छानबीन।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदानों के आवंटन और संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए निवारक उपायों को आरंभ करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया, जिसमें एक व्याख्यान का आयोजन, “सत्यनिष्ठा— जीवन का एक तरीका” पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और वाद-विवाद का आयोजन किया और सीवीसी द्वारा इंगित विषय में किसी भी विषय पर व्याख्यान देने के लिए सीवीसी से कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी को आमंत्रित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों के लिए संवेदनीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें प्रतिज्ञा दिलाकर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए और उस अवधि के दौरान पर्चे बांटे।

सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया। सतर्कता प्रकोष्ठ को इस संबंध में विश्वविद्यालयों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

वर्ष 2019-20 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 03, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 7, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 10 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई 10 शिकायतें, विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से 46 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो के पास भेज दिया गया है। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने के लिए कतिपय मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ, शिकायतों पर जांच के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्रशासनिक ब्यूरो को परामर्श देता है। शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्टों को सीवीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी भेजा गया था।

इसके अलावा, सतर्कता प्रकोष्ठ में 22 आरटीआई आवेदन भी प्राप्त हुए थे और इनका समय से उत्तर भेजा गया था।

1.2(iv) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ, देशभर में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि के समक्ष दायर किए गए विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ, न्यायालय में डाले गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशभर में अन्य न्यायिक निकायों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत ‘स्थायी काउंसिल’/ ‘पेनल के अधिवक्ताओं’ के बीच समन्वय करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक राय भी देता है।

वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/पेशेवर नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं।

1.2 (v) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त उच्चतर शिक्षा से संबंधित संसद प्रश्नों के उत्तरों का समन्वय करता है।

2019-2020 के दौरान लोक सभा / राज्य सभा के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान 801 संसद प्रश्न प्राप्त हुए और उनका उत्तर दिया गया, जिसमें से 49 तारांकित प्रश्न थे।

1.2 (vi) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी) देश में नकली या गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अस्तित्व/कामकाज से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहा है, जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में स्थापित/पुरस्कृत डिग्री प्रदान कर रहे। इन्हें राज्य अधिनियम अथवा केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या विशेष रूप से डिग्री प्रदान करने या देने के लिए शक्ति प्राप्त संस्थान के अधीन स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार, फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in पर विवरण उपलब्ध हैं।

एएमपीसी का मूल उद्देश्य जनता/छात्रों/अभिभावकों आदि से प्राप्त गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की शिकायतों की जांच करना और प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से उसे एकत्र करना और ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करना है।

2019- 2020 के दौरान शुरू किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:

1. सूची में एक फर्जी विश्वविद्यालय को शामिल करना:

- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, # 32-23-2003, 7 वीं लेन, काकुमनुवेरिटोटा, गुंटूर, आंध्र प्रदेश -522002 या # फ्लैट नम्बर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट, 7/5, श्रीनगर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश- 52002

2. निम्नलिखित संस्थान की अमान्यता प्राप्त स्थिति के बारे में यूजीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना अपलोड करना:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, बी -1/1, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058

3. निम्नलिखित अनुमोदित न किए गए संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए:

- (i) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, बी -1/1, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
- (ii) नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट (NAEMD), लॉर्ड्स यूनिवर्सल टोपीवाला मार्ग, ऑफ स्टेशन रोड, गोरेगांव, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र -400104
- (iii) राष्ट्रीय खेल प्रबंधन अकादमी (एनएएसएम), एन.के. कॉलेज, रोड नंबर 1, भविष्य भारत कैंपस, ऑफ एस. वी. रोड, मलाड वेस्ट, मुंबई -400064
- (iv) राष्ट्रीय फिल्म अकादमी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन (NAFMC), राष्ट्रीय अकादमी कैंपस, रेलवे स्टेशन के पास फिल्का बिल्डिंग, दफ्तरी रोड, मलाड (ई), मुंबई -97।

(v) क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, फ्लैट नंबर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट 7/5 श्रीनगर, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)

4. निम्नलिखित अनुमोदित न किए गए संस्थानों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए:

- (i) अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तीसरी मंजिल निपान भवन, बत्तुक भाई ज्वेलर्स के सामने, डब्ल्यूएचसी रोड, धरमपेट, नागपुर, महाराष्ट्र -440010
- (ii) राजीव गांधी प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, फ्लैट नंबर बी -2 श्रीनिवास अपार्टमेंट वोडाफोन गैलेरी के पास, वीएनआईटी कॉलेज रोड, बजाज नगर, नागपुर, महाराष्ट्र -44010
- (iii) उच्चतर शिक्षा ईशान संस्थान ईशान शिक्षा और कल्याण सोसायटी, कीरतपुर मंडावर रोड बस स्टैंड के पास, बसी कीरतपुर, बिजनौर, (उ.प्र.) -246731 की एक इकाई है।
- (iv) अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन व प्रौद्योगिकी संस्थान, प्लॉट नंबर 1447, वाटर टैंक के पास, जुबकेट नर्सिंग होम के पीछे, न्यू नंदनवन, नागपुर -440009
- (v) हिंदुस्तान सर्व विद्यापीठ (एक निजी स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय), 9/5 सीडी कॉम्प्लेक्स, भवानी मेन रोड, जिला-इरोड, पेरुन्दुरई -638052
- (vi) शाइन विश्वविद्यालय (उद्योग एकीकृत संस्थान), जेजे कॉम्प्लेक्स, टीएनएससीबी बिल्डिंग, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600040
- (vii) दिल्ली व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, एच -3/264, तीसरी मंजिल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली -110089
- (viii) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, 80, नव-जागृति अपार्टमेंट, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली -110001
- (ix) भारती वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन, नंबर 17, सिद्धार्थ कुर्जी सेक्टर -7, द्वारका नई दिल्ली -110077
- (x) जीवा थियोलॉजिकल ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 126/13, 5 वीं गली, कालाग्नेर नगर, कोविलपधगाई, अवाडी, चेन्नई -600062
- (xi) वैकल्पिक दवाओं के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय वैकल्पिक औषधि बोर्ड, 60, मेला चेट्टी स्ट्रीट, कुट्टालम -609801
- (xii) भारतीय प्रबंधन अकादमी/सीआईएचएफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, यूबी हाउस, जी 26 चंद्रोदय सोसायटी, गोल्डन त्रिऐंगल स्टेडियम रोड के सामने, एमबी हाउस के पास, नवरंगपुर, अहमदाबाद -380014
- (xiii) ग्लोबल त्रियम्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सेंटर प्वाइंट नंबर 303. तीसरी मंजिल, नंबर 56 रेजिडेंसी रोड, बैंगलोर -560025

5. जनता/छात्रों को विश्वविद्यालयों/संस्थान की अमान्यता प्राप्त स्थिति से अवगत कराने के लिए और ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश नहीं लेने के लिए उन्हें चेतावनी देने हेतु यूजीसी की वेबसाइट के माध्यम से और प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए।

1.2 (vii) कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की “कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न” पर एक आंतरिक समिति है।

समिति के व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। यूजीसी हेड क्वार्टर और क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य स्वागत कक्ष पर नोटिस लगाए गए हैं। जनता की सामान्य जागरूकता के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर टेलीफोन नंबरों के साथ समिति का संविधान अपलोड किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान यूजीसी की आंतरिक शिकायत समिति को किसी नये मामले की सूचना नहीं दी गई थी।

1.2 (viii) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ(एंटी-रैगिंग सेल)

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने और भारत को एक रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम में पूरे देश को शामिल किया गया है। (i) कॉलेज के अधिकारियों, माता-पिता और छात्रों के बीच बेहतर बातचीत (ii) विनियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी और (iii) सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाकर रोकथाम की जाती है। इस कार्यक्रम में छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र का भी प्रावधान है।

2. सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई की सुविधा के अलावा, रैगिंग से पीड़ितों की मदद के लिए कॉल सेंटर की सुविधाओं के साथ यूजीसी द्वारा 12 भाषाओं में एक एंटी-रैगिंग टोल फ्री “हेल्पलाइन” 1800-180-5522 को चालू किया गया है। शिकायतें helpline@antiragging.in पर ईमेल के जरिए भी दर्ज की जा सकती है।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित 215 कथित रैगिंग के मामले प्राप्त हुए। 2019-20 के दौरान कुल 158 मामले यूजीसी द्वारा बंद किए गए थे। यूजीसी ने संबंधित संस्थानों के संज्ञान में 215 शिकायतें लाई और इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्रवाई करने के लिए अनुस्मारकों के माध्यम से सख्ती से उनका पालन किया।
4. भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की संस्थाओं में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए 11 वीं आंतरिक परिषद् समिति (इंटर काउंसिल कमेटी) 27.05.2019 को आयोजित की गई थी। आंतरिक परिषद् समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में धमकाने के खतरे को रोकने के लिए मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा एक उप-समिति बनाई जाएगी।
5. भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की संस्थाओं में रैगिंग रोधी उपायों की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए 12 वीं आंतरिक परिषद् समिति 31 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी। यूजीसी ने बैठक में समिति के सदस्यों / परिषदों को लॉगिन प्रत्यय पत्र सौंपे, ताकि वे अपनी परिषदों से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट antiragging.in पर उनकी शिकायतों की जांच करके तदनुसार कार्रवाई कर सकें। यूजीसी ने सभी परिषदों से रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया।
6. यूजीसी ने प्रोफेसर राज काचरु, संस्थापक ट्रस्टी (अमन सत्य काचरु ट्रस्ट) की 31 जून, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निगरानी एजेंसी (एनजीओ) के रूप में उनकी कार्यावधि बढ़ा दी है।
7. यूजीसी रैगिंग की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श आयोजित करने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में वर्ष में दो बार परिपत्र जारी करता है।
8. आगे के एक कदम के रूप में, यूजीसी ने छात्रों के बीच रैगिंग पर जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता शुरू की थी। इस पुरस्कार समारोह का उद्देश्य छात्रों / शिक्षकों को कॉलेज / विश्वविद्यालय के वातावरण में रैगिंग रोधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रतियोगिता में कुल 161 लघु फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं और इन फिल्मों में से शीर्ष 10 फिल्मों को पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार देने के लिए समिति द्वारा चुना गया था।

विजेताओं की सूची और मूल्य सामग्री

यूजीसी द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता के प्रत्युत्तर में, कुल 161 लघु फिल्मों की प्रविष्टियां प्राप्त हुईं और इन फिल्मों में से निम्नलिखित 10 शीर्ष फिल्मों को पुरस्कार देने के लिए समिति द्वारा चुना गया।

क्रम सं.	फिल्म नम्बर	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान/छात्र	प्रतिनिधि	इनाम
1	5	सिम्बायोसिस अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, इंदौर	डॉ सुबाष चंद्र आर्य	- एक स्मृति चिन्ह। - भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक 'माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन'। - एक अच्छी गुणवत्ता वाला पार्कर पेन सेट। - एक रैगिंग-रोधी टी-शर्ट। - प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को एक प्रमाण पत्र शीर्ष दस लघु फिल्मों में से प्रत्येक को 1.00 लाख लाख रुपये
2	7	सिम्बायोसिस अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, इंदौर	श्री प्रांजल सिंह	
3	10	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, असम	श्री कृपासिंधु बोरदोलोई	
4	18	शोभित विश्वविद्यालय, सहारनपुर	श्री मोहित कुमार	
5	29	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	श्री सोपतीक गराय	
6	32	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर	डॉ राजीव शुक्ला	
7	33	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर	डॉ रियाज हसन	
8	45	मणिपाल विश्वविद्यालय, कर्नाटक	श्री सुहास शेनॉय	
9	47	येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलुरु	डॉ इमरान पाशा	
10	76	सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, महाराष्ट्र	सुश्री श्रद्धा मजुमदार	

इसके अलावा, यह वर्तमान समिति के ध्यान में भी लाया गया था कि स्लोगन लेखन, पोस्टर मेकिंग और लोगो डिजाइनिंग की पिछली प्रतियोगिता में, आठ प्रतिभागियों का चयन किया गया था और पुरस्कार वितरण भी होने वाला है। यह देखा गया कि निधियां उपलब्ध हैं और समिति ने यह भी सिफारिश की कि पुरस्कार इन विजेताओं को भी दिया जाना चाहिए। यूजीसी को इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी:

1. पोस्टर	—	107
2. लोगो	—	75
3. नारा	—	120

इन प्रविष्टियों में से, समिति ने 12 पोस्टर, 07 लोगो और 13 स्लोगन को शॉर्टलिस्ट किया। समिति द्वारा लघु सूचीबद्ध प्रविष्टियों को अंतिम रूप दिया गया था और पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार देने के लिए इन प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित प्रविष्टियों का चयन किया गया था।

क्रसं.	नाम	वर्ग	श्रेणी	इनाम
1.	मीना कंडारी चौहान meenakandarichauhan@gmail.com	नारा	1	- एक स्मृति चिन्ह। - भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक 'माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन'। - एक अच्छी गुणवत्ता वाला पार्कर पेन सेट। - एक रैगिंग-रोधी टी-शर्ट। - प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को एक प्रमाण पत्र। - आठ विजेताओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये
2.	नवनीत प्रिय navneetpriye@india.com	नारा	2	
3.	बी. श्रीनिवास राव bbvas@rediffmail.com	नारा	3	
4.	मुतासिफ हुसैन mutasifkhan@gmail.com	प्रतीक चिन्ह	1	
5.	साहिल बंसल Sahilbansal1896@gmail.com	प्रतीक चिन्ह	2	
6.	लिपि अग्रवाल Lipi.agrawal10@gmail.com	पोस्टर	1	
7.	योगीराज बिमशंकर बोधे Ybodhe@yahoo.com	पोस्टर	2	
8.	डॉ. जयश्री वेंकटेश Venkatesh.jayashree@gmail.com	पोस्टर	3	

आवंटित अनुदान	i. लाभार्थी	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2019-20 के दौरान कुल लाभार्थियों के लिए अनुदान।	i. अमन सत्यकचरू ट्रस्ट, रैगिंग के उन्मूलन के लिए अमन आंदोलन, 689, सेक्टर 23, गुडगांव (हरियाणा)।	50,92,440/-
	मेसर्स सिरैक्सइन्फोसर्विसेज इंडिया प्रा.लिमिटेड जे-1, उद्योग नगर, डीडी मोटर्स के पास, रोहतक रोड, पीरगढ़ी, नई दिल्ली।	1,36,67,081/-
	iii. रैगिंग-रोधी उपायों पर मीडिया प्रचार अभियान। इस अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू किया गया था। निम्नलिखित एजेंसियों के लिए स्वीकृत राशि:	10,64,991/-
	- एनएफडीसी के माध्यम से मीडिया अभियान। - रैगिंग-रोधी पर पोस्टर, लोगो और स्लोगन प्रतियोगिता के 06 विजेताओं को पुरस्कार राशि। - रैगिंग-रोधी पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता के 10 विजेताओं को पुरस्कार राशि।	4,991/- 60,000/- 10,00,000/-
योजना/कार्यक्रम के संदर्भ में 2019-20 के दौरान आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय/संकल्प।	यूजीसी ने यूजीसी परिसर में एंटी रैगिंग कॉल सेंटर को स्थल देने का फैसला किया है। हमारे भवन में कॉल सेंटर होने से, हम नियमित आधार पर हेल्पलाइन के काम की निगरानी / देखरेख कर सकते हैं। इस कॉल सेंटर का विस्तार अन्य मुद्दों जैसे छात्र शिकायत निवारण, बालिका छात्र हेल्पलाइन, नस्लीय भेदभाव और जाति आधारित भेदभाव के लिए किया जा सकता है। इससे आवर्ती आधार पर लाखों रुपये की बचत होगी क्योंकि हमें हेल्पलाइन एजेंसी को कुल मासिक वेतन का 49.50% @ कमीशन शुल्क देना होगा।	
रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए योजना/योजनाओं की कोई भी प्रासंगिक तस्वीरें प्रदान की जाये।	यूजीसी ने एमएचआरडी को मूल यूजीसी जमा किया था और एमएचआरडी ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने के लिए एंटी रैगिंग मीडिया अभियान के लिए यूजीसी को 5.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए जल्द ही किया जाएगा, जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।	

1.2 (ix) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ

यूजीसी खातों के बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता को देखते हुए महानिदेशक लेखा परीक्षा और राजस्व की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मई, 1995 में आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष की स्थापना की गई थी। तब से, यह उप निदेशक की अध्यक्षता में इस कार्यालय में कार्य किया जा रहा है जिसको भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होने वाले लेखा परीक्षा / कनिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह कक्ष विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर यूजीसी द्वारा स्थापित यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की लेखा परीक्षा भी आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ यूजीसी को यूजीसी के विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान मामलों की पूर्व लेखा परीक्षा, जीपीएफ / सीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों, वेतन निर्धारण, अनुबंध दस्तावेजों और समय-समय पर सौंपे गए अन्य मामलों के साथ-साथ खातों की पोस्ट लेखा-परीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्ट्रारों की जांच परीक्षा का कार्य भी सौंपा गया है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा के उत्तर के संबंध में विभिन्न संबंधित निकायों के साथ समन्वय करने और सांविधिक लेखा परीक्षा में की गई आपत्तियों की मंजूरी, अनुसरण / निपटान, लेखा परीक्षा निरीक्षण कार्य तथा विश्वविद्यालयों और अन्य लाभकारी संस्थाओं को जारी निधियों के उपयोग के सत्यापन का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.2 (x) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ/लिंग चैंपियन

लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

शून्य सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने लिंग संवेदनशीलता के लिए परिसरों और कार्यक्रमों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, कार्यस्थल अधिनियम 2013 में विशाखा दिशानिर्देश और यौन उत्पीड़न का अनुसरण करते हुए, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसरों को लिंग भेदभाव और किसी भी तरह के उत्पीड़न से मुक्त बनाने के लिए अध्ययन और सिफारिश हेतु एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया था। यूजीसी ने यूजीसी (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानना है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के परिसरों में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण होना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। उच्चतर शिक्षा संस्थान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा की उपयुक्त फूलप्रूफ प्रणाली और अभेद्य मानकों को लागू करके स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बेहतर पद्धतियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देने में मुख्य तथ्य यह है कि परिसरों पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों का सतत रूप से निपटारा किया जा सकेगा। इस संबंध में, यूजीसी ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया।

- लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और उनके संबंधित संस्थानों में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि विश्वविद्यालय में गठित आईसीसी यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध तथा निवारण) के नियमन, 2015 के अनुसार काम कर रहा है।
- सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित नए विनियमों के प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए।
- परिसर में सभी स्थानों और सुविधाओं पर सभी महिलाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
- महिलाओं से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण और यूजीसी छात्र यौन उत्पीड़न पर शिकायत निवारण पोर्टल की सुविधा प्रदान करना।
- महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए सभी संबंधितों को मुख्य रूप से टोल फ्री नंबर: 1800-111-656 प्रदर्शित और सूचित करना।

01/04/2019 से 31/03/2020 के दौरान यौन उत्पीड़न के मामलों पर वार्षिक रिटर्न की समेकित स्थिति रिपोर्ट

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	पंजीकृत यौन उत्पीड़न मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	90 से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशालाओं की संख्या	गठित या अगठित आंतरिक शिकायत समिति
विश्वविद्यालय	245	229	47	477	हां
महाविद्यालय	54	47	5	454	हां

(₹ 2019 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त सूचना)

लिंग चैंपियन

युवा किशोर और चैंपियन किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने और उनके परिसर में लड़कियों और उनके अधिकारों को महत्व देने वाले सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बनाने के उद्देश्य से और जिम्मेदार नेताओं का चयन करने, जो एकीकृत और अंतःविषय दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करेंगे और लिंग के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्माण को समझने के लिए समाज में महिलाओं और पुरुषों के अनुभव को आकार देते हुए, यूजीसी ने इसे लागू करने के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों ने यह उत्तर दिया है कि वे सचिव के पत्र के जवाब में शैक्षिक संस्थानों में जेंडर चैंपियंस की दिशा निर्देशों को लागू कर रहे हैं, उसे यूजीसी ने 2019-20 के लिए सभी विद्यालयों को भेजा है।

संस्थान	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या		चुने गए अध्यापकों की संख्या	कार्यान्वित/आरंभ की गई
	लड़के	लड़कियां		
विश्वविद्यालय	61	78	20	कार्यान्वित की गई
महाविद्यालय	133	142	34	

1.2 (xi) लोक शिकायत प्रकोष्ठ

यूजीसी के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को एमएचआरडी के माध्यम से हार्डकॉपी के रूप में सभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऑफलाइन प्राप्त शिकायत को डायरी किया जाता है और उसे यूजीसी के संबंधित ब्यूरो अध्यक्षों को अग्रेषित किया जाता है। वे एमएचआरडी / याचिकाकर्ता को सीधे जवाब देते हैं। ऑनलाइन शिकायतों को पोर्टल में संबंधित ब्यूरो द्वारा निपटाया जाता है।

1.3 प्रकाशन

प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकाशनों जैसे यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खाता, विभिन्न योजनाओं के लिए दिशानिर्देश / कार्यक्रम, उच्चतर शिक्षा में लागू किए जा रहे कार्यक्रम, यूजीसी अधिनियम, यूजीसी सम्मेलन की रिपोर्ट, समिति की रिपोर्ट, विवरणिका और पत्रक को प्रकाशित कर रहा है।

1. UKIERI Pamphlet- UK-India Education and Research Initiative - Higher Education Leadership Development Programme for Administrators 2. STRIDE- Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy 3. SATAT-Framework work for Eco-Friendly and Sustainable Campus Development in Higher Educational Institutions 4. सतत 5.CARE- Consortium for Academic Research and Ethics 6. शैक्षिक और शोध आचार नीति सह-संघ 7. Evaluation Reforms in higher Educational Institutions 8. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार 9. Guru Dakshata- Faculty Induction Programme (FIP) 10. शिक्षण प्रेरण कार्यक्रम (गुरु दक्षता- एफआइपी) 11. Deeksharambh- Student Induction Programme (SIP) 12. दीक्षारंभ -छात्र प्रेरण कार्यक्रम (एसआइपी) 13. Curriculum For Life Skills (Jeevan Kaushal) 14. जीवन कौशल हेतु पाठ्यक्रम 15. Paramarsh-UGC scheme for mentoring NAAC Accredited Aspirant Institutions to promote Quality Assurance in Higher Education 16. परामर्श 17. Quality Mandate 18. Mulya Parvah- Inculcation of Human Values and Professional Ethics in Higher Educational Institutions, 19. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्य एवं व्यावसायिक आचार नीति(मूल्य प्रवाह) 20. Learning Outcomes-Based Curriculum Framework for Undergraduate Education 21. Governance in Higher Education : Hand book for Vice Chancellors and 22. Fostering Social Responsibility & Community Engagement in Higher Educational Institutions in India

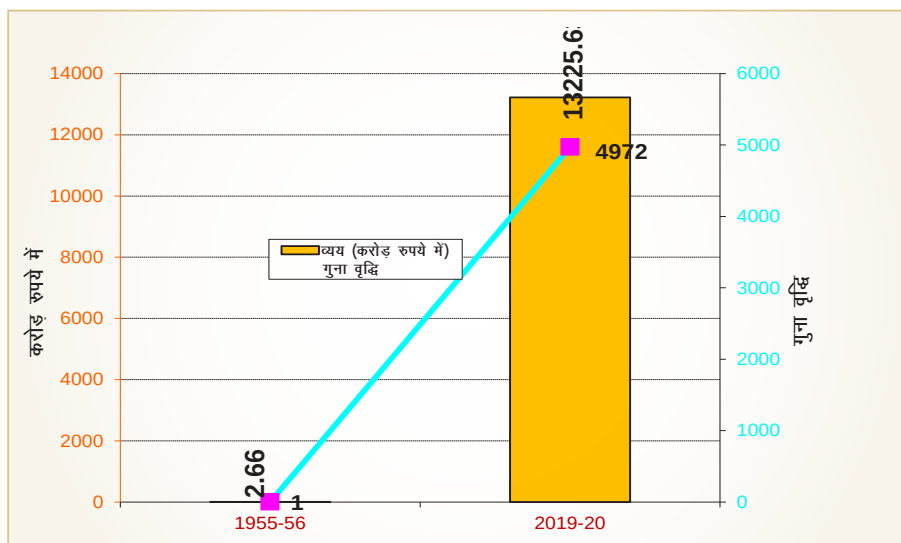
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

यूजीसी अधिनियम उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में मानकों को बनाए रखने और सुधार करने के लिए आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के माध्यम से रखरखाव (राजस्व) और विकास (पूँजीगत) अनुदान के रूप में विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों के लिए, आयोग के फंड से बाहर निधि आवंटित करने और वितरित करने का आयोग को अधिकार देता है।

तालिका 1.4 (i) यूजीसी-व्यय प्रगति रु कुल 1955-56 से (करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल
1955-56	2.66
2019-20	13225.63
गुना-वृद्धि	4972

रेखाचित्र 1.4 (i) : यूजीसी-व्यय प्रगति-1955-56 : 2019-20



2019-20 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान तालिका 1.4 (ii) में दिया गया है

तालिका 1.4(i)(a) : वर्ष 2019-20 के लिए बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	बजट शीर्ष	आवंटन (राजस्व व पूंजी)	
		बीई	आरई
1	सामान्य	11576.12	12673.80
	कुल	11576.12	12673.80

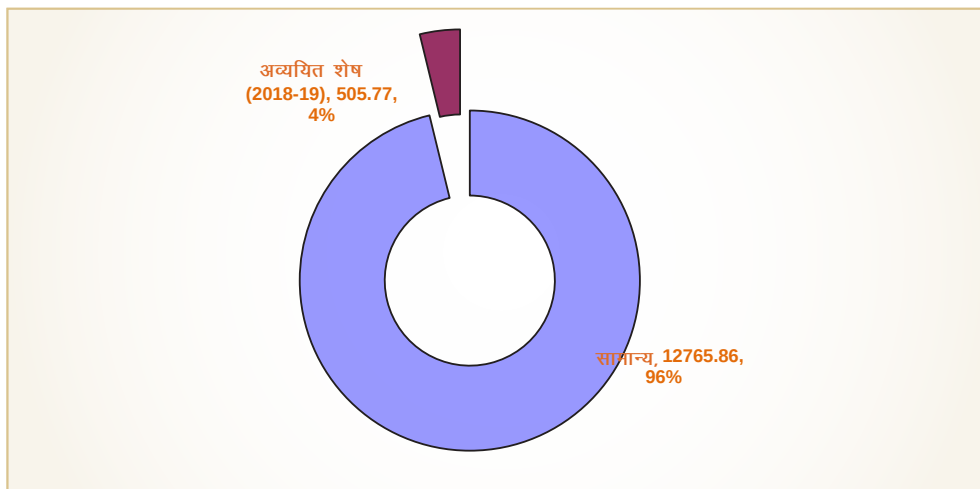
2019-20 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान तालिका 1.4 (ii) में दिया गया है

तालिका 1.4(ii) 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	बजट शीर्ष	प्राप्त अनुदान (राजस्व व पूंजी)
1	सामान्य	12765.86
2	अव्ययित शेष राशि (2018-19)	505.77
	कुल:	13271.63

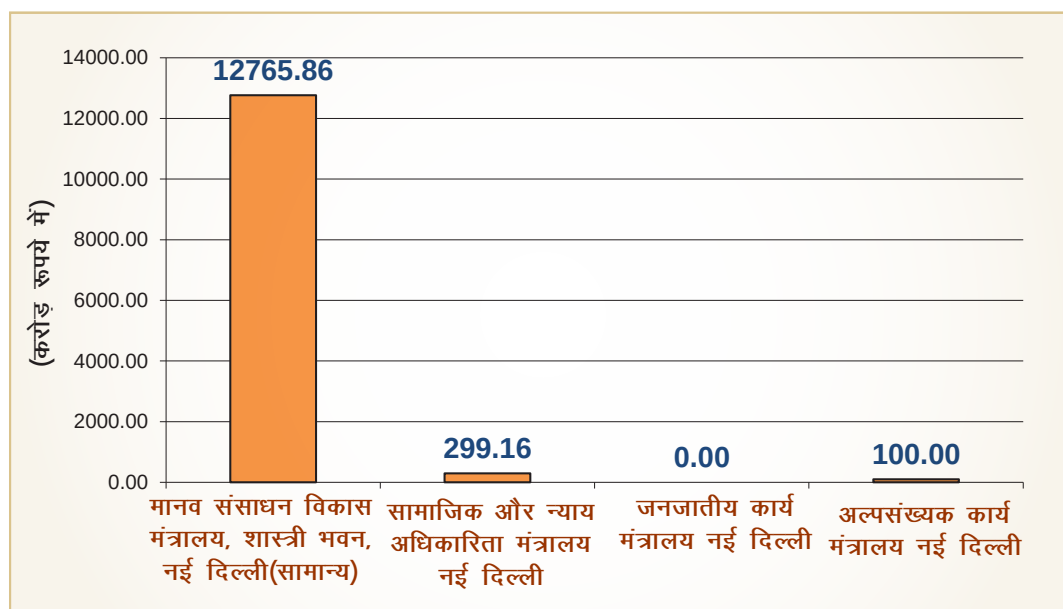
रेखाचित्र 1.4 (ii): अनुदान प्राप्त (राजस्व और पूंजीगत) (करोड़ रुपये में): 2019-20



तालिका 1.4 (iii): राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत 2019-2020 के दौरान प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपये में)

क्रम सं	से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (राजस्व व पूंजीगत)
1	एमएचआरडी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। (सामान्य)	12765.86
2	सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली	
	i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	246.66
	ii) ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	52.50
3	जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली	0.00
4	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली	100.00
	कुल :	13165.02

रेखाचित्र 1.4 (iii): प्राप्त अनुदान (पूँजीगत और राजस्व): 2019-20



2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान तालिका 1.4 (iv) में दिया गया है

तालिका 1.4 (iv): 2019-2020 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया राजस्व और पूँजीगत अनुदान (करोड़ रुपये में)

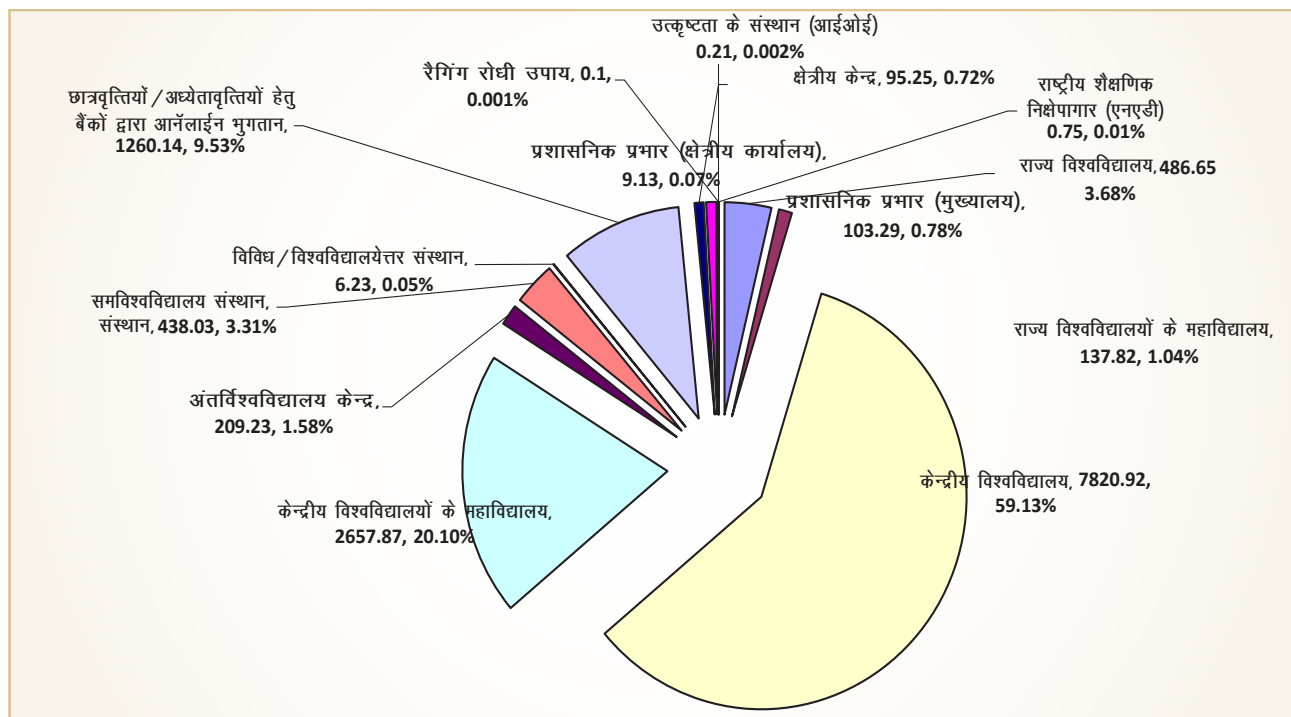
क्र सं	संस्थानों का स्वरूप	राजस्व व पूँजीगत अनुदान	कुल राजस्व और पूँजीगत अनुदान का % + UB
1	राज्य विश्वविद्यालय	486.65	3.68
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	137.82	1.04
3	केंद्रीय विश्वविद्यालय	7820.92	59.13
4	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	2657.87	20.10
5	अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र	209.23	1.58
6	समविश्वविद्यालय संस्थान	438.03	3.31
7	विविध/गैर- विश्वविद्यालय तथा संस्थान	6.23	0.05
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों के लिए बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान	1260.14	9.53
9	क्षेत्रीय केंद्र	95.25	0.72
10	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	103.29	0.78
11	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	9.13	0.07
12	रैगिंग रोधी उपाय	0.10	0.001
13	प्रख्यात संस्थान (आईओई)	0.21	0.002
14	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार(एनएडी)	0.75	0.01
	कुल:	13225.63	100.00

कुल प्राप्त निधि : 12765.86

2018-19 का अव्ययित शेष : 505.77

कुल निधि : 13271.63

रेखाचित्र 1.4(iv): संस्थानों को जारी अनुदान (पूँजीगत और राजस्व): 2019-20



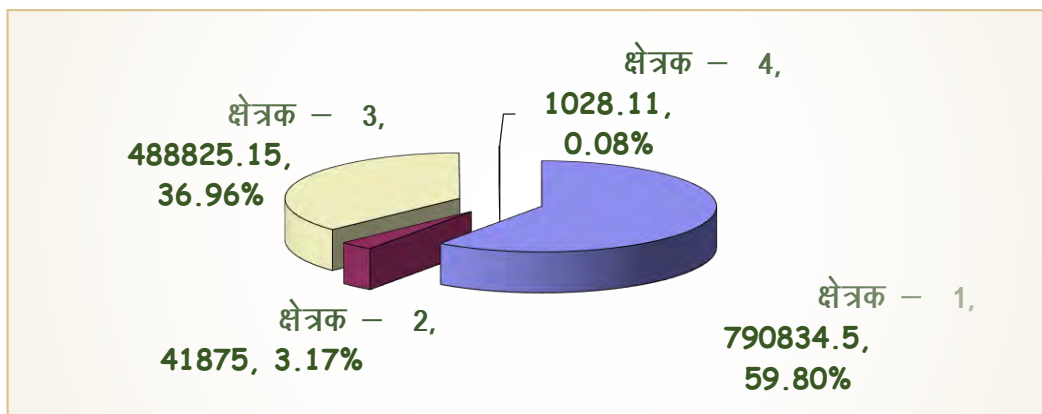
तालिका 1.4(v) सारांश (राजस्व व पूँजीगत अनुदान): क्षेत्रवार : 2019-2020

(लाख रुपये में)

	क्षेत्रक-1	क्षेत्रक-2	क्षेत्रक-3	क्षेत्रक-4	कुल (क्षेत्रक 1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केंद्रीय विश्वविद्यालय	775658.65		6433.70		782092.35
सम विश्वविद्यालय		41875.00	1928.17		43803.17
राज्य विश्वविद्यालय			48633.33	32.05	48665.38
अंतर विश्वविद्यालय केंद्र			20923.24		20923.24
गैर-विश्वविद्यालय संस्थान			607.32		607.32
कुल (विश्वविद्यालय):	775658.65	41875.00	78525.77	32.05	896091.46
महाविद्यालय					
केंद्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	15175.85		250611.35		265787.20
सम विश्वविद्यालय			0.07		0.07
राज्य विश्वविद्यालय			12881.97	900.00	13781.97
गैर-विश्वविद्यालय संस्थान			15.75		15.75
कुल (महाविद्यालय) :	15175.85	0.00	263509.15	900.00	279585.00
कुल (विश्वविद्यालय महाविद्यालय) :	790834.50	41875.00	342034.92	932.05	1175676.46
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान			126014.40		126014.40
क्षेत्रीय केंद्र			9524.73		9524.73
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			10328.51		10328.51
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)			912.55		912.55
रैगिंग रोधी उपाय			10.05		10.05
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)				20.73	20.73
राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)				75.33	75.33
कुल योग:	790834.50	41875.00	488825.15	1028.11	1322562.76

सेक्टर -1: केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर -2: समविश्वविद्यालय, सेक्टर -3: केंद्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय, सेक्टर -4: विविध

रेखाचित्र 1.4(v) : जारी अनुदान : क्षेत्रवार : राजस्व व पूंजीगत अनुदान : 2019-2020 (लाखों रूपयों में)



वर्ष (2019-20) राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों (क्षेत्र 1,2,3 और 4) को जारी राज्यवार अनुदान तालिका 1.4(vi) में दिया गया है

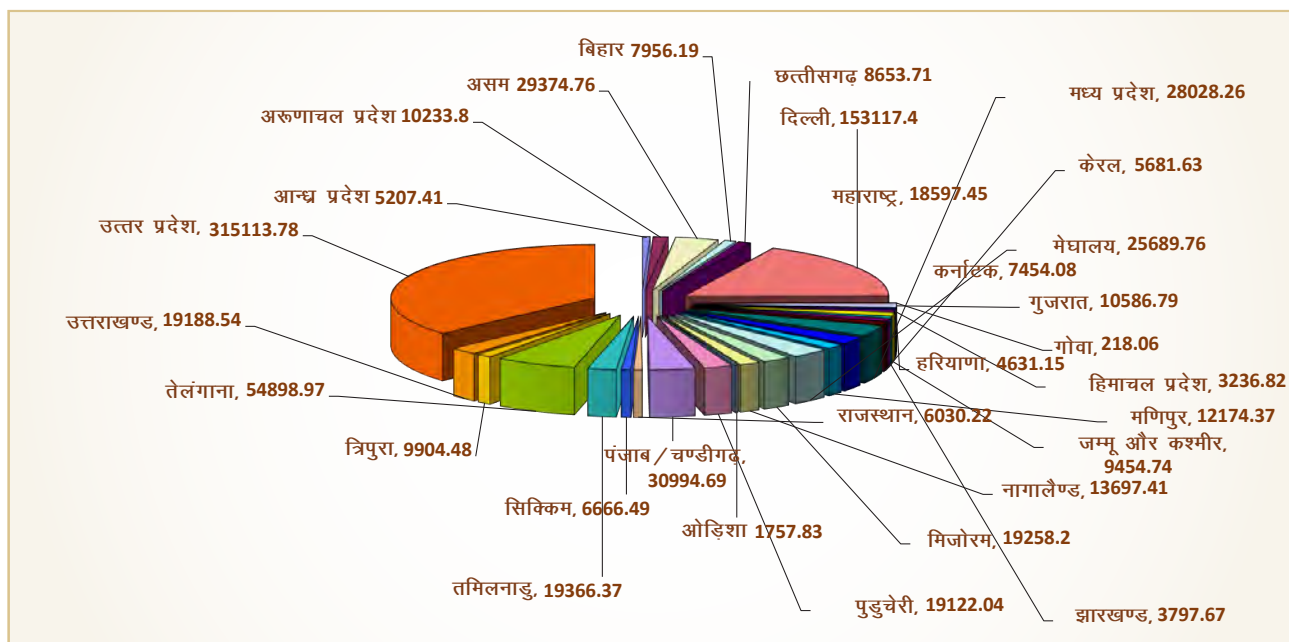
तालिका 1.4 (vi) राज्यवार जारी अनुदान (*ऑनलाइन जारी किए गए अनुदान, आरओ, रैगिंग रोधी उपाय को छोड़कर)

विश्वविद्यालय/संस्थान (क्षेत्रक 1,2,3 और 4) राजस्व और पूंजीगत अनुदान (2019-20) के तहत

क्रम सं	राज्य	(लाख रूपये में)			
		31	35	36	Total
1	आंध्र प्रदेश	2588.94	790.07	1828.40	5207.41
2	अरुणाचल प्रदेश	2860.37	1065.09	6308.34	10233.80
3	असम	6458.58	2147.75	20768.43	29374.76
4	बिहार	1620.19	1990.00	4346.00	7956.19
5	छत्तीसगढ़	1992.87	938.14	5722.70	8653.71
6	दिल्ली	46612.37	5680.33	100824.70	153117.40
7	गोवा	206.73	11.33	0.00	218.06
8	गुजरात	3621.19	1552.31	5413.29	10586.79
9	हरियाणा	1911.45	1156.41	1563.29	4631.15
10	हिमाचल प्रदेश	918.90	647.30	1670.62	3236.82
11	जम्मू व कश्मीर	2822.85	2876.41	3755.48	9454.74
12	झारखंड	961.59	798.00	2038.08	3797.67
13	कर्नाटक	2015.83	2447.26	2990.99	7454.08
14	केरल	2184.97	1004.18	2492.48	5681.63
15	मध्यप्रदेश	8991.45	4492.58	14544.23	28028.26
16	महाराष्ट्र	7216.20	2318.60	9062.65	18597.45
17	मणिपुर	4859.55	849.50	6465.32	12174.37
18	मेघालय	4925.37	677.24	20087.15	25689.76
19	मिजोरम	4080.34	1077.60	14100.26	19258.20
20	नागालैंड	2848.84	1079.50	9769.07	13697.41
21	उड़ीसा	899.40	597.95	260.48	1757.83
22	पुडुचेरी	4263.98	1487.00	13371.06	19122.04
23	पंजाब/चंडीगढ़	2289.32	3789.10	24916.27	30994.69
24	राजस्थान	2336.15	806.16	2887.91	6030.22

25	सिक्किम	1976.98	1050.00	3639.51	6666.49
26	तमिलनाडु	6657.67	2724.72	9983.98	19366.37
27	तेलंगाणा	13469.20	2467.61	38962.16	54898.97
28	त्रिपुरा	3138.04	550.00	6216.44	9904.48
29	उत्तराखंड	2506.10	1129.95	15552.49	19188.54
30	उत्तर प्रदेश	88382.29	6852.48	219879.01	315113.78
31	पश्चिम बंगाल	12836.06	1885.35	21277.00	35998.41
कुल		248453.77	56939.92	590697.79	896091.48

रेखाचित्र 1.4(vi) विश्वविद्यालयों/संस्थानों को जारी राज्यवार अनुदान (पूँजीगत और राजस्व)
(लाख रुपयों में) : 2019-20



राजस्व और पूँजीगत अनुदान (2019-20) के तहत विश्वविद्यालयों को जारी किए गए राज्यवार अनुदान तालिका 1.4 (vii) में दिए गए हैं।

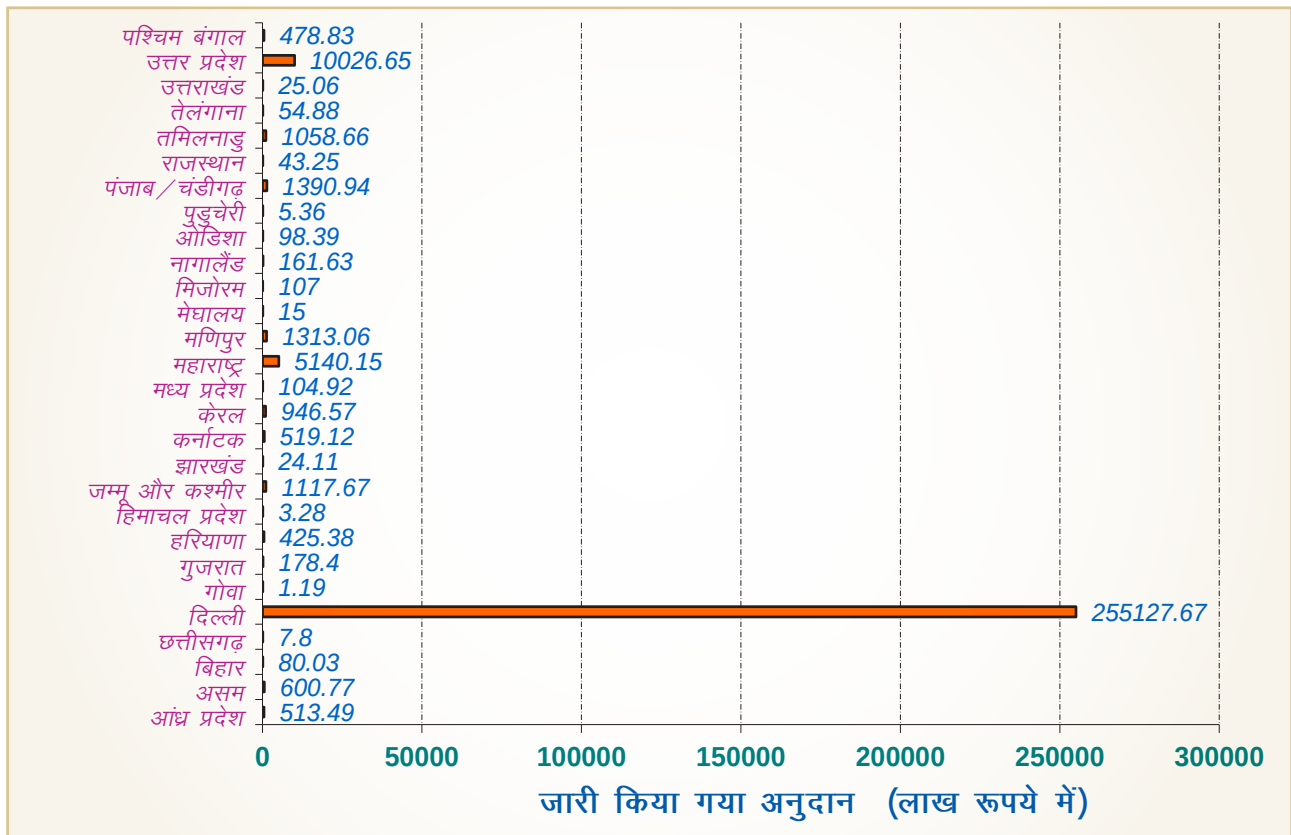
तालिका 1.4 (vii): क्षेत्रक 1,2,3 और 4 राजस्व और पूँजीगत अनुदान (2019-20) के तहत महाविद्यालयों को जारी किया गया राज्यवार अनुदान

क्रसं	राज्य	(लाख रुपयों में)			
		31	35	36	कुल
1	आंध्र प्रदेश	373.09	140.40	0.00	513.48
2	असम	464.07	136.70	0.00	600.77
3	बिहार	68.43	11.60	0.00	80.03
4	छत्तीसगढ़	7.80	0.00	0.00	7.80
5	दिल्ली	62104.44	2855.64	190167.59	255127.67
6	गोवा	1.19	0.00	0.00	1.19
7	गुजरात	145.20	33.20	0.00	178.40
8	हरियाणा	340.44	84.94	0.00	425.38
9	हिमाचल प्रदेश	3.28	0.00	0.00	3.28
10	जम्मू व कश्मीर	212.18	905.49	0.00	1117.67
11	झारखंड	23.11	1.00	0.00	24.11
12	कर्नाटक	474.33	44.79	0.00	519.12

क्रसं	राज्य	(लाख रूपयों में)			
		31	35	36	कुल
13	केरल	844.48	102.09	0.00	946.57
14	मध्यप्रदेश	104.92	0.00	0.00	104.92
15	महाराष्ट्र	4141.56	998.59	0.00	5140.15
16	मणिपुर	1044.26	268.80	0.00	1313.06
17	मेघालय	0.00	15.00	0.00	15.00
18	मिजोरम	79.40	27.60	0.00	107.00
19	नागालैंड	105.74	55.89	0.00	161.63
20	उड़ीसा	82.49	15.90	0.00	98.39
21	पुडुचेरी	5.36	0.00	0.00	5.36
22	पंजाब / चंडीगढ़	1111.92	279.02	0.00	1390.94
23	राजस्थान	43.25	0.00	0.00	43.25
24	तमिलनाडु	979.42	79.24	0.00	1058.66
25	तेलंगाणा	54.88	0.00	0.00	54.88
26	उत्तराखंड	4.38	20.68	0.00	25.06
27	उत्तर प्रदेश	1486.34	2706.81	5833.50	10026.65
28	पश्चिम बंगाल	324.63	44.70	109.50	478.83
	कुल	74630.59	8828.08	196110.59	279569.26
29	गैर विश्वविद्यालय संस्थान	15.00	0.75	0.00	15.75
	सकल योग	74645.59	8828.83	196110.59	279585.01

* ऑनलाइन, आरओ, रैगिंग रोधी उपाय, प्रशासनिक प्रभार के बारे में जारी अनुदान को छोड़कर

रेखाचित्र 1.4 (vii) राजस्व और पूंजीगत अनुदान (2019-20) के तहत महाविद्यालयों को जारी राज्यवार अनुदान



1.4(viii) 31-अनुदान सहायता, 35-पूँजीगत परिसंपत्तियां, 36 वेतन के तहत 2019-20 के दौरान जारी कुल अनुदान (राजस्व व पूँजीगत) के विवरण तालिका 1.4 (viii) में दिए गए हैं।

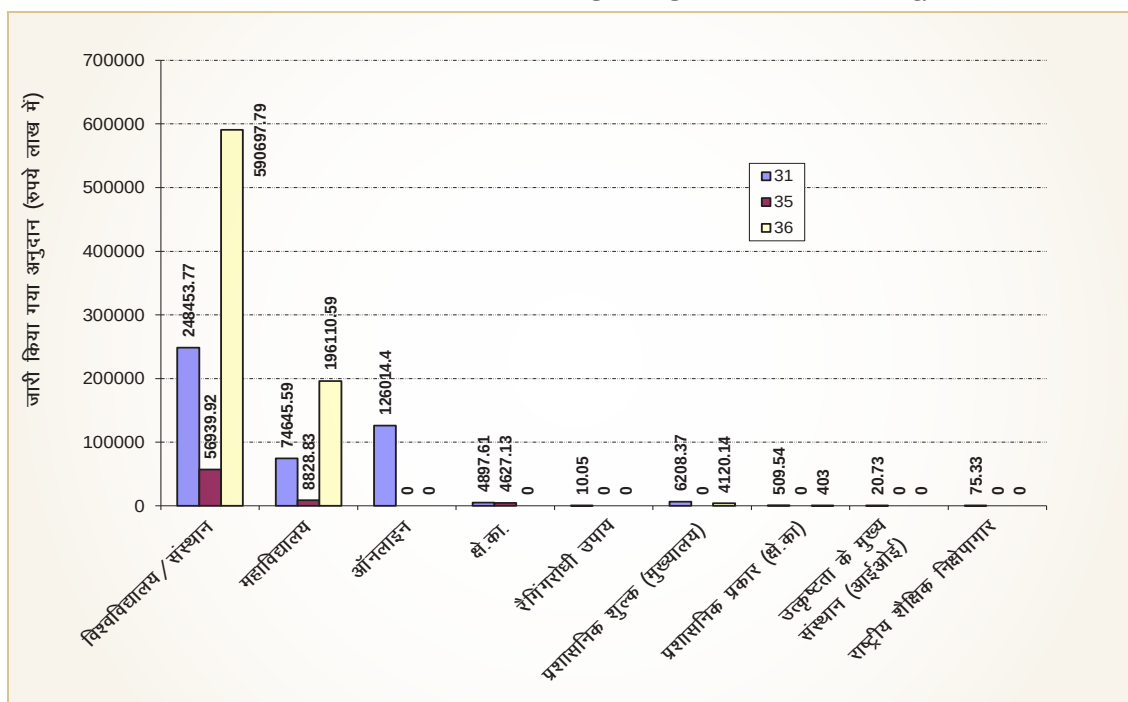
तालिका 1.4(viii): जारी किए गए कुल अनुदान के विवरण : 2019-20 : राजस्व व पूँजीगत

प्रयोक्ता	कुल (लाख रुपये में)			
	31	35	36	कुल
विश्वविद्यालय/संस्थान+	248453.77	56939.92	590697.79	896091.48
महाविद्यालय	74645.59	8828.83	196110.59	279585.01
ऑन लाइन	126014.40	-	-	126014.40
आरओ	4897.61	4627.13	-	9524.74
रैगिंग रोधी उपाय	10.05	-	-	10.05
प्रशासनिक शुल्क (मुख्यालय)	6208.37	-	4120.14	10328.51
प्रशासनिक शुल्क (क्षे.का.)	509.54	-	403.00	912.54
उत्कृष्टता के प्रमुख संस्थान (आईओई)	20.73	-	-	20.73
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	75.33	-	-	75.33
कुल	460835.39	70395.88	791331.52	1322562.79

* राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और अंतर विश्वविद्यालय केंद्र शामिल हैं

31- अनुदान सहायता, 35- पूँजीगत संपत्ति, 36- वेतन

रेखाचित्र 1.4 (viii): 31-अनुदान सहायता 35-पूँजीगत संपत्ति और 36-वेतन के तहत 2019-20 के दौरान जारी कुल अनुदान (राजस्व और पूँजीगत)



1.4 (ix) राजस्व और पूँजीगत अनुदान (2019-20) के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों को जारी किया गया राज्यवार: विश्वविद्यालयवार: क्षेत्रवार अनुदान तालिका 1.4 (ix) में दिया गया है।

1.4 (x) राजस्व और पूँजीगत अनुदान (2019-20) के तहत महाविद्यालयों को जारी किया गया राज्यवार: विश्वविद्यालयवार: क्षेत्रवार: अनुदान तालिका 1.4 (x) में दिया गया है।

तालिका 1.4(ix) 2019-20 के दौरान राजस्व व पूंजीगत अनुदानों के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार, क्षेत्रवार जारी किया गया अनुदान

क्रम सं.		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रूपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	केंद्रीय विश्वविद्यालय															
	असम															
1	असम विश्वविद्यालय	3763.90	850.00	12917.92	0.00	0.00	0.00	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3843.61	850.00	12917.92
2	तेजपुर विश्वविद्यालय	2187.01	1150.00	7850.51	0.00	0.00	0.00	135.60	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.61	1285.40	7850.51
	कुल	5950.91	2000.00	20768.43	0.00	0.00	0.00	215.31	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6166.22	2135.40	20768.43
	अरुणाचल प्रदेश															
3	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	2768.24	1050.00	6308.34	0.00	0.00	0.00	92.13	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2860.37	1065.09	6308.34
	कुल	2768.24	1050.00	6308.34	0.00	0.00	0.00	92.13	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2860.37	1065.09	6308.34
	बिहार															
4	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	896.72	1475.00	3042.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.66	1475.00	3042.00
5	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	562.04	515.00	1304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.04	515.00	1304.00
	कुल	1458.76	1990.00	4346.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1474.70	1990.00	4346.00
	छत्तीसगढ़															
6	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1855.94	920.00	5722.70	0.00	0.00	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.42	920.00	5722.70
	कुल	1855.94	920.00	5722.70	0.00	0.00	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1904.42	920.00	5722.70
	दिल्ली															
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	7190.82	1000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	397.90	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7588.72	1015.11	28000.00
8	दिल्ली विश्वविद्यालय	21134.24	1100.00	38546.00	0.00	0.00	0.00	179.63	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21313.87	1195.60	38546.00
9	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	13810.77	1100.00	26746.00	0.00	0.00	0.00	440.64	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14251.41	1243.90	26746.00
	कुल	42135.83	3200.00	93292.00	0.00	0.00	0.00	1018.17	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43154.00	3454.60	93292.00
	गुजरात															
10	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	623.28	550.00	1363.47	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.31	550.00	1363.47
	कुल	623.28	550.00	1363.47	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.31	550.00	1363.47
	हरियाणा															
11	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1359.99	975.00	1563.29	0.00	0.00	0.00	78.66	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.65	1000.38	1563.29
	कुल	1359.99	975.00	1563.29	0.00	0.00	0.00	78.66	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.65	1000.38	1563.29
	हिमाचल प्रदेश															
12	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	754.97	300.00	1665.62	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.16	300.00	1665.62
	कुल	754.97	300.00	1665.62	0.00	0.00	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.16	300.00	1665.62

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	जम्मू और कश्मीर															कुल
13	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	553.94	895.00	1358.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.94	895.00	1358.29
14	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1581.52	1425.00	2176.00	0.00	0.00	0.00	102.42	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1683.94	1438.20	2176.00
	कुल	2135.46	2320.00	3534.29	0.00	0.00	0.00	102.42	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.88	2333.20	3534.29
	झारखण्ड															
15	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	772.50	775.00	2038.08	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.50	775.00	2038.08
	कुल	772.50	775.00	2038.08	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.50	775.00	2038.08
	कर्नाटक															
16	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	639.16	920.00	1759.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.18	920.00	1759.00
	कुल	639.16	920.00	1759.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.18	920.00	1759.00
	केरल															
17	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1695.56	920.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1695.64	920.00	2307.00
	कुल	1695.56	920.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1695.64	920.00	2307.00
	मध्य प्रदेश															
18	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय	4772.67	1252.00	9164.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.40	164.00	0.00	0.00	0.00	4822.67	1257.40	9328.00
19	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	2132.32	975.00	3073.04	0.00	0.00	0.00	251.25	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2383.57	988.75	3073.04
	कुल	6904.99	2227.00	12237.04	0.00	0.00	0.00	301.25	19.15	164.00	0.00	0.00	0.00	7206.24	2246.15	12401.04
	महाराष्ट्र															
20	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1582.86	625.00	2445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.86	625.00	2445.53
	कुल	1582.86	625.00	2445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582.86	625.00	2445.53
	मणिपुर															
21	मणिपुर विश्वविद्यालय	4507.17	770.50	6208.80	0.00	0.00	0.00	352.38	79.00	256.52	0.00	0.00	0.00	4859.55	849.50	6465.32
	कुल	4507.17	770.50	6208.80	0.00	0.00	0.00	352.38	79.00	256.52	0.00	0.00	0.00	4859.55	849.50	6465.32
	मेघालय															
22	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	4776.18	650.00	20087.15	0.00	0.00	0.00	149.19	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4925.37	677.24	20087.15
	कुल	4776.18	650.00	20087.15	0.00	0.00	0.00	149.19	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4925.37	677.24	20087.15
	मिजोरम															
23	मिजोरम विश्वविद्यालय	3895.55	1050.00	14100.26	0.00	0.00	0.00	184.79	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4080.34	1077.60	14100.26
	कुल	3895.55	1050.00	14100.26	0.00	0.00	0.00	184.79	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4080.34	1077.60	14100.26

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	नागालैण्ड															कुल
24	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	2818.79	1079.50	9769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2848.84	1079.50	9769.07
	कुल	2818.79	1079.50	9769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2848.84	1079.50	9769.07
	ओडिशा															
25	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	767.63	575.00	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.63	575.00	260.48
	कुल	767.63	575.00	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.63	575.00	260.48
	पुदुचेरी															
26	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	4126.62	1325.00	13371.06	0.00	0.00	0.00	137.36	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4263.98	1487.00	13371.06
	कुल	4126.62	1325.00	13371.06	0.00	0.00	0.00	137.36	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4263.98	1487.00	13371.06
	पंजाब															
27	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1021.50	720.00	1455.54	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.74	720.00	1455.54
	कुल	1021.50	720.00	1455.54	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.74	720.00	1455.54
	राजस्थान															
28	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1257.41	723.00	2747.58	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1315.32	723.00	2747.58
	कुल	1257.41	723.00	2747.58	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1315.32	723.00	2747.58
	सिक्किम															
29	सिक्किम विश्वविद्यालय	1968.98	1050.00	3639.51	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1976.98	1050.00	3639.51
	कुल	1968.98	1050.00	3639.51	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1976.98	1050.00	3639.51
	तमिलनाडु															
30	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1275.08	1075.00	1969.00	0.00	0.00	0.00	109.18	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.26	1112.50	1969.00
	कुल	1275.08	1075.00	1969.00	0.00	0.00	0.00	109.18	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1384.26	1112.50	1969.00
	तेलंगाना															
31	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2736.27	475.00	11186.00	0.00	0.00	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2854.95	475.00	11186.00
32	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी	2178.13	675.00	6725.80	0.00	0.00	0.00	201.26	0.00	409.50	0.00	0.00	0.00	2379.39	675.00	7135.30
33	हैदराबाद विश्वविद्यालय	7160.26	1000.00	20348.77	0.00	0.00	0.00	445.18	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7605.44	1010.23	20348.77
	कुल	12074.66	2150.00	38260.57	0.00	0.00	0.00	765.11	10.23	409.50	0.00	0.00	0.00	12839.77	2160.23	38670.07
	त्रिपुरा															
34	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	3093.19	550.00	6216.44	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3138.04	550.00	6216.44
	कुल	3093.19	550.00	6216.44	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3138.04	550.00	6216.44
	उत्तर प्रदेश															
35	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	30400.00	1600.00	86000.00	0.00	0.00	0.00	300.87	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30700.87	1613.00	86000.00
																118313.86

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
36	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1230.13	625.00	4882.00	0.00	0.00	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1311.59	625.00	4882.00
37	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	39971.54	2875.00	96164.57	0.00	0.00	0.00	267.49	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40239.03	2884.60	96164.57
38	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	14631.18	800.00	28499.19	0.00	0.00	0.00	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14844.94	800.00	28499.19
	कुल	86232.85	5900.00	215545.76	0.00	0.00	0.00	863.57	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87096.42	5922.60	215545.76
	उत्तराखण्ड															
39	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	1457.45	900.00	12043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1457.45	936.80	12043.19
	कुल	1457.45	900.00	12043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1457.45	936.80	12043.19
	पश्चिम बंगाल															
40	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	11192.44	900.00	21277.00	0.00	0.00	0.00	42.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11235.02	910.00	21277.00
	कुल	11192.44	900.00	21277.00	0.00	0.00	0.00	42.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11235.02	910.00	21277.00
	कुल सी यू	211103.95	38190.00	526302.20	0.00	0.00	0.00	4727.89	875.79	830.02	0.00	0.00	0.00	215831.84	39065.79	527132.22
	सम विश्वविद्यालय															
	आन्ध्र प्रदेश															
41	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	1654.98	255.60	1808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1654.98	255.60	1808.40
42	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	7.86	0.00
43	गौंधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.63	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	1654.98	255.60	1808.40	152.75	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1807.73	263.46	1808.40
	दिल्ली															
44	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	603.48	451.73	2904.30	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.56	451.73	2904.30
45	जामिया हमदर्द	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	174.05	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	174.05	113.44	800.00
46	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00
47	एन्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32	0.00	0.00
48	टी.ई.आर.आई. विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	603.48	451.73	3704.30	213.96	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	817.44	565.17	3704.30
	गुजरात															
49	गुजरात विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	1344.24	439.21	3339.03	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.24	456.27	3339.03
	कुल	0.00	0.00	0.00	1344.24	439.21	3339.03	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.24	456.27	3339.03

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	कर्नाटक															
50	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	67.68	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	67.68	0.00
	मध्य प्रदेश															
51	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00
	महाराष्ट्र															
52	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.79	0.00	0.00
53	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4597.38	391.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1262.02	210.66	4597.38
54	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मादुन्ना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4597.38	707.47	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1642.66	210.66	4597.38
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4597.38	707.47	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1642.66	210.66	4597.38
	पंजाब															
55	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00
	राजस्थान															
56	बीआईटीएस, पिलानी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.29	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.29	0.00	0.00
	तमिलनाडु															
57	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.94	86.45	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1406.33	337.00	2691.94
58	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.40	78.61	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2478.28	304.56	5016.40
59	करुन्ना प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7708.34	179.59	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3899.14	641.56	7708.34
	तेलंगाना															
60	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	उत्तर प्रदेश															
61	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	545.86	542.92	4333.25	65.78	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.64	567.62	4333.25
	कुल	0.00	0.00	0.00	545.86	542.92	4333.25	65.78	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	611.64	567.62	4333.25
	उत्तराखण्ड															
62	वन अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00
63	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	773.82	150.00	3509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.82	150.00	3509.30
	कुल	0.00	0.00	0.00	773.82	150.00	3509.30	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.87	150.00	3509.30
	पश्चिम बंगाल															
64	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट(एमवीईआरआई)	0.00	0.00	0.00	297.88	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.88	319.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	297.88	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.88	319.00	0.00
	कुल डी यू	0.00	0.00	0.00	9875.00	3000.00	29000.00	1686.75	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11561.75	3241.42	29000.00
	राज्य विश्वविद्यालय															
	आन्ध्र प्रदेश															
65	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	0.00
66	आन्धा विश्वविद्यालय	42.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	337.15	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	379.65	7.59	20.00
67	द्रविडियन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.46	259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	124.46	259.32	0.00
68	जे.एन.टी.यू.अनन्तपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00
69	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11	0.00	0.00
70	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71.93	2.50	0.00
71	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22	7.20	0.00
72	विक्रम सिन्हापुरी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
73	योगी वेमाना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00
	कुल	42.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	738.71	526.61	0.00	0.00	0.00	0.00	781.21	526.61	20.00
	असम															
74	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60	4.85	0.00
75	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	7.50	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.36	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	292.36	12.35	0.00
	बिहार															
76	बी.बी.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	0.00

क्रम सं.		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
77	जयप्रकाश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
78	ललित नारायन मिथिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
79	मगध विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	12.15
80	पटना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	0.00	0.00	62.94
81	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49	0.00	0.00	145.49
	छत्तीसगढ़																
82	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	0.00	18.14
83	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	0.00	0.00	88.45
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	88.45	18.14	0.00	106.59
	दिल्ली																
84	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19	0.00	0.00	39.19
85	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
86	भारत रत्न डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.28	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39.28	5.40	0.00	44.68
	गोवा																
87	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.73	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	206.73	11.33	0.00	218.06
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.73	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	206.73	11.33	0.00	218.06
	गुजरात																
88	के.एस.के.वी. कच्छ विश्वविद्यालय,भुज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	250.00	0.00	258.00
89	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00	5.81
90	गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.85	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	854.85	0.00	192.00	1046.85
91	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
92	एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.53	0.00	0.00	91.53
93	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.35	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	130.35	39.46	0.00	169.80
94	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.82	0.00	0.00	118.82
95	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	91.58	0.00	95.76
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1221.53	381.04	192.00	0.00	0.00	0.00	1221.53	381.04	192.00	1794.57
	हरियाणा																
96	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12	0.00	0.00	74.12

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रूपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
97	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29
98	दीनबन्धु छोटाराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.37	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.37	76.00	0.00	107.37
99	पंडित भगत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84
100	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.18	0.00	0.00	93.18
101	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.08	0.00	0.00	80.08
102	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.44	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.44	56.14	0.00	97.58
103	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.76	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150.76	3.60	0.00	154.36
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	156.03	0.00	628.83
	हिमाचल प्रदेश																
104	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76	310.00	0.00	437.76
105	चौधरी सखन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.49	310.00	0.00	440.49
	जम्मू और कश्मीर																
106	कश्मीर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.01	364.23	221.19	0.00	0.00	0.00	394.01	364.23	221.19	979.43
107	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	99.47	0.00	106.20
108	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.46	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	82.46	79.51	0.00	161.97
109	जम्मू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.78	0.00	0.00	101.78
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.97	543.21	221.19	0.00	0.00	0.00	584.97	543.21	221.19	1349.37
	झारखण्ड																
110	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	23.00	0.00	90.60
111	राँची विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00	0.00	55.79
112	बिनोबा भावे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.18	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.18	23.00	0.00	152.18
	कर्नाटक																
113	बंगलूरु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.10	0.00	0.00	158.10
114	दावनगरे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
115	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	68.40	0.00	81.62
116	कन्नड़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
117	कर्नाटक विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10	0.00	0.00	91.10

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
118	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.01	50.21	0.00	92.22
119	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.05	776.56	0.00	801.61
120	मैंगलोर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.39	0.00	0.00	165.39
121	मैसूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.35	22.40	133.95	320.70
122	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.67	479.70	0.00	636.37
123	तुमकुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	10.27
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.17	1457.27	133.95	2417.39
	केरल																
124	कालीकट यूनिवर्सिटी,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.71	17.28	185.48	317.47
125	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.60	9.20	0.00	155.80
126	कन्नूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	37.00	0.00	77.00
127	केरल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.91	7.20	0.00	126.11
128	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.61	3.50	0.00	49.11
129	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63	10.00	0.00	24.63
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.45	84.18	185.48	750.11
	मध्य प्रदेश																
130	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
131	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	0.00	31.66
132	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	0.00	2.29
133	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.71	25.62	156.40	418.73
134	महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.31	0.00	46.31
135	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.81	0.00	0.00	166.81
136	विक्रम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	0.00	5.54
137	डॉ भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान-विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	10.00	0.00	43.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.01	141.93	156.40	774.34
	महाराष्ट्र																
138	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.91	0.00	0.00	52.91
139	मुम्बई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.94	4.50	515.17	744.61

क्रम सं		क्षेत्र-1				क्षेत्र-2				क्षेत्र-3				क्षेत्र-4				कुल (लाख रुपयों में)			
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36	कुल
140	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00	18.00
141	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	185.45		509.01	63.72	0.00		509.01	63.72	0.00	185.45
142	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	276.65		268.72	276.65	0.00		268.72	276.65	0.00	545.37
143	शिवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10.88		122.00	10.88	0.00		122.00	10.88	0.00	132.89
144	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		53.76	0.00	0.00		53.76	0.00	0.00	53.76
145	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6.07	0.00	0.00		6.07	0.00	0.00	6.07
146	शोलापुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4.74	0.00	0.00		4.74	0.00	0.00	4.74
147	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.20		182.43	2.20	0.00		182.43	2.20	0.00	184.63
148	कवियत्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	27.60		36.35	27.60	0.00		36.35	27.60	0.00	63.95
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	700.62		1478.94	385.56	0.00		1478.94	385.56	700.62	2565.12
	ओडीशा																				
149	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	21.67		24.00	0.00	0.00		24.00	21.67	0.00	45.67
150	नार्थ ओडीशा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	2.00
151	रावेनशाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.28		0.00	0.00	0.00		0.00	1.28	0.00	1.28
152	सम्मलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		41.69	0.00	0.00		41.69	0.00	0.00	41.69
153	उत्कल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		60.89	0.00	0.00		60.89	0.00	0.00	60.89
154	वीर सुरेन्द्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3.19	0.00	0.00		3.19	0.00	0.00	3.19
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22.95		131.77	22.95	0.00		131.77	22.95	0.00	154.72
	पंजाब / चंडीगढ़																				
155	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2050.00		659.91	2050.00	0.00		659.91	2050.00	0.00	2709.91
156	पंजाब विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	910.30		358.18	910.30	23349.00		390.23	910.30	23349.00	24649.53
157	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	108.80		165.11	108.80	111.73		165.11	108.80	111.73	385.64
158	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		6.87	0.00	0.00		6.87	0.00	0.00	6.87
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3069.10		1190.07	3069.10	23460.73		1222.12	3069.10	23460.73	27751.95
	राजस्थान																				
159	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	140.33		14.61	41.76	0.00		14.61	41.76	140.33	196.69
160	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	41.40		619.50	41.40	0.00		619.50	41.40	0.00	660.90
161	कोटा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.72	0.00	0.00		1.72	0.00	0.00	1.72
162	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150.16	0.00	0.00		150.16	0.00	0.00	150.16
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	83.16		785.99	83.16	140.33		785.99	83.16	140.33	1009.47

क्रम सं.		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	तमिलनाडु															
163	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.38	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	161.38	12.40	0.00
164	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	59.22	0.00
165	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.23	25.40	61.88	0.00	0.00	0.00	108.23	25.40	61.88
166	मरथियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00	0.00
167	मारथीदासन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.76	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	88.76	3.48	0.00
168	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.15	10.00	244.76	0.00	0.00	0.00	334.15	10.00	244.76
169	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	309.83	0.00
170	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
171	पेरियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	0.56	0.00
172	तमिलनाडु डॉ० अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.10	0.00
173	तमिल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
174	मद्रास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.78	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.78	136.00	0.00
175	तमिलनाडु मत्स्यपालन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	7.50	0.00
176	तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.17	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1266.49	970.66	306.64	0.00	0.00	0.00	1266.49	970.66	306.64
	तेलंगाना															
177	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.37	0.00	0.00
178	काकतीया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.21	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	182.21	260.65	0.00
179	नालसार विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.81	0.00
180	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.38	9.92	292.09	0.00	0.00	0.00	272.38	9.92	292.09
181	पोटी श्रीरामलू तेलुगु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.87	307.38	292.09	0.00	0.00	0.00	588.87	307.38	292.09
	उत्तर प्रदेश															
182	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	18.50	0.00
183	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
184	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	0.00
185	डॉ० बी. आर. अम्बेडकर, विश्वविद्यालय, आगरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28	0.00	0.00
186	डॉ. आर.एम.एल.ए. विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
187	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86	0.00
188	किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00
189	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
190	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.33	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	256.33	191.96	0.00
191	वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
192	ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.23	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	615.23	361.31	0.00
	उत्तराखण्ड															
193	दून विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98	43.15	0.00
194	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53	43.15	0.00
	पश्चिम बंगाल															
195	कल्याणी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17	66.86	0.00
196	वर्द्धमान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.59	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	116.59	153.52	0.00
197	कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.28	0.00	0.00
198	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.24	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	162.24	8.47	0.00
199	जाधवपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.37	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	496.37	31.46	0.00
200	प्रेजीडेसी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.64	0.00	0.00
201	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	0.00	0.00
202	रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00
203	विद्यासागर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	391.04	0.00
204	काजी नाजरूल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	5.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287.30	656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1287.30	656.35	0.00
	कुल: एस यू	42.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	13273.80	9570.11	25789.42	32.05	0.00	0.00	13348.35	9570.11	25809.42
	गैर विश्वविद्यालय															
	दिल्ली															
205	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	0.00
206	नेहरू एम.ई.एम.ओ. स्मारक और पुस्तकालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00
207	नियोजना और वास्तुकला विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.61	0.00	0.00

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	गुजरात															
208	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00
	हिमाचल प्रदेश															
209	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	37.30	5.00	0.00	0.00	0.00	6.25	37.30	5.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	37.30	5.00	0.00	0.00	0.00	6.25	37.30	5.00
	झारखंड															
210	आई.आई.टी. (आईएसएम) धनबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91	0.00	0.00
	कर्नाटक															
211	इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इको चेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00
	केरल															
212	भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00
	महाराष्ट्र															
213	भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27	0.00	0.00
214	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00
215	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इनरिप्रोडक्टिव हेल्थ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91	0.00	0.00
	पंजाब															
216	भारतीय विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00
217	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59	0.00	0.00
	राजस्थान															
218	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान व प्रबंधन विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	0.00
219	मेवाड़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00

क्रम सं		क्षेत्र-1				क्षेत्र-2				क्षेत्र-3				क्षेत्र-4				कुल (लाख रुपयों में)			
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36	कुल
220	पेसिफिक शैक्षिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		11.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		11.91	0.00	0.00	11.91
		कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		22.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		22.56	0.00	0.00
	तमिलनाडु																				
221	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		92.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		92.62	0.00	0.00	92.62
222		राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.16	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		107.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		107.78	0.00	0.00	107.78
	तेलंगांना																				
223	नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7.35	0.00	0.00	7.35
		कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7.35	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश																				
224	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		47.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		47.08	0.00	0.00	47.08
225		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		9.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		9.01	0.00	0.00
226	जगतगुरु राममद्व विकलांग विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.95	0.00	0.95
227		संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.91	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		59.00	0.95	0.00		0.00	0.00	0.00		59.00	0.95	0.00	59.94
	उत्तराखंड																				
228	भारतीय पैट्रोलियम संस्थान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.25	0.00	0.00	5.25
229		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		175.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		175.25	0.00	0.00	175.25
	पश्चिमी बंगाल																				
230	भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, खडगपुर	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.86	0.00	0.00	15.86
		कुल	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.86	0.00	0.00
	कुल गैर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		564.08	38.25	5.00		0.00	0.00	0.00		564.08	38.25	5.00	607.32
		आई.यू.सी.एस.																			
	दिल्ली																				
231	शैक्षणिक संचार संघ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		485.03	0.00	1083.03		0.00	0.00	0.00		485.03	0.00	1083.03	1568.06
232		अंतरराष्ट्रीय त्वरण केंद्र (आईयूएसी)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2071.02	1655.15	2745.38		0.00	0.00	0.00		2071.02	1655.15	2745.38
	कुल राज्यवार	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2556.05	1655.15	3828.41		0.00	0.00	0.00		2556.05	1655.15	3828.41	8039.61
	गुजरात																				
233	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र(आईएनएफएलआईबीएनईटी)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		425.00	165.00	518.79		0.00	0.00	0.00		425.00	165.00	518.79	1108.79
		कुल राज्यवार	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		425.00	165.00	518.79		0.00	0.00	0.00		425.00	165.00	518.79
	कर्नाटक																				
234	राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद्	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		471.87	2.31	1098.04		0.00	0.00	0.00		471.87	2.31	1098.04	1572.22
		कुल राज्यवार	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		471.87	2.31	1098.04		0.00	0.00	0.00		471.87	2.31	1098.04

क्रम सं		क्षेत्र-1			क्षेत्र-2			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल (लाख रुपयों में)		
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	मध्य प्रदेश															
235	यूजीसी-डीएई वैज्ञानिक अनुसंधान संघ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00	2104.50	1986.79	0.00	0.00	0.00	1230.00	2104.50	1986.79
	कुल राज्यवार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1230.00	2104.50	1986.79	0.00	0.00	0.00	1230.00	2104.50	1986.79
	महाराष्ट्र															
236	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फार एस्ट्रोनोमी एंड एस्टोफिजिक्स (आईयूसीए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2464.83	1097.38	1319.12	0.00	0.00	0.00	2464.83	1097.38	1319.12
	कुल: राज्यवार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2464.83	1097.38	1319.12	0.00	0.00	0.00	2464.83	1097.38	1319.12
	कुल: आईयूसीए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7147.75	5024.35	8751.15	0.00	0.00	0.00	7147.75	5024.35	8751.15
	कुल : गैर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.08	38.25	5.00	0.00	0.00	0.00	564.08	38.25	5.00
	कुल: (सी यू)	211103.95	38190.00	526302.20	0.00	0.00	0.00	4727.89	875.79	830.02	0.00	0.00	0.00	215831.84	39065.79	527132.22
	कुल: (डी यू)	0.00	0.00	0.00	9875.00	3000.00	29000.00	1686.75	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11561.75	3241.42	29000.00
	कुल: (एस यू)	42.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	13273.80	9570.11	25789.42	32.05	0.00	0.00	13348.35	9570.11	25809.42
	ऑनलाईन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126014.40	0.00	0.00
	आर ओ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4897.61	4627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4897.61	4627.13	0.00
	रैगिंग रोधी उपाय							10.05	0.00	0.00				10.05	0.00	0.00
	प्रशासनिक प्रभार (एचओ)							6208.37	0.00	4120.14				6208.37	0.00	4120.14
	प्रशासनिक प्रभार (आरओ)							509.54	0.00	403.00				509.54	0.00	403.00
	उत्कृष्टता संस्थान(आईआई)										20.73			20.73	0.00	0.00
	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार(एनएडी)										75.33			75.33	0.00	0.00
	कुल योग	211146.45	38190.00	526322.20	9875.00	3000.00	29000.00	165040.23	20377.04	39898.73	128.11	0.00	0.00	386189.79	61567.04	595220.93
	महाविद्यालय	1902.05	300.00	12973.80				72743.54	7628.82	183136.79	900.00			75545.59	7928.82	196110.59
	कुल	213048.50	38490.00	539296.00	9875.00	3000.00	29000.00	237783.77	28005.86	223035.52	1028.11	0.00	0.00	461735.38	69495.86	791331.52
																1322562.76

तालिका 1.4(x) 2019-20 के दौरान राजस्व व पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्य-वार, विश्वविद्यालय-वार, क्षेत्रवार जारी किया गया अनुदान

		क्षेत्र-1			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल महाविद्यालयवार (लाख रुपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
	केंद्रीय विश्वविद्यालय													
	असम													
1	असम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	57.62	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	22.50	0.00	80.12
	कुल	0.00	0.00	0.00	57.62	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	22.50	0.00	80.12
	दिल्ली										0.00	0.00	0.00	0.00
2	दिल्ली विश्वविद्यालय	1902.05	300.00	12973.80	60202.39	2555.64	177193.79	0.00	0.00	0.00	62104.44	2855.64	190167.59	255127.67
	कुल	1902.05	300.00	12973.80	60202.39	2555.64	177193.79	0.00	0.00	0.00	62104.44	2855.64	190167.59	255127.67
	मध्य प्रदेश													
3	डॉ एचएस गौर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
	मणिपुर													
4	मणिपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1044.26	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.26	268.80	0.00	1313.06
	कुल	0.00	0.00	0.00	1044.26	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.26	268.80	0.00	1313.06
	मेघालय													
5	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	मिजोरम													
6	मिजोरम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	79.40	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	27.60	0.00	107.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	79.40	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	27.60	0.00	107.00
	नागालैण्ड													
7	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	105.74	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	105.74	55.89	0.00	161.63
	कुल	0.00	0.00	0.00	105.74	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	105.74	55.89	0.00	161.63
	पुदुचेरी													
8	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	5.36
	कुल	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00	5.36
	उत्तर प्रदेश													
9	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	975.35	2110.73	5833.50	0.00	0.00	0.00	975.35	2110.73	5833.50	8919.58
10	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	32.78	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	0.60	0.00	33.38
	कुल	0.00	0.00	0.00	1008.13	2111.33	5833.50	0.00	0.00	0.00	1008.13	2111.33	5833.50	8952.96
	उत्तराखण्ड													
11	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	3.44	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	20.68	0.00	24.12
	कुल	0.00	0.00	0.00	3.44	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	20.68	0.00	24.12
	कुल: सी यू	1902.05	300.00	12973.80	62506.63	5077.44	183027.29	0.00	0.00	0.00	64408.68	5377.44	196001.09	265787.20

		क्षेत्र-1			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल महाविद्यालयवार (लाख रुपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
	सम विश्वविद्यालय													
	महाराष्ट्र													
12	भारती विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
	कुल डी यू	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
	राज्य विश्वविद्यालय													
	आन्ध्र प्रदेश													
13	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	79.83	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	23.70	0.00	103.53
14	आदिकवि नन्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	12.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	5.40	0.00	17.40
15	आन्धा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	43.82	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.82	5.40	0.00	49.22
16	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	0.00	0.00	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87	0.00	0.00	16.87
17	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	15.06
18	कृष्णा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	180.48	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180.48	34.50	0.00	214.97
19	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	13.99	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	3.00	0.00	16.99
20	विक्रम सिन्हापुरी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	11.04	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	68.40	0.00	79.44
	कुल	0.00	0.00	0.00	373.09	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	373.09	140.40	0.00	513.48
	असम													
21	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	87.39	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.39	24.00	0.00	111.39
22	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	319.06	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	319.06	90.20	0.00	409.26
	कुल	0.00	0.00	0.00	406.45	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	406.45	114.20	0.00	520.65
	बिहार													
23	बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	9.61	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	3.80	0.00	13.41
24	मंडल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	32.24	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	6.60	0.00	38.84
25	पटना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
26	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	68.43	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68.43	11.60	0.00	80.03
	छत्तीसगढ़													
27	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
	कुल	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	7.80
	गोवा													
28	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
	कुल	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
	गुजरात													
29	गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	3.25
30	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	26.93	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	2.00	0.00	28.93
31	सरदार पटेल विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	47.51	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51	8.70	0.00	56.21
32	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	67.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	22.50	0.00	90.00

		क्षेत्र-1				क्षेत्र-3				क्षेत्र-4				कुल महाविद्यालयवार (लाख रुपयों में)			
		31	35	36		31	35	36		31	35	36		31	35	36	कुल
	कुल	0.00	0.00	0.00		145.20	33.20	0.00		0.00	0.00	0.00		145.20	33.20	0.00	178.40
हरियाणा																	
33	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		7.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		7.30	0.00	0.00	7.30
34	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज,	0.00	0.00	0.00		1.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.64	0.00	0.00	1.64
35	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		168.54	26.99	0.00		0.00	0.00	0.00		168.54	26.99	0.00	195.53
36	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		162.97	57.95	0.00		0.00	0.00	0.00		162.97	57.95	0.00	220.92
	कुल	0.00	0.00	0.00		340.44	84.94	0.00		0.00	0.00	0.00		340.44	84.94	0.00	425.38
हिमाचल प्रदेश																	
37	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		3.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3.28	0.00	0.00	3.28
	कुल	0.00	0.00	0.00		3.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		3.28	0.00	0.00	3.28
जम्मू और कश्मीर																	
38	कश्मीर विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		190.35	4.17	0.00		0.00	0.00	0.00		190.35	4.17	0.00	194.52
39	जम्मू विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		21.83	1.33	0.00		0.00	0.00	0.00		21.83	0.00	0.00	923.15
	कुल	0.00	0.00	0.00		212.18	5.49	0.00		0.00	0.00	0.00		212.18	905.49	0.00	1117.67
झारखण्ड																	
40	राँची विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00		22.37	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		22.37	1.00	0.00	23.37
41	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.74	0.00	0.00	0.74
	कुल	0.00	0.00	0.00		23.11	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		23.11	1.00	0.00	24.11
कर्नाटक																	
42	बंगलूरू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		154.49	24.30	0.00		0.00	0.00	0.00		154.49	24.30	0.00	178.79
43	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		16.40	4.20	0.00		0.00	0.00	0.00		16.40	4.20	0.00	20.60
44	कर्नाटक विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		138.73	1.80	0.00		0.00	0.00	0.00		138.73	1.80	0.00	140.53
45	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		4.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4.35	0.00	0.00	4.35
46	मैंगलूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		119.82	10.60	0.00		0.00	0.00	0.00		119.82	10.60	0.00	130.42
47	मैसूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		18.88	3.89	0.00		0.00	0.00	0.00		18.88	3.89	0.00	22.76
48	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		0.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.67	0.00	0.00	0.67
49	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	15.00
50	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		5.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.99	0.00	0.00	5.99
	कुल	0.00	0.00	0.00		474.33	44.79	0.00		0.00	0.00	0.00		474.33	44.79	0.00	519.12
केरल																	
51	कालीकट विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		339.96	46.00	0.00		0.00	0.00	0.00		339.96	46.00	0.00	385.96
52	कन्नूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		42.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		42.66	0.00	0.00	42.66
53	केरल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00		26.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		26.28	0.00	0.00	26.28
54	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	0.00	0.00	0.00		435.59	56.08	0.00		0.00	0.00	0.00		435.59	56.08	0.00	491.68
	कुल	0.00	0.00	0.00		844.48	102.08	0.00		0.00	0.00	0.00		844.48	102.08	0.00	946.57
मध्य प्रदेश																	
55	अवदेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रेवा	0.00	0.00	0.00		16.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		16.83	0.00	0.00	16.83

		क्षेत्र-1			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल महाविद्यालयवार (लाख रुपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
56	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.59	0.00	0.00	42.59
57	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59	0.00	0.00	29.59
58	जीवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.62
59	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
60	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.63	0.00	0.00	104.63
	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.03	175.55	0.00	786.58
61	मुम्बई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.88	41.22	0.00	284.10
62	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.60	26.06	0.00	204.66
63	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.21	380.15	0.00	1645.37
64	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.40	181.87	0.00	995.27
65	शिवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.19	43.13	0.00	200.33
66	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	1.40	0.00	36.00
67	एसआरटीएम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.34	75.28	0.00	425.62
68	सोलापुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.86	0.00	0.00	30.86
69	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.36	73.92	0.00	531.28
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4141.48	998.59	0.00	5140.07
	ओडीशा													
70	फकीर मोहन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	9.90	0.00	47.25
71	उत्तरी ओडिशा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	1.20	0.00	15.53
72	उत्कल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	4.80	0.00	35.62
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49	15.90	0.00	98.39
	पंजाब / चंडीगढ़													
73	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	125.80	0.00	656.80
74	पंजाब विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.69	127.50	0.00	599.19
75	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22	25.73	0.00	134.95
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1111.92	279.02	0.00	1390.94
	राजस्थान													
76	एमडीएस विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	13.70
77	मोहन लाल सुखादिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	2.53
78	राजस्थान विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00	27.02
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	43.25
	तमिलनाडु													
79	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	3.60	0.00	5.52
80	अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	40.68
81	भरथियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.56	0.00	0.00	217.56
82	भारथीदासन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33	24.40	0.00	162.73

		क्षेत्र-1			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल महाविद्यालयवार (लाख रूपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
83	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	237.41	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	237.41	39.44	0.00	276.85
84	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	82.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	11.50	0.00	93.50
85	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	58.89
86	थिरुवल्लूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.28	0.00	0.00	47.28
87	मद्रास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	155.35	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	155.35	0.31	0.00	155.66
	कुल	0.00	0.00	0.00	979.41	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	979.41	79.24	0.00	1058.66
	तेलंगाना													
88	जेएनटीयू हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76	0.00	0.00	24.76
89	काकतीया विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	2.51
90	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61	0.00	0.00	27.61
	कुल	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00	54.88
	उत्तर प्रदेश													
91	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
92	सीसीएस विश्वविद्यालय, मेरठ	0.00	0.00	0.00	134.23	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23	49.97	0.00	184.20
93	सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	7.91	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	23.98	0.00	31.89
94	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	61.98	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98	42.85	0.00	104.83
95	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	0.00	0.00	0.00	37.89	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	33.94	0.00	71.83
96	डॉ आर.एम.एल.ए. विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	56.20	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	102.92	0.00	159.12
97	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	2.62
98	एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	27.15	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15	36.62	0.00	63.77
99	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	112.27	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	112.27	194.08	0.00	306.35
100	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	8.21	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	38.70	0.00	46.91
101	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	29.55	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55	72.42	0.00	101.97
	कुल	0.00	0.00	0.00	478.21	595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	478.21	595.48	0.00	1073.69
	उत्तराखण्ड													
102	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94
	पश्चिम बंगाल													
103	कल्याणी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69
104	बर्दवान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.80	0.00	2.60
105	कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	155.72	3.60	109.50	0.00	0.00	0.00	155.72	3.60	109.50	268.82

		क्षेत्र-1			क्षेत्र-3			क्षेत्र-4			कुल महाविद्यालयवार (लाख रुपयों में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
106	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
107	वेस्ट बंगाल राज्य विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	65.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	65.55	1.80	0.00	67.35
108	विद्यासागर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	100.86	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.86	35.70	0.00	136.56
	कुल	0.00	0.00	0.00	324.63	44.70	109.50	0.00	0.00	0.00	324.63	44.70	109.50	478.83
	कुल: एसयू	0.00	0.00	0.00	10221.84	2550.64	109.50	0.00	900.00	0.00	10221.84	3450.64	109.50	13781.97
	गैर- विश्वविद्यालय/संस्थान													
	कुल गैर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	15.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.75	0.00	15.75
	कुल: सीयू	1902.05	300.00	12973.80	62506.63	5077.44	183027.29	0.00	0.00	0.00	64408.68	5377.44	196001.09	265787.20
	कुल: डीयू	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
	कुल: एसयू	0.00	0.00	0.00	10221.84	2550.64	109.50	0.00	900.00	0.00	10221.84	3450.64	109.50	13781.97
	कुल योग	1902.05	300.00	12973.80	72743.54	7628.82	183136.79	0.00	900.00	0.00	74645.59	8828.82	196110.59	279585.00

1.5 केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली महाविद्यालयों में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए एक समान स्टाफ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया। जेसीआरसी की रिपोर्ट क्रमशः 18.01.2008, 12.06.2009 और 23.09.2010 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। रिपोर्ट देखने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान जेसीआरसी द्वारा विकसित 24 संवर्गों पर पृथक पदों की जानकारी मांगी। इन पदों की जानकारी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों / सम विश्वविद्यालयों (100: वित्त पोषित) के संबंध में पूरी की गई है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।

केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में एसीपी / एमएसीपी योजनाओं का कार्यान्वयन

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी के अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अग्रेषित और तैयार किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, अपने स्वयं के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एसीपी / एमएसीपी योजना को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है, जब भी इन योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालयों से कोई प्रश्न / स्पष्टीकरण प्राप्त होता है, तो उस पर जेसीआरसी अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के लिए विनयमन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 02.11.2017 की अधिसूचना संख्या 1-7 / 2015-U-II (2) के आधार पर रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के पदों के लिए वेतन संरचना / पैमाने के संशोधन की योजना के संबंध में, यूजीसी ने उपरोक्त पदों के लिए विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार मसौदा विनियमों को आयोग द्वारा 29.01.2019 को आयोजित 538 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।

13-15 जनवरी, 2020 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर मसौदा नियमों को फिर से संशोधित किया गया है और उसे उनके अनुमोदन / सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया।

पृथक पद

अभियंता, प्रोग्रामर, सिस्टम विश्लेषक, नेटवर्क विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी आदि और अन्य पृथक पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और अन्य नियम और शर्तें तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक 28 - 29 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई थी और सभी सीयू / डीयूएस से सूचना मांगने का निर्णय लिया गया (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित 100:)

गैर-शिक्षण कर्मचारियों केंद्रीय विश्वविद्यालयों/दिल्ली विश्वविद्यालयों के विभिन्न मुद्दों के लिए विसंगति समिति

आयोग ने जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त समविश्वविद्यालय/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विसंगति मामलों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों/दिल्ली विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विसंगति संबंधी मामलों को हल करने के लिए आवधिक रूप से बैठकें आयोजित की गईं।

1.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित छह बैठकें आयोजित कीं:

540 वीं बैठक, 9 अप्रैल 2019

541 वीं बैठक, 13 जून, 2019

542 वीं बैठक, 2 अगस्त, 2019

543 वीं बैठक, 9 अगस्त, 2019

544 वीं बैठक, 16 अक्टूबर, 2019

545 वीं बैठक, 19 दिसंबर, 2019

निम्न पर 2019-20 के दौरान आयोग के प्रमुख निर्णय

- मानकों से संबंधित मामले
- सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से संदर्भ
- विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय को अनुदान

540 वीं बैठक, 9 अप्रैल, 2019

- आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा 2019 से 31.03.2020 तक कौशल केंद्रों को आवंटित अनुदान सहायता सहित लिए गए निर्णय को परिशोधित किया। यह भी संकल्प लिया गया कि सभी प्रमुख योजनाओं की बाह्य समीक्षा की जाएगी।
- आयोग ने ओडीएल शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित कुछ मामलों पर यूजीसी द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाईयों का उल्लेख किया।
 - (i) विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों) में एनएएसी स्कोर प्रयोज्यता से संबंधित ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित नहीं करने का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय।
 - (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय है कि "जुलाई, 2019 सत्र के लिए कोई नए आवेदन नहीं होने चाहिए क्योंकि शैक्षणिक वर्ष 2019 के लिए अधिकांश पात्र संस्थानों की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली गई है।"
 - (iii) प्रो.बी.पी. सबले, सदस्य, पूर्व-कुलपति, वाईसीएमओयू का जेएस (डीएल), एमएचआरडी के स्थान पर कार्यदल सदस्य के रूप में नामांकन।
 - (iv) वाईसीएमओयू के मामले में अपील प्रक्रिया को पूरा करना।
 - (v) यूजीसी की वेबसाइट पर मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के पात्र यूजीसी (वर्गीकृत स्वायत्त के अनुदान के लिए) केवल विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण विनियम, 2018 के अनुसार श्रेणी - I के तहत 20 उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) की सूची अपलोड करना।
 - (vi) शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्राप्त स्थिति।
 - (vii) शैक्षिक सत्र 2019-20 से ओडीएल मोड-कृषि डिग्री प्रोग्राम और होटल प्रशासन/प्रबंधन कार्यक्रम में निषिद्ध कार्यक्रम।
- आयोग ने समविश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रमों और ऑफ-कैंपस के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए गठित यूजीसी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदन किया- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 01.02.2019 का पत्र संख्या F. 10-20/2018-U3(A) देखें।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति, जिन्होंने यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थानों) विनियम, 2016 के तहत यथा अपेक्षित उनके कामकाज की समीक्षा करने के लिए 11-12 जनवरी, 2019 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), समविश्वविद्यालय, बंगलोर, कर्नाटक का दौरा किया था, की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदन किया।
- आयोग ने समिति द्वारा अनुशंसित शर्तों के साथ वरिष्ठ शिक्षाविदों/अधिकारियों को एक घंटे की अवधि के 5000/- रुपये प्रति व्याख्यान रुपये के मानदेय के भुगतान के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया। आयोग ने हालांकि यह महसूस किया कि इस प्रकार के संकाय को 'विशिष्ट विजिटिंग संकाय' के रूप में नामित किया जाये और मानदेय के अलावा यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान भी किया जाये।

- पिछले तीन वर्षों के औसत व्यय का 50 प्रतिशत से कम अनुदान प्राप्त करने वाले समविश्वविद्यालय संस्थानों अथवा स्व वित्तपोषित समविश्वविद्यालयों के प्रबंधन बोर्ड और वित्त समिति में यूजीसी के प्रतिनिधि को नामित करने के लिए एक पेनल को गठित करने की प्रक्रिया पर विचार किया और यह राय व्यक्त की कि यूजीसी 2016 विनियमों के तहत एमएचआरडी द्वारा गठित जांच समिति द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों की सूची से नामों का एक पेनल तैयार करेगा। यूजीसी पेनल में शामिल करने के लिए आयोग के सदस्यों के विशेषज्ञों के नाम भी मांगेगा। यह भी विचार किया गया कि एनबीए और एनएएसी मूल्यांकन कर्ताओं और अन्य स्रोतों की सूची के विशेषज्ञों को शामिल करके सूची का विस्तार करेगा।

अध्यक्ष को प्रबंधन बोर्डों और वित्त समितियों में यूजीसी प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया था।

- आयोग ने विश्वविद्यालयों की शिक्षण, अनुसंधान, वित्तीय और अवसंरचनात्मक लेखापरीक्षा पर विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट से संबंधित टिप्पणियों / एटीआर की जांच के लिए और उस पर कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिए यूजीसी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने यूजीसी योजनाओं के युक्तिकरण पर विचार किया और निम्नानुसार मत प्रस्तुत किया :
 - (i) प्रतिबद्ध देनदारियों को मंजूरी देने के लिए यूजीसी की सभी योजनाएँ 31.03.2020 तक जारी रहेंगी।
 - (ii) चयनित नई योजनाओं के लिए, अध्यक्ष, यूजीसी. के अनुमोदन से इस उद्देश्य के लिए बनाने गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे।
 - (iii) यूजीसी की सभी मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन उनके कार्य परिणाम के संबंध में दिसंबर, 2019 तक किया जाएगा।
 - (iv) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को दिए गए सभी अनुदानों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का उपयोग किया गया है।
 - (v) यूजीसी की योजनाओं को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों यानी (i) विश्वविद्यालयों को अनुदान (ii) महाविद्यालयों को अनुदान (iii) शिक्षकों को अनुदान (iv) छात्रों/छात्रवृत्ति धारकों को अनुदान और (v) विशेष स्तर वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए योजनाओं पर विचार भी किया गया। हालाँकि, इन 5 श्रेणियों के भीतर संचालित की जाने वाली योजनाओं को ईक्यूआईपी कार्यक्रम में संचालित होने वाली योजनाओं के साथ मिलाया जायेगा।
- आयोग ने दिनांक 6 मार्च को आयोजित डीईबी कार्य दल और ऑनलाइन विनियमन प्रारूपण समिति की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्तों पर विचार किया और अनुमोदन दिया, जबकि आयोग ने, इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि यूजीसी ऑनलाइन विनियमों के अनुसार ऑनलाइन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की पात्रता में एनएएसी और एनआईआरएफ दोनों बेंचमार्क हैं, यह संकल्प लिया कि उनके प्रस्तावों के आकलन के लिए यूजीसी, दिल्ली में इंटरफेस बैठकों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए कोई दौरा नहीं किया जायेगा। यह दौरा केवल तभी किया जायेगा, जब दस्तावेजी सबूतों के साथ शिकायत प्राप्त हो और / या विनियमों का अनुपालन न किया गया हो।
- आयोग ने 31.03.2020 तक संस्थानों को एसएपी अनुदान देने पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया तथा यूपीई, सीपीई आदि जैसी सदृश योजनाओं को 31.03.2020 तक विस्तारित करने का संकल्प भी लिया।
- आयोग ने यूजीसी(ओडीएल) विनियम, 2017 और इसके बाद के संशोधनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का दौरा करने के लिए विशेषज्ञ समितियों के गठन के लिए विशेषज्ञों के पेनल पर विचार किया और यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 और इसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने हेतु विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में 331 नाम और अध्यक्ष के रूप में 71 नामों वाले विशेषज्ञों के पेनल को अनुमोदन दिया। आयोग ने निम्नलिखित संकल्प भी लिया:
 1. अनुमोदित सूची के अलावा, अध्यक्ष, यूजीसी अन्य विशेषज्ञों को नामित करने के लिए अधिकृत है।
 2. विशेषज्ञों के पेनल का उपयोग ओडीएल और ऑनलाइन विनियम दोनों को लागू करने के लिए किया जाएगा।

3. अनुमोदित सूची में विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का उपयोग यूजीसी (ओडीएल) और ऑनलाइन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी बैठकों जैसे स्क्रीनिंग समिति, इंटरफेस समिति, प्रतिनिधि समिति आदि के लिए भी किया जाएगा।
 4. जेएस (डीईबी) आयोग के सदस्यों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे, कि वे उन विशेषज्ञों के नाम को अग्रेषित करें, जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी के लिए किया जा सकता है।
- आयोग ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की शिकायतों से संबंधित विनियमों पर विचार किया और निम्नलिखित आसंशोधनों को करने का सुझाव दिया:
 - (i) लोकपाल की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालयों के लिए राज्य-वार होगी और प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए लोकपाल होने के बजाय केंद्रीय और समविश्वविद्यालय संस्थानों के लिए क्षेत्रवार होगी।
 - (ii) राज्य विश्वविद्यालयों के लिए लोकपाल के लिए नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकार होगी और केंद्रीय और समविश्वविद्यालय संस्थानों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी केंद्र सरकार होगी।
 - (iii) लोकपाल की नियुक्ति के लिए जांच समिति का गठन भी तदनुसार परिशोधित किया जायेगा।
- आयोग ने नियमों के अन्य प्रावधानों पर चर्चा की और सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए विनियमों को संशोधित करने पर विचार किया। अध्यक्ष, यूजीसी को विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया था।
- आयोग ने यूजीसी द्वारा की गई नई पहल के तहत प्रस्तावित विचारों की सराहना की और विचार किया कि यूजीसी द्वारा ये पहल एक फास्ट ट्रैक मोड में की जाए। इसके लिए 'पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी परिसर विकास' तथा व्यवसायिक नैतिकता व मानवीय मूल्यों के समावेश के लिए यूजीसी द्वारा दिशानिर्देश विकसित करने पर भी विचार किया गया।
 - आयोग ने अकादमिक स्टाफ यानी निदेशक सह प्रोफेसर, उप निदेशक सह एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर सह सहायक प्रोफेसर आदि के पदों पर नियुक्तियों तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों के बारे में मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसीएस) के लिए संशोधित दिशा निर्देशों पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया।

(सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों से संदर्भ)

- आयोग ने यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 के दायरे के बाहर इग्नू को रखने के संबंध में एमएचआरडी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया और निम्नानुसार संशोधनों को अनुमोदित किया:
 - (क) यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 के उप-विनियमन (1) (3): ये नियम इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी में कार्यक्रमों के अलावा, पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अधिगम के सभी डिग्री कार्यक्रमों के लिए और किसी अन्य नियामक संस्था द्वारा दूरस्थ मोड में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमत कार्यक्रमों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (च) में संदर्भित विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।
 - (ख) यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 के उप-विनियमन (2) (जे): 'उच्चतर शैक्षणिक संस्थान' से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल समविश्वविद्यालय संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा धारा 2 के खंड (च) में शामिल किए गए विश्वविद्यालय से है।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने सीईसी(आईयूसी) और मीडिया सेंटर के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति को संशोधित करने पर विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में पूर्व स्नातक कार्यक्रम के लिए अधिगम परिणाम पर आधारित पहुंच पर पाठ्यक्रम के विकास और संशोधन के लिए रोड मैप पर विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने जीवन कौशल (जीवन कौशल) पर पाठ्यक्रम पर विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने भारत में 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधारों' पर विचार और अनुमोदन दिया।

541 वीं बैठक ,13 जून, 2019

- आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के बाहर की संस्थाओं को एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मान्यता के संबंध में दिनांक 12 दिसंबर, 2017 और 15 जनवरी, 2018 के पत्र और 25 फरवरी, 2019 के पत्र द्वारा भारत के अतिरिक्त महा सॉलिसिटर द्वारा दिए गए कानूनी विचार के अनुसार श्रीमती नाथीबाल दामोदर थैकरसे महिला विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) मुंबई के प्रतिनिधित्व पर विचार किया। आयोग ने यह पाया कि:

- क. श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसे भारतीय महिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय को मुंबई में डॉ धोंडो केशव कर्वे, जो एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और भारत रत्न से सम्मानित हैं, की पहल से और सर विठ्ठलदास दामोदर थैकरसे से प्राप्त बड़ी वित्तीय सहायता से वर्ष 1916 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया और यह संस्था महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी।
- ख. 1949 में, अपनी सिफारिशें देने के लिए तत्कालीन मुंबई सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी, जिस पर एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के लिए एक विधायी अधिनियम बनाया गया। उक्त समिति ने सरकार को इस आशय की एक स्पष्ट सिफारिश की कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र को, किसी भी कानून के प्रतिकूल किसी भी प्रावधान के बावजूद, ग्रेटर मुंबई और पूना की सीमा से परे पूरे भारत और उसके राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, एक बिल, जिसे 1949 के एलए बिल नंबर LX के रूप में जाना जाता है, को महिला विश्वविद्यालय, जिसको श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसे महिला विश्वविद्यालय कहा जाता है, को मान्यता देने और स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मुंबई प्रांत या भारतीय राज्य या अन्य प्रदेशों में अपने विशेषाधिकारों के लिए शैक्षिक संस्थानों को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र रखते हुए, भारत सरकार के अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत, महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना था।
- ग. इसके बाद, अधिनियम 'श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसे महिला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 को 23.11.1949 को अधिनियमित किया गया।
- घ. 1974 में, तब अस्तित्व में होने वाले व्यक्तिगत गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में महाराष्ट्र राज्य विधायिका द्वारा विभिन्न अधिनियमन पारित किए गए थे। जिसमें एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 शामिल है। हालांकि, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के लिए एक सांविधिक अपवाद स्पष्ट रूप से बनाया गया था, जिसे अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। उक्त एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई थी।
- ङ. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (धारा 105) के साथ-साथ महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (धारा 137) में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को उपर्युक्त, अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है, आयोग ने यह विचार किया कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई द्वारा दी गई संबद्धन उल्लिखित दिनांक के अनुसार संस्थानों को दी जाये। हालांकि,

आयोग महाराष्ट्र राज्य सरकार को एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई के मौजूदा अधिनियम में संशोधन के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर विचार करने के लिए लिख सकता है, जिससे संस्थानों को संबद्धन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में यूजीसी की नीति और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उसे लाया जा सकें।

- आयोग ने ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित कुछ मामलों पर यूजीसी द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई का उल्लेख किया:

- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त व दूरस्थ शिक्षा) चौथा संशोधन विनियमन, 2019 की अधिसूचना
- (2) तीसरे संशोधन के तहत 41 उच्चतर शिक्षा संस्थानों का दौरा करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन।
- (3) मुक्त व दूरस्थ अधिगम मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पात्र श्रेणी- I के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अद्यतन सूची।
- (4) स्वयं अधिगम प्लेटफॉर्म के लिए 7 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में निर्णय लिया गया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और शनमुधा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी को आशय पत्र जारी किया गया।

आयोग ने (i) 21 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (19 अनुमोदित नहीं किए गए और 2 अनुमोदित) जिन्होंने गैर- स्वयं अधिगम प्लेटफॉर्म चुना है, के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के निर्णय, (ii) यूजीसी के अनुमोदन के बिना पहले से ही ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने की शिकायतों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्लेटफॉर्म के अनुमोदन के लिए एमिटी विश्वविद्यालय से पत्राचार रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को भी नोट किया। अध्यक्ष, यूजीसी इस मामले में मांगे गए स्पष्टीकरण पर विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने पूर्व यूजीसी और एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों / सुझावों के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा बताए गए अनुपालन की जांच करने के लिए चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल (तेलंगाना) का दौरा किया था और यह निर्णय लिया कि अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचारों के बारे में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने उसकी समग्र रूप से समीक्षा करने के लिए उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) (समविश्वविद्यालय) सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान – 331403 का दौरा किया और यह संकल्प लिया कि अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचारों के बारे में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), गोरेगांव (पूर्व), मुंबई के लिए समविश्वविद्यालय स्तर जारी रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की जाये। दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझावों को, यदि कोई हो, 6 महीने की अवधि में समविश्वविद्यालय को बताया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- आयोग ने समविश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा शुरू किए गए ऑफ-परिसर और पाठ्यक्रमों के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए गठित यूजीसी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उस पर अनुमोदन दिया – मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 08.03.2019 की पत्र संख्या एफ 10-18 / 2018-यू 3 (क) देखें।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए संतोष (समविश्वविद्यालय), संतोष नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) का दौरा किया और यह संकल्प लिया कि निरीक्षण रिपोर्ट में उजागर की गई सभी कमियों को सुधारने और छह महीने के भीतर यूजीसी को इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा

अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचारों के बारे में कार्य योजना भी प्रस्तुत करने के लिए संस्थान को कहा जाये।

- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सामान्य श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय की स्थिति के सेंट एलॉयसियस के नाम से प्रस्ताव का आकलन करने के लिए सेंट एलॉयसियस महाविद्यालय, मंगलौर (कर्नाटक) का दौरा किया और यह विचार किया कि अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचारों के बारे में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि सेंट पीटर उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), टोनकेला कैप रोड, अवाडी, चेन्नई- 600054 (तमिलनाडु) का समविश्वविद्यालय का स्तर जारी रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की जाये। दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझावों को, यदि कोई हो, 6 महीने की अवधि में समविश्वविद्यालय द्वारा बताया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पाई गई कमियों के संबंध में रिपोर्ट के अनुपालन के लिए यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह संकल्प लिया कि वेल्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उन्नत अध्ययन संस्थान (वीआईएसटीएस) (समविश्वविद्यालय), पल्लारम, चेन्नई (तमिलनाडु) का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की जाये। दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति के सुझावों को, यदि कोई हो, 6 महीने की अवधि में समविश्वविद्यालय द्वारा बताया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- आयोग ने यूजीसी प्रारूप (यूजीसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) के तहत कॉलेजों की मान्यता) विनियम, 2019 और यूजीसी प्रारूप (अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों की फिटनेस) नियम, 2019 के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि:

- (i) विनियम और नियमों की प्रारूप रिपोर्ट सभी आयोग सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर उनकी टिप्पणियों / प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भेजी जाए।
- (ii) आयोग के सदस्यों की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, इसे हितधारकों से 15 दिनों के भीतर टिप्पणियां / प्रतिक्रिया मांगने के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

आयोग ने इसके आगे यह भी संकल्प लिया कि आयोग के सदस्यों और हितधारकों से प्राप्त उपयुक्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया को शामिल करने के बाद उपर्युक्त विनियमों और नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, यूजीसी को अधिकृत किया जाये।

- आयोग ने नए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों)/कार्यक्रम (कार्यक्रमों/ संकाय(संकायों)/विद्यालय (विद्यालयों) को शुरू करने हेतु समविश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित यूजीसी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने शैक्षिक व अनुसंधान नैतिकता शक्तिप्रदत्त समिति संघ (CARE-EC) की रिपोर्टों पर विचार किया। आयोग ने विश्व भर में संदिग्ध/हिंसक पत्रिकाओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण प्रकाशन में होने वाली अनैतिक/भ्रामक प्रथाओं के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और इस तथ्य पर कि भारत में अपहरक (Predatory) पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत काफी अधिक है और यह संकल्प लिया कि इस तरह की अनैतिक प्रथाओं को तुरंत नाकाम कर दिया जाए। आयोग ने आगे यह भी उल्लेख किया कि छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित अकादमिक कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिकता और अकादमिक अखंडता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अनुसंधान आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आयोग ने भारत और विदेशों से गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी-केएआरई संदर्भ सूची की पहचान, निरंतर निगरानी और रखरखाव के लिए सीएआरई के प्रयास की सराहना की (इसके आगे इसे यूजीसी-सीएआरई के रूप में संदर्भित किया गया)। यह नोट किया गया था कि सीएआरई वेबसाइट प्रासंगिक प्रकाशनों, दृश्य – श्रव्य सामग्री, वीडियो, वेबलिंग, एफएक्यू, फीडबैक, आवर्धन / विलोपन और शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधान के रूप में उपयोगी संसाधन भी प्रदान करेगी।

सीएआरई-ईसी की रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, आयोग ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार समाधान किया:

1. 19 दिसंबर, 2018 को आयोजित शैक्षिक व अनुसंधान नैतिकता संघ (सीएआरई) की बैठक और 27 दिसंबर, 2018 और 18 मार्च, 2019 को आयोजित सीएआरई – ईसी की बैठकों के कार्यवृत्त नोट किए गए हैं और इसकी पुष्टि की गई।
2. 21 मई, 2019 को आयोजित सीएआरई-ईसी की बैठक के कार्य-बिंदु नोट किए गए हैं और उसे अनुमोदित किया गया है। आगे यह संकल्प किया गया कि कार्यवाई- बिंदुओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
3. इसके अलावा, सीएआरई के सुचारु संचालन के लिए, निम्नलिखित का समाधान निकाला गया :
 - क. डायनामिक (गतिशील) सूची के रूप में यूजीसी-केयर लिस्ट जारी करने और सृजन, उन्नयन, रखरखाव के लिए सीएआरई-ईसी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को अनुमोदित किया गया है।
 - ख. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू), पुणे में पत्रिका विश्लेषण के लिए यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई यूजीसी-सीएआरई सूची को प्रस्तुतीकरण में दिखाए गए अनुसार अनुमोदन दिया गया है।
 - ग. यूजीसी-सीएआरई सूची का पहला संस्करण तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए और यूजीसी वेबसाइट के साथ-साथ सांविधिक परिषदों/सरकारी निकायों की वेबसाइटों पर तुरंत प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो सीएआरई के सदस्य हैं। यूजीसी-सीएआरई लिस्ट को सीएआरई-ईसी की देखरेख में हर तिमाही में अद्यतन किया जाना चाहिए।
 - घ. यूजीसी की प्रासंगिक अधिसूचनाओं/विनियमों को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और प्रत्यायन/रैंकिंग एजेंसियों जैसे एनएएसी, एनआईआरएफ, एनबीए आदि द्वारा सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विचार किए जाने वाले अनुसंधान पत्रिकाओं के स्रोतों के लिए यूजीसी- सीएआरई सूची में शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।
 - ड. स्कोपस और वेब विज्ञान में अनुक्रमित भारतीय पत्रिकाओं को उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए सीएआरई वेबसाइट पर अलग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
 - च. गुणवत्ता पत्रिका के पत्रिका विश्लेषण और प्रत्ययनीय डॉटाबेस के सृजन को एसपीपीयू, पुणे में पत्रिका विश्लेषण (जर्नल एनालिसिस) के लिए यूजीसी प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आईएनएफएलआईबीनेट सेंटर सीएआरई वेबसाइट में सुधार लाने और रखरखाव करने के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
4. आयोग ने यूजीसी-सीएआरई वेबसाइट को जारी करने के साथ यूजीसी द्वारा सार्वजनिक नोटिस के रूप में जारी किए जाने वाले मसौदा सलाहकार को भी अनुमोदन दिया।
- आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से एसईटी परीक्षा (परीक्षाओं) को आयोजित करने के लिए आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम को पुनः प्रत्यायन प्रदान करने के लिए समिति की रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन प्रदान किया।
- आयोग ने (i) मूल वैज्ञानिक अनुसंधान की अधिकार प्रदत्त समिति के निर्णयों पर (ii) बीएसआर संकाय फ़ैलोशिप की योजना के तहत वार्षिक आधार पर 5,00,000/- रुपये प्रति वर्ष जारी करने के लिए आकस्मिक अनुदान देने पर विचार किया और अनुमोदन दिया।

- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसका रूपांतरण होने के परिणामस्वरूप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 15.01.2009 से सहायक रजिस्ट्रार के रूप में समन्वयक सह प्लेसमेंट अधिकारी और पाठ्यक्रम समन्वयक के दो अलग-अलग पदों के युक्तिकरण के लिए विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने यूजीसी में विसंगतियों पर ध्यान देने के लिए गठित विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय), विनियम 2018 पर विचार किया और विसंगति निवारण समिति की सिफारिशों पर आयोग के सदस्यों की टिप्पणियों को प्राप्त करने का संकल्प किया।
- आयोग ने (i) "राष्ट्रीय विकास और उद्यमिता के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एसटीआरआईडीई) के माध्यम से ट्रांस-विषयात्मक अनुसंधान के लिए योजना" अम्ब्रेला के तहत तीन नई योजनाओं के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और (ii) एसटीआरआईडीई को लागू करने के लिए बीएचयू द्वारा बजट प्रस्तुत करने के साथ कार्य योजना पर विचार किया और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने सेनगुंटार इंजीनियरिंग कॉलेज, कोसवमपालयम, कुमारमंगलम, तिरुचेंगोडे, तमिलनाडु को नई स्वायत्तता का दर्जा देने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों पर स्थायी समिति के फैसलों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों में, समविश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में पदोन्नति, सीएसएस आदि के लिए दिशानिर्देश, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और अन्य रजिस्ट्रार कैडर पदों की नियुक्ति के लिए, अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम योग्यता पर विनियमों को बनाने के लिए यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अद्यतन रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने 5 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। इसके अलावा, आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के दूसरे और तीसरे संशोधन के तहत शेष उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रिपोर्ट पर संकल्प लेने के लिए अधिकृत किया। आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि ब्यूरो को विजिटिंग कमेटी की रिपोर्टें प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- हालांकि, तीसरे संशोधन के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रिपोर्टों के संबंध में अध्यक्ष, यूजीसी के अनुमोदन से निर्णय को सत्र 2019-20 के लिए 31 जुलाई, 2019 तक एक साथ संप्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी निर्णयों की सूचना आयोग को दी जानी चाहिए।
- आयोग ने एमएचआरडी की टिप्पणियों के साथ-साथ शैक्षणिक संचार संघ (यूजीसी का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र) को स्वायत्त पर गैर-प्रौद्योगिकी पीजी एमओओसीएस पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसकी स्वीकृति दी। आयोग ने संकल्प लिया कि सीईसी के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में शामिल करने हेतु कार्ययोजना और कार्यनीति तैयार की जाए और उसे प्रस्तुत किया जाए। आयोग ने आगे यह संकल्प किया कि जुलाई पाठ्यक्रमों के लिए, यूजीसी राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में काम करना जारी रखेगा।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने आयोग के निर्णय के अनुसार संस्थान की समग्र समीक्षा करने के लिए विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (समविश्वविद्यालय), एनएच -47, संकरी मेन रोड, अरनूर, सलेम (तमिलनाडु) का दौरा किया था और यह भी संकल्प लिया कि अनुसंधान और प्रकाशन की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार के बारे में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने अपने कामकाज की समीक्षा करने के लिए जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जेआईआईटी), (समविश्वविद्यालय), नोएडा (उत्तर प्रदेश) का दौरा किया और यह संकल्प लिया कि अनुसंधान और प्रकाशनों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचारों के बारे में संस्थान से कार्य योजना प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाए।

- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) समविश्वविद्यालय, निरजुली, ईटानगर, जिला पापुम पारे – 791109 (अरुणाचल प्रदेश) को समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के लिए एमएचआरडी को सिफारिश करने का संकल्प लिया। विजिटिंग विशेषज्ञ समिति के सुझावों को, यदि कोई हो, समविश्वविद्यालय द्वारा 6 महीने की अवधि में संबोधित किया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्गीकृत स्वायत्तता देने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण, विनियम, 2018 की श्रेणी –1 के तहत रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान (समविश्वविद्यालय), पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के वर्गीकरण के बारे में विचार किया और अनुमोदित किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने विचार किया और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु से संबंधित प्रशासनिक मामलों को मंजूरी दी।

542 वीं बैठक, 2 अगस्त 2019

(विविध)

- आयोग ने श्री एन गोपालस्वामी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की रिपोर्टों पर विचार किया और (15) सार्वजनिक संस्थानों और (15) निजी संस्थानों को प्रमुख संस्थानों का दर्जा देने की सिफारिश करने वाली रिपोर्टों पर चर्चा की।

चूंकि इस योजना में केवल (10) सार्वजनिक और (10) निजी संस्थानों के लिए ही प्रावधान है, आयोग ने पारदर्शी और सत्यापन योग्य मानदंडों का उपयोग करते हुए (15) सार्वजनिक और (15) निजी संस्थानों की सूची की जांच की।

यह ईईसी द्वारा संस्तुत (15) सार्वजनिक और (15) निजी संस्थानों की सूची से (10) सार्वजनिक और (10) निजी संस्थानों की पहचान के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग करने का संकल्प किया गया था:

- क) चूंकि योजना का जोर वैश्विक रैंकिंग के लिए संस्थानों को तैयार करने के लिए है, कोई भी मौजूदा संस्थान जिसे नवीनतम क्यूएस रैंकिंग / नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग में चित्रित नहीं किया गया है, को आईओई दर्जा के लिए अनुशंसित किया जाएगा।
- ख) उपर्युक्त मानदंड को समाप्त करने के बाद ही, यदि कोई स्लॉट खाली रहता है, तो (ग्रीनफील्ड) के प्रस्तावों को अभी स्थापित किये जाने पर विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक संस्थान

सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थानों को पहले ही श्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया था।

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई
3. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार, आयोग ने संस्थानों की जांच की और क्यूएस 2020 विश्व रैंकिंग के अनुसार शेष अनुशंसित संस्थानों की सूची को स्थान दिया। जहां कहीं भी टाई है, टाई-ब्रेकर के रूप में क्यूएस 2019 भारत रैंकिंग का उपयोग किया।

तदनुसार, इसे उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित अनुशंसा करने का लिए संकल्प किया गया था:

क्रम सं.	संस्थान	विश्व रैंकिंग (QS 2020)	भारत रैंकिंग (QS 2019)	यूजीसी की सिफारिश
4	आईआईटी मद्रास (आईएनआई)	271	3	आईओई घोषित करने के लिए अनुशंसित
5	आईआईटी खड़गपुर (आईएनआई)	281	5	
6	दिल्ली विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	474	8	
7	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	601-650	7	
8	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता (राज्य विश्वविद्यालय)	651-700	12	विचार करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श की आवश्यकता है
9	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई (राज्य विश्वविद्यालय)	751-800	13	
10	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	801-1000	15	आईओई घोषित करने के लिए अनुशंसित
11	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (राज्य विश्वविद्यालय)	801-1000	19	केवल के रूप में नहीं माना जाता है
12	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	801-1000	33	10 संस्थानों की सिफारिश की जानी थी
13	तेजपुर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	रैंक नहीं दी गई	36	
14	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय)	रैंक नहीं दी गई	49	
15	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम (राज्य विश्वविद्यालय)	रैंक नहीं दी गई	46	

इसके बाद यह संकल्प लिया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों जादवपुर विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों का हिस्सा (50 प्रतिशत तक) आवंटित करते हुए एक शासकीय पत्राचार जारी करने के बाद ही आईओई दर्जा जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

निजी संस्थान:

निम्नलिखित संस्थानों की पहले से ही सिफारिश की गई थी और उन्हें आशय पत्र दिया गया था:

1. बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी (ब्राउन फील्ड इंस्टीट्यूशन)
2. मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी (ब्राउन फील्ड इंस्टीट्यूशन)
3. जियो संस्थान (रिलाइंस फाउंडेशन) (ग्रीन फील्ड – अभी स्थापना की जानी है)

इसके आगे यह भी संकल्प किया गया था कि शेष अनुशंसित संस्थानों की जांच की जाये और नवीनतम क्यूएस इंडिया या एनआईआरएफ रैंकिंग में उनकी रैंकिंग पर विचार किया जाये। यदि सभी रैंक वाले संस्थानों पर विचार करने के बाद कोई खाली स्लॉट है, तो उस का उपयोग अभी स्थापित किए जाने वाले (ग्रीनफील्ड) संस्थान के लिए किया जाता है।

तदनुसार, निम्नलिखित संस्थानों को आशय पत्र (आईओई) जारी करने की सिफारिश करने के लिए संकल्प किया गया था:

क्रम सं	संस्थान	भारत रैंकिंग (QS 2019)	भारत रैंकिंग		यूजीसी की सिफारिश
			एनआईआरएफ		
			2019	2018	
4	अमृता विश्व विद्यापीठम , कोयम्बटूर, तमिलनाडु	40	8	8	आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए अनुशंसित
5	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर, तमिलनाडु	44	19	16	
6	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	51-55	18	23	
7	कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	61-65	31	42	
8	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, हरियाणा	66-70	-	-	
9	शिव नादर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	-	52	48	

क्रम सं	संस्थान	भारत रैंकिंग (QS 2019)	भारत रैंकिंग		यूजीसी की सिफारिश
			एनआईआरएफ		
			2019	2018	
10	भारती संस्थान, हरियाणा (सत्य भारती फाउंडेशन)	ग्रीनफील्ड (अभी स्थापित होना है)			खाली स्लॉट में आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए अनुशंसित
11	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक	रैंक नहीं दिया गया, विचार नहीं किया गया			
12	अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा				
13	केआरईए विश्वविद्यालय (IFMR), श्री सिटी, आंध्र प्रदेश				
14	आईआईएचएस(इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स), बेंगलुरु, कर्नाटक				
15	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, गांधीनगर, गुजरात				

आगे यह भी संकल्प किया गया था कि विनियमों के अनुसार, उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में प्रस्तावित निजी संस्थानों के मामले में, कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी, लेकिन वे विशेष श्रेणी समविश्वविद्यालय के रूप में अधिक स्वायत्तता के हकदार होंगे। इसके अलावा, ग्रीनफील्ड संस्थान को निजी क्षेत्र से उदार निधि को आकर्षित करने की सिफारिश की गई है और उच्चतर शिक्षा में नए / उभरते रुझानों को शुरू करने का एक अतिरिक्त लाभ भी है। ग्रीनफील्ड संस्थानों को संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए 3 वर्ष की अवधि मिलेगी, और उसके बाद, ईईसी ऐसे संस्थानों को आशय पत्र का दर्जा देने पर विचार करेगा।

543 वीं बैठक, 9 अगस्त 2019

- आयोग ने स्ट्राइड अर्थात् (अर्थात् 'भारत की विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस-विषयात्मक अनुसंधान हेतु योजना के लिए राष्ट्रीय विकास और उद्यमिता हेतु उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से ट्रांस विषयात्मक अनुसंधान के लिए योजना' से) परिचालन दिशानिर्देशों में किए गए अन्य आवश्यक परिवर्तनों के साथ एसटीआरआईडीई के पूर्ण रूप के परिवर्तन के संबंध में निर्णय की पुष्टि की।
 - आयोग ने ओडीएल कार्यक्रम से संबंधित कुछ मामलों पर यूजीसी द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को नोट किया:
 - 1(क): वर्ष 2018-19 (जुलाई और जनवरी शैक्षणिक सत्र) और 2019-20 (जुलाई शैक्षणिक सत्र) के लिए ओडीएल कार्यक्रमों की मान्यता स्थिति।
 - 1(ख): 31 जुलाई, 2019 को यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कार्यक्रमों के लिए वीएमओयू, कोटा के मामले में जुलाई 2019 से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत।
 - 1(ग): शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 (जुलाई और जनवरी शैक्षणिक सत्र) के लिए सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम को दी गई मान्यता वापस ली गई।
 - 1(ड से च): 31 जुलाई, 2019 को यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ (समीक्षा) समिति की विशेष टिप्पणियों के साथ निम्नलिखित उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता:
 - (i) एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान।
 - (ii) मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
 - (iii) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, बिहार
 - 1(छ): शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 (जुलाई और जनवरी शैक्षणिक सत्र) के लिए एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा के एम.एससी. (आईटी) कार्यक्रमों के लिए दी गई मान्यता वापस ले ली गई।
- विशेषज्ञ (समीक्षा) समिति द्वारा मान्यता के लिए सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये ओडीएल विनियमों के दायरे से बाहर हैं।

आयोग ने देखा कि कुछ उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने उन कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया है जो पिछले 3 वर्षों के दौरान यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं और 2019-20 के दौरान ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए मान्यता प्राप्त हैं। आयोग का विचार है कि कार्योत्तर मान्यता नहीं दी जाएगी, हालांकि, फिर भी उच्चतर शिक्षा संस्थान यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 और उसके संशोधनों के प्रावधानों का अनुपालन करता है, तो भावी मान्यता के लिए उसी पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, आयोग ने विशेषज्ञ (समीक्षा) समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने नूरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केंद्र (समविश्वविद्यालय), कुमारकोइल, थुकले, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु का दौरा किया और संकल्प लिया कि (i) अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के बारे में संस्थान की कार्य योजना और (ii) यूजीसी के खंड 9.0 (समविश्वविद्यालय, संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार समविश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणाम प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- आयोग ने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु (कर्नाटक) द्वारा सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए नये सिरे से प्रस्तुत प्रस्ताव के पहलू का आकलन करने के लिए गठित यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने पोन्नैय्या रामजयम विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआईएसटी), (समविश्वविद्यालय), तंजावुर (तमिलनाडु) का दौरा किया और यह संकल्प लिया कि (i) अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के बारे में संस्थान की कार्य योजना और (ii) यूजीसी के खंड 9.0 (समविश्वविद्यालय, संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार समविश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणाम प्राप्त करने के बाद मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- आयोग ने यूजीसी के आदेश पर विचार किया ताकि यूजीसी (ओडीएल) चौथे संशोधन, विनियम को लागू कर सके और निम्नलिखित निर्णय लिया:
 - (1) यूजीसी इन विनियमों को लागू करने से इग्नू को छूट देने के लिए यूजीसी (ओडीएल) चौथा संशोधन विनियम, 2019 को कार्यान्वित करने का आदेश जारी करेगा।
 - (2) यह छूट शैक्षणिक सत्र 2019-20 से अगले आदेश तक शुरू होगी।

तदनुसार, आदेश में निम्नलिखित शामिल होंगे:

“यह मामला 09/08/2019 की 543 वीं बैठक में आयोग के समक्ष रखा गया था और आयोग के निर्णय के आधार पर, यह आदेश जारी किया जा रहा है, जिससे अकादमिक सत्र 2019-20 से अगले आदेशों तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 और इसके संशोधन लागू करने से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50), के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है, को छूट दी गई है।”

- आयोग ने कृष्णा कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम के अनुरोध पर विचार किया और कहा कि इस बार असम में अभूतपूर्व बाढ़ आई है, जिसके कारण कुल 33 जिलों में से 30 जिले जलमग्न हो गए हैं और पूरी संचार व्यवस्था विफल हो गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग ने असम राज्य में स्थित और केवल इस बार तथा ओडीएल मोड में कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए ही केवल प्राकृतिक आपदा के कारण एक विशेष मामले के रूप में 31

अगस्त, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक जुलाई 2019 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया।

- आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी 3 वीं बैठक के कार्यवृत्तों के अनुसार डीईबी कार्यदल की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 100 दिन की कार्य योजना
2. प्रवेश डेटा में पाई गई विविधताएं
3. आम परीक्षा
4. यूजीसी (ओडीएल) दूसरे संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों का दौरा
5. पारदर्शिता का रखरखाव
6. ओडीएल कार्यक्रमों की नामावली
7. एसएलएम की समीक्षा के लिए तंत्र तैयार करना
8. छात्रों द्वारा उनके राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने की प्रयोज्यता
9. एनएएससी संबंधित मुद्दे
10. संदर्भ के साथ गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन
11. सीआईक्यूए रिपोर्ट को अंतिम रूप देना
12. वेबसाइट पर शिक्षार्थियों के आधार विवरणों की प्रविष्टि करना
13. विशेषज्ञों के पैनल में अतिरिक्त नाम शामिल करना
14. यूजीसी की मान्यता के बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करना
15. उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से एमबीए / एमसीए / यात्रा और पर्यटन / अन्य तकनीकी कार्यक्रम प्रदान करना
16. गैर-स्वयम से स्वयम तक अधिगम मंच पर जाना
17. ओडीएल और ओएल विनियमों का एकीकरण
18. कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) के साथ सहयोगात्मक पहल
19. प्रवेश तिथि बढ़ाने और प्रवेश विवरण अपलोड करने के प्रस्तावों की अस्वीकृति।

हालाँकि, आयोग ने कार्यदल की अन्य सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. एलएससी और इसकी लागतों की निगरानी
2. एलएससी की मान्यता
आयोग ने फैसला किया कि कार्यदल की सिफारिशों के अलावा, एलएससी में गतिविधियों के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ समिति का दौरा कम से कम किया जाये।
3. ओडीएल मोड में होटल प्रबंधन कार्यक्रम।
आयोग ने फैसला किया कि कार्यदल की सिफारिशों के अलावा, अध्यक्ष, यूजीसी इस मामले को सुलझाने और सभी हितधारकों के लिए स्पष्टता लाने हेतु अध्यक्ष, एआईसीटीई के साथ परामर्श कर सकते हैं।
4. उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 का उल्लंघन
आयोग ने फैसला किया कि यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर वित्तीय जुर्माना लगाने के लिए कानूनी राय ली जाये और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दंडात्मक कार्रवाई की जाये।

5. व्यापार करने में आसानी होने में सुधार और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुझाव— ऑनलाइन विनियमों में पात्रता की शर्तों को बदलने के लिए।

आयोग ने कार्यदल की सिफारिशों को अनुमोदित किया कि “एनएएसी और एनआईआरएफ सेट बेंचमार्क की व्यक्तिगत रूप से पूर्ति करने की वर्तमान पात्रता शर्तों को एनएएसी बेंचमार्क या एनआईआरएफ बेंचमार्क को पूरा करने के लिए बदला जा सकता है”।

हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ऑनलाइन विनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, आयोग ने निर्णय लिया कि कार्य दल को आवश्यक रूप से ऑनलाइन विनियमों के सभी प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक होने पर, परिवर्तन करने की सिफारिश करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए विनियम में संशोधन किया गया है।

इस विषय पर आयोग ने निम्नलिखित निर्णय भी लिया:

1. आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी को यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। इसलिए लिए गए निर्णयों की सूचना आयोग को दी जाएगी।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थान / कार्यक्रमों की मान्यता के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का दौरा नहीं किया जाना चाहिए। उप कुलपति / रजिस्ट्रार से एक वचन लिया जाना चाहिए, जिसका प्रारूप कानूनी वेटिंग के साथ तैयार किया जाना चाहिए और इंटरफेस बैठक आदि के आधार पर आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और यूजीसी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनिवार्य शिकायतों के आधार पर दौरा आयोजित किया जायेगा।

3. आयोग का विचार था कि ओडीएल शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा केवल प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। विनियमों के वर्तमान प्रावधानों में इसे सुनिश्चित करने के लिए कानूनी राय ली जानी चाहिए और तदनुसार आगे की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जानी चाहिए।
4. कार्य दल को विचार-विमर्श करना चाहिए और कार्यक्रमवार मान्यता की प्रथा को बंद करने पर आयोग को सिफारिश करनी चाहिए। इसके बजाय, यूजीसी विभिन्न स्वीकार्य विषयों के तहत कार्यक्रमों की सूची अपलोड कर सकता है और उच्चतर शिक्षा संस्थान को अपने सांविधिक प्राधिकारियों और नियामक अधिकारियों के अनुमोदन से, जैसा कि लागू हो, कार्यक्रम प्रस्तुत करने देता है।

यूजीसी को सतत आधार पर गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।

कानूनी पुनरीक्षण के साथ कार्यदल की सिफारिशों को आयोग के समक्ष विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए।

- आयोग ने एस.पी. पुणे विश्वविद्यालय (प्रकाशन नैतिकता केंद्र) द्वारा डिजाइन किए गए ‘अनुसंधान और प्रकाशन नैतिकता’ नामक दो रचनात्मक पाठ्यक्रमों पर विचार किया और अनुमोदित किया, जिन्हें सभी पीएच.डी. छात्रों के लिए पूर्व पंजीकरण पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य किया गया है।
- आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन/रक्षा अध्ययन विभाग की स्थापना/उन्नयन के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने समविश्वविद्यालय संस्थानों के ऑफ परिसरों के सभी पहलुओं – एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (समविश्वविद्यालय), नवी मुंबई की घटक इकाइयों के बारे में सिफारिशों पर गौर करने के लिए आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने गुजरात राज्य की ओर से एसईटी आयोजित करने के लिए महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, वडोदरा के प्रत्यायन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने नए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रम (कार्यक्रमों) / विभाग(विभागों) / संकाय (संकायों)/विद्यालय(विद्यालयों) को शुरू करने के लिए समविश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित यूजीसी स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने गुणवत्ता और अनुसंधान और प्रकाशनों में सुधार के लिए चैतन्य डिग्री कॉलेज, वारंगल (तेलंगाना) द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का आकलन करने के लिए गठित यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट – यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत चैतन्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के नाम से, महाविद्यालय को सामान्य श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2019 के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुधार की पुष्टि करने के लिए अन्य संबंधित मुद्दों के साथ विशेषज्ञ (समीक्षा) समिति (ईआरसी) द्वारा विशिष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर विचार किया और निम्नलिखित का फैसला किया:

1. एचईआई से संबंधित एनएएससी संबंधित मुद्दे, जिनके आवेदनों पर यूजीसी (ओडीएल) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 के तहत कार्रवाई की गई है/कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने निर्णय लिया कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी।

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि यूजीसी तीसरे संशोधन ओडीएल विनियम (जून 2020 तक) के अनुसार पात्रता की शर्तों के साथ जुलाई 2020 से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र से कार्यक्रमों की मान्यता के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों से, नवंबर 2019 में आवेदन आमंत्रित करे। हालांकि, मान्यता को ओडीएल विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अनुरूप होना चाहिए।

2. अध्येता सहायता केंद्र (एलएससीएस)

आयोग ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया:

“ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए पहली बार मान्यता प्राप्त करने वाले और एनएएससी का स्कोर 3.26 से कम रखने वाले राज्य निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता के केवल पहले 2 अकादमिक वर्षों के लिए मुख्य परिसर से संचालित करने की अनुमति दी जाये। इस अवधि के बाद, एलएससी को अनुमति दी जाये और यह भी कि विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक एलएससी दौरा किए जाने के बाद और सुविधाओं की पर्याप्तता सह उपयुक्तता इसके द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।”

3. स्व ज्ञानार्जन सामग्री (एसएलएम) तत्परता / तैयारियाँ:

आयोग ने प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय निम्नलिखित तैयारियों के स्तर को अनुमोदित किया:

- I. पूर्व स्नातक कार्यक्रम: 3 साल की अवधि: एसएलएम मूल्यांकन के समय पहले दो वर्षों के लिए हर प्रकार से तैयार होना चाहिए।
- II. स्नातकोत्तर कार्यक्रम: 2 साल की अवधि: एसएलएम मूल्यांकन के समय पहले वर्ष के लिए हर प्रकार से तैयार होना चाहिए।

4. विज्ञान आधारित कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की ऊपरी सीमा:

आयोग ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया:

“दोहरे मोड विश्वविद्यालय के मामले में, ओडीएल मोड में विज्ञान आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश की ऊपरी सीमा पारंपरिक प्रवेश से तीन गुना होनी चाहिए और मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी) के मामले में, उसकी संख्या प्रवेशित छात्रों के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करने हेतु उसके शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।”

5. भविष्य के दौरों के लिए विजिटिंग विशेषज्ञ समितियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी:

आयोग ने कार्यदल की सिफारिशों को अनुमोदित किया।

6. वाईसीएमओयू – 5 कार्यक्रमों में भर्ती छात्रों से संबंधित मामले को यूजीसी द्वारा समीक्षाधीन रखा गया।

आयोग ने देखा कि इन 5 कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश न देने का निर्देश देते हुए डीईबी, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक पत्र 18 अक्टूबर 2018 को जारी किया गया था। इस तथ्य के मद्देनजर और इसको ध्यान में रखते हुए कि इन 5 कार्यक्रमों सहित 17 कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी गई, जिसके लिए 14 अगस्त, 2018 को पत्र जारी किया गया था, इनमें से जुलाई 2018 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए इन 5 कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में लिए गए नए प्रवेश पत्र, 18 अक्टूबर, 2018 तक होने वाले प्रवेशों को वैध माना जाना चाहिए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और इसे यूजीसी को प्रस्तुत करना होगा और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को छात्रों को उनके स्नातक होने तक सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

7. वीईसी टिप्पणियों का संचार: आयोग ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:

‘यदि ब्यूरो यह देखता है कि ईआरसी की सिफारिश के अलावा वीईसी द्वारा देखी गई कुछ छोटी-छोटी खामियाँ / कमियाँ हैं, तो सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से उसे यूजीसी के पत्र के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया जाएगा।’

- आयोग ने श्रेणीकृत स्वायत्तता के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) के वर्गीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने ओबीसी विस्तार योजना के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजीसी द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के लिए 2 वें ट्रेच शिक्षण पद बनाने पर विचार किया और अनुमोदित किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने अंतरविश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र (आईयूसी-टीई), बीएचयू, वाराणसी में गैर शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों, 2019 के लिए भर्ती को नियंत्रित करने वाले उप कानून और विजन दस्तावेज पर विचार किया और अनुमोदित किया। आयोग ने अंतरविश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र (आईयूसी-टीई), बीएचयू, वाराणसी में विभिन्न पदों के लिए संवर्ग भर्ती नियम (सीआरआर) पर भी विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

इसके अलावा, आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र (आईयूसी-टीई), बीएचयू, वाराणसी में 57 पदों के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने अंतरविश्वविद्यालय त्वरक केंद्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक –सी संवर्ग (लेवल –10) में 9 पदों और इंजीनियर-सी कैडर (लेवल –10) में 3 पदों के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने अंतर-विश्वविद्यालय योगिक विज्ञान केंद्र (आईयूसीवाईएस), बंगलौर के लिए भूमि के अंतरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।

544 वीं बैठक ,16 अक्टूबर 2019

- आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा अनुमोदन के आधार पर यूजीसी द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाइयों की पुष्टि की:

1. ओडीएल कार्यक्रमों से संबंधित मान्यता/कमियाँ/अस्वीकृति निर्णय

- i. 23 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 384 कार्यक्रमों पर विचार किया। 65 कार्यक्रमों के लिए 9 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता और 94 कार्यक्रमों के लिए अस्वीकृति। इसके अलावा, 225 कार्यक्रमों के लिए 14 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अस्वीकृति।

- ii. डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, गुजरात के बीबीए (होटल व पर्यटन प्रबंधन) की मान्यता वापस लेना।
- iii. केवल उन एलएससी में, जो यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 और उसके संशोधनों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और जो पारंपरिक मोड में सदृश कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, मान्यता प्राप्त विज्ञान आधारित ओडीएल कार्यक्रमों एम.एससी. (वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल) को प्रदान करने के लिए वीएमएल को अनुमति।

2. ऑनलाइन कार्यक्रमों से संबंधित मान्यता / कमियां / अस्वीकृति निर्णय

- i. 5 ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को आशय पत्र (एलओआई) जारी करना।
- ii. विचाराधीन अतिरिक्त 5 कार्यक्रमों और 7 अस्वीकृत कार्यक्रमों के साथ 22 ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश को मान्यता।
- iii. कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा संघ विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश को मान्यता देने से इंकार करने का आयोग का आदेश जारी करना।
- iv. 4 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मामले में गैर-स्वयं से स्वयं तक ज्ञानार्जन (लर्निंग) प्लेटफॉर्म को परिवर्तित करना तथा कुल 11 उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने स्वयं ज्ञानार्जन प्लेटफॉर्मों का विकल्प चुना है।
 1. दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से संबंधित 100 दिनों की कार्य योजना का कार्यान्वयन।
 2. यूजीसी (ओडीएल) के चौथे संशोधन विनियम, 2019 का कार्यान्वयन।
 3. जुलाई 2019 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि का विस्तार।
 4. नियामक अधिकारियों के साथ परामर्शी बैठक।
 5. जुलाई 2019 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रवेश विवरण।
 6. सीबीआई पूछताछ के लिए प्रदान की गई प्रतिक्रियाएँ।

उपर्युक्त बिंदु 3 और 5 के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

(3) 'इस वर्ष प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के कारणों पर विचार करते हुए और तथ्यों के आधार पर कि भारत में आमतौर पर हर साल अगस्त/सितंबर तक बारिश का मौसम जारी रहता है और पारंपरिक कार्यक्रमों में प्रवेश अगस्त में समाप्त होता है, इसके बाद ओडीएल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम अनुसूची निम्नानुसार होगी:

- क) शैक्षणिक सत्र की अंतिम तारीख जनवरी से फरवरी तक है – प्रवेश
- ख) शैक्षणिक सत्र की अंतिम तारीख जुलाई से सितंबर तक है – प्रवेश

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान संबंधित शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर प्रवेश विवरण अपलोड करेंगे, अर्थात् जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए 15 अक्टूबर और जनवरी शैक्षणिक सत्र के लिए 15 मार्च।

(5)* आयोग ने उल्लेख किया कि बहुत कम उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने निर्धारित प्रारूप में छात्रों के प्रवेश विवरण अंतिम तिथि यानी 10 अक्टूबर, 2019 को अपलोड किए हैं और निर्णय लिया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2019 के लिए प्रवेश विवरण अपलोड करने का अंतिम अवसर 31 अक्टूबर, 2019 तक दिया जाये, अन्यथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। इस निर्णय को उच्चतर शिक्षा संस्थानों और डीईबी वेब-पोर्टल प्रवेश लिंक पर बढ़ाई गई कट-ऑफ तारीख तक, यानी 31 अक्टूबर, 2019 तक सक्रिय रहने के लिए सूचित किया जाएगा।

- आयोग ने स्वायत्त महाविद्यालय पर स्थायी समिति के फैसलों पर विचार किया और पुष्टि की। इसके अलावा, आयोग ने 2017-18 से 2018-19 (पूर्वव्यापी) और 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम से संबद्ध महाराजा महाविद्यालय (ए) येलुगोबंती वारी गली के पास, क्लॉक टॉवर विजयनगरम – 535001 को एक्सटेंशन देने का संकल्प लिया।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्गीकृत स्वायत्तता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण, विनियम, 2018 की श्रेणी – II के तहत थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय) पटियाला (पंजाब) का वर्गीकरण, पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी (समविश्वविद्यालय), अगलाकोट, बी.एच. रोड, तुमकुर –572107 (कर्नाटक) का दौरा किया और संकल्प किया कि अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के बारे में संस्थान से कार्य योजना और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और (ii) यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थानों) विनियम, 2019 के खंड 9.0 के अनुसार समविश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणाम संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह संकल्प किया कि शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय), दुल्हेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के मामले में एमएचआरडी को उसे समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश न की जाये। शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय) को एक वर्ष के भीतर यानी अगले शैक्षणिक सत्र तक विश्वविद्यालय से संबद्ध लेने के लिए कहा जाये। हालांकि, वर्तमान में भर्ती हुए छात्र शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समविश्वविद्यालय) से अपनी डिग्री प्राप्त करना जारी रखेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से, शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संबद्ध प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जिसने एलएनएम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (समविश्वविद्यालय), गांव – रूपा की नांगल, पोस्ट – सुमैल, वाया – जामडोली, जयपुर – 302031 (राजस्थान) का दौरा किया और संकल्प किया कि अनुसंधान और प्रकाशनों और नवाचारों की गुणवत्ता में सुधार के बारे में संस्थान से कार्य योजना और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और (पप) यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थानों) विनियम, 2019 के खंड 9.0 के अनुसार समविश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणाम संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाए।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और यह संकल्प किया कि मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (समविश्वविद्यालय), नंबर 12, वेम्बुलियममन कोइल गली, वेस्ट के. के. नगर, चेन्नई-600078 (तमिलनाडु) के मामले में एमएचआरडी को उसे समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश न की जाये। मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (समविश्वविद्यालय) को एक वर्ष के भीतर यानी अगले शैक्षणिक सत्र तक विश्वविद्यालय से संबद्ध लेने के लिए कहा जाये। हालांकि, वर्तमान में भर्ती हुए छात्र मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (समविश्वविद्यालय), से अपनी डिग्री प्राप्त करना जारी रखेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से, मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (समविश्वविद्यालय) द्वारा संबद्ध न प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षण, अनुसंधान, वित्तीय और अवसरचलात्मक लेखा परीक्षण पर विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां / एटीआर की जांच करने के लिए और उसके बाद कार्य अवधि का सुझाव देने के लिए यूजीसी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार किया / अनुमोदित किया।
- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय / शिक्षा संकाय की स्थापना / मजबूती के लिए पाठ्यक्रम और जनशक्ति पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने कलासिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (समविश्वविद्यालय), आनंद नगर, कृष्णकोइल, विर्धुनगर, जिला, तमिलनाडु द्वारा चेन्नई (तमिलनाडु) में ऑफ परिसर केंद्रों को शुरू करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 से इग्नू को छूट के संबंध में एमएचआरडी के पत्र पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 में, विनियमन 2, उप-विनियमन (2) में, निम्नलिखित परंतुक को सम्मिलित किया जाएगा अर्थात:-

“बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50) के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है, को आदेश द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए इन विनियमों को लागू करने से छूट दे सकता है।”

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि राजपत्र में उपर्युक्त संशोधन की अधिसूचना के बाद आयोग जनवरी 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से अगले आदेश तक इग्नू को छूट देने के लिए एक आदेश जारी कर सकता है।

- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प किया कि उन संस्थानों के लिए, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा अकादमिक कार्य प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा श्रेणी दी गई थी, समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखा/विस्तारित किया जाये। हालांकि, उन समविश्वविद्यालयों, जिन्हें शैक्षणिक कार्य निष्पादन के लिए खराब और औसत दर्जा दिया गया था, उनका दर्जा जारी/बढ़ाया नहीं जाये।
- आयोग ने राज्य/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री की कथित बिक्री के बारे में पूछताछ करने के लिए अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

आयोग ने “सतत – भारत के सतत विश्वविद्यालय परिसरों के लिए एक रूपरेखा – समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

- आयोग ने (i) डॉ. निते शंकर आद्यांत्य मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, निट्टे, उडुपी जिला, कर्नाटक और (ii) इसकी सीमा में निट्टे महालिंग आद्यांत्य मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निट्टे, उडुपी जिला, कर्नाटक को शामिल करने के लिए यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, एआईसीटीई की सलाह और एनआईसीटीई (समविश्वविद्यालय), मंगलौर (कर्नाटक) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा में मानवीय मूल्यों के उत्थान और व्यावसायिक नैतिकता- ‘मूल्य प्रवाह’ के दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदे (निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त समविश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा में शुल्क), विनियम, 2019 पर विचार किया और सभी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए यूजीसी वेबसाइट पर मसौदा विनियमों को रखने का संकल्प लिया।

आयोग ने आगे यह भी संकल्प किया कि एमसीआई, डीसीआई और विनियमों में शामिल अन्य सांविधिक निकायों की टिप्पणियों को भी मांगा जा सकता है।

- आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त ज्ञानार्जन विद्यालय के अध्यादेश XX (8) में संशोधन पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने 28 अगस्त, 2019 को यूजीसी की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एमएचआरडी में आयोजित बैठक के कार्यवृत्तों की प्राप्ति पर, यूजीसी के कार्यालय में 11/10/2019 को आयोजित की गई विसंगति निवारण समिति की बैठक के कार्यवृत्तों पर विचार किया और अनुमोदित किया।

- आयोग ने यूजीसी के ऑनलाइन (पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 के विभिन्न प्रावधानों की तुलना में विभिन्न उल्लिखित मुद्दों पर विचार किया। आयोग ने यह भी पाया कि वर्तमान नियमों को उच्च गुणवत्ता मानकों पर जोर देने और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि देश में ऑनलाइन कार्यक्रमों को शुरू करने के साथ ठीक टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है, तैयार किया गया है, क्योंकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों से विश्व स्तर पर छात्रों को दाखिला देने की उम्मीद की जाती है। आयोग ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन की सराहना की और यह भी देखा कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम देने में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए समय व सलाह की आवश्यकता है। हालांकि, आयोग ने यह भी देखा कि विनियमों में वर्तमान पात्रता की शर्तें बेहद प्रतिबंधात्मक हैं क्योंकि वर्तमान में 997 विश्वविद्यालयों में से लगभग 40 विश्वविद्यालय ही पात्र हैं और कुछ अन्य प्रावधान जैसे प्रवेश की समय सीमा आदि भी ऑनलाइन शिक्षा के दायरे/लचीलेपन को सीमित करते हैं।

ऊपर दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधा-सह-छात्र केंद्रित नियामक ढांचा यथावत् रखा जाए, आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

1. डीईबी कार्य दल उपर्युक्त बिंदुओं, विभिन्न संदर्भित मुद्दों, कार्यक्रम-वार मान्यता, सामग्री सत्यापन, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ई-सामग्री तैयारियों के स्तर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा/यूजी डिग्री और पीजी डिग्री) और अन्य संबंधित विषयों पर, जिसमें ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा दोनों के लिए एक विनियम रखना भी शामिल है, विचार-विमर्श करेगा।
2. डीईबी कार्य दल एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग ने उपाध्यक्ष, यूजीसी, कार्य समूह के अध्यक्ष को इस प्रयोजन के लिए किसी भी अन्य विशेषज्ञ को चुनने के लिए अधिकृत किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (आईएनएफएलआईबीनेट), गांधीनगर में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के अतिरिक्त पदों / पद/रिक्त पदों के पुनरुद्धार के सृजन पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने एमएचआरडी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और प्रत्यायन सलाहकार परिषद (एएसी) के गठन को अनुमोदित किया। एएसी अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- आयोग ने विश्वविद्यालय को "सक्षम और संवर्धित करने और उद्योग लिंकेज" पर कार्य दल की रिपोर्ट पर विचार किया और हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने "छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्रों के नेटवर्क" संबंधी नीति दस्तावेज पर विचार किया और हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने यूजीसी में गुणवत्ता अधिदेश के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख किया। अध्यक्ष, यूजीसी ने उपाध्यक्ष, सचिव, अपर सचिव- I, बाहरी विशेषज्ञों और टीम के अन्य सदस्यों की इस कार्य के लिए लिखित में प्रशंसा की और अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो गए।
- आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी को प्रमुख परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) के रूप में सेमेस्टर पहुंच कार्यक्रम को संकल्पित करने के लिए एक कार्य दल का गठन करने के लिए अधिकृत किया।

545 वीं बैठक, 19 दिसंबर, 2019

- आयोग ने बर्मिंघम, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव अध्यक्ष की स्थापना के संबंध में की गई कार्रवाई की पुष्टि की।
- आयोग ने यूजीसी-स्ट्राइड के घटक -1 (अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास) के तहत चयनित संस्थानों की सूची की पुष्टि की।

- आयोग ने ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों के कार्यक्रमों / कार्यान्वयनों की मान्यता से संबंधित कुछ मामलों पर यूजीसी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की:

I मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

1. आयोग ने ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की पुष्टि की।

आयोग ने यह भी पाया कि यूजीसी को उल्लंघनों, जैसे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, परेंचाइजिंग, एनआईएमएस जयपुर के मामले में अप्रयुक्त पाठ्यक्रम चलाने की शिकायत मिली थी और इस मामले में जांच / टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, 18.12.2019 को राज्य सरकार को अनुस्मारक भी भेजा गया है। इसको देखते हुए और इस तथ्य के मद्देनजर कि एनआईएमएस का एनएएसी स्कोर 3.26 से कम है, आयोग ने निर्णय लिया कि 13 कार्यक्रमों के लिए एनआईएमएस को मान्यता रोक दी जानी चाहिए और राज्य सरकार से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद ही उचित आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके साथ ही, विद्यासागर विश्वविद्यालय के मामले में, आयोग ने निर्णय लिया कि ओडीएल मोड में नए तीन विज्ञान कार्यक्रमों की मान्यता से संबंधित निर्णय कार्य दल द्वारा लिया जाये।

2. ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए सत्र जुलाई, 2020 के बाद से 3.26 एनएएसी स्कोर रखने की अनिवार्य पात्रता शर्त – आयोग ने सचिव (उच्चतर शिक्षा), एमएचआरडी के निर्देशों के आधार पर यूजीसी और एनएएसी द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई को नोट किया।

II ऑनलाइन ज्ञानार्जन

1. आयोग ने स्थायी अपीलीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की पुष्टि की।
2. आयोग ने इंटरफेस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की पुष्टि की।

III ओडीएल और ऑनलाइन ज्ञानार्जन दोनों।

1. आयोग ने एआईसीटीई की प्राप्त की गई प्रतिक्रिया और इस मामले में यूजीसी द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख किया। इस मामले को भी आयोग के विचार के लिए अलग कार्य सूची के रूप में रखा गया था।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राजस्थान) से प्राप्त प्रस्ताव के पहलू पर नये सिरे से विचार करने के लिए गठित यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए संशोधित यूजीसी दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया।
- आयोग ने व्यावसायिक और कौशल पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक अध्ययन और कौशल विकास के लिए अलग विभागों की स्थापना करने की मंजूरी दी। इन विभागों की स्थापना पर होने वाला व्यय केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी को एमएचआरडी द्वारा निर्धारित नियमित बजट से बाहर होगा।
- आयोग ने कर्नाटक राज्य की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) को सक्षम करने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर को पुनः प्रत्यायन प्रदान करने हेतु समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला में निम्नलिखित को अनुमोदित किया:

- क) 60.00 लाख रुपये के कुल वार्षिक बजट से उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए राधाकृष्णन प्रतिष्ठित फेलो (आरडीएफ)।
- ख) 25.2 लाख रुपये के कुल वार्षिक बजट से विश्वविद्यालय प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए कोठारी फेलो (केएफ)।
- ग) 120.00 लाख रुपये के आवर्ती वार्षिक बजट और 100.00 लाख रुपये के गैर-आवर्ती बजट से महात्मा गांधी फेलोशिप।
- आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया, जिसने उसके कार्यों की समीक्षा के लिए 21-23 नवंबर, 2019 के दौरान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (समविश्वविद्यालय) पूनामल्ली हाई रोड, वेलपंचावाड़ी, चेन्नई (तमिलनाडु) का दौरा किया।
 - आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में उप रजिस्ट्रार के रूप में 8700/- रुपये के ग्रेड वेतन में उच्चतर प्लेसमेंट के लिए रीडर के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं की गणना के लिए डॉ. पद्माकर मिश्रा से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। यह मुद्दा जानबूझकर बढ़ाया गया था। यह समाधान किया गया कि प्रशासनिक मामला होने के नाते, यूजीसी द्वारा कार्रवाई की जाये।
 - आयोग ने विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समतुल्य वेतन और भत्तों के लाभ देने के लिए डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अनुरोध पर विचार किया। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और समाधान किया गया कि कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित जानकारी को एमएचआरडी को भेज दिया जाए। इसके अलावा, आयोग ने अध्यक्ष, यूजीसी को एमएचआरडी से पत्राचार प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया।
 - आयोग ने डीईबी कार्य दल की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नलिखित का निर्णय लिया –
 - यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 का कार्यान्वयन: – अनुमोदित मद 1.1 (1) और 1.1 (2)। हालांकि, शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता अवधि से संबंधित मद संख्या 1.1 (3) के लिए, आयोग ने ऑनलाइन विनियमों, पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और एमबीए, एमसीए, यात्रा और पर्यटन कार्यक्रमों की पेशकश से संबंधित एआईसीटीई के साथ पहली बार और अनसुलझे मुद्दे और पहली बार कार्यान्वित किए जाने वाले ऑनलाइन विनियमों को लागू करने की वर्तमान स्थिति को जानबूझकर बढ़ाया गया। तदनुसार, आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया –

शैक्षणिक सत्र से ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उचित तैयारी करने के लिए मान्यता स्थिति की सूचना यथा समय दी जाये।

यदि मान्यता सूची / आयोग का आदेश जुलाई की अंतिम तारीख तक जारी किया जाता है तो शैक्षणिक सत्र उसी वर्ष जुलाई – अगस्त होगा, अन्यथा शैक्षणिक सत्र अगले वर्ष जनवरी – फरवरी होगा।

यदि मान्यता सूची / आयोग का आदेश जनवरी की अंतिम तिथि तक जारी किया जाता है तो शैक्षणिक सत्र उसी वर्ष जनवरी – फरवरी है, अन्यथा शैक्षणिक सत्र उसी वर्ष जुलाई – अगस्त होगा।
 - यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 का कार्यान्वयन – आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में कार्य दल की सिफारिशों को अनुमोदित किया : –
 - शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए छात्रों के नामांकित डेटा 1
 - शैक्षणिक वर्ष जुलाई, 2019 के लिए छात्रों के नामांकित डेटा 1
 - कार्यक्रम वार मान्यता समाप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए आयोग का निर्णय 1
 - एसएलएम की समीक्षा के लिए तंत्र तैयार करना 1
 - कम से कम वर्ष 2022 तक प्रत्यायन अवधि बढ़ाने के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालय परिषद से प्राप्त पत्र 1
 - एसएलएम के अनुवाद के लिए मोबाइल ऐप का विकास।

- 1.3 आयोग ने ओडीएल और ओएल विनियम के एकीकरण के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने की सिफारिशों को मंजूरी दी।
- 1.4 आयोग ने त्रिस्तरीय शिकायतों से निपटने के तंत्र से संबंधित सिफारिश को अनुमोदित किया।
- 1.5 आयोग ने फाउंडेशन कोर्स (बैचलर्स प्रिपरेटरी कार्यक्रम), यानी बीपीपी फाउंडेशन कोर्स के बारे में ओडीएल / ऑनलाइन मोड में अनुमति न देने के संबंध में कार्य दल की सिफारिश को अनुमोदित किया।
- 1.6 रिपोर्टिंग मद – आयोग ने कार्य दल को सूचित की गई निम्नलिखित तीन मदों को नोट किया:-

1. इग्नू – यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2019 (प्रथम संशोधन)¹
2. जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ओडीएल कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आवेदन आमंत्रित करना।
3. ओडीएल मोड में एमबीए, एमसीए और अन्य तकनीकी कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

- 1.7 कोई अन्य मद – आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में कार्य दल की सिफारिशों को अनुमोदित किया : –

1. सीआईक्यूए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाना।
2. मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के लिए सीआईक्यूए रिपोर्ट।
3. पहले से मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की नामावली की जांच करना।
4. मुक्त विश्वविद्यालयों के नजरिए से यूजीसी 12 बी के दिशानिर्देशों को संशोधित करना।
5. स्वामी विवेकानंद सुभारती, मेरठ से संबंधित मामले – उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रमों की अनुरूपता बनाए रखने के संबंध में, ओडीएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली का चयन करना चाहिए और आयोग के सभी निर्णयों का, पत्र में लिखे गए अनुसार और भावना से पालन करना चाहिए।

इस विषय पर, आयोग के सदस्यों ने ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों में 3.26 के एनएएसी स्कोर की आवश्यकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और यह राय व्यक्त की कि 3.26 का न्यूनतम स्कोर कई अच्छे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को ओडीएल / ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के योग्य नहीं बनाता है, जिससे एक तरफ जीईआर प्रभावित होते हैं और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में परिप्रेक्ष्य अध्येताओं के लिए अवसर भी सीमित हो जाते हैं। सदस्यों की यह राय थी कि एनएएसी स्कोर की आवश्यकता 3.26 के बजाय 3.01 होनी चाहिए। आयोग ने यह भी पाया कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त 123 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में से (98 मान्यता प्राप्त 25 श्रेणी-i), 66 उच्चतर शिक्षा संस्थानों का या तो एनएएसी स्कोर 3.26 से कम है या कुल मिलाकर मान्यता प्राप्त नहीं है। आयोग ने इस मामले पर लंबी चर्चा की और निर्णय लिया कि अपनी अगली बैठक में कार्य दल इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगा और अपनी अगली बैठक में आयोग के विचार के लिए सिफारिशें करेगा।

- आयोग ने कोच्चि (केरल) में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए जैन (समविश्वविद्यालय), बेंगलुरु (कर्नाटक) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का आकलन करने के लिए गठित यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और जैन (समविश्वविद्यालय, बेंगलुरु (कर्नाटक)) से विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अनुपालन प्राप्त करने का संकल्प लिया।
- आयोग ने महर्षि मार्कंडेस्वर (समविश्वविद्यालय), मुलाना, अंबाला (हरियाणा) – समविश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों की जांच के लिए गठित यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उसको अनुमोदित किया – मानव अनुसंधान विकास मंत्रालय के दिनांक 25.11.2019 का पत्राचार देखें।

- आयोग ने डिग्री के विनिर्देशन पर स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया और निम्नलिखित का निर्णय लिया :
बिंदु संख्या (क): प्रस्ताव पर स्थायी समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाये और आयोग की अगली बैठक में सिफारिशें प्रस्तुत की जायेगी ।

बिंदु संख्या (ख) (ग), (घ): स्थायी समिति द्वारा अनुशसित किए गए अनुसार अनुमोदित । बीओटी कार्यक्रम में मौजूदा 04 वर्ष से 04 वर्ष 06 माह तक की अवधि में परिवर्तन ।

- आयोग ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर काम कर रहे संकाय से संबंधित मुद्दों पर 5-12-2019 को एमएचआरडी में आयोजित बैठक के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड पर विचार किया ।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बिंदु 1 के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

- (i) ऐसी श्रेणी के संकाय को साक्षात्कार के लिए अल्प सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्टिंग) करने का अवसर प्रदान करने के लिए उचित उपाय किए जाये।
- (ii) एमएचआरडी की कानूनी राय और सहमति लेने के बाद, प्रासंगिक नियमों में, अपेक्षित होने पर, संशोधन किया जा सकता है।

आयोग ने चर्चाओं में रिकॉर्ड की गई शेष मद 2, 3, 4, 5 और 6 पर विचार किया और अनुमोदित किया ।

आयोग को की गई कार्रवाई की सूचना दी जाये।

- आयोग ने ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों के तहत ओडीएल/ऑनलाइन मोड में व्यावसायिक कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व सिफारिश/अनुमोदन से संबंधित यूजीसी पत्र के जवाब में एआईसीटीई से प्राप्त उत्तर का उल्लेख किया ।

आयोग ने यह भी देखा कि ऑनलाइन एमबीए, एमसीए, यात्रा और पर्यटन कार्यक्रमों से संबंधित एआईसीटीई से प्राप्त प्रतिक्रिया, समविश्वविद्यालयों और अन्य प्रकार के विश्वविद्यालयों से संबंधित ओडीएल मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करना, यूजीसी ओडीएल और विनियमों के प्रावधानों की तुलना में अनुमत्य विशेषज्ञता और अन्य तथ्यों पर एआईसीटीई से विचार विमर्श करने की जरूरत है, ताकि एआईसीटीई डोमेन के तहत ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की मान्यता के लिए तंत्र/प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकें। तदनुसार, आयोग ने सचिव, यूजीसी को संयुक्त सचिव (डीईबी) के साथ यथा संभव शीघ्र एआईसीटीई के साथ परामर्श करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया । तंत्र/प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है और इस प्रकार लिए गए निर्णयों की आयोग को उनकी अगली बैठक में सूचना दी जायेगी ।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने योगिक विज्ञान अंतर विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु के एमओए और नियमों के संशोधन को अनुमोदित किया, जो निम्नानुसार है:

खण्ड 30 (ग): 'योगिक विज्ञान अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के निदेशक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे, जिनमें उन योगिक विज्ञान से संबंधित को वरीयता दी जायेगी, जिसके पास वरिष्ठ स्तर पर उपयुक्त प्रशासनिक अनुभव होगा ।'

खण्ड 30 (घ): 'नियुक्ति का कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए होगा या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते जो भी पहले हो। इसके अलावा निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारी आवेदनों / नामांकनों के माध्यम से आमंत्रित की जा सकेगी ।'

1.7 विशेष गतिविधियाँ / पहल

3 अप्रैल, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को छात्र प्रेरण कार्यक्रम (एसआईपी) और संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) के लिए तीन शिक्षकों के नामांकन भेजने के लिए सूचित किया/स्मरण कराया, जिन्हें यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एसआईपी और एफआईपी आयोजित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। (F.1-5/2018(SIP)).

8 अप्रैल, 2019

सार्वजनिक सूचना → आयोग ने अनुदानगृहीता संस्थानों को जारी की गई निधियों की पूरी जांच करने और अंतिम लाभार्थी तक उनके आगे के खर्च को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को शुरू किया। यूजीसी के अनुदानगृहीता संस्थान निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे:

1. यूजीसी योजनाओं को लागू करने वाली सभी पंजीकृत एजेंसियां अनिवार्य रूप से, तत्काल प्रभाव से, ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगी, अन्यथा उनको आगे कोई निधियां जारी नहीं की जाएगी।
2. अनुदानकर्ता संस्थानों द्वारा लाभार्थियों / विक्रेताओं को सभी भुगतान केवल ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे।
3. लाभार्थी संस्थाएँ, संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ, विभिन्न योजनाओं के तहत यूजीसी से प्राप्त अनुदान के अपने व्यय की ईएटी रिपोर्ट (पीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड) भेजेंगी।
4. लाभार्थी संस्थान को आगे कोई और अनुदान तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल को लागू नहीं कर लेते और उपर्युक्त में सुझाए गए अनुसार यूजीसी को ईएटी व्यय रिपोर्ट नहीं भेज देते (F-17-1/ 2015 (एफडी-II))।

10 अप्रैल, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को इस बारे में याद दिलाया कि 'शैक्षिक संस्थानों और संबद्ध महाविद्यालयों में भी लिंग चैंपियन के लिए दिशानिर्देश (यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध)' का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये। महिला और बाल विकास मंत्रालय भी जेंडर चैंपियन के लिए एक बैज लेकर आया है, जो उसकी वेबसाइट पर और MyGog पोर्टल पर भी उपलब्ध है (F.91-2/2014(GS)Pt1

16 अप्रैल, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय रासायनिक हथियार सम्मेलन प्राधिकरण ने रासायनिक बचाव और सुरक्षा के क्षेत्र में छात्रों और युवा व्यावसायियों के लिए एक इंटर्नशिप योजना शुरू की है। योजना का विवरण एनएसीडब्ल्यूसी की वेबसाइट <https://nacwc-nic-in/page.php?page=9895> पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की इंटर्नशिप योजना इंटर्न के रूप में और उन्हें राष्ट्रीय प्राधिकरण / रसायन उद्योग की सेवा के लिए तथा आगे सीडब्ल्यूसी के क्षेत्र में छात्रों / युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसके द्वारा विषाक्त रसायनों के दुरुपयोग को रोकती है तथा इसके आगे रासायनिक सुविधाओं के लिए प्रशिक्षित कार्यस्थल भी तैयार करती है (F.14-18/2015(CPP-II))

30 अप्रैल, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि एआईसीटीई ने इंटर्नशिप कंपनियों के एक मेजबान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और वे छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, जो स्नातक की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (F.14-17-2017(CPP-II))

2 मई, 2019

सार्वजनिक सूचना → यूजीसी द्वारा तैयार किए गए प्रारूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और 'भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना' के लिए दिशानिर्देशों पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों, शिक्षाविदों, शैक्षणिक प्रशासकों, हितधारकों और आम जनता से प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ/सुझाव मांगना।

7 मई, 2019

सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3)की धारा 26 की उप धारा (1) के खंड (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, यूजीसी ने 6 मई 2019 को आधिकारिक राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया है (F.14-4/2012(CPP-II)).

8 मई, 2019

आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के हकदार यूजीसी (श्रेणीकृत स्वायत्तता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार श्रेणी-I के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची को अद्यतन किया और इस कार्यालय के दिनांक 26.03.2019 के समसंख्यक पत्र का अधिक्रमण करते हुए हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी वर्णित की। (F.7-42/2018(DEB-I)).

आयोग ने तथाकथित एजेके और गिलगित बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले किसी भी क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान, जो वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, में प्रवेश लेने से छात्रों को एक परामर्शदायी चेतावनी जारी की। (F.1-11/2019(CPP-II)).

14 मई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया, ताकि लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अपने-अपने संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जा सके (F.91-3/2014(GS)Pt.1)

17 मई, 2019

सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 21 मई, 2019 को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद से दूर रखना और यह दिखाना था कि यह राष्ट्रीय हित के लिए कितना हानिकारक है। तदनुसार विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे शपथ ग्रहण समारोह सहित उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित करें (F.1-1/2018(CPP-II)).

21 मई, 2019

सार्वजनिक सूचना → 'भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएच.डी. की गुणवत्ता' पर अध्ययन आयोजित करने का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। अध्ययन के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य निजी विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में की गई पीएच.डी. शामिल होगी। अध्ययन पैन भारत होना है और पीएच.डी. की गुणवत्ता के संबंध में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निष्कर्ष दिए जाएंगे। इनमें इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तावित गुणवत्ता के पहलुओं को भी बताया जाए।

22 मई 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों को याद दिलाया कि वे अपने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में पूर्व – स्नातक पाठ्यक्रम (यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध) के लिए पर्यावरणीय अध्ययन हेतु छह माह का मुख्य (कोर) मॉड्यूल पाठ्यक्रम, यदि उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है, के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें (F.13-1/2000(EA/ENV/COS-I)).

24 मई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि वे अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में नामंकित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकतालिकाओं और प्रमाणपत्रों में सुरक्षा विशेषताओं को आरंभ करें।

- संस्थान के छात्र होलोग्राम की फोटो और छात्रों के प्रमाणपत्रों में क्यूआर कोड जैसे पहचान तंत्र शुरू करना। इस तरह के अभिलेखों से छात्र की व्यक्तिगत पहचान और अन्य संबद्ध विवरणों को चिह्नित करने में दीर्घावधि तक एकरूपता बनी रहेंगी।
- जिस संस्थान में किसी छात्र ने पढ़ाई की है, उसके नाम और स्थान के साथ ही कार्यक्रम के वितरण मोड (नियमित, अंशकालिक या दूरस्थ) को अंकित करना (F.9-1/2014(CPP-II))।

29 मई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप प्रोग्राम के तहत इंटरनस को दो पाठ्यक्रम क्रेडिट के बारे में सूचित किया। सभी विश्वविद्यालयों ने उन प्रशिक्षुओं को दो क्रेडिट देने का अनुरोध किया, जिन्होंने स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है (F.9-10/2018(CPP-II))।

30 मई, 2019

आयोग ने 31 मई, 2019 को सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' मनाने और एक शपथ-ग्रहण समारोह का आयोजन करने के लिए सूचित किया (F.1-9/2006(CPP-II))।

31 मई, 2019

सार्वजनिक सूचना → सभी हितधारकों को सचेत करने के लिए कि एक नकली वेबसाइट, सीएआरई वेबसाइट “<http://carejournals>” हमारे संज्ञान में आई है। सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधान रहें और इस संभावित अपहरक वेबसाइट का शिकार होने से बचें। अपहरक फर्जी वेबसाइट का अनुसरण करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और परिणामों पर पूरी तरह से ऐसा कर सकता है और इसके लिए यूजीसी किसी भी रूप में, जो भी हो, जिम्मेदार नहीं होगा। (F.1-1/2018 (जर्नल/केयर))।

आयोग ने आईआईपीएम, दिल्ली की गैर मान्यता प्राप्त स्थिति को स्पष्ट किया कि आईपीएम को न तो बीबीए/एमबीए/बीसीए सहित किसी भी पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री को प्रदान करने का हक है और न ही इसे यूजीसी द्वारा मान्यता दी गई है। रिट याचिका (सी) नंबर 5937/2010 (बी. महेश शर्मा बनाम – भारत सरकार एवं अन्य) के मामले में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने भी 26 सितंबर, 2014 को अपने आदेश द्वारा किसी भी डिग्री कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से आईआईपीएम को रोक दिया है (F.2-19/2007 (एएमपीसी))।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारत सरकार की पुरालेख विद्या (एपिग्राफी) शाखा पुरालेखात्मक (एपिग्राफिकल) सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित एक शोध केन्द्र है। यह अन्य प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे एपिग्राफिया इंडिका, दक्षिण भारतीय अभिलेख खंड, कॉर्पस अभिलेख संकेतक और एक ही स्थान पर और इस प्रकार पाए गए कुछ अभिलेखों पर मोनोग्राफ को भी प्रकाशित करता है। ये प्रकाशन इतिहास, भारतीय विद्या और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उच्चतर शैक्षिक संस्थान (एचईआई) इन प्रकाशनों को पुस्तकालयों के लिए खरीदने पर विचार कर सकते हैं (F.1-16/2010(CPP-II))।

3 जून, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय के रूप में वरिष्ठ शिक्षाविदों/अधिकारियों की तैनाती करने के लिए निम्नलिखित अनुमोदित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया।

1. संकाय के प्रकार को “प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय” के रूप में पदनामित किया जा सकता है।
2. वरिष्ठ शिक्षाविद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ उद्योग कार्मिक और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जिन्होंने संबंधित/संबद्ध/प्रासंगिक/अनुप्रयुक्त विषयों की जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे विशिष्ट विजिटिंग संकाय के रूप में आमंत्रित किए जाने के पात्र हैं।
3. प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के बाहर से होंगे।
4. संबंधित विद्यालय/विभाग/केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय को आमंत्रित करने का प्रस्ताव आरंभ किया जायेगा। इस निमंत्रण को सभी कुलपति/संस्थान के प्रमुख के अनुमोदन से बढ़ाया जाएगा।

5. प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय को एक घंटे की अवधि के लिए 5000/- रुपये प्रति व्याख्यान मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. प्रतिष्ठित विजिटिंग संकाय को एक/बहुविध व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
7. सामान्य विकास कोष/ब्लॉक अनुदान/विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अन्य स्रोतों का उपयोग मानदेय का भुगतान करने के लिए किया जायेगा।
8. यात्रा और अन्य खर्चों का भुगतान मानदेय के अलावा भी किया जा सकता है (F.9-1/2010(PS/Misc.)Pt Vol.II)).

4 जून, 2019

सार्वजनिक सूचना → शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से कौशल कार्यक्रम (वोकेशनल स्नातक सहित) चलाने की घोषणा— कोई भी संस्थान (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय), जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, अग्रिम डिप्लोमा, वोकेशनल स्नातक/वोकेशनल में स्नातकोत्तर डिग्री के स्तर पर इस वर्ष से कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने का इच्छुक हैं, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पोर्टल ugc.aicte-India-org पर आवेदन करना चाहिए (F.5-2/2016(NSQF)).

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता शिक्षण संकाय की कमी एक प्रमुख चिंता है और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। यूजीसी ने चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा को रेखांकित करते हुए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थानों में संकाय की भर्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं कि विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में यथाशीघ्र रिक्तियां भरी जाये (F.1-14/2019(CPP-II)).

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलुगु और शास्त्रीय मलयालम के अध्येताओं और वर्ष 2019 के लिए सदृश क्षेत्रों में युवा अध्येताओं (शोधकर्ताओं) के लिए महर्षि बद्रीवन व्यास सम्मान के लिए राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार पत्र हेतु नामांकन आमंत्रित किए हैं (F.14-15/2011(CPP-II)).

सार्वजनिक सूचना → मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम में शैक्षिक कर्मचारियों की आवश्यकता के वर्गीकरण के संबंध में (F.1-23/2018(DEB-I))

7 जून, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को 21 जून, 2019 को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2019 को आयोजित करने के संबंध में सूचित किया। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए कार्यक्रमों / गतिविधियों की योजना बनाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 मार्च, 2019 की पत्र सं.304/2019-U-5 (पीटी) के द्वारा आयुष मंत्रालय से प्राप्त सामान्य योग प्रोटोकॉल 2019 को अग्रेषित किया है जो <http://www-ayush-gov-in/event/common-yoga-protocol-2017> पर तैयार संदर्भ के लिए उपलब्ध है (F.14-13/2015(CPP-II)).

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को दीक्षांत समारोह आदि जैसे विशेष अवसरों के लिए निर्धारित औपचारिक परिधानों के लिए हैंडलूम कपड़े का उपयोग करने पर विचार करने के लिए सूचित किया (F.9-7/2018(CPP-II)).

10 जून, 2019

सार्वजनिक सूचना → यूजीसी-केनरा बैंक छात्रवृत्ति भुगतान पोर्टल के उपयोगकर्ता संस्थानों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम – यूजीसी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार 17 से 21 जून 2019 तक माता सुंदरी महिला महाविद्यालय नई दिल्ली –110002 में उपयोगकर्ता संस्थानों के लिए प्रशिक्षण सत्र/कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है (F.19-9/2018(SA-III)).

14 जून, 2019

आयोग ने शैक्षिक और अनुसंधान नैतिकता संघ(केयर) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विषयों में "गुणवत्ता पत्रिकाओं की यूजीसी-केयर संदर्भ सूची" (जिसे आगे "यूजीसी दृसीएआरई सूची" के रूप में संदर्भित किया गया है) पहचान करना, उसकी सतत

निगरानी और रखरखाव करना है। यूजीसी-केयर सूची यूजीसी-केयर वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट एफएक्यूएस, प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध कराती है।

19 जून, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को 5 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बारे में बताया। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी के साथ 21 जून, 2019 को प्रातः काल 07.00 से 08.00 बजे तक सामान्य योग प्रोटोकॉल के आधार पर एक सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन करने तथा यूजीसी विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (<http://ugc-ac-in/uamp/>) पर विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों द्वारा संचालित योग का प्रसार करने और लोकप्रियकरण से संबंधित वीडियो और चित्रों तथा विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागियों के विवरण को भी अपलोड करने के लिए भी कहा (F.14-3/2015(CPP-II)).

27 जून, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को (क) मूल उपाय (ख) परामर्शदायी और मॉनिटरिंग उपायों (ग) रैंगिंग मुक्त परिसर के विचार का रचनात्मक प्रसार (घ) रैंगिंग मुक्त परिसर, सहायक और निष्पक्ष संस्थागत जलवायु के लिए आधारभूत आवश्यकता, जो बदलाव लाने, सीखने और प्रगति के लिए खुली हो, सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी द्वारा शुरू किए गए अन्य उपायों के बारे में सूचित किया (F.1-15/2009(ARC)(Pt.II)).

2 जुलाई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को भारत की विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस-विषयात्मक अनुसंधान (स्ट्राइड) योजना की शुरुआत के बारे में सूचित किया। यूजीसी की योजना जनहित के लिए नए विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं के सृजन, विकास और एकीकरण को बढ़ावा देगी और नागरिक समाज को सुदृढ़ करेगी (F.1-1/2019(STRIDE/SAP-I)/2019).

4 जुलाई, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में परिणामों के व्यापक प्रसार के बाद नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2019 के मसौदे पर चर्चा की श्रेणियाँ आयोजित करने के लिए सूचित किया। प्रस्तावित सुधारों पर विभिन्न मोडों के माध्यम से व्यापक ध्यान आकर्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विवादास्पद चर्चाओं में अकादमिक बिरादरी की आसक्ति और प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालना (F.1-18/2019(CPP-II)).

17 जुलाई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक दिवसीय मेगा वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सूचित किया। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को आईआईटी मुंबई द्वारा छात्र सोलर अम्बेसडर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें छात्रों को अपने स्वयं के सौर अध्ययन लैम्प बनाने के लिए हस्तगत प्रशिक्षण दिया गया (F.14-21/2014(CPP-II)).

31 जुलाई, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता शिक्षण संकाय की कमी से उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। (F.1-14/2019(CPP-II)).

सार्वजनिक सूचना → परामर्श 'उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने हेतु एनएएसी प्रत्यायन आकांक्षी संस्थानों को सलाह देने के लिए यूजीसी योजना'। गुणवत्ता जनादेश के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) को मान्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यूजीसी ने एक नई योजना "परामर्श" शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर-मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सलाह देकर उन्हें मान्यता प्राप्त कराने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श पाने वाले संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना को हब एंड स्पोक (एचएंडएस) मॉडल के माध्यम से परिचालित किया जाएगा, जहां परामर्श प्रदाता इंस्टीट्यूशन, नामक हब को केंद्रीकृत किया जाता है और माध्यमिक शाखाओं, प्रवक्ता के माध्यम से परामर्श पाने वाली संस्था को मार्ग दर्शन देने की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें आत्म सुधार के लिए परामर्श पाने वाले को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार

परामर्श प्रदाता संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (क्यूएसी) के माध्यम से सलाह दी जायेगी। अन्य विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों की मेंटरशिप लेने के लिए उनकी तत्परता प्राप्त करने हेतु सबसे पहले परामर्श पाने वाली संस्थानों से परामर्श किया जाएगा। प्रतिभागी संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना के समन्वयक के रूप में पूर्णकालिक संकाय सदस्यों को नामित करें। (F.36-1/2018(IC))।

सार्वजनिक सूचना → गुणवत्ता अनुसंधान 'भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों' में अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और सुधारना'

1. संकाय द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति में सुधार करने के लिए नई जानकारी और कार्यनीतियों का सृजन करना।
2. प्रस्तावित यूजीसी (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्रियों देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएँ) विनियम (F.1-12/2018(QIP- गुणवत्ता अनुसंधान))।

1 अगस्त, 2019

सार्वजनिक सूचना → “ज्ञानार्जन परिणाम पर आधारित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एलओसीएफ)” यूजीसी के गुणवत्ता अधिदेश ने छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और मनोवृत्ति से तैयार करने के उद्देश्य से ज्ञानार्जन परिणाम आधारित पहुंच पर पाठ्यक्रम सुधार करने पर जोर दिया है। यूजीसी ने विभिन्न विषयों में एलओसीएफ का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है और उन पर टिप्पणियां भी मांगी है। (F.1-4/2018(LOCF/QIP)).

2 अगस्त, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफिलबनेट) सौंपा है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, जिसका लक्ष्य सभी विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालय सहित संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस) निःशुल्क प्रदान करना है। तदनुसार, इनफिलबनेट केंद्र ने वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पीडीएस, यूआरकेयूएनडी (मैसर्स प्रियोइनफ्रो केंद्र, स्वीडन द्वारा) की सदस्यता ली है (F.75-1/2018(e-Gov./TAC))

आयोग ने अपील की कि उच्चतर शिक्षा/संस्थानों को पर्यावरणात्मक संरक्षण में योगदान करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, जो विश्व जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों को परिसर में रहने के दौरान कम से कम एक पेड़ लगाने और उसका संपोषण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए (F.1-49/2019(e-Govs.)).

6 अगस्त, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को “भारत का बदलता हुआ चेहरा/स्वतंत्रता दिवस, 2019” विषय पर पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता में छात्रों की व्यापक पहुंच और सक्रिय भागीदारी के लिए सूचित किया और इस पहल को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की एक बड़ी सफलता बनाने के लिए ई-विज्ञापन का परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में व्यापक रूप से प्रसार किया गया (F.14-7/2019(CPP-II)).

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को आवश्यक परामर्श जारी किया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के सभी मुद्रा संबंधी लेनदेन एमएचआरडी के राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन (एनडीपीएम) के तहत डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करके किए जाये। (F.1-49/2019(e-Govs.)).

7 अगस्त, 2019

सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे ऑनलाइन पोर्टल <http://nherc-in> पर आरक्षण और विज्ञापन विवरण के सहित सभी रिक्त पदों का विवरण अपलोड करें। (F.1-14/2019(CPP-II)).

9 अगस्त, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक वर्ष से नव प्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षासंभ छात्र प्रेरण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उपयुक्त पहल करें और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (<http://www-ugc-ac-in/uamp/>) पर वास्तव में आयोजित कार्य योजना/फोटो/प्रेरण कार्यक्रम के वीडियो अपलोड करें (F.1-5/2019(QIP-SIP)).

23 अगस्त, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत के प्रधान मंत्री देश को तंदुरुस्ती और कल्याण के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए “स्वस्थ भारत अभियान” शुरू करेंगे और यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है।

27 अगस्त, 2019

आयोग ने राज्य सभा द्वारा राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन (आरएसआरएस) योजना के तहत डॉ.एस. राधाकृष्णन अध्यक्ष और चार राज्यसभा फेलोशिप की स्थापना के बारे में सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों को सूचित किया। विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के संकाय और छात्र उसी के लिए आवेदन करते हैं और सूचना का प्रसार करते हैं।

30 अगस्त, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने और प्लास्टिक कचरे का निपटान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक “स्वच्छता ही सेवा अभियान” शुरू किया जा रहा है। आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। (F1-54/2019 (वेबसाइट / स्वच्छता ही सेवा)।

12 सितंबर, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाली गुणवत्ता वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक विशाल भंडार है। ये किताबें सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हैं, जिसमें इतिहास, कला और संस्कृति, भूमि और लोगों से लेकर आधुनिक भारत के बिल्डर्स, सामाजिक और संस्कृति के नेताओं की जीवनी तक शामिल हैं। विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालय अपने पुस्तकालय में पुस्तकों के इस भंडार का लाभ उठा सकते हैं, जो छात्रों, संकाय और शैक्षिक समुदाय के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में काफी काम आयेगा। (F.1-42/2019 (प्रकाशन))।

13 सितंबर, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध / संघटक महाविद्यालयों को सलाह दी कि वे सभी छात्रों को महाविद्यालय परिसर के आसपास जल संरक्षण गतिविधियाँ शुरू करने और बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजन और सामुदायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए जय शक्ति अभियान शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। उन्हें जल संरक्षण के उपयुक्त प्रदर्शनकारी उपाय भी करने चाहिए।

24 सितंबर 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों को सूचित किया कि वे वाणिज्य दूतावास द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार पूर्ण विवरण देते हुए सत्यापन रिपोर्टों को ठीक प्रकार से केवल अंग्रेजी में टाइप किए गए लिखित फॉर्मेट में, वरीयता देते हुए समय पर भारतीय मिशन को / पोस्ट पर भेजे।

25 सितंबर, 2019

यूजीसी ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है ताकि अनुदानगृहीता संस्थान को जारी की गई निधियों की पूर्ण जांच और अंतिम मील तक लाभार्थियों तक उनके आगे के खर्च को सुनिश्चित किया जा सके। हालाँकि, पीएफएमएस के तहत पंजीकृत कुछ लाभार्थी संस्थानों ने पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल को नहीं अपनाया है।

इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि यूजीसी का अनुदानगृहीता संस्थान निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

1. यूजीसी के सभी अनुदान प्राप्त संस्थान वास्तविक समय के आधार पर पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य रूप से शुरू करेंगे। अनुदानगृहीता संस्था द्वारा लाभार्थी / विक्रेताओं को सभी भुगतान भी केवल ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे।

2. लाभार्थी संस्थाएँ विभिन्न योजनाओं के तहत यूजीसी से प्राप्त अपने अनुदान व्यय के पीजीएमडी पोर्टल से डाउनलोड की गई ईएटी रिपोर्ट, संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित भेजेंगी।
3. अनुदान देने वाले संस्थान पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी खर्च न की गई शेष राशि की स्थिति की अद्यतन/प्रविष्टि/मिलान को सुनिश्चित करेंगे।
4. संस्थानों के प्रमुख ऊपर बताये गए अनुसार वास्तविक समय के आधार पर पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल को पूरी तरह से लागू करने में किसी भी चूक/कमी/अनियमितता के लिए जिम्मेदार होंगे।
5. अनुदानगृहीता संस्थानों को तब तक आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वे पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल को पूरी तरह से लागू नहीं कर लेते और ऊपर सुझाए गए अनुसार ईएटी व्यय रिपोर्ट यूजीसी को नहीं भेज देते।

26 सितंबर, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सूचित किया कि छात्रों के लिए सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने और सफाई/स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था तथा संतुलित/स्वस्थ आहार लेने जैसे विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। संस्थानों के परिसर में पोषण डैशबोर्ड को प्रदर्शित किया जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा सभी गतिविधियों को जन आन्दोलन डैशबोर्ड पोर्टल www.poshanabhiyaan.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

27 सितम्बर 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक संस्थागत स्वास्थ्य योजना के लिए दिशानिर्देश के साथ 'स्वस्थ भारत अभियान' में भागीदारी के बारे में सूचित किया। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र विकसित करें और आवधिक रूप से गतिविधियों की निगरानी करें।

1 अक्टूबर, 2019

उन सभी संस्थानों को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से कौशल पाठ्यक्रम चला रहे हैं, यूजीसी एनएसक्यूएफ पोर्टल पर छात्रों और संकाय से संबंधित डेटा अपलोड करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन पोर्टल 25 वें का लिंक <http://www-ugc-ac-in/nsdf/> है।

7 अक्टूबर, 2019

सार्वजनिक सूचना → बड़े पैमाने पर छात्रों और जनता को सूचित किया जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, बी 1/1 दूसरा तल, जनकपुरी, नई दिल्ली एक विश्वविद्यालय नहीं है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी 'स्नातक/स्नातकोत्तर' कार्यक्रमों को या तो नियमित मोड या दूरस्थ मोड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत नहीं है।

10 अक्टूबर, 2019

सार्वजनिक सूचना → मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आईआईसाइंस, आईआईएसआर, आईआईटी और चुनिंदे वर्ग के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश के लिए प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF) कार्यक्रम शुरु किया है। विवरण के लिए लिंक <https://dec2019.pmr.in/index.php/about/hosting-institutions>. (F.82-14/2019(SAP-III)) पर जाएं।

11 अक्टूबर, 2019

सार्वजनिक सूचना → छात्र/कामकाजी व्यवसायी/जीवन के दीर्घावधि अध्येता, जिन्होंने यूजीसी गैर-प्रौद्योगिकी पीजी एमओओसीएस पाठ्यक्रम के लिए स्वयम (युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय ज्ञानार्जन का अध्ययन बेब्स) प्लेटफॉर्म (जुलाई- अक्टूबर, 2019) पर नामित किया है, वे निम्नलिखित लिंक पर स्वयम पोर्टल पर 9 और 10 नवंबर, 2019 को आयोजित अनुसूचित परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और भारत के विख्यात विश्वविद्यालयों से क्रेडिट/प्रमाण पत्र अर्जित करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं: [http://examform.swayam.gov.in/\(F.1-8/2017\(SWAYAM बोर्ड\)\)](http://examform.swayam.gov.in/(F.1-8/2017(SWAYAM बोर्ड))).

16 अक्टूबर, 2019

आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सलाह दी कि वे बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजन और सामुदायिक शिक्षा के संदर्भ में, महाविद्यालय परिसर में और उसके आसपास जल संरक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के आवश्यक कदम उठाएँ।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे अपने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों में सख्ती से जैमर पर सरकारी नीति के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। (F-14-18 / 2019 (CPP-II))।

21 अक्टूबर, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को खादी के उपयोग और खादी के कट्टे (स्पीनरों) और चारपाई (बुनकरों) को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक वेशभूषा के लिए खादी और / या हैंडलूम कपड़े को अपनाने हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। (F.3-2/2013(CPP-II)).

23 अक्टूबर, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों और सभी महाविद्यालयों को 31 अक्टूबर, 2019 को "राष्ट्रीय" एकता दिवस "(राष्ट्रीय एकता दिवस) पूर्ण उत्साह और जोश के साथ मनाने की सूचना दी। (F.1-59/2019 (वेबसाइट))।

31 अक्टूबर, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचित किया कि हमारे बहादुर सशस्त्र बल के जवानों द्वारा हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और उग्रवाद और आतंकवाद के खतरों के खिलाफ हमारे जीवन को सुरक्षित करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत प्रदान करने के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदानों को मनाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर मनाया जाता है। हमारे जीवन में हमारे सशस्त्र बलों और इस दिन के महत्व द्वारा किए गए बलिदान के बारे में युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को कहा गया (F.14-8/2016(CPP-II)).

4 नवंबर, 2019

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और उच्चतर शिक्षा सचिवों को सूचित किया कि वे अपने राज्य में रैगिंग रोधी विनियमों को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएँ और दिशानिर्देशों की धज्जियाँ उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। (F.1-21/2010(ARC)).

6 नवंबर, 2019

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब (ईबीएसबी) बनाये, जिसका उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सदृश राज्य की भाषा, संस्कृति का प्रचार करना हो। ईबीएसबी क्लब और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण यूजीसी विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (<http://www-ugc-ac-in/uamp/>) पर अपलोड किया जाये।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि एनएडी ने पिछले दो वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है और 1106 शैक्षिक संस्थानों ने पहले ही एसएलए पर हस्ताक्षर किए हैं और अपना डेटा अपलोड किया है। कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध है कि वे 31 दिसंबर, 2019 से पहले विरासत और स्वच्छ डेटा अपलोड करें। (F.1-3/2017(NAD/MHRD)).

7 नवंबर, 2019

सार्वजनिक सूचना → छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क – यूजीसी ने पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों की कैरियर प्रगति का पता लगाने के लिए 'छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क' पर एक नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया था। यह यूजीसी गुणवत्ता अधिदेश के दस पहल कार्यों में से एक है। कार्य दल (टास्क फोर्स) द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज यूजीसी के दायरे के भीतर यूजीसी और संस्थान के संदर्भ में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पूर्व छात्रों के संबंध में एक संकल्पना टिप्पणी उपलब्ध कराता है। 16.10.2019 को आयोजित 544 वीं बैठक में आयोग ने नीति दस्तावेज पर विचार किया और नीति दस्तावेज पर विचार करने के लिए 'छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क' पर शिक्षकों, छात्रों, नेटवर्क शिक्षाविदों और बड़े पैमाने पर जनता सहित हितधारकों से विचारों / सुझावों को प्राप्त करने का निर्णय लिया। मसौदा नीति दस्तावेज की प्रति यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (F.1-15/2019(QIP) (पूर्व छात्र संघ))।

सार्वजनिक सूचना → विश्वविद्यालय और उद्योग लिंकेज को सक्षम और उन्नत करना । यूजीसी ने अपने गुणवत्ता अधिदेश के तहत कई पहल की हैं और उनमें से एक "प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और उद्योग से संबंधित है"। विश्वविद्यालय और उद्योग के मेलभाव को महसूस करने के उद्देश्य से, यूजीसी ने इस विषय का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया और एक कार्यनीति तैयार करने के साथ-साथ लिंकेज को बढ़ाने की दिशा में कार्यान्वयन के लिए रोड मैप बनाया। अपनी रिपोर्ट में कार्य दल ने विशिष्ट उपायों करने का प्रस्ताव किया है ताकि विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज को बढ़ावा देने और संपोषित करने के लिए इको सिस्टम को सक्षम बनाया जा सकें।

यूजीसी की वेबसाइट पर "विश्वविद्यालय और उद्योग लिंकेज को सक्षम और संवर्धित करने के कार्यक्रम" की मसौदा रिपोर्ट उपलब्ध है। (F.7-1/2018(QIP) (सोशल एंड इंडस्ट्री कनेक्ट))। शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और इस क्षेत्र में शामिल व्यक्तियों सहित हितधारकों से विचारों / सुझावों को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

13 नवंबर, 2019

सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे 'स्वच्छ भारत क्रांति' नामक पुस्तक को प्राप्त करने और प्रसारित करने तथा छात्रों / कर्मचारियों को 'हार्पर कॉलिंस इंडिया' द्वारा प्रकाशित प्रतियां उपलब्ध कराने पर विचार करें। (F.14-5/2016(CPP-II)).

19 नवंबर, 2019

संविधान दिवस और राष्ट्रीय अभियान की 70 वीं वर्षगांठ के इस समारोह के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे अपने छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संविधान और मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसका प्रसार करने के लिए समर्पित प्रयास करें। परिसर में संविधान और मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाये। (F.1-62/2019 (वेबसाइट))।

22 नवंबर, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को गैर-तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा में जीवन(लाइफ) कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया, यूजीसी ने समिति की मदद से लाइफ स्किल्स (जीवन कौशल) के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसे: <http://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html>. पर प्राप्त किया जा सकता है।

26 नवंबर, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित किया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में से एक के साथ मिलकर, 1997 से प्रति वर्ष ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन के दौरान हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अभी तक इस तरह के 22 सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और अंतिम 8 – 9 अगस्त, 2019 को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया था। एनसीएसजी 2020 (23 वां संस्करण) जनवरी/फरवरी, 2020 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। (F.1-74/2019 (वेबसाइट))।

29 नवंबर, 2019

आयोग ने विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अपने संस्थान से दो संकाय सदस्यों को नामित करने के लिए सूचित किया और नामांकित संकाय सदस्य 300 से 500 शब्दों में लेख लिखकर प्रस्तुत करें कि "भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए और अपने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यान्वित किए जाने वाले सामुदायिक सहभागिता में ऐसे सदृश नवाचार के उदाहरणों को seguba2019@gmail.com पर साझा करें।

6 दिसंबर 2019

सार्वजनिक सूचना → महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रख्यात महिला शिक्षाविद् / प्रशासक / कलाकार / वैज्ञानिक / पर्यावरणविद् / सामाजिक सुधारकों आदि के नाम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में दस (10) अध्यक्षों की स्थापना के बारे में (F.1-2/2019 (अध्यक्ष))।

11 दिसंबर, 2019

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एनएसी-बैंक) की अवधारणा शुरू की, जो यूजीसी द्वारा स्थापित और प्रबंधित की जाने वाली एक डिजिटल / वर्चुअल / ऑनलाइन संस्था होगी। एनएसी-बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना होगा, जिसमें क्रेडिट को संचित किया जा सकता है और उसका डिग्री कार्यक्रम की आंशिक पूर्ति की आवश्यकताओं के लिए स्थल अवधि को बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

16 दिसंबर 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को ज्ञानार्जन के परिणामों पर आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एलओसीएफ) के आधार पर पाठ्यक्रम के उपयुक्त संशोधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सूचित किया। अपेक्षित ज्ञानार्जन परिणामों को प्राप्त करने के लिए परिणाम-उन्मुख पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 16 विषयों भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, मानव अधिकार, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, हिंदी, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, जन संचार और पत्रकारिता, लोक प्रशासन, जैव रसायन की अंतिम एलओसीएफ रिपोर्ट पहले से ही यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसको जारी रखते हुए, यूजीसी की वेबसाइट (www.ugc.ac.in) पर 03 और विषय माइक्रोबायोलॉजी, भूविज्ञान और भूगोल उपलब्ध हैं (F.1-4/2018(LOCF/QIP))।

7 जनवरी, 2019

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को “शैक्षिक संस्थानों में लिंग चैंपियन के लिए दिशानिर्देश” (यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी। (F.91-2/2014(GS)P+I)।

आयोग ने सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया कि वे अपने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग को प्रतिबंधित करें और छात्रों को ई-सिगरेट के बुरे प्रभावों और उनके विकसित दिमाग को हानि पहुंचाने वाले किसी भी रूप में निकोटीन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूक करें।

14 जनवरी, 2020

सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध है कि 16 से 31 जनवरी, 2020 तक पखवाड़ा के दौरान किए गए स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का अवलोकन करें और उन्हें ईमेल swachhtapakhwada2020@gmail.com पर अपलोड करें।

20 जनवरी, 2020

आयोग ने विश्वविद्यालयों को केवल यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के दायरे में डिग्री देने की सलाह दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) के प्रयोजन के लिए डिग्री (ओं) की यूजीसी द्वारा अनुमोदित नामावली की समेकित सूची यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा किसी निर्दिष्ट डिग्री के अलावा डिग्री प्रदान करना चाहता है, तो उसे शुरू किए जाने वाले पाठ्यक्रम का पूरा औचित्य देते हुए डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के छह महीने पहले अनुमोदन हेतु यूजीसी से संपर्क करना चाहिए (F.21-13/2019(CPP-II))।

14 फरवरी, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मातृभाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 21.02.2020 को मातृभाषा दिवस मनाने और भाषाई और संस्कृति परंपराओं के बारे में पूरी जागरूकता पैदा करने तथा समझ, सहिष्णुता और संवाद के आधार पर एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए सूचित किया (F 14-5/2018(CPP-II))

25 फरवरी, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को पुनः परिभाषित एसआई इकाइयों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों में संशोधन और मेट्रोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए सूचित किया। (F.14-3/2019 (CPP-II))।

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) की जानकारी दी, जो अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सभी

विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों को अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के माध्यम से तकनीकी, व्यावसायिक, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प शिक्षा और विश्वविद्यालयों से जुड़े अन्य संबंधित हितधारकों के साथ इस पहल से लाभ उठाने का अनुरोध है। (F.14-3/2019(CPP-II)).

सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय लैंडस्लाइड जोखिम प्रबंधन कार्यनीति दस्तावेज के अनुसार उचित कार्रवाई करें, जो कि भारत की लैंडस्लाइड को लचीला बनाने के लिए www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

12 मार्च, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी), के बारे में बताया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य किसी भी समय, कहीं पर भी मोड में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सभी शिक्षार्थियों के लिए इंटरनेट पर उच्च गुणवत्ता, व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव ज्ञान मॉड्यूल द्वारा शिक्षण और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता का लाभ उठाना है। विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में <http://mhrd.gov.in/ict-initiatives> का लिंक प्रदान करके और अन्य आधिकारिक सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से साझा करके विश्वविद्यालय शैक्षिक समुदाय और छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करके और इन्हें बढ़ावा देकर इन डिजिटल पहल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। (F.1-3/2018(SWAYAM/Misc.)).

यूजीसी ने 20 फरवरी, 2019 को यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थानों) विनियम, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। उपरोक्त यूजीसी विनियमों की अधिसूचनाओं के अनुसार, यूजीसी ने समविश्वविद्यालयों के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है। समविश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने और मौजूदा समविश्वविद्यालयों द्वारा नए पाठ्यक्रमों/ऑफ-परिसर/ऑफ-शोर परिसर को शुरू करने का प्रस्ताव केवल समविश्वविद्यालय पोर्टल पर ही ऑन-लाइन प्रस्तुत किया जाएगा। वेब पोर्टल को यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और/या portal-deemed.ugc.ac.in के यूआरएल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

इसके अलावा, उपर्युक्त यूजीसी विनियमों के खंड 9.01 में यह प्रावधान है कि विभिन्न कार्य निष्पादन मापदंडों पर सार्वजनिक खुलासे के आधार पर सभी समविश्वविद्यालय संस्थानों के कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों की यूजीसी द्वारा प्रति वर्ष निगरानी की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी समविश्वविद्यालय यूजीसी वेब पोर्टल पर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक पहलू और शैक्षिक मापदंडों पर कार्य निष्पादन रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

13 मार्च, 2020

आयोग ने केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों को संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों की सूची को नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर होस्ट करने / अद्यतन करने की सलाह दी, ताकि संबद्ध महाविद्यालयों की वास्तविकता की जांच करने के इच्छुक हितधारकों को सुविधा प्रदान की जा सके। (F.8-31/2020(CPP-I/C)).

19 मार्च, 2020

यूजीसी नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के मद्देनजर शुरू किए गए निवारक उपायों के संबंध में विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों के लिए दिनांक 05.03.2020 और 14.03.2020 और 19.03.2020 को समय-समय पर परामर्श जारी करता रहा है।

सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि निम्नलिखित एहतियाती उपाय करें:

1. सभी चल रही विश्वविद्यालय परीक्षा 31 मार्च, 2020 के बाद पुनर्निर्धारित की जायेगी।
2. सभी मूल्यांकन कार्य 31 मार्च, 2020 के बाद पुनर्निर्धारित किए जायेंगे।
3. सभी शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से छात्रों और शिक्षकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उन्हें पूरी तरह से अवगत कराएँ ताकि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में कोई चिंता न हो।
4. सभी शैक्षणिक संस्थान हेल्पलाइन नंबर / ईमेल बताएं, जिससे कि छात्र उस पर अपने प्रश्नों की पूछताछ कर सकें।

सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को यह सलाह दें कि वे घबराएं नहीं, और कोविड -19 से निपटने के लिए निवारक और पूर्व एहतियाती उपाय करें।

27 मार्च, 2020

आयोग ने हमारे हित धारकों, जिसमें छात्र, संकाय सदस्य, शोधकर्ता, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्य और अन्य सदस्य शामिल हैं, की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आवश्यक सावधानी बरतने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक परामर्श जारी किया (F.1-1/2020(Secy)).

28 मार्च, 2020

आयोग कोविड 19 से निपटने में योगदान देने के लिए एक अपील करता है। शैक्षिक बिरादरी की यह एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वह न केवल लोगों को खुद को बचाने और इस वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए निवारक और पूर्व एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक करें, अपितु कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक रूप से योगदान देने में भी आगे आए।

► उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

- ❖ 2.1 सकल नामांकन अनुपात
- ❖ 2.2 विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय
- ❖ 2.3 छात्र नामांकन
- ❖ 2.4 परीक्षा परिणाम / उत्तीर्ण छात्र
- ❖ 2.5 शिक्षण कर्मचारी

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के अंतर्गत भारत और अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों की सूचना एकत्र करने का अधिकार है, जैसा कि वे उपयुक्त समझे और उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं में अध्ययन करने या विश्वविश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक ऐसी सूचना विश्वविद्यालय से मांगी जाये, जिसमें ऐसी प्रत्येक शिक्षण शाखाओं के संबंध में उस विश्वविद्यालय में शिक्षण व परीक्षा के मानकों से संबंधित सभी नियम और विनियम शामिल हों।

शिक्षा क्षेत्र में समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण आंकड़े, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विविध उच्चतर शिक्षा प्रणाली का व्यापक डेटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है। सर्वेक्षण में प्रत्युत्तर देने वाले संस्थानों द्वारा सीधे ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए आंकड़ों का संकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। तीन प्रकार के उच्चतर शिक्षा संस्थान नामतः विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्टैंड अलोन संस्थानों की पहचान की गई है तथा उनका सर्वेक्षण किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का एक मुख्य दल, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल था, जिसमें डॉटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ), कार्यशालाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सॉफ्टवेयर विकास करने में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की सहायता करना (एनआईसी) आदि सम्मिलित है। सर्वेक्षण कार्य का समन्वय करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य/केन्द्र स्तर पर उपयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ का ई-संस्करण संस्थान के ढांचे/आकार के अनुसार घटता-बढ़ता है। किसी भी अन्वेषक को आंकड़े संग्रहीत करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिस तक संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। सभी संस्थानों को पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से आंकड़े संग्रहीत करना बंद कर दिया है, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन <http://aishe.gov.in> पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के स्टैंड अलोन संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में मानदंडों के बारे में आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं।

एआईएसएचई 2019-20: एआईएसएचई के तहत जानकारी को उच्चतर शिक्षा संस्थानों, मोटे तौर पर एआईएसएचई के पोर्टल पर पंजीकृत श्रेणीबद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्टैंड अलोन संस्थान से संग्रहीत किया गया था।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 2.1 लाख छात्र थे। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आईआईएम, सहित 1080 डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/ संस्थान (स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2 (च) के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों की सूची), 44374 महाविद्यालय (संबद्ध/ संघटक/ स्नातकोत्तर/ 'ऑफ-कैम्पस केन्द्र'/ मान्यताप्राप्त संस्थान) (स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट) हैं तथा उच्चतर शिक्षा में 382.75 लाख छात्रों का नामांकन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष के आंकड़ों की तुलना में उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की संख्या में 54 गुना वृद्धि हुई है, महाविद्यालयों की संख्या में 88.75 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा में छात्र नामांकन में 182.26 गुना वृद्धि हुई है। विशेषरूप से, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बिना छात्र नामांकन और पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी व्यापक वृद्धि कभी सम्भव नहीं हो पाती।

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष)

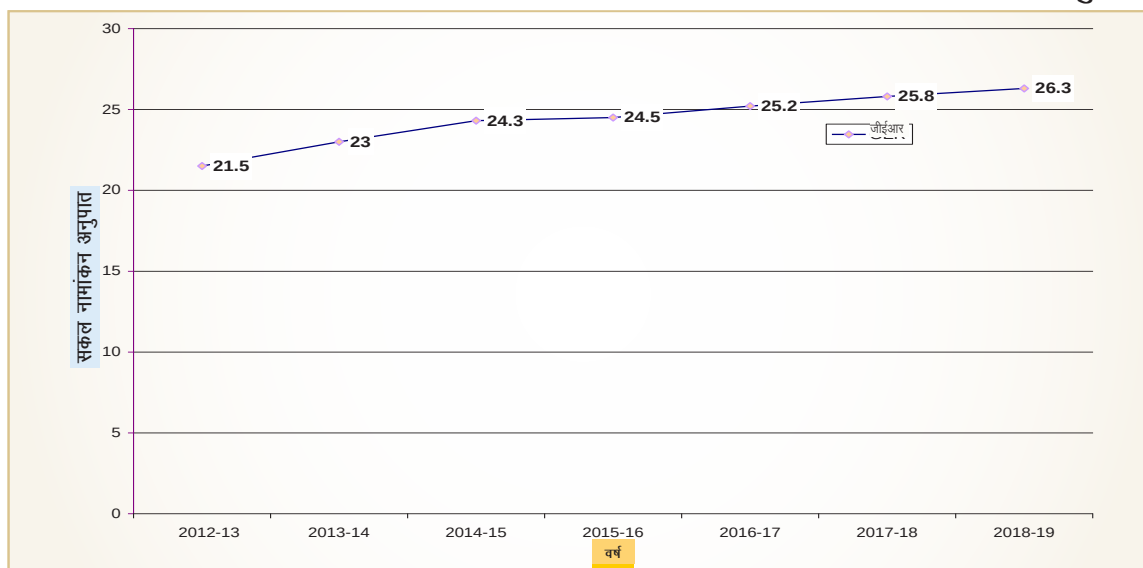
भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत है। जिसकी गणना 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.3 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 26.4 प्रतिशत रहा।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में रुझान: वर्ष 2012-13 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 26.3 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिक हुई जोकि वर्ष 2012-13 के दौरान 16.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 23 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2012-13 के दौरान 11.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान 17.2 प्रतिशत हो गया। (स्रोत: वर्ष 2018-19 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.1 वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात

वर्ष	जीईआर (%)
2012-13	21.50
2013-14	23.00
2014-15	24.30
2015-16	24.50
2016-17	25.20
2017-18	25.80
2018-19	26.30

तालिका 2.1: वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात



2.2 विश्वविद्यालय / संस्थान / महाविद्यालय

2.2(i) विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान अर्थात् ऐसे संस्थान जिन्हें संसद अथवा राज्य विधानमंडल के कतिपय अधिनियम के तहत उपाधि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों / संस्थानों के निम्नवत स्वरूप हैं (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (2) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (3) राज्य निजी विश्वविद्यालय (4) सम विश्वविद्यालय संस्थान (5) राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित संस्थान (6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अन्य।

2.2(i)(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 51 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 411 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 352 राज्य निजी विश्वविद्यालय, राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित 3 संस्थान और 127 सम विश्वविद्यालय संस्थान सूचीबद्ध हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, विश्वविद्यालयों की सूची में 14 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची (i) (क)], 18 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i)(ख)], और 1 सम विश्वविद्यालय संस्थान [सूची 2.2(i)(ग)] सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019 - 20 के दौरान 14 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 3 सम विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी विश्वविद्यालय [सूची 2.2(i) (घ)] को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित किया गया है।

तालिका 2.2 (i) (क): यूजीसी की सूची में शामिल राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची
(01.04.2019 से 31.03.2020)

राज्य	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश	1	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजिस आंध्र प्रदेश, वी.आर. मैसंस, कुचनपल्ली, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश - 522501	01.06.2016	
असम	2	भट्टदेव विश्वविद्यालय, बजाली, पथसला- 785004, असम	25.10.2017	info@bhattadevuniversity.ac.in
	3	माधवदेव विश्वविद्यालय, पी.ओ. - डिक्कॉन्ग-784164, नारायणपुर, लखीमपुर, असम	01.06.2018	https://www.madhabdevuniversity.org.in
	4	रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजई - 782435, असम	25.10.2017	http://www.rntu.ac.in
गुजरात	5	गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन, ब्लॉक 11, 9 वीं मंजिल, उद्योग भवन, गांधीनगर - 382011, गुजरात	23.10.2018	http://www.btm.gujarat.gov.in/
हरियाणा	6	डॉ. बी.आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा), राय, सोनीपत, हरियाणा	23.06.2014	http://www.dbranlu.ac.in/
	7	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, उमरी रोड, सेक्टर-8, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118	25.09.2017	http://www.skau.ac.in/
झारखंड	8	झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कैम्पस सिरखा टोल, नामकुम, रांची -838010, झारखंड	12.11.2015	http://www.sbtejharkhand.nic.in/
कर्नाटक	9	डॉ. बी.आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बंगलुरु विश्वविद्यालय, राजाजी हॉल, सेंट्रल कॉलेज कैम्पस, बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलुरु - 560001, कर्नाटक	30.10.2019	https://www.base.ac.in/

राज्य	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	10	मांड्या विश्वविद्यालय, एम.सी. रोड, मांड्या – 571401, कर्नाटक	02.03.2019	http://www.mandyauniversity.ac.in/
मध्य प्रदेश	11	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा –480001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.cuc.ac.in
महाराष्ट्र	12	डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसिज, 15 मैडम कॉमा रोड, मुंबई – 400032, महाराष्ट्र	15.02.2019	https://www.iscm.ac.in/homi.php
पंजाब	13	महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोहिंद्र कोठी, फाउंटेन चौक के पास, पटियाला –147001, पंजाब	29.08.2019	http://www.mbspsu.pgsgcpe.com/
उत्तर प्रदेश	14	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ –226010, उत्तर प्रदेश	12.09.2018	https://www.drrmlims.ac.in/

तालिका 2.2(i)(ख): यूजीसी की सूची में शामिल राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (01.04.2019 से 31.03.2020)

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश	1	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी विश्वविद्यालय, गौनिवारिपल्ली, गोरंतला मंडल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	17.02.2019	https://www.bestiu.edu.in/
छत्तीसगढ़	2	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, खसरा नंबर 72,73,75,217 और 220 गाँव मेहमरा, जलबंध (रसमड़ा) रोड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	08.08.2018	https://www.kkmu.edu.in/
गुजरात	3	भगवान महावीर विश्वविद्यालय, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत, गुजरात	25.09.2019	
	4	भाईकाका विश्वविद्यालय, गोकल नगर, करमसद –388325, गुजरात	25.09.2019	http://www.bhaikakauniv.edu.in/
	5	गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	06.05.2017	https://www.gmu.edu.in/
	6	श्रेयस्थ विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गुजरात समाचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद –380001, गुजरात	25.09.2019	
	7	सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी एस.जी. हाइवे गोटा, अहमदाबाद 382481, गुजरात	25.09.2019	https://silveroakuni.ac.in/
हरियाणा	8	ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एन एच – 65, कैथल – 136027, हरियाणा	15.03.2019	https://www.osgu.ac.in/
झारखंड	9	राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय, 604, 5 वीं मंजिल, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक के पास, रांची –834002, झारखंड		https://www.rkdf.ac.in/

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
कर्नाटक	10	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर विश्वविद्यालय, 6 वीं मंजिल, मंजुश्री बिल्डिंग, एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल कैम्पस, सत्तूर, धारवाड़ - 580009 कर्नाटक	19.12.2018	https://www.sdmuniversity.edu.in/
	11	श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, श्री सत्य साई विद्यानिकेतनम कैम्पस, नवनिहाल, पोस्ट-ओकली, तालुककमालापुर, जिला - कलबुर्गी -585313, कर्नाटक	08.03.2019	https://www.sssuhe.ac.in/
मध्य प्रदेश	12	आईईएस यूनिवर्सिटी, आईईएस परिसर, रातीबाड़ मुख्य मार्ग, भोपाल -462044 मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.iesuniversity.ac.in/
	13	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एन एच -30, मंडला रोड, शारदा देवी मंदिर के पास, रिछाई-बरेला, जबलपुर- 483001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.mangalayatan.in/
महाराष्ट्र	14	एमजीएम यूनिवर्सिटी, एमजीएम कैम्पस, एन -6, सिडको, औरंगाबाद -431003, महाराष्ट्र	09.09.2019	https://mgmu.ac.in/
	15	सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, सोमैया भवन, 45-47, महात्मा गांधी रोड, किला, मुंबई -400001, महाराष्ट्र	26.08.2019	https://www.somaiya.edu/en
	16	श्री बालाजी विश्वविद्यालय, क्रमांक 55/2-7, तथावाडे मुंबई-बैंगलोर बाईपास की दूसरी तरफ,	20.08.2019	sribalajiuniversity.org
उड़ीसा	17	एसबीएम विश्वविद्यालय, शिक्षा विहार, पीओ-भोला, चंडका, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर -754012, ओडिशा	26.09.2019	https://www.asbm.ac.in/
राजस्थान	18	निर्वाण विश्वविद्यालय, एनएच -21, ग्राम झार, बस्सी के पास, मुख्य आगरा रोड, जयपुर -303705, राजस्थान	30.03.2017	http://www.nirwanuniversity.in/

तालिका 2.2(i)(ग) यूजीसी की सूची में शामिल सम विश्वविद्यालयों की सूची (01.04.2019 से 31.03.2020)

राज्य	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
तेलंगाना	1	चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हनमकोंडा, तेलंगाना	29.11.2019	http://www.cist.in

**तालिका 2.1(i)(घ) यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालयों
की सूची— 01.04.2019 से 31.03.2020
2.1(i)(घ)(i) राज्य निजी विश्वविद्यालय**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	यूजीसी की सूची में शामिल करने की तारीख
आंध्र प्रदेश			
1	डॉ. बी.आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एचेर्ला – 532 410 श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	2008	13.01.2020
2	विक्रमा सिंहपुरी विश्वविद्यालय, काकुटुर, वेंकटचलम (एम डी) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश— 524320	2008	13.01.2020
असम			
3	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय, गाँव – नमति, पीओ – हटि नमति, जिला— नलबाड़ी – 781 337, असम	2011	13.01.2020
4	बोडोलैंड विश्वविद्यालय, डेबरागांव, पीओ— रंगालिखत, कोकराझार – 783 370, बीटीसी, असम	2009	30.10.2019
हरियाणा			
5	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, हिसार – 125 004 हरियाणा	2010	28.08.2019
कर्नाटक			
6	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ज्ञान सागर परिसर, विनायक नगर, छावनी, बेल्लारी – 583104 कर्नाटक	2010	28.08.2019
मध्य प्रदेश			
7	डॉ.बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज, डॉ. अंबेडकर नगर, महु – 453 441, जिला— इंदौर, मध्य प्रदेश	2016	23.04.2019
8	राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, नीडम रोड, चंद्रवदनी नाका चौराहा, ग्वालियर – 474 009, मध्य प्रदेश	2009	27.06.2019
9	पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल – 484001, मध्य प्रदेश	2016	28.08.2019
उड़ीसा			
10	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक, बुधराजा, संबलपुर, ओडिशा – 768004	2015	26.08.2019
तमिलनाडु			
11	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 8 वीं मंजिल, ई वी ए संपत मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु	2005	13.01.2020
पश्चिम बंगाल			
12	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, ओल्ड ए डी डी ऑफिस बिल्डिंग (आसनसोल गर्ल्स महाविद्यालय के पीछे), पीओ—आसनसोल –713304, जिला – बर्दवान, पश्चिम बंगाल	2012	27.06.2019
13	डायमंड हार्बर विमेंस यूनिवर्सिटी, सरिशा, डायमंड हार्बर रोड, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल— 743368	2013	23.04.2019
14	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज, बेलगछिया, कोलकाता— 700 037	1995	13.01.2020

2.1(i)(घ)(ii) राज्य निजी विश्वविद्यालय

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	यूजीसी पत्र संख्या और तारीख
1	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर –492101, छत्तीसगढ़	540वीं बैठक	फा सं 9-15/2009 (सीपीपी –I/ पीयू)
	छत्तीसगढ़	मद सं 1.02(क)(iv)	दिनांक 23.04.2019 (**)
		दिनांक 09.04.2019	

2.1(i)(घ)(iii): समविश्वविद्यालय संस्थान

क्र. सं.	समविश्वविद्यालय का नाम और पता
दिल्ली	
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आई एल बी एस), डी 1, वसंतकुंज, नई दिल्ली
राजस्थान	
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली- 304022, राजस्थान
तमिलनाडु	
3.	चेट्टिनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (सीएआरई), पाडुर, केलांबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु

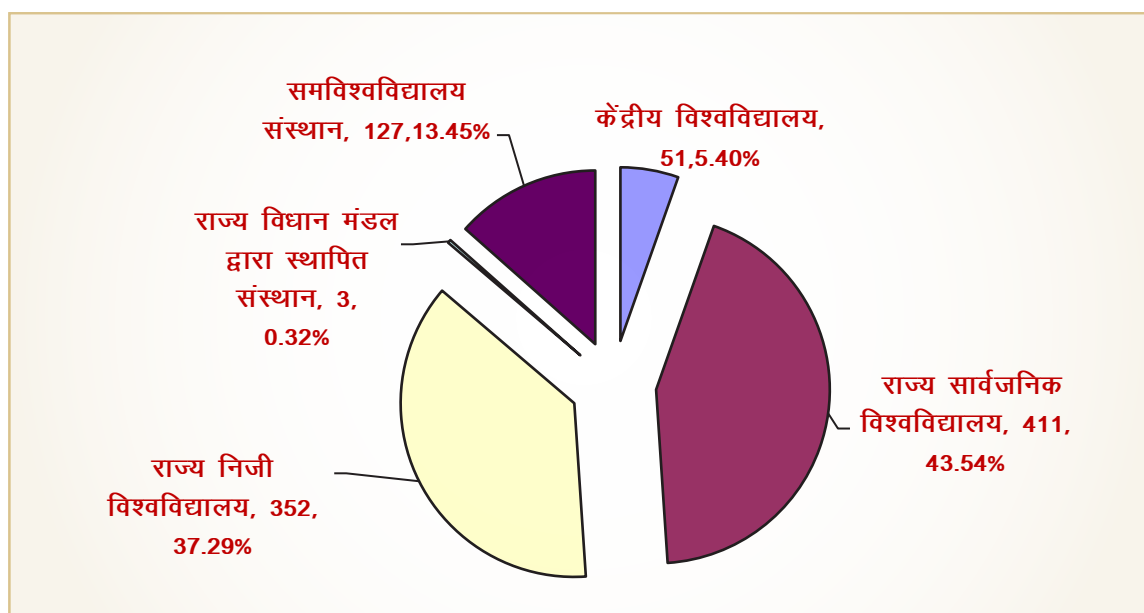
यूजीसी योजना के अंतर्गत राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल शिक्षकों और छात्रों से संबंधित कार्यों तक सीमित की जाएगी)

तालिका 2.2(i)(ड): 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की प्रकार-वार संख्या*

क्र.सं.	विश्वविद्यालय / संस्थान का प्रकार	विश्वविद्यालयों / संस्थानों की संख्या (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)	यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)
1	केंद्रीय विश्वविद्यालय	51	
2	राज्य विश्वविद्यालय	411	242
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	352	8
4	राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थान	3	
5	समविश्वविद्यालय संस्थान	127	42
	कुल	944	292

*यूजीसी अधिनियम 1996 की धारा 2(च) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध किए गए विश्वविद्यालय/संस्थान

रेखाचित्र 2.2 (i) (ड): 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की प्रकार-वार संख्या

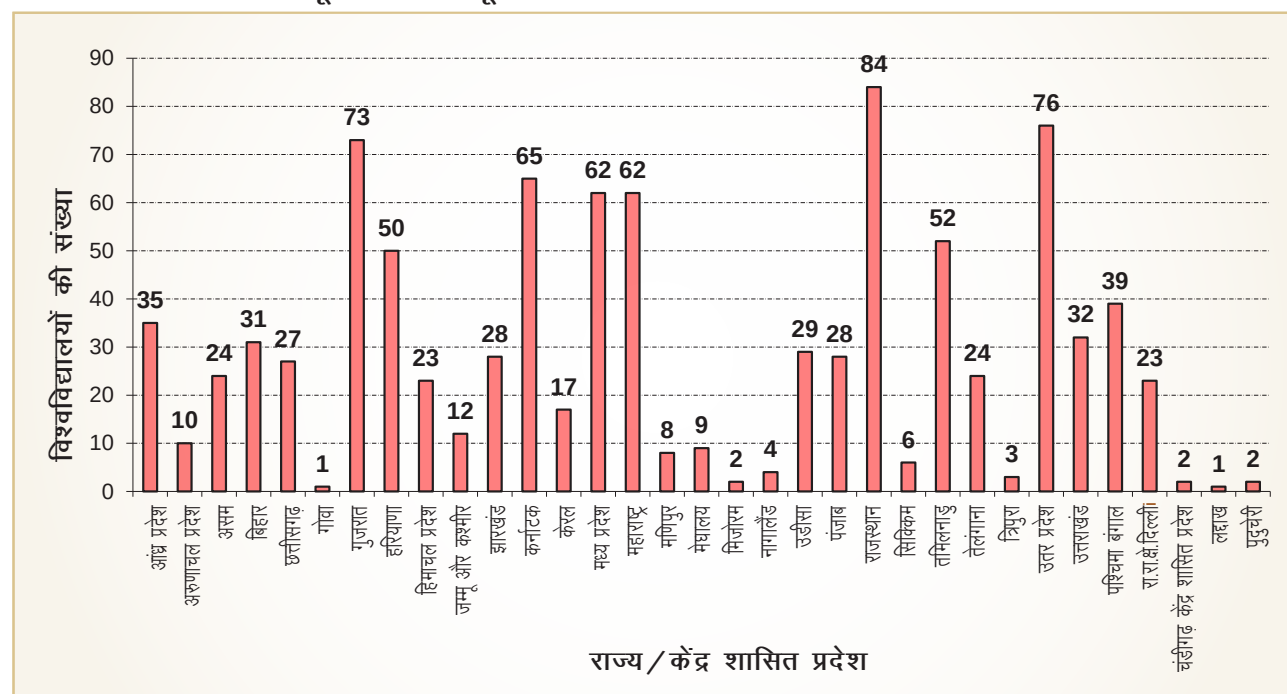


तालिका 2.2(i)(च): 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						12ख में शामिल विश्वविद्यालय		
		कुल	केंद्रीय	राज्य	निजी	सम	राज्य विधानमंडल अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थान	राज्य	निजी	सम
1	आंध्र प्रदेश	35	2	22	6	5		15		4
2	अरुणाचल प्रदेश	10	1		8	1				
3	असम	24	2	15	6	1		7	1	
4	बिहार	31	4	18	7	1	1	10		
5	छत्तीसगढ़	27	1	14	12			4	1	
6	गोवा	1		1				1		
7	गुजरात	73	1	30	39	3		12		2
8	हरियाणा	50	1	20	23	6		12	1	
9	हिमाचल प्रदेश	23	1	5	17			3		
10	जम्मू और कश्मीर	12	2	9			1	6		
11	झारखंड	28	1	11	15	1		5		
12	कर्नाटक	65	1	31	19	14		17		5
13	केरल	17	1	13		3		9		1
14	मध्य प्रदेश	62	2	24	35	1		15		1
15	महाराष्ट्र	62	1	24	16	21		17		10
16	मणिपुर	8	3	3	2					
17	मेघालय	9	1		8					
18	मिजोरम	2	1		1					
19	नागालैंड	4	1		3					
20	ओडिशा	29	1	18	7	3		11	1	2
21	पंजाब	28	1	10	15	2		7		
22	राजस्थान	84	1	24	52	7		12	1	3
23	सिक्किम	6	1	1	4					
24	तमिलनाडु	52	2	22		28		20		6
25	तेलंगाना	24	3	18		3		12		
26	त्रिपुरा	3	1	1	1					
27	उत्तर प्रदेश	76	6	31	29	9	1	18	3	1
28	उत्तराखंड	32	1	11	17	3		3		
29	पश्चिम बंगाल	39	1	26	10	2		20		1
30	रा.रा.क्षे.दिल्ली	23	5	8		10		5		6
31	चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश	2		1		1		1		
32	लद्दाख	1				1				
33	पुदुचेरी	2	1			1				
	कुल	944	51	411	352	127	3	242	8	42

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

रेखाचित्र 2.2(i)(च): 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या



तालिका 2.2(i)(च)(i): दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर	2019	http://cuap.ac.in
2	केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम	2019	
अरुणाचल प्रदेश			
3	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स, पी.ओ. दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश – 791 112	1985 (केंद्रीय 2007 से प्रभावी)	http://www.rgu.ac.in
असम			
4	असम विश्वविद्यालय, डा. असम विश्वविद्यालय, सिलचर, –788011	1994	http://www.aus.ac.in
5	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पोस्ट बॉक्स न.72, नापाम, तेजपुर, असम – 784 001	1994	http://www.tezu.ernet.in
बिहार			
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार, बी आई टी कैम्पस, पोस्ट बॉक्स बी वी कॉलेज, पटना – 800014	2009	http://www.cub.ac.in
7	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर –848125 बिहार, भारत		
8	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला – नालंदा – 803 116, बिहार (केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित)	2010	http://nalandauniv.edu.in
9	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, मोतिहारी, बिहार	2014	http://www.mguniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
10	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – 495 009	1983 (Central w.e.f. 2009)	http://www.ggu.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
गुजरात			
11	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर -29, गांधीनगर - 382 029, गुजरात।	2009	http://www.cug.ac.in
हरियाणा			
12	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाँव जैत - पाली, जिला-महेंद्रगढ़ - 123 029, हरियाणा	2009	http://www.cuh.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
13	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी ओ बॉक्स नं. 21, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
14	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैंपस, सोनवार, निकट जीबी पंत अस्पताल, श्रीनगर - 190 005 (जे एंड के)	2009-	http://www.cukashmir.ac.in
15	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागला (रह्या-सुयानी), जिला- सांबा, जम्मू - 181 143 (जे एंड के)	2009	http://www.cujammu.ac.in
झारखंड			
16	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहरदेज रोड, ब्राम्बे, रांची - 835 205, झारखंड	2009	http://www.cuj.ac.in
कर्नाटक			
17	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांद रोड, अलांद तालुक, गुलबर्गा (जिला) - 585311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
केरल			
18	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी के एम टावर्स, नयन्मार मूला, विद्यानगर	2009	http://www.cukerala.ac.in
मध्य प्रदेश			
19	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश - 470 003	1946 (केंद्रीय 2009 से प्रभावी)	http://www.dhsgsu.ac.in
20	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, माकाल सदन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश	2008	http://www.igntu.nic.in
महाराष्ट्र			
21	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर पी.ओ., वर्धा, महाराष्ट्र - 442005	1997	http://www.hindivishwa.org
मणिपुर			
22	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल -795 004 +	1993	http://www.cau.org.in
23	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर इम्फाल मणिपुर - 795003	1980 (केंद्रीय 2005 से प्रभावी)	http://www.manipuruniv.ac.in
24	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौत्रुक मणिपुर		www.nsu.ac.in
मेघालय			
25	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, एन ई एच यू कैम्पस, शिलांग, मेघालय-793 022	1973	http://www.nehu.ac.in
मिजोरम			
26	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 910, आईजवाल, मिजोरम -796 009	2000	http://www.mzu.edu.in
नागालैंड			
27	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमनी, नागालैंड - 797 001	1994	http://www.nagalanduniversity.ac.in
उड़ीसा			
28	केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा, लांडिगुड़ा, कोरापुट, ओडिशा -764 020	2009	http://www.cuo.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
पंजाब			
29	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, बठिंडा, पंजाब – 151 00	2009	http://www.cup.ac.in
रजस्थान			
30	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंदर सिंदरी, जिला – अजमेर – 305 801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
सिक्किम			
31	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 वीं माइल, समदुर, पी. ओ. तडोंग, गंगटोक, सिक्किम – 737 102	2007	http://www.cus.ac.in
तमिलनाडु			
32	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैंपस, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरुवरूर – 610 101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
33	इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600 119	2008	http://www.imu.edu.in
तेलंगाना			
34	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना – 500046	1974	http://www.uohyd.ac.in
35	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना – 500 032	1998	http://www.manuu.ac.in
36	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद, तेलंगाना – 500 007	1973 (केंद्रीय 2007 से प्रभावी)	http://www.efluniversity.ac.in
त्रिपुरा			
37	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा – 799 130	1987	http://www.tripurauniv.in
उत्तर प्रदेश			
38	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ – 202002	1920	http://www.amu.ac.in
39	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद – 211002	1887	http://www.allduuniv.ac.in
40	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, राय बरेली रोड, लखनऊ – 226025	1996	http://www.bbau.ac.in
41	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221 005	1916	http://www.bhu.ac.in
42	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश		
43	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश	2014	http://www.rlbcau.ac.in
उत्तराखंड			
44	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल – 246 174	1973 (केंद्रीय 2009 से प्रभावी)	http://www.hnbgua.ac.in
पश्चिम बंगाल			
45	विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल – 731 235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in
रा.रा.क्षे.दिल्ली			
46	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110 007	1922	http://www.du.ac.in
47	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली – 110068 +	1985	http://www.ignou.ac.in
48	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली – 110025	1988	http://www.jmi.nic.in
49	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महारौली रोड, नई	1969	http://www.jnu.ac.in
50	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, अकबर भवन चाणक्य पुरी, नई दिल्ली +(केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित)	2010	http://www.southasianuniversity.org
पुदुचेरी			
51	पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, आर वेंकटरामन नगर, कालापेट, पुदुचेरी – 605 014	1985	http://www.pondiuni.edu.in

+ टिप्पणी: नौ विश्वविद्यालय नामतः (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इफाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600119 (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (v) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, (vi) नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार (vii) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश (viii) राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौत्रुक, मणिपुर यूजीसी द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं क्योंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित किया जाता है।

तालिका 2.2 (i)(च) (ii) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(* यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत शामिल और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र विश्वविद्यालय)

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
	आंध्र प्रदेश		
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर -522 510*	1976	http://www.anu.ac.in
2	आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय, जया कृष्णापुरम, राजमुंदरी -533 105, आंध्र प्रदेश।*	2006	http://www.nannayauniversity.info
3	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम-530 003*	1926	http://www.andhrauniversity.edu.in
4	दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पूर्व में ए.पी. विधि विश्वविद्यालय), पैलेस लेआउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम -530 017 (ए.पी.)।*	2008	http://www.dsnlu.ac.in
5	डॉ. अब्दुल हक उर्दू विश्वविद्यालय, कुरनूल- 518001, आंध्र	14.12.2018	http://ahuuk.ac.in/
6	डॉ. एन.टी.आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (पूर्व में आंध्र प्रदेश प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज), विजयवाड़ा -520 008	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
7	डॉ. बी.आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एचेर्ला -532410 श्रीकाकुलम*	2008	http://www.brau.in
8	द्रविडियन विश्वविद्यालय, कुप्पम - 517425*	1997	http://www.dravidianuniversity.ac.in
9	डॉ. वाई.एस.आर. हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स नंबर 7, वेंकटरमनगुडेम, पश्चिम गोदावरी जिला - 536 101	2011	http://www.drysru.edu.in
10	जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर *	2008	http://www.jntua.ac.in
11	जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा *	2008	http://www.jntuk.edu.in
12	कृष्णा विश्वविद्यालय, आंध्र जटिया कालसाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम - 521001	2008	http://www.krishnauniversity.ac.in
13	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजिकल आंध्र प्रदेश, वी.आर. हवेली, कुंचनपल्ली, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश -522501	01.06.2016	
14	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कुरनूल - 518 002 *	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
15	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर -515 003 *	1981	http://www.skuniversity.org
16	श्री पद्मावती महिला विश्व विद्यालय, तिरुपति -517 502 *	1983	http://www.spmvv.ac.in
17	श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति -517 507 *	1954	http://www.svuniversity.in
18	श्रीवेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, पुरंदरदास कॉम्प्लेक्स, प्रकाशम रोड, तिरुपति	2006	http://www.svvedicuniversity.org
19	श्रीवेंकटेश्वर पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, रीजनल लाइब्रेरी बिल्डिंग, तिरुपति - 517 502	2005	http://www.svvu.edu.in
20	श्रीवेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति - 517 507*	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
21	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश -524320 *	2008	http://www.simhapuriuniv.ac.in
22	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, विमनपुरम, कडपा -516003*	2006	http://www.yogivemanauniversity.ac.in
	असम		
23	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट- 785 013 *	1968	http://www.aau.ac.in
24	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम	2010	http://www.argucom.org.in
25	असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहिलीपारा, गुवाहाटी -19, असम	2011	http://www.astu.org.in
26	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट - 785004	2013	http://www.awu.ac.in
27	भट्टदेव विश्वविद्यालय, बजाली, पथसाला - 785004, असम	25.10.2017	info@bhattadevuniversity.ac.in
28	बोडोलैंड विश्वविद्यालय, डेबरागांव, पीओ रंगालीखात, कोकराझार - 783 370, बीटीसी, असम *	2009	http://www.bodolanduniversity.ac.in
29	कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी, पानबाजार, गुवाहाटी, असम *	2011	http://www.ccsu.ac.in
30	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ -786 004 *	1965	http://www.dibru.ac.in
31	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी- 781 014 *	1948	http://www.gauhati.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
32	कृष्णा कांत हांडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अंतिम गेट, दिसपुर, गुवाहाटी – 781 006	2007	http://www.kkhsou.in
33	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी – 781 337 *	2011	http://www.kbvsasu.in
34	माधवदेव विश्वविद्यालय, पी.ओ. – डिब्रूंगा – 784164, नारायणपुर, लखीमपुर, असम	01.06.2018	https://www.madhabdevuniversity.org.in
35	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय व न्यायिक अकादमी, एन ई जे ओ टी आई बिल्डिंग, बी.के. काकती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलुबरी, गुवाहाटी – 781 007 *	2012	http://www.nluassam.ac.in
36	रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजई – 782435, असम	25.10.2017	www.rntu.ac.in
37	श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नरकासुर हिलटॉप, भांगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
बिहार			
38	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फार्म क्षेत्र, मीठापुर, पटना – 800 001, बिहार	2008	http://www.akubihar.ac.in
39	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर – 842 001 *	1952	http://www.brabu.net
40	बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सबौर, भागलपुर – 813210	2010	http://www.bausabour.org.in
41	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय कैम्पस, पटना – 800014 – बिहार	29.08.2016	https://www.basu.org.in/
42	भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, माधेपुरा – 852 113. *	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
43	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कैम्पस, गांधी मैदान, पटना – 800 001*	2006	http://www.cnlu.ac.in
44	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा – 8410301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
45	के.एस.दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय, दरभंगा – 846 008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
46	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008 *	1972	http://www.lnmu.in
47	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया – 824 234 *	1962	http://www.magadhuniversity.org
48	मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, 3 पोलो रोड, पटना – 800 001	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
49	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	https://www.mungeruniversity.ac.in/
50	नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना – 800 001	1995	http://www.nalandaopenuniversity.Com
51	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, कंकरबाग रोड, निकट राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना – 800020, बिहार	17.08.2018	http://www.ppup.ac.in/
52	पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800 005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
53	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया – 854301, बिहार	17.08.2016	http://www.purneauniversity.ac.in/
54	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर – 812007*	1960	http://www.tmbu.org
55	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा – 802 301 *	1994	http://www.vksu-ara.org
छत्तीसगढ़			
56	आयुष एण्ड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	2008	http://www.cghealthuniv.com
57	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर	2008	http://www.bvyjdp.ac.in
58	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय), बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2011	http://www.bilaspuruniversity.ac.in
59	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग – 491 001	2011	www.cgkv.ac.in
60	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर पार्क एवेन्यू, सेक्टर – 8, मिलाई – 490 009	2004	http://www.csvtu.ac.in
61	दुर्ग विश्व विद्यालय, सरकारी वासुदेव वामन पाटनकर बालिका पीजी कॉलेज परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/
62	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन्स, रायपुर – 492 001*	2003	http://www.hnlu.ac.in
63	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर – 492006 *	1987	http://www.igau.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
64	इंदिरा कला संगीत विश्व विद्यालय, खैरागढ़ - 491881*	1956	http://www.iksvv.com
65	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 24, पुरखोती के पास, मुक्तानगर, नया रायपुर -493661, छत्तीसगढ़	2014	http://www.iiitb.ac.in
66	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवम् जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
67	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर - 492 010 *	1964	http://www.prsu.ac.in
68	पं.सुन्दरलालशर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ सगर्ह	2004	http://www.pssou.ac.in
69	सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, अस्पताल रोड के पास, अंबिकापुर	2008	http://www.sargujauniversity.in
	गोवा		
70	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा - 403 206 *	1985	http://www.unigoa.ac.in
	गुजरात		
71	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	2004	http://www.aau.in
72	बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, आदर्श निवासी स्कूल कैम्पस, वावदी रोड, राजपिपला, जिला नर्मदा गुजरात	25.07.2018	
73	भक्त कवि नरसिंग मेहता विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिखना रोड, खडिया, जूनागढ़ -362640	2015	http://www.bknmu.edu.in
74	महाराजा कृष्णकुमार सिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर- 364 002 *	1978	http://www.bhavuni.edu
75	चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर -20, गांधीनगर, गुजरात	2009	http://www.cugujarat.ac.in
76	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड -387 001 *	2000	http://www.ddu.ac.in
77	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद -380 003	1995	http://www.baou.edu.in
78	सरदार कृषिनगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर, बनासकांठा -385 506 *	1972	http://www.sdau.edu.in
79	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर- 361008 *	1968	http://www.ayurveduniversity.edu.in
80	गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन, ब्लॉक 11, 9 वीं मंजिल, उद्योग भवन, गांधीनगर -382011, गुजरात	23.10.2018	http://www.btm.gujarat.gov.in/
81	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्रालिका एवेन्यू, नॉलेज कॉरिडोर, कोबा, गांधीनगर - 382007*	2003	http://www.gnlu.ac.in
82	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद - 380009 *	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
83	गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जे ए सी पी सी बिल्डिंग, एल. डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	2007	http://www.gtu.ac.in
84	गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 18 /ए, पुलिस भवन के पास, गांधीनगर - 382 007	2008	http://www.gfsu.edu.in
85	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लान्टेशन साइंसेज, आई के डी आर सी - आई टी एस परिसर, सिविल अस्पताल परिसर, असरवा,अहमदाबाद- 380016	2015	http://guts.education/
86	हेमचंद्र आचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पी.बी. नंबर 21, यूनिवर्सिटी रोड, पाटन -384 265 *	1986	http://www.ngu.ac.in
87	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, रामकृष्ण परमहंस विद्या शंकुल निकट केएच -5, सेक्टर -15, गांधीनगर - 382 016	2010	http://www.iite.ac.in
88	इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, निकट खोखरा सर्किल, मणिनगर (पूर्व), अहमदाबाद -380026	2013	http://iitram.ac.in/
89	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ - 362001	2004	http://www.jau.in
90	कामधेनु विश्वविद्यालय, "कृषिभवन", सेक्टर 10 ए, ब्लॉक बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर- 382010	2009	http://www.ku-guj.org
91	क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, मुंद्रा रोड, भुज-कच्छ-370 001 *	2004	http://www.kskvku.digitaluniversity.ac.in
92	महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा -390 0022 *	1949	http://www.msubaroda.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
93	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी -396450	2004	http://www.nau.in
94	रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू मेटल कॉर्नर, मेघनीनगर, अहमदाबाद - 380 016	2011	http://www.rakshashaktiuniversity.ac.in
95	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर -388 120 *	1955	http://www.spuvvn.edu
96	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट- 360 005 *	1955	http://www.saurashtrauniversity.edu
97	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत -395 007 *	1965	http://www.vnsu.ac.in
98	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तारु वेरावल, जिला जूनागढ़ -362268	2005	http://www.shreesomnathsanskrituniversity.info
99	श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस, गदुकपुर, गोधरा, जिला पंचमहल -389001	2015	http://www.sgggu.ac.in
100	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सेक्टर -19, पुनीत वन रोड, निकट - सुविधा केंद्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस, गांधीनगर - 382 019	2011	http://www.sycd.gujarat.gov.in/
हरियाणा			
101	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां सोनीपत, हरियाणा *	2006	http://www.bpswomenuniversity.ac.in
102	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी - 127021	2014	http://www.cblu.ac.in
103	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा *	2003	http://www.cdlu.in
104	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा *	2014	http://www.crsujind.org
105	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125004 *	1970	http://www.hau.ernet.in
106	दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, हरियाणा*	2006	http://www.dcrusm.org
107	डॉ. बी.आर अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा), राय, सोनीपत, हरियाणा	23.06.2014	http://www.dbranlu.ac.in/
108	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, रावतुला राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर- 51, गुरुग्राम- 122018	07.06.2018	https://gurugramuniversity.ac.in/
109	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक, हरियाणा*	2008	http://www.uhsr.ac.in
110	गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, -125 001*	1995	http://www.gjust.ac.in
111	हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (दुधोला, पलवल), सेक्टर -18, गुरुग्राम, हरियाणा	2016	http://www.hvsu.ac.in
112	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरापुर, रेवाड़ी - 122502*	2013	http://www.igi.ac.in
113	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र- 136 119 *	1956	http://www.kuk.ac.in
114	लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंसेज, हिसार - 125 004 *	2010	http://www.uvas.edu.in
115	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल - 132001, हरियाणा.	28.11.2016	http://www.mhu.ac.in
116	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदरी, कैथल -136027, हरियाणा	09.05.2018	http://www.mvsumktl.ac.in
117	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक -124 001 *	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
118	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, उमरी रोड, सेक्टर -8, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118	25.09.2017	https://skau.ac.in/
119	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विशुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैंपस, सेक्टर - 6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www.supva.ac.in
120	वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद - 121 006 *	2009	http://www.ymcaust.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
121	डॉ. वाई.एस.परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौणी- 173 230 *	1986	http://www.yspuniversity.ac.in
122	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, घंडाल, शकरा, उप-तहसील धामी, जिला - शिमला - 171011, हिमाचल प्रदेश	2016	http://www.hpnl.ac.in
123	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला -171 005 *	1970	http://www.hpuniv.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
124	चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062.*	1978	http://www.hillagric.ac.in
125	हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गांधी चौक, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 177001	2010	http://www.himtu.ac.in
	जम्मू एंड कश्मीर		
126	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैंप कार्यालय, बाय-पास रोड, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू *	2005	http://www.bgsbuniversity.org
127	क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमैन, गांधी नगर, जम्मू - 180004, जम्मू और कश्मीर		http://www.clujammu.in
128	क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर, एस.पी. कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	http://www.cusrinagar.edu.in
129	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर -190 006 *	1949	http://www.kashmiruniversity.net
130	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ऐग्रिकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, श्रीनगर -191 121*	1982	http://www.skuastkashmir.ac.in
131	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ऐग्रिकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, छठ, जम्मू - 180009	1999	http://www.skuast.org
132	श्री मातावैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय : 27 ए/डी, गांधी नगर, जम्मू*	2004	http://www.smvdu.net.in
133	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवन्तिपोरा, पुलवामा - 192 122 (जे एंड के) *	2005	http://www.islamicuniversity.edu.in
134	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी -180 006 *	1968	http://www.jammuniversity.in
	झारखंड		
135	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड	23.03.2017	http://www.bbmku.ac.in/
136	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची - 834006 *	1980	http://www.baujharkhand.org
137	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	23.03.2017	www.spmuranchi.ac.in
138	झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पुरानी न्यायिक अकादमी (श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान परिषद) मेयर रोड, रांची - 834002	2016	http://www.rsu.ac.in
139	झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैम्पस सिरखोल, नामकुम, रांची - 838010, झारखंड	12.11.2015	http://www.sbtejarkhand.nic.in/
140	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम (झारखंड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
141	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, पॉलिटेक्निक कैंपस, बीआईटी मेसरा, रांची - 835217 *	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
142	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मदिनीनगर, पलामू - 822101	2007	http://www.npu.ac.in
143	रांची विश्वविद्यालय, रांची - 834001 *	1960	http://www.ranchiuniversity.org
144	सिदो कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका - 814101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
145	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग - 825301 *	1993	http://www.vbu.co.in
	कर्नाटक		
146	बैंगलोर विश्वविद्यालय, बैंगलोर -560 056*	1964	http://www.bub.ernet.in
147	बैंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमका, कोलार - 563103, कर्नाटक	2017	http://www.bnu.ac.in
148	बैंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कॉलेज कैंपस, डॉ. अंबेडकर विधी, बैंगलुरु - 560 001, कर्नाटक	29.06.2017	http://www.bcu.ac.in
149	बैंगलुरु डॉ. बी.आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, राजाजी हॉल, सेंट्रल कॉलेज कैंपस, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलुरु - 560001, कर्नाटक	30.10.2019	https://www.base.ac.in/
150	दावणगेरे विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावणगेरे - 577 002 *	2009	http://www.devangereuniversity.org
151	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा - 585106*	1980	http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in
152	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी, बेल्लारी जिला, कमलापुरा -583 276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
153	कर्नाटक जनपद विश्व विद्यालय, गटगोड़ी, एन एच -4, तालुक- शिगगाँव, जिला-हवेली, कर्नाटक -581197	2012	http://www.janapadauni.in
154	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ -59 003 *	1949	http://www.kud.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
155	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा, भवन, भूमरड्डी सर्किल, गदाग – 582101, कर्नाटक	2016	http://www.ksrdpru.in
156	कर्नाटक स्टेट वूमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर – 586 101 *	2004	http://www.kswu.ac.in
157	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघाट – 577 451 *	1987	http://www.kuvempu.ac.in
158	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नंदीनगर, पीबी नंबर 6, बीदर – 585 401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
159	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली – 580025 *	2009	http://www.kslu.ac.in
160	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर – 570 006	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
161	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगलोर – 580 018	2011	http://www.ksu.ac.in
162	कर्नाटक लोकगीत विश्वविद्यालय, गोटागोडी, शिगॉन तालुक, हावेरी जिला – 581197	2011	http://www.janapadauni.in
163	केएसजीएच म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी, एलजेबी रोड, निकट अशोक सर्किल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर – 570 004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
164	मांड्या विश्वविद्यालय, एम.सी. रोड, मांड्या – 571401, कर्नाटक	02.03.2019	http://www.mandyauniversity.ac.in/
165	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर – 574 199 *	1980	http://www.mangaloreuniversity.ac.in
166	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर – 570 005 *	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
167	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर – 560 072*	1992	http://www.nls.ac.in
168	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलुरु – 560 041	1994	http://www.rguhs.ac.in
169	रानी चन्ममा विश्वविद्यालय, विद्या संगमा, एन.जी.- 4, पी.बी. राजमार्ग, बेलगावी – 591 156 कर्नाटक *	2010	http://www.rcub.ac.in
170	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डॉ. बी.आर अम्बेडकर भवन, एम.जी. रोड, तुमकुर – 572 101*	2004	http://www.tumkuruniversity.in
171	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर – 560 065*	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
172	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ – 580 005 *	1986	http://www.uasd.edu
173	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, रायचूर, कर्नाटक – 584104	2010	http://www.uasraichur.edu.in
174	यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, बागलकोट, उद्यानगिरि, निकट सेमिकेरी क्रॉस, बागलकोट – 587104	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
175	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय यूनिवर्सिटी, बेलगावी – 590018 *	1999	http://www.vtu.ac.in
176	विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ज्ञान सागर कैम्पस, विनायक नगर, छावनी, बेल्लारी – 583 104 *	2010	http://www.vskub.org
केरल			
177	ए.पी. जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सी ई टी कैम्पस, तिरुवनंतपुरम – 695016	2015	https://ktu.edu.in/
178	कालीकट विश्वविद्यालय, त्रिची पलारी, मालापुरम जिला, कोझीकोड – 673 635*	1968	http://www.universityofcalicut.info
179	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि – 682 022 *	1971	http://www.cusat.ac.in
180	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर – 670 562*	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
181	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, त्रिशूर – 680 656*	1972	http://www.kau.edu
182	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम – 695 034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
183	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, पनानगढ़, कोच्चि – 682 506, केरल	2011	http://www.kufos.ac.in
184	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, त्रिशूर – 680 596	2011	http://www.kuhs.ac.in
185	केरला वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, पुकोट, लक्कीडी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
186	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम – 686 560 *	1983	http://www.mgu.ac.in
187	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएलएस) कलूर, कोच्चि – 682 017, केरल*	2009	http://www.nuals.ac.in
188	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलादी – 683574 *	1994	http://www.ssus.ac.in
189	शुंचत एड्युथचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहनविलास, पुकायिल पीओ, तिरूर, मलपुरम जिला, केरल – 676 107 *	2013	http://www.malayamuniversity.edu.in
मध्य प्रदेश			
190	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा – 486 003 *	1968	http://www.apsurewa.nic.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
191	अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय, म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल -462016	2011	http://www.abvvhv.org
192	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल - 462026. *	1970	http://www.bubhopal.nic.in
193	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा - 480001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.cuc.ac.in
194	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर - 452 001 *	1964	http://www.dauniv.ac.in
195	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, रिज रोड, सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश	28.07.2018	https://www.mpdnl.ac.in
196	डॉ.बी.आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज, डॉ. अम्बेडकर नगर, महु - 453441, जिला - इंदौर, मध्य प्रदेश *	2016	http://www.brauss.in
197	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482 004 *	1964	http://www.jnkvv.nic.in
198	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर - 474011 *	1964	http://www.jwaji.edu
199	मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज परिसर, भेड़ाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpmsu.edu.in
200	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	http://www.mchhatrasaluniversity.com
201	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट - 485 331, जिला सतना *	1993	http://www.mgcvchitrakoot.com
202	एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल - 462016 *	1995	http://www.bhovirtualuniversity.com
203	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नेलिज्म, भोपाल - 462 039 *	1993	http://www.mcu.ac.in
204	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456010	2008	http://www.mpsvvuj.jain.org
205	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन्स, जबलपुर - 482 001	2009	http://www.mppcvv.org
206	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भादभादा रोड, बारकरी कलां, भोपाल - 462044 *	1999	http://www.nliu.ac.in
207	पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय, शाहडोल - 484001, मध्य प्रदेश *	15.09.2016	http://www.ptsns.university.ac.in
208	राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर - 474 009 *	2009	http://www.rmtmusicandartsuniversity.com
209	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, भोपाल -462 036 *	1998	http://www.rgtu.net
210	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482001 *	1957	http://www.rdunijbpin.org
211	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड, रेस कोर्स रोड के सामने, ग्वालियर - 474 002	2009	http://www.rvskvv.nic.in
212	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज, सेकेंड फ्लोर, इंस्टीट्यूट ऑफ गुडगवर्नेंस एंड पॉलिसी अनालिसिस, भादभादा स्क्वायर, भोपाल-462003	2013	http://www.sanchiuniv.edu.in
213	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन - 456010*	1957	http://www.vikramuniversity.org
महाराष्ट्र			
214	डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद - 431004*	1958	http://www.bamu.net
215	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे - 402 103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
216	डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, 15 मैडम कामा रोड, मुंबई - 400032, महाराष्ट्र	15.02.2019	https://iscm.ac.in/homi.php
217	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला - 444104.*	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
218	गोंडवाना विश्वविद्यालय,एमआईडीसी रोड कॉम्प्लेक्स, गढ़चिरौली-422605	1994	http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in
219	कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर - 441 106 *	1997	http://www.sanskrituni.net
220	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिला रत्नागिरी - 415 712*	1972	http://www.dbskkv.org
221	महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फुटाला झील रोड, नागपुर-440 001	2002	http://www.mafsu.in
222	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नंबर 8338, देवनार, मुंबई - 400088	2014	http://www.nlumumbai.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
223	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रशिक्षण संस्थान (जे ओ टी आई), सी पी क्लब रोड, नागपुर 440001, महाराष्ट्र	2015	http://www.nlunagpur.ac.in
224	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बी.एड. कॉलेज कैम्पस, पदमपुरा, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र	2017	http://www.mnlua.ac.in
225	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक - 424 004	2000	http://www.muhs.ac.in
226	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413722 *	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
227	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी - 413722. *	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
228	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई- 400032*	1857	http://www.mu.ac.in
229	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव - 425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
230	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे - 411007 *	1949	http://www.unipune.ac.in
231	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती - 444602 *	1983	http://www.sgbau.ac.in
232	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर - 416004*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
233	श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय, मुंबई - 400020*	1951	http://www.sndt.digitaluniversity.ac
234	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर पुणे रोड, केगाँव, सोलापुर - 413255 *	2004	http://www.su.digitaluniversity.ac
235	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड - 431606*	1995	http://www.srtmun.org
236	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक - 422 222.*	1990	http://www.ycmou.digitaluniversity.ac
237	राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर - 440 001*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
मणिपुर			
238	धनंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	06.04.2018	http://www.dmu.ac.in
239	मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेकयेलपेट, इम्फाल, मणिपुर	2016	http://www.mtu.ac.in
240	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कंपाउंड, इम्फाल ईस्ट-795001, मणिपुर	2015	http://www.muc.ac.in
उड़ीसा			
241	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर - 760007*	1967	http://www.bamu.nic.in
242	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला - 769004	2003	http://www.bput.ac.in
243	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर - 756020 *	1999	http://www.fmuniversity.nic.in
244	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फाटक, बुधराजा, संबलपुर, ओडिशा - 768004*	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
245	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोठपर्ना, पी.ओ.- मालीपाड़ा, भुवनेश्वर -751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
246	खल्लिकोट विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, गंजम, ओडिशा	2015	http://www.khallikotcollege.org
247	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा, जिला, मयूरभंज - 757003 *	1999	http://www.nou.nic.in
248	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पी ओ बॉक्स -28, कटक - 753001 *	2008	http://www.nluo.ac.in
249	ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जी.एम. विश्वविद्यालय परिसर, बुधराजा, संबलपुर - 768004, ओडिशा	2015	http://www.osou.ac.in
250	उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर - 751003*	1962	http://www.ouat.ac.in
251	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
252	रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक - 753003 *	2005	http://www.ravenshawuniversity.ac.in
253	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर - 768019*	1967	http://www.suniv.ac.in
254	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी - 752003*	1981	http://www.sjsv.nic.in
255	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751004*	1943	http://www.utkal-university.org
256	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर - 751 009	1999	http://www.uuc.ac.in
257	वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुर्ला, जिला संबलपुर ओडिशा - 768018 *	2009	http://www.vssut.ac.in
258	वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, अयुरविहार, बुर्ला, संबलपुर - 768 017, ओडिशा	20.06.2014	http://www.vimsar.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
पंजाब			
259	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सादिक रोड, फरीदकोट – 151203*	2002	http://www.bfuhs.ac.in
260	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर – 143005 *	1969	http://www.gndu.ac.in
261	गुरु अंगद देव वेटेनरी एंड एनिमलसाइंस यूनिवर्सिटी, लुधियाना 141004*	2005	http://www.gadvasu.in
262	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब-146001	2010	http://www.graupunjab.org
263	महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डबवाली रोड, भटिंडा – 151001*	2015	http://www.mrsptu.ac.in
264	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना – 141004*	1962	http://www.pau.edu
265	आई.के. गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर – 144 011	1998	http://www.ptu.ac.in
266	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला – 147002 *	1962	http://www.punjabiversity.org
267	महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोहिंद्र कोठी, फाउंटन चौक के पास, पटियाला – 147001, पंजाब	29.08.2019	http://mbpspu.pgsgcpe.com/
268	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला – 147001 *	2006	http://www.rgnul.ac.in
राजस्थान			
269	बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैम्पस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर – 334004	18.05.2017	https://www.btu.ac.in
270	डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, 89, रॉयल हाउस, खासजी का बाग, दुर्गापुरा, टोंक रोपड़, जयपुर – 302018	2012	http://www.babasaheb.university.nic.in
271	गोविन्द गुरु त्रिबाल विश्वविद्यालय, श्री गोविन्द गुरु गवर्नमेंट कॉलेज कैम्पस, बांसवाड़ा – 327001	2012	http://www.ggtu.ac.in
272	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, सूचना केंद्र परिसर, सवाई राम सिंह रोड, जयपुर – 302004	2012	http://www.hjuj.ac.in
273	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342 011*	1962	http://www.jnvu.edu.in
274	जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, 2-2 ए झलाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान) *	1998	http://www.jrsanskrituniversity.ac.in
275	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा – 324010*	1987	http://www.vmu.ac.in
276	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उदयपुर – 313 001	2000	http://www.mpuat.ac.in
277	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर – 305009 *	1987	http://www.mdsuajmer.com
278	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, एम.एस.जे. कॉलेज परिसर, भरतपुर – 321001	2012	http://www.brijuniversity.ac.in
279	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313001*	1962	http://www.mlsu.ac.in
280	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर – 342004*	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
281	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर – 334006 *	1987	http://www.raubikaner.org
282	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
283	राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय (आरआईएसयू), 6/2, जामडोली, आईएलडी कैम्पस, जयपुर-302031, राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय)	30.03.2017	
284	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान – 342304	2012	http://www.policeuniversity.ac.in
285	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 302004 *	1947	http://www.uniraj.ernet.in
286	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थसाइंसेज, बी-1, स्वाई मान सिंह रोड (एसएमएस अस्पताल के सामने), जयपुर *	2005	http://www.ruhsraj.org
287	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान*	2010	http://www.rajuvas.org
288	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान *	2003	http://www.mgsbikaner.ac.in
289	राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अकेलगढ़, रावत भाटा रोड, कोटा-324010	2006	http://www.rtu.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
290	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट्स कॉलेज परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rrbmuniv.ac.in
291	शेखावटी विश्वविद्यालय, श्री कल्याण गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे, सीकर - 332001	2012	http://www.shekhauni.ac.in
292	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) *	2003	http://www.uok.ac.in
	सिक्किम		
293	सिक्किम स्टेट यूनिवर्सिटी, गंगटोक ईस्ट सिक्किम, तडोंग - 737102, सिक्किम	19.04.2017	http://www.sikkimstateuniversity.in/
	तमिलनाडु		
294	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी 630003 *	1985	http://www.alagappauniversity.ac.in
295	अन्ना विश्वविद्यालय, गुड्डु, चेन्नई - 600025*	1978	http://www.annauniv.edu
296	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर - 608002 *	1929	http://www.annamalaiuniversity.ac.in
297	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर - 641046*	1982	http://www.b-u.ac.in
298	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली - 620024 *	1982	http://www.bdu.ac.in
299	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई - 600 005 *	1857	http://www.unom.ac.in
300	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै- 625021 *	1965	http://www.mkuniversity.org
301	मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली - 62712 *	1992	http://www.msuniv.ac.in
302	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल - 624102 *	1984	http://www.motherterasawomenuniv.org
303	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम - 613010 *	1998	http://www.periyaruniversity.ac.in
304	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर - 613010*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
305	तमिलनाडु एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर - 64100 *	1971	http://www.tnau.ac.in
306	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 577, अन्ना सलाई, सैदापेट, चोन्नई - 600015. *	2004	http://www.tnou.ac.in
307	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600028 *	1998	http://www.tndalu.ac.in
308	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600032*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
309	तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी, फर्स्ट लाईन बीच रोड, नागापट्टिनम - 611001*	2012	http://www.tnfu.org.in
310	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवलूर कुट्टापट्ट, श्रीरंगम् तालुक, तिरुचिरापल्ली - 620 009 *	2012	http://www.tnnls.ac.in
311	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी, 8 वीं मंजिल, ई वी ए संपत मालीगई, महाविद्यालय रोड, चेन्नई*	2005	http://www.tnpesu.org
312	तमिलनाडु म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, डॉ. डी.जी.एस. दिनाकरन सलाई, चेन्नई - 600028	2013	http://www.tnmfau.in
313	तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई - 600051*	1990	http://www.tanuv.ac.in
314	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, सरक्काडू, वेल्लोर- 632115*	2003	http://www.tvuni.in
315	तमिलनाडु टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई-600 005	2008	http://www.tnteu.in
	तेलंगाना		
316	आचार्य एन.जी.रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद- 500030 *	1964	http://www.angrau.net
317	डॉ. बी.आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500033.*	1982	http://www.braou.ac.in
318	जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद - 500028*	2008	http://www.jnafau.ac.in
319	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500085 *	1972	http://www.jntuh.ac.in
320	कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, काकटिया मेडिकल कॉलेज कैपस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना -506002	26.09.2017	http://www.knruhs.in
321	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल - 506009 *	1976	http://www.kakatiya.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
322	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, येलारेड्डीयुगुडेम, नलगोंडा-508254*	2008	http://www.mguniversity.ac.in
323	नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जस्टिस, शमेरपेट, आरआर जिला, हैदराबाद - 500101*	1999	http://www.nalsar.ac.in
324	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पुंजागुट्टा, हैदराबाद -500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
325	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500007 *	1918	http://www.osmania.ac.in
326	पलामु: विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्प्लेक्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने, महबूबनगर- 509 001 *	2008	http://www.palamuruuniversity.ac.in
327	पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500004 *	1985	http://www.teluguuniversity.ac.in
328	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030	2014	http://www.pjtsau.ac.in
329	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद *	2011	http://www.rgukt.in
330	सातवाहन विश्वविद्यालय, मल्कापुर रोड, चिंताकुंटा, करीमनगर- 505 001	2008	http://www.satavahana.ac.in
331	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030	2014	http://www.skitshu.ac.in
332	श्री पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030	2014	http://www.tsvu.nic.in
333	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद - 503322*	2006	http://www.telanganauniversity.ac.in
	त्रिपुरा		
334	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	http://www.mbbuniversity.ac.in
	उत्तर प्रदेश		
335	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.allstateuniversity.org
336	बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा - 210001, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.buat.edu.in
337	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी - 284128*	1975	http://www.bujhansi.org
338	चंद्र शेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर -208002*	1974	http://www.csauk.ac.in
339	छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर- 208024 *	1965	http://www.kanpuruniversity.org
340	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ -250 005*	1965	http://www.ccsuniversity.org
341	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 009 *	1957	http://www.ddugu.edu.in
342	डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद - 224001 *	1975	http://www.rmlau.ac.in
343	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010, उत्तर प्रदेश	12.09.2018	https://www.drmlims.ac.in/
344	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सेक्टर-डी -1, एल.डी.ए., कानपुर रोड योजना, लखनऊ-226012 *	2005	http://www.rmlnl.ac.in
345	डॉ. बी.आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282 004*	1927	http://www.dbrau.com
346	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201 312 *	2002	http://www.gbu.ac.in
347	हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर -208002, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
348	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.jncu.ac.in
349	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226013*	2010	http://www.uafulucknow.ac.in
350	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ - 226003 *	2004	http://www.kgmcindia.edu
351	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226007 *	1921	http://www.lucknowuniv.org
352	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273010	2013	http://www.mmmut.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
353	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली – 243006 *	1975	http://www.mjpru.ac.in
354	महात्मा गांधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी – 221002*	1974	http://www.mgkvp.ac.in
355	नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद – 224229*	1974	http://www.nduat.ernet.in
356	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221002 *	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
357	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ –250 110	2004	http://www.svbpm Meerut.ac.in
358	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर – 272202	2015	http://www.sidunikapilvastu.edu.in
359	यू.पी. किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंस, लखनऊ – 226 003	2004	
360	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www.upvetuniv.edu.in
361	यू.पी. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानंद मार्ग, (थोर्नहिल रोड), इलाहाबाद –211 001	2004	http://www.uprtou.ac.in
362	डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ 226 031	2001	http://www.uptu.ac.in
363	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा –206130, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.upums.ac.in
364	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –226017*	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
365	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर – 226017*	1987	http://www.vbspu.ac.in
उत्तराखंड			
366	दून विश्वविद्यालय, मोथरवाला रोड, केदारपुर, देहरादून – 248001*	2005	http://www.doonuniversity.ac.in
367	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर – 263145*	1960	http://www.gbpuat.ac.in
368	हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, 124, गंगाविहार, रोडवेज वर्कशॉप के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून – 248001, उत्तराखंड	2014	http://www.hnbmu.ac.in
369	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – 263001*	1973	http://www.kuntl.in
370	श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्व विद्यालय, बादशाहीथौल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखंड –249199	2011	http://www.sdsuv.ac.in
371	उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग संस्थान परिसर, चिल्कापिटा, खाटयाडी, अल्मोड़ा– 263601	2016	
372	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लिजेंट वैली, राजपुर रोड, देहरादून –248 009, उत्तराखंड	2009	http://www.uau.ac.in
373	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार –249 401 (उत्तरांचल)	2005	http://www.usvv.org
374	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए –12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट-धालानवाला, देहरादून, उत्तराखंड	2008	http://www.uktech.ac.in
375	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, टीनपानी बाय-पास रोड, पीओ- औद्योगिक एस्टेट, हल्द्वानी –263 139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
376	वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल –246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
पश्चिम बंगाल			
377	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700091*	2007	http://www.aliah.ac.in
378	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैंप कार्यालय, पीओ भागबंध, जिला, बांकुरा- 722146	2014	http://www.bankurauniv.ac.in
379	बिधान चंद्र कृषि विश्व विद्यालय, मोहनपुर, नाडिया – 741252 *	1974	http://www.bckv.edu.in
380	बर्द्धवान विश्वविद्यालय, राजबती, बर्द्धवान – 713104.*	1960	http://www.buruniv.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
381	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700073*	1857	http://www.caluniv.ac.in
382	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विबेकानंद रोड, कूच बिहार– 736101	2012	http://www.cbpbu.ac.in
383	डायमंड हार्बर वीमेंस यूनिवर्सिटी, केयर ऑफ फकीर चंद महाविद्यालय, डायमंड हार्बर, साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल – 743331 *	2013	http://www.dheou.ac.in
384	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700032*	1955	http://www.jadavpur.edu
385	गौर बंग विश्वविद्यालय, रवीन्द्र एवेन्यू, मालदा महाविद्यालय कैपस, पी.ओ. और जिला– मालदा– 732101 *	2007	http://www.ugb.ac.in
386	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी – 741235*	1960	http://www.klyuniv.ac.in
387	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, ओल्ड ए डी डी ऑफिस बिल्डिंग (आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के पीछे), पीओ–आसनसोल – 713304, जिला – बर्दवान, पश्चिम बंगाल *	2012	http://www.knuedu.in
388	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग –734 430*	1962	http://www.nbu.ac.in
389	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता–700 020	1997	http://www.wbnsou.ac.in
390	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता –700 073*	2010	http://www.presiuniv.ac.in
391	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700050 *	1962	http://www.rbu.ac.in
392	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ–रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर –733134 *	2015	http://www.raiganjuniiversity.ac.in
393	सिधो–कान्हो–बिरसा विश्वविद्यालय, 10 ए, ब्लॉक – एलए, प्रशासनिक भवन, रेंच रोड परिसर, सैनिक स्कूल के पास, पुरलिया –723104*	2010	http://www.skbu.ac.in
394	संस्कृत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता– 700 073	2016	http://www.sanskritcollegeanduniversity.org.in
395	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस, एन यू जे एस भावा, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर– III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता *	2004	http://www.nujs.edu
396	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी –36, सेक्टर –1, साल्ट लेक, कोलकाता – 700064*	2002	http://www.wbuhs.ac.in
397	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 25/2 और 25/3, बैलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता – 700019	2015	http://www.wbuttepa.ac.in
398	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला–कूच बेहार –736 165	2001	http://www.ubkv.ac.in
399	विद्या सागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर – 721102 *	1981	http://www.vidyasagar.ac.in
400	पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज, बेलगछिया, कोलकाता – 700037*	1995	http://www.wbuaafcl.ac.in
401	मौलाना अबुल कलाम आजाद वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएफ–142, सॉल्ट लेक, कोलकाता–700091 *	2001	http://www.wbut.net
402	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बारासात गवर्नमेंट कॉलेज, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, केएनसी रोड, कोलकाता– 7000124 *	2007	http://www.wbsubregistration.org
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
403	भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006*	2007	http://www.aud.ac.in
404	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डी आई पी एस ए आर कैम्पस, सेक्टर– III, पुष्पविहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
405	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली *	2009	http://www.dce.edu
406	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर –16 सी द्वारका, दिल्ली – 110006*	1998	http://www.ipu.ac.in
407	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, कश्मीरी गेट, दिल्ली –110 006	2013	http://www.igdtuw.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबसाइट
408	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज -III, नई दिल्ली -110020	2008	http://www.iiitd.ac.in
409	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर, 14, द्वारका, नई दिल्ली*	26.09.2008	http://www.nludelhi.ac.in
410	नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सेक्टर -3, द्वारका, दिल्ली	2018	http://www.nsit.ac.in/
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़			
411	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ - 160014*	1947	http://www.puchd.ac.in

तालिका 2.2(i)(च)(iii) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
आंध्र प्रदेश			
1	भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नालॉजी इन्वेंशन यूनिवर्सिटी, गोवनीवारीपल्ली, गोरंतला मंडल, अंतरपुर, आंध्र प्रदेश	17.02.2019	
2	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट, गिडीजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम- 531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.cutm.ac.in
3	केआरईए यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी आंध्र प्रदेश	30.04.2018	http://krea.edu.in/
4	सेवीथा अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरी मंजिल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, कार्यकारी क्लब के सामने, विजयवाड़ा- 520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	http://www.saveethaamaravati.university
5	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा-कुरागल्लू ग्राम, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला -522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.srmmap.edu.in
6	वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय, अमरावती - 522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	https://www.vitap.ac.in/
अरुणाचल प्रदेश			
7	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश-791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity. ac.in
8	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, एनएच-52, नामसाई, जिला नामसाई,-792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity. ac.in
9	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-792103, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity. ac.in
10	द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	
11	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, टकर काम्प्लैक्स, नाहरलगुन, ईटानगर, जिला- पापुमपारे- 791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity. com
12	नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, सिबु-पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग(जिला), अरुणाचल प्रदेश-791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in
13	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरुणाचल प्रदेश-791120	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity. in
14	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
असम			
15	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी 781017 *	12.02.2009	http://www.dbuniversity. ac.in
16	असम डॉउन टाउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी - 781036	29.04.2010	http://www.adtu.in
17	कृष्णगुरु अध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, नासात्रा, बारपेटा, असम -781307	11.04.2017	http://www.kav.org.in/

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
18	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलैक्स, हलधर भायुन पथ, कालोंपार, नौगांव-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
19	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम 785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
20	द असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, एनएच -37, गुवाहाटी -781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
	बिहार		-
21	अल-करीम यूनिवर्सिटी कटिहार-पुरनिया रोड के पास, सिरसा, करीम बाग, कटिहार - 854 106 (बिहार)	15.06.2018	http://www.alkarimuniversity.edu.in/
22	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना - 801503, बिहार	18.08.2017	http://amity.edu/patna/
23	डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी ब्लॉक - भगवानपुर, एन एच-77 (पटना-मुजफ्फरपुर हाईवे), जिला-वैशाली - 844114, बिहार	29.01.2018	http://www.cvrn.ac.in/
24	गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार, जिला - रोहतास - 821305 बिहार	15.06.2018	https://www.gnsu.ac.in/
25	माता गुजरी यूनिवर्सिटी, पूरबपाली रोड, किशनगंज- 855107, बिहार	20.02.2019	-
26	संदीप यूनीवर्सिटी, ग्राम सिजोल, जिला मधुबनी, -847235, बिहार	08.06.2017	http://www.sandipuniversity.edu.in
27	के० के० यूनिवर्सिटी, बेरौती, नेपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार-803115	08.06.2017	http://www.kkuniversity.ac.in
	छत्तीसगढ़		
28	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, गांव-माथ, तहसिल-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	http://www.aaft.edu.in/
29	एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसिल-तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
30	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर 495001	03.11.2006	http://www.cvrn.ac.in
31	आईसीएफआई विश्वविद्यालय, एनएच-6, रायपुर-भिलाई रोड, ग्राम-छोरहा, आरआई सर्किल, अहीवारा, धामधा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
32	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गाँव-नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील - छुरा, जिला- गरियाबंद -493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www.isbmuniversity.edu.in
33	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपारवाड़ा, नया रायपुर, जिला-रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
34	के. के. मोदी यूनिवर्सिटी, खसरा नंबर 72,73,75,217 और 220 गांव मेहमारा, जलबांध (रासमाडा) रोड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	08.08.2018	https://kkmu.edu.in/
35	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ *	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
36	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर - 495001	18.04.2002	http://www.mumt.com
37	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम - गुल्लू, तहसील - अरंग, जिला - रायपुर छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
38	ओ०पी० जिन्दल यूनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़-496001	21.08.2014	http://www.opju.ac.in
39	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)	17.04.2018	http://sruraipur.ac.in/
	गुजरात		
40	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, आईएस बंगलो नम्बर - 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009	07-07-2009	http://www.ahduni.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
41	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, शंकरधाम परिसर, भोपाल गुम-संसद रोड अहमदाबाद, गुजरात -382115	09.05.2016	http://www.anu.edu.in
42	आत्मीय यूनिवर्सिटी, योगीधाम गुरुकुल, कालवाड़ रोड, राजकोट - 360005, गुजरात	13.04.2018	https://atmiyauni.ac.in/
43	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटैलिटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात 394510	12.10.2011	http://www.aurouniversity.edu.in
44	भगवान महावीर विश्वविद्यालय, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत, गुजरात	25.09.2019	-
45	भैक्का विश्वविद्यालय, गोकुल नगर, करामसद-388325, गुजरात	25.09.2019	http://www.bhaikakauniv.edu.in/
46	केलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद 382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
47	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	12.04.2015	http://www.cept.ac.in
48	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चंगा - 388421, जिला - आनन्द	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
49	सी0यू0 शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वाघवन सिटी-363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
50	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्प्यूटेशन टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
51	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा - 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
52	जी0एल0एस0 विश्वविद्यालय, गुजरात ला सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद-380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity.ac.in
53	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, नियर जीआरएसएल, सुजानपुर पाटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	http://gokuleducation.ac.in/
54	गुजरात मरीटाइम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	06.05.2017	https://gmu.edu.in/
55	जी0एस0एफ0सी0 यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फटीलाइजरनगर-391750, जिला वडोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in
56	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया-थालटेज, अहमदाबाद - 382115	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
57	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ- गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक्स एण्ड सोशल रिसर्च कैम्पस, ड्राइव-इन-रोड, थालतेज, अहमदाबाद-380054,	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
58	इंद्रशील यूनीवर्सिटी, रतनपुर, धांधुलका, अहमदाबाद-382465, गुजरात	31.03.2017	http://www.indrashiluniversity.edu.in
59	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर-382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
60	आईटीएम-वोकेशनल यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
61	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर-382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
62	कर्णावती विश्वविद्यालय, 907ए, उवारसाड़, - 382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	http://www.karnavatiuniversity.com
63	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटेस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस0जी0 राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद-382481, गुजरात	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
64	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट-मोरबी राजमार्ग, राजकोट -360003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
65	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना-भयली रोड़, वडोदरा-382015	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
66	निरमा यूनिवर्सिटी सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद, 382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
67	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर - 382009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
68	पीपी सावानी विश्वविद्यालय, एन0 एच0-8, गेटको, बिल्टैक के पास, ग्राम धामदोड़, कोसाम्बा, तहसील- मंगरोल, जिला सूरत-394125, गुजरात	31.03.2017	http://www.ppsu.ac.in
69	पारुल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्दा, ताल्लुक-वाघोडिया, जिला वडोदरा-391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in
70	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डूंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला- वलसाड- 396195	05/09/2016	http://www.plastindia.edu.in
71	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट-भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात-360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
72	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
73	संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, संकल्पचंद पटेल विद्याधाम, विसनगर- 384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
74	श्रेयार्थ विश्वविद्यालय, मार्फत गुजरात समाचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001, गुजरात	25.09.2019	
75	सिलवर ओक विश्वविद्यालय एस. जी. हाईवे गोता, अहमदाबाद 382481 गुजरात	25.09.2019	https://silveroakuni.ac.in/
76	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इन्वोवेशन यूनिवर्सिटी, भोयान राठौड, इफको के सामने, अदलाज सेरथा रोड, गांधीनगर,- 382420, गुजरात	31.03.2017	http://www.ssiu.ac.in
77	टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी, तारसाली-बडोदरा रोड, तारसाली बाईपास, वडोदरा-390009	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
78	यू. के. ए. तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली-महुआ रोड़, जिला-सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
हरियाणा			
79	अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in
80	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला - गुडगाँव - 122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
81	अंसल विश्वविद्यालय, गुडगाँव, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
82	एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी, पलवल रोड़, सोहना, गुडगाँव - 122103, हरियाणा	02.11.2010	http://www.university.aapeejay.edu.in
83	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा0क्ष0, सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
84	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा 124021	10.02.2012	http://www.babamastanathuniversity.com
85	बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0-8, सिधरावली, जिला- गुडगाँव-123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in
86	जी0डी0 गोयनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोयनका एजुकेशन सिटी, गुडगाँव सोहना रोड़, गुडगाँव, हरियाणा-122 103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
87	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड़, सेक्टर -53, गुरुग्राम - 122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	http://www.iilm.ac.in/
88	द नार्थकैप यूनिवर्सिटी, हुडा सैक्टर 23ए, गुडगाँव-122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
89	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़, - झज्जर रोड़, झज्जर - 124507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.jagannathuniversityncr.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
90	के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुडगांव, हरियाणा-122103	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
91	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर-43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachna.edu.in
92	एम०एन०वी० विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
93	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा-134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
94	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9कि०मी० माईलस्टोन, रा०रा०-65, कैथल-136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
95	ओम स्टेरलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय एनएच-65, कैथल-136027, हरियाणा	15.03.2019	https://www.osgu.ac.in/
96	ओ०पी० जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा-131001	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
97	पी०डी०एम० विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर-3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़-124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
98	श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेनेटरी यूनिवर्सिटी, फारुखनगर रोड, बुढेडा, जिला गुडगांव, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
99	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा- 131029	03.05.2013	http://www.srmuniversity.ac.in
100	स्टारेक्स यूनीवर्सिटी, रा० रा०-8, ग्राम बिनोला, पी०ओ० भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	http://www.starexuniversity.com
101	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाइन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत- 131029, हरियाणा	07.02.2018	http://www.worlduniversityofdesign.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
102	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चौलचौक (चाचौट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
103	ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम-पुजारली, शोहगी मेहली बाई पास रोड, पंथाघाटी के पास, शिमला -171009	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
104	अमी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हिप्र) -176401	03.11.2009	http://www.arni.in
105	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला - सोलन हिमाचल प्रदेश- 173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
106	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कांडाघाट, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश 173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
107	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश 176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
108	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन - 174103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
109	एटेनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, जिला सिरमौर, पिन -173101 (एच.पी.)	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in
110	आई.ई.सी. (इंडिया एजुकेशन सेंटर) विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बद्दी जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
111	आईसीएफआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूझिंडा, पीओ मंधाला, वाया बरोतीवाला, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश - 174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
112	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
113	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी.ओ. वाकनाघाट, तहसील- कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
114	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड, सोलन - 173229	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
115	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला - सोलन - 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
116	मानव भारती विश्वविद्यालय, लड्डू, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन -173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
117	शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय, सोलन, एचपी	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
118	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
	झारखण्ड		
119	एआरएके जैन यूनिवर्सिटी, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गमहारिया, जिला सेराईकेला खारसावान-832108, झारखंड	04.07.2017	http://www.arkauniversity.ac.in
120	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर निवरानपुर मुख्य सड़क, रांची, झारखंड	13.05.2016	http://www.amity.edu.in
121	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aisectuniversity.ac.in
122	कैपिटल विश्वविद्यालय, रांची-पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	http://www.capital.edu.in
123	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची -835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
124	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ- भिलाई पहाड़ी, पीएस-एमजीएम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	http://www.wbnsou.ac.in/
125	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरटू रोड, बूटी मोर, पीओ-आरएमसीएच, रांची -834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu.in
126	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	http://www.rguniversity.org/
127	रामकृष्णा धर्मार्थ संघ विश्वविद्यालय, 604, पांचवीं मंजिल, गोपाल मार्टिकेग काम्प्लेक्स, आरोग्य चौक के पास, रांची-834002, झारखंड		https://www.rkdf.ac.in/
128	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू- 822132, झारखंड	19.09.2018	https://www.rcu.edu.in/
129	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
130	सरला बिरला यूनिवर्सिटी, बिरला कैम्पस, ग्राम आरा, पीओ0 माहलौंग, रांची- पुरुलिया राजमार्ग, रांची-835103, झारखंड	20.07.2017	http://www.sbu.ac.in
131	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची - 834202, झारखण्ड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
132	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 माइल, रांची खूँटी रोड, एन एच-95, रांची- 835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity.com
133	वाईबीएन यूनिवर्सिटी, पंचवटी साउथ रेलवे कॉलोनी, रांची-834001, झारखंड	04.07.2017	http://www.ybnuniversity.in
	कर्नाटक		
134	आदिचुनचानागिरी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, तालुक-नागामंगला, जिला- मांडया, बी.जी. नगर-571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	https://www.acu.edu.in/
135	अलॉयन्स यूनिवर्सिटी, बंगलूरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in

क्र. सं.	राज्य/ विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
136	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड बैंगलूरु, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjiuniversity.edu.in
137	सीएमआर विश्वविद्यालय, दूसरा व तीसरा वां, 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलूरु- 560043	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in
138	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागलाहल्ली ग्राम, हरोहल्ली होबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
139	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, पांचवां मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, 1 स्टेज, इंदिरानगर, बंगलूरु, -560038, कर्नाटक	24.06.2013	http://www.gardencityuniversity
140	इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रांस-डिसीप्लिनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, 74/2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अटूर पोस्ट, बंगलूरु-560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
141	जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जेएसएस टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन कैम्पस, मैसूरु- 570006, कर्नाटक	16.01.2016	http://www.jsstuniv.in
142	खाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, खाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय परिसर, राउज-ए बुजुर्ग, कालाबुर्गी-585104, कर्नाटक	21.04.2018	http://www.kbn.university
143	केएलई टेक्नाजिकल यूनिवर्सिटी, बी0वी0 भूमारडी महाविद्यालय कैम्पस, विद्यानगर, हुबली-580031	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
144	एम0एस0 रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलूरु-560054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
145	पीईएस यूनिवर्सिटी, सौ फीट रिंग रोड, बीएसके तीसरी स्टेज, बंगलूरु-560085	16.05.2013	http://www.pes.edu
146	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिब्रू एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट हुबली, बंगलूरु (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in
147	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमंगला रोड, एसएच -74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबालापुर तालुक, बंगलूरु - 561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity.in
148	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बंगलूरु- 560064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
149	शरनबासवा विश्वविद्यालय, कलाबुराजी (गुलबर्गा)	29.07.2017	http://sharnbasvauniversity.edu.in
150	श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर विश्वविद्यालय, छठां तल, मंजूश्री भवन, एसडीएम चिकित्सा विज्ञान एवं अस्पताल परिसर महाविद्यालय, सत्तूर, धारवाड-580009, कर्नाटक	19.12.2018	http://www.sdmuniversity.edu.in/
151	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सूरतकल, मंगलोर-574146	20.02.2015	
152	श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय, श्री सत्य साई विद्यानिकेतन परिसर, नवनिहाल, पोस्ट-ओकाली, तालुकामालपुर, जिला-कालबुरागी-585313, कर्नाटक	08.03.2019	http://www.sssu.ac.in/
मेघालय			
153	सी एम जे यूनिवर्सिटी, शिलांग, (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
154	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. अराइमाइल, मेचकोलगे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
155	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेंट्रल वार्ड, शिलांग - 793001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
156	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावलाई, शिलांग - 793 022	02.12.2008	http://www.technologlobaluniversity.org

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
157	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, दंकाग्रे, पोस्ट ऑफिस अरायमाइल, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स – 793001	04.11.2009	http://www.iuemghalaya.edu.in
158	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय 793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
159	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय 793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
160	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्पलाइड रोड, शिलांग – 793001	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
	मिजोरम		
161	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, दुर्तलांग नार्थ, आइजोल – 796025	21.03.2006	http://www.iumuzoram.edu.in
	मध्य प्रदेश		
162	अवतिका यूनीवर्सिटी, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैई- 456006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	http://www.avantikauniversity.edu.in
163	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश 485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
164	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, गाँव मेंडुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.rntu.ac.in
165	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
166	भाभा विश्वविद्यालय, एनएच -12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल – 462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.bhabhauniversity.edu.in/
167	डॉ ए.पी. जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर-देवास बायपास रोड, गाँव- अरंडिया, पोस्ट- झालरिया, मध्य प्रदेश -452016	01/04/2016	http://www.aku.ac.in
168	डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा-इंदौर रोड, पोस्ट - छैगांव माखन, खांडवा – 450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	http://cvru.ac.in/
169	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम- साईखेड़ा, धोडा बोरगांव, तहसील- सोनसार, जिला- छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
170	आईई एस विश्वविद्यालय, आईईएस परिसर, रतिबाद मेन रोड, भोपाल-462044 मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.iesuniversity.ac.in/
171	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, सिथौली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच – 75, झांसी रोड, ग्वालियर -474 001	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
172	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत मुगलिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल – 462 044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
173	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, राघोगढ़, जिला गुना-473226	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
174	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊन, सर्वधर्म सी सैक्टर, कोलार रोड, भोपाल-462042	08.01.2015	http://www.lnctu.ac.in
175	मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, रातिबाद, भोपाल -462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.mpu.ac.in/
176	महिषी महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर-482001	29.11.1995	http://www.mmyw.com
177	मालवांचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच -5 9 नेमावार रोड, खुडेल के पास, जिला इंदौर – 452016	04.01.2016	http://www.malwachaluniversity.com
178	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाँव – गादिया और रत्नाखेड़ी, ब्लॉक – बिलकिसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	http://www.mguindia.com/
179	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवड़ा रोड एसएच-31, मंदसौर-458001	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
180	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एनएच-30, मंडला रोड, शारदा देवी मंदिर के पास, रिचार्ड-बरेला, जबलपुर-483001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.mangalayatan.in/
181	मेडी कैप्स यूनिवर्सिटी, ए.बी. रोड, पिगम्बर, राऊ, इंदौर- 453331	22.07.2015	http://www.medicaps.ac.in
182	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट न0 1 के सामने, सानवेर रोड, पोस्ट बॉक्स 3111, विजय नगर डाक घर, इंदौर-452010	04.05.2011	http://www.orientaluniversity.in
183	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल - 462037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity.edu.in
184	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम थानारा, तहसील-कारेरा, रा0रा0-27, शिवपुरी, जिला- शिवपुरी-473551	19.08.2015	http://www.pkuniversity.edu.in
185	रेनीसा विश्वविद्यालय, सर्व नम्बर 34 / 2, 51 / 1 / 1, ग्राम रियोती, सानवेर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर- 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.rnu.edu.ng/
186	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय-पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in
187	साजे विश्वविद्यालय, खेलोड कारतल, इंदौर - देवास बाईपास रोड, राऊ, इंदौर-452020, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://sageuniversity.in
188	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारासियोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	http://www.spuvvn.edu/
189	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0-12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
190	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, एनएच- 86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर- 471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	http://www.skuindia.ac.in/
191	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर -453111	08.01.2015	http://www.svvv.edu.in
192	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सेहोरे-466001	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
193	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
194	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बांगड़ा सुपर कॉरिडोर, इंदौर -452001	27.08.2016	http://www.suas.ac.in
195	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोज (गोशाला के निकट) जिला- विदिशा, मध्य प्रदेश-464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com
196	वीआईटी भोपाल यूनीवर्सिटी, भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे, कोथरीकलां, सेहोरे-466144, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.vitbhopal.ac.in
महाराष्ट्र			
197	अजीन्क्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे- 412105	25.02.2015	http://www.adypu.edu.in
198	एमिटी यूनिवर्सिटी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
199	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुराना मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	
200	डॉ0 विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनीवर्सिटी, एस0 नम्बर124, पौड़ रोड, कोथरुड, पुणे-411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	http://www.mitwpu.edu.in
201	डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 29, प्राधिकरण, अकुर्डी, पुणे - 411044, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	https://www.dypiu.ac.in/
202	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 1270, ग्राम लावाले, तालुक मुल्शी, पुणे-411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
203	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी, बाडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती-444701, महाराष्ट्र	20.07.2018	http://www.ghru.edu.in/
204	एमजीएम विश्वविद्यालय, एमजीएम परिसर, एन-6, सीआईडीसीओ, औरंगाबाद-431003, महाराष्ट्र	09.09.2019	https://www.mgmu.ac.in/
205	एमआईटी आर्ट्स डिजाइन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभोर से अगला, पुणे-412201	13.10.2015	http://www.mituniversity.edu.in
206	संदीप विश्वविद्यालय, त्र्यंबक रोड, माहिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
207	स्पाइसर एडवेंटिस यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे-411004	25.07.2014	
208	सिम्बॉयसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी, ग्राम किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के पास, ताल हावले, पुणे- 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.ssou.ac.in
209	संजय घोडावट यूनिवर्सिटी, ए/पी- अटिगरे,- 416118, हटकान्गली, जिला कोलहापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in
210	सौमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, सौमैया भवन, 45-47, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई-400001, महाराष्ट्र	26.08.2019	https://www.somaiya.edu/en
211	श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, एस नंबर 55/2-7, ताथवाडे, मुंबई- बंगलौर बाईपास के सामने, पुणे -411033, महाराष्ट्र	20.08.2019	sribalajiuniversity.org
212	विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, सर्वे नम्बर 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंधावा, बुदरुक, पुणे-411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.vupune.ac.in
	मणिपुर		
213	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घारी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल- 795140, मणिपुर	14.02.2019	https://www.miu.ac/
214	सांगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चूराचांदपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com
	नागालैण्ड		
215	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो-झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल कॉलेज, पीएस-डिप्युपर, दीमापुर -797115	18.09.2006	http://www.stjosephuniversity.org
216	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा - 797111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
217	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, 6 वां माइल्स सोविमा गांव, कोहिमा रोड,, दीमापुर - 797112,	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
	ए.आई.पी.एच. यूनिवर्सिटी, पहाला, भुवनेश्वर- कटक, राष्ट्रीय राजमार्ग-5, भुवनेश्वर - 752101, ओडिशा		
218	एसबीएम यूनिवर्सिटी, शिक्षा विहार, पोस्ट ऑफिस - भोला, चंडका, जिला-खुर्धा, भुवनेश्वर - 754012, ओडिशा	26.02.2018	http://www.aiph.ac.in/
219	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज- गोठपटना, पीएस-चंडका, भुवनेश्वर -751029	26.09.2019	https://www.asbm.ac.in/
220	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, विलेज आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी - 761221 गजपति, ओडिशा	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
221	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनुपुर- 765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
222	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	27.12.2018	http://www.giet.edu/
223	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
224	पंजाब	13.05.2013	http://www.ximbac.in
225	आदेश विश्वविद्यालय, रा0रा0-7, बरनाला रोड, भटिंडा, पंजाब		

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
226	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो-151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	
227	सी टी यूनिवर्सिटी फिरोजपुर, लुधियाना 142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity.in
228	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, धारुवान, मोहाली - 140413	10.07.2012	http://www.chandigarhuniiversity.ac.in
229	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा0रा10-64), ग्राम - झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब - 140401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
230	डी ए वी विश्वविद्यालय, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग -44, गांव-सार्मस्तपुर, जालंधर, पंजाब।	18.02.2013	http://www.@davuniversity.org
231	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
232	जीएनए यूनिवर्सिटी, ग्राम-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला-144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
233	गुरु काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी साबो, जिला - भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
234	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर-लुधियाना जी.टी. रोड, नियर चेहरु रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला - कपूरथला, पंजाब - 144002	26.12.2005	http://www.lpu.in
235	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - सहौरान, तहसील - खार, जिला - मोहाली, पंजाब - 140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
236	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़-147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
237	संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी, ग्राम-खियाला, डाकघर-पाधियाना, जिला जालंधर-144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
238	श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब - 140406	15.05.2008	http://www.sggswu.org
239	श्री गुरु राम दास यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस, मेहता रोड, वाल्लाह, श्री अमृतसर-143001, पंजाब	17.11.2016	http://www.sgrduhs.in
	राजस्थान		
240	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच-11सी, कान्त कालवार, जयपुर - 303002	29.03.2008	http://www.amity.edu/jaipur
241	241 एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टेक सिटी, एनएच-48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान- 303002	05.10.2018	https://www.apexuniversity.co.in/
242	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड, अजमेर - 305004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
243	भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनीवर्सिटी, प्लॉट नम्बर एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर- 302037, राजस्थान	30.03.2017	http://www.ruj.bsdu.in
244	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्किल, उदयपुर -313001	05.10.2015	http://www.bnuniversity.ac.in
245	कॅरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.cpur.in
246	डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान - 304021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
247	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www.geetanjaliuniversity.com
248	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, साईपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302029	03.04.2010	http://www.homoepathyuniversity.org
249	आईसीएफआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड, जयपुर - 302031	23.08.2011	http://www.iujaipur.edu.in
250	आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी, 1, प्रभुदयालमार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर-302029	26.02.2014	http://www.iihmr.edu.in
251	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://www.jecrcuniversity.edu.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
252	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुरा, अजमेर रोड़, जयपुर – 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in
253	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, एनएच-12, चाकसू बाई पास, टोंक रोड़, जयपुर – 303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
254	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर 302017	21.10..2007	http://www.jnujaipur.ac.in
255	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच-8, जयपुर 303007	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv.com
256	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर – 342001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity.com
257	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर-तिजारा-दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	http://www.lordsuni.edu.in/
258	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बानस ब्रिज टॉल के सामने, रा0रा0-14, ग्राम-वादा/भुजेला, पंचायत समिति-भारजा, तहसील-पिंडवाड़ा, आबू रोड़, जिला- सिरोंही, राजस्थान-307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
259	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
260	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर-3020012	05.10.2015	
261	महात्मा गांधी मेडिकल साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड़, जयपुर-302022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
262	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी-2 और 3, कान्त कालवर, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच-1, अचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www.mjrpuniversity.com
263	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे, पोस्ट थिकारिया, जयपुर – 302026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
264	मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, ग्राम- बुजावाड़, तहसील-लुनी, जोधपुर-342802	16.09.2013	http://www.mauj.ac.in
265	मेवाड़ विश्वविद्यालय, एनएच 79, गंगरार, चित्तौड़गढ़ –312901	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
266	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड साईंस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान	16.09.2013	http://www.modyuniversity.ac.in
267	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
268	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर – 303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
269	निर्वाण विश्वविद्यालय, एनएच-21, गांव झार, बस्सी के समीप, मेन आगरा रोड़, जयपुर-303705, राजस्थान	30.03.2017	http://www.nirwanuniversity.in/
270	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील-राजगढ़, जिला-चूरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www.opjsuniversity.edu.in
271	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर – 313003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
272	पेसेफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, भीलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
273	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
274	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमेर-दिल्ली-मुम्बई हाईवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
275	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग – 8, नीमराना – 201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.edu.in

क्र. सं.	राज्य/ विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
276	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर-334601	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
277	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
278	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव-उमर्दा, गिरवा, उदयपुर - 313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
279	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीब्रीवाला विश्वविद्यालय, चुदेला, विद्या नगरी, झूझुनू चारुड, चुदेला, जिला - झूझुनू 333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
280	श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कामधाज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018	http://www.kallajivedicuniversity.com
281	श्री कुशल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान	05.10.2018	https://skduniversity.com/
282	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड, पिलानी, राजस्थान - 333031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
283	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला- दौसा, राजस्थान- 303511	05.10.2018	https://www.shyamuniversity.in/
284	सिंहानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झूझुनू, राजस्थान 333515	29.03.2008	http://www.singhaniauniversity.co.in
285	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर - 313601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
286	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील - रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
287	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान - 302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
288	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर-335002	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
289	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
290	यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	http://www.universityoftechnology.edu.in
291	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर - 36, एनआरआई रोड, सीसयावास, जगतपुर, जयपुर - 3030012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
सिक्किम			
292	श्री रामासामी मेमोरियम विश्वविद्यालय, 5 वीं मिल, तदांग, रानीपूल, पोस्ट ऑफिस, गंगटोक, सिक्किम -737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
293	सिक्किम-मनीपाल यूनिवर्सिटी, 5 वीं मिल, पोस्ट ऑफिस तदांग गंगटोक - 737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
294	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, (आईसीएफएआई), रानका रोड, लोवर सिचे, गंगटोक-737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
295	विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट न0 438, एन-312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी0ओ0 दारागौरन, तदांग, पूर्वी सिक्किम-737 102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
त्रिपुरा			
296	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला (आईसीएफएआई), पी.ओ. कमलघाट, अगरतला- सिमना रोड, मोहनपुर-799210, त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
उत्तर प्रदेश			
297	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोयडा, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
298	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
299	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैंपस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली -243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
300	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 8-11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडा-201301	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
301	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ -226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
302	जी.एल.ए. यूनीवर्सिटी, 17 किलोमीटर स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, दिल्ली मथुरा रोड, पी.ओ. चुमुहन, मथुरा- 281406	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
303	गलगोटियास यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, ग्रेटर नोएडा-201203	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
304	आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244102	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
305	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ -250001	16.09.2016	http://www.iimtu.com
306	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226026 (उत्तर प्रदेश) *	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in
307	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ नेशनल हाइवे-24, बरेली - 243123	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
308	जगतगुरु रामभद्राचार्य हैण्डिकेड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम - 210204 (उत्तर प्रदेश) *	06.10.2001	http://www.jrhu.com
309	जेपी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर-203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypee.ac.in
310	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
311	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ -202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
312	महिषी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महिषी बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट डिबुरिया, लखनऊ-226020	24.09.2013	http://www.muit.in
313	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
314	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश-245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
315	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश) 201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
316	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर-209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
317	संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किलोमीटर स्टोर, मथुरा- दिल्ली राजमार्ग, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
318	शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32-34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा-201306	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
319	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
320	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला-सहारनपुर- 247341	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
321	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा-लखनऊ रोड, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
322	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0-24, राजाबपुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
323	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
324	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, एन एच-24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244001	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in

क्र. सं.	राज्य/ विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
325	दि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील – बेहट, सहारनपुर – 247001*	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
	उत्तराखण्ड		
326	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट – उत्तरी झंडी चौर, तहसील – कोटद्वार, जिला – पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड – 246149	19.12.2016	http://www.bgukotdwar.ac.in
327	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार – 249411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
328	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून – 248009	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
329	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट हाउस, देहरादून – 248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
330	हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी धैड़ गांव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	07.12.2016	http://www.hgu.ac.in
331	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, बाया शहसपुर, देहरादून – 248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
332	आईएमएस यूनिवर्सिटी, मक्कावाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड, देहरादून – 248009	15.02.2013	http://www.iuu.ac
333	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, (आईसीएफएआई), राजावाला रोड, सेंट्रल होप टाउन, सेलाक्वी, देहरादून-248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
334	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम-कारोन्दी, पोस्ट-भगवानपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity.edu.in
335	क्वैटम यूनिवर्सिटी, मंदवार (22 किलोमीटर माइलस्टोन), रुड़की, – देहरादून हाईवे (रा0रा0-73), रुड़की, – 247167, उत्तराखण्ड	07.04.2017	http://www.quantumuniversity.edu.in
336	रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी, सुभारतीपुरम, कोटदा संतौर, आमवाला रोड, पीओ- चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून-248007, उत्तराखण्ड	08.12.2016	http://www.rbbsu.edu.in
337	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून- 248161, उत्तराखण्ड	03.08.2018	https://www.sbsuniversity.edu.in/
338	श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड	07.04.2017	http://www.sgrr.ac.in
339	स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी, स्वामी राम नगर, जौली ग्रांट , पोस्ट ऑफिस- डौवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
340	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
341	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, बिधौली परिसर, ऊर्जा एकड़, पी.ओ. दीधौली, देहरादून-248006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
342	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून-248007	15.02.2013	http://www.uttranchaluniversity.ac.in
	पश्चिम बंगाल		
343	एडमेस यूनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता-700126	11.04.2014	http://www.au.edu.et
344	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टॉऊन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity.edu/kolkata/
345	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्ण पुर रोड, कोलकाता-700124	24.02.2016	http://www.brainwareuniversity.ac.in
346	जेआईएस यूनिवर्सिटी, अगरपरा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.jisuniversity.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबसाइट
347	सीकॉम स्किल यूनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर-सत्तोर, थाना-पानरुई, जिला-बीरभूम-731236		http://www.seacomskillsuniversity.ore
348	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डीजी -1/2, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता - 700 156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018	https://snuniv.ac.in/
349	सेंट जेवियर यूनीवर्सिटी, भवन नम्बर III बी -1, प्लॉट नम्बर III बी /1, एक्शन एरिया III बी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता- 700156	16.01.2017	http://www.sxuk.edu.in
350	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम-4, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012	http://www.technoinidauniversity. ac.in
351	द नियोलिया यूनिवर्सिटी, झिंगा सरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना(द0) पश्चिम बंगाल-743368	03.02.2015	http://www.tnu.in
352	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट, यूनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III-बी/5, मेन आर्टिरियल रोड (पूर्व-पश्चिम), न्यू टाउन एक्शन एरिया-III, कोलकाता-700156	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.2 (i)(च)(iv) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
	बिहार		
1	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992	http://www.igims.org
	जम्मू और कश्मीर		
2	शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis.nic.in
	उत्तर प्रदेश		
3	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983	http://www.sgpqi.ac.in

**तालिका 2.2 (i)(च)(v) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार समविश्वविद्यालय
(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)**

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
	आन्ध्र प्रदेश		
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम-530045, आंध्र प्रदेश *	13.08.2007	http://www.gitam.edu
2	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड, कुन्वानापल्ली पोस्ट वाडेशवरं, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश 522002 *	20.02.2009	http://www.kluniversity.edu.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507 *	16.11.1987	http://www.rsvidyapeetha. ac.in
4	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतनिलयम-515134, जिला अनन्तापुर, आंध्र प्रदेश*	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
5	विगनान्स फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश-522313	19.12.2008	http://www.vignanuniversity.org

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
	अरुणाचल प्रदेश		
6	नार्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला-पापुम पारे-791109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
	असम		
7	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी) बालगाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018	https://www.cit.ac.in/
	बिहार		
8	नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा-803111 (बिहार)	13.11.2006	http://www.navanalandmahavihara.org
	गुजरात		
9	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, हमदाबाद-380014, गुजरात *	16.07.1963	http://www.gujaratvidyapith.ac.in
10	नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई), एनआईआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	https://nrti.edu.in/
11	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात *	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity.co.in
	हरियाणा		
12	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity.edu.in
13	महर्षि मार्कण्डेयश्वर शिक्षा ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा 133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
14	अनुसंधान व अध्ययन मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा 121001	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
15	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुडगाँव-122050 हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
16	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल-132001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
17	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्राइजोरशिप एण्ड मैनेजमेन्ट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुन्दली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
	झारखण्ड		
18	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची-835215, झारखण्ड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
	कर्नाटक		
19	बी.एल.डी.ई., बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
20	क्रॉइस्ट, होसूर रोड, बंगलूरु-560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in
21	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलूरु-560012, कर्नाटक*	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
22	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इन्फोसिस (द्वार सं0-1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बंगलूरु-560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
23	जे एस एस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जगद्गुरु डॉ श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर - 570 004	28.05.2008	http://www.jssuni.edu.in
24	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैम्पस, जक्कुर, बैंगलोर -560064 *	17.08.2002	http://www.jncasr.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
25	जैन, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग-209, जाक्कासांदरा पोस्ट, कनक पुरा तालुक, रामानगर जिला-562112	19.12.2008	http://www.jainuniversity.ac.in
26	के.एल.ई. एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च, जे.एन. मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)- 590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu
27	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, माधव नगर, मनीपाल-576104	01.06.1993	http://www.manipal.edu
28	एन.आई.टी.टी.ई. देरालकट्टे, मंगलोर -575018 *	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
29	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड, तमाका, कोलार -563101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
30	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन, जिला टुमकुर -572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
31	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बंगलूरु-560018, कर्नाटक *	08.05.2002	http://www.svyasa.org
32	येनेपोया, देरालकाटे, मंगलोर-575018	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
केरल			
33	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, आदि शंकरा निलयम, वेलियानद, एर्नाकुलम -692313	16.01.2017	http://www.chinmayauniversity.ac.in
34	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरुथुरुथि -679531, वाया त्रिसूर, केरल *	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
35	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तापुरम, केरल-695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
मध्य प्रदेश			
36	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002 *	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
महाराष्ट्र			
37	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030, महाराष्ट्र *	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
38	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
39	डी. वाई. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, बावाडा कोल्हापुर-416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
40	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) वर्धा-442004 *	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
41	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006	05.03.1990	http://www.dsccanlegepune.ac.in
42	डॉ० डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे-411018 *	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
43	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे -411004 *	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
44	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालय: नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेन्ट्रल काम्प्लेक्स, मुंबई -400085 *	03.06.2005	http://www.hbni.ac.in
45	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई-400065	05.12.1995	http://www.igidr.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
46	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी), गिरीनार, पुणे-411025	10.09.1999	http://www.diat.ac.in
47	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, गोवांन्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई-400088	31.07.1985	http://www.iipsindia.org
48	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र-400019*	12.09.2008	http://www.ictmumbai.edu.in
49	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड़, जिला सतारा (महाराष्ट्र)	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
50	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर-18, कामोटे, नवी मुम्बई-410209	30-08-2006	http://www.mgmhuhs.com
51	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई-400056 *	13.01.2003	http://www.nmims.edu
52	पदमश्री डॉ० डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर-7, नेरूल, नवी मुम्बई-400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
53	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके-413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
54	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ग्राम लावाले, तहसील मुलशी, जिला पुणे-412115 *	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
55	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई 400005*	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
56	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई-400088 *	29.04.1964	http://www.tiss.edu
57	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे-411037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
ओडीशा			
58	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर-751024, ओडीशा*	26.06.2002	http://www.kiit.ac.in
59	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	
60	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे-15, भुवनेश्वर ओडीशा 751030 *	17.07.2007	http://www.soaniversity.ac.in
पंजाब			
61	संत लांगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल. आई.ई.टी.), लांगोवाल, जिला संगरूर-148106	10.04.2007	http://www.sliet.ac.in
62	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला-147004	30.12.1985	http://www.thapar.edu
राजस्थान			
63	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304022, राजस्थान *	25.10.1983	http://www.banasthali.org
64	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी-333031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
65	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर-331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity.org.in
66	आई.आई.एस., गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान 302020*	02.02.2009	http://www.iisuniv.ac.in
67	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर - 341306, राजस्थान*	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
68	जर्नाधन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर, उदयपुर- 313001	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
69	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम-रूपा की नागल, पोस्ट-सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला-जयपुर-303012	03.02.2006	http://www.lnmiit.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
	तमिलनाडु		
70	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई -603113	21.08.2007	http://www.ametuniv.ac.in
71	अमृत विश्व विद्यापीठ, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर -641112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
72	अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर-641043, तमिलनाडु *	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
73	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई-600073	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
74	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु 600048	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
75	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच-1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरयूसेरी-603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
76	चेटीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर), पादुर, केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु *	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity.com
77	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल-624302 *	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
78	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस(हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम, चेन्नई 603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in
79	कैलाशिलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, आन्नद नगर, कृष्णनकोईल, विरुद्धनगर- 626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
80	कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारुण्या नगर, कोयम्बटूर-641114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
81	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
82	एमजीआर एजुकेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई-600095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
83	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई-600078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
84	नूरुल इस्लाम सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, कुमारकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु -629175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
85	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर-613403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
86	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावाडी, थंजावुर-614904	04.01.2008	http://www.prist.ac.in
87	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एसएसआरएम नगर, कट्टकुलथुर - 603203, कांचीपुरम जिला (टीएन) *	02.08.2002	http://www.srmuniv.ac.in
88	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई-600119	16.07.2001	http://www.sathyabamauniv.ac.in
89	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवडी, चेन्नई-6000077	18.03.2005	http://www.saveetha.com
90	शाण्मुघ आर्ट्स, साइंस, टेक्नॉलाजी एण्ड रिसर्च अकादमी (शास्त्र), तिरुमलाई, समुद्रम, तंजावुर-613401 *	26.04.2001	http://www.sastra.edu

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
91	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, काँचीपुरम-631561	26.05.1993	http://www.kanchiuniv.ac.in
92	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई-600116 *	29.09.1994	http://www.sriramachandra.edu.in
93	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अवादी चेन्नई-600054	26.05.2008	http://www.atpetersuniversity.org
94	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स स्टडीज (विस्टास), पालवर, चेन्नई, तमिलनाडु -600117	04.06.2008	http://www.velsuniv.ac.in
95	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर-632014	19.06.2001	http://www.vit.ac.in
96	विनायक मिशन रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम-636308	01.03.2001	http://www.vinayakamission.com
97	वेलटेक रंगाराजन डॉ० शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अवादी, चेन्नई-600062	15.10.2008	http://www.veltechuniv.edu.in
तेलंगाना			
98	चैतन्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान, हनमकोंडा, तेलंगाना	29.11.2019	http://www.cist.in
99	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी, सर्वे नो 25, गाजीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500032	21.08.2001	http://www.iiit.ac.in
100	आईसीएफआई फाउंडेशन फार हायर एजुकेशन, दौतादंपल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद-501203, तेलंगाना	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
उत्तर प्रदेश			
101	सैम हिग्निबोम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद-211007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
102	भारतखण्ड संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001	24.10.2000	http://www.bharkhandemusic.edu.in
103	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
104	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282005 *	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
105	इंडियन वेदिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर-243122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
106	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए-10, सेक्टर-62, नोएडा-201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in
107	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
108	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ-250010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity.ac.in
109	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009	13.06.2007	http://www.santoshuniversity.com
उत्तराखण्ड			
110	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून-248006	28.11.1991	http://www.icfre.org
111	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249404	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
112	ग्रॉफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566/6, बेल रोड, कलेमेन्ट टारुन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबसाइट
	पश्चिम बंगाल		
113	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर बेलूर मठ, जिला हावड़ा-711202, पश्चिमी बंगाल*	05.01.2005	http://www.rkmvu.ac.in
114	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2ए – 2बी, राजा एस.सी. मुल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700032	08.05.2018	www.iacs.res.in
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
115	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली-110012 *	22.08.1958	http://www.iari.res.in
116	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016*	20.05.2002	http://www.iift.edu
117	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001*	29.10.2004	http://www.ili.ac.in
118	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी-1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली-110070*	10.07.2009	http://www.ilbs.in
119	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062 *	10.05.1989	http://www.jamiahamdard.edu
120	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली-110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
121	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
122	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56,57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	07.05.2002	http://www.sanskrit.nic.in
123	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016.*	16.11.1987	http://www.slbsrsv.ac.in
124	टेरी महाविद्यालय ऑफ एडवांस स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हेबिटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
	यू.टी चंडीगढ़		
125	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर-12, चण्डीगढ़-160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
	लद्दाख		
126	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिष्टि स्टडिज, चोगलामसर, लेह (लद्दाख), जम्मू व कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
	पुदुचेरी		
127	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडीकल कालेज कैम्पस, पान्डी-कुडालोर मेन रोड, पिल्लैयार्ककुप्पम, पुदुचेरी-607402	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com

2.2 (ii) महाविद्यालय

महाविद्यालय का अभिप्राय किसी संस्थान से है, चाहे वह इसी नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो कि किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता हो, तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो तथा ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करे। यह ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है। **महाविद्यालय/संस्थान चार प्रकार के होते हैं:**

(1) संबद्ध महाविद्यालय (2)संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यताप्राप्त केन्द्र

तालिका 2.2 (ii) (क): वर्ष 2019-20 के दौरान महाविद्यालय/संस्थानों की राज्यवार और प्रकार-वार संख्या

क्रम सं	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक महाविद्यालय	स्नातकोत्तर केंद्र/ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल	स्टैंड अलोन संस्थान*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8				8	1
2	आन्ध्रप्रदेश	2687	68	7	1	2763	843
3	अरुणाचल प्रदेश	37	2			39	13
4	असम	552	6	3	1	562	92
5	बिहार	597	284	9	27	917	166
6	चण्डीगढ़	25				25	10
7	छत्तीसगढ़	786	24	1	3	814	75
8	दादर और नगर हवेली	8			1	9	2
9	दमन और द्वीव	10				10	2
10	दिल्ली	109	72	1	6	188	112
11	गोवा	57	1	3	8	69	12
12	गुजरात	2201	286	26	62	2575	308
13	हरियाणा	1064	31		1	1096	252
14	हिमाचल प्रदेश	336	8	1	7	352	83
15	जम्मू और कश्मीर	292	24	10	1	327	118
16	झारखण्ड	246	77	2		325	91
17	कर्नाटक	3984	126	34	56	4200	1690
18	केरल	1353	65	6	63	1487	452
19	लद्दाख	5		2		7	4
19	लक्ष्यदीव			3		3	
20	मध्य प्रदेश	2382	72	3	753	3210	379
21	महाराष्ट्र	4421	163	10	138	4732	2393
22	मणिपुर	99	3			102	29
23	मेघालय	64	3	2	3	72	21
24	मिजोरम	32	3			35	16
25	नागालैण्ड	66	1		2	69	20
26	ओडिशा	1061	41	3	3	1108	386
27	पुदुचेरी	78	8	2		88	14
28	पंजाब	1018	72	19	1	1110	421
29	राजस्थान	3355	33	2	77	3467	567
30	सिक्किम	20	9			29	8
31	तमिलनाडु	2516	137	9		2662	914
32	तेलंगाना	2041	32	9	2	2084	514
33	त्रिपुरा	52	1	1		54	12
34	उत्तराखंड	438	24	3	3	468	166
35	उत्तरप्रदेश	7753	59	11	46	7869	1116
36	पश्चिम बंगाल	1364	54	5	16	1439	477
कुल योग		41117	1789	187	1281	44374	11779

*स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई पोर्टल के अनुसार संस्थानों की सूची-

महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या छह राज्यों उत्तर प्रदेश उसके पश्चात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्रप्रदेश में है।

रेखाचित्र 2.2(ii) (क) वर्ष 2019-20 के दौरान महाविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार संख्या



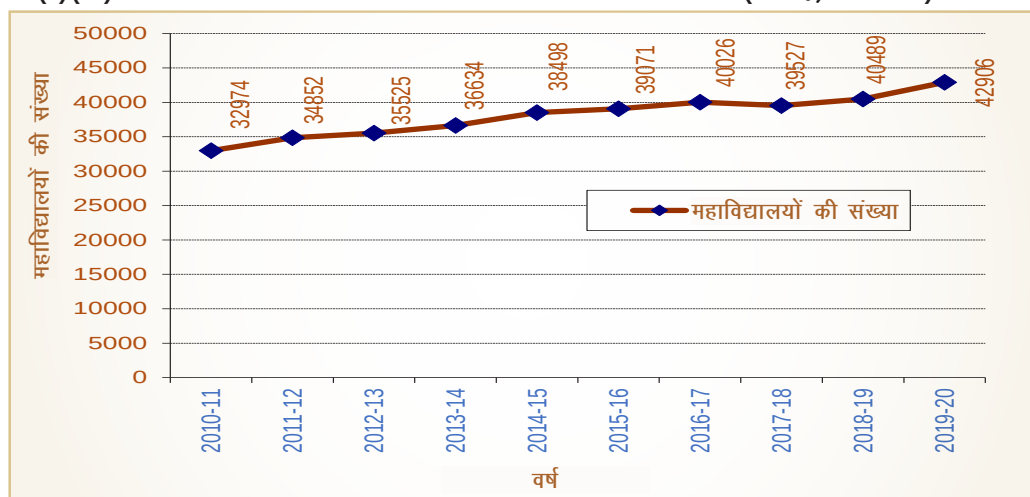
‘स्टैंड अलोन संस्थान (विश्वविद्यालय से असंबद्ध) ऐसे संस्थान होते हैं जो डिग्री प्रदान करने हेतु सशक्त नहीं होते हैं और इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार के पांच संस्थानों को शामिल किया गया है। वे हैं: तकनीकी जैसे पॉलिटेक्निक (गुजरात और छत्तीसगढ़ में बहुकला संस्थानों (पॉलिटेक्निक) को विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है इसलिए, उन्हें स्टैंड अलोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है)। इन दो राज्य में बहुकला संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (3) शिक्षक प्रशिक्षण जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। (4) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त परिचर्या संस्थान। (5) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान। एआईएसएचई के पोर्टल पर सूचीबद्ध देश में कुल 11779 स्टैंड अलोन संस्थान हैं। (स्रोत वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.2 (ii) (ख) वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक) की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010-11	32974
2011-12	34852
2012-13	35525
2013-14	36634
2014-15	38498
2015-16	39071
2016-17	40026
2017-18	39527
2018-19	40489
2019-20	42906*

*वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई पोर्टल

रेखाचित्र 2.2(ii)(ख) वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/सघटक) की वर्ष-वार संख्या



2.2(ii)(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है। जब भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप उपर्युक्त पाए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12ख के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करता है। इससे महाविद्यालय, भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित कुल मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष में 12070 (धारा 2(च) के तहत 2315 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9755 महाविद्यालय) की तुलना में 12453 (धारा 2(च) के तहत 2460 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9993) थी।

वर्ष	धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालयों की संख्या	धारा 2(च) के तहत महाविद्यालयों की संख्या 12(ख) में शामिल नहीं किए गए	कुल
31.03.2018 तक	9362	2153	11515
31.03.2019 तक	9755	2315	12070
31.03.2020 तक	9993	2460	12453

तालिका 2.2(ii)(ग) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) और 12(ख)	धारा 2(च) (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	3	5
2	आन्ध्र प्रदेश	399	94	493
3	अरुणाचल प्रदेश	11	2	13
4	असम	308	22	330

क्रम सं	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) और 12(ख)	धारा 2(च) (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	
5	बिहार	412	18	430
6	चण्डीगढ़	20	0	20
7	छत्तीसगढ़	172	70	242
8	दादर व नागर हवेली	0	1	1
9	दमन और दीव	2	0	2
10	दिल्ली	78	20	98
11	गोवा	33	2	35
12	गुजरात	462	103	565
13	हरियाणा	184	33	217
14	हिमाचल प्रदेश	68	14	82
15	जम्मू और कश्मीर*	98	94	192
16	झारखण्ड	128	12	140
17	कर्नाटक	716	389	1105
18	केरल	244	42	286
19	लक्ष्यदीव	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	457	155	612
21	महाराष्ट्र	1280	228	1508
22	मणिपुर	61	1	62
23	मेघालय	30	10	40
24	मिजोरम	27	2	29
25	नागालैण्ड	35	11	46
26	ओडिशा	484	46	530
27	पुदुचेरी	18	11	29
28	पंजाब	255	31	286
29	राजस्थान	276	99	375
30	सिक्किम	2	9	11
31	तमिलनाडु	533	188	721
32	तेलंगाना	238	89	327
33	त्रिपुरा	31	0	31
34	उत्तरप्रदेश	2404	554	2958
35	उत्तराखण्ड	62	35	97
36	पश्चिम बंगाल	463	72	535
	कुल	9993	2460	12453

*जम्मू व कश्मीर में लद्दाख महाविद्यालय शामिल है।

2.3 छात्र नामांकन

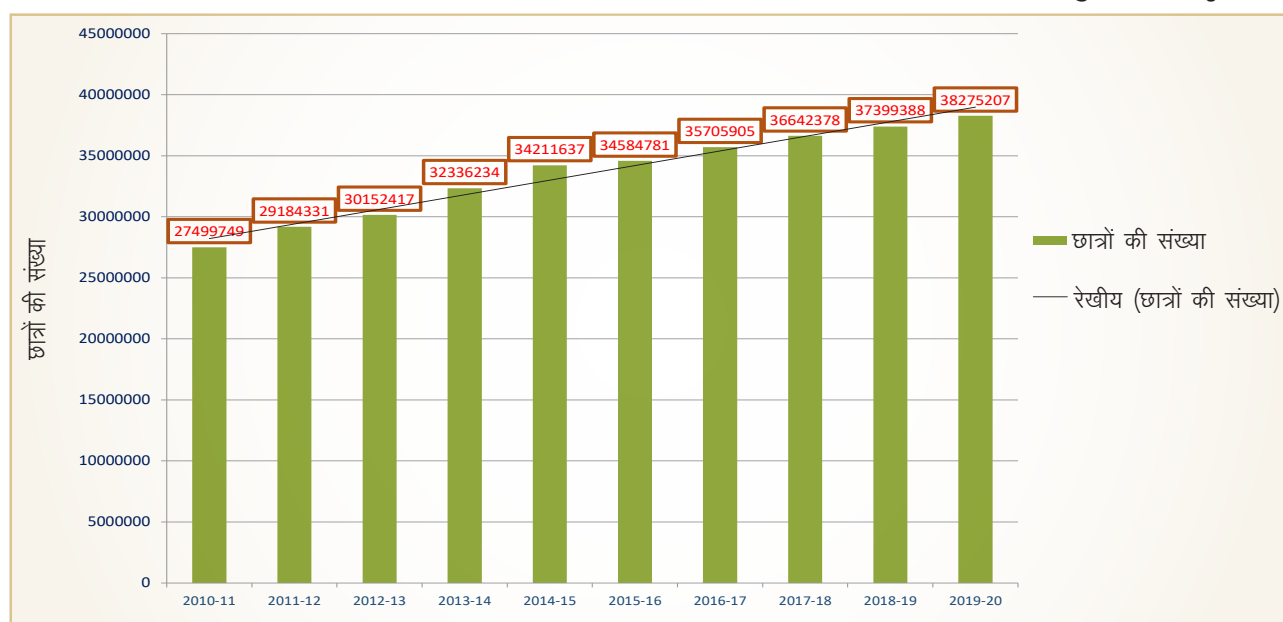
शिक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा के 'स्टैंड अलोन संस्थानों' में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों) में 382.75 लाख छात्र नामांकित थे।

तालिका 2.3 (i)(क) वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्र नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत के संदर्भ में हुई वृद्धि
2010-11	27433749		
2011-12	29184331	1684582	6.13%
2012-13	30152417	968086	3.32%
2013-14	32336234	2183817	7.24%
2014-15	34211637	1875403	5.80%
2015-16	34584781	373144	1.09%
2016-17	35705905	1121124	3.24%
2017-18	36642378	936473	2.62%
2018-19	37399388	757010	2.07%
2019-20	38275207	875819	2.34%

कवरेज: वर्ष 2019-20 की एआईएसएचई की रिपोर्ट पर आधारित उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंड अलोन संस्थानों में छात्रों के नामांकन के आंकड़ें नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित हैं। 2019-20 के दौरान स्टैंड अलोन संस्थानों द्वारा भरा गया डाटा और विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के लिए पूल किए गए डाटा की यूजीसी रिपोर्ट।

रेखाचित्र 2.3 (i)(क) वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान छात्र नामांकन (उच्चतर शिक्षा) में हुई वर्षवार वृद्धि



382.75 लाख छात्रों में से 186.24 लाख महिला छात्र हैं जो कि इस संपूर्ण संख्या का 48.65 प्रतिशत हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंड अलोन संस्थानों में छात्रों का राज्यवार नामांकन तालिका 2.3 (i) (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3 (i)(ख) वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का राज्यवार नामांकन

राज्य	छात्र नामांकन								
	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय			स्टैंड अलोन संस्थान			कुल (विश्वविद्यालय + महाविद्यालय + स्टैंड अलोन संस्थान)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2565	3490	6055	20	103	123	2585	3593	6178

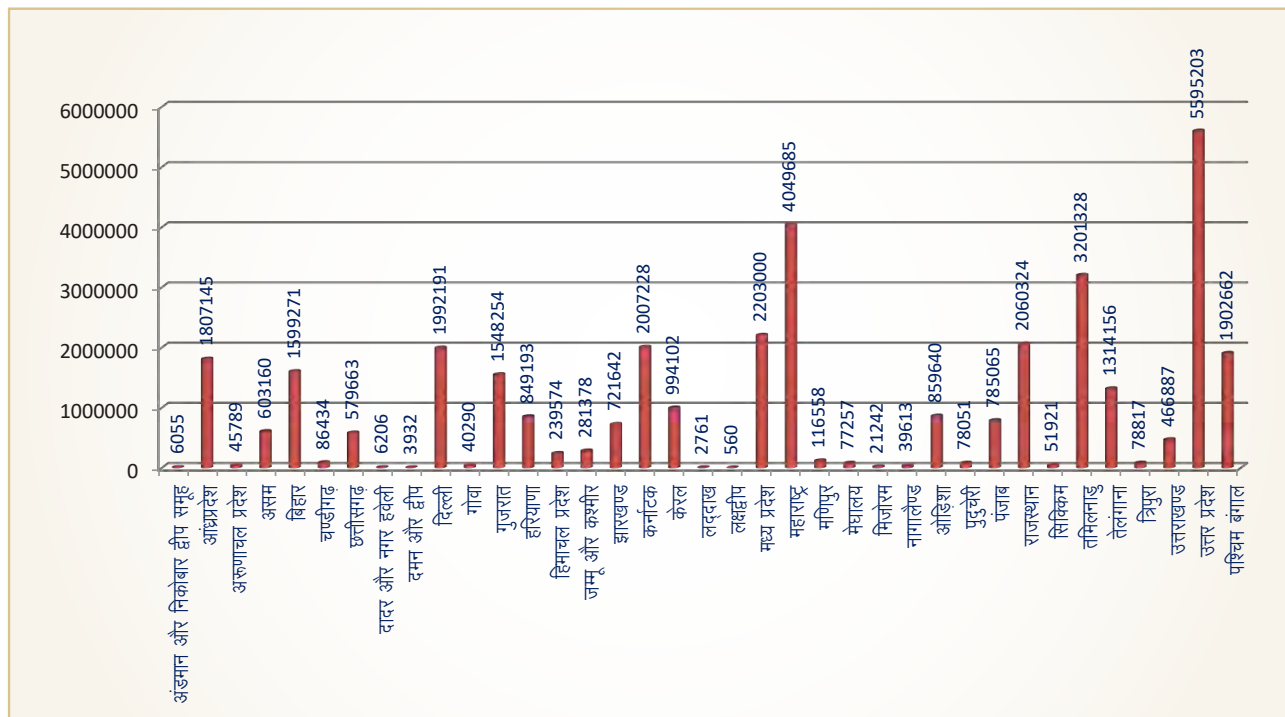
राज्य	छात्र नामांकन								
	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय			स्टैंड अलोन संस्थान			कुल (विश्वविद्यालय + महाविद्यालय + स्टैंड अलोन संस्थान)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्रप्रदेश	969284	837861	1807145	63033	45281	108314	1032317	883142	1915459
अरुणाचल प्रदेश	24423	21366	45789	569	140	709	24992	21506	46498
असम	291838	311322	603160	9914	7012	16926	301752	318334	620086
बिहार	885665	713606	1599271	32835	14083	46918	918500	727689	1646189
चण्डीगढ़	40589	45845	86434	2635	1242	3877	43224	47087	90311
छत्तीसगढ़	272790	306873	579663	2436	4335	6771	275226	311208	586434
दादरा और नगर हवेली	2976	3230	6206	154	33	187	3130	3263	6393
दमन और द्वीप	2190	1742	3932	0	0	0	2190	1742	3932
दिल्ली	1057130	935061	1992191	13590	9642	23232	1070720	944703	2015423
गोवा	16156	24134	40290	4835	1008	5843	20991	25142	46133
गुजरात	873876	674378	1548254	9178	20163	29341	883054	694541	1577595
हरियाणा	399870	449323	849193	38502	11217	49719	438372	460540	898912
हिमाचल प्रदेश	105811	133763	239574	7616	6499	14115	113427	140262	253689
जम्मू और कश्मीर	133647	147731	281378	9665	7267	16932	143312	154998	298310
झारखण्ड	349067	372575	721642	21694	7429	29123	370761	380004	750765
कर्नाटक	979847	1027381	2007228	105043	73282	178325	1084890	1100663	2185553
केरल	410440	583662	994102	37038	26020	63058	447478	609682	1057160
लद्दाख	887	1874	2761	112	24	136	999	1898	2897
लक्षद्वीप	133	427	560	0	0	0	133	427	560
मध्य प्रदेश	1167773	1035227	2203000	12467	11534	24001	1180240	1046761	2227001
महाराष्ट्र	2187605	1862080	4049685	159356	124394	283750	2346961	1986474	4333435
मणिपुर	57204	59354	116558	686	1882	2568	57890	61236	119126
मेघालय	35894	41363	77257	1286	1548	2834	37180	42911	80091
मिजोरम	11258	9984	21242	687	1382	2069	11945	11366	23311
नागालैण्ड	18177	21436	39613	513	870	1383	18690	22306	40996
ओडिशा	440409	419231	859640	83163	36900	120063	523572	456131	979703
पुदुचेरी	36279	41772	78051	2474	970	3444	38753	42742	81495
पंजाब	382470	402595	785065	41245	18761	60006	423715	421356	845071
राजस्थान	1064680	995644	2060324	43646	17244	60890	1108326	1012888	2121214
सिक्किम	30691	21230	51921	865	695	1560	31556	21925	53481
तमिलनाडु	1503758	1697570	3201328	275889	42116	318005	1779647	1739686	3519333
तेलंगाना	637333	676823	1314156	46322	40286	86608	683655	717109	1400764

राज्य	छात्र नामांकन								
	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय			स्टैंड अलोन संस्थान			कुल (विश्वविद्यालय + महाविद्यालय + स्टैंड अलोन संस्थान)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
त्रिपुरा	43339	35478	78817	514	918	1432	43853	36396	80249
उत्तराखण्ड	231524	235363	466887	14588	5183	19771	246112	240546	486658
उत्तर प्रदेश	2779741	2815462	5595203	141948	78958	220906	2921689	2894420	5816109
पश्चिम बंगाल	912157	990505	1902662	106789	49242	156031	1018946	1039747	2058693
कुल का सकल योग %	18359476 50.55%	17956761 49.45%	36316237 100.00%	1291307 65.92%	667663 34.08%	1958970 100.00%	19650783 51.34%	18624424 48.66%	38275207 100.00%

टिप्पणी: * वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई पोर्टल पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपलोड की गई सूचना पर आधारित अनंतिम में आंकड़े

सर्वाधिक कुल छात्र नामांकन के संदर्भ सर्वोच्च छह राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक हैं। यह नोट करना रूचिकर होगा कि सर्वाधिक छात्र नामांकन वाले छह राज्यों में देशभर में नामांकित कुल छात्रों के लगभग 52.64 प्रतिशत छात्र हैं। शेष 31 राज्यों संघ क्षेत्रों सहित कुल छात्र नामांकन के केवल 47.36 प्रतिशत छात्र हैं। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से इन छह राज्यों में महिला छात्र नामांकन कुल महिला नामांकन का लगभग 53.79 प्रतिशत है और इन छह राज्यों में नामांकित पुरुष छात्र देशभर में कुल पुरुष छात्रों का 52.74 प्रतिशत है।

रेखाचित्र 2.3 (i)(ख) वर्ष 2019-20 के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन



2.3 (i)(ग): स्तर-वार छात्र नामांकन

तालिका 2.3 (i)(ग)(i) वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन (नियमित और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम)

स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
पी.एच.डी.	117546	106923	224469	0.59
एम.फिल.	9099	14932	24031	0.06

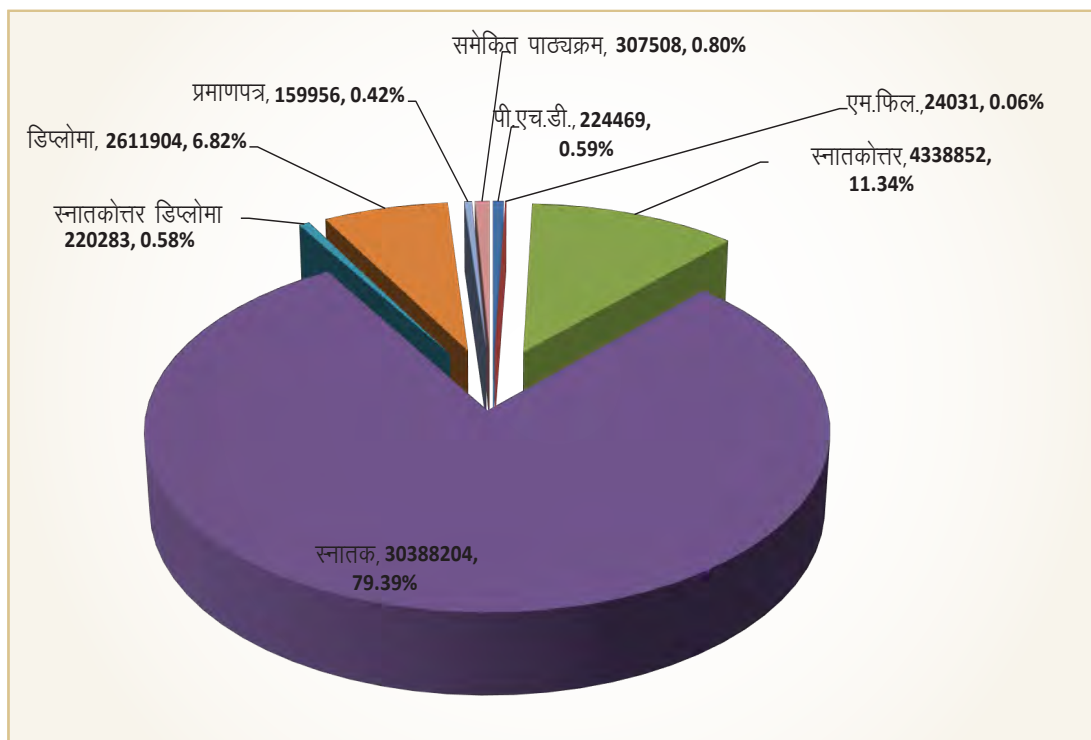
स्तर	पुरुष	महिला	कुल	कुल का प्रतिशत
स्नातकोत्तर	1890938	2447914	4338852	11.34
स्नातक	15555498	14832706	30388204	79.39
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	118237	102046	220283	0.58
डिप्लोमा	1713165	898739	2611904	6.82
प्रमाणपत्र	74304	85652	159956	0.42
समेकित पाठ्यक्रम	171996	135512	307508	0.80
कुल	19650783	18624424	38275207	100.00%

नोट: वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट स्रोत है। पूल किए गए छात्र नामांकन और स्टैंड अलोन संस्थान के डॉटा पर यूजीसी की रिपोर्ट *विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/‘ऑफ कैम्पस’ केन्द्र/मान्यताप्राप्त केन्द्र/स्टैंड अलोन संस्थान

छात्र नामांकन: शिक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतर शिक्षा (नियमित और दूरस्थ) कार्यक्रमों में नामांकन की स्थिति से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में स्नातकपूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन हुआ था। 3,82,75,207 छात्रों के कुल नामांकन में से, इसका एक बड़ा भाग अर्थात् 3,03,88,204 छात्र, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं जोकि 79.39 प्रतिशत हैं। वहीं दूसरी ओर, स्नातकपूर्व के पश्चात, 11.34 प्रतिशत छात्र, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं जोकि लगभग 43.39 लाख छात्र हैं। देश में नामांकित छात्रों का बहुत ही कम भाग अर्थात् 6.82 प्रतिशत छात्र, डिप्लोमा स्तर पर नामांकित हैं जोकि लगभग 26.11 लाख छात्र हैं और इसमें से बड़ी संख्या में छात्र अध्यापक प्रशिक्षण, नर्सिंग और तकनीकी विधाओं में नामांकित हैं। तथापि, इसमें से बहुत ही कम भाग अर्थात् 1.60 और 2.20 लाख छात्र क्रमशः प्रमाणपत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तरों पर नामांकित हैं। 3.08 लाख छात्रों में से 0.80% को एकीकृत पाठ्यक्रमों में नामित किया गया है।

लिंग संवितरण: यह देखा जा सकता है कि एम.फिल., स्नातकोत्तर और प्रमाणपत्र के अलावा लगभग सभी स्तरों पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अनुपात अधिक है। स्नातकपूर्व स्तर पर छात्र नामांकन 51 प्रतिशत पुरुष छात्र और 49 प्रतिशत महिला छात्रों का रहा है। डिप्लोमा स्तर पर 65.59 प्रतिशत पुरुष छात्र और 34.41 प्रतिशत महिला छात्रों के साथ विषम रहा है। पी.एच.डी. स्तर पर 52.37 प्रतिशत पुरुष और 47.63 प्रतिशत महिला छात्र नामांकित हैं। समेकित स्तरों पर 55.93 प्रतिशत पुरुष छात्र और 44.07 प्रतिशत महिला छात्र हैं। स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर पुरुष नामांकन 53.67 प्रतिशत और महिलाओं का नामांकन 46.33 प्रतिशत रहा है।

ग्राफ 2.3(i)(ग) वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार छात्र नामांकन*

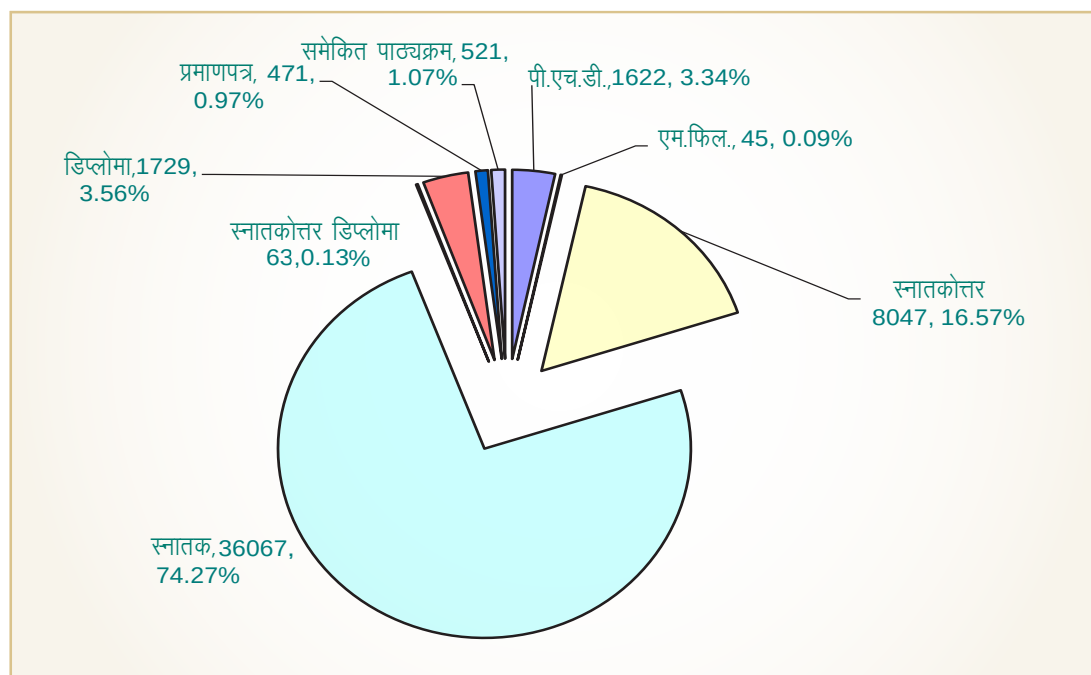


2.3 (i)(घ) विदेशी छात्र

तालिका 2.3(i)(घ): वर्ष 2019–20 के दौरान स्तरवार विदेशी छात्र नामांकन
(वर्ष 2019–20 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट में प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर डॉटाबेस)

स्तर	विदेशी छात्र		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	1269	353	1622
एम.फिल.	28	17	45
स्नातकोत्तर	5465	2582	8047
स्नातक	23752	12315	36067
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	34	29	63
डिप्लोमा	1359	370	1729
प्रमाणपत्र	82	389	471
समेकित पाठ्यक्रम	253	268	521
कुल योग	32242	16323	48565

रेखाचित्र 2.3 (i)(घ): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तरवार विदेशी छात्र नामांकन



2.4 2019 में उच्चतर शिक्षा में परीक्षा परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्र

2.4(i): वर्ष 2019 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर-वार परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्र

(आंकड़े, वर्ष 2019–20 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट में वास्तव में प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित हैं)

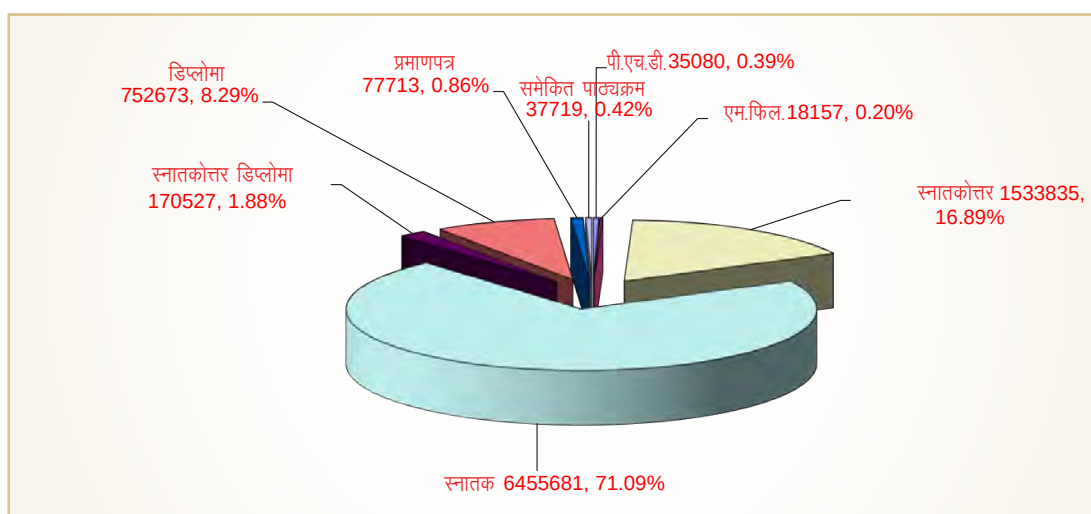
तालिका 2.4 (i)(क): वर्ष 2010 के दौरान स्तर-वार परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या स्तर परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्र

स्तर	उत्तीर्ण हुए छात्र/परीक्षा परिणाम		
	पुरुष	महिला	कुल
पी.एच.डी.	18808	16272	35080
एम.फिल.	5975	12182	18157

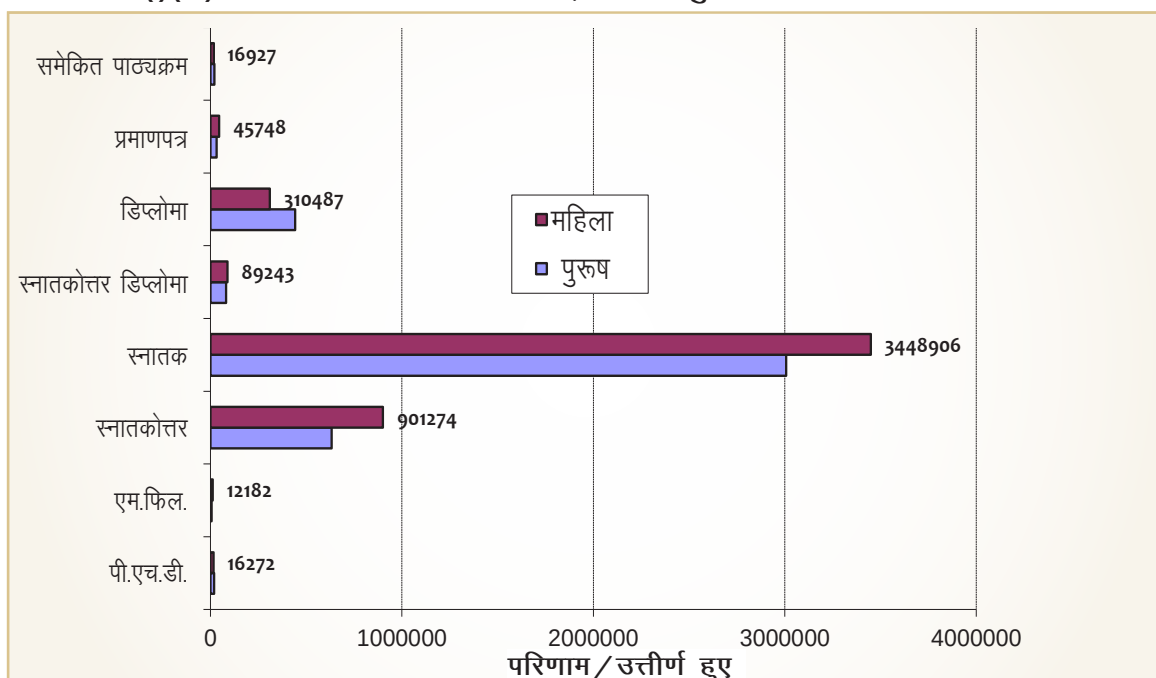
स्तर	उत्तीर्ण हुए छात्र/परीक्षा परिणाम		
	पुरुष	महिला	कुल
स्नातकोत्तर	632561	901274	1533835
स्नातक	3006775	3448906	6455681
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	81284	89243	170527
डिप्लोमा	442186	310487	752673
प्रमाणपत्र	31965	45748	77713
समेकित पाठ्यक्रम	20792	16927	37719
कुल योग	4240346	4841039	9081385

एआईएसएचई सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार, 2019 में स्नातकोत्तर स्तर पर 15.34 छात्र और स्नातक में 64.56 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए।

रेखाचित्र 2.4 (i)(क): वर्ष 2019 के दौरान स्तर वार परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या



रेखाचित्र 2.4 (i)(ख) वर्ष 2019 के दौरान परिणाम/उत्तीर्ण हुए छात्रों की स्तर-वार और लिंग-वार संख्या



तालिका 2.4(i)(ग) 2019 के दौरान उच्चतर शिक्षा में स्तर वार उत्तीर्ण हुए छात्र / परीक्षा परिणाम : मुख्य विषयवार

मुख्य विषय	पीएच.डी	एम0 फिल0	स्नातकोत्तर	पूर्वस्नातक	पीजी डिप्लोमा	डिप्लोमा	प्रमाणपत्र	समेकित	कुल योग
कृषि	2013	2	12211	49545	389	14861	3907	0	82928
अध्ययन क्षेत्र	1012	814	44900	14908	754	1252	1483	0	65123
कला	0	0	0	1962806	0	0	0	0	1962806
वाणिज्य	1826	1702	185086	911971	2086	2884	2126	0	1107681
अपराध विज्ञान / न्यायिक विज्ञान	5	0	251	262	42	48	12	0	620
संस्कृति अध्ययन	79	73	5076	2082	117	734	163	11	8335
रक्षा अध्ययन	22	20	1390	55	514	1012	86	0	3099
डिजाइन	15	0	1081	3556	504	1125	1344	0	7625
निःशक्तता अध्ययन	0	7	22	0	131	49	61	0	270
शिक्षा	1345	700	89271	630042	8044	150382	28527	9779	918090
अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी	5802	25	69431	763755	2537	337193	1751	3208	1183702
फैशन प्रौद्योगिकी	11	8	785	4798	475	2240	320	0	8637
ललित कला	327	160	2936	9971	120	4318	3845	0	21677
मत्स्य पालन	101	0	480	902	2	7	17	0	1509
फुटबियर डिजाइन	0	0	62	320	0	0	0	0	382
विदेशी भाषा	936	1918	65904	28279	1104	2342	4047	0	104530
गांधीवादी अध्ययन	28	17	211	84	8	564	1735	3	2650
गृह विज्ञान	229	36	4531	15452	495	375	1658	0	22776
अतिथि सत्कार और पर्यटन	0	0	320	2616	272	405			3613
भारतीय भाषा	2208	2125	121062	63767	850	720	918	1	191651
सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर	700	856	66627	206294	66514	75561	6597	1774	424923
पत्रकारिता और जन संचार	139	73	6950	6593	1242	804	172	0	15973
विधि	375	19	10450	81716	4666	2085	520	15673	115504
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	194	83	6309	20124	456	2922	1646	0	31734
भाषा विज्ञान	164	203	92	4350	49	245	413	0	5516
प्रबंधन	1884	469	227516	143664	48856	4966	2205	2044	431604
समुद्री साइंस/समुद्र विज्ञान	43	13	389	352	2	25	45	0	869
चिकित्सीय विज्ञान	3083	447	76643	236869	3459	133143	4516	690	458850
ओरिएंटल शिक्षा	287	175	11154	22869	297	707	1451	0	36940
पैरामेडिकल साइंस	0	0	69	1647	0	1906	394	0	4016
शारीरिक शिक्षा	170	166	4382	19593	17997	1932	1211	0	45451
धार्मिक अध्ययन	132	37	1506	1323	182	271	56	0	3507
विज्ञान	6538	2803	169583	1012739	3329	3861	2231	2892	1203976
सामाजिक विज्ञान	4759	4946	321205	214220	4407	1205	3845	1642	556229
सामाजिक कार्य	148	222	19965	13920	461	76	266	0	35058
पशु चिकित्सा विज्ञान	443	0	1689	3017	48	2262	0	0	7459
महिला अध्ययन	62	38	4296	1220	118	191	145	2	6072
कुल	35080	18157	1533835	6455681	170527	752673	77713	37719	9081385

* अंतिम आंकड़े एआईएसएचई पोर्टल 2019 -20 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

2.5 शिक्षण कर्मचारी : विश्वविद्यालय और महाविद्यालय : 2019-20

रेखाचित्र 2.5 (i) वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मौजूदा शिक्षकों की राज्य-वार संख्या

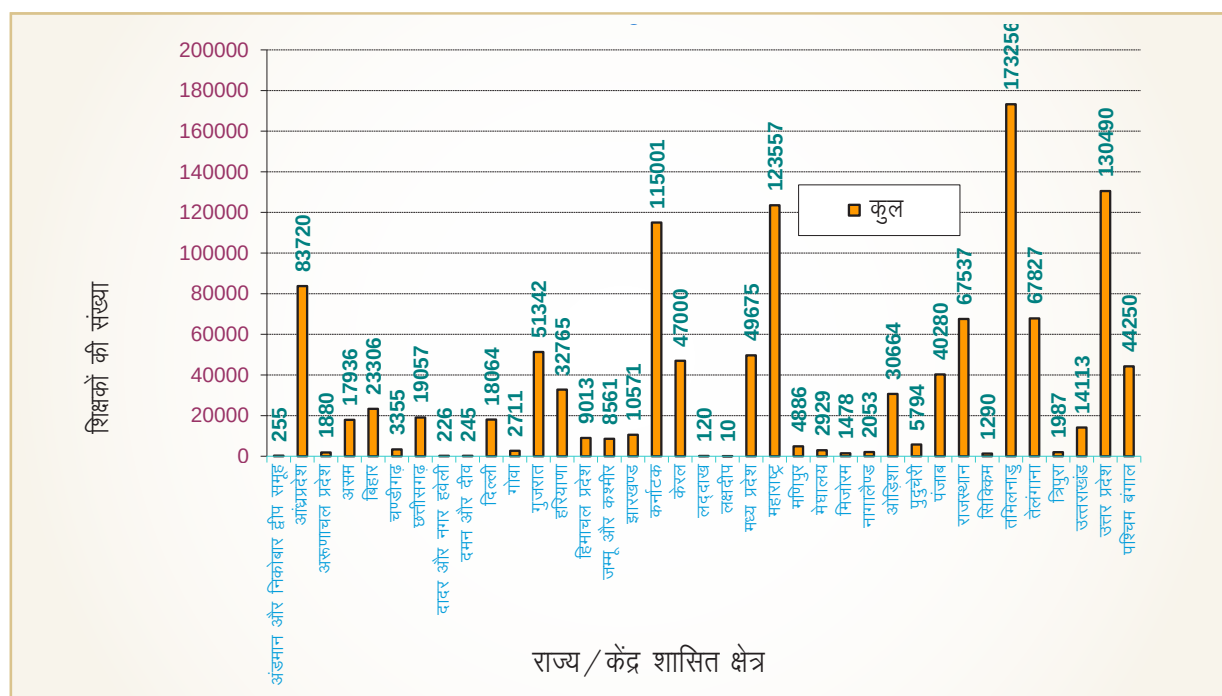
राज्य	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	255	255
आंध्र प्रदेश	6863	76857	83720
अरुणाचल प्रदेश	1022	858	1880
असम	3623	14313	17936
बिहार	2480	20826	23306
चण्डीगढ़	1628	1727	3355
छत्तीसगढ़	2424	16633	19057
दादरा और नगर हवेली	0	226	226
दमन और दीव	0	245	245
दिल्ली	5675	12389	18064
गोवा	257	2454	2711
गुजरात	6752	44590	51342
हरियाणा	7860	24905	32765
हिमाचल प्रदेश	2609	6404	9013
जम्मू और कश्मीर	2165	6396	8561
झारखण्ड	2312	8259	10571
कर्नाटक	12852	102149	115001
केरल	2321	44679	47000
लद्दाख	34	86	120
लक्षदीप	0	10	10
मध्य प्रदेश	8126	41549	49675
महाराष्ट्र	7769	115788	123557
मणिपुर	612	4274	4886
मेघालय	986	1943	2929
मिजोरम	275	1203	1478
नागालैण्ड	418	1635	2053
ओड़िशा	5224	25440	30664
पुदुचेरी	1047	4747	5794
पंजाब	10079	30201	40280
राजस्थान	12300	55237	67537
सिक्किम	376	914	1290
तमिलनाडु	22923	150333	173256
तेलंगाना	3081	64746	67827

राज्य	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
त्रिपुरा	379	1608	1987
उत्तराखंड	4751	9362	14113
उत्तर प्रदेश	19517	110973	130490
पश्चिम बंगाल	7418	36832	44250
अखिल भारत	166158	1041046	1207204

* एआईएसएचई पोर्टल 2019-20 में वास्तविक प्रतिक्रिया पर आधारित अनंतिम आंकड़े (रिपोर्ट में 138 शिक्षण पदों को संस्वीकृति दी गई और मौजूदा पद)

एआईएसएचई 2019-20 के अनुसार, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मौजूदा शिक्षकों की कुल संख्या 12,07,204 है।

रेखाचित्र 2.5 (i) वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मौजूदा शिक्षकों की राज्य-वार संख्या



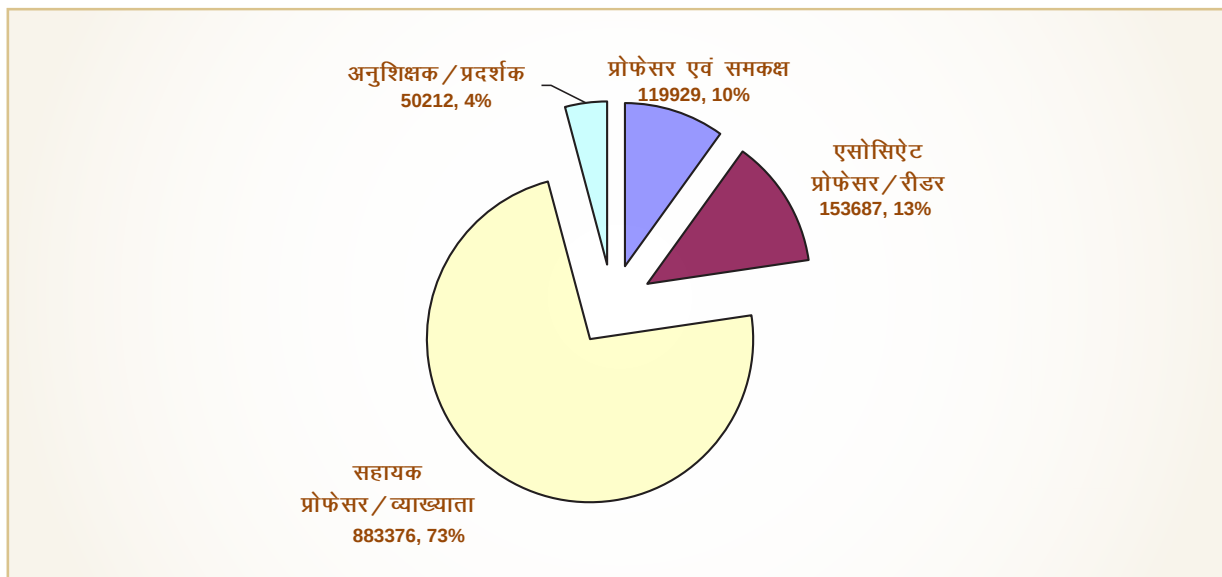
तालिका 2.5 (ii) वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों# का पदनाम-वार संवितरण

पदनाम	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	कुल
आचार्य और उनके समकक्ष+	33325	86604	119929
उपाचार्य और सह-आचार्य	26367	127320	153687
रीडर/सहायक आचार्य	101955	781421	883376
ट्यूटर/डेमोन्स्ट्रेटर	4511	45701	50212
कुल योग	166158	1041046	1207204

+उप-कुलापति, निदेशक, प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक शामिल हैं, जो आचार्य के समकक्ष और उनसे ऊपर के पद के हैं। विजिटिंग शिक्षक शामिल नहीं है।

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए एआईएसएचई पोर्टल में वास्तव में प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित है)

रेखाचित्र 2.5(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पद-वार शिक्षकों की संख्या



► विश्वविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं एवं सहायता

- ❖ 3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता
- ❖ 3.2 केंद्रीय विश्वविद्यालय
- ❖ 3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
- ❖ 3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान
- ❖ 3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

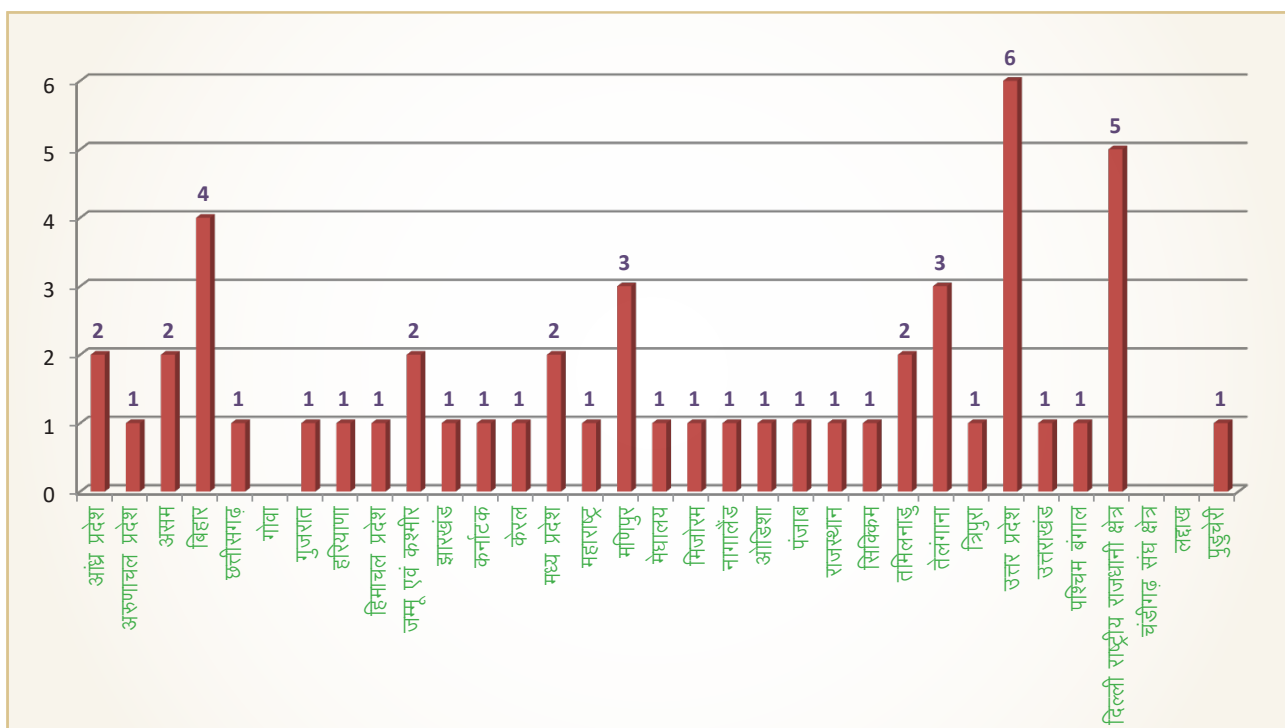
यूजीसी प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए विभिन्न पहलुओं अर्थात् पहुँच को बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम प्रदान करने, छात्रों के लिए सुविधाएं/बढ़ाने, विश्वविद्यालय की अनुसंधान सुविधाओं और अन्य योजनाओं में वृद्धि को शामिल करके उनकी सहायता करते हैं।

3.2 केंद्रीय विश्वविद्यालय

भारत में **केंद्रीय विश्वविद्यालय** संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। आठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर जो अन्य मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे जिनमें से 9 विश्वविद्यालयों अर्थात् केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई (iv) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-75, पौज बांध के निकट, ग्वालियर रोड, झांसी (उत्तर प्रदेश)-284 003 (viii) डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौतरुक, मणिपुर-795 146 को यूजीसी द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है और इसलिए इन नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। अतः यूजीसी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय 2 और तालिका 2.2 (i)(च) (i) में दी गई है

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या : 2019-20



3.2(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान के अंतर्गत अनुदान

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में वर्ष 2019-2020 के बजट के विभाजन को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.2(i)(क): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बजट आवंटन

मद	बजट आवंटन (रु. लाख में)			
	आवर्ती (31)	पूँजीगत परिसंपत्ति (35)	वेतन (36)	कुल
1	2	3	4	5
गैर-एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय				
गैर-एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	171699	29300	439150	640149
गैर-एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ईडब्ल्यूएस अनुदान	6585	0	5528	12113
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय				
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	28726	8200	85000	652262
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ईडब्ल्यूएस अनुदान	1053	0	2098	3151
आईएमएस-बीएचयू को अनुदान	5000	1000	7500	13500
आंध्र प्रदेश				
आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान	425	600	200	1225
आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को अनुदान	150	500	100	750
कुल	213638	39600	539576	729814

तालिका 3.2(i)(ख) वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति
(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)		पूँजीगत परिसंपत्तियां (35)	
		यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान	यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान	यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	42-50	42-50	20-00	20-00	0-00	0-00
3	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	765-72	765-72	2900-00	2900-00	1475-00	1475-00
4	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	533-04	533-04	1300-00	1300-00	525-00	525-00
5	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	1714-94	1714-94	5600-70	5600-70	920-00	920-00
6(क)	दिल्ली विश्वविद्यालय	20388-24	20388-24	37000-00	37000-00	1100-00	1100-00
6(ख)	यूसीएमएस	1902-05	1902-05	13073-80	13073-80	300-00	300-00
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	7190-82	7190-82	28000-00	28000-00	1000-00	1000-00
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	13197-77	13197-77	26500-00	26500-00	1100-00	1100-00
9	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	579-28	579-28	1287-47	1287-47	550-00	550-00
10	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1390-00	1390-00	1513-29	1513-29	975-00	975-00
11	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	747-97	747-97	1589-62	1589-62	300-00	300-00
12	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1419-52	1419-52	2100-00	2100-00	1425-00	1425-00
13	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	264-94	264-94	1345-29	1345-29	895-00	895-00
14	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	637-50	637-50	2013-08	2013-08	775-00	775-00
15	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	600-16	600-16	1715-00	1715-00	920-00	920-00
16	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1452-56	1452-56	2200-00	2200-00	920-00	920-00
17	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	4741-67	4741-67	9000-00	9000-00	1252-00	1252-00
18	आईजीएन जनजातीय विश्वविद्यालय	1858-32	1858-32	2966-04	2966-04	975-00	975-00
19	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय	1312-86	1312-86	2376-53	2376-53	625-00	625-00
20	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	720-63	720-63	254-48	254-48	575-00	575-00
21	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	922-50	922-50	1379-54	1379-54	720-00	720-00
22	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	3847-62	3847-62	13277-06	13277-06	1325-00	1325-00
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1117-41	1117-41	2684-58	2684-58	723-00	723-00
24	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1124-08	1124-08	1900-00	1900-00	1075-00	1075-00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)		पूँजीगत परिसंपत्तियाँ (35)	
		यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान	यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान	यूजीसी द्वारा आवंटन	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
25	एमएएन उर्दू विश्वविद्यालय	2630-27	2630-27	11000-00	11000-00	475-00	475-00
26	हैदराबाद विश्वविद्यालय	6647-26	6647-26	20278-77	20278-77	1000-00	1000-00
27	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	2069-13	2069-13	6681-80	6681-80	675-00	675-00
28	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय	1374-45	1374-45	11854-19	11854-19	900-00	900-00
29	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	30400-00	30400-00	86000-00	86000-00	1600-00	1600-00
30	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	33991-54	33991-54	87449-57	87449-57	1875-00	1875-00
31	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	1182-13	1182-13	4800-00	4800-00	625-00	625-00
32	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	14108-18	14108-18	28109-19	28109-19	800-00	800-00
33	विश्व भारती	10866-44	10866-44	21000-00	21000-00	900-00	900-00
	कुल (गैर-एनईआर विश्वविद्यालय)	171741-50	171741-50	439170-00	439170-00	29300-00	29300-00
34	असम विश्वविद्यालय	3689-90	3689-90	12808-92	12808-92	850-00	850-00
35	तेजपुर विश्वविद्यालय	1974-01	1974-01	7801-51	7801-51	1150-00	1150-00
36	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2692-24	2692-24	6208-34	6208-34	1050-00	1050-00
37	मणिपुर विश्वविद्यालय	4292-17	4292-17	5968-80	5968-80	770-50	770-50
38	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	4520-18	4520-18	19636-15	19636-15	650-00	650-00
39	मिजोरम विश्वविद्यालय	3832-55	3832-55	13283-26	13283-26	1050-00	1050-00
40	नागालैंड विश्वविद्यालय	2707-79	2707-79	9649-07	9649-07	1079-50	1079-50
41	सिक्किम विश्वविद्यालय	1949-98	1949-98	3536-51	3536-51	1050-00	1050-00
42	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	3067-19	3067-19	6107-44	6107-44	550-00	550-00
	कुल (एनईआर विश्वविद्यालय)	28726-01	28726-01	85000-00	85000-00	8200-00	8200-00
	कुल	200467-51	200467-51	524170-00	524170-00	37500-00	37500-00

तालिका 3.2(i)(ग) वर्ष 2019-2020 के लिए आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बीएचयू को जारी किया गया अनुदान: —
(रु. लाखों में)

वर्ष 2019-2020 के दौरान जारी किया गया अनुदान					
वेतन		आवर्ती		पूँजीगत परिसंपत्ति	
आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
7500.00	7500.00	5000.00	5000.00	1000.00	1000.00

3.2(ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा वित्त पोषित योजनाएं

3.2(ii)(क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएच. डी. के लिए गैर-नेट अध्येतावृत्ति की योजना। आयोग की 27 दिसंबर, 2006 को हुई 433वीं बैठक में आयोग की मंजूरी मिलने के बाद 2006-2007 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-नेट अध्येतावृत्ति योजना आरंभ हुई। 27 जनवरी, 2009 की बैठक में मद सं. 5.06 द्वारा आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 2009 में अध्येतावृत्ति की दर संशोधित की गई थी।

(i)	पूर्णकालिक पीएच.डी. के लिए अध्येतावृत्ति	रु.8000 प्रति माह
(ii)	पूर्णकालिक एम.फिल के लिए अध्येतावृत्ति	रु.5000 प्रति माह
(iii)	आकस्मिक व्यय	विज्ञान विषयों के लिए रु.10,000/- और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए रु. 8000/- प्रति वर्ष

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 के दौरान सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रु.144.84 करोड़ की राशि जारी की गई है।

3.2(ii)(ख) अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमियों के लिए कोचिंग योजना

चूंकि यूजीसी की उपचारात्मक कोचिंग और सेवाओं में प्रवेश की योजना का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ है, अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 'आवासीय कोचिंग अकादमियों' की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में की गई थी।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का उद्देश्य समान विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है जिसमें अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करके, मुफ्त/नाममात्र शुल्क के साथ छात्रावास सुविधाएं, केंद्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों और आईआईटी/मेडिकल महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपरोक्त श्रेणी की ट्यूशन फीस के बिना सकारात्मक कार्रवाई करने पर बल दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 2019-2020 के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया को रु.48.13 लाख की राशि जारी की गई है।

3.2(ii)(ग) शिक्षकों को 15000/- रुपये का विशेष मानदेय जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान चार निर्दिष्ट विज्ञान शिक्षाविदों में से कम से कम दो के अध्येता (फेलो) हैं।

यूजीसी ने उन शिक्षकों को 15,000/- रुपये प्रति माह के विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है, जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या जो यूजीसी द्वारा चिन्हित निम्नलिखित चार अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता (फेलो) हैं:

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलोर
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली

एक शिक्षक केवल एक मानदेय का लाभ ले सकता है, एक से अधिक नहीं अर्थात् या तो सीएसआईआर से भटनागर पुरस्कारी के रूप में या यूजीसी योजना के रूप में।

वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत बीएचयू को 23.45 लाख रुपये जारी किए गए।

3.2(ii)(घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

यूजीसी उन सभी विश्वविद्यालयों को धन उपलब्ध करा रहा है जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत आते हैं और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना और सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, XII योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना और सुदृढीकरण व्यय को पूरा करने के लिए, यूजीसी प्रत्येक विश्वविद्यालय को रु.5.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है (कुल सहायता को 90% और 10% की दो किस्तों में जारी किया जाना है)। व्यय निम्नलिखित मदों पर किया जा सकता है: –

क्र. सं.	अनुदान का उद्देश्य	राशि (रु. में)
1	निदेशक/समन्वयक, आईक्यूएसी को @रु. 1000x12x5 मानदेय	160,000/-
2	दफ्तर के उपकरण	1,00,000/-
3	सचिवीय और तकनीकी सेवाओं के लिए सेवाएं किराए पर लेना	1,80,000/-
4	आईसीटी संचार व्यय	80,000/-
5	आकस्मिक व्यय	80,000/-
	कुल	5,00,000/-

3.2(ii)(ङ) विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावास का निर्माण

महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने और बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने, साथ ही लिंग की समानता और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए, यूजीसी विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है: –

(राशि लाख रु. में)

महिलाओं का नामांकन	गैर-महानगर	महानगर/विशिष्ट श्रेणी राज्य*
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

* विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

3.2(ii)(च) लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना

यूजीसी ने योजना के निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं के केंद्र स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की:

1. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित अंतर विभागीय और अंतरविषयक अनुसंधान करना।
2. अत्याधुनिक बोली एवं भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए छोटी लुप्तप्राय भाषाओं के फील्डवर्क, अनुसंधान, विश्लेषण, अभिलेखीकरण और प्रलेखन कार्य उन प्रारूपों में करना, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो अर्थात् डिजिटल पाठ, श्रव्य और दृश्य प्रारूप।
3. मोनोग्राफ, व्याकरण, व्याकरणिक रेखाचित्र, शब्दकोश और लेक्सिकॉन, एथनो-भाषाई और सैद्धांतिक विवरण, मौखिक और लोक साहित्य का संग्रह और लुप्तप्राय भाषाओं पर विद्वानों की पुस्तकों का निर्माण करना एवं प्रकाशित करना।
4. अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय भाषाओं के विशेष संदर्भ के साथ भाषा और बोली का निर्माण करना।

5. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित उन्नत अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करना।
6. फील्ड भाषाविज्ञान, कोश रचना और डेटा प्रबंधन एवं प्रलेखन की तकनीकों में अन्य विभागों/केंद्रों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना। फील्ड भाषाविज्ञान को केंद्र का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए।
7. केंद्र को केंद्र के अनुसंधान की सामग्री, अर्थात् भाषाई डेटा, भाषा शिक्षण सामग्री, और भाषा कलाकृतियों के डिजिटल और अनुरूप अभिलेखागार तक पहुंच बनाकर स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा समुदायों की सेवा करनी चाहिए।
8. भाषा की जीवन शक्ति को बनाए रखने और संरक्षित करने में अल्पसंख्यक/लुप्तप्राय भाषा समुदायों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लिपियों का प्रचार करना और बढ़ावा देना, जिसमें लिपियों, पत्रों और प्राइमरों की पुस्तक जैसे ऑर्थोग्राफिक संसाधनों का विकास शामिल है।
9. केंद्र में अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए डाटा को डिजिटाइज करना और इसे इंटरनेट द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराना।
10. प्रारंभिक चरणों में, यह केंद्र विश्वविद्यालय में भाषा, भाषाविज्ञान, लोककथाओं, नृविज्ञान और साहित्य के अन्य केंद्रों से संसाधनों (जैसे जनशक्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकें, छात्र आदि) को आकर्षित कर सकता है, लेकिन अंततः एक स्वतंत्र केंद्र बनाने की कल्पना करनी चाहिए जो पूरी तरह से लुप्तप्राय और स्वदेशी भाषाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो।

यूजीसी ने लुप्तप्राय भाषाओं के लिए निम्नलिखित 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केंद्र की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति दी है: –

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
5. केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड
6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
8. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल
9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (रु. 265.00 लाख), राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रु. 90.00 लाख) को लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्र स्थापित करने के लिए रु. 355.00 लाख का अनुदान जारी किया गया।

3.2(ii)(छ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को सुदृढ़ करना/स्थापित करना

यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित करने और विद्यालय शिक्षकों और शिक्षकों के प्रशिक्षकों को तैयार करने हेतु कार्यक्रम संचालन करने के लिए कह रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और शिक्षक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार ने यूजीसी से विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षक शिक्षा के संस्थागत सहयोग के विस्तार के लिए तत्काल कदम उठाने और उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार करने का भी अनुरोध किया। इस तरह की पहल में ऐसा ही एक पहलू देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इसी उद्देश्य के साथ यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अपने भीतर शिक्षा विद्यालय स्थापित करने और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए पत्र भेजा। इनमें पाठ्यक्रम

अनुसंधान, नीति एवं शैक्षिक विकास, ज्ञानार्जन एवं शिक्षा-विषयक अध्ययन, आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षकों के प्रशिक्षकों का व्यावसायिक विकास आदि शामिल थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफटीई), 2009 की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में सुधार करने से संबंधित एक काम करने का अनुरोध भी किया गया था।

यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा के विस्तार और सुदृढीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके लिए विभिन्न शिक्षण और शिक्षणोत्तर पदों के लिए स्वीकृति दी गई थी। यूजीसी ने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सुधार संबंधी पहल को भी सुदृढ किया है, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों से शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या (refresher) और उन्मुखीकरण (orientation) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कराने, शिक्षक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ करने और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्तमान में 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवा-पूर्व और अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले स्कूल/शिक्षा विभाग हैं और उन्होंने शिक्षक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों के प्रावधान के लिए भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

3.2(ii)(छ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग की स्थापना

स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और अनुशासन को प्रोत्साहन देने के माध्यम के रूप में योग के महत्व को भली भांति जाना जाता है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि युवाओं को अच्छा नागरिक बनाने, जो ज्ञानी, आत्मविश्वासी, संतुलित हैं और जिनका सुदृढ चरित्र है और जिनमें नेतृत्व की विशेषताएं हैं, उन्हें अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में योग की कला और विज्ञान के संपर्क में आने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

मानव स्वास्थ्य और व्यवहार पर योग के वास्तविक जैविक प्रभावों पर मुख्य शाखा अनुसंधान की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। यह अत्यावश्यक है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग और ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के वैज्ञानिक साक्ष्यों को पुष्ट करने में स्वयं को शामिल करें। योग में शिक्षा और अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योग केंद्र/विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य

- (i) योग के अध्ययन का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ पारंपरिक योग का गूढ़ ज्ञान प्रदान करना है।
- (ii) योग के विभिन्न पहलुओं में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित पाठ्यक्रम प्रारंभ करना।
- (iii) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर पर योग के पाठ्यक्रमों के अनुक्रम को तैयार करना।
- (iv) विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कारपोरेट संगठनों, केंद्रीय सेवाओं और धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास वाले सभी आयु वर्ग के इच्छुक लोगों को योग सिखाने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति तैयार करना।
- (v) योग की शिक्षण विधियों और विभिन्न क्षेत्रों में योग के अनुप्रयोग का गहन ज्ञान प्रदान करना।
- (vi) अनुप्रयुक्त मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, वैकल्पिक उपचारों जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्जूप्रेसर और योग के संगत सैद्धांतिक और वैज्ञानिक शास्त्रीय योग ग्रंथों और योग चिकित्सा का गहन ज्ञान प्रदान करना ताकि उन्हें योग के सैद्धांतिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके।
- (vii) योग में अनुसंधान को बढ़ावा देना
- (viii) योग के स्नातकोत्तर छात्रों को स्वरोजगार के रूप में अपने स्वयं के योग केंद्रों की स्थापना करने और जनता के बीच स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना।

यूजीसी ने निम्नानुसार 8 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग को स्वीकृति प्रदान की:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय।
2.	विश्व भारती
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय
7.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
8.	हरियाणा, केंद्रीय विश्वविद्यालय

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं हुआ।

3.2(iii) 2022 तक शिक्षा में अवसंरचना एवं प्रणाली को पुनः सशक्त बनाने (आरआईएसई) हेतु वित्तपोषित करने के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी का विस्तार

केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त-बजटीय संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गैर-लाभकारी, गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में 31 मई 2017 को उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई है।

2022 तक शिक्षा में अवसंरचना एवं प्रणालियों को पुनः सशक्त बनाना

आरआईएसई का 2022 तक बाजार में उपलब्ध संसाधन उपलब्ध कराकर उद्देश्यों को कार्य योजना में रूपांतरित करने का प्रयास है। सभी संस्थानों, विशेष रूप से 2014 के पश्चात स्थापित संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सीमित आंतरिक संसाधनों वाले लोगों, और विद्यालय शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा की अवसंरचना जैसे एम्स, केन्द्रीय विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने एचईएफए के अंतर्गत वित्तपोषण और फंड के मूल भाग को चुकाने के तौर-तरीकों (इन सभी मामलों में सरकारी अनुदान के माध्यम से ब्याज जारी रखा जाता है) के लिए निम्नलिखित पांच विंडो के लिए स्वीकृति दे दी है:

- नव स्थापित संस्थान (2014 के पश्चात आरंभ हुए) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शुल्क संशोधन/आंतरिक संसाधन सृजन करने के लिए बहुत कम गुंजाइश वाले अन्य संस्थान: अनुदान मूल और ब्याज सहित ऋण के पूर्ण शोधन के लिए प्रदान किया जाएगा।
 - अन्य शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदान प्राप्त संस्थान: सभी नव स्थापित एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थान, केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों को वित्त पोषित किया जाएगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय संस्थान को पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित करके मूल एवं ब्याज के पूरे शोधन के लिए प्रतिबद्ध होगा।
 - 2014 से पूर्व आरंभ हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय: आंतरिक संसाधनों से मूल भाग का 10% चुकाना, और मूल भाग के शेष के लिए अनुदान प्राप्त करना।
 - 2008 और 2014 के बीच आरंभ हुए तकनीकी संस्थान: आंतरिक संसाधनों से मूल भाग का 25% चुकाना, और मूल भाग के शेष के लिए अनुदान प्राप्त करना।
- अ. 10 वर्ष से अधिक पुराने तकनीकी संस्थान: आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से पूरे मूल भाग को चुकाना

एचईएफए की क्रेडिट पॉलिसी में शामिल परियोजनाओं की एक नकारात्मक सूची होगी, ताकि वित्तपोषण के लिए केवल आवश्यक परियोजनाएं आरंभ की जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम, राजस्व सृजन की रणनीति, बनाई गई परिसंपत्तियों से राजस्व सृजन और निलंब संपत्ति (एस्करो) तंत्र शामिल होंगे। नीति आयोग सहित हितधारक मंत्रालयों/संगठनों द्वारा निगरानी के लिए डैशबोर्ड सहित एक परियोजना निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।

3.2(iv) प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नैक का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा में पारदर्शी और सूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन और प्रत्यायन, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के प्रभावी माध्यम हैं, जो छात्रों और अन्य लोगों के लिए संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ का एक सामान्य ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे छात्र को संस्थानों, घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गतिशीलता में सहायता मिलती है।

किसी संस्थान में अकादमिक कार्यक्रमों को आरंभ करने से पहले मूल्यांकन किया जाता है। किसी संस्थान के अस्तित्व के कुछ वर्षों (6 वर्ष) / निश्चित संख्या में बैचों (दो बैच) के पास आउट होने, जो भी पहले हो, के पश्चात प्रत्यायन किया जाता है।

यूजीसी ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या उसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केंद्र या अन्य कोई इकाइयाँ, जो भी नाम हो, इसकी योजनाओं के लिए 1 अप्रैल, 2016 से आयोग से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 या इससे पहले मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नहीं कराया हो।

42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से, 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त किया है।

1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात्, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने प्रत्यायन पहले प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है और अब पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है। 3 नव स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय (अर्थात् महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम) प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय वार मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की 31.03.2020 को स्थिति निम्नानुसार है:-

I प्रत्यायन प्राप्त = 38

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	वैधता अवधि
1	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.77	ए++	30.10.2022
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय (चरण 2) (7 वर्ष की वैधता)	3.72	ए++	20.02.2021
3	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.41	ए+	02.03.2020
4	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.35	ए+	02.03.2020
5	दिल्ली विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.28	ए+	30.11.2023
6	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.26	ए+	25.05.2021
7	तेजपुर विश्वविद्यालय (चरण 3)	3.25	ए	11.07.2021
8	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (चरण 3)	3.20	ए	09.06.2022
9	मिजोरम विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.16	ए	20.05.2025
10	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.11	ए	29.03.2021
11	केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा (चरण 1)	3.10	ए	28.03.2022
12	जामिया मिलिया इस्लामिया (चरण 1)	3.09	ए	02.03.2020
13	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (चरण 2)	3.09	ए	25.05.2021
14	पांडिचेरी विश्वविद्यालय (चरण 4)	3.09	ए	02.11.2023
15	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.06	ए	02.03.2020
16	केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.06	ए	25.05.2021
17	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (चरण 3)	3.04	ए	24.07.2020
18	मणिपुर विश्वविद्यालय (चरण 2)	3.02	ए	16.12.2021
19	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	03.04.2020
20	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	25.05.2021

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	वैधता अवधि
21	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	3.01	ए	15.09.2021
22	असम विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.92	बी++	09.12.2019
23	केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.88	बी++	30.10.2022
24	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.86	बी++	31.03.2024
25	विश्व भारती (चरण 1)	2.82	बी++	10.05.2020
26	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	25.05.2021
27	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	05.11.2021
28	कश्मीर विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.80	बी++	30.10.2022
29	केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (चरण 1)	2.78	बी++	02.05.2022
30	केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु (चरण 1)	2.78	बी++	15.09.2021
31	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.76	बी++	05.11.2021
32	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.76	बी++	05.11.2021
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.63	बी+	15.11.2020
34	सिक्किम विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.60	बी+	24.07.2020
35	केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा (चरण 1)	2.59	बी+	30.10.2022
36	नागालैंड विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.58	बी+	09.07.2019
37	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (चरण 2)	2.40	बी	24.07.2020
38	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण 1)	2.34	बी	14.07.2024

II नैक स्वीकृति वैधता पूर्ण की = 1

1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (चरण 2) (पुनः प्रत्यायन-पहले चरण के लिए आवेदन किया)	2.72	बी	20.02.2019

III नैक प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं = 3

क्र सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी
2	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर
3	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम

3.2(v) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के प्रवेश हेतु इसके तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार आरक्षण कार्यान्वित किया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 17 जनवरी, 2019 के का.ज्ञा. संख्या 20013/01/2018-बीसी-II में निहित निर्देशों के अनुसार होगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

- केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, (जैसा कि शैक्षिक वर्ष 2019-20 से केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 धारा(2) के खंड (घ) में परिभाषित किया गया है।
- प्रत्येक केंद्रीय शिक्षण संस्थान उपयुक्त प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से (जैसा कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड 1 में परिभाषित किया गया है) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में अपनी वार्षिक

अनुमत संख्या से अधिक सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा ताकि इस का. ज्ञा. के लागू होने की तारीख से तुरंत पहले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को छोड़कर, से कम नहीं हो।

- iii) जहां, किसी भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के प्रतिवेदन पर, उपयुक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वित्तीय, भौतिक या अकादमिक सीमाओं के कारण या शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद अकादमिक सत्र के लिए अध्ययन या संकाय की किसी भी शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है, यह ऐसे संस्थान को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अनुमत संख्या को अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और फिर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा उस शैक्षणिक सत्र के लिए इस तरह से सीमित होगी कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई गई सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के प्रतिशत में कमी नहीं आएगी।
- iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने की योजना को यथाशीघ्र संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन 31 मार्च, 2019 से पहले।

तदनुसार, यूजीसी ने सभी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध किया है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्यान्वित किया जाए।

इसी तरह, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने का. ज्ञा. सं. मि. 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण) दिनांक 19 जनवरी, 2019 के माध्यम से केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण अधिसूचित किया गया है और 01.02.2019 को या इसके पश्चात अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्ती रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में यूजीसी ने अपने पत्र संख्या मि. 25-4/2007 (सीयू) पार्ट फाइल दिनांक 20 मार्च, 2019 द्वारा उपरोक्त निर्णय का विस्तार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कर दिया है।

इस योजना के अंतर्गत 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 152.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान ईडब्ल्यूएस अनुदान का केंद्रीय विश्वविद्यालय वार विवरण निम्नानुसार दिया है: —

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ईडब्ल्यूएस अनुदान		
		आवर्ती	वेतन	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	131.00	42.00	173.00
2	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	29.00	4.00	33.00
3	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	141.00	122.00	263.00
4	दिल्ली विश्वविद्यालय	746.00	1546.00	2292.00
4ए	यूसीएमएस	0.00	0.00	0.00
5	जामिया मिलिया इस्लामिया	0.00	0.00	0.00
6	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	613.00	246.00	859.00
7	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	44.00	76.00	120.00
8	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	27.00	50.00	77.00
9	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	7.00	76.00	83.00
10	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	162.00	76.00	238.00
11	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	289.00	13.00	302.00
12	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	135.00	25.00	160.00
13	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	39.00	44.00	83.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ईडब्ल्यूएस अनुदान		
		आवर्ती	वेतन	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	243.00	107.00	350.00
15	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	31.00	164.00	195.00
16	आईजीएन जनजातीय विश्वविद्यालय	274.00	107.00	381.00
17	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय	270.00	69.00	339.00
18	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	47.00	6.00	53.00
19	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	99.00	76.00	175.00
20	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	279.00	94.00	373.00
21	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140.00	63.00	203.00
22	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	151.00	69.00	220.00
23	एमएएन उर्दू विश्वविद्यालय	106.00	186.00	292.00
24	हैदराबाद विश्वविद्यालय	513.00	70.00	583.00
25	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	109.00	44.00	153.00
26	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय	83.00	189.00	272.00
27	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
28	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	980.00	1215.00	2195.00
29	बीबीएयू	48.00	82.00	130.00
30	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	523.00	390.00	913.00
31	विश्व भारती	326.00	277.00	603.00
	कुल-I	6585.00	5528.00	12113.00
32	असम विश्वविद्यालय	74.00	109.00	183.00
33	तेजपुर विश्वविद्यालय	213.00	49.00	262.00
34	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	76.00	100.00	176.00
35	मणिपुर विश्वविद्यालय	215.00	240.00	455.00
36	उत्तर पूर्वी पर्वतीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय	256.00	451.00	707.00
37	मिजोरम विश्वविद्यालय	63.00	817.00	880.00
38	नागालैंड विश्वविद्यालय	111.00	120.00	231.00
39	सिक्किम विश्वविद्यालय	19.00	103.00	122.00
40	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	26.00	109.00	135.00
	कुल-II	1053.00	2098.00	3151.00
	कुल योग (I+II)	7638.00	7626.00	15264.00

3.2(vi) उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए ग्रेडेड स्वायत्तता

सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, जिससे उच्चतर शैक्षिक संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकते हैं, उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए स्वायत्तता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नियामक तंत्र ने इस आवश्यकता को स्वीकार किया है और इस दिशा में यूजीसी (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने (केवल) के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण) विनियम, 2018 को 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) को स्वायत्तता प्रदान करना है।

इन विनियमों के अंतर्गत, जिन विश्वविद्यालयों का नैक स्कोर 3.51 या उससे अधिक है या जिन्होंने यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से इसी के अनुरूप स्कोर/ग्रेड प्राप्त किया है या प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें **श्रेणी-I** में रखा गया है। 3.26 और उससे अधिक, 3.50 तक, नैक स्कोर वाले विश्वविद्यालयों को या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से इसी के अनुरूप प्रत्यायन ग्रेड/स्कोर प्राप्त किया है, उन्हें **श्रेणी-II** में रखा गया है। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें **श्रेणी-III** में रखा गया है।

निम्नलिखित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान की गई है:

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी-I	श्रेणी-II
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	I	
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	I	
3.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी		II
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़		II
5.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, तेलंगाना		II
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	I	

3.2(vii) एनआईआरएफ रैंकिंग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ) को स्वीकृति प्रदान की थी और 29 सितंबर, 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था।

यह रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है। इस कार्यप्रणाली में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों को चिन्हित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर समिति द्वारा व्यापक समझ से की गई समग्र सिफारिशों से रैंकिंग तैयार करती है। मापदंड मोटे तौर पर 'शिक्षण, ज्ञानार्जन और संसाधन,' 'अनुसंधान और व्यावसायिक संव्यवहार' 'स्नातक परिणाम,' 'बाह्य पहुँच और समावेशन,' और 'धारणा' को शामिल करते हैं।

इस रूपरेखा के आधार पर 4 अप्रैल 2016 को भारत रैंकिंग-2016 जारी की गई थी।

भारत रैंकिंग – 2017 के लिए, मुख्य रैंकिंग मापदंड समान रहे। हालांकि, कुछ उप-मापदंडों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। साथ ही, इस वर्ष हर बड़े संस्थान को एक सामान्य समग्र रैंक के साथ-साथ विषय विशिष्ट रैंक भी दिया जाएगा, जैसा लागू हो। रैंकिंग दस्तावेज के विवरण https://www.nirfindia.org /Docs/ Ranking_Methodology_And_Metrics_2017.pdf पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) इस वार्षिक अभ्यास के पांचवें संस्करण भारत रैंकिंग 2020 की घोषणा करने की प्रक्रिया में है और इसे पूरे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भारी प्रतिक्रिया मिली है। संस्थानों की समग्र रैंकिंग सहित इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रबंधन, वास्तुकला, विधि, चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा और कृषि जैसे विभिन्न विषयों में संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को प्रतिभागी संस्थानों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइटों में होस्ट किया गया है। भारत रैंकिंग 2020 में डाटा जमा करने वाले संस्थानों की सूची हमारी वेबसाइट www.nirfindia.org पर उपलब्ध है। संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर 10 फरवरी 2020 से 17 फरवरी 2020 तक शाम पांच बजे तक इस विज्ञापन के माध्यम से हितधारकों की टिप्पणियां/फीडबैक आमंत्रित किए गए थे। संस्थान (संस्थानों) को हितधारक की पहचान को प्रकट किए बिना एक ईमेल के माध्यम से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया स्वतः प्रेषित की गई थी। सभी नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल की जांच करें। कृपया ध्यान दें कि डेटा का उत्तरदायित्व और जवाबदेही पूरी तरह से प्रतिभागी संस्थानों के पास है। समग्र और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भीतर एनआईआरएफ रैंकिंग-2019 इस प्रकार हैं:

वर्ष-2019 में सम्पूर्ण एनआईआरएफ रैंकिंग

1-100

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्कोर	रैंक
1	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	68.68	7
2	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	64.55	10
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय	61.85	11
4	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	58.36	18
5	जामिया मिलिया इस्लामिया	58.07	19

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्कोर	रैंक
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	57.07	20
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	48.47	48
8	विश्वभारती	46.27	59
9	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	45.99	62
10	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	44.88	72

101-150

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3	मिजोरम विश्वविद्यालय
4	नागालैंड विश्वविद्यालय
5	राजीव गांधी विश्वविद्यालय

151-200

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय

वर्गवार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की एनआईआरएफ रैंकिंग

1-100

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्कोर	रैंक
1	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	68.68	2
2	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	64.55	3
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय	61.85	4
4	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	58.36	11
5	जामिया मिलिया इस्लामिया	58.07	12
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	57.07	13
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	48.47	29
8	विश्वभारती	46.27	37
9	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	45.99	39
10	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	44.88	48
11	मिजोरम विश्वविद्यालय	40.27	76
12	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	38.68	95
13	असम विश्वविद्यालय	38.67	97
14	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	38.48	99

101-150

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2	अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय
3	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4	नागालैंड विश्वविद्यालय

151-200

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय
2	ऑडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
6	सिक्किम विश्वविद्यालय

3.2(viii) शिक्षण कर्मचारी, छात्रों के नामांकन, छात्रों के प्रवेश, शिक्षणोत्तर कर्मचारी और छात्रावास में रहने वालों के आंकड़े / कवरेज, आई.आर.ओ कुल / एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगजन: 2019-20* (*सूचना आई.आर.ओ 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय)

तालिका 3.2(viii)(क): शिक्षण / शिक्षणोत्तर कर्मचारी

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या = 42

	कुल	मौजूदा	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन
शिक्षण कर्मचारियों की संख्या (31.03.2020 को)	18339	12018	8694	1205	531	1374	34	180
शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की संख्या (31.03.2020 को)	34644	22608	16481	2210	1237	2388	72	220

तालिका 3.2(viii)(ख): छात्र नामांकन

छात्रों का नामांकन (31.03.2020 को)	कुल	महिलाएं	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	विदेश
	253120	107581	108663	30160	25854	69714	14442	2762	1525
छात्रावास में रहने वाले छात्र (31.03.2020 तक)	84926	38401	31764	9827	10115	23597	7596	1483	544

तालिका 3.2(viii)(ग): छात्र प्रवेश: 2019-20

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुल वास्तविक प्रवेश (श्रेणी वार) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)

पाठ्यक्रम / श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	विदेश	कुल
स्नातक	108663	30160	25854	69714	14442	2762	1525	98023
स्नातकोत्तर								86987
5 वर्षीय एकीकृत								11970
एम. फिल / एम.टेक								5395
पीएच. डी.								33860
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र								16885
कुल योग								253120

तालिका 3.2(viii)(घ): शिक्षण कर्मचारी: पद: 2019-20

संकाय स्थिति-2019-20

संकाय की कुल स्वीकृत संख्या (श्रेणी-वार)								संकाय पद (श्रेणी वार) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)						
पाठ्यक्रम / श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	कुल
आचार्य	1523	280	154	313	156	72	2498	977	52	8	9	2	10	1058
सह-आचार्य	3011	603	294	735	232	136	5011	2445	147	41	38	3	12	2686

सहायक आचार्य	5722	1364	704	2232	508	300	10830	5272	1006	482	1327	29	158	8274
कुल योग	10256	2247	1152	3280	896	508	18339	8697	1205	531	1374	34	180	12018

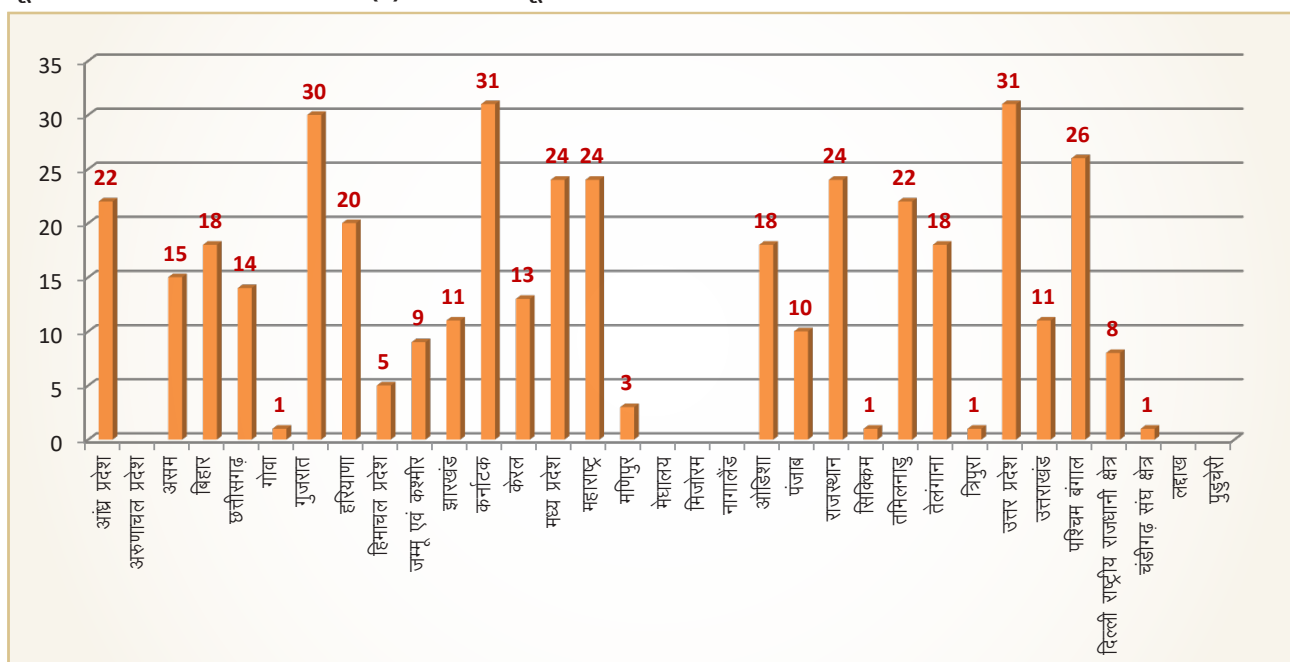
तालिका 3.2(viii)(ड़): शिक्षणेतर् कर्मचारी: पद: 2019-20

गैर-संकाय की कुल स्वीकृत संख्या (श्रेणी-वार)								गैर-संकाय पद में (श्रेणी-वार) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)						
पाठ्यक्रम/ ↓ श्रेणी→	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	दिव्यांग जन	कुल
समूह क	1627	118	57	202	5	35	2044	1017	85	61	118	0	13	1294
ग्रुप ख	5198	609	294	628	31	92	6852	3247	417	204	410	19	19	4316
समूह ग	17712	2559	1547	3268	162	500	25748	12217	1708	972	1860	53	188	16998
कुल योग	24537	3286	1898	4098	198	627	34644	16481	2210	1237	2388	72	220	22608

3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

यूजीसी उन सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता प्रदान करता है जो यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और व्यापक प्रारूप की रूपरेखा के भीतर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रापण को सुविधाजनक बनाया जा सके जो सामान्य रूप से उन्हें राज्य सरकार या उनकी सहायता करने वाले अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। भवनों, कर्मचारियों, पुस्तकों और पत्रिकाओं, उपकरण और अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

यूजीसी अधिनियम 1956 के धारा 2(च) के अधीन सूचीबद्ध राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या: 2019-2020



- विश्वविद्यालयों को बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता राज्य विश्वविद्यालयों को योजना ब्लॉक अनुदान के रूप में प्रदान की गई है जिसमें भवनों का निर्माण/नवीकरण (धरोहर भवनों के नवीकरण सहित), कैंपस विकास, स्टाफ, पुस्तकें और पत्रिकाएं, प्रयोगशाला उपकरण और अवसंरचना, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध, अभिनव अनुसंधान कार्यक्रमलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क, विस्तार कार्यक्रमलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रमलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, छात्रावासों सहित छात्र सुविधाएं,

यात्रा अनुदान/सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाएं, प्रकाशन अनुदान, अतिथि आचार्य/अतिथि अध्येता की नियुक्ति और कैरियर एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना, डे केयर सेंटर, महिलाओं के लिए मूल सुविधाएं और संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

- यूजीसी की वर्तमान योजनाओं के अनुदान के उपयोग के लिए समय सीमा का विस्तार बारहवीं योजना अवधि के दौरान जीडीए के अंतर्गत आवंटन के लिए 31.03.2019 से आगे 31.03.2020 तक जारी रहेगा। हालांकि, भवन परियोजनाओं का निर्माण कार्य 31.03.2017 से पहले आरंभ कर दिया जाना चाहिए था।
- ग्यारहवीं योजना के दौरान आरंभ की गई एनकोर नामक योजना अब बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता का हिस्सा है। इस योजना के लिए अलग से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ग्यारहवीं योजना की तत्कालीन योजना अर्थात् मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा को भी बारहवीं योजना सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस योजना के लिए अलग से वित्तपोषण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय भी 12वीं योजना सामान्य विकास सहायता योजना का हिस्सा था।
- सभी राज्य विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और महिला छात्रावास के निर्माण की एक स्वतंत्र योजना को एक अलग योजना के रूप में जारी रखा गया है।
- यूजीसी द्वारा चिह्नित चार विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता (फेलो) शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना को एक अलग योजना के रूप में बारहवीं योजना के दौरान जारी रखा गया।

12वीं योजना अवधि के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

क्र. सं.	मद
1	भवनों का निर्माण और नवीनीकरण
2	कैंपस विकास
3	कर्मचारी
4	पुस्तकें और पत्रिकाएँ
5	प्रयोगशाला उपकरण और अवसंरचना
6	वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध
7	अभिनव अनुसंधान कार्यकलाप
8	विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क
9	विस्तार कार्यकलाप
10	सांस्कृतिक कार्यकलाप
11	आईसीटी का विकास
12	स्वास्थ्य देखभाल
13	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं
14	यात्रा अनुदान
15	सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला
16	प्रकाशन अनुदान
17	प्रोफेसर/विजिटिंग अध्येता की नियुक्ति
18	कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना
19	दिन देखभाल केन्द्र
20	महिलाओं के लिए अवसंरचनाएं
21	संकाय विकास कार्यक्रम
22	एनकोर
23	मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा
24	अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय
25	छात्रों को गैर-नेट फेलोशिप

निम्नलिखित योजनाओं, जो विलय योजना का पूर्व भाग थी, को यूजीसी के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया गया था और इन योजनाओं के अंतर्गत यूजीसी द्वारा अलग से अनुदान प्रदान किया गया था ।

- (i) समान अवसर प्रकोष्ठ ।
 - (ii) एससी/एसटी/ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपचारात्मक कोचिंग ।
 - (iii) एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु नेट के लिए कोचिंग ।
 - (iv) एससी/एसटी/ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं
 - (v) दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं ।
- यूजीसी ने 2014-15 के दौरान नई योजना 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' आरंभ की थी । विश्वविद्यालयों को इस प्रयोजन के लिए सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जो पहले से ही राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया गया था ।
 - गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को श्री गुरु नानक जी की 550वीं जयंती मनाने हेतु 24,56,00,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।
 - वित्तीय वर्ष 2019-20 (31.12.2019 तक) सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को 75,00,45,386/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।
 - कुल आवंटित राशि 233,49,00,000/- में से पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को गैर-योजना अनुदान (2019-20) वेतन मद की दिशा में 233,49,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास और अनुरक्षण सहायता दोनों प्रदान करता है ।

वर्तमान में, यूजीसी से योजना/गैर-योजना/नियत अनुरक्षण/विशिष्ट अनुदान प्राप्त करने वाले 19 चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं । विश्वविद्यालयों के रूप में चिन्हित संस्थानों का नाम नीचे दिया गया है: -

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थान
	आंध्र प्रदेश
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश-517 507
2.	श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांति निलयम-515134, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
	दिल्ली
3.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110 062
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवरिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016
	गुजरात
5.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380 014
	महाराष्ट्र
6.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र-411 006
7.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, शिवाजीनगर डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे, महाराष्ट्र-411 006
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथलाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र-400 019
9.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सायन ट्रॉम्बे रोड, देवनार, मुंबई, महाराष्ट्र-400 088
	राजस्थान
10.	बनस्थली विद्यापीठ, डाकखाना बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान-304 022

क्र. सं.	राज्य / विश्वविद्यालय / संस्थान
11.	जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ, राजस्थान-341 306
	तमिलनाडु
12.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन, कोयंबटूर, तमिलनाडु-641 043
13.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, एचएल सिपकोट आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरुसेरी, तमिलनाडु- 603 103
14.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल, तमिलनाडु-624 302
15.	श्री चंद्रशेखरं सरस्वती विश्व महाविद्यालय, ईन्थुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु-631 552
	उत्तर प्रदेश
16.	केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221 007
17.	दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश-282 005
	उत्तराखंड
18.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड-249 404
	पश्चिम बंगाल
19.	रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल-711202

3.4(i) अनुदान-सहायता

चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के विकास के लिए अनुदान-सहायता दी जाती है। विकास सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय की वर्तमान अवसंरचना में सुधार लाना और समेकित करना है बल्कि कुछ चिन्हित क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता अनुदान ओएच 31 (पेंशन, गैर-वेतन और सामान्य आवर्ती), ओएच-35 (पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण) और ओएच-36 (वेतन प्रयोजन) के लिए अनुदान-सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के लिए, इसमें भवन का नवीकरण (धरोहर) भवनों के नवीकरण सहित), कैपस विकास, स्टाफ, पुस्तकें और पत्रिकाएं, प्रयोगशाला, उपकरण और अवसंरचना, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध, अभिनव अनुसंधान कार्यक्रम, विश्वविद्यालय उद्योग लिंकेज, विस्तार कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर-नेट फ़ैलोशिप, शामिल होंगे। यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठी/विचार गोष्ठी/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, विजिटिंग आचार्य/विजिटिंग अध्येता की नियुक्ति और कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना, डे केयर केन्द्र, महिलाओं के लिए सुविधाएं, संकाय विकास कार्यक्रम, वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और पेंशन लाभ, गैर-वेतन अनुदान (उपभोग्य सामग्री, बिजली शुल्क, जल शुल्क, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिकताओं, भवनों और अन्य खर्चों का रखरखाव/मरम्मत आदि शामिल होंगे।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और महिला छात्रावास के निर्माण को भी सभी चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। यूजीसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को 48203.72 लाख रुपये की राशि जारी की है। अनुदान की स्वीकृति का विवरण इस प्रकार है:-

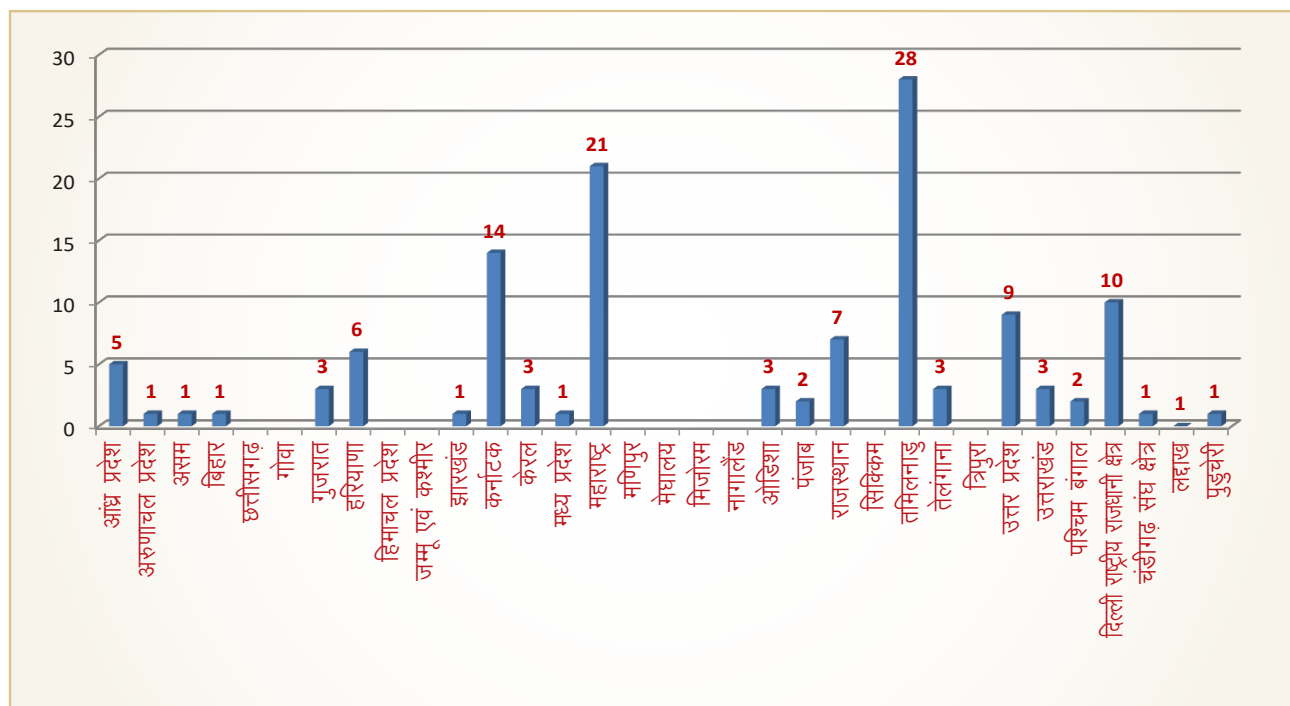
वर्ष 2019-20 के दौरान चिन्हित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालयों का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	पूँजीगत परिसंपत्ति 35	वेतन प्रयोजन 36	कुल 31, 35 एवं 36
आंध्र प्रदेश					
1	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश-517 507	1654.98	255.60	1808.40	3718.98
दिल्ली					
2	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवरिया सराय, न्यू महारौली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	516.69	451.73	2904.30	3872.72

क्र. सं.	विश्वविद्यालयों का नाम	अनुदान सहायता सामान्य 31	पूँजीगत परिसंपत्ति 35	वेतन प्रयोजन 36	कुल 31, 35 एवं 36
गुजरात					
3	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात-380 014	1444.24	439.20	3339.03	5222.47
महाराष्ट्र					
4	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सायन ट्रॉम्बे रोड, देवनार, मुंबई, महाराष्ट्र-400 088	870.36	210.54	4597.38	5678.28
तमिलनाडु					
5	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन, कोयंबटूर, तमिलनाडु-641 043	1311.74	331.00	2691.94	4334.68
6	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल, तमिलनाडु-624 302	2329.67	300.00	5016.40	4334.68
उत्तर प्रदेश					
7	दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश-282 005	515.86	542.93	4333.25	5392.04
उत्तराखंड					
8	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड-249 404	798.82	150.00	3509.30	4458.12
पश्चिम बंगाल					
9	रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल -711202	319.00	319.00	0.00	638.00
कुल		9761.36	9442.36	29000.00	48203.72

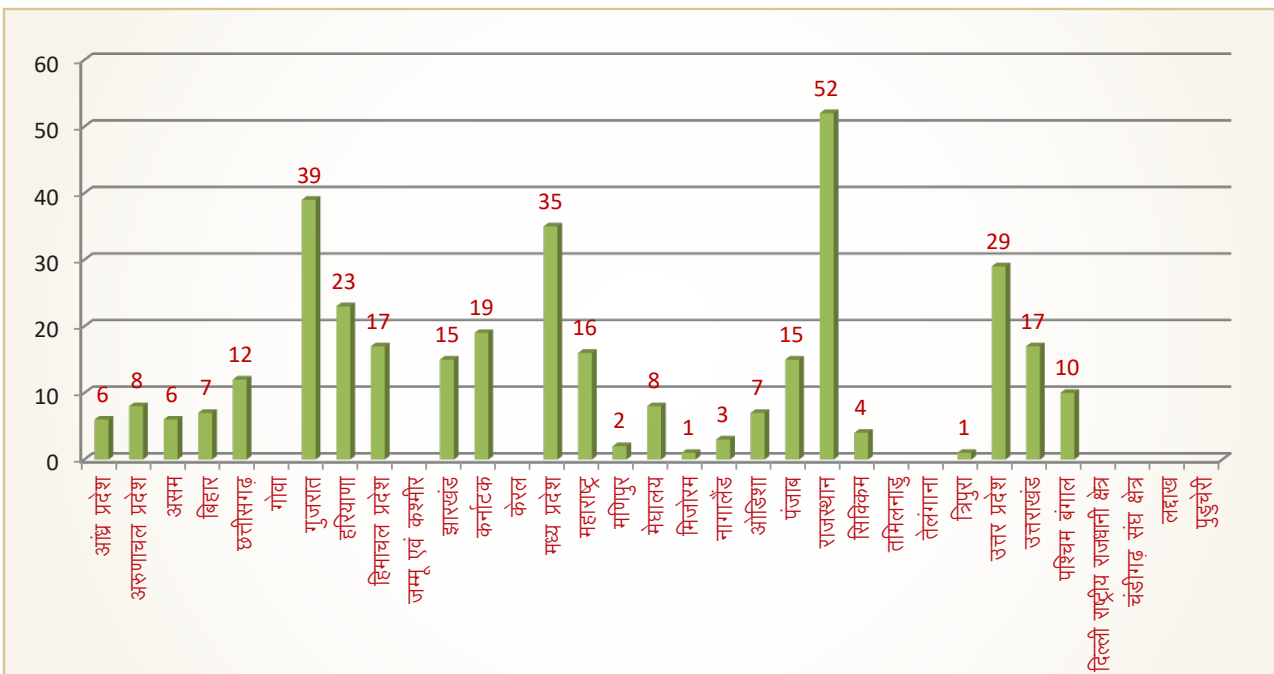
सम विश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार संख्या: 2019-2020



3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। किसी निजी विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में शामिल किया जाता है, जिसका रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी स्थापना अधिनियम और अधिसूचना प्राप्त होने पर यूजीसी द्वारा किया जाता है। 30.03.2020 को देश में 352 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। पिछले दस वर्ष के दौरान स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि अभूतपूर्व है। कुल 352 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 285 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के पश्चात की गई है।

यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची



निजी विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम

- निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से यूजीसी द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इन विनियमों को यूजीसी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल देने और उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण से बचने के लिए छात्र समुदाय के हितों की रक्षा के लिए अधिसूचित किया गया था।

यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण यूजीसी द्वारा विशेषज्ञ समितियों (संबंधित सांविधिक परिषद के प्रतिनिधियों सहित) की सहायता से किया जाता है ताकि यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संदर्भ में न्यूनतम मानदंडों की पूर्ति का आकलन किया जा सके।

विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर यूजीसी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई

- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अनुपालन के लिए विश्वविद्यालय को भेजी जाती है जिसे आयोग द्वारा गठित समिति की 10.01.2014 को आयोजित 497वीं बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया था और बाद में रिपोर्टिंग के लिए आयोग के समक्ष लाया गया था।

► महाविद्यालयों के लिए विकास योजनाएं एवं सहायता

- ❖ 4.1 महाविद्यालयों का विकास
- ❖ 4.2 यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय
- ❖ 4.3 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
- ❖ 4.4 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा योजना-वार जारी अनुदान
- ❖ 4.5 दिल्ली महाविद्यालयों/बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

जो महाविद्यालय स्नातक शिक्षा के लिए प्रमुख रूप से और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं, वे उपयुक्त मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से, सुविधाओं के इष्टतम उपयोग, नवाचार और परिवर्तन को बढ़ावा देने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने, पहुंच, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसर की समानता की दृष्टि से भारतीय उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण कारक हैं। महाविद्यालयों को विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कनेक्टिविटी आदि जैसी अवसंरचना को उन्नत करके शिक्षण-ज्ञानार्जन प्रक्रिया को सहायता देने पर केंद्रित है। तथापि, मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार और समेकन, आधुनिकीकरण के माध्यम से मानकों में सुधार, स्नातक पाठ्यक्रमों के युक्तिकरण और विविधीकरण पर बल दिया गया है ताकि उन्हें कैरियर के अवसरों से जोड़ा जा सके।

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 42906 (संबद्ध/संघटक) महाविद्यालय हैं, उनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अधीन केवल 12453 महाविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से 9993 महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अधीन सरकारी महाविद्यालय (केंद्र/राज्य), संघटक महाविद्यालय (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय) और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सभी योजनाओं के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 ख के अधीन स्व वित्तपोषित महाविद्यालय केवल छात्र/शिक्षक केंद्रित योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

4.3 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान (सामान्य विकास सहायता)

यूजीसी ने 1994 से देश में सात क्षेत्रीय कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोलकर अपने कामकाज का विकेंद्रीकरण किया ताकि महाविद्यालयों से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को सरलता से किया जा सके और अनुदान शीघ्र जारी किया जा सके। बाद में, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को 'उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो' में परिवर्तित कर दिया गया और 25.09.2001 को गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्यों के नाम, स्थान, स्थापना की तारीख और शामिल राज्य जैसे विवरण सहित यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो की सूची नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की दिनांक	शामिल राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (SERO)	हैदराबाद	28.09.1994	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी
2.	पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (WRO)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की दिनांक	शामिल राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (CRO)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (NERO)	गुवाहाटी	01.04.1995	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम।
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ERO)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड
6.	दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (SWRO)	बैंगलुरु	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (NRCB)	गाजियाबाद नई दिल्ली	03.12.1994 25.09.2001	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उ.प्र. उत्तराखंड, लद्दाख

2019-20 के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित योजनाएं

इन क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा देश भर के पात्र महाविद्यालयों को दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान वितरित किया जाता है :-

1. महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
2. महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास का निर्माण
3. स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदान जारी)
4. महाविद्यालयों के लिए लघु अनुसंधान परियोजना
5. महाविद्यालयों के लिए संगोष्ठी/सम्मेलन
6. महाविद्यालयों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम
7. महाविद्यालयों के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास
9. महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा देना।
10. नेत्रहीन शिक्षक
11. प्रतिबद्ध देनदारियां (यूजीसी की पुरानी योजनाएं)

(** जीडीए में शैक्षिक नवाचार, फील्ड कार्य/अध्ययन भ्रमण, विस्तार कार्यकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा परिसर में कॉमन रूम और महिलाओं के लिए शौचालय सुविधाओं में सुधार, डे केयर सेंटर, मानव अधिकार और कर्तव्य शिक्षा, कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ शामिल हैं।

पात्रता मानदंड: यूजीसी उपरोक्त योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के अधीन मान्यता प्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12 ख का दर्जा वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केंद्रित योजनाओं के लिए पात्र हैं।

4.3(i) महानिदेशालयों को सामान्य विकास सहायता

यूजीसी उन महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है जो स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के अधीन मान्यता प्राप्त हैं और 12वीं योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस योजना के अधीन महाविद्यालयों की मूल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और उनकी मूल आवश्यकताओं जैसे पुस्तकें और पत्रिकाएं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरण, कंपस विकास, शिक्षण सहायता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो, उपयुक्त अनुदेश, मौजूदा भवन का विस्तार/नवीकरण और नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियां, महिलाओं के लिए सुविधाएं आदि के लिए आवश्यक हैं।

राज्यवार (तालिका-4.3 (i) और क्षेत्रीय कार्यालय वार (तालिका 4.3 (ii)) 2019-20 के दौरान महाविद्यालयों को जारी अनुदान और सामान्य विकास सहायता के अधीन (01.04.2012 से 31.03.2020) के दौरान कुल जारी अनुदान के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 4.3(i): सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के लिए अनुदान का राज्यवार विवरण

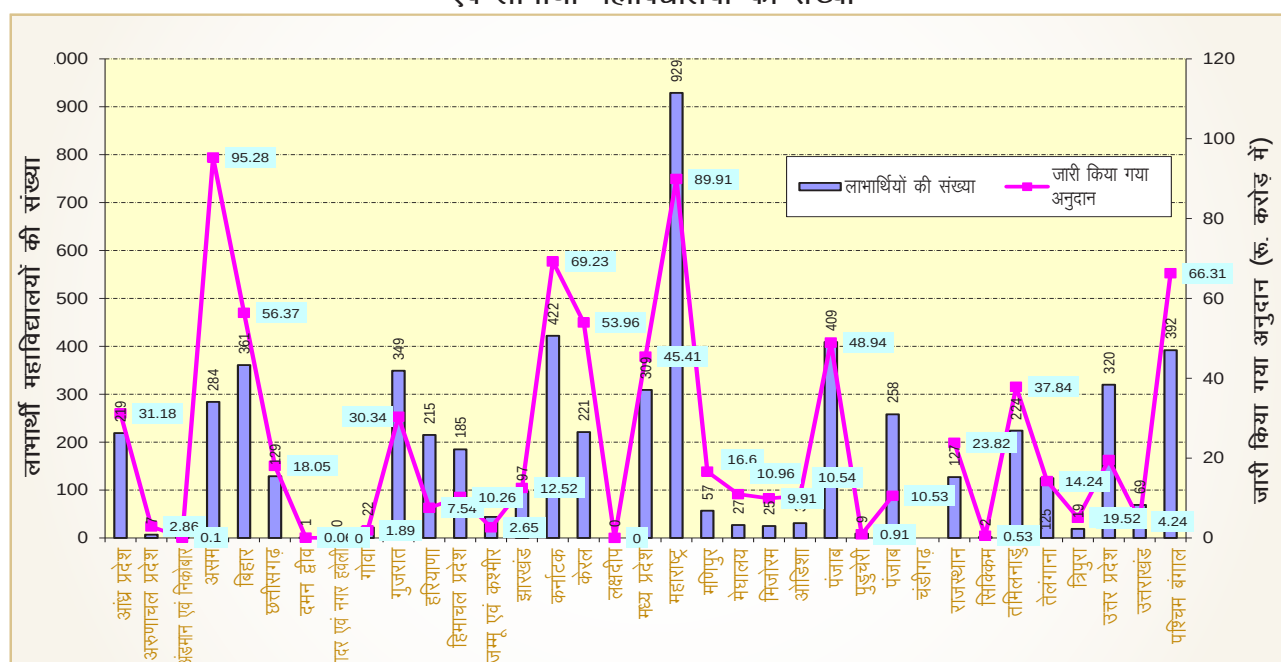
(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	2019-20 के दौरान जीडीए के लिए जारी किया गया अनुदान		जीडीए के लिए अनुदान जारी (1.04.2012 से 31.03.2020 तक)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	आंध्र प्रदेश	6	0.31	219	62.85	31.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	7	3.25	2.86
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0.21	0.10
4.	असम	0	0	284	115.46	95.28
5.	बिहार	28	4.22	361	97.81	56.37
6.	छत्तीसगढ़	-	-	129	43.39	18.05
7.	दमन दीव	-	-	1	0.23	0.06
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-
9.	गोवा	-	-	22	7.65	1.89
10.	गुजरात	-	-	349	112.30	30.34
11.	हरियाणा	0	0	215	0	7.54
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	0	10.26
13.	जम्मू और कश्मीर*	0	0	44	0	2.65
14.	झारखंड	2	0.18	97	26.32	12.52
15.	कर्नाटक	19	0.97	422	119.18	69.23
16.	केरल	14	0.90	221	90.35	53.96
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	-	-	309	103.80	45.41
19.	महाराष्ट्र	-	-	929	274.76	89.91
20.	मणिपुर	0	0	57	18.45	16.60
21.	मेघालय	0	0	27	14.12	10.96
22.	मिजोरम	0	0	25	12.21	9.91
23.	नगालैंड	0	0	31	11.78	10.54
24.	ओडिशा	21	1.04	409	97.70	48.94
25.	पांडिचेरी	-	-	9	1.48	0.91
26.	पंजाब/ चंडीगढ़	1	0.01	258	0	10.53
27.	राजस्थान	-	-	127	55.62	23.82
28.	सिक्किम	0	0	02	0.6	0.53
29.	तमिलनाडु	9	1.28	224	74.14	37.84
30.	तेलंगाना	1	0.09	125	29.53	14.24

क्र. सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	2019-20 के दौरान जीडीए के लिए जारी किया गया अनुदान		जीडीए के लिए अनुदान जारी (1.04.2012 से 31.03.2020 तक)		
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
31.	त्रिपुरा	0	0	19	8.43	5.03
32.	उत्तर प्रदेश	34	1.37	320	0	19.52
33.	उत्तराखंड	1	0.02	69	0	4.24
34.	पश्चिम बंगाल	33	2.51	392	116.21	66.31
	योग	169	12.90	5889	1497.83	807.53

* केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का अनुदान जम्मू और कश्मीर में शामिल

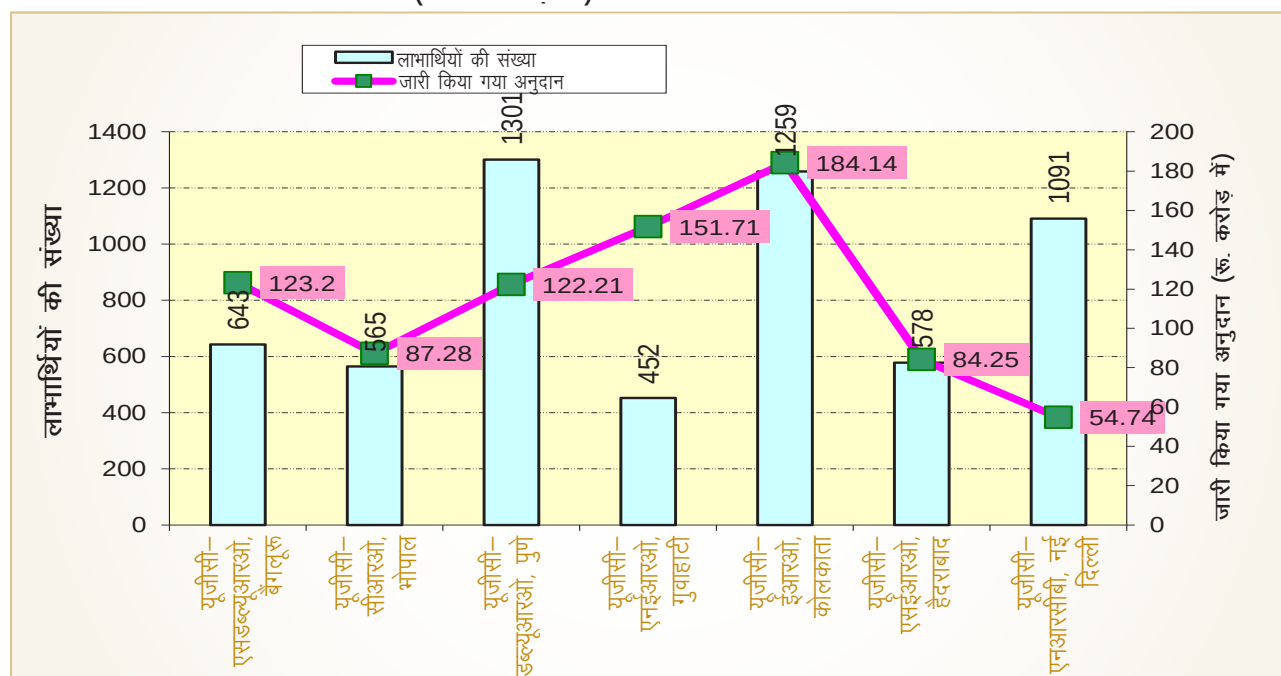
रेखाचित्र 4.3(i) राज्यवार जारी सामान्य विकास सहायता अनुदान (1.04.2012 से 31.03.2020) (रु. करोड़ में) एवं लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या



तालिका-4.3(ii)- सामान्य विकास सहायता (GDA) के लिए जारी अनुदान का क्षेत्रीय कार्यालय वार विवरण (रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	जीडीए के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)				जीडीए के लिए जारी किया गया अनुदान (01.04.2012 से 31.03.2020)		
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों की सं.)	अनुदान-सहायता सामान्य-31	पूँजीगत परिसंपत्ति-35	योग	लाभार्थियों की संख्या	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी, एसडब्ल्यूआरओ, बैंगलुरु	33	0.07	1.80	1.87	643	209.57	123.20
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	0	0	0	0	565	202.96	87.28
3.	यूजीसी, डब्ल्यू आरओ, पुणे	-	-	-	-	1301	394.94	122.21
4.	यूजीसी, एन आरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	452	184.33	151.71
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	84	1.05	6.90	7.95	1259	338.03	184.14
6.	यूजीसी, एसई आरओ, हैदराबाद	16	0.17	1.51	1.68	578	168.00	84.25
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	36	0	1.40	1.40	1091	0	54.74
	योग	169	1.29	11.61	12.90	5889	1497.83	807.53

रेखाचित्र 4.3 (ii): क्षेत्रीय कार्यालयवार जारी सामान्य विकास सहायता अनुदान (1.04.2012 से 31.03.2020) (रुपये करोड़ में) और लाभार्थियों की संख्या



4.4 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी योजनावार अनुदान

4.4(i) महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास का निर्माण

महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में हॉस्टल और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू की थी। जो महाविद्यालय यूजीसी के क्षेत्र में आते हैं और यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं, वे इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अधीन यूजीसी से वित्तीय सहायता 100% आधार पर नीचे दी गई अधिकतम सीमा के अधीन है:

महिला नामांकन	गैर-महानगरों के संबंध में राशि (रु. लाख में)	महानगरों, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के संबंध में राशि (रु. लाख में)
(क) 250 तक	40	80
(ख) 251-500	60	100
(ग) 500 से अधिक	80	120

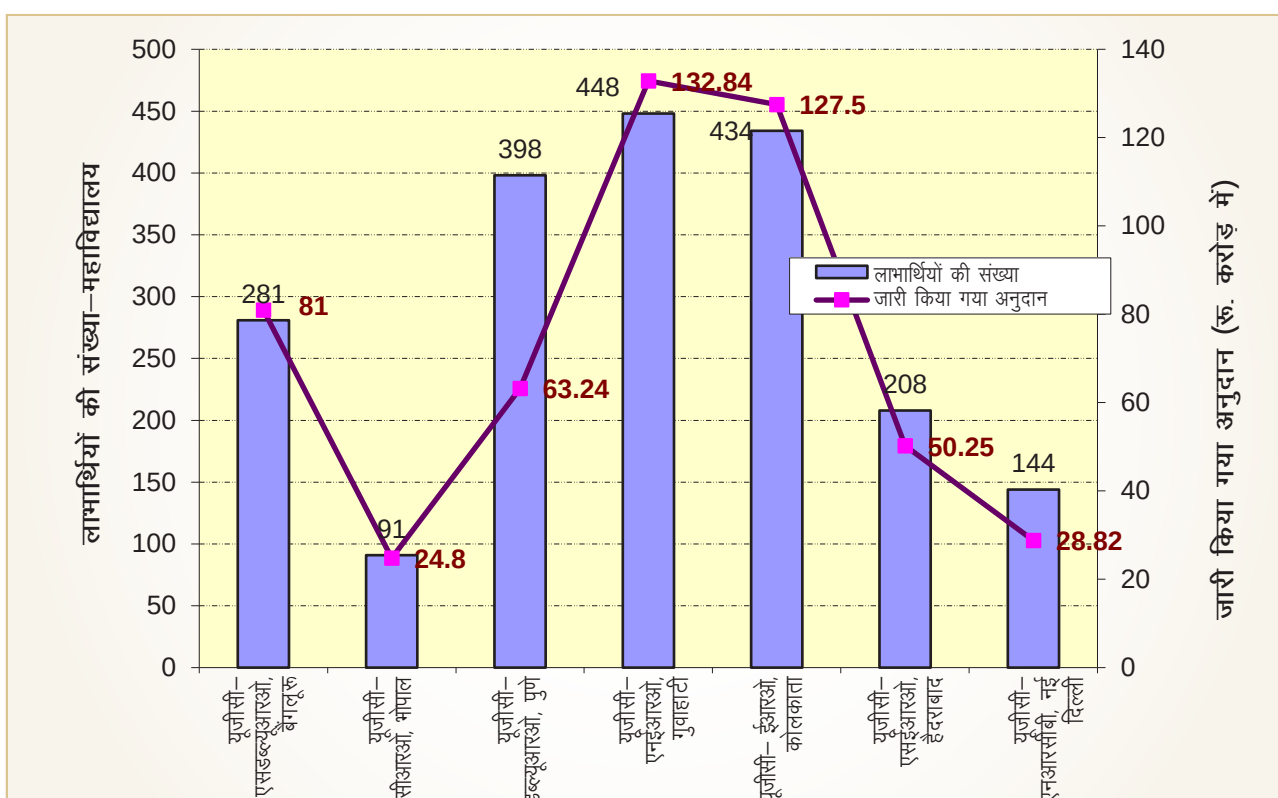
यूजीसी ने विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर परियोजना के लिए वित्तपोषण को स्वीकृति दी।

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा 2019-20 के दौरान और 1.04.2012-31.03.2020 की अवधि के लिए योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	महिला छात्रावास 2019-20 के लिए अनुदान जारी			महिला छात्रावास के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की सं.	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बैंगलूरु	16	2.12	2.12	281	81.00
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	02	0.30	0.30	91	24.80
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	11	2.28	2.28	398	63.24

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	महिला छात्रावास 2019-20 के लिए अनुदान जारी			महिला छात्रावास के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की सं.	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	448	132.84
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	54	6.35	6.35	434	127.50
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	7	1.03	1.03	208	50.25
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	16	1.57	1.57	144	28.82
	योग	106	13.65	13.65	2004	508.45

रेखाचित्र 4.4(i): महिला छात्रावासों के निर्माण संबंधी योजना के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी अनुदान एवं लाभार्थियों की सं. (1.04.2012-31.03.2020)



4.4(ii) स्वायत्त महाविद्यालय

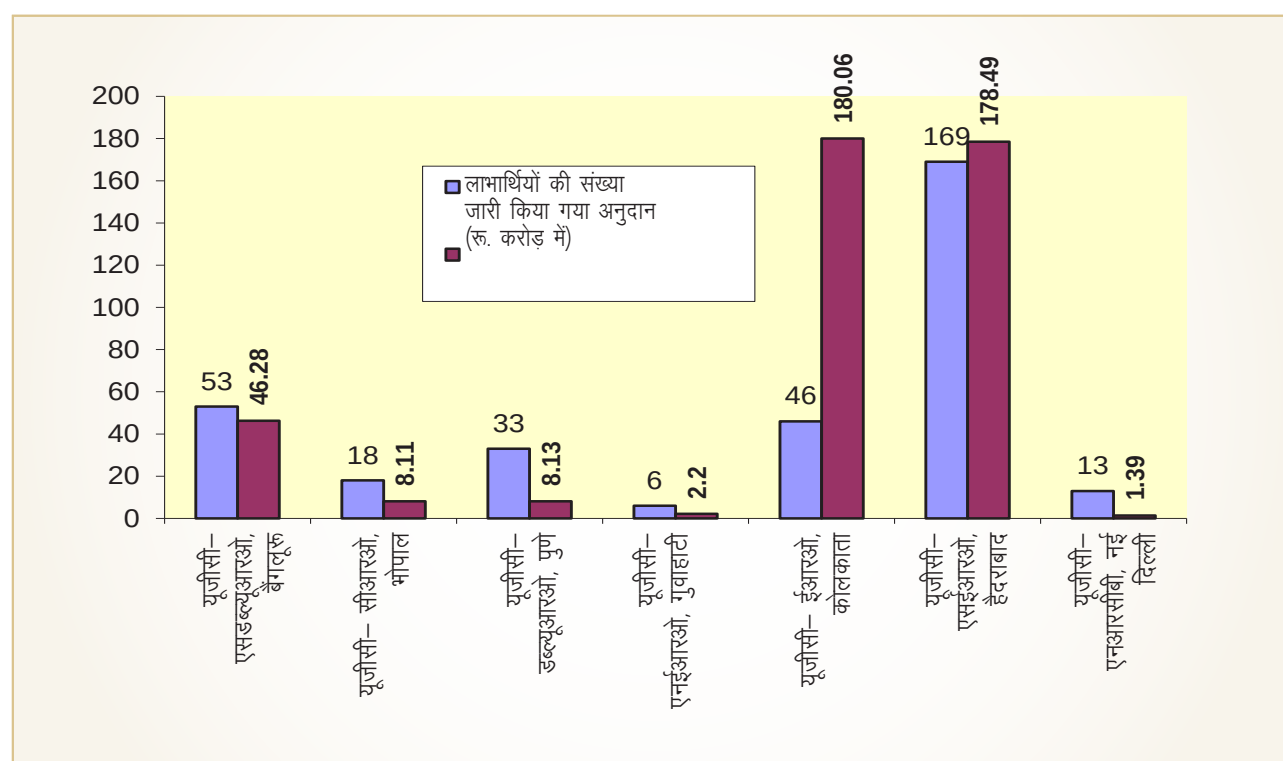
स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढांचे से असंबद्ध कराकर स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वायत्त दर्जे के नए/विस्तार के लिए आवेदन करने के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताएं, कार्यक्षेत्र, पात्रता और प्रक्रिया, यूजीसी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रिया, स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी और वित्तीय सहायता के बारे में विवरण यूजीसी की वेबसाइट <http://www.ugc.ac.in> पर उपलब्ध है

क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा 2019-20 के दौरान और 1.04.2012 -31.03.2020 तक की अवधि के लिए योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए जारी किया गया अनुदान				स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की सं.	अनुदान सहायता सामान्य -31	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बैंगलूरु	53	2.95	3.93	6.88	53	46.28
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	04	0.59	0	0.59	18	8.11
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	16	2.30	-	2.30	33	8.13
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	06	2.20
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	13	2.81	-	2.81	46	180.06
6.	यूजीसी-एसईआरआरओ, हैदराबाद	103	22.99	-	22.99	169	178.49
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	2	0.42	0	0.42	13	1.39
	योग	191	32.06	3.93	35.99	338	424.66

रेखाचित्र 4.4 (ii): स्वायत्त महाविद्यालयों (लाभार्थियों) को (1.04.2012 से 31.03.2020) के दौरान जारी अनुदान (रु. करोड़ में)



4.4(iii) महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के लिए लघु अनुसंधान परियोजना

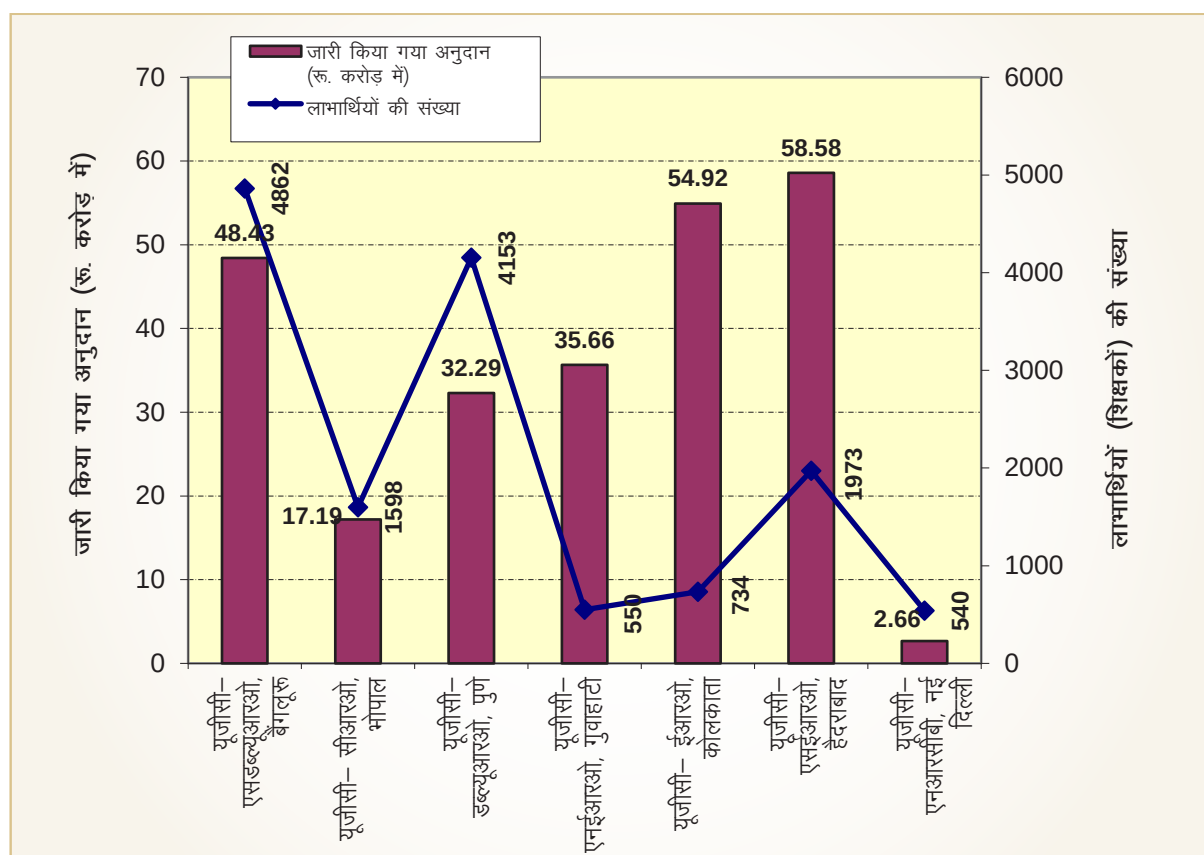
इस योजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों में महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर उच्चतर शिक्षा के अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। पात्र महाविद्यालयों के शिक्षक लघु अनुसंधान परियोजनाओं की योजना के अधीन आवेदन कर सकते हैं और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 3.00 लाख रुपये तक और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, फार्मसी, कृषि आदि सहित विज्ञानों के लिए 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान यूजीसी ने योजना के अधीन प्रस्ताव केवल ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया है। 2019-20 के दौरान और 1.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि के लिए योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	लघु अनुसंधान परियोजना 2019-20 के लिए जारी अनुदान								लघु अनुसंधान परियोजना के लिए अनुदान जारी किया (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सहायता अनुदान सामान्य -31		पूँजीगत परिसंपत्ति -35		योग		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
1.	यूजीसी, एसडब्ल्यूआरओ, बेंगलुरु	20	18	0.09	0.03	-	-	0.09	0.03	4862	48.43
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	06	19	0.05	0.11	0	0	0.05	0.11	1598	17.19
3.	यूजीसी, डब्ल्यूआरओ, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	4153	32.29
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	24	76	0.16	0.39	0	0	0.16	0.39	550	35.66
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	170	168	0.94	0.75	0	0	0.94	0.75	734	54.92
6.	यूजीसी, एसईआरओ, हैदराबाद	211	100	0.65	0.25	-	-	0.65	0.25	1973	58.58
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	16	72	0.04	0.20	0	0	0.04	0.20	540	2.66
योग		447	453	1.93	1.73	0	0	1.93	1.73	14410	249.73

यूजीसी विशेषज्ञ समितियों की संस्तुति के आधार पर परियोजना के लिए वित्तपोषण की स्वीकृति प्रदान करता है।

रेखाचित्र 4.4(iii): क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु लघु अनुसंधान परियोजना की योजना के अधीन जारी किया गया अनुदान (रु. करोड़ में)



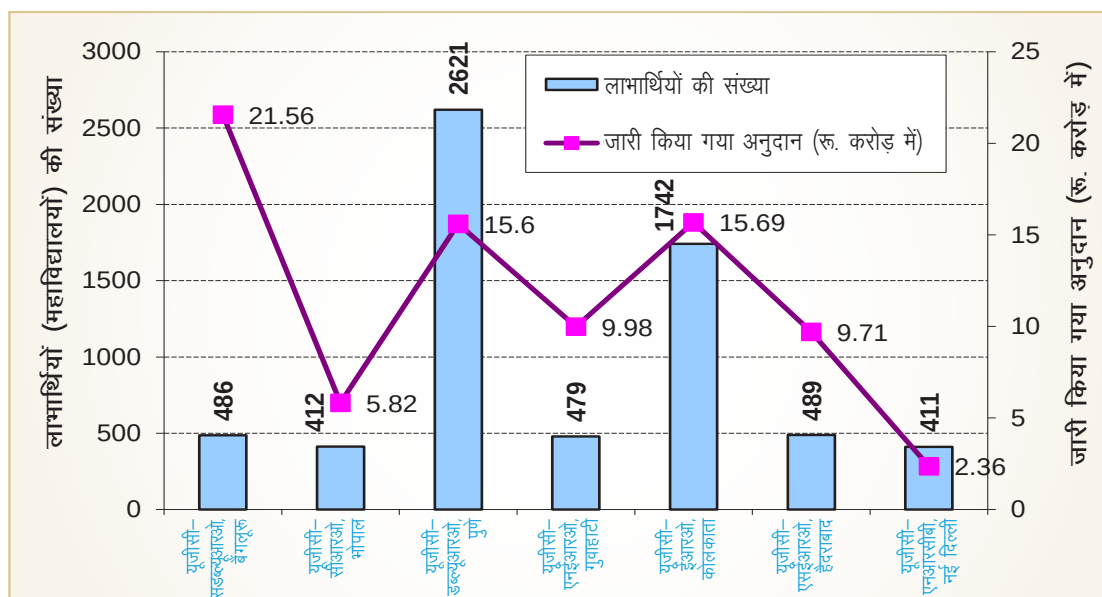
4.4(iv) महाविद्यालयों के लिए सेमीनार/संगोष्ठी/सम्मेलन

इस योजना के अधीन राज्य/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं/सेमिनारों/संगोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह योजना अपने ज्ञान, अनुभव और अनुसंधान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए सुविधाओं का विस्तार करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों को बढ़ावा देने का इरादा रखती है। सभी पात्र महाविद्यालय योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1 लाख से लेकर 2.00 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। यूजीसी विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर परियोजना के लिए वित्तपोषण को स्वीकृति प्रदान करता है। 2019-20 के दौरान और 1.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि के लिए योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 के दौरान सेमीनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए जारी किया गया अनुदान			सेमीनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की सं.	अनुदान सहायता सामान्य -31	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बेंगलूरु	149	0.50	0.50	486	21.56
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	09	0.03	0.03	412	5.82
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	-	-	-	2621	15.60
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	29	0.08	0.08	479	9.98
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	-	-	-	1742	15.69
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	14	0.03	0.03	489	9.71
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	17	0.05	0.05	411	2.36
	योग	218	0.69	0.69	6640	80.72

रेखाचित्र 4.4(iv) 1.04.2012 से 31.03.2019 के दौरान महाविद्यालयों के लिए सेमीनार/संगोष्ठी/सम्मेलन की योजना के अंतर्गत जारी किया गया अनुदान



4.4(v) महाविद्यालयों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर और साथ ही सेमिनार/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करके संस्थानों में शैक्षणिक और बौद्धिक वातावरण को बढ़ाना है। इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यों को अपने शोध और शैक्षणिक कौशल को अद्यतन करने में सहायता मिलेगी।

संकाय विकास कार्यक्रम की योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. महाविद्यालयों के शिक्षकों को अपने अकादमिक/अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना, जिससे एम. फिल./पीएचडी की डिग्री प्रदान की जा सके ।
2. शिक्षकों को अकादमिक सम्मेलनों/सेमिनारों में कागजात प्रस्तुत करने या कार्यशालाओं में भाग लेने और ज्ञान और विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करना ।
3. युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक प्रदर्शन के लिए अपनी पसंद के संस्थानों में अल्प अवधि (दो सप्ताह से कम नहीं और दो महीने से अधिक नहीं) व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना ।

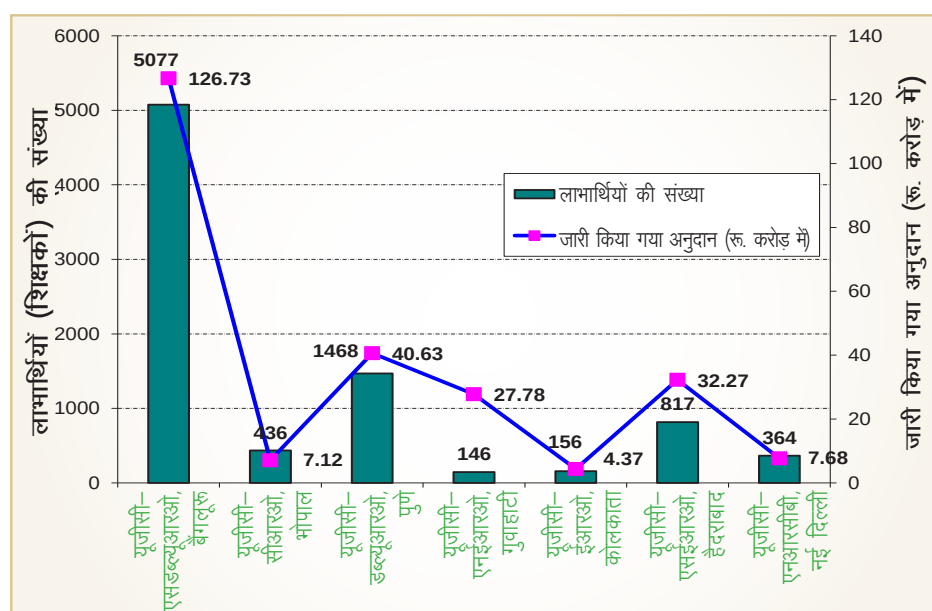
यूजीसी शिक्षक अध्येता के स्थान पर नियुक्त शिक्षक को वेतन प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त शिक्षक अध्येता को आकस्मिकता के रूप में 15000 रुपये की राशि प्रदान करता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप आवेदनों की छानबीन करती है और अभ्यर्थियों की सिफारिश यूजीसी को करती है।

2019-20 के दौरान और 1.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि के लिए इस योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम के लिए जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की सं.	अनुदान सहायता सामान्य -31	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बंगलूरु	285	8.68	8.68	5077	126.73
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	08	0.36	0.36	436	7.12
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	-	-	-	1468	40.63
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	24	2.38	2.38	146	27.78
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	17	0.64	0.64	156	4.37
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	98	1.35	1.35	817	32.27
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	34	2.35	2.35	364	7.68
	योग	466	15.76	15.76	8464	246.58

रेखाचित्र 4.4 (v): 1.04.2012 से 31.03.2020 के दौरान महाविद्यालयों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम



4.4(vi) महाविद्यालयों के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के मानकों की निगरानी के लिए यूजीसी ने सितंबर, 1994 में अपने अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के अधीन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) को स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया है। ऐसी संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को समझते हुए यूजीसी ने सभी महाविद्यालयों को आईक्यूएसी स्थापित करने हेतु निर्देश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए उसने आईक्यूएसी की स्थापना करने और आईक्यूएसी के खर्च को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय को प्रारंभिक राशि के रूप में 3.00 लाख रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना 2014-15 (बारहवीं योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए आरंभ की गई थी।

यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अधीन आने वाले सभी महाविद्यालय अपने यहाँ आईसीएसी की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, दो बैच उत्तीर्ण होने या छह वर्ष के पश्चात, जो भी पहले हो। व्यय निम्नलिखित मदों पर किया जा सकता है।

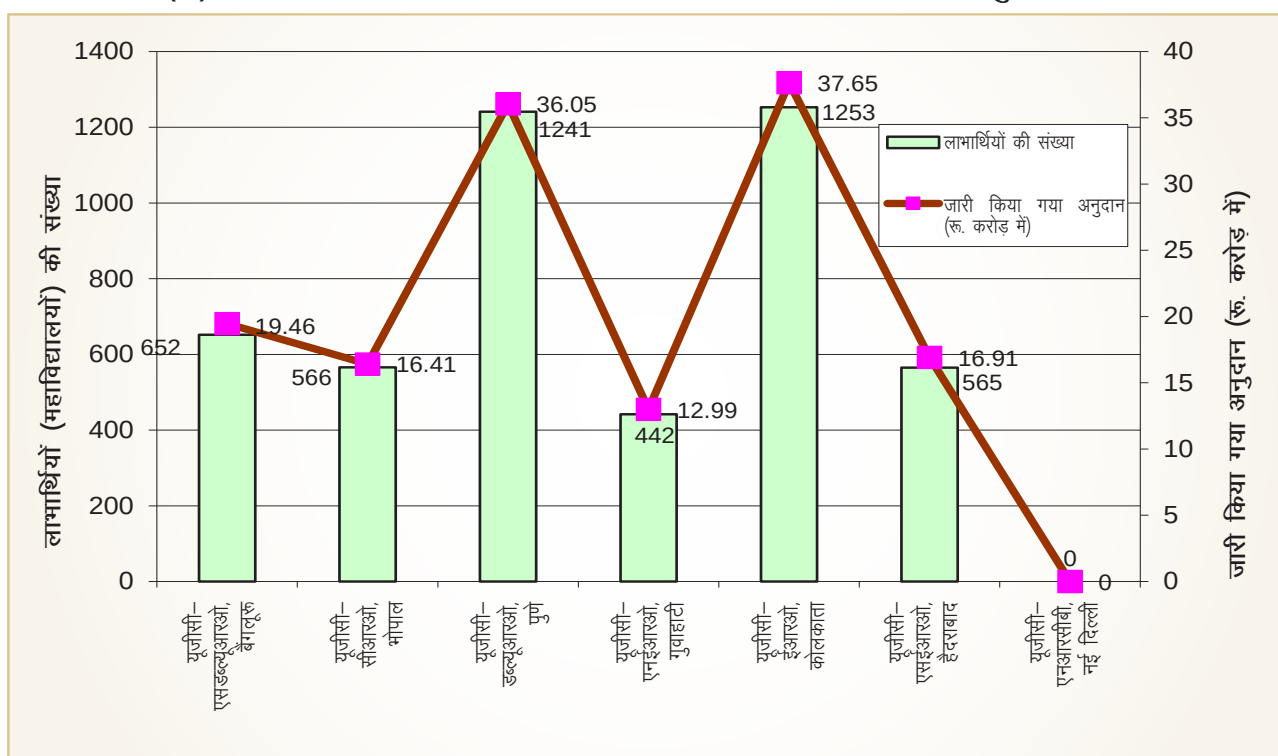
क्र. सं.	अनुदान का प्रयोजन	(रु.)
1	निदेशक/समन्वयक, आईक्यूएसी के लिए रु. 1000x12x5 की दर पर मानदेय	60,000
2	कार्यालय उपकरण	60,000
3	सचिवालय और तकनीकी सेवाओं के लिए सेवा हायर करना	60,000
4	आईसीटी संचार व्यय	70,000
5	आकस्मिक व्यय	50,000
	योग	3,00,000

2019-20 के दौरान और 1.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि के लिए इस योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 मएं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष के लिए अनुदान जारी किया					
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की सं.	सहायता अनुदान सामान्य -31	पूँजीगत परिसंपत्ति-35	योग	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष के लिए जारी किया गया अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
						लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बैंगलूरु	-	-	-	-	652	19.46
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	-	-	-	-	566	16.41
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	-	-	-	-	1241	36.05
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	442	12.69
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	0	0	0	0	1253	37.65
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	-	-	-	-	565	16.91
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	4719	139.17

रेखाचित्र 4.4(vi): 1.04.2012 से 31.03.2020 के दौरान महाविद्यालयों के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ



4.4(vii) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना का विकास एवं उपकरण

इस योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों के छात्रों के बीच स्वस्थ भागीदारी और खेलों की उपलब्धियों को सहयोगात्मक रूप से साझा करने की भावना पैदा करना और उन्हें बढ़ावा देना है, जिसमें साहस और दृढ़ निश्चय के साथ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने और प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता है।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, योजना को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है:

- (क) खेलों में छात्रों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए या मौजूदा आउटडोर/इनडोर अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता। जहां छात्रों को इस तरह की खेल सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, वहीं इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पहली पीढ़ी के छात्रों की सेवा करना है।
- (ख) किसी विशेष खेल में उपलब्धि के अपने स्तर के आधार पर छात्रों को बेहतर उपकरणों और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से उसी या संबंधित क्षेत्र में खेल के अधिक उन्नत स्तर में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
- (ग) अवसंरचना, जहां पहले से उपलब्ध है, वहां सुधार/सुदृढ़ीकरण करने का उद्देश्य है। महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचनात्मक और गैर-उपभोजित उपकरण सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके छात्रों के लिए ऐसी गतिविधियों के संचालन को सुगम बनाया जा सके।

वित्तीय सहायता के तीन अलग-अलग चरण हैं, इन चरणों की अधिकतम सीमा इस प्रकार है—

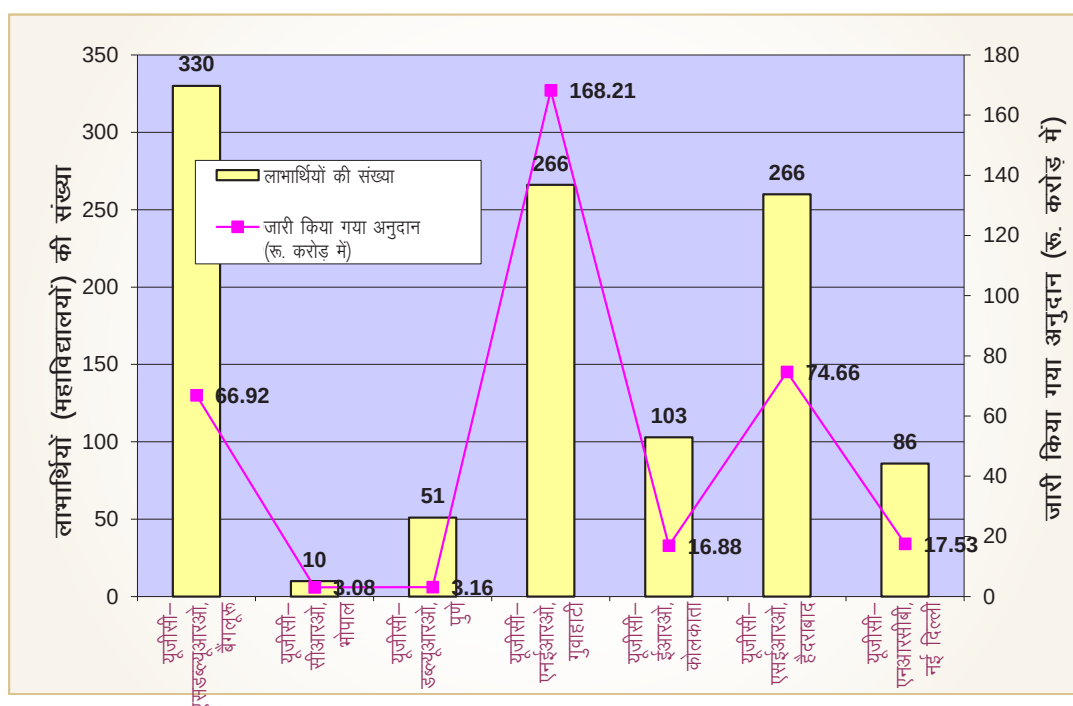
- (क) चरण-I: 1200 लाख रुपये + 10.00 लाख रुपये उपकरण के लिए = 22.00 लाख।
- (ख) चरण-II: 170.00 लाख रुपये + 10.00 लाख रुपये उपकरण के लिए = 180.00 लाख रुपये।
- (ग) चरण-III: 240.00 लाख रुपये + 10.00 लाख रुपये उपकरण के लिए = 250.00 लाख रुपये।

वर्ष 2019-20 के दौरान और 1.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि की योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान निम्नानुसार हैं:—

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम के लिए जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम के लिए जारी अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की सं.	अनुदान सहायता सामान्य-35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	यूजीसी- एसडब्ल्यूआरओ, बेंगलूरु	39	3.66	3.66	330	66.92
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	-	-	-	10	3.08
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	7	0.36	0.36	51	3.16
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	266	168.21
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	9	1.23	1.23	103	16.88
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	30	6.36	6.36	260	74.66
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	3	0.41	0.41	86	17.53
	योग	88	12.02	12.02	1106	350.44

रेखाचित्र 4.4(vii) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना का विकास एवं उपकरण



4.4(viii) महाविद्यालयों को विशिष्ट धरोहर योजना प्रदान करना

स्वतंत्र भारत के पश्चात गुणवत्ता और मात्रा में काफी वृद्धि के कारण उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है, फिर भी ऐसे महाविद्यालय हैं जो समय के परीक्षण में सफल रहे हैं और लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्रदान करने को बनाए हुए हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक संरचना को बनाए रखने में भी बेहतरीन योगदान दिया है। इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि ऐसे धरोहर संस्थानों को चिन्हित करने और पुरस्कृत करने की आवश्यकता है ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी को 'सच्ची शिक्षा' के मूल्यों के लिए प्रेरित कर सकें।

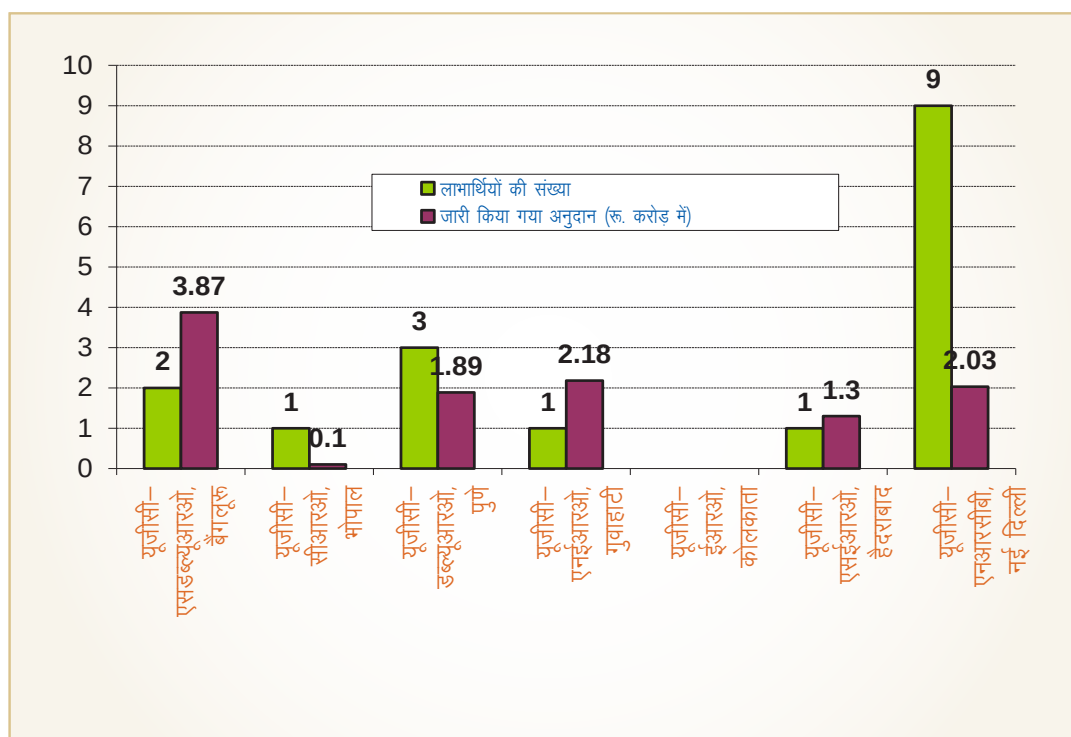
इस कार्यक्रम के अधीन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महाविद्यालय को सहायता की सीमा 5.00 करोड़ रुपये है।

2019-20 के दौरान और 12वीं योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 की विशिष्ट धरोहर का दर्जा प्रदान करने संबंधी योजना के लिए जारी किया अनुदान				विशिष्ट धरोहर का दर्जा प्रदान करने संबंधी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों की सं.	सहायता अनुदान सामान्य-31	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बेंगलूरु	01	-	0.18	0.18	2	3.87
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	-	-	-	-	1	0.10
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	2	-	0.19	0.19	3	1.89
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	1	2.18
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	0	0	0	0	1	1.30
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	1	0	0.39	0.39	9	2.03
	योग	4	0	0.76	0.76	17	11.37

रेखाचित्र 4.4(viii) 01.03.2012 से 31.03.2020 के दौरान महाविद्यालयों को विशिष्ट धरोहर का दर्जा प्रदान करना



4.4(ix) नेत्रहीन शिक्षक

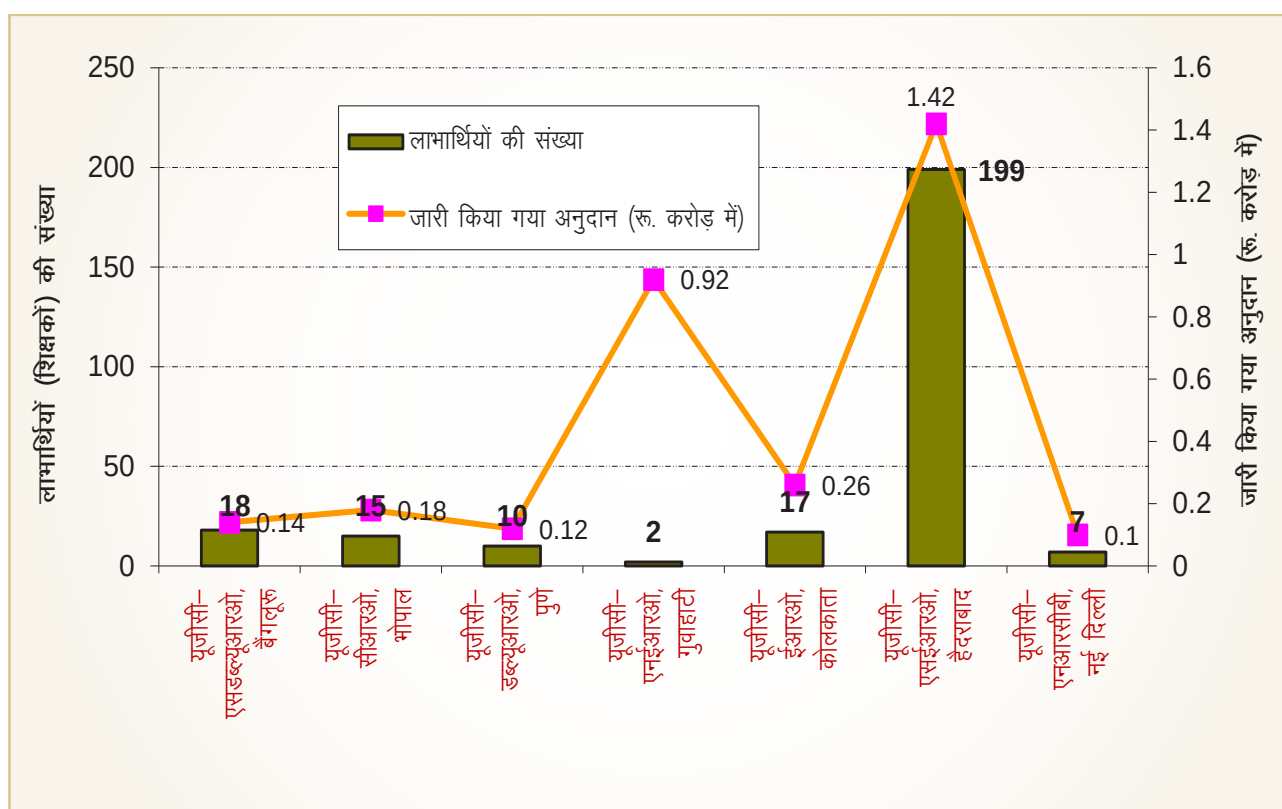
यह योजना नेत्रहीन स्थायी शिक्षकों को पाठक की सहायता से शिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सहायता करने और ब्रेल पुस्तकों, दर्ज सामग्रियों आदि की खरीद के लिए पाठक भत्ता और निधि प्रदान करके शिक्षण और ज्ञानार्जन शिक्षण सामग्री का उपयोग करके सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है 2) इस योजना का उद्देश्य नेत्रहीन स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञानार्जन और अनुसंधान के लिए विभिन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करने की सुविधा प्रदान करना है। नेत्रहीन स्थायी शिक्षकों का प्रति वर्ष भत्ता 36000/- रुपये होगा।

इस योजना के अधीन 2019-20 के दौरान और 01-04-2012 से 31-03-2020 की अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान नीचे दिए गए हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	नेत्रहीन शिक्षकों के लिए जारी किया गया अनुदान (1.04.19 से 31.03.2020)				नेत्रहीन शिक्षकों के लिए जारी किया गया अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों की सं.	सहायता अनुदान सामान्य -31	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बेंगलूरु	-	-	-	-	18	0.14
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	02	0.01	0	0.01	15	0.18
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	4	0.03	-	0.03	10	0.12
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	2	0.92
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	0	0	0	0	17	0.26
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	51	0.21	-	0.21	199	1.42
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	2	0.04	0	0.04	7	0.10
	योग	59	0.29	0	0.29	268	3.14

रेखाचित्र 4.4(ix) 1.04.2012 से 31.03.2020 के दौरान नेत्रहीन शिक्षकों के लिए योजना



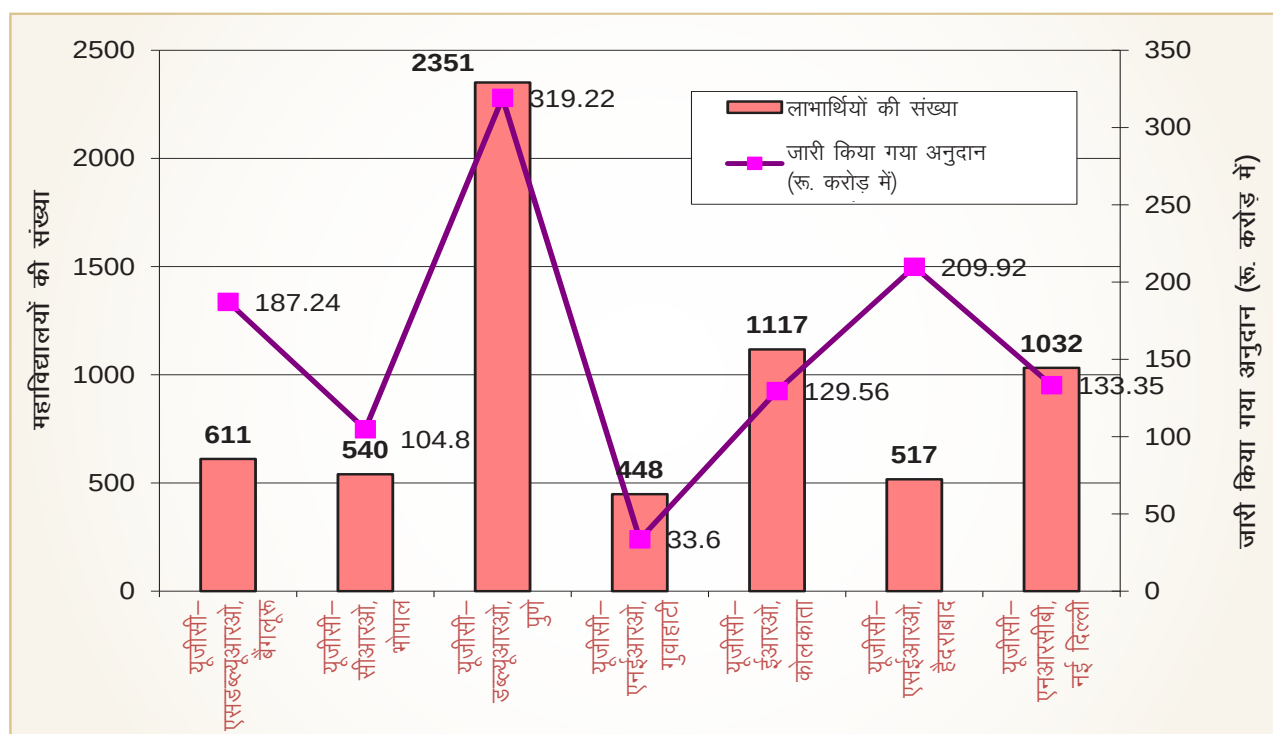
4.4(x) प्रतिबद्ध देयताएं (यूजीसी की पुरानी योजनाएं)

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को वर्ष 2019-20 के दौरान और 01.04.2012 से 31.03.2020 की अवधि के लिए 12वीं योजना के दौरान बंद की गई योजनाओं जैसे कि एक समय कैच अप अनुदान, अतिरिक्त सहायता, विलय योजनाएं आदि के लिए भुगतान किया गया अनुदान निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम	2019-20 में प्रतिबद्ध देयताओं के लिए जारी किया गया अनुदान				प्रतिबद्ध देयताओं के लिए जारी किया गया अनुदान (1.04.2012-31.03.2020)	
		2019-20 के दौरान लाभार्थियों की सं.	सहायता अनुदान सामान्य-31	पूँजीगत परिसंपत्ति -35	योग	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया अनुदान
1.	यूजीसी-एसडब्ल्यूआरओ, बैंगलूरु	7	-		0.45	611	187.24
2.	यूजीसी-सीआरओ, भोपाल	02	0	0.50	0.50	540	104.80
3.	यूजीसी-डब्ल्यूआरओ, पुणे	125	2.60	0.89	3.49	2351	319.22
4.	यूजीसी-एनईआरओ, गुवाहाटी	0	0	0	0	448	33.60
5.	यूजीसी-ईआरओ, कोलकाता	21	0	1.39	1.39	1117	129.56
6.	यूजीसी-एसईआरओ, हैदराबाद	1	0	0.008	0.008	517	209.92
7.	यूजीसी-एनआरसीबी, नई दिल्ली	69	0	2.17	2.17	1032	133.35
	योग	225	2.6	5.408	8.008	6616	1117.69

रेखाचित्र 4.4(x) 1.04.2012 से 31.03.2020 के दौरान प्रतिबद्ध देयताएं (यूजीसी की पुरानी योजनाएं)



4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 53 महाविद्यालयों और 12 छात्रावासों और राजस्व अनुदान के अधीन बीएचयू के विशेषाधिकारों में आने वाले 4 महाविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय + दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालय) को पूँजीगत अनुदान के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यूजीसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों को भी अनुदान प्रदान करता है।

4.5(i) दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान (राजस्व अनुदान)

53 महाविद्यालयों में से यूजीसी 36 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान का 95 प्रतिशत और 17 महाविद्यालयों (8 सायंकालीन महाविद्यालय + 9 विश्वविद्यालय के अनुरक्षण वाले महाविद्यालय) को 100 प्रतिशत प्रदान करता है। पूँजी से 95% अनुरक्षण अनुदान

पाने वाले 36 महाविद्यालयों में से 16 विश्वविद्यालयों का प्रबंधन दिल्ली प्रशासन और 20 महाविद्यालयों का प्रबंधन उनके संबंधित न्यासों/सोसायटी द्वारा किया जाता है।

तालिका 4.5(i)(क): यूजीसी से राजस्व अनुदान प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों और हॉस्टलों की श्रेणी-वार सूची:

क्र. सं.	श्रेणी 1 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (यूजीसी द्वारा 100% अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है)।	क्र. सं.	श्रेणी 2 सायंकालीन महाविद्यालय (यूजीसी द्वारा 100% अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है)।
1	महाविद्यालय ऑफ वोकेशनल स्टडीज	10	दयाल सिंह महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुरक्षण)
2	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)*	11	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (दिल्ली प्रशा.)।
3	दयाल सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	12	पीजीडीएवी महाविद्यालय (न्यास)
4	किरोड़ीमल महाविद्यालय#	13	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिल्ली प्रशा.)
5	मिरांडा हाउस#	14	श्याम लाल महाविद्यालय (दिल्ली प्रशा.)
6	राम लाल आनंद महाविद्यालय (दिवसीय)	15	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिल्ली प्रशा.)
7	रामानुजन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुरक्षण)	16	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिल्ली प्रशा.)
8	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	17	जाकिर हुसैन पीजी महाविद्यालय-(न्यास)#
9	आर्यभट्ट महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुरक्षण)		
क्र. सं.	श्रेणी 3 दिल्ली प्रशासन महाविद्यालयों (95% अनुरक्षण अनुदान और दिल्ली प्रशासन द्वारा 5%) यूजीसी द्वारा दिया जाता है।	क्र. सं.	श्रेणी 4 न्यास महाविद्यालयों (95% अनुरक्षण अनुदान यूजीसी और न्यास द्वारा 5%) द्वारा दिया जाता है।
18	भारती महाविद्यालय	36	लेडी इरविन महाविद्यालय#
19	दिल्ली महाविद्यालय ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स	37	श्री राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स#
20	वी विवेकानंद महाविद्यालय	38	सेंट स्टीफन महाविद्यालय#
21	गार्गी महाविद्यालय*	39	आत्म राम सनातन धर्म महाविद्यालय*
22	कालिंदी महाविद्यालय*	40	दौलत राम महाविद्यालय#
23	कमला नेहरू महाविद्यालय*	41	हंस राज महाविद्यालय#
24	लक्ष्मी बाई महाविद्यालय*	42	हिंदू महाविद्यालय#
25	मैत्रेयी महाविद्यालय*	43	इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय#
26	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*	44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
27	राजधानी महाविद्यालय*	45	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय*
28	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*	46	लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय#
29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*	47	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
30	शिवाजी महाविद्यालय*	48	पी जीडीएवी महाविद्यालय (दिवसीय)*
31	एस. पी. एम. महाविद्यालय*	49	रामजस महाविद्यालय#
32	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिवसीय)*	50	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)*
33	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*	51	एसजी तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय (दिवसीय)*
34	श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय	52	श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय
35	गृह अर्थशास्त्र संस्थान	53	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*

* 1000 से अधिक छात्रों वाले विस्तारित महाविद्यालय 100% अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं

यूजीसी द्वारा दिल्ली महाविद्यालयों के छात्रवासों को सहायता प्रदान की जा रही है

तालिका 4.5(i)(ख): 2019-20 के दौरान दिल्ली महाविद्यालयों को जारी 'राजस्व अनुदान को दर्शाता विवरण
(रु. लाख में)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	गैर वेतन	योग
1	आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय	4364.58	2169.95	30.00	6564.53
2	भारती महाविद्यालय	2198.00	340.13	30.00	2568.13
3	महाविद्यालय ऑफ वोकेशनल स्टडीज	1701.00	418.32	30.00	2149.32
4	दयाल सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	5530.28	1150.38	58.00	6738.66
5	दयाल सिंह महाविद्यालय (सायंकालीन)	1992.05	602.13	20.00	2614.18
6	दौलत राम महाविद्यालय	1894.85	1609.68	50.00	3554.53
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	6549.98	2100.36	60.00	8710.34
8	रामानुजन महाविद्यालय	1790.26	817.22	30.00	2637.48
9	दिल्ली महाविद्यालय ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स	967.36	684.55	20.00	1671.91
10	श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	2102.88	274.91	30.00	2407.79
11	गार्गी महाविद्यालय	5353.40	1247.53	30.00	6630.93
12	हंस राज महाविद्यालय	5581.14	921.65	58.00	6560.79
13	हिंदू महाविद्यालय	2987.77	1822.55	58.00	4868.32
14	इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	3886.47	1277.83	58.00	5222.30
15	गृह अर्थशास्त्र संस्थान	3185.00	523.44	40.00	3748.44
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	1175.05	1356.00	30.00	2561.05
17	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय	2723.19	668.64	40.00	3431.83
18	कालिंदी महाविद्यालय	3705.05	990.20	50.00	4745.25
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	3364.91	1048.40	50.00	4463.31
20	किरोड़ीमल महाविद्यालय	6155.19	1651.75	55.00	7861.94
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	3132.95	982.26	55.00	4170.21
22	लक्ष्मी बाई महाविद्यालय	3585.67	1154.97	43.00	4783.64
23	लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय	2200.00	1125.25	50.00	3375.25
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	3643.21	848.18	50.00	4541.39
25	मिरांडा हाउस	4490.00	1409.00	55.00	5954.00
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	2688.91	1935.65	50.00	4674.56
27	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	2829.28	1497.44	40.00	4366.72
28	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2205.33	1058.41	20.00	3283.74
29	पी जीडीएवी महाविद्यालय (दिवसीय)	2716.57	598.20	40.00	3354.77
30	पी जीडीएवी महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1857.97	748.10	20.00	2626.07
31	रामजस महाविद्यालय	5850.04	2066.21	55.00	7971.25
32	राम लाल आनंद महाविद्यालय (दिवसीय)	1568.00	781.78	27.00	2376.78
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	3012.24	743.02	35.00	3790.26
34	राजधानी महाविद्यालय	2075.00	991.86	30.00	3096.86
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	2822.51	1246.80	20.00	4089.31
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2814.48	407.36	14.00	3235.84
37	सेंट स्टीफन महाविद्यालय	2250.00	903.59	50.00	3203.59
38	श्री राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	2200.00	1011.28	50.00	3261.28
39	एस. जी. तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय (दिवसीय)	4500.00	1020.03	58.00	5578.03

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	गैर वेतन	योग
40	श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय	2528.49	760.72	22.00	3311.21
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	6880.97	962.41	25.00	7868.38
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	2643.92	851.77	20.00	3515.69
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2258.90	493.37	15.00	2767.27
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	4017.29	954.65	30.00	5001.94
45	एस.पी.एम. महाविद्यालय	4075.68	908.17	60.00	5043.85
46	सत्यवती महाविद्यालय (दिवसीय)	4104.10	1347.43	40.00	5491.53
47	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1720.19	501.43	40.00	2261.62
48	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिवसीय)	1400.00	507.94	20.00	1927.94
49	श्री अरविंदो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2224.21	237.22	14.00	2475.43
50	शिवाजी महाविद्यालय	3884.69	1857.63	40.00	5782.32
51	विवेकानंद महाविद्यालय	1117.07	1533.10	40.00	2690.17
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	5617.73	1215.98	50.00	6883.71
53	जाकिर हुसैन पीजी महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2212.47	604.01	20.00	2836.48
	योग	168336.28	54940.84	2025.00	225302.12

क्र. सं.	छात्रावास	वेतन	पेंशन	गैर वेतन	योग
1	दौलत राम महाविद्यालय	37.50	26.86	0.00	64.36
2	हंस राज महाविद्यालय	70.00	21.40	0.00	91.40
3	हिंदू महाविद्यालय	78.93	42.76	0.00	121.69
4	इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	131.79	76.39	0.00	208.18
5	किरोड़ीमल महाविद्यालय	148.32	31.75	0.00	180.07
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	26.39	49.00	0.00	75.39
7	लेडी श्री राम महिलामहाविद्यालय	78.90	13.54	0.00	92.44
8	मिरांडा हाउस	70.40	41.46	0.00	111.86
9	रामजस महाविद्यालय	50.63	32.52	0.00	83.15
10	सेंट स्टीफन महाविद्यालय	111.93	37.53	0.00	149.46
11	श्री राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	36.10	35.17	0.00	71.27
12	जाकिर हुसैन महाविद्यालय	11.45	2.50	0.00	13.95
	योग	852.34	410.88	0.00	1263.22
	सकल योग	169188.62	55351.72	2025.00	226565.34

4.5(ii) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय (राजस्व अनुदान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में आने वाले 4 महाविद्यालयों को भी अनुरक्षण अनुदान का 95% प्रदान करता है। इन महाविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है:

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम
1.	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय, वाराणसी, यूपी
2.	डी.ए.वी. डिग्री महाविद्यालय, कामाछा, वाराणसी
3.	वसंत कन्या महाविद्यालय, कामाछा, वाराणसी
4.	वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट किला, वाराणसी

**तालिका 4.5(ii)(क) 2019-20 के दौरान बीएचयू के 4 महाविद्यालयों को जारी अनुदान
(रुपये लाख में) दर्शाता विवरण**

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	योग
1	वसंत महिला महाविद्यालय	1011.61	182.77	1194.38
2	वसंत कन्या महाविद्यालय	937.11	150.14	1087.25
2	डी.ए.वी. डिग्री महाविद्यालय	2002.62	293.00	2295.62
4	आर्य महिला डिग्री महाविद्यालय	1855.46	197.00	2052.46
	योग	5806.8	822.91	6629.71

2019-20 के दौरान राजस्व अनुदान के अधीन दिल्ली और बीएचयू महाविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान के विवरण (रुपये लाख में) नीचे दिए गए हैं:

विवरण	आवंटन	जारी किया गया अनुदान
दिल्ली महाविद्यालय :	226565.34	226565.34
बीएचयू महाविद्यालय :	6629.71	6629.71

4.5(iii) दिल्ली विश्वविद्यालय महाविद्यालय पूंजीगत अनुदान

वर्ष 2019-20 के दौरान यूजीसी ने सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावासों और भवन के निर्माण, खेल अवसंरचना और आईक्यूएसी के लिए महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस खंड में राज्य, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुदान भी जारी किया गया है।

तालिका 4.5(iii)(क) यूजीसी से पूंजीगत अनुदान पाने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों की सूची

1	आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली-110 021
2	भारती महाविद्यालय	सी-4, जनकपुरी	नई दिल्ली-110 058
3	महाविद्यालय ऑफ वोकेशनल स्टडीज	त्रिवेणी (शेख सराय), चरण-II	नई दिल्ली-110 017
4	दयाल सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	लोदी रोड	नई दिल्ली-110 003
5	दयाल सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	लोदी रोड	नई दिल्ली-110 003
6	दौलत राम महाविद्यालय	4, पटेल मार्ग	दिल्ली-110 007
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	कालकाजी	नई दिल्ली-110 019
8	रामानुजन महाविद्यालय	कालकाजी	नई दिल्ली-110 019
9	दिल्ली महाविद्यालय ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स	नेताजी नगर	नई दिल्ली-110 023
10	श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	पीतमपुरा	दिल्ली-110 088
11	गार्गी महाविद्यालय	सिरी फोर्ट रोड, आनंद लोक के सामने	नई दिल्ली-110 049
12	हंस राज महाविद्यालय	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 007
13	हिंदू महाविद्यालय	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 007
14	इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	शम नाथ मार्ग	दिल्ली-110 054
15	गृह अर्थशास्त्र संस्थान	एफ-4, हौज खास एन्क्लेव	नई दिल्ली-110 016
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	सर गंगा राम अस्पताल मार्ग	नई दिल्ली-110 060
17	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय	चाणक्यपुरी	नई दिल्ली-110 021
18	कालिंदी महाविद्यालय	पूर्वी पटेल नगर	नई दिल्ली-110 008
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	खेल गाँव मार्ग	नई दिल्ली-110
20	किरोड़ीमल महाविद्यालय	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 007
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	सिकंदरा रोड	नई दिल्ली-110 001

22	लक्ष्मी बाई महाविद्यालय	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली-110 052
23	लेडी श्री राम महिला महाविद्यालय	लाजपत नगर	नई दिल्ली-110 024
24	माता सुन्दरी महिलामहाविद्यालय	माता सुंदरी लेन	नई दिल्ली-110 002
25	मिरांडा हाउस	पटेल चेस्ट मार्ग	दिल्ली-110 007
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	चंकीपुरी, बापू धाम परिसर	नई दिल्ली-110021
27	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली-110 021
28	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली-110 021
29	पी जीडीएवी महाविद्यालय (दिवसीय)	नेहरू नागा आर, रिंग रोड	नई दिल्ली-110 065
30	पी जीडीएवी महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	नेहरू नगर, रिंग रोड	नई दिल्ली-110 065
31	रामजस महाविद्यालय	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 07
32	राम लाल आनंद महाविद्यालय (दिवसीय)	बेनिटो जुआरेज रोड	नई दिल्ली-110 021
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, (आनंद निकेतन)	नई दिल्ली-110 021
34	राजधानी महाविद्यालय	राजा उद्यान	नई दिल्ली-110 015
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवस)	शेख सराय, चरण-II	नई दिल्ली-110 017
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	शेख सराय, चरण-II	नई दिल्ली-110 017
37	सेंट स्टीफन महाविद्यालय	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 007
38	श्री राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग	दिल्ली-110 007
39	एसजी तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय (दिवसीय)	विश्वविद्यालय एन्क्लेव	दिल्ली-110 007
40	श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय	देव नगर	नई दिल्ली-110 005
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	बेनिटो जुआरेज रोड, धौला कुआँ	नई दिल्ली-110 021
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली-110 032
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	जी.टी. रोड, शाहदरा	दिल्ली-110 032
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	अलीपुर	दिल्ली-110 036
45	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय	पंजाबी बाग (पश्चिम), रोड नंबर 57	नई दिल्ली-110 026
46	सत्यवती महाविद्यालय (दिवस)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली-110 052
47	सत्यवती महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	अशोक विहार, फेज-III	दिल्ली-110 052
48	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिवसीय)	मालवीय नगर	नई दिल्ली-110 017
49	श्री अरविंदो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	मालवीय नगर	नई दिल्ली-110 017
50	शिवाजी महाविद्यालय	रिंग रोड, राजा गार्डन	नई दिल्ली-110 027
51	विवेकानंद महाविद्यालय	विवेक विहार	दिल्ली-110 095
52	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय (दिवसीय)	जवाहर लाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली-110 002
53	जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय(सांध्यकालीन)	जवाहर लाल नेहरू मार्ग	नई दिल्ली-110 002
54	आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय	गोविंद पुरी, कालकाजी	नई दिल्ली-110019
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय	कैर (नजफगढ़ के पास)	नई दिल्ली-110043
56	भास्कराचार्य महाविद्यालय	सेक्टर-2, फेज-I द्वारका	नई दिल्ली-110075
57	केशव महाविद्यालय	एच-4-5 जोन पीतमपुरा	दिल्ली-110034
58	शहीद राज गुरु महाविद्यालय ऑफ एप्लाइ साइंस फोर वीमेन	वसुंधरा रोड, चिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	दिल्ली-110096
59	भीम राव अंबेडकर महाविद्यालय	मेन वजीराबाद रोड	दिल्ली-110094
60	दुर्गाबाई देशमुख महाविद्यालय ऑफ स्पेशल एजुकेशन	लाल बहादुर शास्त्री मार्ग	नई दिल्ली-110003
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय	वसुंधरा एन्क्लेव	दिल्ली-110096
62	दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय	सेक्टर-3, द्वारका	दिल्ली-110078

63	अदिति महाविद्यालय	औचंदी रोड	दिल्ली-110039
64	शहीद सुखदेव महाविद्यालय ऑफ बिजनेस स्टडीज	झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार	दिल्ली-110095
65	यूनिवर्सिटी महाविद्यालय ऑफ मेडिकल साइंसेज	शाहदरा	दिल्ली-110095
66	लेडी हार्डिंग मेडिकल महाविद्यालय	शहीद भगत सिंह मार्ग	नई दिल्ली-110001

वर्ष 2019-20 के दौरान यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए पूंजीगत अनुदान जारी किया: -

तालिका 4.5(iii)(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली महाविद्यालयों के लिए जारी पूंजीगत अनुदान (रु. लाख में) दर्शाता विवरण

(रुपए लाख में)

प्रयोजन	जारी किया गया अनुदान		योग
	शीर्ष-31	शीर्ष-35	
भवन निर्माण परियोजनाएं	-	2835.00	2835.00
महिला हॉस्टल विशेष योजना के अधीन	-	-	-
संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला	40.77	-	40.77
दृष्टिबाधित विकलांग शिक्षक-पाठक भत्ता	6.15	.	6.15
योग	46.92	2835.00	2841.15

तालिका 4.5(iii)(ख)(i): वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सेमीनार/सम्मेलन के लिए दिल्ली महाविद्यालयों के लिए महाविद्यालयवार जारी पूंजीगत अनुदान

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	राशि (रु.)
1	आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय	120000
2	भारती महाविद्यालय	209566
3	दयाल सिंह महाविद्यालय	61819
4	श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स	150000
5	हंसराज महाविद्यालय	320000
6	हिंदू महाविद्यालय	300000
7	गृह अर्थशास्त्र संस्थान	281269
8	कमला नेहरू महाविद्यालय	120000
9	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	390000
10	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (पूर्व संध्या)	122610
11	मोती लाल नेहरू महाविद्यालय (पूर्व संध्या)	131409
12	पीजीडीएवी महाविद्यालय (पूर्व संध्या)	120000
13	रामजस महाविद्यालय	100000
14	आर्यभट्ट महाविद्यालय	80000
15	सेंट स्टीफन महाविद्यालय	48863
16	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	300000
17	श्री अरबिंदो महाविद्यालय (दिवसीय)	150000
18	शिवाजी महाविद्यालय	200000
19	शहीद राजगुरु महाविद्यालय ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर डब्ल्यू शुगुन	150000
20	भास्कराचार्य महाविद्यालय ऑफ एप्लाइड साइंसेज	300000
21	यूनिवर्सिटी महाविद्यालय ऑफ मेडिकल साइंसेज	298698
22	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय	123124
	योग	4077358

तालिका 4.5 (iii)(ख)(ii): 2019-20 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी पूंजीगत अनुदान (भवन निर्माण परियोजना और नेत्रहीन विकलांगों को पाठक भत्ता)।

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	अनुदान जारी (भवन निर्माण) XII	नेत्रहीन शिक्षक को पाठक भत्ते	कुल जारी अनुदान 2019-20 (रु.)
1	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय		3000	3000
2	भारती महाविद्यालय			0
3	महाविद्यालय ऑफ वोकेशनल स्टडीज			0
4	दयाल सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)			0
5	दयाल सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
6	दौलत राम महाविद्यालय			0
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवस)			0
8	रामानुजन महाविद्यालय	50000000		50000000
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स		180000	180000
10	श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स			0
11	गार्गी महाविद्यालय			0
12	हंस राज महाविद्यालय			0
13	हिंदू महाविद्यालय		216000	216000
14	इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय महिला			0
15	इंस्टिट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स (UG& PG)			0
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	1000000		1000000
17	जीसस एंड मैरी महाविद्यालय			0
18	कालिंदी महाविद्यालय			0
19	कमला नेहरू महाविद्यालय			0
20	किरोड़ीमल महाविद्यालय			0
21	लेडी इरविन महाविद्यालय			0
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय			0
23	लेडी श्री राम महाविद्यालय फॉर विमेन	750000		750000
24	माता सुंदरी महाविद्यालय फॉर विमेन			0
25	मिरांडा हाउस			0
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	500000		500000
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)			0
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
29	पीजीडीएवी महाविद्यालय (दिवसीय)			0
30	पीजीडीएवी महाविद्यालय (सांध्य कालीन)			0
31	रामजस महाविद्यालय			0
32	राम लाल आनंद महाविद्यालय (दिवसीय)			0
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय			0
34	राजधानी महाविद्यालय			0
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)			0
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
37	सेंट स्टीफन महाविद्यालय			0
38	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स		36000	36000
39	एसजीटीबी खालसा महाविद्यालय (दिवसीय)			0

क्र. सं.	महाविद्यालयों का नाम	अनुदान जारी (भवन निर्माण) XII	नेत्रहीन शिक्षक को पाठक भत्ते	कुल जारी अनुदान 2019-20 (रु.)
40	श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय			0
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय			0
42	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय)		144000	144000
43	श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय			0
45	एसपीएम महाविद्यालय फॉर वुमेन	10000000		10000000
46	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)			0
47	सत्यवती सह-शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
48	श्री अरबिंदो महाविद्यालय (दिवसीय)			0
49	श्री अरबिंदो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
50	शिवाजी महाविद्यालय	1250000		1250000
51	विवेकानंद महाविद्यालय			0
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	220000000		220000000
53	जाकिर हुसैन पीजी महाविद्यालय (सांध्यकालीन)			0
54	आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय			0
55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय			0
56	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस			0
57	केशव महाविद्यालय			0
58	शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर एप्लाइड साइंस			0
59	भीम राव अंबेडकर महाविद्यालय		36000	36000
60	दुर्गा बाई देशमुख महाविद्यालय			0
61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय			0
62	दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय			0
63	अदिति महाविद्यालय			0
64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज			
	योग	283500000	615000	284115000

► गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

- ❖ 5.1 उत्कृष्टता के लिए क्षमता-शिक्षण और अनुसंधान
- ❖ 5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
- ❖ 5.3 स्वायत्त महाविद्यालय
- ❖ 5.4 मानव संसाधन विकास केंद्र और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्र
- ❖ 5.5 राजभाषा का संवर्धन
- ❖ 5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- ❖ 5.7 शिक्षण और अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण
- ❖ 5.8 यात्रा अनुदान
- ❖ 5.9 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र
- ❖ 5.10 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र
- ❖ 5.11 विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरण का विकास
- ❖ 5.12 स्वच्छता रैंकिंग

5.1 उत्कृष्टता के लिए क्षमता-शिक्षण और अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए चयनित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं जैसे उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीआई), उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालयों (सीपीई), विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की क्षमता वाले केंद्र (सीपीईए) और नई योजना के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंच सकें और देश के अन्य संस्थानों के लिए मानदंड (बेंचमार्क) के रूप में काम कर सकें।

यूजीसी ने नौवीं योजना अवधि के दौरान ये योजनाएं आरंभ की हैं जो बारहवीं योजना अवधि के दौरान अभी भी जारी हैं। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं:

- शिक्षण, अनुसंधान और बाह्य पहुंच कार्यक्रम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अकादमिक और भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- लचीले और प्रभावी शासन को बढ़ावा देना।
- एक लचीली क्रेडिट आधारित मॉड्यूलर प्रणाली की सहायता से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर ज्ञानार्जन और शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाना और नवाचारों की पूरी श्रृंखला वर्तमान में विश्व स्तर पर स्वीकार की जाती है।
- राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की इंटरफेसिंग से महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षा में सुधार करना।
- देश में अन्य केंद्रों/विभागों और प्रयोगशालाओं के साथ नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।
- वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

5.1 (i) उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय (यूपीआई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं योजना अवधि के दौरान यह योजना आरंभ की ताकि कुछ विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जा सके जिनमें शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता थी। इस पहल को बारहवीं योजना अवधि के दौरान

जारी रखा जा रहा है ताकि कुछ और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया जा सके, जिनमें न केवल शिक्षण और अनुसंधान में बल्कि उन सभी संबंधित कार्यों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता है जो विश्वविद्यालय के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं।

उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई) योजना के अंतर्गत अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है और 12वीं योजना अवधि के दौरान 10 और विश्वविद्यालयों का चयन किया जाना है। यूजीसी मौजूदा यूपीई में से कुछ विश्वविद्यालयों को चिन्हित करना चाहता है जिन्होंने पहले ही शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता और नवाचार को पर्याप्त सीमा तक प्राप्त कर लिया है और इस योजना के अंतर्गत पहले/दूसरे चरण को पूरा किया है और उन्हें उत्कृष्टता विश्वविद्यालय (यूओई) का नाम दिया गया है। बारहवीं योजना के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों, जिन्होंने उत्कृष्टता की क्षमता वाले विश्वविद्यालयों के अपने पहले/दूसरे चरण को पूरा कर लिया है, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन/उपलब्धियों के लिए उत्कृष्टता विश्वविद्यालय (यूओई) के दर्जे को उन्नयन करने पर विचार किया जाएगा। 15 विश्वविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और पहले से अनुमोदित बजट शीर्षों पर यूपीई अनुदान पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ व्यय किए गए अनुदान का उपयोग करने की अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया था।

पात्रता मानदंडः

निम्नलिखित प्रत्यय पत्र (credential) वाले विश्वविद्यालय बारहवीं योजना के दौरान पात्र हैं।

- (i) नैक द्वारा ग्रेड “ए” के साथ प्रत्यायन,
- (ii) आईसीएक्यू अच्छी तरह से स्थापित है और नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
- (iii) नियमित उच्चतर स्तरीय अनुसंधान कार्यकलापों, उत्कृष्टता की खोज के साक्ष्य विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग और सामुदायिक पहुंच के साक्ष्य

कार्यकालः

किसी विश्वविद्यालय को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम तीन चरणों के लिए दर्जा प्राप्त होगा। योजना के एक चरण का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

सहायता की मात्रा

- (i) इस योजना के एक चरण के दौरान यूपीई स्थिति के मामले में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 75.00 करोड़ रुपये है। हालांकि, यदि विश्वविद्यालय को ‘उत्कृष्टता विश्वविद्यालय’ (यूओई) का दर्जा प्रदान किया जाता है तो सहायता की अधिकतम सीमा 150.00 करोड़ रुपये होगी।
- (ii) कुल आवंटन के 50 प्रतिशत को विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित तथा स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित एक या दो केंद्रित क्षेत्र (क्षेत्रों) पर और शेष 50 प्रतिशत राशि को विश्वविद्यालय के समग्र विकास पर व्यय किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

यूपीई/यूओई योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:

पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक विश्वविद्यालयों द्वारा यूपीई/यूओई का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-1 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

स्थायी समिति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर अनुलग्नक-1 के अनुसार प्रस्तावों का स्कोर बनाएगी।

विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर स्थायी समिति संक्षिप्त सूची में नाम रखेगी ताकि विश्व महाविद्यालयों का आगे मूल्यांकन किया जा सके।

संक्षिप्त सूची में नाम वाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को यूजीसी कार्यालय में यूपीई स्थायी समिति के समक्ष पावर-प्वाइंट प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्थायी समिति आयोग को यूपीई/यूओई के रूप में विचार करने के लिए विश्वविद्यालयों की सिफारिश करेगी। यदि स्थायी समिति प्रस्तुतियों के पश्चात महसूस करती है, तो संक्षिप्त सूची में नाम वाले विश्वविद्यालयों का विशेषज्ञ समिति द्वारा दौरा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी जिस पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

स्थायी समिति दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यूपीई/यूओई का दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों के चयन के संबंध में आयोग के विचार करने के लिए सिफारिशें करेगी या अन्यथा, जैसा भी मामला हो।

यूपीई योजना की निगरानी:

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रगति का आकलन करने के लिए यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा एक मध्यावधि निगरानी समिति का गठन किया जाता है। यूपीई/यूओई दर्जा कार्यान्वित होने के दो वर्ष पश्चात विश्वविद्यालय को यूजीसी मुख्यालय में समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट सौंपेगी। सभी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट को जारी रखने/बंद करने के लिए स्थायी समिति और बाद में आयोग के समक्ष रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

यूपीई/यूओई चरण के अंतिम वर्ष में यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित अंतिम समीक्षा समिति योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक विश्वविद्यालय का दौरा करेगी ताकि योजना के उद्देश्यों के आलोक में विश्वविद्यालय के प्रदर्शन और उपलब्धियों की समीक्षा की जा सके। यह समिति इस योजना के अंतर्गत संबंधित विश्वविद्यालय के लिए स्थायी समिति के विचारार्थ यूपीई/यूओई के अगले चरण की सिफारिश भी करेगी। हालांकि, किसी भी विश्वविद्यालय को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम तीन चरणों के लिए यूपीई/यूओई का दर्जा मिलेगा।

मौजूदा 16 (सोलह) यूपीई विश्वविद्यालयों और उन्हें अब तक दिए गए अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:-

योजना	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रित क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (रूपये करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (रूपये करोड़ में)	
				चरण-I	चरण-II	चरण-I	चरण-II
नौवीं	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	1. नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2. संज्ञानात्मक विज्ञान	30.00	25.00 संशोधित करके 50.00	30.00	44.58
	2.	पुणे विश्वविद्यालय,	जैव-प्रौद्योगिकी और उपन्यास सामग्री और नैनो-सिस्टम	30.00	25.00 संशोधित करके 50.00	30.00	37.55 अनुदान का उपयोग करने के लिए 31.03.2020 तक विस्तार
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	हर्बल साइंसेज	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	शिक्षण और अनुसंधान में इंटरफेस अध्ययन	30.00	25.00 को संशोधित करके 50.00 किया गया	30.00	50.00
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1. भौतिक और नैनोसाइंस तकनीकों को काम में लेते हुए जैविक और पर्यावरणीय उत्पत्ति की प्रणाली में जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स 2. विकास, राष्ट्रीय विकास और ज्ञान प्रणाली: अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बीच अंतर	30.00	60.00	30.00	30.00
दसवीं	6	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनो विज्ञान	28.65	--	28.65	--
	7	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (NEHU)	जैव विज्ञान और क्षेत्र अध्ययन	30.00	--	25.00	--

योजना	क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रित क्षेत्र	अनुमोदित अनुदान राशि (रूपये करोड़ में)		जारी किया गया अनुदान (रूपये करोड़ में)	
				चरण-I	चरण-II	चरण-I	चरण-II
ग्यारहवीं	8	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	60.00 (2015-20)	30.00	39.60
	9	मुंबई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00 विस्तारित 31.3.2015	--	20.85	--
	10	उस्मानिया विश्वविद्यालय	सामग्री अनुसंधान – सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	अनुदान का उपयोग करने के लिए 31.03.2020 तक विस्तार
	11.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	1. उन्नत कार्यात्मक सामग्री (ऊर्जा सामग्री, मल्टीफेरोइक्स, उन्नत पॉलिमर) 2. जीनोमिक्स एवं प्रोटियोमिक्स	50.00	--	50.00	अनुदान का उपयोग करने के लिए 31.03.2020 तक विस्तार
	12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	सामग्री और परिवर्तित विज्ञान: नैनो-कण, नैनो-कंपोजिट और मल्टीलेयर्स	50.00	--	25.00	--
	13.	मैसूर विश्वविद्यालय,	1. प्रसंस्करण विशेषता और उन्नत कार्यात्मक सामग्री के अनुप्रयोग। 2. मीडिया और सामाजिक विकास – कर्नाटक का एक केस अध्ययन।	50.00	--	50.00	अनुदान का उपयोग करने के लिए 31.03.2020 तक विस्तार
बारहवीं	14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	ट्यूमर रोधी गतिविधि: एक एकीकृत दृष्टिकोण	50.00 है	--	25.00	--
	15.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय,	भौतिक विज्ञान	50.00 है	--	30.00 है	--
	16.	अन्ना विश्वविद्यालय	बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रुमेंटेशन	23.11 (2016-17)	प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए	23.11	अनुदान का उपयोग करने के लिए 31.03.2020 तक विस्तार

16 यूपीई विश्व महाविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है और पहले से अनुमोदित बजट शीर्षों पर यूपीई अनुदान पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ व्यय किए गए अनुदान का उपयोग करने के लिए अवधि को 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2019-2020 के दौरान किसी भी यूपीई विश्वविद्यालय को अनुदान जारी नहीं किया गया था। यूपीई की योजना बंद कर दी गई थी।

5.1(ii) किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की क्षमता वाला केंद्र (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता और अंतर-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए क्षमता केंद्र (सीपीईपीए) योजना आरंभ की। आयोग ने इस योजना को बारहवीं योजना के दौरान भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुने हुए विभागों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते, सीमांत या अत्याधुनिक विषय क्षेत्रों में विभागीय और/या विषय बाधाओं को नियत करके नियमित आधार पर अपने कार्यक्रमों और कार्यकलापों में सहयोग के लिए अपने संकाय सदस्यों को जोड़कर एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों के 29 केन्द्रों (9 केन्द्रों का कार्यकाल 2016-2021 तक) की सहायता की जा रही है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र	वर्तमान चरण	अवधि	आवंटन (रु. लाख में)	जारी किया गया अनुदान (रु. लाख में)
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,	पारंपरिक शास्त्र	चरण-II	2008-2012	300.00	240.00
	2.	उस्मानिया विश्वविद्यालय,	‘स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की जैव-जांच’	चरण-I	2011-2016	280.00	250.00
	3.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,	“एरोसोल, वायुमंडलीय मॉडलिंग और रिमोट सेंसिंग पर अध्ययन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण”	चरण-I	2016-2021	494.25	280.05
असम	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	“उत्तर-पूर्व भारत में सांस्कृतिक अनुस्मरण: पाठ्य संबंधी और दृश्य कथाओं पर एक शोध और प्रलेखन कार्यक्रम”	चरण-I	2016-2021	230.00	144.23
अरुणाचल प्रदेश	5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	चरण-II	2011-2016	700.00	700.00
चंडीगढ़	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैवचिकित्सा विज्ञान	चरण-I	2002-2011	500.00	500.00
	7.	पंजाब विश्वविद्यालय	“‘सम्मान’ पर सांस्कृतिक निर्धारण: पंजाब और हरियाणा की लिंग लेखापरीक्षा”	चरण-I	2011-2016	185.00	185.00
	8.	पंजाब विश्वविद्यालय	“नैनो-सामग्री, नैनोकणों और नैनो-कंपोजिट के अनुप्रयोग”	चरण-I	2011-2016	355.00	317.50
दिल्ली	9.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	“भारत में मीडिया और संचार अध्ययन को सुदृढ़ बनाना”	चरण-I	2016-2021	280.00	189.00
गुजरात	10.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	एप्लाइड पॉलिमर	चरण-II	2016-2021	670.00	454.00
हिमाचल प्रदेश	11.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालयन अध्ययन	चरण-II	2012-2017	700.00	350.00
जम्मू और कश्मीर	12.	कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर (जे.औरके.)	“कश्मीर हिमालयन जैव विविधता – प्रलेखन, जैव-संभावना और संरक्षण”	चरण-I	2016-2021	527.184	394.95
कर्नाटक	13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	“चिकित्सीय, नैदानिक, औद्योगिक और कृषि अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सामग्री”	चरण-I	2011-2016	685.00	342.50
	14.	बैंगलूरु विश्वविद्यालय	“रोग प्रबंधन में लक्षित दवा डिलीवरी और कोशिकीय प्रकटीकरण का अध्ययन करने के लिए आणविक और नैनो उपकरण का अनुप्रयोग”	चरण-I	2011-2016	575.00	575.00
	15.	मैसूर विश्वविद्यालय	“प्रसंस्करण लक्षण विवरण और उन्नत कार्यात्मक नैनोमीटर के अनुप्रयोग”	चरण-I	2011-2016	430.00	430.00
	16.	मैंगलोर यूनिवर्सिटी	“माइक्रोट्रॉन सुविधा का उपयोग करके पोलिस्केल कार्यात्मक सामग्री पर इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण प्रभाव”.	चरण-I	2016-2021	505.80	406.76
मध्य प्रदेश	17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई-प्रबंधन अध्ययन	चरण-I	2002-2011	300.00	300.00
	18.	विश्वविद्यालय	“इंदौर के जनजातीय क्षेत्रों में समावेशी विकास और सतत विकास”	चरण-I	2016-2021	250.00	130.00

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र	वर्तमान चरण	अवधि	आवंटन (रु. लाख में)	जारी किया गया अनुदान (रु. लाख में)
महाराष्ट्र	19.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	“मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास”	चरण-I	2016-2021	250.00	70.00
पंजाब	20.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	खेल विज्ञान	चरण-I	2002-2007	500.00	500.00
	21.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	“कैंसर के आनुवंशिक आधार और पंजाब में टाइप 2 मधुमेह मेलेटस”	चरण-I	2011-2016	615.00	615.00
तमिलनाडु	22.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरण विज्ञान	चरण-II	2010-2015	500.00	450.00
	23.	मद्रास विश्वविद्यालय	“मानव कल्याण के लिए औषधीय पौधों से औषधियाँ तैयार करना”	चरण-I	2011-2016	325.00	162.00
	24.	मद्रास विश्वविद्यालय	“जलवायु परिवर्तन और क्षेत्र में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव”	चरण-I	2011-2016	230.00	215.00
	25.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	“समुद्री विज्ञान के संकाय में समुद्री जीवविज्ञान में उन्नत अध्ययन”	चरण-I	2011-2016	385.00	385.00
	26.	भारतिअर विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	“सौर ऊर्जा सामग्री और उपकरणों के विकास के लिए भौतिकी में उन्नत अध्ययन”	चरण-I	2016-2021	354.00	326.80
	27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली	“पशु प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय वैकल्पिक केंद्र”	चरण-I	2016-2021	500.00	246.38
उत्तर प्रदेश	28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	व्यवहार संबंधी संज्ञानात्मक विज्ञान	चरण-II	2011-2016	700.00	700.00
पश्चिम बंगाल	29.	कोलकाता विश्वविद्यालय	“गणितीय मॉडलिंग सहित इलेक्ट्रो-फिजियोलॉजिकल और न्यूरो-इमेजिंग अध्ययन”	चरण-I	2011-2016	615.00	615.00

29 केंद्रों में से 20 केंद्रों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है और पहले से अनुमोदित बजट शीर्षों के बारे में सीपीईपीए अनुदान पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ अव्यतित अनुदान का उपभोग करने के लिए अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया था। **वर्ष 2019-2020 के दौरान सीपीईपीए योजना के अंतर्गत केंद्रों को 112.10 लाख रुपये (केवल एक करोड़ बारह लाख दस हजार रुपये) की राशि जारी की गई थी। सीपीईपीए की योजना बंद कर दी गई।**

5.1 (iii) उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

यूजीसी ने दसवीं योजना के दौरान सीपीई योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों को अपनी अकादमिक अवसंरचना में सुधार करने, शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन में नवाचारों को अपनाने और डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में लचीला दृष्टिकोण कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। सीपीई महाविद्यालय अपने संचालन के क्षेत्र में अन्य महाविद्यालयों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। इस योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों को मुख्य रूप से शिक्षण कार्यकलाप में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ऐसे महाविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति आरंभ करने में सहायता करना है। आयोग ने इस योजना के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान उत्कृष्टता महाविद्यालय (सीई) के अतिरिक्त घटक के साथ बारहवीं योजना अवधि के दौरान भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

(I) 12वीं योजना के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार है—

1. इस योजना के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक महाविद्यालय को 150.00 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति मदवार और आवर्ती तथा गैर-आवर्ती श्रेणी के अंतर्गत अनुदान की मात्रा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगी।

2. जिन महाविद्यालयों का चयन दूसरे चरण और आगे की सीपीई के लिए किया गया है, वे अधिकतम 150.00 लाख रुपये के अनुदान के लिए पात्र होंगे।
3. जिन महाविद्यालयों का चयन उत्कृष्टता महाविद्यालय (सीई) के दर्जे के लिए किया गया है वे अधिकतम 200.00 लाख रुपये के अनुदान के लिए पात्र होंगे।
4. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता विभागों को उन्नत एवं अद्यतन बनाने और उनके उत्कृष्टता की दिशा में आगे विकास के लिए है और इसका उपयोग भवनों के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा।
5. अनुदान के 50% को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभागों के विकास के लिए व्यय किया जाए क्योंकि इन्होंने अपनी उत्कृष्टता की क्षमता को प्रमाणित कर दिया है। शेष 50% अनुदान को अन्य विभागों के सामान्य विकास और महाविद्यालय की सामान्य सुविधाओं पर व्यय किया जाए।

आर्थिक सहायता केवल सहायता प्राप्त विभागों पर ही व्यय की जाएगी।

(II) यूजीसी द्वारा अनुदान जारी करना

यूजीसी आरंभ में कुल आवंटन का शत प्रतिशत गैर आवर्ती अनुदान और 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी करेगा। इसके पश्चात आवर्ती अनुदान का 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान की पिछली किस्त के उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त होने पर वार्षिक आधार पर जारी किया जाएगा। हालांकि, गैर आवर्ती अनुदान अनुदान जारी होने से 18 महीने की अवधि के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए और इस आशय का उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यूजीसी द्वारा अनुदान का अंतिम आवंटन हो जाने के पश्चात, महाविद्यालय स्तर पर उपयुक्त औचित्य के साथ कुल आवंटन का 5 प्रतिशत तक पुनः विनियोग करने की अनुमति है, यूजीसी को इसकी सूचना दी जाए। किसी भी स्थिति में कुल आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक के लिए पुनः विनियोग नहीं किया जाएगा।

(III) पात्रता/पूर्व-शर्तें

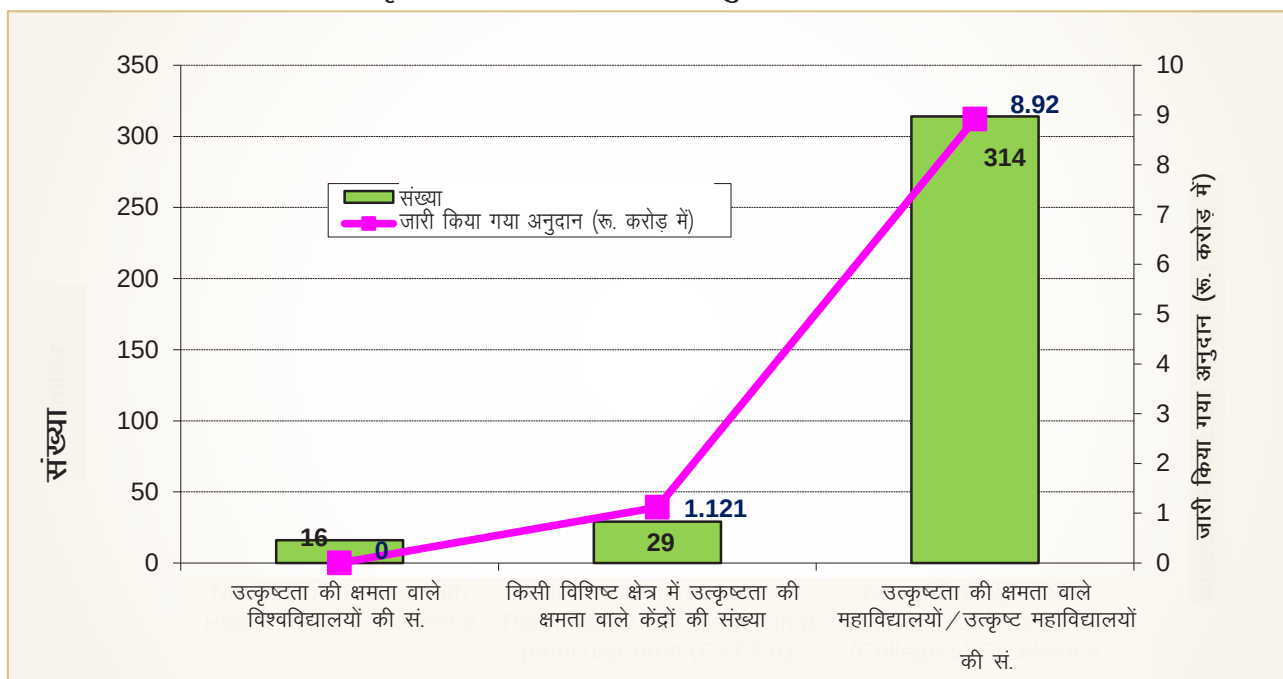
निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले महाविद्यालय इस योजना के अंतर्गत विचार के लिए पात्र होंगे:

1. महाविद्यालय कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
2. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) और 12 (ख) के अंतर्गत प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए।
3. महाविद्यालय को सीपीई दर्जे के पहले चरण के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम 'बी' ग्रेड के साथ नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए।
4. प्रत्यायन प्राप्त महाविद्यालयों में स्वायत्त महाविद्यालयों को वरीयता दी जाएगी।
5. अगर कोई महाविद्यालय सम्मिश्रित महाविद्यालय है तो उसे महाविद्यालय से प्लस-2 पाठ्यक्रमों से असंबद्ध होने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। विशेषज्ञ समिति के साथ आमने सामने होने वाली बैठक से पहले इस बात की लिखित में पुष्टि करनी होगी कि अगर महाविद्यालय को सीपीई का दर्जा दिया जाता है तो अगले शैक्षणिक सत्र से असंबद्ध होना प्रभावी होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की पहली किस्त तभी जारी की जाएगी, जब ऐसा असंबद्ध प्रभावी हो गया हो।
6. यह अभीष्ट होगा कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान सीपीई/सीई के अंतर्गत चयनित महाविद्यालय के शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाए ताकि योजना को कार्यान्वित करने में सततता बनी रहे।
7. उन महाविद्यालयों को वरीयता दी जाएगी, जहां अन्य चीजें समान होने पर, प्राचार्य की नियुक्ति नियमित है और उनका लंबा कार्यकाल है।
8. कृषि, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और फार्मसी महाविद्यालय इस योजना के अंतर्गत विचार करने के लिए पात्र नहीं हैं।

वर्तमान में 295 महाविद्यालयों को 'उत्कृष्टता की क्षमता वाले महाविद्यालय' (सीपीई) का दर्जा है और 19 महाविद्यालयों को 'उत्कृष्टता महाविद्यालय' (सीई) का दर्जा प्राप्त है। आज की तारीख में सीपीई योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों की कुल संख्या 314 है।

वर्ष 2019-2020 के दौरान सीपीई की इस योजना के अंतर्गत 61 महाविद्यालयों को 8,92,40,729 रुपये (आठ करोड़ बयानवे लाख चालीस हजार सात सौ उनतीस रुपये केवल) की राशि जारी की गई थी।

रेखाचित्र 5.1 उत्कृष्टता की क्षमता : संख्या : अनुदान जारी किया गया : 2019-20



5.1 (iv) नए केंद्रों/संस्थानों की स्थापना

उदारीकरण, वैश्वीकरण और उच्चतर शिक्षा प्रणाली से नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की अधिक मांग के कारण हो रहे आर्थिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 2001 के दौरान विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर-विषयक क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान में एक नई योजना आरंभ की थी।

वर्ष 2001-2002 और 2009-2010 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर केंद्रों/संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केंद्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	केंद्र/संस्थान
1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	मानव जीनोम अध्ययन और अनुसंधान के लिए केंद्र की स्थापना
2.	संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	बायोमेडिकल चुंबकीय अनुनाद के केंद्र की स्थापना
3.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय के ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान में विज्ञान के इतिहास के राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में आनुवंशिक इकाई को उन्नत करके अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिक केंद्र का निर्माण
5.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण के राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना
6.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	श्री गुरु ग्रंथ साहिब का राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र

समीक्षा समितियों की सहायता से इन केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई है ताकि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उनके जारी रखने या अन्यथा के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्तमान में केवल एक केंद्र अर्थात् गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राष्ट्रीय अध्ययन पर चल रहा है।

वर्ष 2019-2020 के दौरान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के खातों के निपटारे के लिए 91,53,516 रुपये (इक्यानवे लाख तरेपन हजार पांच सौ सोलह रुपये केवल) की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

बारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया है।

5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) योजना को वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चयनित विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आरम्भ किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को 'उच्चतर अध्ययन केन्द्र (सीएसएस)' के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी प्रत्यायन और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। "विशिष्ट सहायता विभाग" (डीएसए) और "विभागीय शोध सहायता" (डीआरएस) कार्यक्रमों को विभागों में क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएसएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था।

विशिष्ट सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1. शोध सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशिष्ट सहायता विभाग (डीएसए)
3. उन्नत अध्ययन केन्द्र (सीएसएस)

विशेष कार्यक्रम (एसएपी) का कार्यकाल एक विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्ष** का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के समान स्तर पर तीन से अधिक बार (प्रत्येक 05 वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। डीआरएस/डीएसए के स्तर पर विभाग के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है, तो विभाग को डीआरएस/डीएसए के अगले स्तर, जैसा भी मामला हो, पर उन्नयन माना जाएगा।

सहायता का स्वरूप

कार्यक्रम के विभिन्न स्तर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (रु. लाख में)	गणित, सांख्यिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (रु. लाख में)
सीएसएस	रु. 300	रु. 200
डीएसए	रु. 200	रु. 150
डीआरएस	रु. 150	रु. 120

वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है

1. परियोजना फेलो का वेतन।
2. गैर-आवर्ती और साथ ही व्यय की आवर्ती मदें।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन

निगरानी/मूल्यांकन और प्रगति की समीक्षा, प्रदर्शन, एसएपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों द्वारा की गई उपलब्धियों को सलाहकार समिति और अंतिम समीक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है।

एसएपी-विभागों की स्थिति

01-04-2019 को विभागों की संख्या

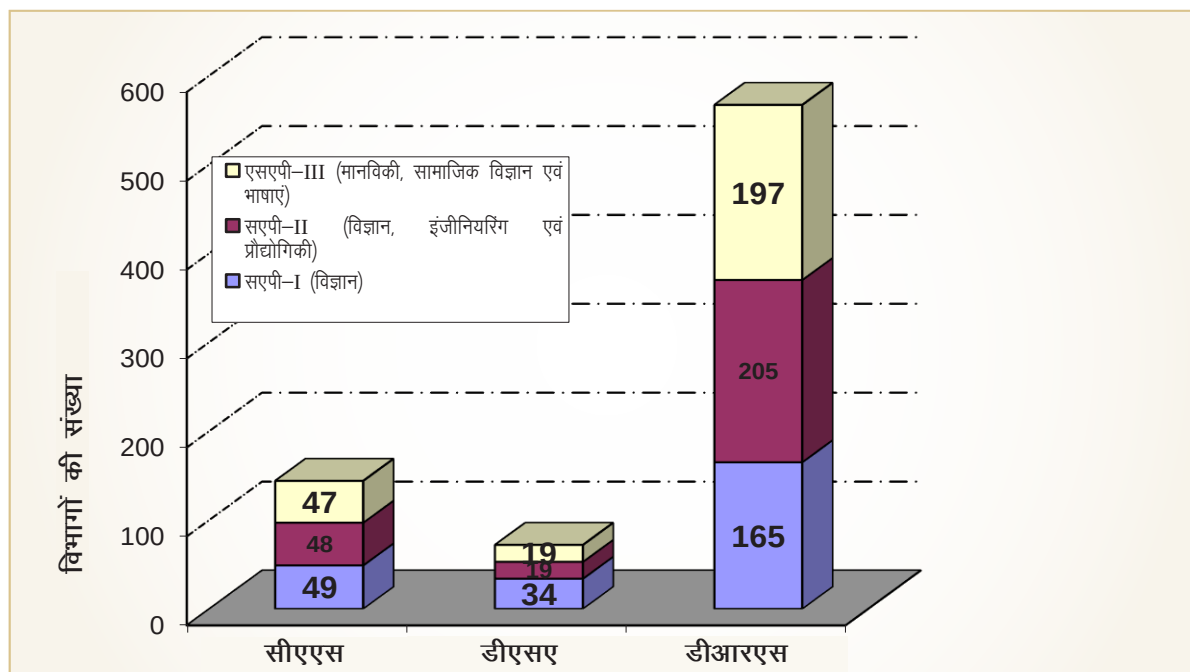
स्तर/ अनुभाग	एसएपी-I (विज्ञान)	एसएपी-II (विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी-III (मानविकी और सामाजिक विज्ञान और भाषाएँ)	योग
सीएसएस	50	48	52	150
डीएसए	34	19	19	72
डीआरएस	167	206	213	586
योग	251	273	284	808

1. 2016-2017 के पश्चात कोई समीक्षा नहीं हुई है और नए विभागों को शामिल नहीं किया गया है।
2. 2019-20 के दौरान बंद विभागों की सं. : 25

31.03.2020 को विभागों की संख्या

स्तर/ अनुभाग	एसएपी-I (विज्ञान)	एसएपी-II (विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी-III (मानविकी और सामाजिक विज्ञान और भाषाएँ)	योग
सीएस	49	48	47	144
डीएस	34	19	19	72
डीआरएस	165	205	197	567
योग	248	272	263	783

रेखाचित्र 5.2: एसएपी की स्थिति – 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार विभाग



3. वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय **40,88,42,345/-*** रुपये

$$*(14,86,31,766/- + 17,21,28,070/- + 8,80,82,509/-) = 40,88,42,345 \text{ रुपए}$$
(अर्थात् 40.88 करोड़ रुपए)

4. लाभार्थी विभागों की संख्या:- 283

5.3 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग (1964-66) ने बताया कि शिक्षकों द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता का प्रयोग हमारे देश के बौद्धिक वातावरण के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक ऐसा वातावरण प्रबल नहीं होता, तब तक हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के सह-भागीदार होने के साथ, यह आवश्यक है कि वे एक बड़े उत्तरदायित्व को साझा करें। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964-66) ने महाविद्यालय स्वायत्तता की सिफारिश की है, जो संक्षेप में, अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का साधक है।

देश में संस्थानों की स्वायत्तता को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त महाविद्यालयों की एक योजना तैयार की। स्वायत्तता के लिए योजना लंबे समय से चल रही है और इस अवधि के दौरान देश में बड़ी संख्या में संस्थानों के गुणवत्ता के मापदंडों को पूरा करने से ऐसी योजना से कई मायनों में लाभ हुआ है। स्वायत्तता की योजना में न केवल स्वायत्तता प्रदान करने

के लिए मानक के कुछ स्तरों को पूरा करने पर विचार किया गया है बल्कि यह अन्य अकादमिक प्रयासों के साथ पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा और मूल्यांकन की प्रचलित प्रणाली में सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न सुधारों को करते हुए उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता की मांग करता है।

उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं, स्वायत्त दर्जे के नए/विस्तार के लिए आवेदन करने की गुंजाइश, पात्रता और प्रक्रिया, यूजीसी द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया, स्वायत्त महा महाविद्यालयों की निगरानी और वित्तीय सहायता के बारे में विवरण यूजीसी की वेबसाइट <http://www.ugc.ac.in> पर उपलब्ध है।

स्वायत्त महा महाविद्यालयों को स्वीकार्य स्वायत्त अनुदान यूजीसी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है जो हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलूरु और दिल्ली में स्थित हैं।

आयोग योजना के दिशा-निर्देशों (अलग से निर्धारित) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त महा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, स्ववित्तपोषित महा महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वायत्तता अनुदान के उपयोग और खातों के रखरखाव से संबंधित मामलों में, महाविद्यालय को योजना के दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देश मिलेगा।

31-03-2020 को 109 विश्वविद्यालयों और 25 राज्यों में 747 स्वायत्त महाविद्यालय थे।

5.4 मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण के उच्चतर मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986-87 में अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में एएससी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे महाविद्यालय, नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित डिलीवरी नए ज्ञान के घातीय विकास और विषय विशिष्ट शिक्षण और अनुसंधान की बाधाओं को तोड़ने की तेजी से बढ़ती प्रवृत्तियों से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करना शिक्षकों के निरंतर ज्ञान उन्नयन, क्षमता निर्माण और प्रेरणा पर निर्भर करता है। यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र शिक्षकों के व्यावसायिक और कैरियर विकास हेतु अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रणालियों की सुविधा प्रदान करते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए आवश्यक है ताकि वे विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नए ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और शिक्षार्थियों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के विकास से उभरती नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अच्छी तरह से तैयार और प्रेरित हों।

इसलिए, विशिष्ट विषयों, तकनीकों और पद्धतियों में व्यवस्थित अभिविन्यास के माध्यम से उनकी प्रेरणा, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से, और इस तरह उनमें सही प्रकार के मूल्यों को जागृत किया जा सकेगा जो उन्हें अभिनव और रचनात्मक कार्यों के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र विशेष रूप से तैयार किए गए तीन सप्ताह के उन्मुखीकरण कार्यक्रमों, दो सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और पात्र सेवारत शिक्षकों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं।

पात्रता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भले ही धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल होने के लिए अभी तक उपयुक्त नहीं माना गया है, उन्हें उन्मुखीकरण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। जिन महाविद्यालयों के शिक्षक अभी तक धारा 2 (च) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से दो वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं, उन्हें कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

यूजीसी अनुदान की सीमा

- I. वेतन : रू वास्तविक आधार पर
- II. पुस्तकें * : रू 1.00 लाख रुपये
- III. उपकरण : रू 1.00 लाख रुपये
- IV. कामकाजी व्यय : रू 3.50 लाख रुपये एकमुश्त प्रति वर्ष/ या वास्तविक व्यय जो भी कम हो।
- V. प्रतिभागी लागत : मानदंडों के अनुसार वास्तविक
(उपर्युक्त पांच के लिए कुल वार्षिक सीमा एक करोड़/प्रति एचआरडीसी है)

प्रतिभागी लागत के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं:

- I. बाह्य स्टेशन प्रतिभागियों को टीए/डीए और स्थानीय प्रतिभागियों को आतिथ्य
- II. संसाधन व्यक्तियों को टीए/डीए और मानदेय
- III. पठन-पाठन सामग्री
- IV. अतिरिक्त कार्य व्यय
- V. पाठ्यक्रम समन्वयक को मानदेय

* पुस्तकें, जर्नल, पत्रिकाएं, विश्वकोश, समाचार पत्र, श्रव्य-दृश्य, ई-संसाधन आदि।

** यूजीसी के पत्र संख्या मि. 5-1/2019 (एचआरडीसी) दिनांक 4 जून, 2018 के अनुसार प्रतिभागियों को डीए बंद कर दिया गया है।

प्रत्येक विज्ञान विषय के लिए 40,000 रुपये की दर से और प्रत्येक मानविकी विषय के लिए तथा प्रत्येक उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के लिए 30,000 रुपये की दर से अतिरिक्त कार्य व्यय।

यूजीसी ने 66 एचआरडीसी में से 60 को अनुदान स्वीकृत किया है। शेष एचआरडीसी को वर्ष 2017-18 के खातों का निपटारा नहीं होने के कारण अनुदान जारी नहीं किया है।

- यूजीसी एचआरडीसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में लगभग 25000 शिक्षक-प्रतिभागी शामिल हुए हैं।
- 60 एचआरडीसी को 40,00,000 रुपये की दर से कुल स्वीकृत राशि 24,00,00,000 (वर्ष 2019-20 के लिए एचआरडीसी को 40,00,000/- x 60 = राशि 24,00,00,000/-) रुपये पहले ही जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनआरसी अधिसूचित किए जा रहे स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 24 एचआरडीसी को 5,00,000 रुपये के नए स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं।

66 मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) के संबंध में 2019-20 के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के कार्यक्रमों का आवंटन, बैठक का आयोजन 18.04.2019 को आयोजित किया गया था।

मानव संसाधन विकास केंद्र की योजना के दिशा-निर्देशों पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है। समिति ने एचआरडीसी योजना-2019 के लिए नए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है।

एचआरडीसी से 2017-18 और 2018-19 के लिए विभिन्न लेखा प्राप्त हुए हैं और एचआरडीसी को शेष अनुदान जारी किया जाएगा।

5.5 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया, जिसका उपयोग उन भाषाओं के लिए किया गया है जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राजभाषा प्रकोष्ठ' स्थापित करने का निर्देश दिया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरंभ में एक राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की जो 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बन गया। इस नीति के अनुसार, राजभाषा अनुभाग की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रकोष्ठों की स्थापना की है और यूजीसी द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय/सम विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 के खंड 3 (3) अधीन आने वाले सभी कागजातों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, समझौते, निविदा नोटिस, संसद प्रश्न आदि) को द्विभाषी रूप में जारी किया गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 19 मार्च, 2019, 19 जून, 2019, 30 सितंबर, 2019 और 23 दिसंबर 2019 को आयोजित की गईं।
- वर्ष 2019-20 के दौरान आयोग में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 2019, 18 जुलाई, 2019, 13 नवंबर, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी टंकण के लिए 09 कर्मचारियों को नामित किया गया था। जिसमें से 3 कर्मचारियों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और 03 कर्मचारियों को अर्हता पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- आयोग के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सामग्रियों जैसे वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2018-19, प्रशासनिक निविदा सूचना, प्रशासन द्वारा निर्धारित अवकाश के विभिन्न विभिन्न प्रारूप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश/चिकित्सा अवकाश/अर्जित अवकाश नकदीकरण/प्रभार लेने/त्यागपत्र आदि के लिए प्रोफार्मा) सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना और दस्तावेजों, प्रशासनिक आधिकारिक आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनाती, अनुशासनात्मक आदेश से संबंधित सेवानिवृत्ति आदेश, अर्ध शासकीय पत्रों और विज्ञापनों तथा परिपत्रों का हिंदी में अनुवाद किया गया।
- वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबंध, वाद-विवाद, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण और कंप्यूटर पर टाइपिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सात्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5000 रुपये, 4000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये का नकद पुरस्कार वितरित किया गया।
- 1-14 सितंबर के दौरान 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। 4 सितंबर, 2019 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस मनाने और पुरस्कार वितरण समारोह के लिए कुल 4,29,145 रुपये की राशि व्यय की गई।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी नियमित रूप से भाग लेते हैं।
- वर्ष 2019 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की सदस्यता हेतु नराकास के अध्यक्ष को 5,000 रुपये की अंशदान राशि का भुगतान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है और दैनिक कार्य को समय-समय पर अपलोड किया जाता है।
- वर्ष 2019-2020 के दौरान, आयोग द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों के 4 विश्वविद्यालयों को गैर-आवर्ती व्यय के अंतर्गत भवन के निर्माण और नवीनीकरण के लिए दूसरी किस्त और अंतिम किस्त की 1,27,05,773/- रुपये की राशि जारी की गई।

गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम, 2019-2020 के अनुसार लक्ष्यों की उपलब्धि और भविष्य की कार्य योजना से संबंधित अपनाई जाने वाली कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:-

- गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम **2020–2021** में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 का अनुपालन सुनिश्चित करना, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में एक साथ जारी किए जाने चाहिए और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जारी करते समय हिंदी संस्करण अंग्रेजी से ऊपर रहेगा।
- कंप्यूटर, ई-मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करके हिंदी का काम बढ़ाना।
- ई सरल हिंदी वाक्य शब्दकोश – राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों का हिंदी अनुवाद दिया गया है, जिसके प्रयोग से कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फाइल पर सामान्य टिप्पणी हिंदी में लिखनी चाहिए।
- मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को अपने विषयों से संबंधित सेमिनार हिंदी माध्यम में आयोजित करना चाहिए।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाने वाले विज्ञापनों को हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।
- हिंदी शिक्षा को सामाजिक रूप से व्यवहार्य और रोजगारोन्मुखी बनाएं।
- हिंदी भाषा का ज्ञान राजभाषा के कार्यान्वयन का आधार है। इसलिए कार्यालयों में सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिंदी भाषा प्रशिक्षण का कम से कम एक सत्र होना चाहिए।
- शासकीय कार्य में अन्य भाषाओं के साथ-साथ राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आयोग में कार्यरत सभी कर्मियों को हिंदी माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए।
- हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के समकालीन होगी।
- गैर हिंदी राज्यों के लिए बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम बोर्ड और दिशा संकेतकों के लिए एक ही क्रम में क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- आयोग की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराई जाए।
- संगठन के कार्य क्षेत्र से संबंधित लेखों को घरेलू जर्नलों में अधिक से अधिक शामिल किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी/कर्मचारी इससे संबंधित शब्दावली से लाभान्वित हो सकें।

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (अनुबंध आधार पर) यूजीसी ने फरवरी-मार्च माह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अनुभागों में संपर्क कार्यक्रम सह हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया और भारत सरकार की राजभाषा नीति के साथ-साथ यूनिकोड द्वारा हिंदी टंकण और हिंदी टिप्पण के संबंध में यूजीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित कराया। इसके साथ ही खंड के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी टंकण और प्रारूप लेखन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोग में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- वर्ष 2019–20 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग द्वारा 4 केंद्रीय विश्व महाविद्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया था।
- आयोग के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में 14 पुस्तकें छापी गई थीं, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल 8,18,419 रुपये (आठ लाख अठारह हजार चार सौ उन्नीस रुपये केवल) का व्यय वहन किया गया था।
- वेबसाइट और ब्यूरो प्रमुखों के साथ ई-कार्यालय का द्विभाषीकरण और एलईडी स्क्रीन पर उनकी संबंधित योजनाएं प्रदर्शित की गईं।

5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

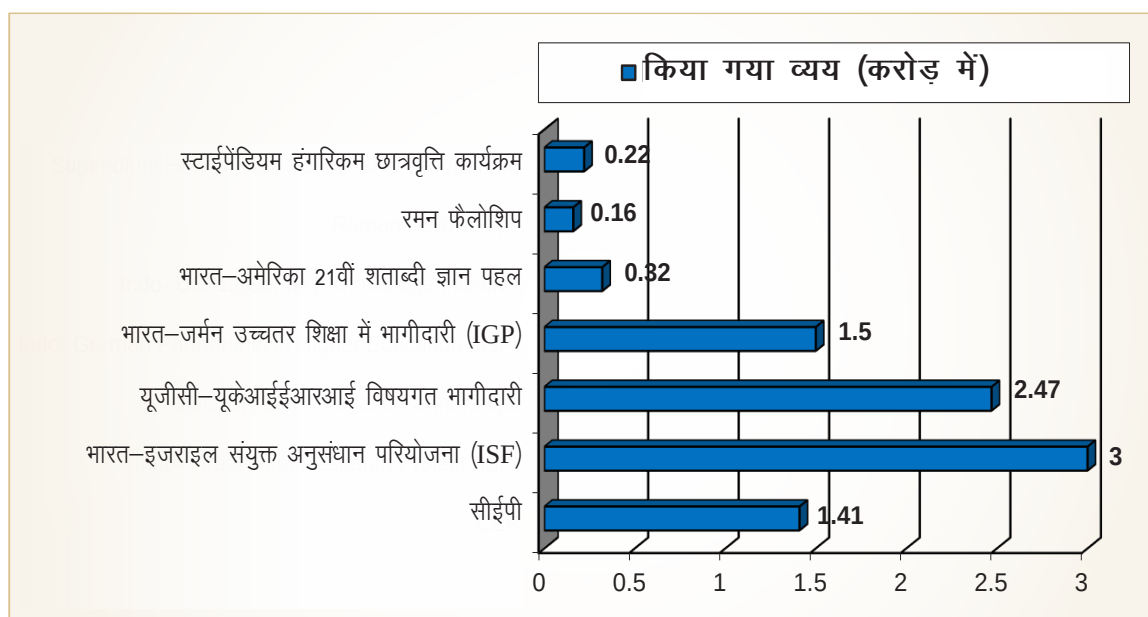
भारत सरकार की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत और विदेशों के बीच विभिन्न सहयोगी अकादमिक कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

यूजीसी अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नॉर्वे और न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है और भारतीय विद्वानों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप और अनुसंधान कार्यक्रमों जैसे स्टार्डिपेंडियम हंगरीकम, अमेरिका में पोस्ट-डॉक्टरल शोध के लिए रमन फेलोशिप, परियोजना आधारित कार्मिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम और परामर्श योजना के माध्यम से उनकी शोध क्षमता को साकार करने में भी सहायता मिली है।

वर्ष 2019-2020 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए व्यय इस प्रकार है:

योजना का नाम	व्यय (करोड़ में)
सीईपी	1.41
भारत-इजराइल संयुक्त अनुसंधान परियोजना (ISF)	3.00
यूजीसी-यूकेआईआईआरआई विषयगत भागीदारी	2.47
भारत-जर्मन उच्चतर शिक्षा में भागीदारी (IGP)	1.50
भारत-अमेरिका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल	0.32
रमन फेलोशिप	0.16
स्टार्डिपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	0.22
कुल व्यय	9.08

रेखाचित्र 5.6: 2019-20 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हुआ व्यय



5.6(i) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम (संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं)

5.6(i) (क) भारत-इजराइल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम:

संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम का उद्देश्य इजरायली और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और इजराइल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) के बीच सहयोग के समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, और दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से भारतीय और इजरायली सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, प्रत्येक देश अपने संबंधित विनियमों के अनुसार अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषण करता है। यह कार्यक्रम सभी विषयों के लिए खुला है।

भारत-इजराइल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम (चौथा चक्र) के अंतर्गत वर्ष 2018 में 11 संयुक्त शोध परियोजनाओं को तीन वर्ष अर्थात् 1 मई, 2018 से 30 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए प्रदान किया गया था।

5.6(i)(ख) यूजीसी-यूकेआईआरआई विषयगत भागीदारी

यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईआरआई) दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोत्साहन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) और नई दिल्ली स्थित यूकेआईआरआई सचिवालय के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी), कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –यूकेआईआरआई विषयगत भागीदारियां ब्रिटेन और भारत की प्रमाणित शोध क्षमता वाले संस्थान-आधारित शोध दलों को प्रदान किए जाने का विचार है। विषयगत भागीदारियों के अंतर्गत वर्ष 2018 के दौरान 18 संयुक्त शोध परियोजनाओं को दो वर्ष की अवधि अर्थात् 15 मार्च, 2018 से 14 मार्च, 2020 तक प्रदान किया गया था।

5.6(i)(ग) उच्चतर तर तर शिक्षा में भारत-जर्मनी भागीदारी (आईजीपी):

द्वितीय भारत-जर्मनी अंतर-सरकार परामर्श के अवसर पर दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को बर्लिन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत और फ़ेडरल मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत-जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत हुए। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा सांगठनिक प्रशासन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डीएएडी पर है। इस संबंध में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित दोनों मंत्रालयों के बीच इस आशय की संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 से 2020 तक चार वर्षों की अवधि हेतु वित्तपोषित करने और इस अवधि हेतु प्रत्येक पक्ष द्वारा 3.5 मिलियन यूरो आवंटित करने की इच्छा प्रकट की है।

मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और आशय की संयुक्त घोषणा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता किया गया तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में उक्त समझौते का आदान-प्रदान किया गया।

प्रथम चरण में, चार (04) वर्षों अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 की परियोजना अवधि के लिए वर्ष 2016 में 08 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई हैं।

5.6(i)(घ) परियोजना आधारित व्यक्तिगत आदान-प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):

जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नई दिल्ली में शोध विद्वानों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को तेज करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएच. डी. और पोस्ट डॉक्टरल वैज्ञानिकों और शोध विद्वानों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.6(ii) छात्रवृत्ति और विद्वानों का आदान-प्रदान:

5.6(ii)(क) स्टाइपेंडियम हंगरीशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम

हंगरी के मानव क्षमता मंत्रालय और भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच 19 नवंबर, 2014 को हस्ताक्षरित इंडो-हंगरी एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, यूजीसी हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित करता है। इस समझौते के अंतर्गत हंगरी सरकार 200 भारतीय छात्रों को

छात्रवृत्ति देती है और उनके हवाई किराए पर होने वाला व्यय यूजीसी उनकी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात वहन करता है। वर्ष 2019–2020 में, हंगरी स्कॉलरशिप बोर्ड द्वारा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 178 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। भारत सरकार यूजीसी के माध्यम से हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। इसके प्रति हंगरी के 3 शोध विद्वान भारत में उच्चतर शिक्षा के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई करने के लिए भारत आए थे।

5.6(ii)(ख) इंडो-बल्गेरियाई सीईपी

2019 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुल्गेरियाई भाषा और संस्कृति में “सेंट विलेमेट ओव्हिड्स्की: सोफिया विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 14 जुलाई से 3 अगस्त, 2019 तक और “सेंट सिरिल और सेंट मेथोडियस” विश्वविद्यालय ऑफ वेलिको टर्नोवो द्वारा दिनांक 15 जुलाई से 4 अगस्त, 2019 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए चार विद्वानों को नामित किया था।

5.6(iii) विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालयों में की जाती है। किसी विश्वविद्यालय को भाषा शिक्षक उपलब्ध कराते समय आम तौर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पास विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसंरचना हो।

शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अनुसार भारत के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 22 विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2019–2020 के दौरान उन भाषा शिक्षकों को विस्तार दिया गया था जिनके लिए उनके दूतावास से विस्तार के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है और जहां भी पद रिक्त हुए हैं वहां कुछ नई नियुक्तियों की गई हैं। शिक्षकों का भाषावार विवरण निम्नानुसार है:—

जर्मन-3	स्पेनिश-10	पुस्तो-1	बल्गेरियाई-1	चेक-1
पुर्तगाली-2	हंगरी-1	क्रोएशियाई-1	रोमानियाई-1	पोलिश-1

5.7 राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण: शिक्षण एवं शोध हेतु मानव संसाधन विकास

मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में शिक्षण वृत्ति और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा देशभर में अनेक शहरों और 81 विषयों (पेपर-1 के अतिरिक्त) में वर्ष में दो बार, सामान्यतः जनवरी/जुलाई माह में आयोजित की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शोध के क्षेत्र में व्यापक तुलनीयता के साथ-साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्चतर स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में एक समान शिक्षण तथा शोध के मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम से परिकल्पना की थी कि “व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।” विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को विकसित करने के मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ इसे जोड़ दिया तथा 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट) भाषाओं, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों सहित मानविकी के अंतर्गत आने वाले विषयों में आयोजित की। इसके साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए

31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा के लिए संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, यूजीसी-नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा को अधिकांशतः वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक यूजीसी-नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आउटसोर्स कर दिया गया था। तत्पश्चात् यूजीसी-नेट को आयोजित करने का कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरण (एनटीए) को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, दिसम्बर, 2018 में आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को एनटीए द्वारा आयोजित किया गया था।

जबकि सीएसआईआर के तत्वाधान में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान और भौतिकी विज्ञान विषयों में प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है।

ऐसे अभ्यर्थी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो यूजीसी-नेट अथवा सीएसआईआर-यूजीसी संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी जो यूजीसी -नेट परीक्षा में जे0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्व महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्व महाविद्यालयों और महा महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक यूजीसी-नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सीएसआईआर-यूजीसी संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से 1500 अध्येतावृत्तियाँ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

जून, 2019 में आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा में 4746 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2019 में आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा में 5297 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया।

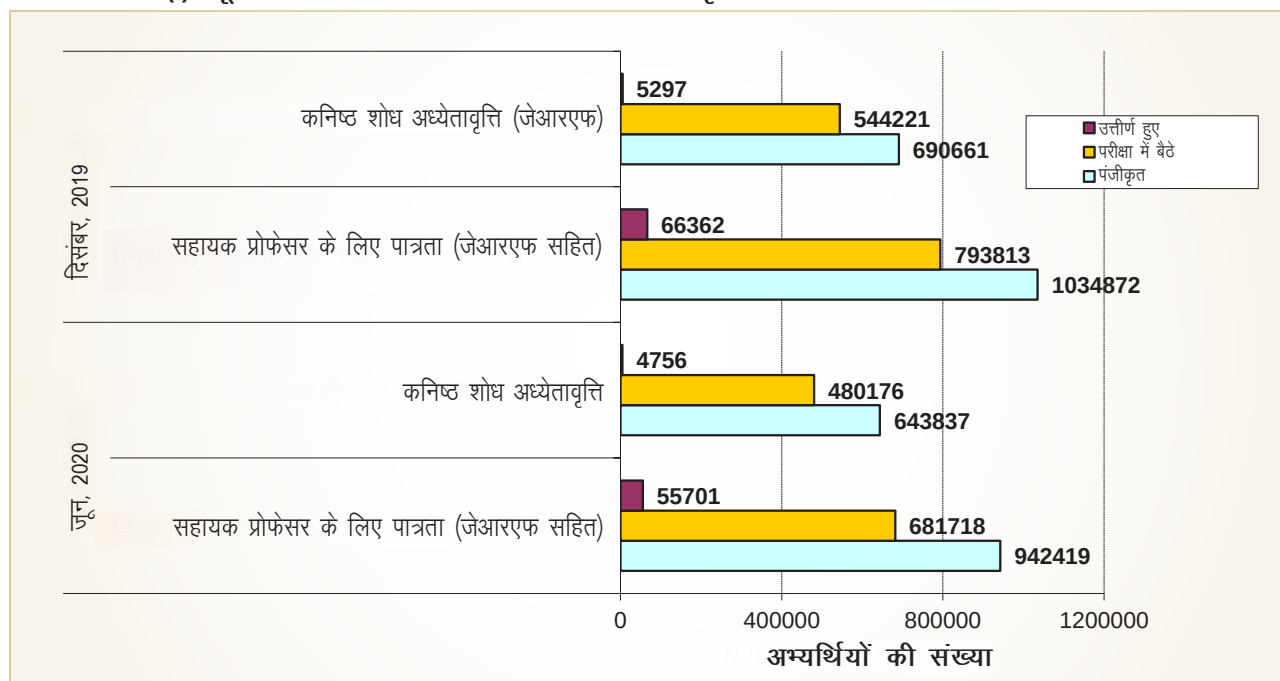
5.7(i) यूजीसी – नेट परीक्षा में प्रदर्शन

यूजीसी-नेट परीक्षा के अंतर्गत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों का संक्षिप्त विवरण तालिका-5.7(i) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.7(i): वर्ष 2019-20 के दौरान यूजीसी-नेट परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या

यूजीसी- नेट		पंजीकृत	परीक्षा में बैठे		अर्हताप्राप्त	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत (%)	संख्या	परीक्षा में बैठने वालों का प्रतिशत (%)
जून 2019	सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता (जेआरएफ सहित)	942419	681718	72.34	55701	8.17
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (JRF)	643837	480176	74.58	4756	0.99
दिसंबर 2019	सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता (जेआरएफ सहित)	1034872	793813	76.71	66362	8.36
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (JRF)	690661	544221	78.80	5297	0.97

रेखाचित्र 5.7(i): यूजीसी-नेट : वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत, परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या



5.7(ii) वंचित श्रेणियों के लिए रियायतें / छूट

भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के अनुरूप समाज के बहुत से वंचित वर्गों को सुधारने के लिए कई उपाय कर रहा था। उन्हें पर्याप्त रियायतें और छूट प्रदान की जा रही थी। अब जब यूजीसी-नेट को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है, तो यह निम्नलिखित तरीकों से वंचित वर्गों को पूर्ण सहायता प्रदान करना भी जारी रखे हुए है:

क) शुल्क में छूट

जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 1000 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह केवल 500 रुपये है जो क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों को केवल 250 रुपये नाममात्र का शुल्क देना होता है।

ख) जेआरएफ के लिए आयु में छूट

जेआरएफ की परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) /दिव्यांगजन/ट्रांसजेंडर के अभ्यर्थियों और महिला आवेदकों को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है।

ग) नेट के लिए पात्रता शर्तों में छूट

1.	सामान्य अभ्यर्थी (ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित)	स्नातकोत्तर डिग्री में 55% अंक (बिना राउंड ऑफ किए)
2.	ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांगजन/एससी/एसटी/ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	स्नातकोत्तर डिग्री में 50% अंक (बिना राउंड ऑफ किए)

घ) यूजीसी-नेट के लिए अर्हता प्राप्ति के मानदंड में

अभ्यर्थियों को पेपर-I एवं पेपर-II के निम्नलिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं ताकि परिणाम की अंतिम तैयारी के लिए विचार किया जा सके जैसा कि तालिका 5.7(ii) में प्रस्तुत किया गया है: -

तालिका 5.7(ii) परिणाम की तैयारी के लिए विचार-परिधि में होने के लिए प्रत्येक पेपर में अपेक्षित श्रेणी-वार न्यूनतम अंक

वर्ग	न्यूनतम सकल प्रतिशत
सामान्य (ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित)	40%
ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांगजन /एससी/एसटी/ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	35%

जैसा कि यहां स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन श्रेणियों के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की आरक्षण नीति को यूजीसी-नेट में लागू किया जा रहा है ताकि जेआरएफ के लिए स्लॉट आवंटित करने के साथ-साथ सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता भी दी जा सके। ट्रांसजेंडर्स के लिए विषयवार कट ऑफ संगत विषय में एससी/एसटी/दिव्यांगजन/ओबीसी-एनसीएल श्रेणियों में से सबसे कम हैं।

5.7(iii) सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए प्रावधान

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) के लिए आवेदन करने के लिए उन अभ्यर्थियों को 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है जो सशस्त्र बलों में सेवा कर चुके हैं, बशर्ते संबंधित यूजीसी-नेट के महीने के पहले दिन तक सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि पर रहे हों।

5.7(iv) संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा

सीआईएसआर-यूजीसी की संयुक्त परीक्षा को प्रत्येक वर्ष दो बार अर्थात् जून तथा दिसम्बर माह में सीआईएसआर द्वारा आयोजित किया जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा जेआरएफ और व्याख्याता/सहायक आचार्य दोनों की पात्रता के लिए अर्हताप्राप्त घोषित अभ्यर्थियों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत 1500 जेआरएफ प्रदान किए जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कतिपय संख्या में अभ्यर्थियों को व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र घोषित किया।

तालिका 5.7 (iv) में मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाया गया है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा आयोजित की जाती है और तालिका 5.7 (v) में संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा के माध्यम से जेआरएफ के लिए अर्हताप्राप्त और व्याख्याता के लिए पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5.7(iv): संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट के अंतर्गत शामिल विज्ञान विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और गृह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणितीय विज्ञान
5.	भौतिकी विज्ञान

तालिका 5.7(v): संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा	अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	
	यूजीसी जेआरएफ	सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता (जेआरएफ सहित)
जून 2019	1638*	7814
दिसंबर 2019	1656*	8036

स्रोत: सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात्, www.csirhrdg.res.in और सीएसआईआर से

* भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जेआरएफ स्लॉट के आवंटन के कारण जेआरएफ का आंकड़ा 1500 से अधिक हो गया है।

5.7(v) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप)

भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत एम.फिल./पीएच.डी. के माध्यम से अनुसंधान करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के अंतर्गत प्रति वर्ष 2000 फैलोशिप प्रदान करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए चयन सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से किया जाता है, यूजीसी-नेट या संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा में जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए नहीं। जून में आयोजित यूजीसी-नेट और संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा के माध्यम से एक हजार फैलोशिप और अन्य 1000 फैलोशिप 10 दिसंबर को आयोजित इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती है। इसी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप का परिणाम तर्कसंगत सांख्यिकी पद्धति से काम करके तैयार किया गया था। परिणाम 17.09.2019 को घोषित किया गया था और इसे चयनित अभ्यर्थियों के फैलोशिप प्रदान करने संबंधी पत्रों के साथ यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

इसके पश्चात, वर्ष 2019-20 के जून चक्र के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप का परिणाम 27.12.2019 को घोषित किया गया। परिणाम और फैलोशिप प्रदान करने संबंधी पत्र इसी तरह यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

5.7(vi) सार्वजनिक क्षेत्र में यूजीसी-नेट के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को मान्यता

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, यूजीसी-नेट को प्रतिभा पूल के प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान्यता मिली है; इसे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जा रहा है। अनेक प्रमुख सरकारी निकायों ने विभिन्न विषयों में अपने अधिकारियों की भर्ती के लिए यूजीसी-नेट प्राप्तों का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। इनके नाम निम्नवत हैं:

- i) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- ii) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)
- iii) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
- iv) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- v) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- vi) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- vii) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- viii) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड
- ix) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
- x) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
- xi) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही इस संबंध में अपने आंकड़े साझा करने की इच्छा व्यक्त कर चुका है और वह समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जानकारी भी प्रदान कर रहा है।

5.7(vii) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से अधिदेश के अनुसार यूजीसी ने राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की, जिन्हें अब राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) कहा जाता है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत मान्यता-प्राप्त है। सेट का पैटर्न भी यूजीसी-नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/राज्यों के समूहों के सेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनके प्रस्तावों की जांच करने तथा उनकी सक्षमता और सामर्थ्य का पूर्णतया आकलन करने के पश्चात् ही सहायक प्रोफेसर हेतु पात्रता के लिए सेट परीक्षा को अधिकतम तीन वर्ष के लिए आयोजित करने हेतु प्रत्यायन प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेट अभिकरणों के निष्पादन की आवधिक तौर पर विशेषज्ञ समितियों की सहायता से समीक्षा की जाती है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व यूजीसी द्वारा प्रत्यायन प्राप्त राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की गई है। जून, 2002 में या उसके पश्चात आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटन करने के लिए मानदंड, जिसे यूजीसी-नेट परीक्षा में लागू किया जा रहा है, उसे अब सेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए कुल स्लॉटों का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हता प्राप्त करने के मानदंड के अनुरूप ही किया जाता है, उन्हें संबंधित राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप ही आबंटित किया जाता है।

अब तक, राज्यों के निम्नलिखित राज्यों/समूहों ने सेट का आयोजन किया है:

- क. आंध्र प्रदेश
- ख. बिहार
- ग. छत्तीसगढ़
- घ. गुजरात
- ङ. हरियाणा
- च. हिमाचल प्रदेश
- छ. जम्मू-कश्मीर
- ज. झारखंड
- झ. कर्नाटक
- ञ. मध्य प्रदेश
- ट. महाराष्ट्र और गोवा
- ठ. पूर्वोत्तर राज्य (प्रतिभागी राज्य: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
- ड. राजस्थान
- ढ. तमिलनाडु
- ण. तेलंगाना
- त. उत्तराखंड
- थ. उत्तर प्रदेश
- द. पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में से, 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन करने वाले राज्यों/राज्यों के समूहों का नाम नीचे दिया गया है:

- i) आन्ध्र प्रदेश
- ii) छत्तीसगढ़
- iii) गुजरात
- iv) हिमाचल प्रदेश
- v) मध्य प्रदेश
- vi) महाराष्ट्र और गोवा
- vii) पूर्वोत्तर सेट
- viii) तेलंगाना
- ix) पश्चिम बंगाल

01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और तीन वर्षों के लिए नया प्रत्यायन प्रदान किया गया:

- i) आंध्र प्रदेश
- ii) गुजरात
- iii) कर्नाटक

5.8 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत प्रत्यायन प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। आयोग के सदस्य और शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव स्तर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षकों/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्यों के मामले में, उन्हें पद पर होना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के अंतर्गत सूचीबद्ध महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को तीन वर्ष की अवधि में एक बार यात्रा, पंजीकरण शुल्क, प्रति दिवस भत्ता और वीजा शुल्क आदि के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के अंतर्गत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के महाविद्यालय के शिक्षकों को दो वर्ष की अवधि में एक बार 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पेपर और सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का माननीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (रुपये करोड़ में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्य/यूजीसी अधिकारी	
2017-18	2	383	-	6.30
2018-19	7	355	2	5.25
2019-20	1	340	1	5.10

5.9 अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के अन्तर्गत वर्ष 1984 से विभिन्न अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है। अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत स्वायत्त निकाय हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के हितलाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे 8 केन्द्र स्थापित किए हैं। अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक (एक्सीलेटर) केंद्र

(आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में न्यूक्लीयर विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता था) सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ▶ जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी का निवेश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सामान्य एवं उन्नत सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ▶ सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम विशिष्ट संव्यवहार एवं विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- ▶ शोध समुदाय तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य अत्याधुनिक उपस्कर एवं उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली के मार्गदर्शन एवं समन्वय में देश भर के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक मल्टीमीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यूसीआर) कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

तालिका 5.9(क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य

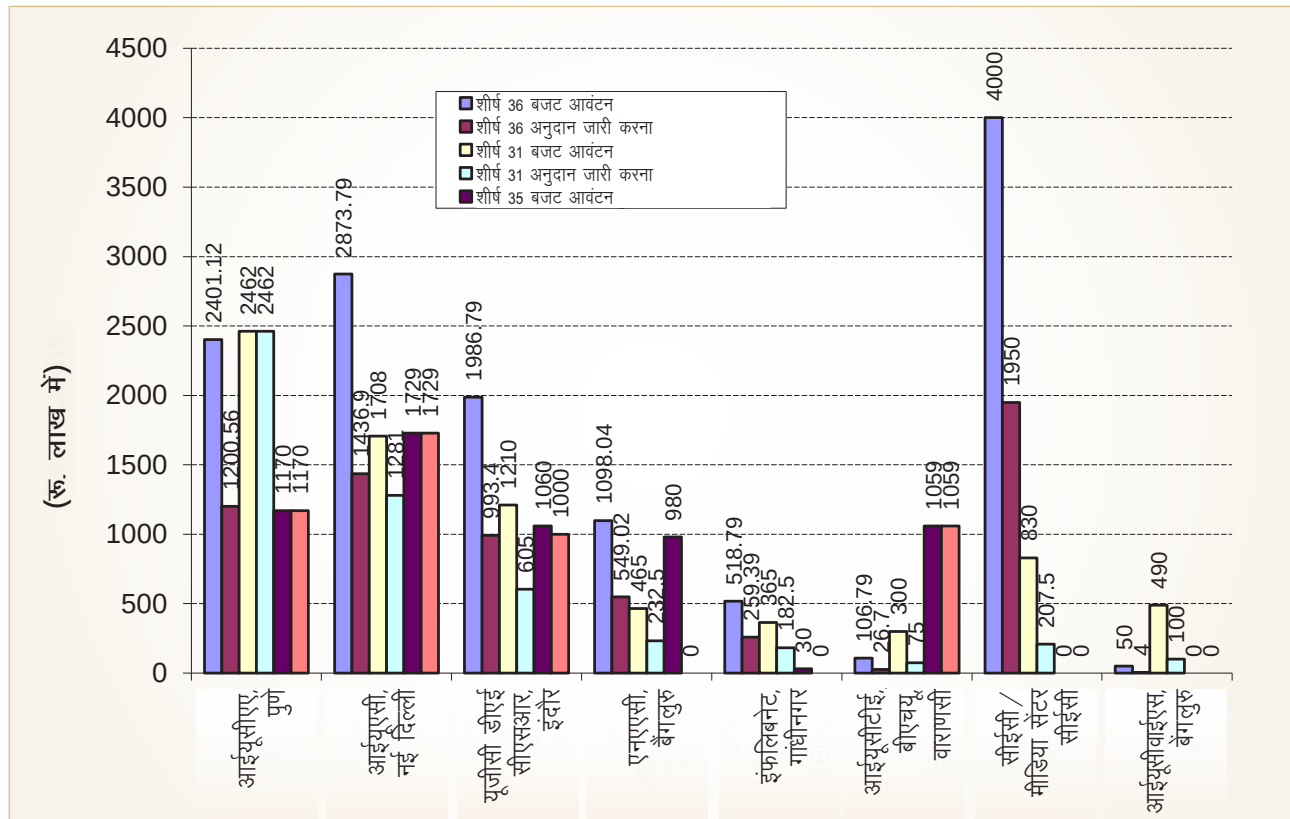
क्र. सं.	केंद्रों का नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक (एक्सेलेरेटर) केंद्र-नई दिल्ली (आईएयूसी)	1984	त्वरक उन्मुख अनुसंधान
2	अंतर-विश्वविद्यालय सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे-411007	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक उपकरण।
3	यूजीसी-डीएई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर-452001	1989	परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बैंगलुरु-560010	1994	उच्चतर तर तर ज्ञानार्जन के सार्वजनिक और निजी संस्थानों का आकलन करना और प्रत्यायन प्रदान करना।
5	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देश भर में कक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करना। 21 शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्व महाविद्यालयों में स्थापित।
7	अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र-शिक्षक शिक्षा, काकीनाडा	2013	सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा में नया ज्ञान सृजित करके शिक्षक शिक्षा के ज्ञान के आधार को सुदृढ़ करना
8	अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र-शिक्षक शिक्षा, वाराणसी	2014	
9	अंतर-विश्वविद्यालय योगिक विज्ञान केंद्र	2018	योग शिक्षा में नया ज्ञान सृजित करके योग और योग विज्ञान के ज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन और योग एवं इसके अभ्यास के हितलाभ का प्रसार करना।

तालिका 5.9(ख): वर्ष 2019-20 के दौरान बजटीय आवंटन, अनुदान जारी करने का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	केंद्र का नाम	शीर्ष 36		शीर्ष 31		शीर्ष 35	
		बजट आवंटन	अनुदान जारी किया	बजट आवंटन	अनुदान जारी किया	बजट आवंटन	अनुदान जारी किया
1	आईयूसीए, पुणे	2401.12	1200.56	2462	2462	1170	1170
2	आईयूसी, नई दिल्ली	2873.79	1436.9	1708	1281	1729	1729
3	यूजीसी डीएई सीएसआर	1986.79	993.4	1210	605	1060	1000
4	एनएएसी, बेंगलुरु	1098.04	549.02	465	232.5	980	-
5	इंफलिबनेट, गांधीनगर	518.79	259.39	365	182.5	30	-
6	आईयूसीटीई, बीएचयू, वाराणसी	106.79	26.7	300	75	1059	1059
7	सीईसी/मीडिया सेंटर सीईसी	4000	1950	830	207.5	0	-
8	आईयूसीवाईएस, बेंगलुरु	50	4	490	100	0	-
	कुल	13035.32	6419.97	7830	5145.5	6028	4958

रेखाचित्र 5.9 (ख): अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र: बजटीय आवंटन: शीर्षवार जारी अनुदान: 2019-20 (रुपए लाख में)



विभिन्न अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्रों की मुख्य विशिष्टताएं



5.9(i) अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक (एक्सीलरेटर) केंद्र-नई दिल्ली

अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक (एक्सीलरेटर) केंद्र (आईयूसी) का उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी अनुसंधान की संभावनाएं पैदा करने के लिए अग्र रैंकिंग त्वरक (एक्सीलरेटर) आधारित अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र की त्वरक प्रणालियों और प्रायोगिक सुविधाओं का उपयोग कई विश्वविद्यालयों द्वारा परमाणु भौतिकी, सामग्री विज्ञान, परमाणु भौतिकी, विकिरण जीव विज्ञान, विकिरण भौतिकी और त्वरक मास स्पेक्ट्रोमेट्री के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है जिससे उच्च प्रभाव जर्नल प्रकाशनों और पीएच.डी. थीसिस के लिए मार्गदर्शन मिलता है।

उच्च करंट इंजेक्टर

अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूसी) में उच्च करंट इंजेक्टर (HCI) परियोजना की योजना मौजूदा सुपरकंडक्टिंग एलआईएनएसी के वैकल्पिक इंजेक्टर के रूप में बनाई गई थी, जो वर्तमान में 15 एमवी पेलेट्रॉन के बूस्टर के रूप में कार्य करता है। एचसीआई में मुख्य रूप से एक उच्च वोल्टेज डेक पर एक ईसीआर आयन स्रोत होता है, एक 48.5 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी क्वैडरूपोल (आरएफक्यू) त्वरक और एक 97 मेगाहर्ट्ज ड्रिफ्ट ट्यूब एलआईएनएसी (DTL) में छह से अधिक गैप रेजोनेटर होते हैं। एक बहु-हार्मोनिक बेंचर (एमएचबी), एक चॉपर और तीन स्पाइरल बेंचर भी प्रणाली का हिस्सा हैं। एक बीम ट्रांसपोर्ट सिस्टम (HEBT) है जो डीटीएल के आउटपुट से एससीएलआईएनएसी के प्रवेश तक बीम ले जाता है।

एचसीआई के त्वरक भाग, मुख्य रूप से ईसीआर, एमएचबी, एक स्पाइरल बेंचर, डीटीएल रेजोनेटर यंत्र और बीम का विश्लेषण करने के लिए पहले अक्रोमेटिक बैन्डिंग मैग्नेट की स्थापना पूरी हो गई है। सभी घटकों ने अपेक्षित वैक्यूम स्तर प्राप्त किया है। लगभग 400nA के विश्लेषणित करंट के साथ इलेमेंट को डीटीएल #2 तक ऊर्जा देकर, ओ 5+ बीम को 550 केवी/यू तक त्वरित किया गया है। मापी गई ऊर्जा का लाभ अग्रीमन्ट में बनाए डिजाइन मूल्यों के अनुसार है। शेष चार डीटीएल रेजोनेटर को 1.8 MeV/u ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाएगा, एक बार कूलिंग जल और उनके लिए आरएफ विस्तार (amplitude) करता है और फेज नियंत्रण सर्किट तैयार हो जाते हैं। यह काम मई 2020 तक पूरा होने वाला है। एचसीआई से एससीएलआईएनएसी तक एचईबीटी लाइन भी आरंभ कर दी गई है। बीम की गतिशीलता की गणना को अंतिम रूप दिया गया और मैग्नेट को बीम हॉल एक में रखा गया है। बीम लाइन के घटकों और बीम पाइपों की खरीद की जानी है। विकिरण परिरक्षण दीवारों को स्थानांतरित किया जाना है और ईआरबी की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

• अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूसी) में सुपरकंडक्टिंग एलआईएनएसी एवं एसआरएफ कार्यक्रम

एक सुपरबेंचर नैनो-सेकंड एफडब्ल्यूएचएम चौड़ाई बीम पेलेट्रॉन त्वरक से पिको द्वितीय सैकड़ों एफडब्ल्यूएचएम चौड़ाई बीम में एलआईएनएसी में इंजेक्शन के लिए कंप्रेस करता है। परिचालन को आसान बनाने के लिए, जून-सितंबर के महीनों में सभी आरएफ नियंत्रण, एम्पलीफायरों, ड्राइव कपलर के लिए नियंत्रण, पाइजो ट्यूनर, पीसी, वीएमई क्रेट्स, आदि सभी को शीलडिड एलआईएनएसी क्षेत्र से बगल के कमरे में मेजानाइन फ्लोर (पुराने क्रायोजेनिकस संयंत्र को आवास) में स्थानांतरित कर दिया गया, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। परमाणु भौतिकी, जिसमें उच्च ऊर्जा बीम की आवश्यकता होती है, लंबित प्रयोगों को पूरा करने के लिए, पेलेट्रॉन + एससी एलआईएनएसी अभियान के साथ दिसंबर, 2019 के पहले सप्ताह से सुपरकंडक्टिंग एलआईएनएसी के कूलडाउन 4K के पश्चात क्यूडब्ल्यूआर की आरएफ कंडीशनिंग आरंभ की। वर्तमान अभियान के कम से कम 3-4 महीने तक चलने की आशा है।

समूह वर्तमान में आधा दर्जन स्पेयर क्यूआरएस का निर्माण करने में लगा हुआ है, जो कि एलआईएनएसी में स्थापित रेजोनेटरों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना हमारे समग्र प्रयासों में काफी लचीलापन प्रदान करेगा। एसआरएफ समूह अन्य क्यूडब्ल्यूआरएस के एक जोड़े के संशोधित संस्करण में भी शामिल है। एक बार पूरा होने पर, वे ऑफलाइन विकास कार्यों में और लचीलापन जोड़ेंगे। उपर्युक्त सभी विकास कार्यों में पिछले कई महीनों के दौरान अच्छी प्रगति हुई है।

• आईयूसी में कॉम्पैक्ट THz विकिरण और इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा

एक कॉम्पैक्ट, प्री-बैंचड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर सुविधा जिसे दिल्ली लाइट सोर्स (डीएलएस) का नाम दिया गया है, वर्तमान में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूसी) में निर्माणाधीन है। त्वरक सुविधा, पूर्ण बीम लाइन और प्रायोगिक सुविधाओं को श्रेणी 10000

के स्वच्छ कमरे में समायोजित किया जा रहा है। एक कम उत्सर्जित स्पंदित इलेक्ट्रॉन बीम को 2860 मेगाहर्ट्ज पर संचालित एक फोटोकैथोड आधारित सामान्य चालन आरएफ गन द्वारा उत्पादित किया जाएगा और THz विकिरण का उत्पादन करने के लिए एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूलैटर में इंजेक्ट किया जाएगा। सोलनॉइड और कई अन्य बीम लाइन घटकों के साथ इलेक्ट्रॉन गन पहले ही स्थापित की जा चुकी है। आईयूएसी में क्लाइस्ट्रॉन और मॉड्यूलैटर प्रणाली चालू की जा रही है। लेजर प्रणाली का डिजाइन पूरा हो चुका है और केईके, जापान के सहयोग से इस प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। आईयूएसी में फोटोकैथोड जमाव तंत्र के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। इसे वर्तमान में बनाया जा रहा है और स्वीकृति के लिए शीघ्र ही बीएनएल, यूएसए में परीक्षण किया जाएगा। आईयूएसी में कोड रेडिया का उपयोग करके अनड्यूलैटर का डिजाइन तैयार किया गया है। समान विनिर्देशों वाला एक अनड्यूलैटर एचजेडबी और डीईसवाई, जर्मनी के सहयोग से आईयूएसी में उपलब्ध करा दिया गया है। डीएलएस के लिए सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स (क्वाड्रूपोल, स्टीयरिंग मैग्नेट और डिपोल मैग्नेट) के डिजाइन, निर्माण और विशिष्टाओं को आवश्यक विनिर्देशों के अनुसार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई द्वारा किया जा रहा है। आईयूएसी में विद्युत चुम्बकों के लिए विद्युत आपूर्ति विकसित की जा रही है। इलेक्ट्रॉन बीम का त्वरण और तत्पश्चात THz विकिरण के उत्पादन 2020 के मध्य तक पूरा होने की आशा है।

इस परियोजना को अंतर विश्वविद्यालय दवरक (एक्सेलेरेटर) केन्द्र (आईयूसी) और परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRNS), परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। आईयूएसी के कुछ स्थायी कर्मचारियों के साथ, जूनियर/सीनियर रिसर्च फेलो (JRF/SRF), रिसर्च एसोसिएट, डी.एस. कोठारी रिसर्च फेलो जैसे कुछ छात्रों ने इस परियोजना में योगदान दिया है/ योगदान दे रहे हैं। विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों के भारतीय शोधकर्ताओं को शामिल करके समय-समय पर कार्यशालाओं और तकनीकी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि निकट भविष्य में इस सुविधा के उपयोगकर्ता आधार को विकसित किया जा सके। इस सुविधा से संबंधित, तीन शोध पत्र पीयर समीक्षा करने वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं और एक दर्जन से अधिक पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रकाशित हो चुके हैं।

• त्वरित आयन बीम का उपयोग कर गामा डिटेक्टर सरणियों (arrays) के साथ परमाणु भौतिकी अनुसंधान

उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में विद्वानों और प्रकाशनों के शोध कार्य के लिए परमाणु संरचना और प्रतिक्रिया अनुसंधान के लिए देश और विदेश में उपयोगकर्ताओं द्वारा गामा डिटेक्टर सरणियों आईएनजीए और जीडीए का उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में हाल ही में प्रयोग किए गए थे, उनमें कूलम्ब बैरियर के ठीक ऊपर ऊर्जा में अपूर्ण फ्यूजन प्रतिक्रियाएं, उच्च स्पिन परमाणु संरचना, उन्नत स्थिति की आजीवन अवधि के मापन द्वारा परमाणु आकार में परिवर्तन और परमाणु आइसोमर्स का अध्ययन शामिल हैं। पिछले वर्ष गामा डिटेक्टर एरे (जीडीए) और भारतीय राष्ट्रीय गामा सरणी (आईएनजीए) सुविधाओं के संसाधनों का उपयोग करते हुए कुल 20 बीम प्रयोग किए गए थे। प्रयोग विश्वविद्यालयों, आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान समूहों द्वारा किए गए थे। इन प्रयोगों से विभिन्न विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 20 अनुसंधान विद्वानों की पीएच.डी. थीसिस में योगदान करेंगे। पिछले एक वर्ष में इन सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध प्रकाशन लगभग 20 और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों में लगभग 40 और लगभग 80 थे।

पिछले एक वर्ष में 2 HPGe क्लोवर और 2 एंटी-कॉम्पटन शील्ड (ACS) बीजीओ डिटेक्टरों को सरणी की दक्षता बढ़ाने के लिए आईएनजीए सरणी में जोड़ा गया था। एक प्लंजर डिवाइस का ऑफलाइन परीक्षण किया जाता है और आईजीएनए सरणी के साथ उप-नैनो सेकंड रेंज की अवधि के मापन के लिए इन-बीम परीक्षण की प्रतीक्षा करता है। लाइट चार्ज कणों के लिए लगभग 10 सीएसआई डिटेक्टरों वाले एक चैंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना के साथ आईएनजीए सरणी में उपयोग करने के लिए विकसित किया जा रहा है। क्लोवर जीई डिटेक्टर के लिए प्री-एमपलीफायर को आंतरिक वैज्ञानिकों/इंजीनियरों द्वारा विदेशी मुद्रा को बचाने, आत्मनिर्भरता के लिए विकसित किया गया था और अच्छी तरह से काम करने के लिए इसका परीक्षण किया गया था। समय-समय पर डिटेक्टरों की सर्विस की जाती है (पिछले एक वर्ष में लगभग 10 डिटेक्टरों की सर्विस की गई थी)।

• सामान्य प्रयोजन स्कैटरिंग चैंबर (GPSC)

सामान्य प्रयोजन स्कैटरिंग चैंबर (GPSC) एक बहुमुखी सुविधा है जिसे पेलेट्रॉन बीम का उपयोग करके बड़े पैमाने पर परमाणु भौतिकी प्रयोगों के साथ-साथ परमाणु भौतिकी और सामग्री विज्ञान प्रयोगों के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि, त्वरक वृद्धि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उच्च करंट इंजेक्टर (HCI) के आने के साथ, एचसीसी से रेखीय त्वरण (linear acceleration) तक बीम के परिवहन के लिए जीपीएससी की अवस्थिति का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी। त्वरक उपयोग समिति के रिकॉर्ड के अनुसार, परमाणु भौतिकी में इस सुविधा का उपयोग करते हुए अभी तक 30 से अधिक अनुमोदित बीम समय प्रस्ताव (थीसिस प्रस्ताव सहित)

हैं, अभी भी परमाणु भौतिकी में इस सुविधा का प्रयोग करने की प्रक्रिया की योजना बनाई जानी है। जीपीएससी को 45 डिग्री बीम लाइन से 30 डिग्री बीम लाइन में स्थानांतरित करके बनाए रखा गया है।

• न्यूट्रॉन डिटेक्टरों की राष्ट्रीय सरणी

एनएएनडी का उपयोग कालीकट विश्वविद्यालय, केरल द्वारा $^{241}\text{Am-Be}$ स्रोत से उत्सर्जित न्यूट्रॉन की ऊर्जा का व्यापक माप करने के लिए किया गया है। एक सीलबंद 100mCi न्यूट्रॉन स्रोत का उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की मापी गई ऊर्जा वितरण की तुलना सैद्धांतिक पूर्व सूचनाओं और साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के साथ की गई है। वीएमई आधारित डाटा अर्जन को बहु मापदंड डाटा अर्जन के लिए एनएएनडी में प्रयोग किया गया है, जिसमें 300 से अधिक पैरामीटर शामिल हैं। मौजूदा प्रणाली को नए सरल विकसित वीएमई नियंत्रक के साथ उन्नत किया गया है। नया वीएमई कंट्रोलर पिछले वाले से बेहतर है। स्वदेशी वीएमई नियंत्रक का उपयोग करके डेटा के ऑनलाइन अर्जन के लिए विकसित डेटा अर्जन सॉफ्टवेयर रूट फॉर्मेट के अनुकूल है, जो परमाणु भौतिकी और कण भौतिकी डेटा विश्लेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाने वाला कार्यक्रम है।

• अन्य लोगों के लिए कुछ करने (outreach) का कार्यक्रम

शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, आदि) के दसवीं कक्षा के स्तर से ऊपर के छात्रों के लिए **शैक्षणिक यात्रा कार्यक्रम** प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के तकनीकी आगंतुकों के लिए भी विस्तारित है। शैक्षिक यात्रा कार्यक्रम निःशुल्क है। यह कार्यक्रम आईयूएसी में सुविधाओं और वर्तमान शोध कार्यकलापों का अवलोकन प्रदान करने वाला एक परिचयात्मक व्याख्यान प्रदान करता है। बाद में कुछ चयनित सुविधाओं के माध्यम से एक निर्देशित दौरे की व्यवस्था की जाती है। अप्रैल से दिसंबर, 2019 तक लगभग 20 शैक्षणिक यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें देश के विभिन्न भागों का व्यापक प्रतिनिधित्व है। भाग लेने वाले संस्थानों में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आईआईटी और विद्यालय शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में कुल लगभग 700 छात्रों और 55 शिक्षकों ने भाग लिया।

आईयूएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में स्थित विभिन्न विद्यालयों के ग्यारहवीं/बारहवीं कक्षा के विज्ञान के छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। 19 दिसंबर 2019 के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लगभग 20 विद्यालयों ने भाग लिया है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय के 4 छात्र और 1 शिक्षक शामिल हैं। एक विशेष सत्र जिसमें परिचयात्मक व्याख्यान, प्रयोगों का प्रदर्शन और विभिन्न सुविधाओं के लिए निर्देशित दौरे शामिल हैं, उन्हें विद्यालयीन छात्रों के लिए व्यवस्थित किया गया था ताकि उन्हें बुनियादी अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। कांची मामुनिवर स्नातकोत्तर अध्ययन केंद्र, पुडुचेरी में 21 अक्टूबर 2019 को एक दिवसीय परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। निकटवर्ती स्थानों के शिक्षकों, स्नातकोत्तर छात्रों और अनुसंधान विद्वानों सहित अन्य स्थानों से कुल 172 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

• डिटेक्टर प्रयोगशाला

नए दो-आयामी अवस्था के संवेदनशील एमपीडब्ल्यूसी की एक जोड़ी को विकसित किया गया और जीपीएससी में स्थापित किया गया था। डिटेक्टरों का उपयोग सिस्टम $^{16}\text{O} + ^{64}\text{Zn}$ और $^{32}\text{S} + ^{48}\text{Ti}$ 32 के लिए 2 से 10 डिग्री के कोण पर पर्यून ईआर का पता लगाने के लिए किया गया था। ऐसी उच्च दरों की आवश्यकता में एमपीडब्ल्यूसी के अस्तित्व और दीर्घकालिक स्थिरता की स्थापना की गई थी। यह देखा गया कि 4 इलेक्ट्रोड की तुलना में 3 इलेक्ट्रोड ऑपरेशन में उच्च गणना दर से निपटने की क्षमता थी, क्योंकि डिटेक्टर ब्रेकडाउन उच्च गणना दरों पर देखे गए थे। एनएएनडी के लिए विखंडन डिटेक्टरों को 4 इलेक्ट्रोड ज्यामिति से 3 इलेक्ट्रोड ज्यामिति में संशोधित किया गया था। डिटेक्टर का अल्फा एमिटर और विखंडन स्रोत के साथ पूरी तरह से परीक्षण किया गया है, और इसका उपयोग 2020 लाइनीयर एक्सिलरेशन चक्र के दौरान एनएएनडी में विखंडन प्रयोगों के लिए किया जाएगा।

• एनयूएसटीएआर सहयोग के लिए टीईजीआईसी डिटेक्टर

टीईजीआईसी डिटेक्टर के लिए निर्माण कार्य निष्पादित किया गया था। क्यूबॉइड आकार के डिटेक्टर यांत्रिक हाउसिंग को 5 फ्रेम और बेस प्लेट के रूप में एल्यूमीनियम शीट का उपयोग करके मशीनीकृत किया गया था। एनोड सूचना के लिए भिन्न सूचना के साथ टेन चार्ज सेंसिटिव प्राइग्लिफायर इकाइयां विकसित की गईं और टीईजीआईसी चैम्बर के अंदर एनोड के बगल में सीधे प्लग की गईं। प्राप्त प्रदर्शन डिजाइन लक्ष्यों के अनुसार है। टीईजीआईसी कक्ष के अंदर दबाव की एकरूपता के लिए एक कस्टम डिजाइन की गई गैस वितरण प्रणाली को भी डिटेक्टर के अंदर बनाया और स्थापित किया गया था। वर्तमान में डिटेक्टर को अल्फा एमिटर

के साथ परीक्षण किया जा रहा है। डिटेक्टर को 2020 के प्रथम चरण में, प्रारंभ करना प्रस्तावित किया जाना है, 2020 से 2022 तक एनयूएसटीएआर अभियानों के प्रारंभिक चरण के लिए एफआरएस के एगजिट में लगाने का प्रस्ताव है।

• स्वास्थ्य भौतिकी प्रयोगशाला के कार्यकलाप

एईआरबी ऑनलाइन एलोरा (विकिरण अनुप्रयोगों के इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग) सुविधा का उपयोग नियमित रूप से हमारी विकिरण सुविधाओं और सुरक्षा प्रणाली को अद्यतन करने के लिए किया गया था। चल रही विकिरण सुविधाओं की आवधिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट भेजना, चल रही विकिरण सुविधाओं के लाइसेंस का नवीनीकरण, साइट, डिजाइन और आगामी नई त्वरक सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति एलोरा के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। मौजूदा और आगामी सुविधाओं के लिए रेडिएशन परिरक्षण आवश्यकताओं/गणनाओं को किया गया। विकिरण परिरक्षण संशोधनों को एचसीआई सुविधा के बीम हॉल भाग I में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलआईबीआर बीम डंप की पुनर्स्थापना (प्रोटॉन रन को पुनर्जीवित करने के लिए) विचाराधीन है। एचसीआई एवं एफईअल सुविधाओं के लिए, साइट लेआउट का अनुमोदन एईआरबी से प्राप्त किया गया है। डिजाइन और निर्माण के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन एईआरबी द्वारा कुछ और सुरक्षा संबंधी डेटा स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो प्रक्रियाधीन है। एएमएस सुविधा के संचालन के लिए अंतिम अनुमोदन या लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है।

सभी विकिरण स्रोतों के स्टॉक की जाँच की गई, और यह सुनिश्चित किया गया कि इन सभी को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। सभी इंटरलॉक सिस्टम, इंटरलॉक दरवाजे, डिस्प्ले बोर्ड, जिनमें खराबी थी, उनकी मरम्मत की गई और कुछ को आवश्यकता के अनुसार पुनः लगाया गया। सलाह के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नए विकिरण परिरक्षण प्रदान किए गए। विकिरण सुरक्षा के लिए नए साइनबोर्ड भी तैयार और स्थापित किए गए थे।

इन नियमित कार्यकलापों के अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य भौतिकी संस्थानों के लिए गामा विकिरण कक्ष, थर्मोल्थ्यूमिनेशन डॉसमीटर रीडर सुविधा आदि जैसी घरेलू सुविधाओं के लिए उपयोगकर्ता सहायता प्रदान की गई है, नए भर्ती कर्मचारियों, छात्रों और आईयूएसी के उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य भौतिकी से संबंधित परामर्श और सुरक्षा मार्गदर्शन नियमित रूप से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया गया है।

• विकिरण जीवविज्ञान

कई अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के उपयोगकर्ताओं के समुदाय के सहयोग से अनुसंधान कार्य किया जाता है जिसमें भारी आयन द्वारा प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरण अध्ययन, डीएनए क्षति, कोशिका निष्क्रियता और गुणसूत्र विपथन, संकेत पारगमन, झिल्ली क्षति, विकिरण संवेदीकरण में वृद्धि, विकिरण संरक्षण और शमन आदि शामिल हैं। वर्तमान में, तीन विश्वविद्यालय परियोजनाएं और तीन डीआरडीओ परियोजनाएं चल रही हैं। इनके अतिरिक्त, दो नई आईयूएसी परियोजनाएं और एक नई डीआरडीओ परियोजना और एक नई विश्वविद्यालय परियोजना को पिछली एयूसी बैठक में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में किए जा रहे कार्य:

माइटोकॉन्ड्रियल जीवजनन, माइटोकॉन्ड्रियल विखंडन-संलयन (fission-fusion) सम स्थिति (homeostasis) और अन्य अंगों के साथ माइटोकॉन्ड्रियल क्रॉस-टॉक पर उच्च एलईटी विकिरण के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता और जैवजनन प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण प्रोटीन की भूमिका का अध्ययन करने के लिए, मानकीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ प्रयोगशाला में पश्चिमी ब्लोटिंग प्रयोग की स्थापना की जा रही है। माइटोकॉन्ड्रियल संरचना और कार्य को कम करने के लिए विकिरण डोज की पहचान करने हेतु कॉमेट की परख की गई है, जो सेलुलर डीएनए को कम से कम नुकसान पहुंचाती है।

विभिन्न सेल लाइनों में उच्च एलईटी विकिरण द्वारा ऑटोफैगी को शामिल करने के संबंध में एक अध्ययन किया जा रहा है। भारी आयन बीम के साथ पायलट प्रयोग किए गए हैं जहां धूमकेतु परख को मानकीकृत किया गया है। धूमकेतु (कॉमेट) परख द्वारा डोज पर निर्भर डीएनए क्षति की मात्रा का परीक्षण किया गया और सफल रहा।

5.9(ii) अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) एवं खगोल भौतिकी (एस्ट्रोफिजिक्स) केंद्र, पुणे



आईयूसीए का मुख्य उद्देश्य खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए एंड ए) में शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर उत्कृष्टता का केंद्र प्रदान करना है, साथ ही विश्वविद्यालयों में इस क्षेत्र में सक्रिय समूहों के केंद्रक और विकास को बढ़ावा देना है। अपने स्वयं के एक उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, केंद्र भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों

के कर्मचारियों को अनुसंधान कार्य में भाग लेने और विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु आईयूसीए का दौरा करने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को राज्य के अत्याधुनिक खगोलीय उपकरण, सैद्धांतिक विशेष जानकारी, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, एक उत्कृष्ट पुस्तकालय, डेटा सेंटर और उच्च गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटिंग सुविधाओं के लिए पहुँच प्रदान करना है। 1988 में इसकी स्थापना के बाद से 31 वर्षों में, आईयूसीए ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए एंड ए) के सैद्धांतिक, अवलोकन और इंस्ट्रुमेंटेशन के संबंधित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थान के रूप में विकसित किया है।

विज्ञान

खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए एंड ए) को भारत में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के पश्चात, आईयूसीए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अकादमिक समुदाय को इस राष्ट्रीय प्रयास में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के रूप में संभावित वैज्ञानिक जनशक्ति का एक विशाल पूल है। फिर भी, कई प्रेरित छात्रों को विज्ञान से दूर किया जा रहा है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके आगे कोई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अवसर नहीं है। आईयूसीए को अपने चुने हुए क्षेत्र में ऐसी चुनौतियाँ पैदा करनी हैं।

शिक्षाविद

वर्तमान समय में, आईयूसीए के संकाय में 21 अत्यधिक निपुण शोधकर्ता, 5 एमेरिटस प्रोफेसर, 25 पोस्ट-डॉक्टरल फेलो और 57 रिसर्च स्कॉलर हैं। आईयूसीए संकाय की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर सैद्धांतिक खगोल भौतिकी, पर्यवेक्षणीय खगोल विज्ञान और इंस्ट्रुमेंटेशन विकास के विभिन्न क्षेत्रों तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में रुचि है। शिक्षाविद हर वर्ष उत्कृष्ट, उच्च प्रभाव वाली अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में काफी संख्या में कागजात प्रकाशित करते हैं। कई संकाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र में अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, और विभिन्न विशिष्ट सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समितियों और बोर्डों के सदस्य एवं अध्यक्ष हैं। पोस्ट-डॉक्टरल फेलो और रिसर्च स्कॉलर्स को भारत और विदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उत्कृष्ट पद प्राप्त हुए हैं।

अनुसंधान सुविधाएं

इन सुविधाओं में एक उत्कृष्ट पुस्तकालय, एक अत्याधुनिक कंप्यूटर सेंटर और डेटा सेंटर, एक वर्चुअल ऑब्जर्वेटरी (वीओ) और उन्नत खगोलीय उपकरण के उत्पादन के लिए प्रयोगशालाएं शामिल हैं। पुस्तकालय ने एमएचआरडी ईशोधसिंधु के अंतर्गत 11,505 पुस्तकें, 8,978 ई-पुस्तकें, 90 शोध पत्रिकाएं और 7 ई-संसाधन होस्ट किए हैं। उच्च निष्पादन कंप्यूटरों में 30 टेराफ्लॉप क्लस्टर शामिल हैं, जो मार्च 2013 से काम कर रहे हैं। आईयूसीए के डाटा सेंटर में दुनिया भर के आंकड़े हैं, जो भारत और विदेशों के खगोलविदों को 24 × 7 आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वीओ परियोजना के माध्यम से, बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर सेवाओं और उपकरणों को विकसित किया जाता है और समुदाय को प्रदान किए जाते हैं। प्रयोगशालाएं आईयूसीएए टेलीस्कोप, अन्य राष्ट्रीय दूरबीनों के साथ-साथ विदेशों में प्रमुख ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए खगोलीय उपकरण तैयार करने में लगी हुई हैं।

सुविधाओं का पर्यवेक्षण

आईयूसीए के पास पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित गिरावली वेधशाला में 2 मीटर ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है। इस दूरबीन का प्रयोग आईयूसीए और विश्वविद्यालयों के खगोलविदों के साथ-साथ देश के अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के सदरलैंड में स्थित दक्षिण अफ्रीकी लार्ज टेलीस्कोप (एसएअलटी) में आईयूसीए की 7% हिस्सेदारी है। इस ऑप्टिकल और नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप को एक अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम ने बनाया है। आईयूसीए और विश्वविद्यालयों के खगोलविद इस दूरबीन पर उपलब्ध पर्यवेक्षण समय का उपयोग करते हैं, साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य प्रमुख पर्यवेक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

आगंतुक कार्यक्रम

एक अंतर-विश्वविद्यालय होने के नाते, आईयूसीए ने आगंतुकों के लिए बहुत अच्छी तरह से एसोसिएटशिप कार्यक्रम तैयार किए हैं। वर्तमान में, लगभग 174 विजिटिंग एसोसिएट्स हैं, जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, और अपने

स्वयं के अनुसंधान हेतु विस्तारित अवधि, और आईयूसीए संकाय और अन्य आगंतुकों के सहयोग के लिए आईयूसीए में आते हैं। कई शोध छात्र जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनकी पीएच. डी. के लिए पंजीकृत हैं, आईयूसीए संकाय के एक सदस्य के साथ आईयूसीए में अपने समय का एक महत्वपूर्ण अंश बिताते हैं, जो उनके सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत और विदेशों से कई अन्य आगंतुक हैं जो आईयूसीए में महत्वपूर्ण समय बिताते हैं।

विश्वविद्यालय परिसरों के कार्यकलाप

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खगोल विज्ञान अनुसंधान और विकास के लिए आईयूसीए केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कठोर अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यकलापों को आगे बढ़ाया जाता है। आईयूसीए संकाय नियमित रूप से व्याख्यान, लघु पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और इसी तरह के अन्य कार्यकलापों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का दौरा करते हैं। इन सभी में आम तौर पर डेटा विश्लेषण, समस्या को सुलझाने के सत्र और आगे के लिए व्यावहारिक व क्रियाशील सत्र शामिल हैं।

• बड़ी परियोजनाएं

आईयूसीए की कई बड़ी सहयोगी खगोलीय परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका है, जिसमें उन्नत सुविधाओं की स्थापना शामिल है। इनमें शामिल हैं:

- (i) **एस्ट्रोसैट:** यह पहला भारतीय उपग्रह है जो पूरी तरह से खगोल विज्ञान को समर्पित है, जिसे इसरो द्वारा सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया है। आईयूसीए की उपग्रह पर कुछ दूरबीनों और उपकरणों के विकास, डेटा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर पाइपलाइनों के विकास और प्रस्ताव प्रबंधन प्रणाली के विकास में अग्रणी भूमिका है।
- (ii) **तीस मीटर दूरबीन (टीएमटी):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें अमरीका, कनाडा, जापान, चीन और भारत शामिल हैं। दूरबीन, जो अपने समय की सबसे बड़ी दूरबीनों में से एक होगी जब यह तैयार होती है, और हवाई में अवस्थित होगी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलुरु, आर्यभट्ट शोध प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, नैनीताल और आईयूसीए प्रमुख संस्थानों के साथ परियोजना में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत होगी।
- (iii) **लिगो-इंडिया:** इसमें लिगो-यूएसए के सहयोग से भारत में विशालकाय लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (लिगो) की स्थापना शामिल है इस बेहद संवेदनशील डिटेक्टर से गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान के नए क्षेत्र को आश्वस्त करने की अपेक्षा करता है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर और आईयूसीए प्रमुख संस्थानों के साथ एक राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और डीई और डीएसटी द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं जैसे: **स्क्वायर किलोमीटर सरणी, इसरो आदित्य-एल1** आदि का लक्ष्य रखा गया है।

• शिक्षाविदों के लिए खगोल विज्ञान केंद्र, शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम

शिक्षाविदों के लिए शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (एआरपीआईटी) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी) और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बल देते हुए देश में खगोल विज्ञान शिक्षण को और विकसित करने के लिए शिक्षण ज्ञानार्जन केंद्र (टीएलसी), दो मुख्य घटक इकाइयों के साथ, आईयूसीए में हाल ही में खगोल विज्ञान केंद्र (एसीई) की स्थापना की गई है। दोनों कार्यक्रमों को मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. सिंह ने टीएलसी अनुदान द्वारा वित्तपोषित नए भवन का शिलान्यास किया, जिसका उद्घाटन 29 दिसंबर, 2019 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर के विजय राघवन ने किया है।

• सार्वजनिक लोगों के लिए कुछ करने का कार्यक्रम

आईयूसीए का विद्यालय, और स्नातक छात्रों, और जनता के लिए सार्वजनिक लोगों के लिए कुछ करने का एक व्यापक कार्यक्रम है। आईयूसीए और देश भर के शहरों, कस्बों और गांवों के विभिन्न अन्य स्थानों पर व्याख्यान, प्रदर्शन और व्यावहारिक एवं सक्रिय सत्रों से जुड़े कई कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जाते हैं।

5.9(iii) यूजीसी-डीई वैज्ञानिक अनुसंधान सहायता संघ (कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च), इंदौर।



कंसोर्टियम को विश्वविद्यालय प्रणाली में शोधकर्ताओं के लिए डीई की तीन प्रमुख 'बड़ी-विज्ञान' सुविधाएं उपलब्ध कराने का अधिदेश था। ये तीन सुविधाएं बार्क में ध्रुव रिएक्टर, कोलकाता में वेरिबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन और इंदौर में सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स हैं। तदनुसार, कंसोर्टियम ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई में तीन केंद्रों की स्थापना की, जिसमें इंदौर में प्रधान कार्यालय है। हाल के दिनों में कलपक्कम में एक शाखा (नोड) स्थापित की गई है जो आईजीसीएआर सुविधाओं की प्रासंगिकता के साथ-साथ सामग्री विज्ञान की आवश्यकता को पूरा करता है।

संक्षिप्त विवरण के साथ मुख्य बातें

• कार्यकलाप प्रोफाइल:

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों और पीएचडी छात्रों को अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के हमारे प्रयास के एक भाग के रूप में, कंसोर्टियम ने इंदौर, कोलकाता और मुंबई में अपने तीन केंद्रों पर भी अत्यधिक परिष्कृत और उन्नत अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की हैं। ये सुविधाएं महंगी हैं और इनका अनुसंधान मुश्किल है, और अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। इन वर्षों में, कंसोर्टियम ने भी दायरा बढ़ा दिया है और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को आईजीसीएआर कलपक्कम और आईओपी भुवनेश्वर में परमाणु ऊर्जा विभाग की कम ऊर्जा आयन त्वरक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई थी। वीई सीसी, कोलकाता में कम ऊर्जा भारी आयन ईसीआर आधारित त्वरक भी उपलब्ध कराया गया है। सीएसआर ने सामान्य रूप से और इंदौर केंद्र ने विशिष्ट रूप से कम तापमान और उच्च चुंबकीय क्षेत्र सुविधाओं के लिए देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया है जो विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध है।

परमाणु ऊर्जा विभाग की मेगा सुविधाओं तक पहुंच दीर्घकालिक (3 से 5 वर्ष) माध्यम से की गई है। सहयोगात्मक अनुसंधान योजनाएं (सीआरएस) अधिकांशतः अनुसंधान साथी सहायता के साथ की गई हैं। कंसोर्टियम प्रयोगशालाओं के भीतर स्थापित आंतरिक (इन-हाउस) सुविधाओं तक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के लिए पहुंच एक लक्ष्य प्रयोग सहित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपयोग दोनों के लिए उपलब्ध है।

कंसोर्टियम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और विषयगत कार्यशालाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की क्षमताओं पर बल देने के लिए जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावित प्रतिस्पर्धी शोध को स्पष्ट करने के लिए विषयगत कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह देखा गया है कि ये कार्यशालाएं विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और कंसोर्टियम और डीई संस्थानों के शोधकर्ताओं के बीच पारस्परिक संवाद/सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं और यह विचारों, अवधारणाओं और तकनीकों के क्रॉस निषेचन (fertilization) को बढ़ावा देती है। तालिका के बाद भारतीय वैज्ञानिक समुदाय विशेष रूप से विश्वविद्यालय प्रणाली की सेवा में कंसोर्टियम द्वारा गुणवत्ता उत्पादन की गणना करता है। निम्नलिखित तालिका में भारतीय वैज्ञानिक समुदाय विशेषकर विश्वविद्यालय प्रणाली की सेवा में संघ द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का विस्तृत विवरण किया गया है।

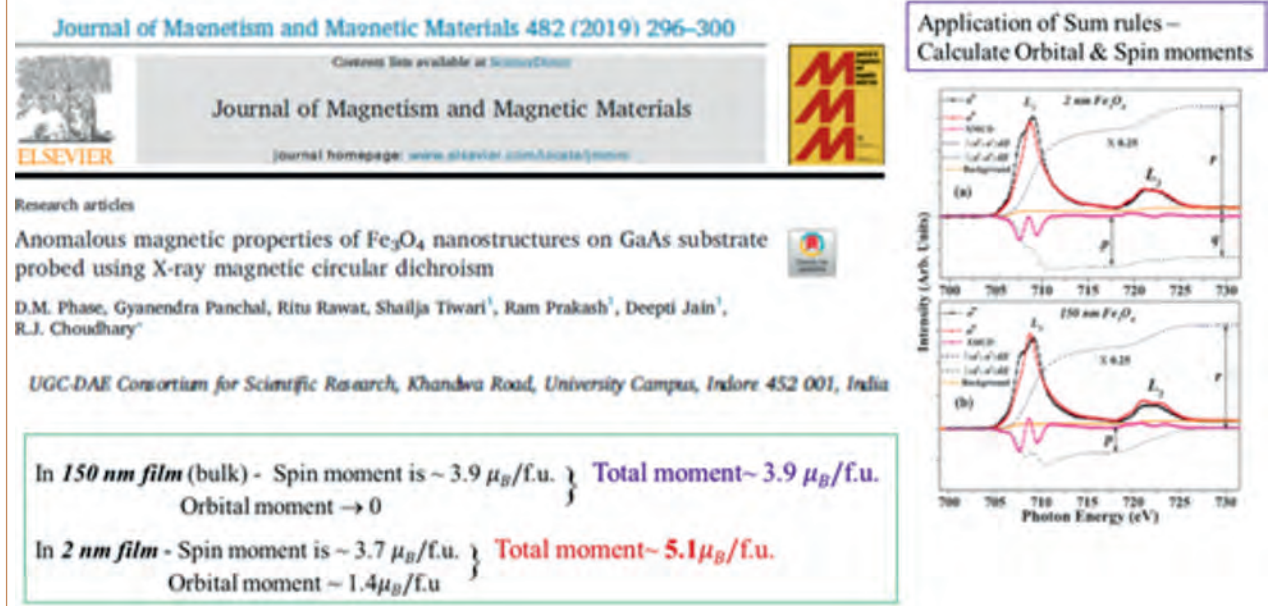
• सांख्यिकीय संकेतक अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 तक।

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	उपयोगकर्ता	978
2.	सीआरएस परियोजनाएं	336
3.	प्रकाशन-पत्रिकाएँ	150
4.	सीएसआर कार्मिक द्वारा आमंत्रित वार्ता	70
5.	आयोजित कार्यशालाएं	6

• अप्रैल, 2019 से शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्र की मुख्य बातें:

— यूजीसीए-डीई सीएसआर, इंदौर केंद्र:

1. आरआरसीएटी में सॉफ्ट एक्स-रे बीमलाइन में सीएसआर, इंदौर केंद्र द्वारा स्थापित एक्स-रे मैग्नेटिक सर्कुलर डाइक्रोइज्म (एक्सएमसीडी) मापन सुविधा आरंभ हो गई है और आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त पहले से ही 8 बाह्य उपयोगकर्ता समूहों (26 से अधिक नमूनों की माप) ने इसका उपयोग किया है, जर्नल से पहला पेपर: J-Magn-Magn-Mater-, 482,296 (2019) है। प्रणाली को कम तापमान माप के लिए अद्यतन किया जा रहा है।



- नमूना रोटेशन की सुविधा के साथ बैठाई गई प्रतिरोधकता युक्त 16-टेस्ला चुंबक प्रणाली और साथ ही संलग्न डिलेटोमीटर के साथ स्थापित की जाती है। अन्य माप विकल्पों को जोड़ने के लिए इसे एक बहुक्रिया जांच मिली है।
- एक लेजर-एमबीई प्रणाली स्थापित की गई है और अब तक 4 बाह्य उपयोगकर्ता समूहों ने इस सुविधा का प्रभावी उपयोग किया है।
- प्रतिरोधकता और गर्मी क्षमता माप के लिए बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए 16T/0-1K (डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर) प्रणाली का प्रभावी उपयोग आरंभ किया गया है, 3 समूहों ने इसका उपयोग किया है।
- 17-18 सितंबर, 2019 के दौरान होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर के सहयोग से यूजीएसए-डीई सीएसआर के कोलकाता और इंदौर केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से स्नातक भौतिकी संकाय के शिक्षकों और छात्रों के लिए “स्नातक भौतिकी छात्रों के लिए अभिनव प्रयोग” नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- श्री गणेश बेरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर में सीआरएस परियोजना के अंतर्गत एक अनुसंधान स्कॉलर को एमआरएसआई युवा वैज्ञानिक अवार्ड – 2019 से सम्मानित किया गया है। उनका काम आंतरिक एलटीएचएम सुविधाओं जैसे मॉसबॉयर, बल्क मैग्नेटिसेशन, अपरिचालक पदार्थ कॉन्स्टेन्ट आदि के व्यापक उपयोगकर्ता पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप एआईपी अनुसंधान और पीआरबी प्रकाशन पर प्रकाश डाला गया है [Ganesh bera et.al., PRB 100, 014436 (2019)]।
- जर्मनी के मैक्स-प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट रिसर्च, स्टुटगार्ट के डॉ. अरविंद योगी, सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ के विशेषज्ञ को वैज्ञानिक-डी के रूप में चयन किया गया है। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।
- सात-स्वदेशी अनुसंधान विद्वानों ने अपनी पीएच.डी. थीसिस डीएवीवी को प्रस्तुत की है।
- सीएसआर मानद एमेरिटस प्रो. एसबी रॉय ने आईओपी पब्लिशिंग के माध्यम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका शीर्षक “Mott Insulator: Physics and Application” था।
- इस अवधि में, प्रमुख पत्रिकाओं जैसे कि Phys Rev B, J. Phys: Condensed Matter, ApplPhysLett, Scientific Reports, J. MagnMagn Mater, J. ApplPhys, RevSciInstrum आदि प्रमुख पत्रिकाओं से कई पत्र प्रकाशित हुए हैं।

11. मार्च 27–29, 2019 में सिंधु सिंक्रोट्रॉन उपयोगकर्ताओं की बैठक (ISUM 2019) के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय उपयोगकर्ताओं से सिंधु सिंक्रोट्रॉन सुविधाओं के उपयोग हेतु परियोजनाएं आमंत्रित की गईं। 25 परियोजनाओं को सिंक्रोट्रॉन के उपयोग के लिए वित्त पोषित करने के लिए चुना गया था, हालांकि, निधि उपलब्ध न होने के कारण, यह अब तक आरंभ/वित्तपोषित नहीं की जा सकी।



—एटीयूजीसी—डीई सीएसआर, मुंबई केंद्र:

मुंबई केंद्र ने आंतरिक अनुसंधान और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संघनित मामले से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में उच्च स्तर की क्षमता बनाए रखी है। बार्कऔर केंद्र में न्यूट्रॉन प्रकीर्णन और अन्य उन्नत लक्षण विवरण सुविधाओं का विश्वविद्यालय समुदाय द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।

सहयोगात्मक अनुसंधान योजना (सीआरएस) कार्यक्रम में वर्तमान में लगभग 60 छात्रों के साथ 92 परियोजनाएं चल रही हैं जिन्हें उनके अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। नए प्रस्तावों के आह्वान के पश्चात, 25–26 मार्च के दौरान एक बैठक आयोजित की गई जहाँ 33 प्रस्ताव पेश किए गए और उपयोगकर्ता समिति ने 28 नए प्रस्तावों की सिफारिश की। केंद्र परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए निधि की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। नियमित दीर्घकालिक सीआरएस परियोजनाओं के अतिरिक्त, लगभग 105 उपयोगकर्ताओं ने अल्पकालिक प्रयोगों की आंतरिक सुविधाओं का उपयोग किया।

मार्च के बाद से हमारे डिफ्रेक्टोमीटर पर 75 नमूनों और 17 प्रकाशनों के साथ 24 उपयोगकर्ता थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर उपयोग और तीव्र प्रकाशन दर पर बल दिया। अक्टूबर में एक नया C:कर डी 2-फेसर बेंच-टॉप एक्स-रे डिफ्रेक्टोमीटर स्थापित किया गया था और कुछ उपयोगकर्ताओं के नमूने को पहले ही मापा जा चुका है। एक नया उच्च तापमान उन्नयन-नोवोथर्म एचटी-जिसमें प्रोबोस्टार नमूना प्रकोष्ठ (नॉरईसीएस, नॉर्वे) शामिल है, एक ट्यूबलर भट्ठी और पीआईडी तापमान नियंत्रक, ठोस नमूनों के उच्च तापमान में अपरिचलक पदार्थों अध्ययन के लिए खरीदे गए थे। यह पिछली तापमान सीमा को 300C से बढ़ाकर 1200C तक कर देता है, और उच्च संक्रमण तापमान, उदार (novel) सिरमिक, आदि के साथ ईंधन कोशिकाओं, नोवेल फेरोइलेक्ट्रिक और मल्टिफेरिक सामग्रियों के लिए उच्च तापमान और इलेक्ट्रोलाइटचालकता के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। कुछ मौजूद उपकरणों की प्रमुख मरम्मत की आवश्यकता थी जिनकी मरम्मत कर दी गई है। 9 टी-वीएसएम रि-लिक्वफायर को रिकॉर्ड 61,500 घंटे के ऑपरेशन के लिए चलाने के पश्चात बदल दिया गया था।

—एटीयूजीसी—डीआई सीएसआर, कोलकाता केंद्र:

कोलकाता केंद्र में व्यापक रूप से विकिरण और आयन बीम आधारित मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, मैटेरियल्स साइंस, रेडिएशन केमिस्ट्री, रेडिएशन बायोलॉजी और ट्रेस एलिमेंटल रिसर्च के काम में सहायता प्रदान की जाती है।

वीईसीसी की सहायता और प्रेरणा से, वीईसीसी, राजारहाट न्यू टाउन कैम्पस में कोलकाता केंद्र की प्रयोगशाला और इंफ्रा-स्ट्रक्चर बिल्डिंग का निर्माण काफी प्रगति कर चुका है।

कोलकाता केंद्र में नियमित रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने वाले स्नातक छात्रों के लिए नवीन, कम लागत वाले भौतिकी प्रयोगों की एक श्रृंखला का विकास आरंभ किया गया है। स्नातक शिक्षण के लिए ऐसे प्रयोगों के लिए एक कार्यशाला हाल ही में कोलकाता और इंदौर केंद्र द्वारा होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर में आयोजित की गई है। केंद्र ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शोधकर्ताओं की शोध योजनाओं की नई सहयोगात्मक अनुसंधान योजनाओं की प्रस्तुति, एम.एस.सी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या परियोजनाओं को प्रायोगिक सहायता के लिए विभिन्न कार्यशाला, बोलचाल की भाषा/विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला की भी व्यवस्था की।

यूजीसी—डीआई सीएसआर, कोलकाता केंद्र और वीईसीसी द्वारा संयुक्त रूप से मई 2019 में आयोजित 'बीम्स और गामा विकिरण का उपयोग करते हुए विज्ञान और इंजीनियरिंग की सामग्री' पर एक विषयगत कार्यशाला ने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को वीईसीसी पर ईसीआर आधारित कम ऊर्जा आयन बीम सुविधाएं प्रदान करने में सहायता की है। इसी क्रम में, केंद्र में विज्ञान अनुसंधान में केंद्र की गामा कक्ष सुविधा के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए इस वर्ष एक अन्य कार्यशाला का आयोजन करने की योजना बनाई गई है।

कोलकाता केंद्र में सीएसआर विकसित अत्याधुनिक पल्स प्रोसेसिंग और डेटा अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग करके वीईसीसी (चरण I एवं II) में आईएनजीए के साथ सफल प्रयोगों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

— यूजीसी—डीआई सीएसआर, कलपक्कम शाखा (NODE) में:

नोड पर स्थापित 200केवी त्वरक को आईआरबी की अनुमति की प्रतीक्षा है। इसके लिए कागजी कार्रवाई और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के उन्नत चरण में हैं।

इस अवधि के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के उपयोग के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

एएफएम-02; एक्सआरडी - 03; एमआर-03; एफईएसईएम/ईडीएस - 20; रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी-10

इस अवधि में अल्प अवधि और दीर्घ अवधि उपयोग से 8 प्रकाशन और 4 आंतरिक अनुसंधान प्रकाशन आए हैं। इनके अतिरिक्त आंतरिक कार्यों से 7 सम्मेलन प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। नोड के वैज्ञानिकों ने भी कुछ आमंत्रित वार्ताएं दी हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 (दिसंबर 2019 तक) के दौरान यूजीसी द्वारा जारी और आवंटित किया गया अनुदान तथा किया गया व्यय

मुख्य 35

(रु. लाख में)

आवंटित किया गया	जारी किया गया	किया गया व्यय
1060.00	1000.00	716.88

मुख्य 31

(रु. लाख में)

आवंटित किया गया	जारी किया गया	किया गया व्यय
1210.00	605.00	860.22

मुख्य 36

(रु. लाख में)

आवंटित किया गया	जारी किया गया	किया गया व्यय
1986.79	993.40	1589.21

टिप्पणी- ऊपर दिए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

5.9(iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक):



कार्यक्रम/कार्यकलाप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नैक अपने सार्थक अस्तित्व का 25वां वर्ष मना रहा है। नैक प्रत्यायन की संख्या और संस्थानों की विविधता, जिसकी आवश्यकताएं वह पूरा करता है, के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यायन एजेंसी में से एक है।

नैक एक प्रमुख गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी है जो हमेशा से बदलते उच्चतर तर तर शिक्षा परिदृश्य के साथ-साथ हितधारकों की आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए), 1992 में निहित विचारों के परिणामस्वरूप, भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता वृद्धि की दिशा में सकारात्मक महत्व वाले क्षेत्र के रूप में 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की स्थापना की गई थी। इन वर्षों में, नैक भारत की उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का लगभग पर्याय बन गया है। नैक किसी न किसी तरीके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, से अपने हितधारकों तक पहुंच गया है। 'गुणवत्ता' आज उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अकादमिक परिसरों में मूलमंत्र बन गया है और यह उन दूरदर्शी लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है जिन्होंने नैक को विस्तार दिया, दिन-प्रतिदिन काम किया ताकि नैक की स्थापना के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। यह न केवल नैक से जुड़े सभी लोगों के लिए किसी न किसी तरह से उत्साह का समय है बल्कि यह निरंतर आत्मनिरीक्षण और गंभीर सहभागिता को सुधारने का समय है।

नैक अपनी सामान्य परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जहां उच्चतर शिक्षा प्रणाली के क्रॉस सेक्शन के शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और वरिष्ठ शिक्षाविदों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष नैक की सामान्य परिषद (जीसी) के अध्यक्ष हैं और ईसी के अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद हैं, जो सामान्य परिषद (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए हैं। निदेशक नैक के अकादमिक और कार्यकारी प्रमुख हैं, और सामान्य परिषद जीसी और कार्यकारी समिति (ईसी) दोनों के सदस्य-सचिव भी हैं। नैक के पास अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए मूल कर्मचारी हैं जिसे परामर्शदाता पूरा करते हैं।

नैक को देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, आकलन और प्रत्यायन करने का काम सौंपा गया है। नैक का दर्शन दंडात्मक या आलोचनात्मक के बजाय सुधारात्मक और सक्षम बनाने वाला है, ताकि उच्चतर ज्ञानार्जन के संस्थानों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं को अधिकतम करने का अधिकार दिया जा सके।

• नैक विजन, मिशन और उद्देश्य: —

विज़न

स्वतः और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और जीविका पहलों के संयोजन के माध्यम से भारत में उच्चतर शिक्षा के परिभाषित तत्व को गुणवत्तापूर्ण बनाना।

मिशन

- ✓ उच्चतर शिक्षा के संस्थानों या उसकी इकाइयों या विशिष्ट अकादमिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन की व्यवस्था करना
- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण-ज्ञानार्जन और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक वातावरण को प्रोत्साहित करना
- ✓ उच्चतर शिक्षा में स्व-मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना
- ✓ गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना, और
- ✓ गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और जीविका के लिए उच्चतर तर शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।

मूल्य ढांचा

देश के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के बीच निम्नलिखित मूल मूल्यों को बढ़ावा देना:

- राष्ट्रीय विकास में योगदान देना
- छात्रों में वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना
- छात्रों के बीच मूल्य प्रणाली को मनोगत करना
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना
- उत्कृष्टता की

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

नैक का मुख्य एजेंडा उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों या उनकी एक या अधिक इकाइयों अर्थात् विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों आदि का आकलन करना और प्रत्यायन प्रदान करना है।

मूल्यांकन और प्रत्यायन के मुख्य उद्देश्य हैं:

- क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके कार्यक्रमों को ग्रेड प्रदान करना,
- ख) इन संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना,
- ग) संस्थानों को उनके अकादमिक उद्देश्यों को साकार करने में सहायता करना,
- घ) उपरोक्त उद्देश्य के लिए काम करने वाले संस्थानों के सभी पहलुओं में आवश्यक परिवर्तनों, नवाचारों और सुधारों को प्रोत्साहन देना;
- ङ) उच्चतर शिक्षा में नवाचारों, आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

नैक में प्रमुख नीतिगत निर्णय और विकास

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जो अपनी गुणवत्ता पहलों, अपने हितधारकों के बीच गुणवत्तापूर्ण संस्कृति के प्रसार के माध्यम से भारतीय उच्चतर तर शिक्षा की पारिस्थितिकी प्रणाली को बदलने का इरादा रखता है, प्रभावी और कुशल प्रत्यायन प्रक्रिया भी लगातार बदलाव हो रहा है। बदलते परिदृश्य और प्रणाली के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा के हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नैक ने एक नई प्रणाली आरंभ की है जिसे संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) कहा जाता है। संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रणाली आधारित, हितधारक के अनुकूल मूल्यांकन और प्रत्यायन की विधि है।

संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) की शुरुआत के अनुरूप वर्ष 2019 नैक के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का वर्ष था। इस वर्ष इस क्षेत्र में मौलिक सुधारों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मोर्चों पर एक वर्ष के कार्रवाई कार्यक्रम के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भव्यता के साथ कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2019 में विभिन्न संस्थानों अर्थात् पारंपरिक संस्थानों (सामान्य विश्वविद्यालयों/‘स्वायत्त महाविद्यालयों’/संबद्ध महाविद्यालयों के लिए संशोधित नियमावली) और व्यावसायिक संस्थानों के अनुकूल नियमावली की अवधारणा भी देखी गई।

देश के प्रमुख प्रत्यायन निकाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुभवी और प्रत्यायन प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन निकाय में से एक के रूप में, नैक हमेशा प्रत्यायन प्रक्रिया में विभिन्न सुधारों को आरंभ करने में सबसे आगे है। हाल की कुछ पहलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

- ✓ संबद्ध महाविद्यालयों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए पूर्णतया ऑनलाइन संस्थागत पात्रता (आईईक्यूए) प्रणाली आरंभ करना।
- ✓ नैक की वेबसाइट पर प्रत्यायन परिणाम अपलोड करने के अतिरिक्त नैक में जमा करने से पहले संस्थागत वेबसाइट पर उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के एसएसआर अपलोड करने का प्रावधान।

- ✓ आंतरिक डेटा प्रमाणीकरण एवं सत्यापन इकाई की स्थापना
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाना और व्यक्तिपरकता को न्यूनतम करना नैक मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक तत्व को कम की प्रक्रिया को निरंतर ठीक किया।
- ✓ ऑनसाइट विजिट की वीडियो रिकॉर्डिंग: नीतिगत उपाय के तौर पर नैक ने पीयर टीम यात्रा की पूरी कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्णय किया है और वीडियो को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
- ✓ राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन: भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए नैक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
- ✓ विश्वविद्यालयों के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में मात्रात्मक मूल्यांकन संकेतकों की शुरुआत।
- ✓ मूल्यांकन ढांचे के भाग के रूप में शिक्षण परिणाम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण चेतना जैसी नई अवधारणाओं की शुरुआत।
- ✓ उपर्युक्त पहलों के अतिरिक्त, मूल्यांकन और प्रत्यायन के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रयास किए जा रहे हैं:
- ✓ नैक के साथ उपलब्ध बड़े डेटा संसाधन का उपयोग करके उच्चतर तर शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना—मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों—एसएसआर, पीयर टीम रिपोर्ट और ग्रेड शीट्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर
- ✓ उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के मानकों का मानदंड और विकास
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया का पूरा स्वचालन
- ✓ मूल्यांकनकर्ताओं के कॉलेजियम का विस्तार और समीक्षा

किसी भी सफल परिवर्तनकारी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी सक्रिय रूप से परिवर्तन की अवधारणा और कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। परिणामों के लिए संरचनाओं और ऑपरेटिंग मॉडल को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि हम नैक में विभिन्न परिवर्तन लाते हैं, यह भी आवश्यक है कि नैक के भीतर और उसके पार भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण हो, साथ ही क्षेत्र में क्षमता निर्माण का ध्यान रखा जाए। इसका अभिप्राय यह है कि पूरा दृष्टिकोण अब “टॉपडाउन” और “बॉटमअप” बन जाता है।

• नैक में आदि से अंत तक आईसीटी समाधान

नैक ने आदि से अंत तक स्वचालन प्रक्रिया आरंभ की है जो सुदृढ़, पारदर्शी और एक समान है। संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) जिसमें गुणात्मक मैट्रिक्स के समूह के आधार पर मात्रात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक मैट्रिक्स के समूह के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन दोनों होते हैं, मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित पद्धति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

देश के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए शिकायत/शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन समिति (सीसीएमसी) नामक एक तंत्र विकसित किया गया है। ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के उद्देश्य से सुदृढ़ और पारदर्शी प्रणाली तैयार की गई है। हितधारकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की एक नई वेबसाइट जारी की गई, जिसे केलट्रॉन द्वारा डिजाइन किए गए एनआईसी सर्वर में होस्ट किया गया।

नैक के लिए लक्ष्य समूह मूल्यांकन और प्रत्यायन के उद्देश्य से भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। नैक ने 362 विश्वविद्यालयों और 8118 महाविद्यालयों को प्रत्यायन प्रदान किया है और आज की तारीख में कुल 13315 प्रत्यायन विजिट की हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कुल 562 उच्चतर तर शैक्षिक संस्थान (17 विश्वविद्यालय और 545 महाविद्यालय) को प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

रिपोर्टिंग वर्ष के लिए बजट आवंटन और प्रदर्शन बजट (1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019)

(रु. में)	(अनुरक्षण)	(स्थिर परिसंपत्तियाँ)	(वेतन)
आवंटन	465.00	980.00	1098.04
जारी किया गया	232.50	0	549.02

• नैक वीडियो ट्यूटोरियल

डिजिटल आरएफ को उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का हाथ पकड़ना बड़ी चुनौती थी। दूरस्थ परिदृश्य में उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के साथ डिजिटल साक्षरता नैक के लिए चिंता का विषय था। इस पर नियंत्रण पाने के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में कदम-दर-कदम संस्थानों को मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किए गए और उसी में पोर्टल्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इन वीडियो को नए भर्ती किए गए परामर्शदाताओं द्वारा आंतरिक रूप से उत्पादित किया गया। इससे संस्थानों को बहुत राहत मिली है और उन्हें पोर्टल की झलक देते हुए आदि से अंत तक मार्गदर्शन करता है, और अक्सर पूछे जाने वाले 9 प्रश्नों का यहां समाधान किया गया है। ये वीडियो विस्तृत हैं और संस्थान के डाउनलोड और उपयोग की नैक वेबसाइट में होस्ट किए जाते हैं।

• डीवीवी को सुव्यवस्थित करना

डेटा प्रमाणीकरण और सत्यापन आरएफ का केंद्र है और संस्थान की गुणवत्ता को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक है। डीवीवी की प्रक्रिया अच्छी तरह से सुव्यवस्थित और स्थिर है। मैट्रिक्स की समझ और दस्तावेजों को साझा करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थान के आंकड़ों का सत्यापन करने वाले डीवीवी सहभागी और डाटा को प्रदान करने वाले संस्थान, नैक द्वारा उपलब्ध कराए मैट्रिक्स वाली समझ के एक ही पन्ने में हों। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थानों की डीवीवी प्रक्रिया 30-40 दिनों के भीतर पूरी हो।

• अपील से निपटने के लिए तंत्र

अपीलों की प्रक्रिया के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें कार्यान्वित किया गया। अपील को भी आदि से अंत तक आईसीटी सक्षम बनाया जा रहा है। किसी भी पीड़ित संस्था को निर्धारित समय के भीतर अपील करने में सक्षम बनाया जाता है।

• डीवीवी में कृत्रिम आसूचना और मशीन से ज्ञानार्जन

डीवीवी को आईसीटी के नए स्तर पर उन्नत करने की आवश्यकता है। कृत्रिम आसूचना के लिए क्षमता दस्तावेज पठन के साधनों में डीवीवी है, दस्तावेजों की पूरी सूची में संख्याओं की पहचान आदि प्राप्त हुई। उन मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए 1200 संस्थानों के डेटा के साथ कृत्रिम आसूचना और मशीन से ज्ञानार्जन से काम लेने के अवसरों की पहचान की जा रही है जहां स्वचालित सत्यापन संभव है।

• नैक में हरित पहल को बढ़ावा दिया

नैक ने प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है इसलिए नैक में प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध है। एक प्रचारक कदम के रूप में, और नैक के अस्तित्व के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में, अधिकारियों को तांबे की पानी की बोतलें भेंट की गईं और कार्यालय में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक के लिए प्लास्टिक पानी की बोतलों को भी उसी के साथ बदल दिया गया है। नैक ने आंगतुकों के साथ भी इसे प्रोत्साहन देने का अभ्यास किया है।

नैक में आयोजित कुछ कार्यक्रम

- ✓ लगभग 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सफल मेजबानी और सुविधा प्रदान करना
- ✓ नैक डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन- 14 मई, 2019।
- ✓ राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों (एसएलक्यूएसीएस) के आयुक्तों/निदेशकों/विभागाध्यक्षों की बैठक- 03 जून 2019।
- ✓ नैक की मूल्यांकन और प्रत्यायन (एएंडए) प्रक्रिया सुधार पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक - 10 जून 2019।

- ✓ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर कार्यशाला – नैक परिप्रेक्ष्य- 20 जून 2019।
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह- 21 जून, 2019।
- ✓ जम्मू-कश्मीर की प्रत्यायन रिपोर्टों के राज्यवार विश्लेषण की पहली बैठक-21 और 22 जून 2019।
- ✓ शिक्षक शिक्षा नियमावली पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक- 11 जुलाई 2019
- ✓ ओडिशा की प्रत्यायन रिपोर्टों के राज्यवार विश्लेषण की पहली बैठक- 25 और 26 जुलाई 2019।
- ✓ पूरे भारत के इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के लिए एओपी – 21 अगस्त 2019।



5.9(अ) सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इंफिलबनेट) केंद्र, गांधी नगर:-

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इंफिलबनेट) की स्थापना मई, 1996 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी, गांधीनगर में स्थित है। इस केन्द्र के मुख्य कार्यकलापों और सेवाओं में अकादमिक पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण करना है जिससे सूचना के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजन से एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह प्रौद्योगिकी समकालीन शिक्षा प्रणाली में एक संचालक शक्ति है और केन्द्र ने भारत में शैक्षिक समुदाय के हित लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। इन सभी पहल को मोटे तौर पर निम्नलिखित 10 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

• विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का स्वचालन:

यह केन्द्र विश्वविद्यालयों को विभिन्न तरीकों से पुस्तकालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इंफिलबनेट केन्द्र ने पुस्तकालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्व महाविद्यालयों को उनके पुस्तकालयों में उपलब्ध दस्तावेजों की सूची के अभिलेखों का इनफिलबनेट केन्द्र की यूनियन सूची: इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

1. इन्डकैट: भारतीय विश्वविद्यालय की यूनियन सूची।

इंफिलबनेट की ऑनलाइन भारतीय विश्वविद्यालयों की यूनियन सूची (IndCat) में पुस्तकों के ग्रंथसूची रिकॉर्ड, पीएच.डी. थीसिस और सहायक विश्वविद्यालयों द्वारा योगदान किए गए धारावाहिक शामिल हैं। बुक डाटाबेस में 92.8 लाख विशिष्ट अभिलेख हैं जिनमें 187 भारतीय विश्वविद्यालयों के 113 लाख संग्रह हैं; थीसिस डाटाबेस में 452 विश्वविद्यालयों के 4.39 लाख विशिष्ट पीएच.डी. अभिलेख हैं और सीरियल डाटाबेस में 229 संस्थानों के 0.35 लाख विशिष्ट जर्नल हैं।

2. सॉफ्टवेयर विकास: सोल 2.0 समेकित पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर

सोल 2.0: इंफिलबनेट केन्द्र अपने यहाँ विकसित किए गए सोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुस्तकालयों के स्वचालन के संबंध में योगदान देता है। सोल के देश भर में 3,715 से अधिक प्रतिष्ठान हैं और 3185 प्रतिभागियों के लिए 152 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 2019 के दौरान 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 94 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवधि में 76 सोल प्रतिष्ठापन किए गए हैं।

• मुक्त पहुंच तथा मुक्त डाटा पहल

1. **शोधगंगा:** जनवरी, 2010 में आरंभ किया गया, शोधगंगा भारतीय शोध प्रबंधों का भंडार है जिसमें 422 संस्थानों द्वारा प्रदत्त 2.50 लाख पूर्ण पाठ वाले शोध प्रबंध होस्ट किए गए हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 27778 पूर्ण पाठ के मामले जोड़े गए हैं और 44 विश्वविद्यालयों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को तब गति मिली जब पात्र विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान की गई और 496 विश्वविद्यालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शोधशुद्धि के अंतर्गत पीडीएस की योजना को 1020

संस्थानों तक बढ़ाया गया है और वे साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर के लिए दिए अंशदान का लाभ उठा रहे हैं।

2. **शोध गंगोत्री:** वर्ष 2013 में आरंभ किया गया, शोध गंगोत्री कार्यक्रम चल रहे शोध का भण्डारगृह है जिसने अब तक 71 संस्थानों द्वारा योगदान किए गए कुल 6900 + सारांश/एमआरपी/पीडीएस को होस्ट किया है।
3. **आईआर/इंफलिबनेट:** इंफलिबनेट केंद्र के संस्थागत संग्रह (आईआर) ने वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री, प्रेस कतरनों, समाचार पत्रों आदि की सभी पारंपरिक कार्यवाही में प्रकाशित लेखों को होस्ट किया है। विश्व भर में पहुंच के लिए 1858 प्रकाशन हैं और 2015 के बाद से कुल 128599 दृष्टिकोणों में से अप्रैल-दिसंबर, 2019 की अवधि के 19052 दृष्टिकोण हैं।
4. **शोधशुद्धि-साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस):** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 2019 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), यूजीसी के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों (आईयूसी) सहित सभी 1023 भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस) प्रदान किया जो पहले केवल 203 विश्वविद्यालयों को दिया गया था। इंफलिबनेट केंद्र, एमएचआरडी के तत्वावधान में परियोजना/पहल को निष्पादित करने वाली एक नोडल एजेंसी है। देश भर के 6 क्षेत्रों में शोधशुद्धि क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 939 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन विश्वविद्यालयों द्वारा कुल 1,95,000 दस्तावेजों को स्कैन किया गया है।
5. **आईसीएसएसआर डाटा सेवा-भारतीय सामाजिक विज्ञान डाटा संग्रह:-** इस परियोजना को आईसीएसएसआर द्वारा वर्ष 2015 में इन्फ्लिबनेट केन्द्र को सौंपा गया था जिसमें एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विशिष्ट रूप से निर्मित किए गए प्लेटफॉर्म पर एमओएसपीआई द्वारा 140 डाटासेट को होस्ट किया गया है। यह शोधकर्ता समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा है और इसमें 40.34 लाख से अधिक रिसोर्स डाउनलोड किए गए हैं।

• **पुस्तकालय सहायता संघ (कन्सोर्टियम) तथा इसके उप-उत्पाद**

1. **ई-शोध सिंधु:** इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, ई-शोधसिंधु विश्व महाविद्यालयों, केंद्रों द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों तथा महाविद्यालयों सहित 380 से अधिक संस्थानों को 7,200 से अधिक ई-जर्नलों तथा 30 लाख से अधिक पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है। एनअलआईएसटी, ई-शोधसिंधु का महाविद्यालय घटक है, जो 3375 से अधिक महाविद्यालयों के 7.93 लाख उपयोगकर्ताओं को 6,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों तथा 31.65 लाख से अधिक ई-पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है।
2. **इन्फ्लिबनेट पहुंच प्रबंधन संघ (आईएनएफईडी):** वर्ष 2017 में पूर्णरूप से आरंभ किया गया आईएनएफईडी, ई-शोध सिंधु के अंतर्गत शामिल किए गए संस्थानों के उपयोगकर्ताओं को ई-संसाधनों तक ऑफ-कैम्पस पहुंच प्रदान करता है। 106 विश्वविद्यालयों/संस्थान आईएनएफईडी में सम्मिलित हुए हैं और आईएनएफईडी की 37 प्रकाशकों तक पहुंच है।
3. **इन्फिस्टैट:** इन्फिस्टैट, ई-शोध सिंधु के उप उत्पाद, को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया। जो सब्सक्राइब किए गए ई-संसाधनों को ई-शोध सिंधु के अंतर्गत सदस्य संस्थानों को उपलब्ध कराए गए सब्सक्राइब्ड ई-संसाधनों के उपयोग संबंधी आंकड़ों की निगरानी तथा मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाता है।

• **ई-ज्ञानार्जन, विषयवस्तु विकास तथा एमओओसी**

1. **ई-पीजी पाठशाला:** वर्ष 2012 में आरंभ की गई ई-पीजी पाठशाला ने वर्ष 2014 के बाद से गति पकड़ी। इन्फ्लिबनेट सभी शाखाओं के 70 विषयों में ई-विषयवस्तु के विकास को समन्वित करता है। वर्तमान में, इसने 23,900 से अधिक वीडियो मॉड्यूल और 5000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा योगदान दिए गए इतनी ही संख्या के पाठों को होस्ट किया है।
2. **विद्यामित्र:** इस परियोजना को मई, 2014 में इन्फ्लिबनेट केन्द्र को सौंपा गया था, विद्यामित्र, एनएमई-आईसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विकसित सभी ई-विषयवस्तु परियोजनाओं के लिए एक ऑनलाइन ज्ञानार्जन

पोर्टल है। विद्यामित्र ने 66,000 से अधिक वीडियो (स्व-ज्ञानार्जन/ई-ट्यूटोरियल) तथा 44,000 से अधिक ई-पाठ को होस्ट किया है।

3. **स्वयम (पीजी पाठ्यक्रमों हेतु):** दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किया गया, इंफलिबनेट केन्द्र एमओओसी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्वयम प्लेटफार्म पर एमओओसी हेतु 80 से अधिक पाठ्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है तथा 60 गैर-तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। इंफलिबनेट केन्द्र, स्वयम प्लेटफार्म पर पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में सात पाठ्यक्रमों की पेशकश करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। एलआईएस में इन सात पाठ्यक्रमों, जिन्हें नवम्बर 2017 के माह में स्वयम प्लेटफार्म पर आरंभ किया गया, को मार्च, 2018 में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। अधिक मांग के चलते वर्ष 2018 में इन कार्यक्रमों को पुनः चलाने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
4. **स्वयम-प्रभा:** दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए इंफलिबनेट केन्द्र ने स्वयम प्रभा हेतु एक पोर्टल विकसित किया है तथा प्रतिदिन 4 घंटे के वीडियो व्याख्यान वाले उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों को समर्पित 31 डीटीएच चैनलों हेतु वीडियो को होस्ट करता है तथा संग्रह करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इंफलिबनेट के प्रबंधन हेतु विशिष्ट रूप से चैनल नम्बर 29 (स्नातकोत्तर विषय और योग) नियत किया गया है।
5. **एफएसएसएसआई का एफएसकेएसएन:** संगठनों के नेटवर्क की एक प्रणाली, जिसका उद्देश्य खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों के भीतर कार्यकलापों के समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग के ढांचे को एफएसएसएसआई ने खाद्य सुरक्षा ज्ञान आत्मसात नेटवर्क (एफएसएसएकन) की स्थापना की है।

• क्षमता निर्माण कार्यक्रम

इसकी स्थापना के बाद से, इंफलिबनेट केंद्र विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे आंतरिक और ऑफ-साइट कार्यशालाएं, सम्मेलन, सेमिनार, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सक्रिय रूप से शामिल है, अब तक केंद्र ने ऐसे 823 कार्यक्रमों के माध्यम से 62620 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, केंद्र ने 26 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें 1861 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वार्षिक/द्वि-वार्षिक सम्मेलनों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की स्थिति (सोल, आईआरटीएआर, ई-संसाधन जागरूकता, डी स्पेस, शोधगंगा, ग्रंथ सूची और अन्य विशेषज्ञ कार्यक्रमों सहित)

अवधि	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
अप्रैल – दिसंबर 2019	26	1,861
2019 से पहले	797	60,759
सम्पूर्ण योग	823	62620

मानसिक क्षमता (कैलिबर)–2019: शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालयों के स्वचालन के बारे में सम्मेलन (कैलिबर) 2019, इंफलिबनेट केंद्र द्वारा विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों में द्वि-वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 1994 में आरंभ किया गया था। यह सम्मेलन पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों, शिक्षकों, आईटी पेशेवरों, परामर्शदाताओं और पुस्तकालयों के स्वचालन और नेटवर्किंग में शामिल उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ सूचना प्रदाताओं को एक साथ आने और पारस्परिक हित के विषयों पर परस्पर संवाद करने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। 28–30 नवंबर 2019 के दौरान केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर 2019 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया जो श्रृंखला में 21 है। कैलिबर 2019 का विषय 'पुस्तकालय 2030: स्मार्ट प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और संसाधनों की ओर बढ़ना' था। भारत के विभिन्न कोने से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रित वक्ताओं के साथ इस सम्मेलन में भाग लिया। कुल ट्यूटोरियल (03); आमंत्रित वार्ता (09) कागजात (38) सार (09) और वाणिज्यिक प्रस्तुतियां (04) प्रस्तुत किए गए।

• विद्वान तथा भारतीय शोध सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआरआईएनएस)

1. **विद्वान:** एनएमई-आईसीटी द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 5,374 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 42000 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों तथा संकाय सदस्यों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद है।

2. **भारतीय शोध सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस):** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनएमईआईसीटी के द्वितीय चरण के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और दिसम्बर, 2018 में इनफिलिबनेट को सौंपा गया था। आईआरआईएनएस एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जो शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानिकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण कार्यकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है।

• **संस्थानों की रैंकिंग और प्रत्यायन।**

1. **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)** सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, भारत रैंकिंग का पहला संस्करण 2016 में लॉन्च किया गया था। इंफिलिबनेट केंद्र ने संस्थानों की रैंकिंग के लिए आवश्यक आंकड़ों को लेने के लिए एक पोर्टल विकसित किया। केंद्र ने सभी आवेदक संस्थानों के लिए प्रकाशन, प्रशस्ति पत्र और पेटेंट के आंकड़े भी उपलब्ध कराए। एनआईआरएफ ने वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में रैंकिंग प्रदान की है। एनआईआरएफ 2020 प्रक्रियाधीन है।
2. **ई-एनबीए:** राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनबीए) ने दिसंबर 2017 से तकनीकी संस्थानों हेतु प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पूर्ण ऑनलाइन मंच विकसित करने का कार्य सौंपा है।
3. **नैक:** नैक ने नवंबर 2017 से प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों के लिए नैक को प्रकाशन, प्रशस्ति पत्र, एच-सूची और अन्य संबंधित ग्रंथसूची के आंकड़ें प्रदान करने का काम सौंपा है।
4. **एआरआईए:** एआरआईए छात्रों और संकायों के बीच 'नवाचार और उद्यमिता विकास' से संबंधित सूचकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। इंफिलिबनेट एक तकनीकी भागीदार है।

• **वेबसाइट का विकास एवं रखरखाव**

केन्द्र अपने सभी कार्यकलापों हेतु अंग्रेजी एवं हिन्दी में वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है। आरएसएस (रीयल सिमपल सिंडिकेशन) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता तथा ब्लॉगर केन्द्र की वेबसाइट से नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने में सक्षम हो पाएं। वेब 2.0 की विशिष्टताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि को वेबसाइट में शामिल किया गया था।

• **विभिन्न सरकारी पहलों (वर्ष 2018-19 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से की गई सभी पहल) के संबंध में वेब पोर्टल**

1. **भारत में अध्ययन:** स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के आकांक्षी विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी सभी जानकारीयों उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को भारत में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि की योजना में सहायता करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉग इन' है (जहां संस्थान विदेशी छात्रों को उनकी सीटें निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉग इन (जहां पंजीकृत छात्र विकल्प को भरने, कृत्रिम परामर्श (मॉक काउंसिलिंग) तथा अंतिम परामर्श (काउंसिलिंग) सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)
2. **एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी):** पोर्टल विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के विवरण को होस्ट करता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है।
3. **संस्थानों हेतु उन्नत भारत अभियान (यूबीए):** यूबीए 2.0 में भागीदारी कर रहे सभी संस्थानों हेतु एक प्लेटफार्म सह डाटाबेस है।

4. शिक्षक एवं शिक्षण संबंधी पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी):

शिक्षक एवं शिक्षण संबंधी पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। इस योजना का लक्ष्य 1,00,000 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, पेशेवर विकास, पाठ्यचर्या को तैयार करना, मूल्यांकन को तैयार करना और उसका विकास करने से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करके विद्यालयी और उच्चतर तर तर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इनपिलबनेट केन्द्र वेब और तकनीकी विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

5. शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) एवं कौशल के लिए उच्चतर तर तर शिक्षा युवा योजना (श्रेयस):

श्रेयस डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए एक कार्यक्रम है, जो मुख्य रूप से गैर-तकनीकी है, जिसका उद्देश्य उनके ज्ञानार्जन में रोजगारपरक कौशल आरंभ करने, शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता को बढ़ावा देने और शिक्षा प्रणाली में रोजगार को भी मिलाने के सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाना है ताकि स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान और बाद में छात्रों को रोजगार के अवसरों की दिशा में स्पष्ट रास्ते उपलब्ध हों। इंफलिबनेट केंद्र वेब प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास सहायता प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए): इंफलिबनेट केन्द्र, एनटीए को वेबसाइट विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है जो “परीक्षा पर्यवेक्षक”, “प्रशिक्षण अभ्यास केंद्र”, मोबाइल-ऐप आदि की पूरी प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा ई-शासन/यूजीसी।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट के विकास तथा रखरखाव के उत्तरदायित्व के साथ ही इसकी विभिन्न योजनाओं, अनुदान प्रबंधन प्रणाली तथा ई-छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति अवार्ड पंजीकरण ट्रैकिंग प्रणाली (ई-एसएआरटीएस) का कार्य इंफलिबनेट को सौंपा है।

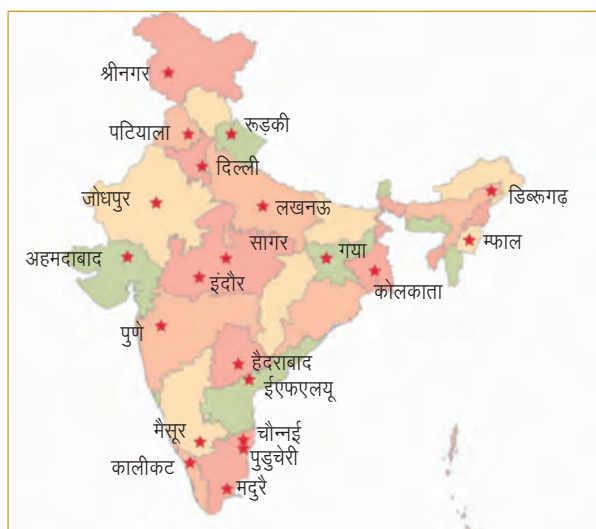
2. ई-शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं: इनपिलबनेट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त तथा विरासत वाले संस्थान, दूरस्थ शिक्षा आदि हेतु 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

- गैर-योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान अनुदान प्राप्त किया गया।
- बजट शीर्ष 31 – (पेंशन एवं अनुरक्षण) – 182.50 लाख रुपये (1.82 करोड़ रुपये)
- बजट शीर्ष 35 – (परिसंपत्ति) – शून्य रुपये
- बजट शीर्ष 36 – (वेतन एवं सेवानिवृत्ति हितलाभ) – 259.39 लाख रुपये (2.59 करोड़ रुपये)
 - यूजीसी से शोधगंगा के लिए मिला अनुदान – 165.00 लाख रुपये (अर्थात 1.65 करोड़ रुपये)
 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पीडीएस (शोधशुद्धि) के लिए प्राप्त अनुदान – 133.50 लाख रुपये (13.35 करोड़ रुपये)
 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ईएसएस के लिए प्राप्त अनुदान – 22766.00 लाख रुपये (अर्थात 227.66 करोड़ रुपये)

5.9 (vi) शैक्षिक संचार (सीईसी)/मीडिया केंद्र सहायता संघ (कंसोर्टियम)



शैक्षिक संचार सहायता संघ (कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 1956 के इसके अधिनियम की धारा 12 (गगग) के अधीन 26 मई, 1993 को की गई थी। यह शैक्षिक मल्टीमीडिया सामग्री का विकास करके उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं का सामाधान करने और टीवी, रेडियो, सीईसी गुरुकुल, वेब पोर्टल और ऑफलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से इसके प्रसार को विकसित करने के लिए है। इसमें 21 शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमआरसी) हैं, जो अत्याधुनिक शैक्षिक उपकरणों और तकनीकी जनशक्ति के साथ भारत भर में स्थित संघ (कंसोर्टियम) सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक डिजिटल सामग्री का उत्पादन करते हैं।



ईएमआरसी के स्थान

सीईसी के प्रमुख केंद्र बिन्दु क्षेत्र तीन मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं—

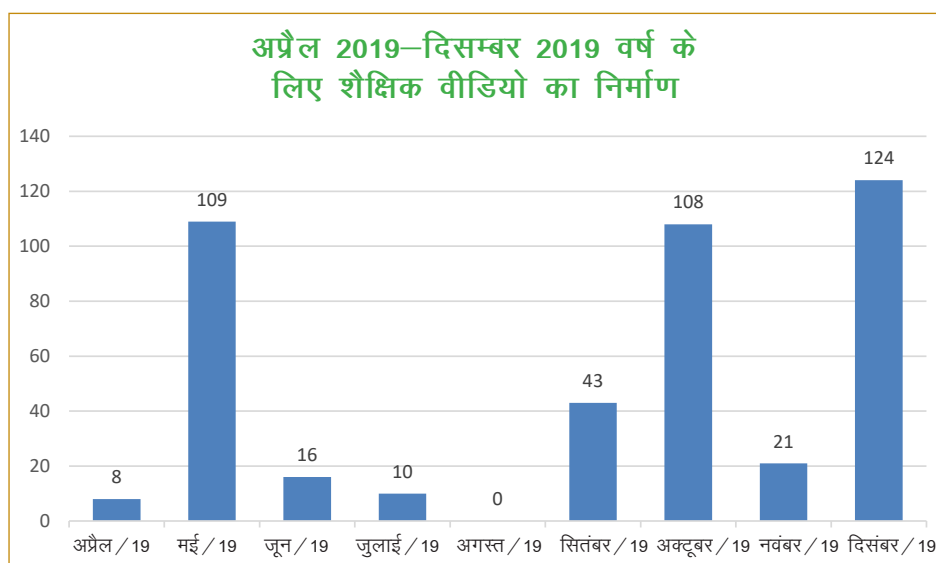
- क. उत्पादन
- ख. प्रसार
- ग. आईसीटी पर्यावरण भवन

• वीडियो कार्यक्रम निर्माण:

सीईसी और उसके मीडिया केंद्र विभिन्न प्रकार के शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों—पाठ्यक्रम आधारित और समृद्ध आधारित (पूरक शिक्षा के लिए) दोनों के निर्माण में लगे हुए हैं। ये कार्यक्रम चार बैंड/शाखाओं में विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं:

1. भाषा/साहित्य/कला एवं संस्कृति
2. सामाजिक विज्ञान
3. प्रबंधन और अन्य पेशेवर विषय
4. विज्ञान/प्रौद्योगिकी

सीईसी के शैक्षिक अनुसंधान मीडिया केन्द्रों (ईएमआरसी) द्वारा अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक कुल 439 शैक्षिक वीडियो का निर्माण किया गया



• **सीईसी गुरुकुल लाइव व्याख्यान**

प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सीईसी के लाइव व्याख्यान व्यास चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होते हैं और लोकप्रिय वीडियो नेटवर्किंग साइट – YouTube पर सीईसी YouTube चैनल के रूप में भी उपलब्ध हैं।

सीईसी गुरुकुल लाइव प्रसारण (अप्रैल 2019–दिसंबर 2019)

क्र.सं.	महीना	सीईसी गुरुकुल पर व्याख्यान की कुल संख्या
1.	अप्रैल	31
2.	मई	41
3.	जून	32
4.	जुलाई	42
5.	अगस्त	34
6.	सितंबर	42
7.	अक्टूबर	55
8.	नवंबर	46
9.	दिसंबर	62
	योग	385

• **यूजी एमओओसी परियोजना के अंतर्गत निष्पादन एवं कार्यकलाप**

चैनल सं. 01 से 11 के लिए राष्ट्रीय समन्वयक: प्रो. जगतभूषण नड्डा (निदेशक, सीईसी)

परियोजना समन्वयक— श्री नागेश्वरनाथ, जेडी (एचडब्ल्यू)

नए यूजी एमओओसी का प्रसंस्करण

क. लगभग 25 विषयों के लिए एसईजी की बैठकें आयोजित की गईं

ख. 27 और 28 मई, 2019 को एएसी बैठकें आयोजित की गईं

ग. एसईजी-द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों की कुल संख्या—135

एएसी द्वारा कुल अनुमोदित पाठ्यक्रम—44

क्र.सं.	सत्र	विकसित पाठ्यक्रम	पेशकश किए गए पाठ्यक्रम	पंजीकृत छात्र	जारी प्रमाणपत्र
1.	जनवरी–जून 2019	53	61	70000	1679
2.	जुलाई–दिसंबर 2019	80	91	255959	5797

• **स्वयम प्रभा परियोजना के अंतर्गत निष्पादन एवं कार्यकलाप**

चैनल सं. 01 से 11 के लिए राष्ट्रीय समन्वयक: प्रो. जगतभूषण नड्डा (निदेशक, सीईसी)

परियोजना समन्वयक— श्री नागेश्वरनाथ, जेडी (एचडब्ल्यू)

चैनल संख्या	चैनल का नाम	शामिल विषय	दर्शक संख्या (अप्रैल से दिसंबर 2019)	यू ट्यूब सदस्य	उपलब्ध सामग्री	नई सामग्री	कार्यक्रम अवधि
सीईसी-यूजीसी 01	वागीश	भाषा और साहित्य	3074146	8885	1000	Nil	06
सीईसी-यूजीसी 02	संस्कृति	इतिहास, संस्कृति एवं दर्शन	4360220	14015	1235	42	06
सीईसी-यूजीसी 03	प्रबोध	सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान	724657	4349	750	85.5	06
सीईसी-यूजीसी 04	सारस्वत	शिक्षा एवं गृह विज्ञान	1370753	3736	1098	15	6.5

चैनल संख्या	चैनल का नाम	शामिल विषय	दर्शक संख्या (अप्रैल से दिसंबर 2019)	यू ट्यूब सदस्य	उपलब्ध सामग्री	नई सामग्री	कार्यक्रम अवधि
सीईसी-यूजीसी 05	प्रबंधन	सूचना, संचार एवं प्रबंधन अध्ययन	1583014	7757	1500	02	06
सीईसी-यूजीसी 06	विधिक	कानून एवं कानूनी अध्ययन	453921	2319	1477	01	06
सीईसी-यूजीसी 07	कौटिल्य	अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य	605104	1959	511	07	06
सीईसी-यूजीसी 08	आर्यभट्ट	भौतिक एवं भू विज्ञान	1087440	4299	542	52.5	06
सीईसी-यूजीसी 09	स्पंदन	जीव विज्ञान	1378087	5249	850	Nil	06
सीईसी-यूजीसी 10	दक्ष	अनुप्रयुक्त विज्ञान	584591	4024	1730	15	06
सीईसी-यूजीसी 33	व्यास	बैंड 01: कला: साहित्य बैंड 02: सामाजिक विज्ञान बैंड 03: प्रबंधन एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम बैंड 04: प्राकृतिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान	मतों की संख्या: 23,481,202 देखने के घंटे – 2,040,563.48	3,00,082	11450	490	12

• शिक्षकों के लिए पुरस्कार/क्षमता निर्माण कार्यशाला

- क. 1 अक्टूबर, 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।
- ख. उत्कल विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज के सहयोग से तीसरा मीडिया सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज (IMS) और उत्कल विश्वविद्यालय ने शैक्षिक संचार सहायता संघ (कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन) नई दिल्ली और डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से 21 से 23 नवंबर 2019 को भुवनेश्वर में किया था।
- ग. “एमओओसी और ओईआर के माध्यम से 23 नवंबर 2019 को नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, दिल्ली में ‘एमओओसी एवं ओईआर के माध्यम से शैक्षिक अंतर को पाटना’ विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। सेमिनार में, उच्चतर शिक्षा प्रशासक, और संकाय सदस्य उपस्थित थे और मौजूदा जनसांख्यिकीय, आर्थिक अंतराल और भौगोलिक बाधा को पाटने के साधन के रूप में ओईआर एवं एमओओसी की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया था।
- घ. भारतीय महाविद्यालय फोरम और उच्चतर शिक्षा शिखर सम्मेलन, 2019 का “भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु उच्चतर शिक्षा का रूपान्तरण” नामक विषय पर 15 नवंबर, 2019 से 16 नवंबर, 2019 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय पर्यावास केंद्र में आयोजित किया गया।
- ङ. ईएमआरसी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में 14 से 16 मई, 2019 तक ईएमआरसी स्टाफ के लिए स्वयं 2.0 फीचर पर प्रशिक्षण
ईएमआरसी, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में ईएमआरसी के कर्मचारियों के लिए 14 से 16 मई, 2019 तक 3-दिवसीय कार्यशाला और पाठ्यक्रम निर्माण सत्र आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में स्वयं 2.0 पर लगभग 30 ईएमआरसी कर्मचारियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया था।

च. पाठ्यक्रम समन्वयकों को प्रशिक्षण—

ईएमआरसी द्वारा उनके पाठ्यक्रम समन्वयक और कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया—

क्र.सं.	ईएमआरसी	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागियों की सं.
1.	ईएमआरसी श्रीनगर	30 मई, 2019	22
2.	ईएमआरसी इंफाल	31 मई, 2019	32 प्रतिभागी
3.	ईएमआरसी मैसूर	29 मई, 2019—दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक	28 (सीसी + टीए)
4.	ईएमआरसी पटियाला	31 अक्टूबर, 2019	45
5.	श्री अरविंदो महाविद्यालय (दिल्ली)	16 –22 नवंबर, 2019	50

• सामुदायिक रेडियो स्टेशन

ईईएमआरसी अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, मैसूर और एमसीआरसी जामिया मिलिया इस्लामिया सहित मीडिया के कुछ केन्द्र समुदाय रेडियो चलाते हैं, जहां शैक्षिक कार्यक्रमों का उत्पादन और प्रसारण किया जाता है। ईईएमआरसी चेन्नई, अन्ना विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो प्रस्तुत करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था।

• आईसीटी पर्यावरण निर्माण

सीईसी शिक्षा उद्देश्यों के लिए आईसीटी पर्यावरण निर्माण को बढ़ाने के लिए विभिन्न सेमिनारों/वीडियो प्रतियोगिताओं/प्रकृति फिल्म समारोहों का आयोजन करता है।

• अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ

सीईसी ने मीडिया और आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा के संवर्धन के लिए सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करके शिक्षाविदों और मीडिया पेशेवरों को एक साझा मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अतिरिक्त, सीईसी कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएम सीए), मीडिया लैब एशिया, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, श्रीलंका सरकार, एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD), कुआलालंपुर, मलेशिया आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों से जुड़ा हुआ है और समय-समय पर भारत और विदेश में सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन किया है/भाग लिया है।

- निदेशक, सीईसी, प्रो.जगत भूषण नड्डा ने 06 से 11 अप्रैल, 2019 तक लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, नेवादा, यूएसए में राष्ट्रीय प्रसारक संघ (एनएबी) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसारक संघ (एनएबी) शो लास वेगास 2019 में भाग लिया।
- सीईसी के एकेजेएमसीआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में 28 से 30, मई, 2019 तक 'ग्राफिक्स और एनिमेशन' पर एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। एमओओसी उत्पादन के लिए नवीनतम मीडिया प्रौद्योगिकी और संव्यवहार के साथ तालमेल रखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यशाला का आयोजन ईएमआरसी के उत्पादन कर्मचारियों और इसमें शामिल संकाय सदस्यों के लिए किया गया था।
- 13 भारतीय भौतिकी विद्वानों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के शोधकर्ताओं के एक समूह को 28 जून, 2019 को एक पारस्परिक संवाद सत्र के लिए शैक्षिक संचार (सीईसी) सहायता संघ (कंसोर्टियम) में आमंत्रित किया गया था।
- उच्चतर शिक्षा का व्यावसायिक विकास (CPDHE) केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा सीईसी में भारत भर के विभिन्न विश्व महाविद्यालयों के 25 शिक्षकों के एक समूह के लिए 18 जून, 2019 को एक 1-दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- शैक्षिक संचार सहायता संघ (सीईसी), राष्ट्रीय एमओओसी समन्वयक और स्वयं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की एक पहल, द्वारा संयुक्त रूप से 17 जुलाई, 2019 को सीईसी, नई दिल्ली में "एमओओसी एवं ई-सामग्री विकास" पर एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

- प्रो. जगत भूषण नड्डा, निदेशक, सीईसी ने श्री नागेश्वरनाथ, संयुक्त निदेशक (एच/डब्ल्यू), सीईसी के साथ आरएआई एम्स्टर्डम कन्वेंशन सेंटर, नीदरलैंड में 13 से-17 सितंबर, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन (IBC) में भाग लिया।
- डॉ सुनील मेहरु, संयुक्त निदेशक (एसडब्ल्यू), सीईसी ने सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में 6 से 8 नवम्बर, 2019 तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह (ISFFI) में भाग लिया।
- प्रो. जगत भूषण नड्डा, निदेशक, सीईसी ने 'भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु उच्चतर शिक्षा का रूपांतरण' विषय पर भारतीय पर्यावास केन्द्र (आईएचसी) में 15 से 16 नवंबर, 2019 तक आयोजित 2 दिवसीय भारतीय महाविद्यालय फोरम के राष्ट्रीय सम्मेलन और उच्चतर तर तर शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रो. नड्डा ने '4.0 प्रौद्योगिकियों के प्रबंध, उपयोग और विकास के लिए उच्चतर तर तर शिक्षा संस्थानों को तैयार करने की चुनौतियाँ' सत्र की अध्यक्षता की।

• वीडियो प्रतियोगिता

यूजीसी-सीईसी शैक्षिक वीडियो प्रतियोगिता 1988 से सीईसी द्वारा आयोजित की जा रही है, जो शैक्षिक वीडियो कार्यक्रम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मीडिया केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करती है। पुरस्कार में निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाने वाला नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र शामिल हैं, जैसे- वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक कार्यक्रम, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ई-सामग्री कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ औपचारिक शोध और सर्वश्रेष्ठ पटकथा आदि।

• प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह

सीईसी 1997 से एक वार्षिक वृत्तचित्र फिल्म उत्सव, प्रकृति का आयोजन कर रहा है। दो दशकों से अधिक समय से, प्रकृति ने एक गैर-प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं को शामिल करने, पुरस्कार देने और सीधे प्रोत्साहित करने और प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए देश भर में यात्रा की है, तथा वर्ष 2018-19 में प्रकृति प्रतिस्पर्धी के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बन गया, और पूरे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र तक फैल गया।

वित्त

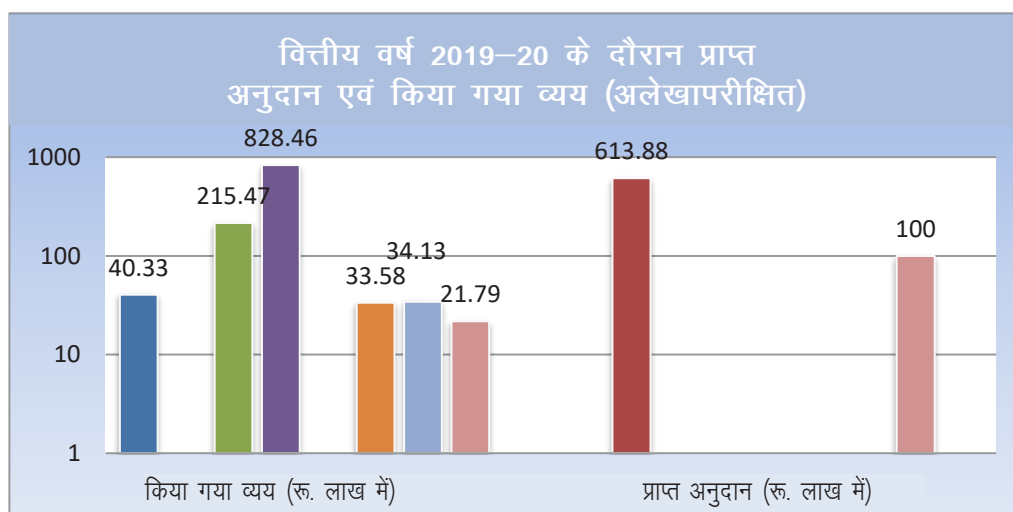
अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक, सीईसी में विभिन्न शीर्षों में प्राप्त अनुदान और व्यय नीचे दिए गए हैं:

शीर्ष	किया गया व्यय (₹ लाख में)	अनुदान प्राप्त हुआ (₹ लाख में)
शीर्ष -35	40.33*	1059.0
शीर्ष -36	215.47	26.70
शीर्ष -31	628.46	75.00
एमएचआरडी परियोजनाएं:		
एनएमई-आईसीटी (चरण 1 और चरण 2)	33.58	
स्वयम-एमओओसी की परियोजना	34.13	
स्वयम-डीटीएच परियोजना	21.79	100.00**
एनएमई-एनईआर परियोजना	-	-

व्यय अव्यतित निधि से किया गया।

**सामग्री निर्माण के लिए अनुदान।

उपर्युक्त व्यय में अग्रिम शामिल नहीं है।



5.9 (vii) अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी



अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 25 दिसंबर 2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्र भवन, बीएचयू, वाराणसी में लॉन्च करने के साथ अस्तित्व में आया। अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके अधिनियम (1956 के सं.3) के खंड 12 (गगग) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने इसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटी) का भी शुभारंभ किया। आईयूसीटीई का उद्देश्य पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएमटी) को प्रोत्साहन प्रदान करना है जिसमें शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों, शिक्षकों की तैयारी और उनके व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और मूल्यांकन और प्रभावी शिक्षाशास्त्र विकसित करने से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने की परिकल्पना की गई है।

• 2019-20 के अकादमिक कैलेंडर के प्रमुख कार्यक्रमलाप

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) के स्थायी भवन का निर्माण।

— विजन दस्तावेज

विजन दस्तावेज के विकास की पहल अप्रैल, 2019 से लागू हुई। माननीय अध्यक्ष, यूजीसी ने विजन दस्तावेज के विकास के लिए स्पष्ट निर्देश देते हुए एक समिति का गठन किया था। समिति ने लक्ष्य हासिल किया और यूजीसी ने विजन दस्तावेज की अंततः जुलाई, 2019 के महीने में समीक्षा की जिसे आईयूसीटीई के संचालक मंडल ने स्वीकृति प्रदान की थी।

आईयूसीटीई के विजन दस्तावेज पर समिति की पहली बैठक 3 मई, 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आयोजित की गई थी।

- 21 जून, 2019 को सुंदरबगिया, नरिया-डीएलडब्ल्यू रोड, वाराणसी में योग दिवस समारोह।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पदों, सीआरआर, आईयूसीटीई के उप नियमों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, स्वीकृत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
- 18 जुलाई, 2019 को मालवीय मूल्य अनुसंधान केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के मसौदे पर चर्चा

अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) ने 18 जुलाई, 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित मालवीय मूल्य अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के मसौदे पर चर्चा का आयोजन किया। आईयूसीटीई के निदेशक प्रो. बी.के. त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के मसौदे की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत कीं और चर्चा आरंभ की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी के सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त (एमेरिटस) प्रोफेसर डी. पी. सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

सुझाव इस प्रकार हैं:

- **विद्यालय शिक्षा:**

- **मूल्यों और चरित्र निर्माण पहलुओं पर पर्याप्त बल देते हुए, मूलभूत शिक्षा (प्राथमिक-पूर्व और प्राथमिक शिक्षा) पर सुदृढ़ ध्यान केंद्रित करना।** इसे पाठ्यक्रम क्षेत्रों के भीतर इस तरह से सुलझाने की आवश्यकता है कि यह व्यवहार में परिलक्षित हो। इन पहलुओं को विशेष रूप से शिक्षा के **5+3+3 स्तर के दौरान अत्यंत प्राथमिकता और संरक्षण** दिया जाना है।
- **शिक्षा का अधिकार (आरटीई) का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।** इसे निजी विद्यालयों में भी समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। **सरकारी/निजी महाविद्यालयों में सीटों की सीमा के वर्तमान प्रावधानों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है** ताकि कोई भी बच्चा अपने इलाके के सरकारी या निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने से पीछे न रह जाए।
- विद्यालय शिक्षा प्रणाली में सभी स्तर के शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रदान करने के लिए **एससीईआरटी, डाइट, बाइट, बीआरसी एवं सीआरसी स्तर पर विशेष रूप से प्रणालीगत सुधारों को उच्च प्राथमिकता** दिए जाने की आवश्यकता है। **एनसीईआरटी** को ऐसे महत्वपूर्ण सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के **मानक की स्थापना और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभानी चाहिए।

- **उच्चतर शिक्षा:**

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उठाए गए कदमों की सदन ने **काफी सराहना की, विशेषरूप से शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिशें कीं। मानक निर्धारण, वित्तपोषण, प्रत्यायन और विनियम** के संदर्भ में **कार्यों** के बारे में सिफारिशों को अलग किया जाएगा, इस प्रक्रिया को सुचारु बनाने और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कदम आगे के रूप में देखा गया था।
- **अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई, बीएचयू)** उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, शिक्षण और ज्ञानार्जन परिणाम के लिए मानक निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक की शिक्षा को सुदृढ़ करने और शिक्षकों, शिक्षण और ज्ञानार्जन परिणाम पर अधिक बल देने के लिए **शिक्षक प्रशिक्षक की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के ढांचे का सुझाव** दिया गया था जिसके लिए यूजीसी, एमएचआरडी द्वारा स्थापित **अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र** जैसे संस्थानों को उत्तरदायित्व दिया जाए। इस तरह के दस्तावेज को पूरी तरह से शोध आधारित किए जाने की आवश्यकता है और इसमें समावेशी शिक्षा, मूल्य और शांति शिक्षा जैसे कुछ प्राथमिकता क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इस दस्तावेज की समय-समय पर कम से कम पाँच/दस वर्षों के अंतराल पर समीक्षा की जा सकती है।

- **निदेशक कार्यालय, आईयूसीटीई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 5 सितंबर, 2019 को शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया था**

पूरे देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। महान अकादमिक दार्शनिक, और सबसे प्रसिद्ध राजनयिकों में से एक, विद्वान, भारत के राष्ट्रपति और इन सभी से ऊपर एक शिक्षक। इस महान शिक्षक को श्रद्धांजलि के रूप में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 5 सितंबर, 2019 को अंतर विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एक उत्सव मनाया गया।

• **उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए ढांचा विकसित करने का दृष्टिकोण**

आईयूसीटीई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 15.10.2019 को एलडी अतिथि गृह में **उच्चतर शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षण के बारे में एक बैठक** का आयोजन किया गया। बैठक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में **प्रो.बी. के. त्रिपाठी निदेशक आईयूसीटीई** ने आईयूसीटीई की स्थापना और इसके विजन और मिशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा करते हुए चर्चा आरंभ की। उन्होंने इस बात पर बल देकर कहा कि महत्वपूर्ण शोध उपलब्ध हैं जो मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता को पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यूजीसी, एआईसीटीई ने इस दिशा में पर्याप्त पहल की हैं और यूजीसी द्वारा क्यूआईपी के माध्यम से एचआरडीसी और एआईसीटीई के माध्यम से मौजूदा एचआरडीसी द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम द्वारा कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। ये संस्थान संकाय सदस्यों को व्यावसायिक विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

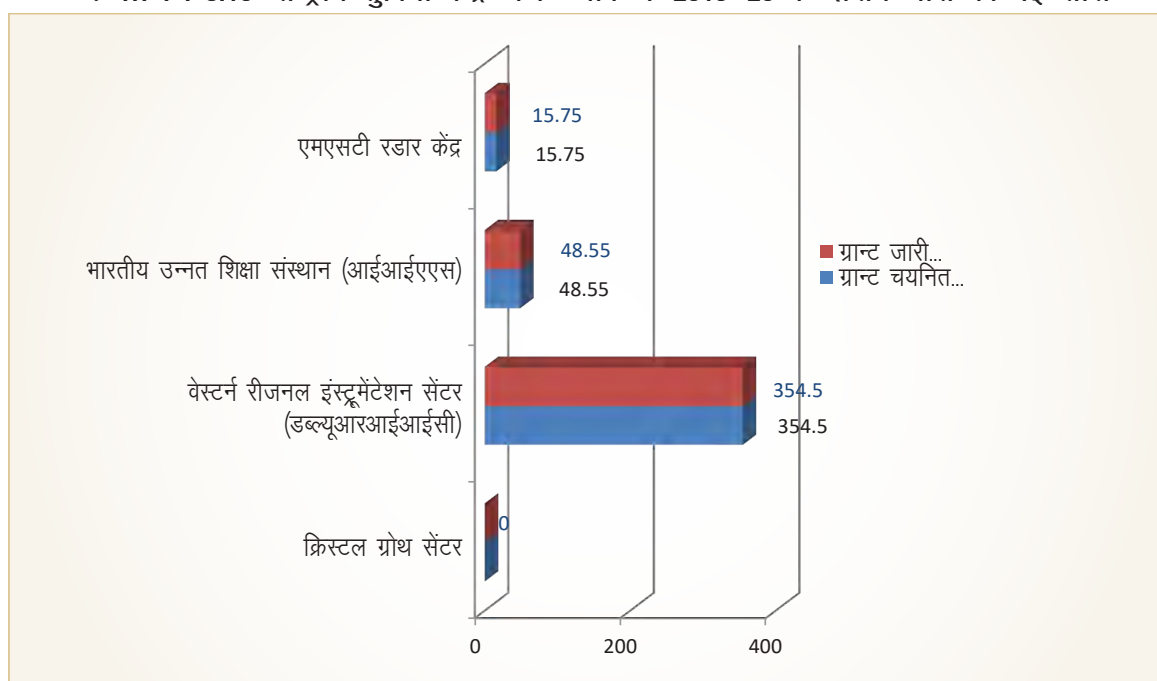
- आईयूसीटीई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 22.10.2019 को एलडी अतिथि गृह में 'भारतीय धरोहर स्वदेशी शैक्षिक प्रणालियों को आधुनिक शैक्षिक पद्धतियों में एकीकृत करने के लिए अंतर्दृष्टि लेना' विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में आईयूसीटीई के निदेशक प्रो.बी. के. त्रिपाठी ने आईयूसीटीई की स्थापना और इसके विजन और मिशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा करते हुए चर्चा आरंभ की।
- निदेशक कार्यालय में 04 दिसंबर, 2019 को 'प्राचीन भारतीय ज्ञान, सांस्कृतिक धरोहर: आधुनिक शैक्षिक परंपराओं का आशय' पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आईयूसीटीई के निदेशक, वरिष्ठ अकादमिक परामर्शदाता और आईयूसीटीई की अकादमिक टीम ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और उपग्रह संगोष्ठी पृष्ठभूमि पत्र के विशेषज्ञ के साथ भाग लिया।

5.10 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र:-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्रों की स्थापना की है, जो इस प्रकार हैं:-

1. क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी), मुंबई
3. भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान (आईआईएस), शिमला
4. एमएसटी रडार अनुप्रयोग, एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति

रेखाचित्र 5.10: राष्ट्रीय सुविधा केंद्र: बजट आवंटन: 2019-20 के दौरान जारी की गई राशि



5.10(i) राष्ट्रीय सुविधा केंद्रों की मुख्य विशेषताएं

5.10(i)(क) क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई की स्थापना 1982 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:—

1. प्रौद्योगिकी और औद्योगिक महत्व के क्रिस्टल के विकास और लक्षण बतलाने के लिए सुविधाएं विकसित करना।
2. जरूरतमंद उद्योगों और प्रयोगशाला अनुसंधान के बीच के अंतर को कम करना।
3. अनुसंधान आदि के लिए विशेष क्रिस्टल की आवश्यकताओं के संबंध में भारत के विभिन्न संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

बजट

पूंजी आवंटन: शून्य जारी किया गया पूंजीगत अनुदान: शून्य

5.10(i)(ख) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई एक स्वायत्त संस्थान है और इसे इंस्ट्रुमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वित्त पोषित है। वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), एक शासी परिषद के साथ पंजीकृत सोसायटी के रूप में काम कर रहा है जिसमें से मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन अध्यक्ष हैं और जिसे अब यूजीसी द्वारा इंस्ट्रुमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्व महाविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना है।

वर्ष 2019–20 के दौरान टीएसडी में आंतरिक (इन-हाउस) परियोजनाएं आरंभ की गईं और पूरी की गईं

- **वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी) में आंतरिक (इन-हाउस) डिजाइन और विकसित किए गए इंस्ट्रुमेंट्स**
 1. पीएच मीटर के लिए पोर्टेबल कैलिब्रेटर, शक्ति स्रोत के रूप में मोबाइल चार्जर का उपयोग कर चालकता मीटर
 2. थर्मल सुरक्षा के साथ डीसी मोटर गति नियंत्रण के लिए कंट्रोल कार्ड का डिजाइन और विकास
 3. शक्ति स्रोत के रूप में मोबाइल चार्जर का उपयोग कर कैलिब्रेशन तापमान नियंत्रक के लिए तापमान कैलिब्रेटर स्रोत (थर्मोकपल्स) का डिजाइन
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी) में आंतरिक (इन-हाउस) डिजाइन और विकसित किए गए उपकरण**
 1. मोबाइल चार्जर का पावर स्रोत के रूप में उपयोग करके एसी एनर्जी रेगुलेटर के लिए माइक्रो कंट्रोलर बेस टाइमर
 2. मिलले वोल्ट स्रोत/थर्मोकपल और आरटीडी आधारित तापमान नियंत्रित सिमुलेटर
- **वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रुमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी) में अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में छात्रों द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए उपकरण**
 1. आरजीबी एलईडी की स्पेक्ट्रल प्रतिक्रिया के अध्ययन के लिए करंट स्रोत (0–200उं)
 2. पीआईसी माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके पीआईडी और डिजिटल तापमान नियंत्रक के लिए डिजिटल तापमान कैलिब्रेटर
 3. बिना तार के सेंसर का उपयोग करके कृषि में जल संरक्षण के लिए दृष्टिकोण
- **विकसित उपकरण**
 1. ब्लू टूथ मॉड्यूल का उपयोग कर आर्दुइनो आधारित घर ऑटोमेशन प्रणाली।
 2. जीएसएम मॉड्यूल का उपयोग करके आर्दुइनो आधारित घर ऑटोमेशन सिस्टम।
 3. आर्दुइनो आधारित सौर ट्रैकर।
 4. एटमेगा 32 के लिए लक्ष्य बोर्ड
 5. सौर ट्रैकर के लिए नियंत्रित एवीआर आधारित स्टेपर मोटर डायरेक्शन।

- **माइक्रोकंट्रोलर का विकास**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदी गई किट :

1. एटमेगा 32 विकास बोर्ड
2. आर्डुइनो
3. एटमेगा 32 और आर्डुइनो के लिए सहायक उपकरण।

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी) ने विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की। इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूआरआईआईसी और विभिन्न अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सुदृढ़ पारस्परिक संवाद हुआ है जिससे सभी को लाभ हुआ है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला की मरम्मत की गई, इलेक्ट्रिकल, एनालिटिकल और ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप एवं अन्य) उपकरणों की मरम्मत की गई।

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी) में विभिन्न प्रकार के कैलिब्रेशन मानक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योगों के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। रिपोर्ट अवधि के लिए कैलिब्रेशन के लिए प्राप्त 275 उपकरणों में से 250 उपकरणों को कैलिब्रेट किया गया, 11 का परीक्षण किया गया और 30 उपकरणों को उपयोगकर्ताओं को लौटा दिया गया क्योंकि वे मरम्मत के योग्य नहीं थे।

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी) देश के विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों और विश्व महाविद्यालयों को प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, विश्लेषणात्मक और ऑप्टिकल उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान मरम्मत के लिए प्राप्त 185 यंत्रों में से 155 यंत्रों की मरम्मत की गई।

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी) ने के. जे. सोमैया महाविद्यालय में रखरखाव शिविरों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सस्ती कीमत पर उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करना है।

- **कार्यशाला कार्यकलाप**

मैकेनिकल वर्कशॉप में डब्ल्यूआरआईआईसी ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्र परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, रखरखाव अनुभाग, कैलिब्रेशन अनुभाग और केंद्र के अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक विभिन्न यांत्रिक घटकों को डिजाइन और निर्मित किया।

- **काम का विवरण:**

1. ब्लूटूथ मॉडल वाले होम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए बॉक्स बनाना।
2. ग्रीन हाउस पैरामीटर के लिए बॉक्स बनाना।
3. स्टेपर मोटर पर सौर पैनल की यांत्रिक फिटिंग।
4. जीएसएम का उपयोग करके होम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए बॉक्स बनाना।
5. कोलोरीमीटर स्टैंड का निर्माण (संख्या 10)
6. सौर पैनल के साथ सर्वोमोटर के लिए एल्यूमीनियम स्टैंड की यांत्रिक फिटिंग और निर्माण।
7. जेनॉन लैंप के लिए स्टैंड वाला पोर्टेबल चौंवर विकसित किया है।
8. सिरिज प्लंजर में बैंड को हटाना।

- **पुस्तकालय और सूचना सेवाएं**

लाइब्रेरी में अभी कुल किताबों की संख्या 4538 है। वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईआईसी) कर्मचारियों के अतिरिक्त, पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग परियोजना के छात्रों और अन्य लोगों द्वारा किया गया।

इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है और स्टाफ के सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। यह सौर पैनल, सौर सेल, फोटोवोल्टिक्स, सौर सिम्युलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उपकरणों, सर्किट आदि के बारे में कई पूर्ण पाठ ई-जर्नल, अन्य संबंधित दस्तावेजों और आवश्यकता आधारित सूचना तक पहुंच प्रदान करता है।

बजट

पूँजी आवंटन: 354.50 लाख रुपये जारी पूँजीगत अनुदान: 354.50 लाख रुपये

5.10(i)(ग) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ जनवरी 1991 में भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएस) शिमला में अंतर विश्वविद्यालय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान केंद्र अस्तित्व में आया।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएस) ने अपने अड़तालीस वर्ष पुराने अस्तित्व में उच्चतर अनुसंधान और विद्वानों के प्रतिबिंब और चिंतन के जीवन की खोज के माध्यम से छात्रवृत्ति की दुनिया में अपने लिए एक जगह बनाई है। यहाँ पैंतीस से अधिक अध्येता का एक आवासीय विद्वान समुदाय है, प्रत्येक अपने शोध में लगा हुआ है, लेकिन, एक ही समय में, समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रिय भाग ले रहे हैं। अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र के एसोसिएट्स देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से लिए जाते हैं; और अकादमिक वातावरण के अतिरिक्त वे अंतःविषय संस्कृति से भी लाभान्वित होते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और संस्थान के बीच आईआईएस ने अपने अड़तालीस वर्षों के अस्तित्व में, विद्वानों की दुनिया में खुद के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाया है जो उच्चतर शोध और विद्वानों के चिंतन और चिंतन के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें पैंतीस से अधिक फैलो का एक आवासीय विद्वान समुदाय है, जो प्रत्येक अपने शोध में लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही, समुदाय के शैक्षणिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं। अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र के सहयोगी देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से तैयार किए जाते हैं और शैक्षणिक माहौल से लाभ उठाने के अलावा वे अंतःविषय की संस्कृति से भी लाभ उठाते हैं।

• उद्देश्य

केंद्र के अकादमिक कार्यक्रम में तीन बुनियादी घटक हैं: (i) एसोसिएट्स की योजना; (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान सेमिनारों का आमजन; और (iii) शिमला के संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह में विचार रखना।

• एसोसिएट्सिप

वर्ष 2016-17 के दौरान, इक्यासी (81) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों ने संस्थान में एक महीने के लिए देश भर से आईयूसी एसोसिएट्स के रूप में संस्थान का दौरा किया। सभी एसोसिएट्स, जिन्होंने संस्थान का दौरा किया, आईयूसी कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना कर रहे थे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। आईआईएस पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं, एक शांत, प्राकृतिक शैक्षणिक माहौल, सर्वोत्तम शैक्षणिक दिमाग के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है— एसोसिएट्स ने अपने शिक्षण कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान को नए और बौद्धिक रूप से रिचार्ज किया। एसोसिएट्स इस अवधि का उपयोग (क) पूर्ण अनुसंधान के लिए कर सकते हैं जो वे कुछ समय के लिए लगे हुए थे, (ख) उनके डॉक्टरेट शोध प्रबंध को दुहराना (ग) संस्थान के पुस्तकालय में उनके पढ़ने और (घ) उनके साथियों को प्रस्तुत किया गया एक पेपर लिखें और संस्थान के अध्येताओं के साथ बातचीत करें और भारत और विदेश के प्रतिष्ठित सामयिक आगंतुकों से पारस्परिक संवाद करें। एसोसिएट्स सेमिनार और सम्मेलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में भाग लेते हैं, जो संस्थान के नियमित कार्यक्रमों में से एक हैं।

• प्रकाशन

संस्थान यूजीसी कार्यक्रम के आईयूसी के तहत मानविकी और सामाजिक विज्ञान (एसएच और एसएस) द्वि-वार्षिक पत्रिका में अध्ययन प्रकाशित कर रहा है। चालू वित्त वर्ष (2016-2017) के दौरान संस्थान ने एसएच और एसएस पत्रिका के निम्नलिखित मुद्दों को प्रकाशित किया है।

1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान खंड में अध्ययन। XIX, नंबर 1 और 2, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2012
2. मानविकी और सामाजिक विज्ञान खंड में अध्ययन। XXII, नंबर 2, शीतकालीन 2015

• अधिकारी

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक केंद्र के निदेशक भी हैं। केंद्र की एक अकादमिक समिति है, जिसके एक निदेशक है, जो सभी अकादमिक मामलों पर सलाह देती है। देश के विभिन्न हिस्सों से शिक्षाविदों और विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक होती है। केन्द्र का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय एक समन्वय समिति है जिसके अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष हैं और निदेशक, आईआईएस इसके सह-अध्यक्ष हैं।

• बजट

पूँजी आवंटन: रु 48.55 लाख

जारी पूँजीगत अनुदान : रु 48.55 लाख

5.10(i)(डी) एमएसटी रडार केंद्र, तिरुपति

वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए परिष्कृत रडार और अन्य इंस्ट्रुमेंटेशन सुविधाओं के संभावित उपयोग के बारे में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिए एमएसटी रडार, लिडार और अन्य सह-अवस्थित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उज्ज्वल और युवा शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एन ए आर एल, गदांकी में उपलब्ध; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(यूजीसी) ने एस वी विश्वविद्यालय, तिरुपति में एक यूजीसी-एसवीयू केंद्र स्थापित किया है, जो वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारत में विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करता है और केंद्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ है।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं:

- यूजीसी एसवीयू केंद्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ है।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र इस तरह के अनुसंधान को करने के लिए अनुसंधान और बुनियादी कम्प्यूटेशनल और अन्य सहायता के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में आदान-प्रदान दौरो के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि इस तरह के सहयोग से भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय को लाभ होगा।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र वायुमंडलीय भौतिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्नातकोत्तर छात्रों और शोध उध्येता (फलो) के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है और कई चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में अनुसंधान करता है।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र इन सुविधाओं के स्थान के विशेष संदर्भ के साथ एमएसटी रडार और अन्य सह-अवस्थित साधन सुविधाओं का उपयोग करके वायुमंडलीय गतिशीलता के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्यक्रम के समन्वय में सहायता करता है।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र विशेष रूप से वायुमंडलीय विज्ञान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक व्यापक राष्ट्रीय डेटा बैंक/अभिलेखागार का आयोजन करता है, जो कि एमएसटी रडार और अन्य स्थापित सुविधाओं से प्राप्त संशोधित डेटा की बड़ी मात्रा से है।
- यूजीसी-एसवीयू केंद्र भारतीय अक्षांशों पर मध्यम वातावरण के लिए मॉडलों के निर्माण एवं अद्यतन बनाने में सहायता करता है। इस तरह के मॉडल और डेटा के उपयोग से आईएमडी और अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सहायता मिलेगी।

बजट

पूँजी आवंटन: रु 15.75 लाख

पूँजी अनुदान जारी: रु 15.75 लाख

5.11 विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरण का विकास

यूजीसी ने खेल के प्रचार के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण के विकास की योजना आरंभ की, जो खेल पिरामिड को व्यापक आधार प्रदान करेगा और अंततः पर्याप्त खेल व्यक्तियों को तैयार करेगा जो देश को गौरवान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेंगे। योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, योजना की पेशकश करने के लिए डिजाइन किया गया है:

- विशेष रूप से खेलों में छात्रों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी से लेकर इष्टतम तक खेल बुनियादी ढाँचे के क्रमिक विकास के लिए चरण-वार प्रोत्साहन।
- विशेष रूप से खेल में छात्रों के पिछले प्रदर्शन को अवसंरचना और उपकरणों के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- सभी पात्र विश्वविद्यालयों को चरण I में उल्लिखित बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, परंतु उनका प्रस्ताव विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया है। चरण II या चरण III के लिए अनुदान का क्रमिक उन्नयन, जैसा भी मामला हो, संस्था में पहले से ही प्रदान की गई सहायता और/या सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा; तथा
- इस योजना का पूरा उद्देश्य हर स्तर पर उचित निगरानी रखते हुए अवसंरचना का चरण-वार विकास प्रदान करना है। विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विशेषज्ञ समिति ने 69 प्रस्तावों की सिफारिश की।

2019-2020 के दौरान रु. 1.85 करोड़ की राशि जारी की गई।

2015-16 से 2019-2020 के दौरान 69 विश्वविद्यालयों को कुल राशि रु. 75.53 करोड़ जारी की गई।

5.12 स्वच्छता रैंकिंग

उच्चतर शिक्षा के 259 संस्थानों को अगस्त-सितंबर 2019 तक यूजीसी द्वारा स्वच्छता रैंकिंग प्रदान करने का कार्य किया गया था। इस अभ्यास का समन्वय नेट ब्यूरो द्वारा किया गया था।

► शोध को प्रोत्साहन

- ❖ 6.1 शिक्षकों के लिए प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं
- ❖ 6.2 अनुसंधान पुरस्कार/अनुसंधान वैज्ञानिक
- ❖ 6.3 पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति
- ❖ 6.4 एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ
- ❖ 6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ
- ❖ 6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम

उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और सीखना एक गतिशील घटना है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, जो एक शिक्षार्थी में कौशल का विकास करती है, अगर इसे अनुसंधान के साथ एकीकृत किया जाता है, तो यह और मजबूत होता है। अनुसंधान इक्विटी की प्रक्रिया को जीवंत और जीवित रखता है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने प्रतियोगिता आधारित वित्त पोषण योजनाओं में भाग लेने के लिए शिक्षकों और छात्रों को उन्मुख करके हमारे संबंधित संस्थानों की अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने का संकल्प लिया। सत्तर के दशक से यूजीसी विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता कर रहा है।

शिक्षक केन्द्र की योजनाएँ

6.1 शिक्षकों के लिए प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षकों के अनुसंधान प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिन्हें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 बी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। प्रमुख अनुसंधान परियोजना उन्हें उनके नियमित नोकरी के साथ अथवा अधिवर्तिता आयु के पश्चात विशिष्ट विषय क्षेत्रों के गहन और व्यापक अनुसंधान अध्ययन करने के लिए सक्षम बनाता है। अनुसंधान परियोजना एक व्यक्तिगत शिक्षक या शिक्षकों के एक समूह या एक पूरे के रूप में एक विभाग द्वारा किया जा सकता है। यह एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा 70 वर्ष की आयु तक भी किया जा सकता है, बशर्ते आवेदन करने के समय आयु 67 वर्ष से अधिक न हो। अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान और अंतर-संस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, फार्मसी कृषि आदि सहित विज्ञान विषयों में प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता की राशि रु. 20.00 लाख रुपये है और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, कानून और संबद्ध विषयों में 15.00 लाख रुपये है। वृहद शोध परियोजना के लिए दी गई सहायता में उपकरण, पुस्तकें और पत्रिकाएं, रसायन और उपभोग्य वस्तुएं, आकस्मिकता, यात्रा और क्षेत्र कार्य, भाड़े पर ली गई सेवाएं, परियोजना अध्येताओं को अध्येतावृत्ति तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य सामान शामिल हैं।

अनुदानों का विवरण (रु. करोड़ों में) प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के लिए जारी (1/4/2019 से 15/1/2020)
तक तालिका 6.1: प्रमुख अनुसंधान परियोजना (2019-20) के लिए अनुदान

(रु. करोड़ों में)

योजना का नाम	कुल लाभार्थियों	अनुदान – सहायता में सामान्य (31) में			पूँजीगत परिसंपत्तियाँ (35)			एनईआर सामान्य (31)			एनईआर पूँजीगत (35)			कुल
		सामान्य	एससी	एसटी	सामान्य	एससी	एसटी	सामान्य	एससी	एसटी	सामान्य	एससी	एसटी	
एम आर पी														
मानविकी	104	0.82	0.0062	--	--	--	--	0.0084	--	--	--	--	--	0.8346
विज्ञान	231	2.28	0.0700	--	---	--	--	0.0900						2.4400
कुल	335	3.10	0.0762	--	--	--	--	0.0984	--	--	--	--	--	3.2746

वर्ष 2019–20 के दौरान 335 लाभार्थियों को कुल राशि रु 3.2746 करोड़ जारी की गई थी।

6.2 अनुसंधान पुरस्कार/अनुसंधान वैज्ञानिक

6.2(i) अनुसंधान पुरस्कार

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दो साल की अवधि के लिए किसी भी अनुसंधान मार्गदर्शन के बिना विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र (ओं) में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करना है। असाधारण मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश। यूजीसी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी विषयों के लिए वैकल्पिक वर्षों में 100 स्लॉट के लिए चयन किया जाता है। 2019–20 के दौरान रु. 2.01 करोड़ का व्यय हुआ

6.2(ii) अनुसंधान वैज्ञानिक

अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना की शुरुआत मूल रूप से 1983 में हुई थी, जो भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था, जो तीन स्तरों पर विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विदेश में काम कर सकते हैं:

1. अनुसंधान वैज्ञानिक 'ए' (व्याख्याता)
2. शोध वैज्ञानिक 'बी' (उपाचार्य)
3. शोध वैज्ञानिक 'सी' (आचार्य)

यह एक पुरानी योजना है और वर्तमान में 16 शोध वैज्ञानिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नामावली पर हैं। 2019–20 के दौरान 4.81 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3 पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3 (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

अध्येतावृत्तियाँ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना है, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है और अपने चुने हुए क्षेत्रों में उन्नत शोध करने के लिए अपने क्रेडिट के लिए शोध कार्य प्रकाशित किया है। इस उद्देश्य के लिए, यूजीसी उनके लिए हर साल 100 स्लॉट प्रदान कर रहा है। योजना के विसृत दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के अधीन 353 लाभार्थियों को 18.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य पीएचडी धारक बेरोजगार महिला उम्मीदवारों को एक अवसर प्रदान करना है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के बाद डॉक्टरेट अनुसंधान को आगे बढ़ाने का इरादा करती हैं। वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति वर्ष 100 अध्येतावृत्तियाँ प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019–20 इस योजना के तहत 471 लाभार्थियों को 24.93 करोड़ रुपये की लागत आई थी।

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य प्रासंगिक विषयों में पीएचडी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को भाषाओं सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट 200 प्रतिवर्ष हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के तहत 285 लाभार्थियों के लिए 10.56 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(iv) डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चयन पूरे वर्ष से किया जाता है। अध्येतावृत्ति के लिए *ugcdskpdf-unipune-ac-in* आवेदन करने के लिए नामित वेबसाइट है। चयन प्रक्रिया व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर पूरी हो जाती है। जिन उम्मीदवारों ने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है या अपनी पीएचडी शोध प्रबंध जमा की है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अब तक 2853 उम्मीदवारों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की गई है और 1364 पीडीएफ कार्यरत हैं। जनवरी 2013 से, अध्येतावृत्तियाँ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड (जहाँ अध्येतावृत्तियाँ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

वित्तीय सहायता

	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	Rs. 47,000 प्रतिमाह	Rs. 49,000 प्रतिमाह	Rs. 54,000 प्रतिमाह
उच्च पद डॉक्टरेट अध्येतावृत्ति	Rs. 54,000 प्रतिमाह	Rs. 54,000 प्रतिमाह	Rs. 54,000 प्रतिमाह

वर्ष 2019-20 के दौरान 760 लाभार्थियों को 41.74 करोड़ रुपये जारी किए गए।

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

प्रतिभाशाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान योगदान को जारी रखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सुपरनैचुरेशन के पास हैं, 'यूजीसी-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति' नामक एक योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतिभाशाली शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्ति के बाद तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अपने उत्पादक अनुसंधान को जारी रखने और युवा शोधकर्ताओं और पीएचडी छात्र के लिए शोध मेंटरशिप की भूमिका निभाने के लिए सुपरनेशन के कगार पर हैं।

वित्तीय सहायता

- क) योजना के तहत वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी: 50,000/- प्रतिमाह (पेंशन और / या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का विशेष), और 5,00,000/- का वार्षिक अनुसंधान अनुदान (वार्षिक आधार पर)।
- ख) अनुसंधान अनुदान का उपयोग उपकरणों, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, रसायनों के कांच के बने पदार्थ और उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकता, काम पर रखने वाली परियोजना/तकनीकी सहायक, क्षेत्र कार्य, यात्रा (भारत के भीतर), आदि की खरीद के लिए किया जा सकता है।
- ग) अवार्ड अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के साथ-साथ यूजीसी को एक उपक्रम निष्पादित करना और समय-समय पर इस अध्येतावृत्ति से संबंधित यूजीसी के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करना और द्वि-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 110 बी एस आर संकाय अध्येताओं को राशि रु.10.54 करोड़ जारी किए गए।

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य यूजीसी अधिनियम के तहत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 70 वर्ष तक के आयु वर्ग के शिक्षकों को विशेषज्ञता के अपने संबंधित क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति के लिए पात्रता उनके सेवा करियर में शिक्षकों द्वारा योगदान किए गए शोध और प्रकाशित कार्यों की गुणवत्ता पर आधारित है। इस योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट की संख्या विज्ञान स्ट्रीम के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए 100 (किसी भी समय आधार पर कुल 200 स्लॉट) हैं। 2019-20 के दौरान इस योजना के तहत 91 लाभार्थियों को 1.45 करोड़ रुपये दिए गए थे।

6.4 एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु शोध अध्येतावृत्तियाँ

6.4 (i) वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान विद्वानों के लिए अध्येतावृत्ति की योजनाएं हैं। यूजीसी द्वारा प्रदान की गई अध्येतावृत्ति न केवल इन शोधकर्ताओं को वित्तीय रूप से समर्थन दे रही है, बल्कि उन्हें अपने डॉक्टरेट अनुसंधान को बहुत गहन और स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ) प्रदान किया जाना।

एम. फिल./पीएचडी करने के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए विद्वानों को एक अवसर प्रदान करने के लिए। भाषा सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और यूजीसी-सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण (नेट/जेआरएफ) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को जेआरएफ प्रदान करता है। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच साल के लिए है। 01.01.2019 से जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर बढ़ा दी गई है (रु. 25,000/- से रु. 31,000/- और रु. 28,000/- से रु. 35,000/- क्रमशः) अन्य नियम और शर्तें बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ही रहती हैं। अध्येतावृत्ति की वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नानुसार है : -

अध्येतावृत्ति	@ Rs.31,000/-प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.35,000/-प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए जेआरएफ	जेआरएफ (2 वर्ष. के लिए) एसआरएफ (3 वर्ष. के लिए)
आकस्मिकता क	@ Rs.10,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता ख	@ Rs.12,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.25,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	विज्ञान
एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता	@ Rs.2000/-p.m. प्रतिमाह शारीरिक रूप से दिव्यांग और नेत्रहीन उम्मीदवारों के मामले में	
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियम के अनुसार	

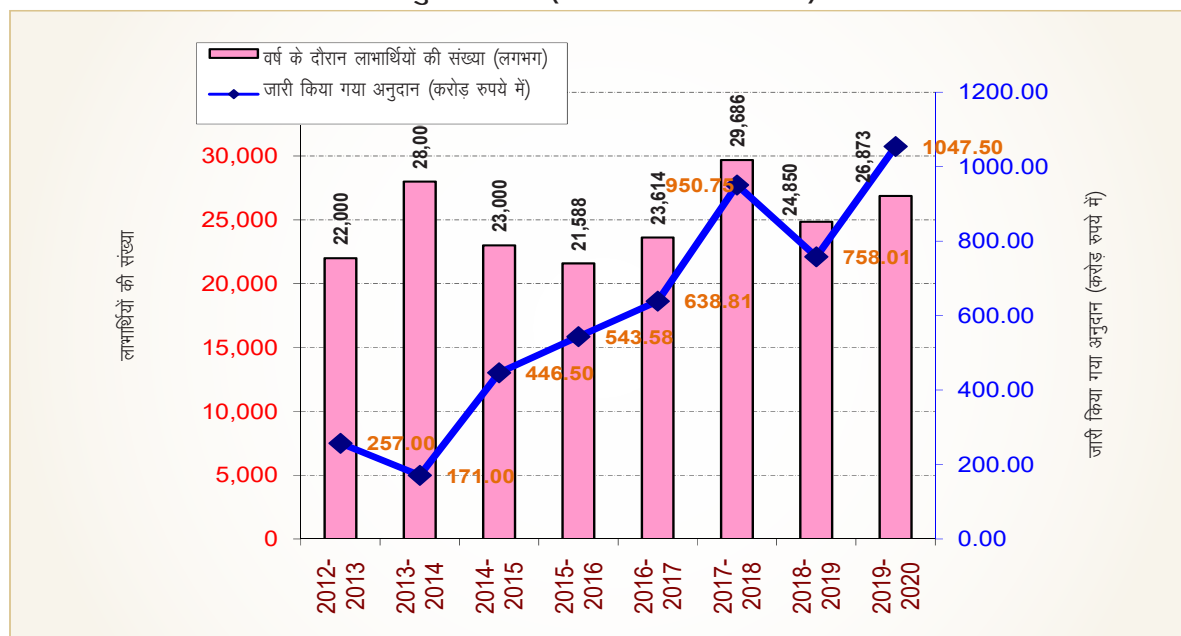
योजना का प्रभाव:-

1. समाज के कमजोर वर्गों को शोध हेतु अवसर प्रदान करना.
2. सभी विधाएं जैसे विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि इस योजना के अंतर्गत आते हैं.
3. योजना के तहत अनुसंधान और अभ्यास आधारित अनुसंधान के समग्र स्पेक्ट्रम को चलाया जाता है,
4. योजना के तहत स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में अनुसंधान की उपयुक्तता और प्रासंगिकता पर बल दिया जा रहा है।

योजना के तहत 01.04.2012 से जारी अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र.स	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)	लाभार्थियों की संख्या (लगभग) वर्ष के दौरान
1	2012-2013	257.00	8,800	22,000
2	2013-2014	171.00	8,800	28,000
3	2014-2015	446.50	8,800	23,000
4	2015-2016	543.58	8,800	21,588
5	2016-2017	638.81	8,800	23,614
6	2017-2018	950.75	8,800	29,686
7	2018-2019	758.01	8,800	24,850
8	2019-2020	1047.50	9,400	26,873

रेखाचित्र 6.4(i) : वर्ष-वार : भारतीय राष्ट्रीय (लाभार्थी) के लिए जेआरएफ: अनुदान जारी (2012-13 से 2019-20)



यू जी सी ने जे आर एफ/एस आर एफ के के खातों में सीधे ई-भुगतान शुरू किया है। दिसंबर, 2012 (यू जी सी एन ई टी जे आर एफ योग्य उम्मीदवार) और दिसंबर, 2013 (यू जी सी-सी एस आई आर संयुक्त टेस्ट योग्य उम्मीदवार) आगे और पहली जुलाई 2016 से सभी जे आर एफ और एस आर एफ अध्येतावृत्ति विरासत के मामलों और डीबीआर मोड के माध्यम से ताजा प्रविष्टियां दी जाती हैं।

2019-2020 के दौरान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

1. सभी मामले प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण योजना के तहत आए।
2. वर्ष के दौरान 26,873 जेआरएफ/एसआरएफ को अध्येतावृत्ति भुगतान अंतरण किया गया है।
3. पोर्टल पर अक्टूबर, 2018 से मासिक भुगतान प्रणाली शुरू की गई है।
4. जेआरएफ और एसआरएफ नेट उत्तीर्ण विद्वानों की संशोधित अध्येतावृत्ति के बकाया भुगतान को विद्वानों के खाते में वितरित कर दिया गया है।
5. कैनरा बैंक के पोर्टल पर आंकड़ों को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए एक प्रशिक्षण संगोष्ठी आयोजित की गई थी

6.4(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पीएचडी करने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता:

उम्मीदवार एस सी से संबंधित होना चाहिए और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन भरने के समय एम फिल/पी एच डी के लिए पंजीकृत उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है। चयन वर्ष 2018-19 से चयन के लिए सी बी ई एस सी/एन टी ए-यू जी सी -एन ई टी/सी एस आई आर-एन ई टी परीक्षा की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष के लिए 2000 स्लॉट हैं।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	@ Rs.31,000/-प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.35,000/-प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए	जेआरएफ (2 वर्ष.के लिए) एसआरएफ (3वर्ष.के लिए)
आकस्मिकता ए	@ Rs.10,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता बी	@ Rs.12,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.25,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार	

2019–20 के दौरान रु। 4993 लाभार्थियों को 204.09 करोड़ का वितरण किया गया था

6.4 (iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 1) बौद्ध 2) ईसाई 3) जैन 4) मुस्लिम 5) पारसी 6) सिखों को आगे बढ़ाने के लिए एम. फिल/पीएचडी का पूरा समय/नियमित आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष के लिए 1000 स्लॉट हैं।

पात्रता:

- क. वह अल्पसंख्यक समुदायों में से एक होना चाहिए – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध पारसी और जैन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित।
- ख. उसे सीबीएसई/एनटीए-यूजीसी-नेट/सीएसआईआर-नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और उसे नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल/पीएचडी के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अध्येतावृत्ति के प्रावधानों के अधीन, उस विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रवेश की शर्तों को पूरा करके विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम की शर्तों को पूरा करे।
- ग. लाभार्थी/लाभार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	@ Rs.31,000/-प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.35,000/-प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए	जेआरएफ (2 साल के लिए) एसआरएफ (3 साल के लिए)
आकस्मिकता ए	@ Rs.10,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.20,500/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिकता बी	@ Rs.12,000/- प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.25,000/- प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार	

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 2582 लाभार्थियों को रु110.30 करोड़ दिए गए.

6.4(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पीएचडी करते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए 1000 स्लॉट हैं।

पात्रता:

उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और लाभार्थी/माता-पिता या लाभार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सउम्मीदवार जो पहले से ही एम फिल/पी एच डी के लिए पंजीकृत है।

उद्धृत योजना के तहत अध्येतावृत्ति के पुरस्कार के लिए विचार किया जायेगा। चयन वर्ष 2019-20 से चयन के लिए सी बी सी ई/एन टी ए-यू जी सी-एन ई टी/सी एस आई आर-एन ई टी परीक्षा की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	@ Rs.31,000/-p.m. प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.35,000/-p.m. प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए	जेआरएफ (2 साल के लिए) एसआरएफ (2 साल के लिए)
आकस्मिकता ए	@ Rs.10,000/- p.a. प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.20,500/- p.a. प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक बी	@ Rs.12,000/- p.a. प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs.25,000/- p.a. प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/भारत सरकार के नियमों के अनुसार	

2019-20 के दौरान, 1193 लाभार्थियों को रु. 56.59 करोड़ का वितरण किया गया था.

6.4(v) सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका या अध्येतावृत्ति

यह योजना, जो 2014-15 में शुरू की गई थी, एक ऐसी एकल कन्या पर लागू होती है, जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो। योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिका को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाना और समाज में छोटे परिवार के मानक को बढ़ावा देना है। अब तक, हर साल प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति की संख्या पर कोई अवरोध नहीं है। इसलिए, सभी पात्र आवेदक पीएचडी के पुरस्कार के लिए अग्रणी शोध करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं।

वित्तीय सहायता का पैटन:-

अध्येतावृत्ति	@ Rs. 25,000/- प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए @ Rs. 28,000/- प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए	जेआरएफ (2 साल के लिए) एसआरएफ (3 साल के लिए)
आकस्मिकता ए	@ Rs. 10000/- प्रतिवर्ष (प्रारंभिक दो वर्षों के लिए) @ Rs. 20500/- प्रतिवर्ष (बकाया अवधि के लिए)	मानविकी और समाजशास्त्र
एस्कॉर्ट्स/रीडर सहायता	@ Rs. 2000/- p.m. प्रतिमाह शारीरिक रूप से दिव्यांग और नेत्रहीन उम्मीदवारों के मामले में	सभी विषयों के लिए
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुसार	सभी विषयों के लिए

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2018-19 के लिए 269 महिला उम्मीदवारों को योजना के तहत अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया है।

2019-20 के दौरान 280 लाभार्थियों को रु.10.33 करोड़ की राशि दी गई है।

6.4(vi) बी.एस.आर. अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस)

बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में मेधावी उम्मीदवारों को उन्नत अध्ययन और पीएचडी डिग्री करने के लिए अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना था। बी एस आर अध्येतावृत्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-नेट अध्येतावृत्ति के साथ मिला दिया गया है। अब तक 9355 अध्येतावृत्ति एसएपी/गैर-एसएपी विभागों को आवंटित किए गए हैं और 3550 जेआरएफ स्थिति में हैं। दिसंबर 2013 से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना (जहाँ अध्येतावृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है) के माध्यम से अध्येतावृत्ति का वितरण किया जा रहा है। 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान रु.43.08 करोड़ की राशि 1442 लाभार्थी अवधि को जारी की गई।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

6.5(i) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को 2011-12 से लागू किया जा रहा है ताकि उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया जा सके। डिग्री कोर्स की अवधि के आधार पर, छात्रवृत्ति का कार्यकाल दो/तीन वर्षों के लिए होता है। स्लॉट की संख्या हर साल 1000 है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न:-

एम. टेक. छात्र	Rs 78,000/- प्रतिवर्ष
अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम	Rs 45,000/- प्रतिवर्ष

यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर चालू है। रिपोर्टिंग के दौरान की अवधि के दौरान, दो साल के लिए चयन किए गए थे। 805 उम्मीदवारों को अंततः वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित किया गया 2017-18 और 188 उम्मीदवारों को अंततः 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 838 लाभार्थियों को रु.6.05 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है

6.5(ii) इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर एकल बालिका छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिका को बढ़ावा देने, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाने और समाज में छोटे परिवार के मानक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल बालिका की स्नातकोत्तर शिक्षा का समर्थन करना है।

इस योजना को शैक्षणिक सत्र 2006-07 के साथ शुरू किया गया था। अपने माता-पिता की केवल एकल बालिका और जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित रूप से पूर्णकालिक प्रथम वर्ष परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम (गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में प्रवेश लिया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। चूंकि यह एक प्रोत्साहन योजना है, इसलिए हर साल प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, सभी पात्र आवेदक बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलती है

वित्तीय सहायता का पैटर्न:-

विवरण	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति	Rs. 36,200/- प्रतिवर्ष

यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर चालू है। रिपोर्टिंग के दौरान की अवधि के दौरान, दो साल के लिए चयन किए गए थे। वर्ष के लिए 2417 उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति के लिए अंत में सत्यापित किया गया था 2017-18 और 2445 उम्मीदवारों को अंततः 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2620 लाभार्थियों को 15.34 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

6.5 (iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति 2006-07 में शुरू की गई थी ताकि प्रतिभा को बढ़ावा देने और पोषित करने और स्नातकोत्तर अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जा सके। स्नातक स्तर पर पहली और दूसरी रैंक धारक हैं और किसी भी स्नातकोत्तर कोर्स में भर्ती हुए हैं।

छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना ऐसे छात्रों पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त या पीजी महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष से कम आयु के हैं। हर साल 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न :-

विवरण	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	Rs. 37,200/- प्रतिवर्ष

यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर चालू है। रिपोर्टिंग के दौरान की अवधि के दौरान, दो साल के लिए चयन किए गए थे। वर्ष 2017 के लिए छात्रवृत्ति के लिए 1519 उम्मीदवारों का सत्यापन किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति के लिए 18 और 899 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सत्यापित किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1556 लाभार्थियों को रु. 5.59 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है

6.5 (iv) गेट/जी पी ए टी क्वालिफाई करने के लिए एम. ई/एम.टेक/एम फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभाशाली स्नातक छात्रों की मदद करना और उन्हें आकर्षित करना है। भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/नियमित मोड के माध्यम से एम.ई/एम.टेक/एम.फार्मा को आगे बढ़ाने के लिए जी ए टी ई/जी पी ए टी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति को 2016-17 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हर साल 1200 छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया था।

वित्तीय सहायता का पैटर्न:-

विवरण	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति का कार्यकाल
छात्रवृत्ति (जी ए टी ई/जी पी ए टी में 60% से अधिक अंक)	@ Rs. 12400/- प्रति माह	केवल दो साल
छात्रवृत्ति (पहले सेमेस्टर में 60% से कम अंक)	@ Rs. 1550/- प्रति माह	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, रु.13.34 करोड़ 1768 लाभार्थियों को वितरित किया गया था

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियाँ

6.6 (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए “ईशान उदय” नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस योजना को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शुरू किया गया था। योजना शुरू करने से पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों और एन ई क्षेत्र के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया।

योजना के तहत, प्रत्येक वर्ष 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। एनईआर के अधिवास वाले छात्र, जिन्होंने बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ एजुकेशन के माध्यम से एनईआर के भीतर स्थित एक विद्यालय से और सामान्य डिग्री कोर्स में प्रवेश प्राप्त किया है, यूजीसी, राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में मेडिकल और पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम (एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल) सहित तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/संस्थानों के साथ-साथ एनईआर के राज्यों के बाहर भी। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, छात्र के माता-पिता की आय प्रति वर्ष रु. 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न –

क्रम संख्या	विवरण	छात्रवृत्ति की दर 01.12.2014	छात्रवृत्ति का कार्यकाल
1.	सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम	Rs.54,000/- प्रतिवर्ष	स्नातक कार्यक्रम की पूरी अवधि
2.	तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम (सहित) चिकित्सा और पैरा चिकित्सा पाठ्यक्रम)	Rs.78,000/- प्रतिवर्ष	

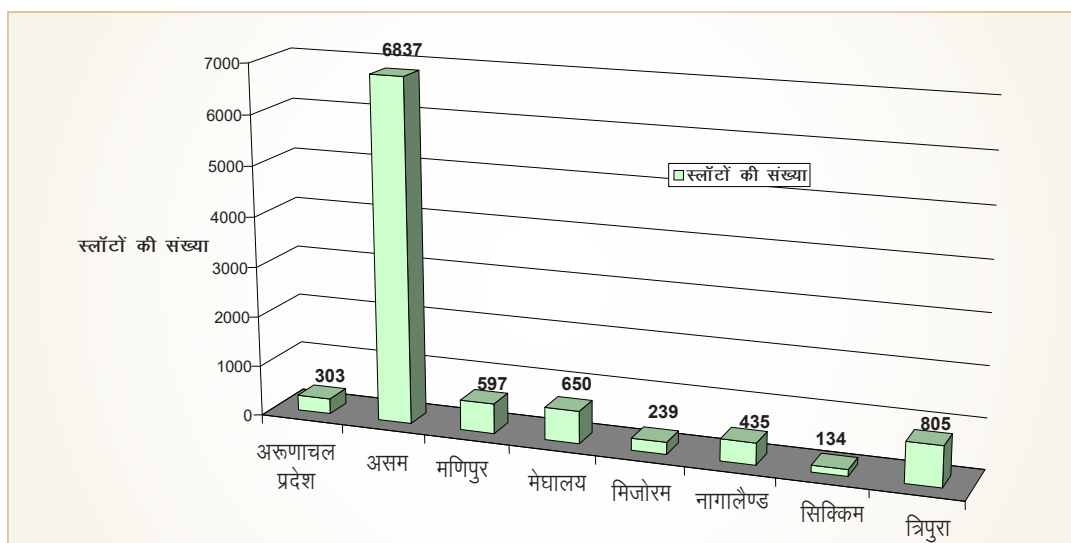
ईशान उदय” विशेष की योजना के तहत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए स्लॉट का राज्यवार वितरण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए छात्रवृत्ति योजना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	राज्य	स्लॉट्स
1	अरुणाचल प्रदेश	303
2	असम	6837
3	मणिपुर	597
4	मेघालय	650
5	मिजोरम	239
6	नागालैण्ड	435
7	सिक्किम	134
8	त्रिपुरा	805
	कुल	10000

यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर चालू है। रिपोर्टिंग के दौरान की अवधि के दौरान, दो साल के लिए चयन किए गए थे। वर्ष 2017-18 के लिए छात्रवृत्ति के लिए अंत में 10000 से अधिक उम्मीदवारों को सत्यापित किया गया और 8156 उम्मीदवारों को अंततः वर्ष 2018-19 के लिए छात्रवृत्ति के लिए सत्यापित किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 18569 लाभार्थियों को रु. 99.36 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है

रेखाचित्र 6.6 (i): 2019-20 की ईशान उदय की योजना के तहत स्लॉट की राज्यवार संख्या:

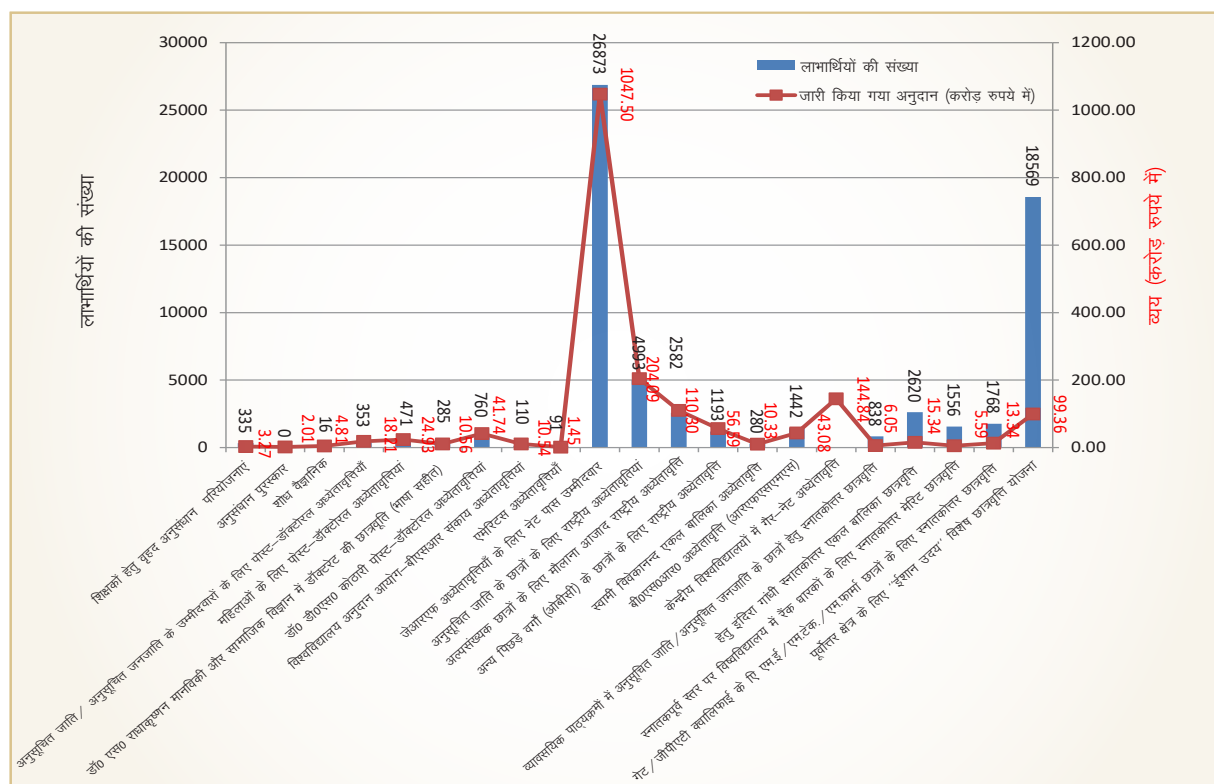


तालिका 6.1–6.6 2019–20 के दौरान एक नजर में रिसर्च अवार्ड्स/रिसर्च साइंटिस्ट, पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, रिसर्च अध्येतावृत्ति, पोस्टग्रेजुएट छात्रवृत्ति, अंडर ग्रेजुएट छात्रवृत्ति स्कीम के विवरण

क्र. स.	योजना का नाम	स्थापना का वर्ष	प्रति वर्ष स्लॉट की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति का कार्यकाल	लाभार्थी की संख्या	2019–20 के दौरान जारी किया गया अनुदान (रु.करोड़ में)
6.1	प्रमुख अनुसंधान शिक्षकों के लिए परियोजनाएं				335	3.27
6.2 अनुसंधान पुरस्कार/अनुसंधान वैज्ञानिक						
6.2(i)	अनुसंधान पुरस्कार		100	2वर्ष		2.01
6.2(ii)	अनुसंधान वैज्ञानिक*	1983			16	4.81
6.3 पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति						
6.3(i)	एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति		100	5 वर्ष	353	18.99
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति		100	5 वर्ष	471	24.93
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डा. एस. राधाकृष्णन पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियाँ	2014-15	200	3 वर्ष	285	10.56
6.3(iv)	डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति		500	3 वर्ष	760	41.74
6.3(v)	यूजीसी-बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	2010-11	(No Cap)	3 वर्ष	110	10.54
6.3(vi)	एमेरिटस अध्येतावृत्ति		दो वर्षों के लिए किसी भी समय 200	2 वर्ष	91	1.45
6.4 अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एम.फिल/पीएचडी के लिए)						
6.4(i)	नेट योग्य उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति (जेआरएफ)		9400	5 वर्ष	26873	1047.50
6.4(ii)	एससी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2005-2006	2000	5 वर्ष	4993	204.09
6.4(iii)	अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2009-2010	1000	5 वर्ष	2582	110.30
6.4(iv)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एम/एसजे और द्वारा प्रायोजित)**	2014-15	1000	5 वर्ष	1193	56.59

क्र. स.	योजना का नाम	स्थापना का वर्ष	प्रति वर्ष स्लॉट की संख्या	अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति का कार्यकाल	लाभार्थी की संख्या	2019-20 के दौरान जारी किया गया अनुदान (रु.करोड़ में)
6.4(v)	सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	No Cap	4-5 वर्ष	280	10.33
6.4(vi)	बीएसआर अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	5 वर्ष	1442	43.08
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ						
6.5(i)	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (यूजीसी के बजट से)	2006-07	1000	2/3 वर्ष	838	6.05
6.5(ii)	एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	No Cap	2 years or	2620	15.34
6.5(iii)	यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट छात्रवृत्ति (यूजीसी के बजट से बाहर)	2005-07	3000	2 वर्ष	1556	5.59
6.5(iv)	पी. जी.गेट/जीपीएटी के लिए छात्रवृत्ति एम.ई./एम के योग्य छात्र। टेक/एम। भेषज। (यूजीसी के बजट में से)	2016-17	1200	2 वर्ष	1768	13.34
6.6 स्नातक छात्रवृत्ति के तहत						
6.6(i)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 'ईशान उदय' की विशेष छात्रवृत्ति योजना (यू जी सी के बजट से बाहर)	2014-15	10000	स्नातकीय की पूरी अवधि	18569	99.36
* भारत में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान यूजीसी द्वारा योजना को बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को वित्त पोषित किया जा रहा है। वर्तमान में 16 शोध वैज्ञानिक विभिन्न में काम कर रहे हैं ** एम/ओ एसजे और ई द्वारा किए गए अनुदान का भुगतान						

रेखाचित्र 6.1–6.6: लाभार्थियों की योजना-वार संख्या: 2019–20 के दौरान व्यय में वृद्धि (करोड़ रुपये में)



6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (आधारभूत वैज्ञानिक शोध के बढ़ावा देने / सुदृढ़ करने के लिए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आचार्य एम.एम. शर्मा, पूर्व निदेशक, यूआईसीटी, मुंबई की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यालय के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मई, 2005 में आचार्य एम.एम. शर्मा, पूर्व निदेशक यूआईसीटी टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मुंबई की अध्यक्षता में पहली अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 8 वर्षों तक काम किया। इसके बाद, टास्कफोर्स की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवंबर, 2014 में डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

अधिकार प्राप्त समिति का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद टास्कफोर्स की सिफारिश के आधार पर यूजीसी द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

6.7(i) फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

ऑपरेशन फैकल्टी रिचार्ज वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जिसके तहत 1000 संकाय के पद सृजित किए गए हैं और इन्हें वैश्विक विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भरा जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जेएनयू में एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। प्रो आर.पी. गांधी के साथ राष्ट्रीय सह-समन्वयक और प्रो सुदेश नंगिआ सहयोगी समन्वयक एफ आर पी प्रकोष्ठ को बी एस आर अनुभाग के साथ मिला दिया गया है। वर्तमान में 373 संकायों यानी आचार्य / सहायक आचार्य / सह आचार्य का चयन किया गया है, जिनमें से 185 पदों पर हैं।

संकायों यानी आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है,

सहकर्मी की समीक्षा के बाद, संकाय रिचार्ज 'के पद, सिद्धांत रूप में, सेवानिवृत्ति (65 वर्ष) के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान मध्यावधि मूल्यांकन का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता: वेतन: यूजीसी-संकाय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय के साथ समतुल्यता प्राप्त होती है। अतिरिक्त अनुदान: संकाय स्थिति अनुसंधान के लिए 10.00 लाख रुपये का स्टार्ट-अप अनुदान लेती है।

वर्ष के दौरान यानी 2019-2020 में अब तक 150 चयनकर्ताओं को वेतन के संबंध में 19.15 करोड़ रुपये और विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 25 उम्मीदवारों को अनुदान प्रदान करना।

आयोग ने 2 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में एफआरपी कार्यक्रम को वापस लेने का संकल्प लिया, जो कि मूल रूप से बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान की योजना के तहत है।

6.7(ii) नेट वर्किंग शोध केन्द्र : समर विंटर स्कूल

नेटवर्किंग संसाधन केंद्र निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किए गए हैं:

1. आवधिक चर्चा, कार्यशाला और ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन स्कूलों के माध्यम से संकाय और अनुसंधान विद्वानों के अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास
2. अपने अनुसंधान कौशल को बढ़ाने और उन्हें सलाह देने के लिए संकाय और विभागों को ग्रहण कर क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्ता अनुसंधान की जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा का विस्तार।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना।

बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना के लिए निम्न 10 विभागों को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम	विभाग	स्थापना का साल
1.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जैविक विज्ञान	2008
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन विज्ञान	2008
4.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	सामग्री इंजीनियरिंग	2008
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई	रासायनिक अभियांत्रिकी	2008
6.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर	जैविक विज्ञान विभाग	2008
7.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	औषधि विज्ञान	2008
8.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जीवन विज्ञान के स्कूल	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिक विज्ञान	2014-2015

चरण-I में 6 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 10 नेटवर्किंग संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि बेसिक साइंटिफिक रिसर्च की योजना के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए। सशक्त कमेटी ने नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटरों द्वारा दिए गए प्रस्तावों/प्रस्तुतियों की छानबीन की और पहले फेज के नेटवर्किंग रिसोर्स सेंटरों के प्रदर्शन पर दूसरे -फेज के 8 केंद्रों को भी मंजूरी दी।

केंद्रों का नाम	Centres	दूसरे चरण के लिए आवंटित किया गया अनुदान (करोड़ रुपए में)
यू जी सी-एन आर सी में जैविक विज्ञान, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु		10.00
यू जी सी -एन आर सी,में रसायन विज्ञान, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद		10.00
यूजीसी-एनआरसी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़		5.00
यूजीसी-एनआरसी में जैविक विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		5.00
यूजीसी-एनआरसी में जैविक विज्ञान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु		10.00
यूजीसी-एनआरसी में मैटेरियल साइंसेज, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु		10.00
यूजीसी-एनआरसी में भौतिक विज्ञान (रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स) कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल		10.00
यूजीसी-एनआरसी,में रसायन विज्ञान, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई		10.00

2019-2020 के दौरान, अब तक 2 केंद्रों के लिए रु. 4.81 करोड़ है।

6.7(iii) संकाय की नई भर्ती के लिए स्टार्ट अप अनुदान

इस योजना के तहत, उन सभी शिक्षकों को जिन्हें पीएचडी के साथ सहायक आचार्य के स्तर पर नियुक्त किया जाता है। अनुमोदित / उद्धृत पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशनों के साथ डिग्री पात्र हैं। सहायक आचार्य को विभाग/विश्वविद्यालय में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के संकायों में स्थायी पद के विरुद्ध पद में शामिल होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आवेदन करना चाहिए, विश्वविद्यालय की निर्दिष्ट प्रक्रिया के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

1. योजना के तहत सहायता की मात्रा 10 लाख रुपये है।
2. अनुदान का उपयोग मामूली उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं (अधिकतम रु. 50,000 /- प्रति वर्ष), फील्डवर्क (अधिकतम रु. 50,000/- प्रति वर्ष), यात्रा आदि। जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है
3. अनुदान का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए या परियोजना सहायक या अनुसंधान साथी की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।
4. इन शीर्षकों के तहत निधियों की मात्रा पीआई द्वारा उसकी जरूरतों के आधार पर तय की जा सकती है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए 89 नव नियुक्त संकाय सदस्यों के लिए 7.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

6.7(iv) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को मध्य कैरियर पुरस्कार

इस मध्य कैरियर पुरस्कार योजना के तहत, एक शिक्षक को शोध करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। अनुदान का उपयोग मामूली उपकरण, रसायन आकस्मिकता और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है।

शिक्षकों को एक समय अनुदान प्रदान करने का उद्देश्य उनके विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं: –

- क) आवेदक ने पीएचडी की सफलतापूर्वक देखरेख की होगी। 15 पूर्णकालिक उम्मीदवारों का शोध प्रबंध, 5 का पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान किसने अपनी डिग्री प्राप्त की होगी।
- ख) आवेदक को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सरकार या वित्त पोषित निजी एजेंसियां कम से कम 5 प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।
- ग) आवेदक को अपने आवेदन जमा करने की तिथि से विश्वविद्यालय में न्यूनतम 3 साल की सेवा होनी चाहिए।
- घ) आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक 30 (थॉमसन रॉयटर्स की जर्नल प्रशस्ति पत्र रिपोर्ट के अनुसार) होना चाहिए।

01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 14 शिक्षकों को रु. 0.96 करोड़ की राशि जारी की गई, जो विभिन्न शोधों में अपना शोध कर रहे हैं।

► लिंग तथा सामाजिक समानता

- ❖ 7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाओं के अध्ययन का विकास
- ❖ 7.2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमी लेयर को छोड़कर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम
- ❖ 7.3 उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, ताकि महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और लोगों की प्रतिबद्धता और संकल्प की पुनः पुष्टि हो सके। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस तरह प्रचार करेगी कि भारत की महिलाओं को समान अवसर मिले और गरिमा के साथ राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। इस संबंध में, यूजीसी ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में कई पहल की हैं:

- i. छात्राओं/शोध अध्ययताओं के लिए तीन विशिष्ट छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति उच्चतर महिला उम्मीदवारों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल छात्रवृत्ति, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए एकल बालिका के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति और एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति।
- ii. भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए योजना।
- iii. यूजीसी (रोकथाम, निषेध और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न का निवारण) विनियम, 2015।
- iv. शैक्षिक संस्थानों में लिंग चैंपियंस के लिए दिशानिर्देश।
- v. **टोल फ्री नंबर: 1800111656** महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए।
- vi. प्रख्यात महिला व्यक्तित्वों के नाम पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में दस पीठों की स्थापना की जा रही है।

इसके अलावा, सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी 1 से 7 मार्च तक, और साथ ही 8 मार्च, 2020 तक गतिविधियों का संचालन करें। कुछ गतिविधियाँ और कार्यक्रम जो इस प्रकार किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

कार्यशालाएं, व्याख्यान, विवज, बहस, नुक्कड़ नाटक, मैराथन, वॉकथॉन, साइक्लोथॉन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई अन्य उपयुक्त गतिविधि जो लैंगिक संवेदनशीलता, समानता, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, सुरक्षा और सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।

विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों ने इन गतिविधियों की रिपोर्ट, फोटो और वीडियो लिंक अपलोड किए यूजीसी का विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल, अर्थात् www.ugc.ac.in/uamp.

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाओं के अध्ययन का विकास

महिलाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी कार्यक्रम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करता है, महिलाओं के अध्ययन के लिए केंद्र और कक्ष स्थापित करने के लिए केंद्र/प्रकोष्ठों को कार्य करने की आवश्यकता होती है।

लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या के मुद्दे, मानवाधिकार के मुद्दों, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण और विस्तार कार्यों का आयोजन, इन गतिविधियों से न केवल सामाजिक योगदान करने की उम्मीद की जाती है बल्कि जागरूकता और परिवर्तन लेकिन शैक्षणिक विकास के लिए भी।

महिला अध्ययन केंद्रों (डब्ल्यूएससी) के दिशानिर्देश: इस सदी के शुरुआती वर्षों में उभरे महिला अध्ययन के व्यापक स्पेक्ट्रम को यूजीसी द्वारा 11 वीं और 12 वीं योजना में शामिल किया गया था। 2017 में 12 वीं योजना की अवधि समाप्त होने के बाद, महिला अध्ययन के लिए एक स्थायी समिति का गठन एमएचआरडी मंत्रालय द्वारा किया गया था, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (यू एन-एस डी जी) में समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला अध्ययन केंद्रों को और मजबूत बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया।

महिला अध्ययन केंद्रों की संशोधित दिशानिर्देश प्रक्रियाधीन हैं।

वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 159 महिला अध्ययन केंद्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित किए गए हैं

2019-20 के दौरान रु. 7.22 करोड़ महिला अध्ययन केंद्रों को जारी किया गया।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (संपन्न वर्ग को छोड़कर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर भारत सरकार और अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और गैर-शिक्षण पद की भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों में सीटों का प्रावधान, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, आदिवासी क्षेत्रों में कॉलेजों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2006 के अनुसार, प्रवेश में 15% और 7.5% आरक्षण क्रमशः एससी, और एसटी के लिए आरक्षित है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और संस्थानों में दाखिला लेने के लिए इसे अनिवार्य बनाते हैं। उनके सेवन में एससी और एसटी छात्रों का कुछ प्रतिशत। अधिनियम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाते हैं। यूजीसी ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को सभी विश्वविद्यालयों को पत्र क्रमांक एक 1-5/2006 (एससीटी) दिनांक 19.12.2012 के राजपत्र अधिसूचना अधिसूचना 2012 का 31 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

7.2(i) एस सी/एस टी सेल की स्थापना सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक संस्थान में नियमों का पालन करना अनिवार्य है भारत सरकार का पत्र सं 43011/153/2010-स्था (आरईएस) दिनांक 04.01.2013 के अनुसार इसके अलावा, यूजीसी ने अपने डी.ओ. पत्र क्रमांक एफ 1-5/2006 (एससीटी) दिनांक 8 जून, 2015 को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा वित्त पोषित किए गए विश्वविद्यालयों के पदों के आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन के लिए विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का पालन करने और सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों के लिए वित्तपोषित माना जाता है। 27 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 535 वीं बैठक में आयोग ने नव स्थापित केंद्र पोषित विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी सेल स्थापित करने का संकल्प लिया, जहां एससी / एसटी सेल मौजूद नहीं है। सेल की स्थापना के लिए, आयोग ने गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी दी है।

7.2(ii) जनजातीय उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 8 फरवरी, 2018 को यूजीसी आयोग की 529 वीं की बैठक के अनुमोदन के बाद जारी किए गए। एचआरडी मंत्रालय ने एससीएसपी और टीएसपी के लिए 15% और 7.5% के लिए एक परिणामी कदम के रूप में

निर्धारित धनराशि आवंटित की यूजीसी को यह निगरानी करनी चाहिए कि एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित धनराशि को कहीं और डायवर्ट नहीं किया गया है।

इस प्रयोजन के लिए, एससीएसपी और टी एस पी निधियों के लिए अलग से स्वीकृति पत्र जारी किया जाना चाहिए। यूजीसी को तीन घटक अर्थात सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी में से प्रत्येक के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, जो कि वर्ष के दौरान उपयोग किए गए फंडों और अगले वित्त वर्ष में अनपेक्षित शेष को आगे ले जाने के संकेत देता है। यूजीसी ने एससी और एसटी फंड प्रबंधन के लिए अलग से बैंक खाते भी खोले हैं।

7.2 (iii) जातिगत भेदभाव में रोकथाम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम की निरंतर निगरानी कर रहा है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सलाह दी है कि:

- आधिकारिक/संकाय सदस्यों को उनके सामाजिक मूल के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ भेदभाव के किसी भी कार्य से दूर रहना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय एससी/एसटी छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए अपनी वेबसाइट पर पेज विकसित कर सकते हैं और उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार/प्रचार्या कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना अधिकारियों के संज्ञान में आती है, तो दोषी अधिकारियों/संकाय सदस्य के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय या वर्ग के साथ भेदभाव या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न करे।
- एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों/शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से विश्वविद्यालय को प्राप्त भेदभाव की शिकायत को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

7.2 (iv) गैर-शिक्षण पदों, छात्रों के प्रवेश और छात्रावासों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न वर्ग को छोड़कर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण।

भारत के विधि और न्याय मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) केंद्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षकों के अध्यादेश में आरक्षण), 2019 दि. 7 मार्च, 2019 को सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था।)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, यूजीसी ने अधिसूचना संख्या 1013 दिनांक 07-03-2019 के साथ मंत्रालय पत्र संख्या एफ 38-11/2018-सी यू.वी. दिनांक 07.03.2019 की एक प्रति भेज दी। 07.03.2019 के बारे में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 यूजीसी पत्र सं F-1-5/2006 (एस सी टी) दिनांक 07.03.2019 और 8.03.2019 जो यूजीसी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है

केंद्र सरकार ने यह निर्दिष्ट किया है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में अध्यापक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण होगा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन, संख्या 36012/2/96-स्था, (आईएस) दिनांक 2 जुलाई, 1997 से इस प्रकार है, अर्थात:-

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और
- (ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सताईस प्रतिशत

वर्ष 2019-20 के दौरान शिक्षण, गैर- शिक्षण पद, छात्रों का प्रवेश और छात्रावास के निवासियों के संबंध में 39 केन्द्रीय, 94 राज्य पब्लिक, -20 सम विश्वविद्यालय (यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12-बी के तहत) की जानकारी इस प्रकार है:

7.2 (iv)(अ): शिक्षण स्टाफ का विवरण

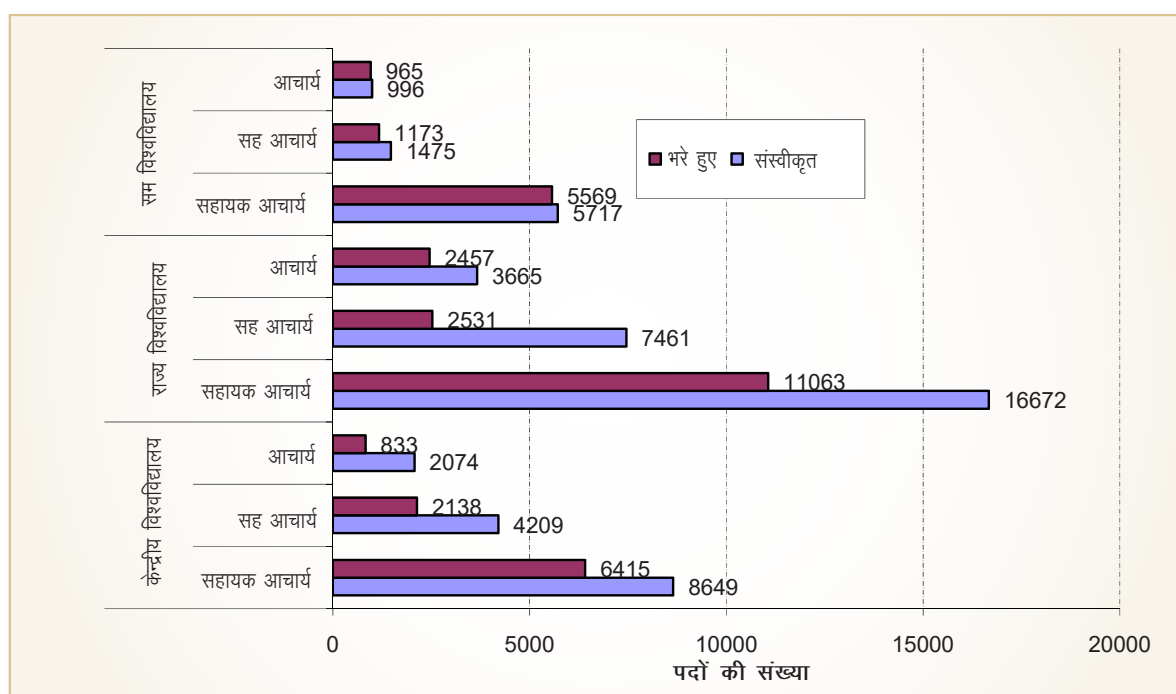
तालिका 7.2(iv)(अ) शिक्षण स्टाफ का विवरण (2019-20)

पद का नाम	विश्व विद्यालयों की संख्या डेटा	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की श्रेणी-वार स्थिति						*कुल से		
			सामान्य	ओबी सी	एस सी	एस टी	ई डब्ल्यू एस	कुल*	पी डब्ल्यू डी	मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग
केंद्रीय विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	35	8649	4246	1005	771	369	24	6415	129	1108	352
सहायक आचार्य	35	4209	1977	8	121	32	0	2138	14	307	47
आचार्य	35	2074	782	1	44	6	0	833	14	161	48
कुल	35	14932	7005	1014	936	407	24	9386	157	1576	447
राज्य विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	96	16672	6469	2542	1643	408	1	11063	65	307	234
सहायक आचार्य	96	7461	1589	579	297	66	0	2531	6	47	64
आचार्य	96	3665	1539	645	227	46	0	2457	7	41	89
कुल	96	27798	9597	3766	2167	520	1	16051	78	395	387
सम विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	20	5717	2626	2454	425	62	2	5569	17	133	402
सहायक आचार्य	20	1475	739	376	54	4	0	1173	1	28	65
आचार्य	20	996	646	295	22	2	0	965	3	17	53
कुल	20	8188	4011	3125	501	68	2	7707	21	178	520

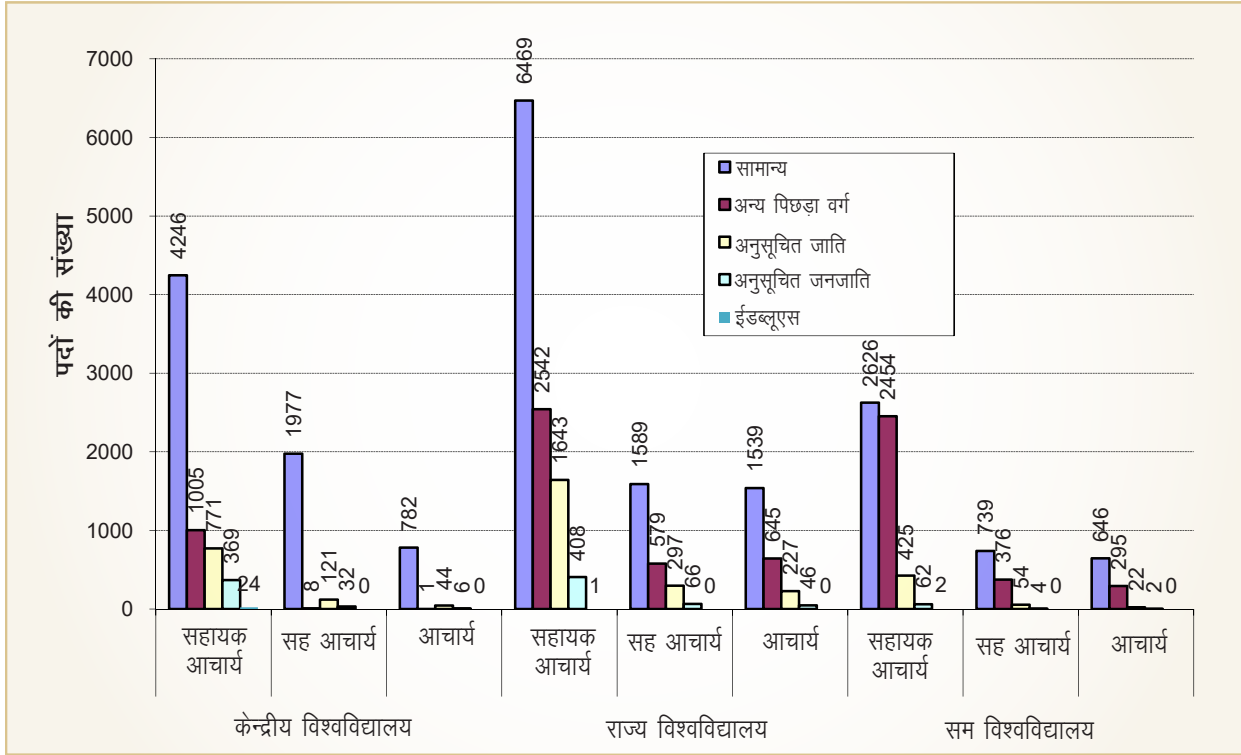
नोट : * विश्वविद्यालय द्वारा दिया डेटा

** 35 केंद्रीय, 96 राज्य पब्लिक, 20 सम विश्वविद्यालयों द्वारा की गई सूचना (यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी)

रेखाचित्र 7.2 (iv)(क)(i): संस्वीकृत और भरे हुए शिक्षण पदों की स्तरीयवार संख्या: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, 2019-20



रेखाचित्र 7.2 (iv)(क)(ii): भरे हुए शिक्षण पदों का श्रेणी-वार वितरण: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, 2019-20

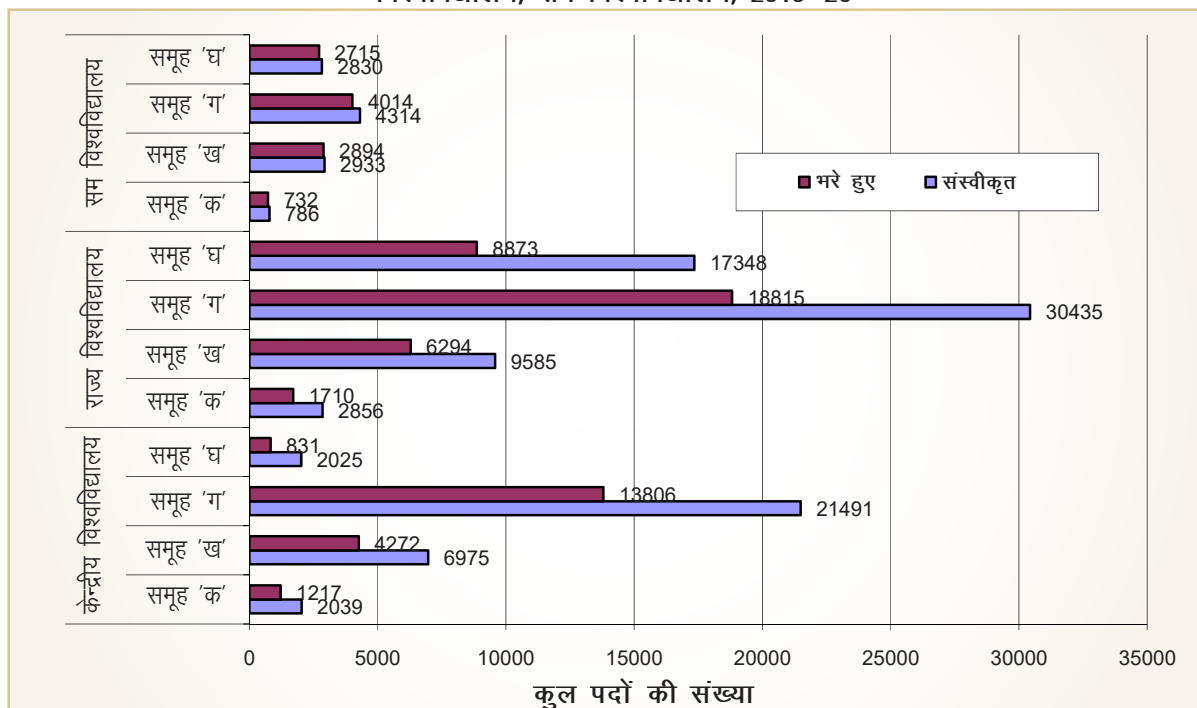


7.2(iv)(ख): गैर-शिक्षण कर्मचारी 2019-20 का विवरण

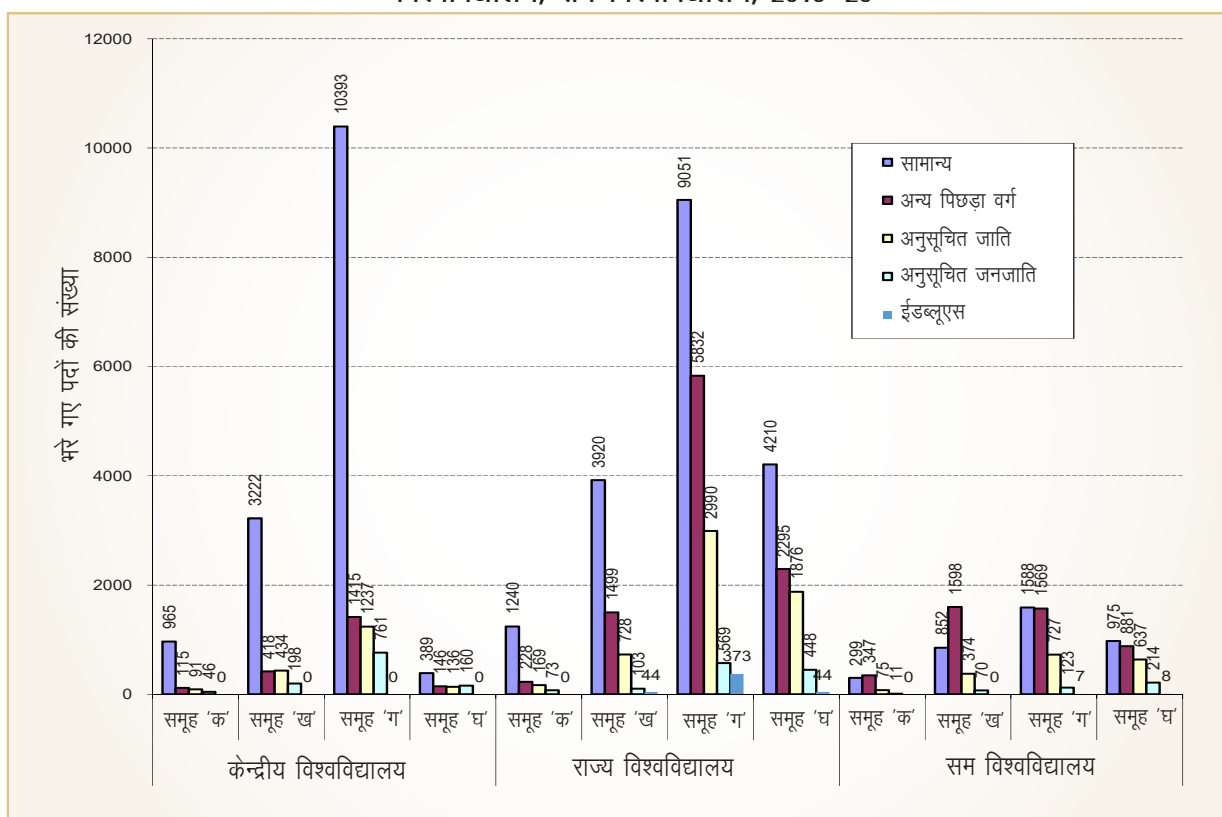
तालिका 7.2(iv)(ख): गैर-शिक्षण कर्मचारी 2019-20 का विवरण

पद का नाम	विश्व विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की श्रेणी-वार स्थिति						*कुल से		
			सामान्य	ओबी सी	एस सी	एस टी	ई डब्ल्यू एस	कुल*	पी डब्ल्यू डी	मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग
केंद्रीय विश्वविद्यालय											
समूह-क	35	2039	965	115	91	46	0	1217	13	175	84
समूह-ख	35	6975	3222	418	434	198	0	4272	21	803	433
समूह-ग	35	21491	10393	1415	1237	761	0	13806	173	4340	733
समूह-घ	35	2025	389	146	136	160	0	831	9	15	208
कुल	35	32530	14969	2094	1898	1165	0	20126	216	5333	1458
राज्य विश्वविद्यालय											
समूह-क	94	2856	1240	228	169	73	0	1710	10	46	35
समूह-ख	94	9585	3920	1499	728	103	44	6294	109	196	286
समूह-ग	94	30435	9051	5832	2990	569	373	18815	346	615	745
समूह-घ	94	17348	4210	2295	1876	448	44	8873	115	310	163
कुल	94	60224	18421	9854	5763	1193	461	35692	580	1167	1229
सम विश्वविद्यालय											
समूह-क	21	786	299	347	75	11	0	732	0	12	46
समूह-ख	21	2933	852	1598	374	70	0	2894	11	57	338
समूह-ग	21	4314	1588	1569	727	123	7	4014	32	67	142
समूह-घ	21	2830	975	881	637	214	8	2715	16	69	49
कुल	21	10863	3714	4395	1813	418	15	10355	59	205	575

रेखाचित्र 7.2 (iv)(ख)(i): संस्वीकृत और भरे गए गैर शिक्षण पदों की स्तरवार स्थिति: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, 2019-20



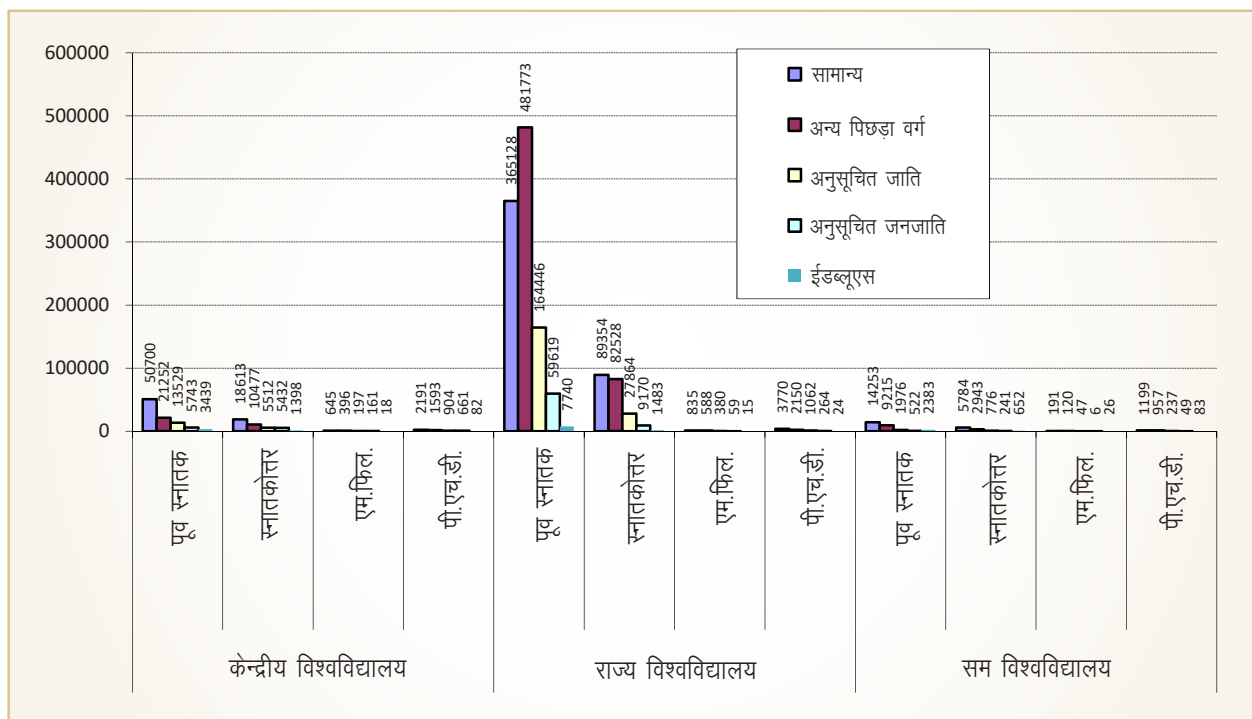
रेखाचित्र 7.2 (iv)(ख)(ii): गैर शिक्षण कर्मचारियों का श्रेणी वार वितरण: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, 2019-20



7.2(iv) (ग) : छात्र प्रवेश : 2019-20

तालिका 7.2(iv)(ग) छात्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी पाठ्यक्रमों में (प्रथम वर्ष का प्रवेश) स्वीकार किया												
विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	डेटा उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल सीटों/ छात्रों का प्रवेश (स्वीकृत)	छात्रों का प्रवेश (1 वर्ष) के उपरान्त	छात्रों की श्रेणी-वार स्थिति					कुल के पुरान्त*			
				सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ई डब्लू एस	कुल*	पी डब्लू डी	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	33	98467	94663	50700	21252	13529	5743	3439	94663	1269	5546	2381
स्नातकोत्तर	33	51735	41432	18613	10477	5512	5432	1398	41432	637	4586	3600
एम.फिल.	33	2037	1417	645	396	197	161	18	1417	32	63	154
पी.एच.डी.	33	9079	5431	2191	1593	904	661	82	5431	70	296	386
डिप्लोमा / प्रमाण पत्र	33	24323	14645	10077	2781	1177	450	160	14645	108	3760	821
कुल	33	185641	157588	82226	36499	21319	12447	5097	157588	2116	14251	7342
राज्य विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	91	1495592	1078706	365128	481773	164446	59619	7740	1078706	1151	59008	23182
स्नातकोत्तर	91	288889	210399	89354	82528	27864	9170	1483	210399	366	8711	10918
एम.फिल.	91	3212	1877	835	588	380	59	15	1877	12	107	75
पी.एच.डी.	91	10100	7270	3770	2150	1062	264	24	7270	195	233	283
डिप्लोमा / प्रमाण पत्र	91	44997	19228	9530	5507	2455	1610	126	19228	39	447	361
कुल	91	1842790	1317480	468617	572546	196207	70722	9388	1317480	1763	68506	34819
सम विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	21	30052	28349	14253	9215	1976	522	2383	28349	120	1110	1425
स्नातकोत्तर	21	13709	10396	5784	2943	776	241	652	10396	36	347	439
एम.फिल.	21	830	390	191	120	47	6	26	390	4	6	19
पी.एच.डी.	21	4457	2525	1199	957	237	49	83	2525	13	39	94
डिप्लोमा / प्रमाण पत्र	21	3499	1782	1086	430	168	40	58	1782	10	50	61
कुल	21	52547	43442	22513	13665	3204	858	3202	43442	183	1552	2038

रेखाचित्र 7.2 (iv)(ग): 2019-20 के दौरान छात्रों द्वारा श्रेणी-वार (प्रवेश का प्रथम वर्ष) स्वीकार किया

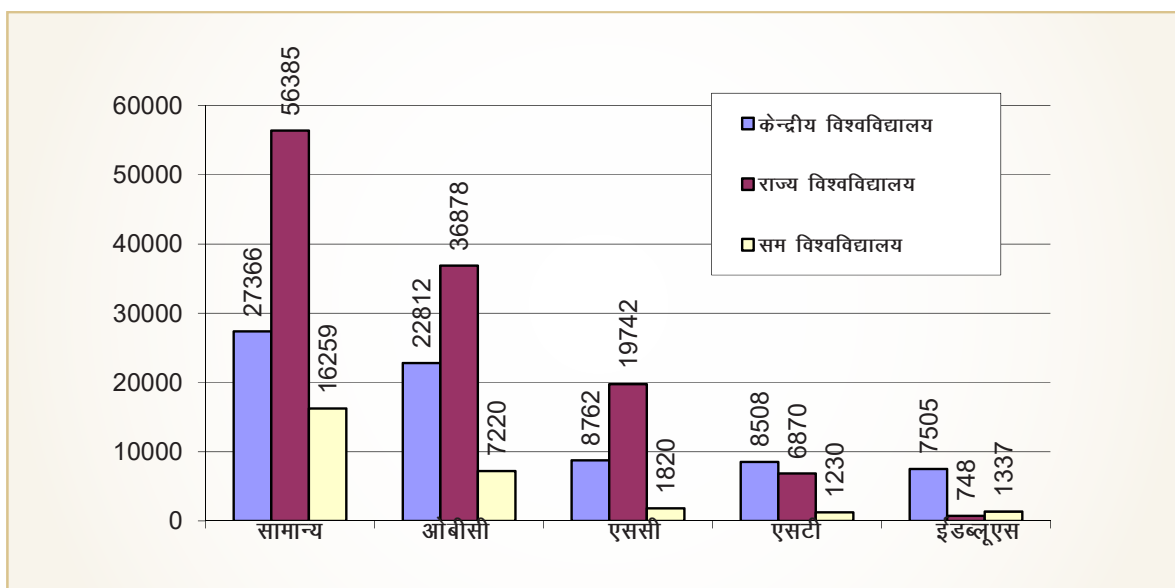


7.2(iv) (घ) : छात्रावास के निवासी : 2019-20

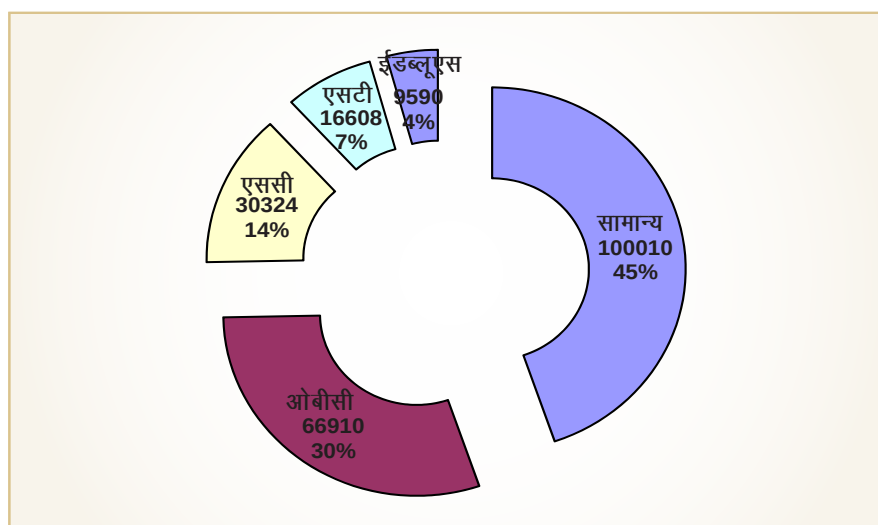
तालिका 7.2(iv)(घ) छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या

डेटा देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल छात्रावास	कुल सेवन क्षमता	छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या						कुल के पड़रान्त*		
			सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ई डब्लू एस	कुल*	पी डब्लू डी	Muslim	Other Mino. Commun.
छात्र छात्रावास (2019-20)											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
33	390	70635	27366	22812	8762	8508	7505	74953	1405	15529	4101
राज्य विश्वविद्यालय											
84	496	108023	56385	36878	19742	6870	748	120623	1424	3158	1956
सम विश्वविद्यालय											
21	145	13982	16259	7220	1820	1230	1337	27866	109	801	3832

रेखाचित्र 7.2 (iv)(घ)(i): छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की श्रेणी-वार संख्या: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, 2019-20



रेखाचित्र 7.2(घ)(ii) : विश्वविद्यालयों में छात्रावास निवासियों का श्रेणी-वार संख्या: वितरण, 2019-20



7.2(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा) और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाएँ

यूजीसी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विशेष कोचिंग योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक इक्विटी और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता की दिशा में योगदान दे रहा है। 30 जुलाई, 2019 को सभी संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को यूजीसी योजनाओं की निरंतरता के बारे में सूचित किया जाता है – सेवा में प्रवेश के लिए उपचारात्मक कोचिंग/कोचिंग कक्षाएं, एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट कोचिंग, समान अवसर सेल और पीडब्ल्यूडी योजनाएँ दिनांक 31.03.2020। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों, XII योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2020 तक की योजना के तहत अनिर्दिष्ट शेष अनुदान (XII योजना) का उपयोग कर सकते हैं।

7.2(v)(क) एससी/एसटीएस/ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग। 2019–20 के दौरान: 3,26,350/– रुपये की राशि जारी की गई है।

7.2 (v) (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक सामुदायिक छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं 2019–20 के दौरान रु। 3,90,892/– की राशि जारी की गई है।

7.2 (v) (ग) एस सी/सी टी/ओ बी सी (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एन ई टी/एस ई टी की कोचिंग। 2019–20 के दौरान रु. 5,18,953/– की राशि जारी की गई है।

7.2 (vi) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को वंचित सामाजिक समूह की जरूरतों और बाधाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए, समान अवसर सेल (ईओसी) इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करता है। 2019–20 के दौरान की राशि रु.1,35,000/– जारी किए गए हैं।

7.2(vii) सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना

यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें एक सैद्धांतिक और साथ ही नीतिगत महत्व है। 2019–20 के दौरान रु. 9.82 करोड़ की राशि जारी की गई है।

7.2 (viii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। हाल ही के वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि दिव्यांग लोगों के बहुमत के जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सकती है अगर उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावी पहुंच हो।
- दिव्यांग व्यक्तियों का संरक्षण अधिनियम, 2016 इंगित करता है कि अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों को सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय का समर्थन कर रहा है और उन्हें अलग-अलग दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए विशेष शिक्षा गतिविधियों में शामिल कर रहा है।

- यूजीसी समय-समय पर विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को सूचित करता रहा है, नीतिगत निर्णय, जिसमें भारत सरकार में प्रवेश और रोजगार में आरक्षण शामिल हैं, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, इस संबंध में लिए गए फैसलों और दिशानिर्देशों को आयोग के स्तर पर लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को लागू किया गया है। आयोग ने दिव्यांग विश्वविद्यालयों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 भी प्रसारित किया था जिसमें विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे इसमें निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण – सहायता प्राप्त करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सरकार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पाँच प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित नहीं करेगी।
- आरक्षण-प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में नियुक्ति करेगी, कैंडर की कुल रिक्तियों की संख्या के चार प्रतिशत से कम नहीं, पदों के प्रत्येक समूह को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों से भरा जाना चाहिए।
- यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है कि वे बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के दिशानिर्देशों के बारे में पत्र क्रमांक एफ 6-2/2013 (एस सी टी) दिनांक 14.1.2019 और 21.2.2019 के अनुसार।
- यूजीसी ने भी सभी संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में अपने विश्वविद्यालय/संघटक और संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने के लिए दिनांक 15.12.2017 को 2006 के डब्ल्यूपीसी नं 292 में विलेख अर्धशासक पत्र सं 6-1/2018 (एससीटी) दिनांक 14.2.2019 को लागू किए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान का अनुपालन, 2016 प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण के मुद्दे से निपटने और यूजीसी को हर साल अनुपालन को सूचित करते हुए। "इस अंत तक, वे हर साल प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती किए गए दिव्यांगों की संख्या की सूची मुख्य आयुक्त और/या राज्य आयुक्त (जैसा भी मामला हो) को प्रस्तुत करेंगे। यह मुख्य आयुक्त के साथ-साथ राज्य आयुक्त का भी कर्तव्य होगा कि वे इस बात की जांच करें कि क्या इन शिक्षण संस्थानों ने पूर्वोक्त दायित्व को पूरा किया है। उन शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ उचित परिणामी कार्रवाई का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जो दिव्यांग अधिनियम, 2016 की धारा 89 के साथ-साथ अन्य प्रावधानों के तहत प्रदान की गई हैं, जो कि डिफॉल्ट संस्थानों के खिलाफ शुरू की जाएंगी। "
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण के लिए हार्मोनाइज्ड दिशानिर्देश और अंतरिक्ष मानकों को अपनाना, जिसे सार्वजनिक भवनों के लिए सुलभ मानकों के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध महाविद्यालयों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत पहुँच कार्रवाई योजना प्रस्तुत करना है।
- आंतरिक समिति का गठन जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों के लिए दिन-प्रतिदिन की देखभाल के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है।
- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान में समान अवसर सेल के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना.
- विश्वविद्यालय के समान अवसर प्रकोष्ठ ने दिव्यांगजन अभ्यर्थी को नौकरी मेले के लिए पंजीकरण करने की सुविधा के लिए (<http://www-divyangjanindia-com>)
- दिव्यांगजन उम्मीदवार को विश्वविद्यालय के रुष्मायन केंद्र/उद्यमिता सेल का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों ने <https://ugc.ac.in/uamp/> पर निर्धारित प्रारूप में यूजीसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यूजीसी दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए योजनाओं को भी लागू कर रहा है। यू जी सी रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

निम्नलिखित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 2(च) के पूर्वावलोकन में आते हैं और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए फिट हैं।

7.2 (viii)(क) विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एच ई पी एस एन)। यह योजना मूल रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक वातावरण बनाने के लिए है, जो अलग-अलग लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा सीखने के अनुभवों को समृद्ध करती है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्माण, शिक्षण को समृद्ध करने के लिए उपकरणों की खरीद आदि शामिल हैं।

7.2 (viii)(ख) विशेष शिक्षा में शिक्षक की तैयारी (टी ई पी एस ई)

यह योजना विशेष शिक्षा शिक्षकों की तैयारी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग की सहायता करने के लिए है, ताकि विशेष शिक्षकों को विशेष और समावेशी दोनों सेटिंग्स में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जा सके। यह योजना बी.एड. और एम.एड. दिव्यांगता क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ डिग्री पाठ्यक्रम।

7.2 (viii) (क) दृष्टिबाधित शिक्षकों को वित्तीय सहायता.

पाठक की सहायता से शिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों की मदद करने के लिए और ब्रेल पुस्तकें, रिकॉर्ड की गई सामग्री इत्यादि की खरीद के लिए रीडर के भत्ता और धन उपलब्ध कराने के माध्यम से शिक्षण और सीखने की सहायता का उपयोग करने के लिए योजना बनाई गई है। ऐसे शिक्षक शिक्षण, सीखने और अनुसंधान के लिए विभिन्न सहायता का उपयोग करके आत्म-निर्भरता प्राप्त करते हैं।

7.2(ix) अन्य पिछड़ा वर्ग

7.2 (ix)(क) गैर शिक्षण पद

यूजीसी को एक पत्र संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 22 अक्टूबर, 1993 को सरकार से प्राप्त हुआ था। भारत, सरकार कार्मिक, पीजी और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधीन नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में।

विश्वविद्यालयों के सभी रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया था कि वे इस कार्यालय पत्र संख्या एफ -1-9/94 (एससीटी) दिनांक 21 अप्रैल, 1994 के संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अब निहित निर्देशों के अनुसार लागू किया जा सकता है। यह भी अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त पत्र की सामग्री को यूजीसी को सूचना के तहत सभी संबद्ध महाविद्यालयों के संज्ञान में भी लाया जा सकता है।

7.2 (ix)(ख) शिक्षण पद

आयोग ने 27 दिसंबर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान संस्थानों में व्याख्याता के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन को मंजूरी देने का निर्णय लिया। भारत का संविधान जिसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुशंसा की गई है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली ने डी.ओ. पत्र क्रमांक 22-1/98-यू 5 दिनांक 9 अक्टूबर, 2006।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी रजिस्ट्रार, संस्थानों को विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों को इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ 1-9/94 (एससीटी) दिनांक 24 जनवरी, 2007, 25 जनवरी 2007 और 26 सितंबर, 2007 को क्रमशः अनुरोध किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर अन्य लेक्चरर के स्तर पर शिक्षण पदों

को भरने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करना। सभी राज्य विश्वविद्यालयों को यह भी सूचित किया गया कि संबद्ध/घटक महाविद्यालय और अन्य संस्थान कार्य कर रहे हैं।

राज्य के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार हो सकता है।

सभी राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह इस कार्यालय पत्र सं० एफ-1-4-94 (एससीटी/ओबीसी) दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 को, शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर उपरोक्त पत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध/घटक महाविद्यालय होने चाहिए।

इसके अलावा, यूजीसी ने सभी अनुदान के लिए अधिसूचना संख्या 1013 दिनांक 07.03.2019 के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के पत्र संख्या एफ-38-11/2018-सीयू.वी दिनांक 07.03.2019 को भेज दिया है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों।

अधिसूचना एसओ 1013 दिनांक 07.03.2019:- केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्रीय इसके द्वारा सरकार यह निर्दिष्ट करती है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में अध्यापक संवर्ग में स्वीकृत शक्ति से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण होगा, जो कार्यालय ज्ञापन, संख्या 36012/2/96-स्था. (आरइएस) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, दिनांक २ जुलाई, 1997 अनुमान में निर्दिष्ट है। इस प्रकार है, अर्थात: -

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत.

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत

7.2 (ix) (ब) प्रवेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र क्रमांक सं० एफ-1-5/2006 (एससीटी) दिनांक 19.11.2012 राजपत्र अधिसूचना संख्या 3 के अनुसार कार्रवाई अनुपालन और आवश्यक के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, को आगे बढ़ाया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के पैरा 3 के अनुसार, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत शक्ति से बाहर की नीति के अनुसार, 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% हैं।

‘निर्दिष्ट उत्तर-पूर्वी क्षेत्र’ का अर्थ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों से युक्त क्षेत्र है, जो संविधान में छठे अनुसूचित में निर्दिष्ट है: ‘राज्य सीटें’ में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों के संबंध में, ऐसी सीटों का मतलब है, यदि कोई हो, तो अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत शक्ति में से, राज्य के पात्र छात्रों के बीच भरे जाने के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें ऐसे संस्थान स्थित हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत की संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और वहां किए गए कानून और अध्यादेश। प्रवेश सहित सभी प्रशासनिक अकादमिक निर्णय विश्वविद्यालयों द्वारा इसके वैधानिक निकायों के अनुमोदन के साथ लिया जाता है। यह सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, यूजीसी ने सभी अनुदान प्राप्त संस्थानों को समय-समय पर शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के साथ-साथ प्रवेश में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए निर्देश जारी किया है।

7.2 (x) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

यूजीसी ने सभी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विश्वविद्यालयों और मुख्य सचिवों को भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया। यह भी अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित/अनुदानित, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए गठित (एक सौ तीनवें संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाए कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से चालू हो जाएगा।

7.3 उच्चतर शिक्षा में सामाजिक श्रेणी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग छात्रों और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर (2018-19)) भारत में उच्चतर शिक्षा में 26.3% है जिसकी गणना 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 23.0% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 17.2% है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 2013-14 से सभी श्रेणियों और एससी और एसटी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात नीचे दिया गया है:-

तालिका 7.3 उच्चतर शिक्षा में जीईआर (2018-19)

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जाति के छात्र			अनुसूचित जनजाति के छात्र		
	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला
2013-14	23.0	23.9	22.0	17.1	17.7	16.4	11.3	12.5	10.2
2014-15	24.3	25.3	23.2	19.1	20.0	18.2	13.7	15.2	12.3
2015-16	24.5	25.4	23.5	19.9	20.8	19.0	14.2	15.6	12.9
2016-17	25.2	26.0	24.5	21.1	21.8	20.2	15.4	16.7	14.2
2017-18	25.8	26.3	25.4	21.8	22.2	21.4	15.9	17.0	14.9
2018-19	26.3	26.3	26.4	23.0	22.7	23.3	17.2	17.9	16.5

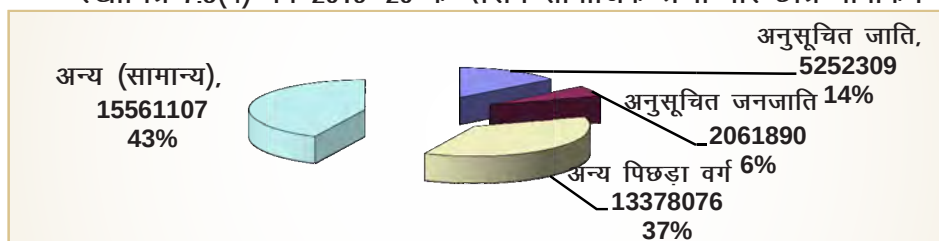
ध्यान दे: 2019-20 का डेटा उपलब्ध नहीं हैं

- लिंग समानता सूचकांक (जी पी आई) सभी श्रेणियों, एससी और एसटी के लिए, यह देखा गया है कि सभी श्रेणियों के लिए उच्चतर शिक्षा में महिला भागीदारी 100 प्रति 100 पुरुष और अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए है और यह 2018 के लिए क्रमशः 100 प्रति पुरुष 102 और 92 है। १६। (स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण)

तालिका 7.3(i) उच्च श्रेणी में सामाजिक श्रेणी के छात्र नामांकन* उच्चतर शिक्षा में: (2019-20)

श्रेणी	छात्रों की संख्या		
	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	2657495	2594814	5252309
अनुसूचित जनजाति	1026544	1035346	2061890
अन्य पिछड़ा वर्ग	6786630	6591446	13378076
अन्य (सामान्य)	8063550	7497557	15561107
कुल	18534219	17719163	36253382

रेखाचित्र 7.3(ग) वर्ष 2019-20 के दौरान सामाजिक श्रेणी वार छात्र नामांकन



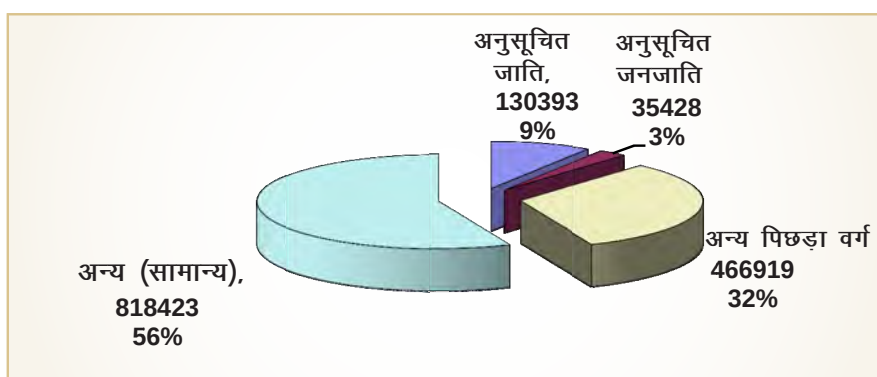
तालिका 7.3 (ii) : उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों, निशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) छात्रों प्रतिनिधित्व—(वर्ष 2019–20)

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	42507	40655	83162
मुस्लिम	988034	993373	1981407
अन्य अल्पसंख्यक समुदाय	390429	465991	856420

तालिका 7.3(iii) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षको की संख्या (वर्ष 2019–20)

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
अनुसूचित जाति	82637	47756	130393
अनुसूचित जनजाति	20643	14785	35428
अन्य पिछड़ा वर्ग	274794	192125	466919
अन्य (सामान्य)	455298	363125	818423
कुल	833372	617791	1451163

रेखाचित्र 7.3(iii) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षको की संख्या (वर्ष 2019–20)



तालिका 7.3(iv) अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का शिक्षण स्टाफ* (2019–20)

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	3315	1177	4492
मुस्लिम	50323	29586	79909
अन्य अल्पसंख्यक समुदाय	51100	78302	129402

नोट: * एआईएसएचई पोर्टल पर वास्तविक प्रतिक्रिया एचईई के आधार पर अनंतिम आंकड़े: 2019–20

► प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

- ❖ 8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र
- ❖ 8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक
- ❖ 8.3 मानवाधिकार मूल्य शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र

आयोग ने 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरकर आगे आया है। ये केंद्र निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं;

- क) अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक विशिष्टता क्षेत्र के साथ समग्र समझ को बढ़ावा देना;
- ख) औपनिवेशिक समाजों के दृष्टिकोण से क्षेत्र के अध्ययन के वैकल्पिक प्रतिमान को बढ़ावा देने के लिए;
- ग) क्षेत्र और मुद्दों के भारतीय दृष्टिकोण के लिए योगदान करने के लिए;
- घ) नीति निर्माताओं को विशेष रूप से भारत के आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए;
- ड) विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;
- च) अंतर-क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना

8.1(i) पांच वर्षों की अवधि के लिए योजना के तहत उपलब्ध सहायता की प्रकृति

परियोजना पद्धति:

निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता 100 प्रतिशत के आधार पर होगी: –

अनावर्ती	रु. लाख में
कार्यालय उपकरण और कार्यालय फर्नीचर	1.50
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	3.00
फील्ड वर्क (छात्रों के लिए 25%)	2.50
संगोष्ठी/संगोष्ठी/सम्मेलन	3.00
प्रकाशन	2.00
विजिटिंग संकाय	2.00
परिचालन खर्च	1.00
कुल	15.00

आवर्ती

एक संकाय स्थिति, (रीडर/ब्याख्याता/प्रलेखन अधिकारी) दो-शोध सहयोगी या प्रोजेक्ट एसोसिएट या/प्रोजेक्ट फेलो (आरए/पीए और पीएफ के लिए वेतन और अन्य नियम और शर्तें यूजीसी की प्रमुख अनुसंधान परियोजना योजना में लागू होंगी)

8.1(ii) मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को अनुदान निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता 100% आधार पर होगी:

अनावर्ती	(रु.लाख में)		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
भवन (नवीकरण/विस्तार के लिए)	10.00	8.00	5.00
कार्यालय उपकरण और कार्यालय फर्नीचर	4.00	4.00	3.00
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	5.00	3.00	2.00
फील्ड वर्क (छात्रों के लिए 25%)	15.00	10.00	4.00
संगोष्ठी/संगोष्ठी/सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/संकाय परियोजना	10.00	5.00	4.00
विजिटिंग संकाय	6.00	4.00	3.00
परिचालन व्यय और आकस्मिकता	5.00	3.00	2.00
प्रकाशन	5.00	3.00	2.00
कुल	60.00	40.00	25.00

आवर्ती

- संकाय स्थिति:
एक रीडर
एक व्याख्याता
एक प्रलेखन अधिकारी
- दो-रिसर्च एसोसिएट्स या प्रोजेक्ट एसोसिएट या/प्रोजेक्ट फेलो (आरए/पीए और पीएफ के लिए वेतन और अन्य नियम और शर्तें यूजीसी की मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम में लागू होंगी)।
- अनुदान का संवितरण (2019-2020):

(रु.लाख में)

अनुदान	2019-2020
अनुदान जारी किया	23.22

नोट:-अवधि और प्रतिभूति के तहत नियुक्त वेतन अनुदान जारी करने के संबंध में क्षेत्र स्टडीज प्रोग्राम के तहत 9 केंद्रों को 23.22 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

- क्षेत्र अध्ययन केंद्रों की सूची जिनका कार्यकाल 31.03.2021 तक है, निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केंद्रों का नाम
1.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा	सेंटर फॉर इंडिक एंड एशियन स्टडीज
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	चीन अध्ययन केंद्र
3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल	समकालीन चीन अध्ययन केन्द्र (आईसीसीएस)

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

भारत में महान विचारकों और सामाजिक नेताओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से, न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने स्वदेशी विचारों को विकसित किया है और भारत को सांस्कृतिक और नैतिक पहचान प्रदान की है। शिक्षकों को परिचित करने की बहुत आवश्यकता है।

छात्रों को उनकी सोच और काम के साथ और उन्हें रचनात्मक कार्यों के अध्ययन, अनुसंधान और क्षेत्र कार्य आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों में शामिल करना है। यूजीसी द्वारा भारत की विशेष योजना (विशेष अध्ययन) की युगांतरकारी योजना की शुरुआत वर्ष 1983 में की गई थी।

इस योजना के तहत, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में गांधीवादी, नेहरू, डॉ. अम्बेडकर, बौद्ध, डॉ. जाकिर हुसैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी अध्ययन आदि के क्षेत्रों में विशेष अध्ययन केंद्र बनाने के लिए यूजीसी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। /ये महान विचारकों और सामाजिक लोगों के विचारों और कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन करने के लिए संस्थान। इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में 406 अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं, भारत के सामाजिक एपोच मेकिंग सोशल थिंक्स'।

क्रम	अध्ययन केंद्र	बारहवीं योजना
1	भगवान महावीर	2
2	बौद्ध	44
3	डॉ. अंबेडकर	99
4	डॉ. जाकिर हुसैन	3
5	गांधीवादी	139
6	गुरु नानक देव	11
7	इंदिरा गांधी	10
8	जे. कृष्णमूर्ति	1
9	के. आर. नारायण	2
10	मदन मोहन मालवीय	2
11	महात्मा बसवेश्वर	1
12	महात्मा ज्योतिबा फुले	1
13	नेहरू	25
14	रविंद्रनाथ टैगोर	4
15	राजा राम मोहन राय	1
16	राजर्षि शाहू	1
17	एस. राधाकृष्णन	2
18	शहीद भगत सिंह	1
19	शंकर देव	3
20	सरदार वल्लभ भाई पटेल	1
21	श्री अरविंदो	5
22	सुभाष चंद्र बोस	2
23	सुई-का-फा	2
24	स्वामी चिमानंद	1
25	स्वामी दयानंद	6
26	स्वामी विवेकानंद	35
27	सैयद अब्दुल मलिक	1
28	वी. आर.	1
कुल		406

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में, भारत के महापुरुष अध्ययन केंद्रों को भारत के युगानुकूल सामाजिक चिंतकों की योजना के तहत 31/03/2020 तक जारी रखा गया है। यह योजना 30-09-2020 तक जारी रखी गई है।

कुल मिलाकर, हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में 139 गांधीवादी अध्ययन स्थापित किए गए।

वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 6.87 करोड़ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को योजना के तहत जारी किया गया।

8.3 मानवाधिकार मूल्य शिक्षा

मानवाधिकार अपने आप में और साधन के रूप में समाप्त होता है। वे प्राप्त किए जाने वाले मानकों की वस्तुओं में समाप्त हो जाते हैं और इसका मतलब है कि वे अधिकारों का उपयोग करने और अधिकारों का आनंद लेने के लिए लोगों को सक्षम और सशक्त बनाते हैं। यह अकादमिक जांच का एक क्षेत्र है और समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्यों के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव का एक हिस्सा है। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र में मानवाधिकार शिक्षा की योजना शुरू की 1985. तब से, उच्च शिक्षा क्षेत्र को आर्थिक रूप से और मानव अधिकारों और मूल्यों और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन दिया गया है।

मानवाधिकार शिक्षा योजना के तीन घटक हैं;

(i) मानवाधिकार और कर्तव्य (ii) मानवाधिकार और मूल्य (iii) मानव अधिकार और मानव विकास।

वर्ष 2019-20 के दौरान, इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 1.98 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया

► सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण

- ❖ 9.1 यूजीसी की वेबसाइट
- ❖ 9.2 ऑनलाइन शिक्षण द्वारा उत्पादकता
- ❖ 9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

9.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट

9.1 (i) यूजीसी की वेबसाइट

यूजीसी वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न यूजीसी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी को अंतिम रूप से उपयोगकर्ताओं/हितधारकों को साझा करना है। इसके अलावा, हितधारक यूजीसी वेब पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, योजनाओं के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नौकरी आदि सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट को नियमित आधार पर अपडेट किया जा रहा है। यूजीसी की वेबसाइट का हिंदी संस्करण ऑनलाइन कर दिया गया है। कोविड महामारी के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को सलाह और जानकारी भेजी जा रही है। यह खंड विभिन्न पोर्टलों के काम को भी कर रहा है, जिसमें एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान निम्नानुसार है:

9.1(ii) विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएमपी)

यूजीसी का विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल समय-समय पर एच ई आई द्वारा की जाने वाली घटनाओं/गतिविधियों के लिए एक बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल पर उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें, जैसा कि यूजीसी ने उन्हें यूजीसी विश्वविद्यालय पोर्टल के लिए प्रदान किया है। विश्वविद्यालय नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण अपडेट कर सकते हैं। वर्ष 2019-2020 में यूजीसी ने निम्नलिखित गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से ऑनलाइन जानकारी एकत्र की:

9.1(iii) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019

आयुष मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान छात्रों और शिक्षकों की अधिक से अधिक सक्रिय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीआई), 2019 के मनाने की तैयारी की है। कुछ गतिविधियों को अपनाकर और यूजीसी के विश्वविद्यालय के मॉनिटरिंग पोर्टल पर विवरण अपलोड करके आईडीआई 2019 को एक शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है।

9.1(iv) उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए डिजिटल भुगतान

यू जी सी को एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन (एनडीपीएम) के तहत भुगतान के डिजिटल तरीकों का उपयोग करके सभी मौद्रिक लेनदेन करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एच ई आई) को आवश्यक परामर्श जारी करने का निर्देश दिया गया था। नतीजतन, यूजीसी ने उपरोक्त पत्र जारी किए हैं, जैसा कि राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान मिशन (एनडीपीएम) विश्वविद्यालयों के तहत भुगतान के डिजिटल तरीकों का उपयोग करते हुए सभी मौद्रिक लेनदेन के लिए एनडीपीएम के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर संकलन और आगे संचरण के लिए सभी विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है।

9.1(v) छात्र प्रेरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आदेशों में से एक छात्र-छात्राओं का प्रेरण कार्यक्रम है। यू जी सी ने माध्यमिक से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय में स्वाभाविक रूप से सहजता से बदलाव लाने के उद्देश्य से छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए "दीक्षारम्भ" गाइड तैयार किया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वह इस शैक्षणिक वर्ष से नव प्रवेशित छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्र प्रेरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उचित कदम उठाएँ और प्रेरण कार्यक्रम की एक कार्य योजना/फोटो/वीडियो अपलोड करें।

9.1(vi) एक छात्र एक पेड़

पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है और यह मुख्य रूप से अधिकतम संख्या में पेड़ लगाने और प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनने वाले कारकों को नियंत्रित करने के अलावा जल संसाधनों का संरक्षण करके संभव है। इस वर्ष भी "एक छात्र एक पेड़" की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को कैम्पस में रहने के दौरान कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें।

9.1(vii) फिट इंडिया मूवमेंट 2019

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 29 अगस्त, 2019 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली से 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शुरुआत की। 'फिट इंडिया' देश को फिटनेस और वेलनेस के रास्ते पर आगे ले जाने का एक आंदोलन है और यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और बेहतर अवसर प्रदान करता है।

9.1(viii) संकाय डेटा

सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि संकाय भर्ती के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों का पालन अकसर करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और भर्ती प्रक्रिया यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्य कलाप निगरानी पोर्टल पर अपलोड की गई है।

9.1(ix) स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019

"स्वच्छता ही सेवा अभियान" का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2019 को किया गया था। भारत के प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, विशेष रूप से एकल प्लास्टिक का उपयोग करें और प्लास्टिक कचरे का निपटान करें। सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएएमपी) पर अभियान में छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की भागीदारी के संबंध में जानकारी अपलोड करें।

9.1(x) जल शक्ति अभियान 2019

जल शक्ति अभियान (जेएसए) ने देश में पानी की स्थिति को दूर करने के लिए 1 जुलाई 2019 से 30 नवंबर 2019 तक देशव्यापी शुरुआत की है। जेएसए का उद्देश्य जल निर्माण को संपत्ति सृजन और विद्यालय छात्रों, महाविद्यालय के छात्रों, स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्था के सदस्यों, युवा समूह (एनएसएस / एनवाईकेएस / एनसीसी) रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और पेंशनरों, विभिन्न अन्य लोगों के बीच सहित विभिन्न समूहों के जनसमूह से जुड़े विस्तार संचार के माध्यम से करना है। सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी छात्रों को महाविद्यालय परिसर में और उसके आसपास जल संरक्षण गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ, मुख्य रूप से जागरूकता सृजन और सामुदायिक शिक्षा के संदर्भ में, गतिविधियों और इस के प्रतिभागियों यू जी सी विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर अभियान स्थानों की संख्या का विवरण भेजने का अनुरोध किया।

9.1(xi) स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास जल और स्वच्छता मंत्रालय ने “स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप” कार्यक्रम शुरू किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम के तहत किसी अन्य ऐच्छिक की तरह दो क्रेडिट के लिए पात्र होने के नाते इस इंटर्नशिप को योग्य बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों से एक बार फिर उन प्रशिक्षुओं को दो क्रेडिट देने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है और यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर कितने छात्रों को इससे लाभ मिलता है।

9.1(xii) राष्ट्रीय एकता दिवस-2019

भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के सूत्रधार, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने का फैसला किया था। उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध है कि वे इस अवसर पर विशेष आयोजन/गतिविधियाँ करें। विश्वविद्यालयों और सभी संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकता दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई को यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

9.1(xiii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019

केंद्रीय सतर्कता आयोग, देश की सर्वोच्च अखंडता संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह का निरीक्षण करती है और सभी मंत्रालयों/विभागों/पीएई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/सोसायटी को भी इसका अवलोकन करने की सलाह देती है। विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करें और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर तस्वीरों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत/अपलोड करें।

9.1(xiv) एक भारत श्रेष्ठ भारत

भारत एक अद्वितीय राष्ट्र है, जिसे विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक धागों द्वारा बुना जाता है, सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एक समग्र राष्ट्रीय पहचान में एक साथ रखा जाता है। साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना विविधता में विशेष एकता को सक्षम बनाती है। भारत के विचार को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में मनाने के लिए जहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयाँ आपस में बातचीत करती हैं, भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ जुड़ाव रखती हैं। और लोगों के बीच प्रशंसा और आपसी बंधन, राष्ट्र में एकता के एक समृद्ध मूल्य प्रणाली हासिल करना। इसे देखते हुए, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक भारतश्रेष्ठ भारत क्लब (ई बी एस बी) जिसका उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युग्मित राज्य की भाषा, संस्कृति का प्रचार करना होगा। ई बी एस बी क्लब और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण यू जी सी विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

9.1(xv) सुगम्य भारत अभियान

भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 को लागू किया है, जो 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ। अधिनियम सांकेतिक भाषा को संचार के एक साधन के रूप में मान्यता देता है, जो सुनने में परेशानी के साथ व्यक्तियों के साथ संवाद करते समय विशेष रूप से उपयोगी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “सुगम्य भारत अभियान” को सर्वव्यापी सुलभता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है जो व्यक्तियों को सक्षम बनाएगा

समान अवसर के लिए पहुंच प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से जीने और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए दिव्यांग जीने की राह निकालें। इस संबंध में विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिव्यांगजन के लिए पर्याप्त यूनियसेक्स सुलभ शौचालयों के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ और उपर्युक्त जानकारी यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्यकलापों की निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध कराएँ।

9.1(xvi) स्वच्छता पखवाड़ा 2020 का पालन

स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत भारत के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एच ई आई) में मुख्यधारा की स्वच्छता गतिविधियों की दृष्टि से की गई थी। कार्यक्रम ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उत्साहपूर्ण कार्यान्वयन देखा है। वर्ष 2020 के लिए 16 जनवरी से 31 जनवरी, 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा देखा गया है। इस अवधि के दौरान कुछ स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा की गई थीं और शुरु की गई गतिविधियों की तिथि-वार रिपोर्ट यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

9.1 (xvii) मातृभाषा दिवस 2020 का पालन

मातृभाषा को 21 फरवरी, 2020 को पूरे विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति मातृभाषा के प्रसार और संपूर्ण जागरूकता को बढ़ावा देने और समझ, सहिष्णुता और संवाद के आधार पर एकजुटता को प्रेरित करने के लिए मनाया गया है। इस संबंध में विभिन्न गतिविधियों जैसे उत्कंठा वाद-विवाद, सिंगिंग, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं, संगीत और नाटकीय प्रदर्शन, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से “मातृभाषा दिवस” मनाने और यू जी सी के विश्वविद्यालय कार्यकलापों निगरानी पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया। ।

9.1(xviii) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का पालन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है ताकि महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और लोगों की प्रतिबद्धता और संकल्प को पुनः प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार ने 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया है ताकि भारत की महिलाओं को समान अवसर मिल सके और देश की प्रगति में उनका योगदान हो। इस संबंध में यू जी सी ने एच ई आई से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और कुछ गतिविधियों को व्यवस्थित करने का अनुरोध किया: जैसे कार्यशालाएं, व्याख्यान, क्विज, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, मैराथन, वॉकथॉन, साइक्लोथॉन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या लिंग संवेदीकरण पर आधारित कोई भी उपयुक्त गतिविधि, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, सुरक्षा और बचाव आदि यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्यकलापों निगरानी पोर्टल पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी अपलोड करें।

9.1(xix) नशे को ना कहें: (नशामुक्त अभियान)

मादक पदार्थों की लत के शिकार युवाओं के कई मामलों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एच ई आई) में ड्रग की लत एक बड़ी चुनौती है। समस्या को प्रमुखता को सामने लाने की तत्काल आवश्यकता थी, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजे एण्ड ई), भारत सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न उपायों को अपनाते हुए ड्रग मेनस को संबोधित करने में और यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्यकलापों निगरानी पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड करें।

9.1(xx) एन एम ई –आई सी टी पहल (<https://mhrd.gov.in/ict-पहल>) के संबंध में कार्रवाई की गई रिपोर्ट

एमएचआडी की एक प्रमुख पहल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एन एम ई आई सी टी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता, व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव द्वारा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की क्षमता का लाभ उठाना है। उच्चतर शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों के लिए इंटरनेट पर ज्ञान मॉड्यूल संस्थान (एच ई आई) कभी

भी, कहीं भी मोड में। यूजीसी ने सभी एच ई आई से अनुरोध किया है कि वे विश्वविद्यालय शैक्षणिक समुदाय और छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और इन डिजिटल पहलों का लाभ उठाएं। सभी एच ई आई से अनुरोध किया गया कि वह इस संबंध में यूजीसी के विश्वविद्यालय कार्यकलापों निगरानी पोर्टल पर कार्रवाई करें।

9.1(xxi) गुणवत्ता अधिदेश: कार्यान्वयन के लिए संस्थागत योजना

जैसा कि 21 दिनों का देशव्यापी तालाबंदी था और इस अवधि का उत्पादक उपयोग करना और इसे रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करना था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के प्रयास में, जिसमें रोजगार शामिल हैं स्नातक, अत्याधुनिक पाठ्यक्रम को बनाए रखने, गुणवत्ता शिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के संवर्धन और रखरखाव, शिक्षण-अधिगम के लिए आईसीटी को अपनाने और अगली पीढ़ी को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक और नेताओं के रूप में तैयार करने के लिए, यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता अधिदेश को सुधारने के लिए अपनाया गया है। प्रत्येक गतिविधि के लिए 5-10 संकाय सदस्यों के एक कार्य समूह का गठन करके और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर समान साझा करने के लिए यूजीसी गुणवत्ता जनादेश पहल के लिए संस्थागत कार्यान्वयन योजना विकसित करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का भी अनुरोध किया गया था।

9.1(xxii) कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष / पी एम केयर्स में योगदान के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जानकारी (अपील: कोविड-19 दिनांक 28 मार्च, 2020 को योगदान के लिए)

जैसा कि यूजीसी, ने प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिवसीय वेतन का एक विनम्र योगदान करने का निर्णय लिया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण सहयोगियों से आग्रह करें कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए इस नेक काम में योगदान दें और विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष / पी एम केयर्स में योगदान पर नवीनतम स्थिति यूजीसी के कार्यकलापों निगरानी पोर्टल पर प्रदान करें।।

9.2 ऑनलाइन शिक्षण द्वारा उत्पादकता

डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एमएचआरडी – यू जी सी और इसके इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स (आई यू सी)– सूचना और लाइब्रेरी नेटवर्क (इनफिलबनेट) और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सी ई सी) के कई आई सी टी पहल हैं, जिन्हें शिक्षकों, छात्रों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोधकर्ताओं ने उनके सीखने के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए। उनके उपयोग लिंक के साथ कुछ आईसीटी पहलों की सूची निम्नलिखित है।

9.2(i) स्नातकोत्तर विषयों के लिए कोर्सवेयर ई-सामग्री का उत्पादन ई-पीजी पाठशाला: (<https://epgp.inflibnet.ac.in/>)

सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एनएमई-आईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो किसी भी समय कहीं भी मोड पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में है। ।

विकसित की जा रही सामग्री ई-पीजी पाठशाला नाम की इस पहल के तहत सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान, भाषा विज्ञान और भाषाओं के सभी विषयों में विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता, पाठ्यक्रम-आधारित, इंटरैक्टिव है। ई-पीजी पाठशाला (<http://epgp.inflibnet.ac.in/>) के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खुली पहुंच में उपलब्ध है और इनफिलबनेट सर्वर पर होस्ट किया गया है। अब तक विकसित ई-कंटेंट की स्थिति तालिका में नीचे दी गई है और ई-पीजी पाठशाला परियोजना 30.09.2017 को समाप्त हो गई है

क्र स	पीआई / सामग्री विवरण	संख्या
1	पेपर की संख्या (पाठ्यक्रम) जिसके लिए सामग्री विकसित की जा रही है	778
2	सर्वर पर अपलोड स्टैटिक सामग्री की संख्या	23425
3	अपलोड किए गए वीडियो / सेल्फ लर्निंग की संख्या	23953
4	शैक्षणिक विशेषज्ञों की संख्या	5000+

ई-सामग्री खुली पहुंच में उपलब्ध है और इसे दुनिया भर में एक्सेस किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों सहित लगभग 72 लाख आगंतुकों ने ई-पीजी पाठशाला साइट का दौरा किया है। अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का विवरण इस प्रकार है: — यूएसए: — 11843, यूके: — 7190, ऑस्ट्रेलिया: — 8615, रूस: — 13579, पाकिस्तान: — 7215, यूईई: — 3924, चीन: — 28745, न्यूजीलैंड: — 366, जापान: — 6722, जर्मनी: 23592। आगंतुकों की गिनती 19 मार्च 2014 से ई-पीजी पाठशाला वेबसाइट में शुरू की गई थी।

ई-पीजी पाठशाला के दो उत्पाद विकसित किए गए हैं:-

- ई-पाठ्य (ऑफलाइन एक्सेस): ई-पाठ्य, ई-पीजी पाठशाला का वर्टिकल जो सॉफ्टवेयर संचालित कोर्स / कंटेंट पैकेज है जो छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के साथ-साथ कैंपस लर्निंग मोड में उच्च शिक्षा (पीजी स्तर) की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफलाइन एक्सेस की सुविधा भी देता है।
- ई-अध्ययन (ई-बुक्स): पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 700 ई-बुक्स प्रदान करने का एक मंच है। सभी ई-पुस्तकें ई-पीजी पाठशाला सामग्री से ली गई हैं। यह वीडियो सामग्री की प्ले-लिस्ट की सुविधा भी देता है।

2019-20 के दौरान परियोजना (INFLIBNET E-Content) में होने वाला कुल व्यय, 13,61,63,977 /—(तेरह करोड़ इक्कसठ लाख तरेसठ हजार नौ सौ सतहत्तर रुपए है)

9.2(ii) स्वयं प्लेटफार्म के लिए बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम:—(www.swayam.gov.in)

सरकार ने स्वयम पोर्टल लॉन्च किया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा पेश किए जाने वाले आभासी पाठ्यक्रमों में शामिल होना, शिक्षक के साथ बातचीत करना, परीक्षण करना, अकादमिक क्रेडिट अर्जित करना और उन्हें अपने अकादमिक रिकॉर्ड पर स्थानांतरित करना संभव होगा।

जनवरी 2019 से मई 2019 और जुलाई-2019 से अक्टूबर 2019 तक कुल 58 और 43 पाठ्यक्रम क्रमशः शैक्षणिक संस्थानों में क्रेडिट गतिशीलता के प्रावधान के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयम मंच पर पेश किए गए हैं।

मार्च, 2020 तक पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट हस्तांतरण स्वीकार करने के लिए एक सौ चालीस (140) विश्वविद्यालय मार्च, 2020 तक बोर्ड पर आ गए हैं।

ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धि इस प्रकार है: —

- स्वयम प्लेटफार्म पर जनवरी-मई 2019 के सत्र में कुल 58 यूजीसी गैर-प्रौद्योगिकी पीजी एमओओसी पाठ्यक्रम पेश किए गए।
 - सत्र-मई 2019 के सत्र में 58 यूजीसी नॉन-टेक्नोलॉजी स्नातकोत्तर कोर्स में 42,126 शिक्षार्थियों ने प्रवेश मंच पर प्रस्तुत किया।
 - एनटीए ने 22 और 23 मई, 2019 को 57 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित की है।
 - उपरोक्त परीक्षा के लिए 2035 शिक्षार्थी उपस्थित हुए थे।
 - 1295 स्वयम प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं (केवल 40% से अधिक स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के लिए)।
 - 2035 शिक्षार्थियों को जारी किए गए हैं जो अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

2. स्वयम प्लेटफार्म पर जुलाई-अक्टूबर 2019 के सत्र में कुल 43 यू जी सी गैर-प्रौद्योगिकी पीजी पी जी एम् ओ ओ सी पाठ्यक्रम पेश किए गए।
 - क) जुलाई-अक्टूबर 2019 के सत्र में स्वयम प्लेटफार्म पर पेश किए गए 43 यू जी सी गैर-प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1,25,819 शिक्षार्थी
 - ख) एनटीए ने 9-10 नवंबर, 2019 को 43 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित की है।
 - ग) उपरोक्त परीक्षा के लिए 7170 शिक्षार्थी उपस्थित हुए थे।
 - घ) 6084 स्वयम सर्टिफिकेट कम मार्कशीट जारी की गई हैं (केवल 40% से अधिक अभ्यर्थियों के लिए)।
 - ड.) 1086 ऑनलाइन शिक्षार्थियों को जारी किए गए थे, अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुए (केवल 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए)।
3. यूजीसी ने सभी कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर उन्हें स्वयम प्लेटफार्म पर पेश किए गए यूजी और पीजी एमओओसी पाठ्यक्रमों की सूची और इन पाठ्यक्रम की परीक्षा अनुसूची के बारे में सूचित किया है।
4. यूजीसी स्वयम “व्हाट्सएप” ग्रुप सभी 43 कोर्स कोऑर्डिनेटरों के लिए बनाया गया है, जो यूजीसी टीम, एनपीटीईएल और दृढ़ता के साथ जुलाई-अक्टूबर, 2019 में अपने पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं ताकि संदेह को स्पष्ट और हल किया जा सके और इन सीसी की सहायता करें समूह को आज तक एक सफल प्रतिक्रिया मिली और यूजीसी टीम ने “व्हाट्सएप” समूह के माध्यम से सीसी द्वारा सामना की गई सभी समस्याओं को हल किया है।
5. एमओओसी पाठ्यक्रम के अंगीकरण, संवर्धन और उत्पादन पर तीसरी यूजीसी क्षेत्रीय कार्यशाला 9 अगस्त, 2019 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों को कवर करते हुए भोपाल में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में इन राज्यों के 350+ प्रतिभागियों ने भाग लिया।
6. एमओओसी पाठ्यक्रम के अंभीरण, संवर्धन और उत्पादन पर चौथी कार्यशाला 3 सितंबर, 2019 को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों को कवर करते हुए रांची में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में इन राज्यों के 200+ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
7. स्वयम कोर्स समन्वयक के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुल 44 (26 पहले दौर के लिए +18 दूसरे दौर के लिए), स्वयम के कोर्स कोऑर्डिनेटरों को 27-29 मई, 2019 को एनआईटीटीटीआर चेन्नई में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम और 11-13 सितंबर, 2019 को चंडीगढ़ में प्रशिक्षण दिया गया है। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम एमओओसी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली हालिया तकनीकों को जानने के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक की मदद की।
8. यूजीसी ने 9-10, नवंबर, 2019 के लिए होने वाली स्वयम परीक्षा के लिए पंजीकरण करने के लिए सभी छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों से अनुरोध करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस और अनुस्मारक जारी किया है।
9. कुल 229, विश्वविद्यालयों से स्वयम समन्वयक और 1814, देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा स्वयम परामर्शआतों, की पहचान की गई है।
10. यूजीसी ने स्वयम के लिए नॉर्थ ईस्टर्न एमओओसी के पाठ्यक्रम के निर्माण की संभावनाओं की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। यह बैठक 03.03.2020 को विशेषज्ञ समिति के साथ की गई है।
- **31 मार्च, 2020 तक महामारी (कोविड-19) में उपलब्धि**
 1. यूजीसी और एमएचआरडी की सभी डिजिटल पहलों का ब्योरा उपलब्ध कराने के साथ-साथ यूजीसी ने यूजीसी और एमएचआरडी की सभी डिजिटल पहलों का ब्योरा देते हुए मि. सं 1-14/2020 (वेबसाइट) दिनांक 25.3.2020 यूजीसी को समाजिक रूप से दूरी रखने के दौरान समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

2. ई-पीजी पाठशाला की सामग्रीआई-एलएमएस (<https://www.inflibnet.ac.in/ilms/>) के माध्यम से शेयर की गई है इनफिलबनेट केन्द्र (आईयूसी ऑफ यूजीसी) द्वारा उनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कई विश्वविद्यालयों में है।
3. ई-पीजी पाठशाला (<https://epgp.inflibnet.ac.in/>) पर उपलब्ध लगभग 23000 प्लस स्नातकोत्तर ई-सामग्री एक क्लिक पर छात्रों / संकाय / शैक्षणिक बिरादरी के लिए एक स्थान पर आसानी से उपलब्ध है।
4. यूजीसी एमओओसी पोर्टल (<http://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/ugcmoocs/>) पर स्वयम प्लेटफॉर्म पर पेश किए गए यूजी और पीजी प्रोग्राम के तहत एमओओसी पाठ्यक्रमों को संग्रहीत किया गया है और पंजीकरण के बिना छात्रों / शिक्षार्थियों / संकायों द्वारा देखा जा सकता है।
5. स्वयम पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए यू जी सी 8 क्षेत्रीय भाषाओं में स्वयम पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने में शामिल है।

2019-20 के दौरान प्रोजेक्ट (स्वयम के लिए एमओओसी) में कुल व्यय, 4,29,72,098/- (रुपए चार करोड़ उन्नीतीस लाख बहत्तर हजार अठानवें रुपये मात्र)

9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा एक डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए अकादमिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मार्क-शीट्स आदि) का एक ऑनलाइन भंडार है। यह अकादमिक पुरस्कार उपलब्ध कराने के लिए एक 24x7 ऑनलाइन पद्धति है और यह उनकी प्रामाणिकता, उनके सुरक्षित भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति को मान्य करने में मदद करेगा। एनएडी में एनएसडीएल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) और सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) जैसे दो इंटरऑपरेबल डिजिटल डिपॉजिटरी शामिल हैं। ये डिजिटल डिपॉजिटरी अकादमिक पुरस्कारों को डिजिटल प्रारूप में रखेगी और डेटा अखंडता सुनिश्चित करेगी।

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को एनएडी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत निकाय के रूप में नामित किया है

राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी स्थिति (मार्च 2020 तक)

- यूजीसी ने एनएडी सेल की स्थापना की है जिसे यूजीसी-एनएडी सेल, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली- 110021 से संचालित किया जा रहा है।
- सेल के लिए नामित कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिसमें 3 सिस्टम विश्लेषक और 1 डेटा विश्लेषक शामिल हैं।
- एनएडी से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट पर एक निर्दिष्ट ईमेल प्रदान किया गया है।
- शिकायतों को पूरा करने के लिए, यूजीसी-एनएडी किसी भी एनएडी शिकायत के लिए सीपीजीआरएमएस पोर्टल का उपयोग कर रहा है
- यूजीसी ने शैक्षणिक निर्देशों को एनएडी प्रणाली से अवगत कराने के लिए जून, 2017 से अब तक देश भर में 33 कार्यशालाएं/ बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। इसके अलावा, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने एनएडी के बारे में परिपक्व लोगों के लिए अपने स्तर पर कार्यशाला / संगोष्ठी भी आयोजित की है।
- इसके अलावा एनएडी कंसल्टेंट्स ने 29 अकादमिक संस्थानों (एआईएस) (एनसीआर में 23 और एनसीआर के बाहर 6) का दौरा किया और विश्वविद्यालय को पुरस्कार अपलोड करने में मदद की।
- एनएडी परामर्शदाताओं ने 2019 में देश के सभी राज्यों में 23 प्रशिक्षण सह प्रचार अभियान भी चलाए, जिनमें 500 से अधिक एआई शामिल हैं।
- एनएडी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूजीसी, डिपॉजिटरी और मंत्रालय के बीच आवधिक बैठक हुई।

- मीडिया रणनीति के तहत, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को एनएडी आरटी कमर्शियल, रेडियो जिंगल और पोस्टर बनाने और प्रकाशित करने का काम दिया गया।
- यूजीसी ने जागरूकता पैदा करने और संस्थानों को एनएडी, एआई को समय-समय पर एनएडी के बारे में सूचित करने के लिए सचिव स्तर से नियमित पत्र भेजा था।
- इंटरनेट की दुनिया में सामान्य जागरूकता के लिए, एनएडी और उसके द्वारा की गई प्रक्रिया के बारे में विवरण विकिपीडिया में उपलब्ध था और पृष्ठ की निगरानी और अद्यतन नियमित रूप से किया जाता है।
- पुरस्कार अपलोड के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों की प्रगति-सह-स्थिति रिपोर्ट नियमित रूप से सभी एआई से एकत्र की गई थी।
- एनएडी वेबसाइट बनाई गई है और इसे गतिशील बनाने के लिए एनआईसी को अपग्रेड किया गया है। इस संबंध में यूजीसी और एनआईसी के बीच आवधिक बैठकें हुईं।
- एसएलए पर हस्ताक्षर करने वाले सभी एआईएस ने एनएडी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिनके संपर्क विवरण (ईमेल और मोबाइल फोन) डिपॉजिटरी / यूजीसी एनएडी सेल के पास उपलब्ध हैं। एनएडी के खाते में अब तक हुई प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से नोडल अधिकारियों से संपर्क किया गया था, उसी के बारे में जानकारी मासिक आधार पर प्राप्त हुई थी।
- एनएडी की स्थिति एनएडी वेबसाइट (www.nad.gov.in) पर साप्ताहिक रूप से अपडेट की जाती है, जो ऑन-बोर्ड संस्थानों की सूची के साथ है।

एन ए डी की प्रगति से संबंधित डेटा:

I. एन ए डी की स्थिति:

क्रम संख्या	विवरण	01-04-2019	27-03-2020
		संख्या	
1	एन ए डी पर सवार कुल अद्वितीय शैक्षणिक संस्थान	974	1234
2	एनएडी पर दर्ज अकादमिक पुरस्कारों की संख्या	3,13,08,926	6,57,98,749
3	एनएडी पर पंजीकृत कुल छात्र	5,05,405	35,47,882
4	पंजीकृत सत्यापनकर्ताओं की संख्या	182	232

II. विस्तृत जमा-वार सारांश (27.03.2020 को)

डैशबोर्ड डेटा	सीवीएल	एनडीएमएल	कुल
पंजीकृत छात्रों की संख्या	13,27,845	22,20,037	35,47,882
दर्ज किए गए शैक्षणिक पुरस्कारों की संख्या	2,83,42,495	3,74,56,254	6,57,98,749
पंजीकृत संस्थाओं की संख्या	143	89	232
एन ए डी पर कुल शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	599	700	1299*

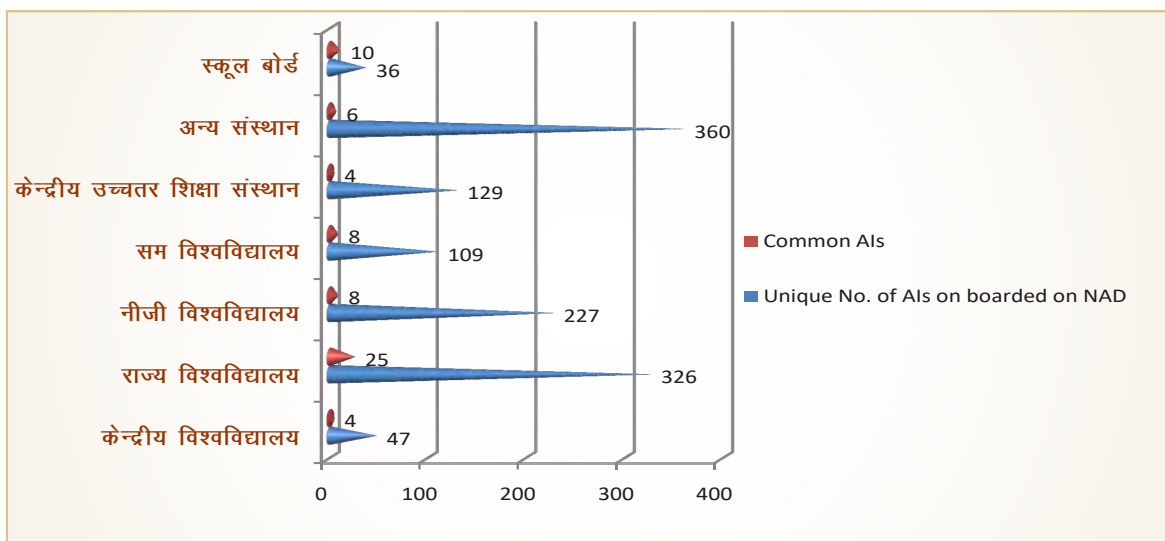
*65 ए आई सामान्य

III. 27.03.2020 तक एनएडी पर बोर्डेड शैक्षणिक संस्थान

संस्थानों का प्रकार	एनएडी की एआई की अद्वितीय संख्या	सामान्य ए.आई.एस	कुल
केंद्रीय विश्वविद्यालय	47	4	51
राज्य विश्वविद्यालय	326	25	351
निजी विश्वविद्यालय	227	8	235

संस्थानों का प्रकार	एनएडी की एआई की अद्वितीय संख्या	सामान्य ए.आई.एस	कुल
सम विश्वविद्यालय	109	8	117
केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान	129	4	133
अन्य संस्थान	360	6	366
स्कूल बोर्ड	36	10	46
कुल	1,234	65	1,299

रेखाचित्र 9.3 एनएडी पर अकादमिक संस्थान



► कौशल विकास संबंधी पहल

- ❖ 10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)
- ❖ 10.2 कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम (सीओसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश में कौशल विकास के लिए तीन योजनाएं लागू की हैं। सामुदायिक महाविद्यालयों, बी-वोक डिग्री प्रोग्राम, और दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान प्राप्ति और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका (कौशल) के उन्नयन के लिए केंद्र। अब, इन तीनों योजनाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन एस क्यू एफ) के तहत मिला दिया गया है।

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन एस क्यू एफ) एक योग्यता-आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। एन एस क्यू एफ का स्तर, एक से दस तक वर्गीकृत किया गया है, सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, जो सीखने वाले को इस बात की परवाह किए बिना होना चाहिए कि क्या वे औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) कौशल, ज्ञान और समझ के बयान हैं जो एक नौकरी की भूमिका में प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं और सक्षम प्रदर्शन के परिणामों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। वे नीचे सूचीबद्ध करते हैं कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को क्या पता होना चाहिए और क्या करने में सक्षम हैं। ये मानक नौकरी की आवश्यकताओं के साथ मेल खाने के लिए विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक बना सकते हैं। जिस तरह प्रत्येक कार्य भूमिका के लिए कई कार्यों के प्रदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, इन कार्यों के अनुरूप एनओएस के संयोजन से उस कार्य भूमिका के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) बनता है। एनएसक्यूएफ के प्रत्येक स्तर के अनुरूप प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए एनओएस और क्यूपी को उद्योग के नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा स्थापित संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम जो एनओएस और क्यूपी पर आधारित हैं, इस प्रकार स्वचालित रूप से एनएसक्यूएफ का अनुपालन करेगा।

एन एस क्यू एफ के कार्यान्वयन से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम निम्नानुसार हैं:

- एन एस क्यू एफ के साथ डिग्री के संरेखण द्वारा व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता।
- प्री-लर्निंग (आरपीएल) की मान्यता, गैर-औपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में संक्रमण की अनुमति देता है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से देश भर में प्रशिक्षण के मानकीकृत, सुसंगत, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम।
- एन एस क्यू एफ के अंतरराष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कर्मचारियों की वैश्विक गतिशीलता।
- सेक्टरों और क्रॉस-सेक्टर के भीतर प्रगति पथों का मानचित्रण
- कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में एनओएस / क्यूपी स्वीकृति।

पाठ्यक्रम और पुरस्कार के प्रकार:

एनएसजीएफ के तहत यूजीसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पूर्णकालिक क्रेडिट-आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम हैं, जिसमें कौशल और सामान्य शिक्षा घटकों के लिए क्रेडिट बैंकिंग की अनुमति है ताकि कई निकास और प्रवेश को सक्षम किया जा सके।



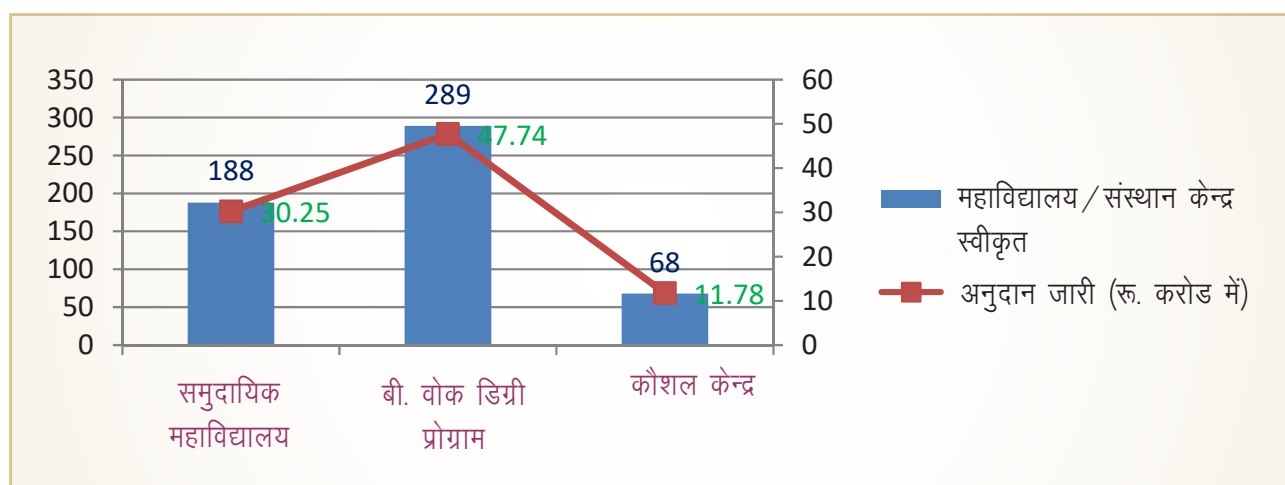
2019-2020 के दौरान, 3541 संस्थानों को 1241 ट्रेडों में एनएसक्यूएफ के तहत कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में, 188 सामुदायिक महाविद्यालय, 289 संस्थान बी-वॉक डिग्री प्रोग्राम और 68 डीडीयू कौशल केंद्र यूजीसी द्वारा अनुमोदित।

2019-20 के दौरान रु. 30.25 करोड़ रुपये सामुदायिक कॉलेजों को जारी किए गए हैं, रु. 47.74 करोड़ बी.वोक कार्यक्रम कराने वाले संस्थानों और 11.78 करोड़ रुपये डीडीयू कौशल केंद्र को जारी किए गए हैं।

2019-2020 के दौरान डीडीयू कौशल केंद्र को जारी अनुदान और अनुदान की स्थिति निम्नानुसार है:

लाभार्थी संस्थानों की संख्या	आवंटन (करोड़ रुपये में)	अनुदान जारी किया (करोड़ रुपए में)
52	15.42	11.78

रेखाचित्र 10.1: एनएसक्यू एक योजना के तहत 2019-20 के दौरान अनुमोदित और अनुदान जारी किए गए संस्थानों की संख्या (रु. करोड़ में)



10.2 कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम (सीओसी)

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो स्नातक इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद पास हों, उनके पास सामान्य रूप से वेतन क्षेत्र में लाभकारी रोजगार के लिए ज्ञान, कौशल और योग्यता हो और विशेष रूप से स्नातकोत्तर उपाधि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए दबाव को कम करने के लिए। ये पाठ्यक्रम पारंपरिक बी.ए, बी.कॉम और बी.एस सी डिग्री के समानांतर चलते हैं। पेश किए गए पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा के रूप में हैं, जिन्हें छात्र अपने पारंपरिक डिग्री। बी.ए, बी.कॉम और बी.एस सी के समानांतर चुन सकते हैं।

पेश किए गए पाठ्यक्रम प्रकृति में अंतर-अनुशासनात्मक हैं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने की स्वतंत्रता होगी, जरूरी नहीं कि वे अपने मूल अनुशासन से संबंधित हों। एक विज्ञान का छात्र इवेंट मैनेजमेंट में एक तरफ से आगे बढ़ सकता है और कला पृष्ठभूमि के छात्र के पास विज्ञान पत्रकारिता में एक कोर्स करने का विकल्प है।

सफल छात्रों को इस योजना के तहत प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / उन्नत डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। फरवरी 2013 (XII योजना) के महीने में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के लिए 522 महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई थी। 31/03/2017 को योजना को युक्तिसंगत नहीं बनाया गया है, केवल पिछले खातों को संबंधित विवरणी की प्राप्ति और उपयोग प्रमाणपत्र और भेजने के पत्रों के आधार पर निपटाया जाना है। ।

वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 0.15 करोड़ योजना के तहत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जारी किए गए

► मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा आनलाइन ज्ञानार्जन

- ❖ 11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
- ❖ 11.2 ऑनलाइन ज्ञानार्जन

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

यूजीसी ने 23.06.2017 को राजपत्र में यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन) विनियम, 2017 अधिसूचित किया था। इसके बाद पहले संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन और चौथा संशोधन क्रमशः 11 अक्टूबर, 2017, 6 फरवरी, 2018, 6 सितंबर, 2018 और 6 जून, 2019 को अधिसूचित किया गया। यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन (ओडीएल) कार्यक्रमों की मान्यता के लिए ऑन लाइन प्रस्तावों को आमंत्रित किया था और इसके बाद यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 और यूजीसी के तहत (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन) तृतीय संशोधन विनियम, 2018।

प्राप्त प्रस्तावों के प्रसंस्करण के बाद, 103 एच ई आई को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और उसके बाद से 1592 व्स् कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता दी गई है। उसी के बारे में विवरण यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त एच ई आई के नाम तालिका 11.1 (क) में दिए गए हैं।

11.1(क): शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एच ई आई) की सूची:

तालिका 11.1(क)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
2	जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	दिल्ली
3	महात्मा गाँधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना
5	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कलापेट	पुदुचेरी
6	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
7	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	अरुणाचल प्रदेश
8	द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना
9	त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यमणि, नगर	त्रिपुरा
10	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली
राज्य विश्वविद्यालय		
11	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	आन्ध्र प्रदेश
12	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
13.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	बिहार
14.	बैंगलोर विश्वविद्यालय, बेंगलुरु	कर्नाटक
15.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश
16.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्धमान	पश्चिम बंगाल
17.	कालीकट विश्वविद्यालय, मलप्पुरम	केरल
18.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	हरियाणा
19.	देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर	मध्य प्रदेश
20.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	असम
21.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	ओडिशा
22.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम
23.	गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय*, हिसार	हरियाणा
24.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश
25.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
26.	आई.के.गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय#, जालंधर	पंजाब
27.	काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल	उत्तर प्रदेश
28.	कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल	केरल
29.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	श्रृंखला - श्रीनगर
30.	कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय#, रामटेक	झारखंड
31.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	कर्नाटक
32.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	बिहार
33.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	तमिलनाडु
34.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	बिहार
35.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	हरियाणा
36.	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, कोनाजे	कर्नाटक
37.	मनोमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
38.	एम। जी। चित्रकूट विश्व विद्यालय*, चित्रकूट	मध्य प्रदेश
39.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
40.	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाड़ा	ओडिशा
41.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	पंजाब
42.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	बिहार
43.	पेरियार विश्वविद्यालय#, सलेम	तमिलनाडु
44.	पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला	पंजाब
45.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
46.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	महाराष्ट्र
47.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर शैलसे युनिवर्सिटी, मुंबई	महाराष्ट्र
48.	श्री कृष्ण एनएडी ईवाराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
49.	श्री पद्मावती महिला विश्व विद्यालय, तिरुपति	आंध्र प्रदेश
50.	तमिल एनएडी यू फिजिकल एज्युकेशन और स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी#, चेन्नई	तमिलनाडु
51.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर	तमिलनाडु
52.	कल्याणी विश्वविद्यालय, एनएडीआई	पश्चिम बंगाल
53.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
54.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
55.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र
56.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
57.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर पश्चिम	बंगाल
केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
58.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय		
59.	डॉ। बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, तेलंगाना	तेलंगाना
60.	डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात
61.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
62.	कृष्णा कांता हांडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	असम
63.	एम.पी.भोज (ओपन) विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश
64.	नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना	बिहार
65.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
66.	उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, संबलपुर	ओडिशा
67.	पं सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
68.	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु	तमिलनाडु
69.	यू.पी. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश
70.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	उत्तराखंड
71.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा	राजस्थान
72.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक	महाराष्ट्र
निजी विश्वविद्यालय		
73.	एमिटी यूनिवर्सिटी#, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
74.	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर	राजस्थान
75.	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	उत्तर प्रदेश
76.	असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम
77.	सी वी रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
78.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय#, चंडीगढ़	चंडीगढ़
79.	कैलोरक्स शिक्षक विश्वविद्यालय#, अहमदाबाद	गुजरात
80.	हिमालयन यूनिवर्सिटी#, ईटानगर अरुणाचल	प्रदेश
81.	भारत के चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों का संस्थान, अगरतला	त्रिपुरा
82.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
83.	जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
84.	जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय#, विधाणी	राजस्थान
85.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
86.	जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
87.	कलिंगा विश्वविद्यालय#, रायपुर	छत्तीसगढ़
88.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर	पंजाब
89.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय, कटनी	मध्य प्रदेश
90.	एमएटीएस विश्वविद्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़
91.	रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय#, रायसेन म	ध्य प्रदेश

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
92.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
93.	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ	उत्तर प्रदेश
94.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रु, गजरौला	उत्तर प्रदेश
95.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	उत्तराखंड
सम विश्वविद्यालय		
96.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान	उत्तर प्रदेश
97.	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून	उत्तराखंड
98.	जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु	कर्नाटक
99.	जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू	राजस्थान
100.	जामिया हमदर्द, दिल्ली	दिल्ली
101.	लिंगायत का विद्यापीठ रु, ओल्ड फरीदाबाद	हरियाणा
102.	पद्मश्री डॉ० डी० वाई० पाटिल विद्यापीठ, कोल्हापुर	महाराष्ट्र
103.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,	दिल्ली दिल्ली

*जनवरी, 2020 और उसके बाद मान्यता वापिस ले ली गई

केवल जनवरी, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए

11.1(ख) ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए श्रेणी-I एच ई आई का प्रवेश

यूजीसी (ग्रेडेड ऑटोनॉमी के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) विनियमों, 2018 के अनुसार, श्रेणी-I विश्वविद्यालय आयोग की स्वीकृति के बिना, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं, बशर्ते इसके तहत रखी गई सभी शर्तों को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन) विनियम, 2017 और संशोधन पूरा करता है।

उपरोक्त के संदर्भ में, जिन एच ई आई को यूजीसी द्वारा श्रेणी-1 के तहत रखा गया है, उन्हें यह कहते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि एच ई आई यूजीसी (ओडीएल) विनियमन, 2017 और उसके संशोधनों के तहत निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा। वैधानिक निकायों / परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मानदंड / दिशानिर्देश, जैसा कि लागू हो।

तदनुसार, श्रेणी -I के तहत 25 उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एच ई आई) की एक सूची, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने का हकदार है और इसे यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और विवरण तालिका 11.1 (ख) में दिए गए हैं।

11.1 (ख) श्रेणी के तहत उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एच ई आई) का विवरण-मैं यूजीसी (ग्रेडेड ऑटोनॉमी के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) के अनुसार, 2018 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने का हकदार हूँ:

तालिका 11.1(ख)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना	तेलंगाना
राज्य विश्वविद्यालय		
2.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	तमिलनाडु
3.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
4.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पंजाब
5.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	हरियाणा

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
6.	नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद	तेलंगाना
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना
8.	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	महाराष्ट्र
9.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	आंध्र प्रदेश
10.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
11.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा
सम विश्वविद्यालय		
12.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
13.	दत्त मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा	महाराष्ट्र
14.	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
15.	गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी और मैनेजमेंट (जी आई टी ए एम), विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
16.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, दिल्ली	दिल्ली
17.	जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूरु	कर्नाटक
18.	कोनेरु लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, वडेसवरम	आंध्र प्रदेश
19.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
20.	नरसी मोनजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुम्बई	महाराष्ट्र
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	आंध्र प्रदेश
22.	शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (सस्त्र), तंजावुर	तमिलनाडु
23.	श्री रामचंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई	तमिलनाडु
24.	एसआरएम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कट्टानकुलथुर	तमिलनाडु
25.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान, जिगनी	कर्नाटक

11.1(ग) पूर्व स्नातक में ओडीएल कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों का प्रवेश विवरण और वर्ष 2019-20 के दौरान स्नातकोत्तर स्तर (शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019 और जनवरी 2020):

टेबल 11.1(ब)

वर्ग	जुलाई, 2019 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित छात्रों की संख्या	जनवरी, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित छात्रों की संख्या	शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए कुल
मुक्त विश्वविद्यालय	9,35,108	2,77,119	12,12,227
दोहरी पद्धति वाला विश्वविद्यालय	3,78,893	85,010	4,63,903
श्रेणी-I एचईआईएस	87,250	22,805	1,10,055
कुल	14,01,251	3,84,934	17,86,185

11.2 ऑनलाइन ज्ञानार्जन

यूजीसी ने 4 जुलाई, 2018 को ऑनलाइन (पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया था। यूजीसी के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करने के लिए पात्र एचईआईएस से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यूजीसी को 28 एचईआईएस से आवेदन प्राप्त हुआ था।

यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम 2018, 7 के तहत प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करने के बाद वर्ष 2019-20 (जनवरी से शुरू होने वाला शैक्षिक सत्र, 2020-21 तक) से ऑनलाइन मोड के माध्यम से 37 कार्यक्रमों की पेशकश करने के

लिए एच ई आई को मान्यता दी गई है। उसी के बारे में विवरण यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त एच ई आई के नाम नीचे तालिका 11.2 (क) में दिए गए हैं।

इन विनियमों में संशोधन 17 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था और इसके आधार पर, आयोग ने 17 मार्च, 2019 को आदेश संख्या सं० 2-5/2019 (ओएल) जारी किया, जिससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली को छूट मिली। यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम 2018 के आवेदन से लेकर राजपत्र में नियमों की अधिसूचना की तारीख तक अगले आदेश तक।

11.2(क): शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एच ई आई) की सूची (जनवरी से 2020 तक शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक):

तालिका 11.2(क)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली
निजी विश्वविद्यालय		
2.	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	उत्तर प्रदेश
सम विश्वविद्यालय		
3.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
4.	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
5.	जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूरु	कर्नाटक
6.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	कर्नाटक
7.	शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी, तंजावुर	तमिलनाडु

11.2 (बी): वर्ष 2019-20 (शैक्षणिक सत्र जनवरी, 2020) के दौरान ऑनलाइन मोड में नामांकित छात्रों का प्रवेश विवरण:

तालिका 11.2(ख)

वर्ग	मान्यता प्राप्त	(शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित छात्रों की संख्या जनवरी, 2020)
ओपन यूनिवर्सिटीज	1	470
दोहरी पद्धति वाला विश्वविद्यालय	6	1917
कुल	7	2387

▶ यूजीसी – गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षणिक गतिविधियों की पहल

- ❖ 12.1 छात्र प्रेरण कार्यक्रम
- ❖ 12.2 ज्ञानार्जन परिणाम पर आधारित पाठ्यक्रम ढांचा (एलओसीएफ)
- ❖ 12.3 मूल्यांकन सुधार
- ❖ 12.4 जीवन कौशल
- ❖ 12.5 भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधायी शोध योजना (स्ट्राइड)
- ❖ 12.6 अकादमिक तथा शोध नैतिकता संघ – केयर
- ❖ 12.7 संकाय प्रेरण कार्यक्रम
- ❖ 12.8 'परामर्श'–गैर प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों को 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करना
- ❖ 12.9 मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता का अंतर्निवेशन
- ❖ 12.10 पर्यावरण-हितैषी तथा स्थायी परिसर के लिए दिशा-निर्देश
- ❖ 12.11 विश्वविद्यालय और उद्योग के जुड़ाव को सक्षम बनाना और बढ़ाना
- ❖ 12.12 छात्र करियर उन्नयन तथा पूर्व छात्र नेटवर्क

यूजीसी ने 24.05.2018 को अपनी बैठक में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूजीसी द्वारा की जाने वाली गुणवत्ता अधिदेश पहल में सुधार किया:

12.1 छात्र प्रेरण कार्यक्रम

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आदेशों में से एक है, छात्रों का प्रेरण कार्यक्रम। यूजीसी ने "दीक्षारम्भ – ए गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम" तैयार किया है। इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है कि वे अपने स्वयं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए छात्र की सहायता करने के लिए माध्यमिक / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से स्वाभाविक रूप से सरलता से संक्रमण रहित बनें। नए संस्थान के लोकाचार के साथ संक्षिप्त रूप में करना। इसके अलावा, यह शिक्षकों, छात्रों को एक दूसरे को जानने और एक चिरस्थायी संबंध बनाने के अवसर के रूप में काम करेगा। इसे औपचारिक रूप से एचआरडी के माननीय मंत्री द्वारा 18.07.2019 को लॉन्च किया गया है जो यूजीसी वेबसाइट (https://www.ugc.ac.in/pdfnews/3830821_DeeksharambhEnglish.pdf) पर उपलब्ध है। स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम के लिए टीचर्स ट्रेनिंग (टीओटी) पर 8 क्षेत्रीय कार्यशालाएं पहले ही हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और लखनऊ में आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 1650 प्रतिभागी शामिल हुए थे।

12.2 ज्ञानार्जन परिणाम पर आधारित पाठ्यक्रम ढांचा (एलओसीएफ)

यूजीसी के गुणवत्ता अधिदेश ने छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण से लैस करने के उद्देश्य से सीखने के परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर पाठ्यक्रम सुधार पर जोर दिया है। यूजीसी ने क्षेत्र में शामिल विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद लर्निंग आउटकम आधारित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क पर एक दस्तावेज तैयार किया है, जो यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ज्ञानार्जन आउटकम बेस्ड एप्रोच का मूल आधार ग्रेजुएट द्वारा प्राप्त की जाने वाली विशेषताओं को प्रोग्राम ज्ञानार्जन परिणाम और शैक्षिक मानकों के साथ संरेखित करना है। यह एक छात्र केंद्रित सीखने का तरीका है। एलओसीएफ का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण से लैस करना है। 26 विषयों में नया पाठ्यक्रम जो एलओसीएफ पर आधारित है और पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए विश्वविद्यालयों की सुविधा के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर विकसित और अपलोड किया गया है। हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर एक विषय अपलोड किया गया है।

12.3 मूल्यांकन सुधार

यूजीसी ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को फिर से चालू करने के लिए मूल्यांकन सुधारों की शुरुआत की है ताकि सतत मूल्यांकन के साथ संचालित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि स्पष्ट रूप से विषय वार सीखने के परिणामों को निर्दिष्ट करके, वर्तमान प्रणाली के पूर्ण पुनरु संरचना का प्रयास किया जा सकता है।

परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य सीखने के परिणामों का परीक्षण करना है, ज्ञान प्राप्त किया है, रवैया विकसित किया है और कौशल को कम किया है, यूजी, पीजी, एम.फिल / पीएचडी के लिए अलग-अलग उपयुक्त मॉडल विकसित किया जाना है, जो गुणवत्ता से समझौता किए बिना जोर देने के लिए आंतरिक और निरंतर मूल्यांकन किया जाना है और मानकों, तकनीकी हस्तक्षेप, डिग्रियों और मार्कशीट का डिजिटल डिपॉजिट, ग्रेडिंग और क्रेडिट ट्रांसफर, सभी एच ई आई, मॉडरेशन, ऑन-डिमांड परीक्षा, प्रश्न बैंक, न्यूनतम एच ई आई एस के लिए न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना और परिणाम की घोषणा करना है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधारों पर एक रिपोर्ट 'उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन' को अधिक सार्थक बनाने और मूल्यांकन को 'सीखने के परिणाम' और संस्थागत लक्ष्यों से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की जाती है।

800 प्रतिभागियों के लिए मूल्यांकन सुधार पर पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ नीचे विस्तृत रूप में आयोजित की गई हैं

18-19 जुलाई, 19-हैदराबाद

29-30 जुलाई, 19-बेंगलुरु

19-20 अगस्त, 19-पुणे

24 -25 अक्टूबर, 19- भोपाल

04 -05 नवंबर, 2019-गुवाहाटी।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 26 दिसंबर, 2019 को दिशानिर्देश लॉन्च किया है

12.4 जीवन कौशल

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए गुणवत्ता अधिदेश पहल में से एक है छात्रों के लिए जीवन कौशल सीखना। वैश्विक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और सफल जीवन जीने के लिए स्नातकों को सशक्त बनाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिससे उन्हें यह एहसास हो सके कि वे जब उनके लिए प्रणाली का काम करने के लिए क्या कर सकते हैं।

लाइफ स्किल्स (जीवन कौशल) पर एक पाठ्यक्रम 11.09.2019 को तैयार और लॉन्च किया गया है, जो यूजीसी की वेबसाइट (<https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html>) पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम में चार मॉड्यूल शामिल हैं:

- क) संचार कौशल
- ख) पेशेवर कौशल में कैरियर कौशल और टीम कौशल शामिल हैं
- ग) उद्यमशीलता कौशल सहित नेतृत्व और प्रबंधन
- घ) योग और सेवा सहित सार्वभौमिक मानव मूल्य

कार्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी निम्न कार्य कर सकेंगे:

1. स्वयं की योग्यता और आत्मविश्वास प्राप्त करें
2. भावनात्मक योग्यता का अभ्यास करें
3. बौद्धिक क्षमता प्राप्त करें
4. व्यावसायिक क्षमता के माध्यम से बढ़त हासिल करें
5. सामाजिक योग्यता के उच्च अर्थ के लिए लक्ष्य
6. एकात्म मानव बनें

जीवन कौशल का पाठ्यक्रम 11.09.19 को माननीय एचआरडी राज्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया है।

12.5 भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधायी शोध योजना (स्ट्राइड)

29 जनवरी, 2019 को आयोजित 538 वीं बैठक में आयोग ने कॉन्सेप्ट नोट को मंजूरी दे दी स्ट्राइड स्कीम की शुरुआत। इसके अलावा, आयोग ने स्ट्राइड के परिचालन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी 13 जून, 2019 को आयोजित इसकी 541 वीं बैठक में यह

उजागर करना महत्वपूर्ण है कि स्ट्राइड को इसमें शामिल किया गया था सरकार के 100 दिन एजेंडा। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया था 01.07.2019 को शुरू किया गया।

ऑनलाइन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की शुरुआत 31.07.2019 से हुई थी और प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2019 थी। स्ट्राइड के तहत प्राप्त प्रस्तावों की प्राप्ति और समीक्षा / मूल्यांकन का कार्य बीएचयू को सौंपा गया है। बीएचयू में एक स्ट्राइड सेल की स्थापना की गई है। प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या 3891 है जिनमें से घटक 1 में प्रस्तुत प्रस्ताव की संख्या 269 है, घटक 2 3036 हैं, घटक 3 586 (पूर्व प्रस्तावों के रूप में 484 और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में 102) 30-09-2019 के रूप में हैं। प्रस्तावों का मूल्यांकन / समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और पूरे भारत में विभिन्न विषयों के डेटाबेस से रैंडम पोर्टल (stride.bhu.ac.in) पर विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं / समीक्षकों को सौंपा गया है। हाल ही में स्ट्राइड के तहत कंपोनेंट-1 के प्रस्तावों (राउंड 1) की समीक्षा का काम पूरा हुआ और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ आईआईएससी, बेंगलूर के पूर्व निदेशक प्रो पी बलराम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की एक बैठक 26 और 27 नवंबर, 2019 को हुई। 58 शॉर्ट लिस्टेड प्रस्तावों में से, 35 संस्थानों को आखिरकार स्ट्राइड के तहत कंपोनेंट-1 के लिए चुना गया। तदनुसार, चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सूचित किया गया है। अन्य घटकों-2 और 3 का कार्य प्रगति पर है।

प्रस्तावों की गहन समीक्षा और 2019 की अंतिम तिमाही में एच ई आई के प्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञ समिति की एक इंटरफेस बैठक के बाद, आखिरकार 35 संस्थानों को स्ट्राइड के तहत घटक-1 के लिए चुना गया। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यूजीसी ब्लॉक अनुदान से चयनित संस्थानों को 11.50 करोड़ रुपये जारी किए गए। अन्य दो घटक-2 और 3 के प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा का कार्य पूरा हो चुका है और इंटरफेस बैठकों के लिए तैयार है।

12.6 अकादमिक तथा शोध नैतिकता संघ – केयर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का “गुणवत्ता अधिदेश” संकाय सदस्यों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान और नए ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। उद्देश्य हैं:

- संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्वसनीय अनुसंधान बनाने के लिए
- शैक्षिक और अनुसंधान अखंडता के साथ-साथ प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना।
- प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देने के लिए जो उच्च वैश्विक हासिल करने में मदद करेंगे रैंक और अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार।
- अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करना।
- संदिग्ध/उप-मानक पत्रिकाओं में प्रकाशनों को रोकने के लिए जो प्रतिकूल रूप से प्रतिबिंबित करते हैं और शोध कार्य की छवि को धूमिल करते हैं और इस तरह एक दीर्घकालिक शैक्षणिक क्षति होती है।
- विभिन्न शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए ‘गुणवत्ता पत्रिकाओं की देखभाल संदर्भ सूची’ बनाने और बनाए रखने के लिए।

यूजीसी ने सीएआरई सूची के प्रकाशन के लिए सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और यूजीसी द्वारा पहचाने जाने वाले चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (जैसे कि केयर यूनिवर्सिटी के रूप में नामित) के लिए जर्नल विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी है।

देखभाल सूची गतिशील है। इसे हर साल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के पहले (या अगले कार्यदिवस पर इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश होने पर) त्रैमासिक रूप से अपडेट किया जाएगा। पहली केयर सूची 14.06.2019 को केयर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी <https://ugccare.unipune.ac.in>। 14 जून, 2019 को शैक्षणिक अखंडता पर एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उपरोक्त सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

अकादमिक अखंडता में सुधार करने के लिए और यूजीसी की पहल का प्रसार करने के लिए, “शोध की अखंडता जागरूकता कार्यशालाएं” आईआईएसईआर, पुणे में 19 जुलाई, 2019 और 4 क्षेत्रीय देखभाल में आयोजित की गईं केंद्र अर्थात: हैदराबाद

विश्वविद्यालय, एम. एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर क्रमशः 5 अगस्त, 16 अगस्त, 22 अगस्त और 26 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 26 दिसंबर, 2019 को दिशानिर्देश लॉन्च किया है।

12.7 संकाय प्रेरण कार्यक्रम

यूजीसी ने सभी नए भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए संकाय प्रेरण प्रोग्राम (एफआईपी) विकसित किया है। एफआईपी का उद्देश्य शिक्षकों को संरचना, कामकाज, नियम, विनियम आदि से परिचित करना है: उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें: शैक्षणिक प्रक्रियाओं का पता लगाना और उच्चतर शिक्षा में आत्म-विकास और नैतिकता और मूल्यों के पोषण के महत्व को पहचानना।

इस उद्देश्य के लिए, यूजीसी ने संकाय प्रेरण कार्यक्रम पर एक रूपरेखा तैयार की है और जल्द ही इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यूजीसी ने पुणे, अहमदाबाद, पांडिचेरी और सोनीपत में टीचर्स ट्रेनिंग (टीओटी) का आयोजन किया है। संकाय प्रेरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए लगभग 640 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

26.12.2019 को मानव संसाधन विकास माननीय मंत्री जी द्वारा शिक्षक प्रेरण कार्यक्रम “गुरु दक्षता” के लिए दिशानिर्देश लॉन्च किए गए थे।

12.8 ‘परामर्श’—गैर प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों को 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी “गुणवत्ता अधिदेश” में निहित गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ उत्कृष्टता की खोज के लिए खुद को समर्पित किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए यूजीसी ने “परामर्श” की योजना को लागू किया है – गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को सलाह देने के लिए 2022 तक मान्यता प्राप्त करने के लिए एक नई पहल।

यूजीसी ने पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए अर्थात् जिनके पास 3.26 और उससे अधिक का नैक स्कोर है। यूजीसी के पास है स्वीकृत 167 संरक्षक संस्थान जो 936 पहचान किए गए मेंटी संस्थानों को परामर्श प्रदान करेंगे।

यह योजना नैक मान्यता आकांक्षी संस्थानों को उनके अकादमिक प्रदर्शन को उन्नत करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों को बढ़ावा देने का इरादा रखती है। मेंटर-मेंटी संबंध की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होगी 3.6 करोड़ छात्र जो वर्तमान में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं।

संरक्षक संस्थान 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी संस्थान के उल्लेख के मामले में, संरक्षक संस्थान को रु 2 लाख अतिरिक्त राशि प्रदान किए जा सकते हैं। वित्तीय सहायता का उपयोग प्रत्यायन राजदूत, अतिथि व्याख्यान, कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों के आयोजन, विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों के लिए मानदेय आदि के लिए किया जा सकता है। मेंट संस्थाएं उन्हें तैयार करने के लिए वास्तविक नैक मूल्यांकन प्रक्रिया मेंटर संस्था की मदद से पूरी मान्यता प्रक्रिया से गुजर सकती हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, योजना के तहत रु 22,14,72,750/- मेंटर संस्थानों को जारी किया गया है।

12.9 मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता का अंतर्निवेशन

यूजीसी ने एक नीतिगत ढांचा विकसित किया है— “मूल्य प्रवाह – उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों की नैतिकता को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश”। शैक्षिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों और नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करने और उन्हें कारगर बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते

पिछला कवर

यूजीसी का चित्र' प्रो. हिम चटर्जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई पेंटिंग है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चित्र भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के शिक्षा दर्शन का प्रतिबिंब है। नारंगी रंग योजना ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। हंस ज्ञान के पंख फैलाती हुई देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय चिन्ह— सिंह शीर्ष और धर्म चक्र आगे बढ़ने का प्रतीक है और बुद्धि, नीचे खुली पुस्तकों के साथ यूजीसी का प्रतीक है। उल्लू की दो आंखें नीचे देवी लक्ष्मी की प्रतीक हैं तो घड़ा अनुदान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान चक्र—से सहस्रार चक्र— चेतना—दर्शन के ज्ञान और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। पेंटिंग में बाएं मस्तिष्क के माध्यम से तार्किक और विश्लेषणात्मक विषयों की सारणी को दर्शाया गया है और दाएं मस्तिष्क के माध्यम से रचनात्मक और कलात्मक विषयों को दर्शाया गया है। अग्रभाग में 12 राशियों के प्रतीक 12 विभिन्न वर्णों, सोच और विचारों के प्रतीक हैं। प्रत्येक सिर अपनी दुनिया और आँखों में प्रश्न चिह्न के साथ शिक्षा और शोध में जांच और खोज के महत्व का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)